Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका

प्रधान सम्पादक
जगत नारायण

मई, 1983

सम्पादक
हेतराम बाल्मीकि

नि० प० 1983

विधि साहित्य प्रकाशन,
विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मन्त्रालय (विधायी विभाग), भारत सरकार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नामानुसार अनुक्रमणिका

मई 1983, अंक

पूर्ण न्यायपीठ निर्णय :

रामनन्दन प्रसाद और अन्य **बनाम** बिहार राज्य और अन्य (Ramnandan Prasad and others *Vs.* The State of Bihar and others) — पटना-273

सरोजिनी माबेल पाल (श्रीमती) **बनाम** अरनेस्ट सत्यपाल (Smt. Sarojini Mabel Paul *Vs.* Ernest Satya Paul) — पंजाब-हरियाणा-175

अन्य निर्णय :

अब्दुल मजीत **बनाम** तमिलनाडु राज्य और अन्य (Abdul Majeeth *Vs.* The State of Tamil Nadu and others) — मद्रास-84

आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, नई दिल्ली **बनाम** मैंसर्स मोहनदास हस्सा नन्द, दिल्ली (The Commissioner of Income-tax, Delhi-1, New Delhi *Vs.* M/s Mohan Das Hassa Nand, Delhi) — दिल्ली-217

इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट एजेन्सी, सीतामढ़ी (मैं०) **बनाम** प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पटना (M/s Inter State Transport Agency, Sitamarhi *Vs.* The Regional Provident Fund Commissioner, Patna) — पटना-241

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम **बनाम** श्रीमती गीता देवी (U. P. State Road Transport Corporation *Vs.* Smt. Geeta Devi) — इलाहाबाद-469

उत्तराखण्ड फोरेस्ट कं० (मैंसर्स) और एक अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (M/s Uttarakhand Forest Co. and another *Vs.* State of Uttar Pradesh and others) — इलाहाबाद-497

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एम० जी० कदाली **बनाम** कर्नाटक राज्य और अन्य (M.G. Kadali *Vs.* The State of Karnataka and others) — कर्नाटक-65

कमलेश कुमार खत्री **बनाम** जोधपुर विश्वविद्यालय (Kamlesh Kumar Khatri *Vs.* The University of Jodhpur) — राजस्थान-257

के० डी० गुप्ता **बनाम** भारत संघ और एक अन्य (K. D. Gupta *Vs.* Union of India and another) — मध्य प्रदेश-278

गुनाराम तांती और एक अन्य **बनाम** असम राज्य (Gunaram Tanti and another *Vs.* State of Assam) — गोहाटी-72

गोपाल मेहर और अन्य **बनाम** डाला बारिहा और अन्य (Gopal Meher and others *Vs.* Dala Bariha and others) — उड़ीसा-79

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य **बनाम** सुरजीत केसर (The Chandigarh Administration and others *Vs.* Surjit Kesar) — पंजाब-हरियाणा-156

जगदेई कुंवर (श्रीमती) **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (Smt. Jagdeo Kunwar *Vs.* The State of U. P.) — इलाहाबाद-485

जालान इण्डस्ट्रीज **बनाम** यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन और अन्य (Jalan Industries *Vs.* U. P. Financial Corporation and others) — इलाहाबाद-536

जी० एन० भण्डारी (श्री) **बनाम** रेलवे प्रशासन, नई दिल्ली (Shri G. N. Bhandari *Vs.* The Railway Administration, New Delhi) — इलाहाबाद-481

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दलपतभाई भीखाभाई पटेल **बनाम** जिला मजिस्ट्रेट, सूरत और अन्य (Dalpatbhai Bhikhabhai Patel *Vs.* The District Magistrate, Surat and others) गुजरात-102

देवीसन **बनाम** केरल राज्य (Devisan *Vs.* The State of Kerala) केरल-107

धन कर आयुक्त, बिहार **बनाम** शिवराम सिंह (Commissioner of Wealth Tax, Bihar *Vs.* Shivram Singh) पटना-267

धर्मेन्द्र सिंह **बनाम** जिला मजिस्ट्रेट और एक अन्य (Dharmendra Singh *Vs.* The District Magistrate and others) मध्य प्रदेश-263

नगरपालिका, सतना **बनाम** बिरला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि० (The Municipal Council, Satna *Vs.* M/s Birla Jute Manufacturing Company Limited) मध्य प्रदेश-244

परसराम और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (Parasram and another *Vs.* The State of Maharashtra) मुम्बई-71

बसंत लाल **बनाम** उपखण्ड मजिस्ट्रेट (Basant Lal *Vs.* The Sub-Divisional Magistrate) इलाहाबाद-510

बीरेन्द्र कुमार भुवलका **बनाम** भारत संघ और अन्य (Birendra Kumar Bhuwalka *Vs.* Union of India and others) कलकत्ता-100

बैजनाथ **बनाम** चित्रकूट धाम नगर पालिका (Baij Nath *Vs.* The Nagar Palika, Chitrakut Dham) इलाहाबाद-547

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भ्रमर प्रधान **बनाम** गोविन्द महापात्र और अन्य (Bhramar Pradhan *Vs.* Govinda Mahapatra and others)	उड़ीसा-72
महेन्द्र प्रसाद सिन्हा **बनाम** पटना उच्च न्यायालय और अन्य (Mahendra Prasad Sinha *Vs.* The High Court of Judicature at Patna and others)	पटना-227
मानकचन्द नाथूराम **बनाम** कृषि उपज मण्डी समिति (Manak Chand Nathuram *Vs.* Krishi Upaj Mandi Samiti)	मध्य प्रदेश-272
मोहम्मद अली खां और अन्य **बनाम** धन-कर आयुक्त (Mohd. Ali Khan and others *Vs.* The Commissioner of Wealth Tax)	दिल्ली-234
राजस्थान कोआपरेटिव डेरी फैडरेशन लि०, जयपुर और एक अन्य **बनाम** मनोहरलाल शर्मा (Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd., Jaipur and another *Vs.* Manoharlal Sharma)	राजस्थान-236
लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट **बनाम** श्रीमती निर्मला देवी और अन्य (Ludhiana Improvement Trust *Vs.* Smt. Nirmala Devi and others)	पंजाब-हरियाणा-179
वैस्टर्न इण्डिया टिम्बर्स **बनाम** जिला वन अधिकारी (Western India Timbers *Vs.* The District Forests Officer)	मद्रास-98
शंकर कुमार घोष वाला मामला (In Re : Sankar Kumar Ghosh)	कलकत्ता-90

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शिमला के नागरिक **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य (Citizens of Simla *Vs.* Tha State of Himachal Pradesh and another) हिमाचल प्रदेश-85

सिंह इंजीनियरिंग कं० जबलपुर (मैसर्स) **बनाम** क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर (M/s Singh Engineering Co. Jabalpur *Vs.* The Regional Director, Employees State Insurance Corporation, Indore) मध्य प्रदेश-256

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बिषयानुसार अनुक्रमणिका

मई, 1983 अंक

आयकर अधिनियम, 1961

—धारा 271(1)(ग), 271 (4क) सपठित धारा 274(2)—आय के छिपाए जाने की दशा में शास्ति—जहां निर्धारिती द्वारा अपवंचन केवल मूल विवरणी में ही किया गया हो और पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों में कोई भी अपवंचन न किया गया हो वहां शास्ति की गणना उस कर के आधार पर की जाएगी जिसका अपवंचन किया गया है और अपवंचित आय के आधार पर गणना नहीं की जाएगी—अतः शास्ति की रकम को उस कर के 25% तक सीमित किया जाना न्यायोचित है जिसका अपवंचन किया गया है।

दिल्ली-217

उड़ीसा सम्पदा उत्सादन अधिनियम, 1952

—धारा 7—राज्य सरकार द्वारा भूमि का बंदोवस्त किया जाना—बंदोवस्त के लिए सिर्फ भूतपूर्व मध्यवर्ती ही दावा करने के हकदार हैं—धारा 7 के अधीन बंदोवस्त के लिए अभिधारी हकदार नहीं हैं।

उड़ीसा-79

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1950

—धारा 128 (1)(vii) तथा धारा 128(1)(xiv)—उक्त धारा 128(1)(vii) के अधीन नगरपालिका द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर पथ कर अधिरोपित किया जाना उस दशा में विधिमान्य है, यदि संग्रहण बिन्दु नगरपालिका की सीमा से बाहर है। पथ कर का धारा 128(1)(vii) में विनिर्दिष्ट उल्लेख है, अतः स्लीपरों पर पथ कर के उद्ग्रहण को न्यायोचित ठहराने के लिए खण्ड (xiv) में अन्तर्विष्ट अवशिष्टीय उपबन्ध का अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

इलाहाबद-497

उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज (रिकवरी आफ ड्यूज) ऐक्ट, 1972

—धारा 3 सपठित संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम (यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट), 1901, अध्याय 8 और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, अध्याय 10—ऐसे क्षेत्रों में, जो उ० प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं किसी लोक धन के बकाया की भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली के लिए कुर्क सम्पत्ति के नीलाम की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत की जाएगी न कि जमींदारी विनाश अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत।

इलाहाबाद-536

उत्तर प्रदेश भूमि-जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम (यू० पी० इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्ज ऐक्ट), 1960 (1960 का 1)

—धारा 5, उपधारा (6), परन्तुक सपठित धारा 12-क—भूमिधर द्वारा भूमि का विक्रय—भूमिधर का धारा 5(6) के परन्तुक (ख) के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए दावा—यह विहित प्राधिकारी के समाधानपर्यन्त सिद्ध करने का भार कि संव्यवहार सद्भावपूर्वक, पर्याप्त प्रतिफल के लिए था और बेनामी नहीं था, उस पक्षकार पर है जो उसके अधीन लाभ प्राप्त करना चाहता है।

इलाहाबाद-485

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने किराया तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972

—धारा 9-क और 3(क)—उक्त धारा 9-क धारा 3(घ) के अर्थान्तर्गत केवल ऐसी धार्मिक संस्था को लागू होती है, जो सार्वजनिक भी हो और कोई संस्था विशेष सार्वजनिक धार्मिक संस्था है अथवा नहीं, इस बात का अवधारण संबद्ध धार्मिक विचारधारा के अनुसार किया जाएगा।

इलाहाबाद-510

कर्नाटक प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम (कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिक्रूटमैन्ट रूल्स, 1957

—और संशोधन नियम (एमैन्डमैन्ट रूल्स) 1977 सपठित कर्नाटक राजपत्रित परिवीक्षाधीनों के भर्ती नियम (कर्नाटक रिक्रूटमैन्ट आफ गजेटेड प्रोवेशनर्स रूल्स), 1959 सपठित कर्नाटक राज्य राजपत्रित परिवीक्षाधीन पद (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियम [कर्नाटक गवर्नमेंट गजेटेड प्रोवेशनर्स पोस्ट्स (अपायन्टमैन्ट बाई कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन रूल्स)], 1966 का

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नियम 3—कर्नाटक प्रशासनिक सेवा में कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए कोटा विहित होना—प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग की रिक्तियों का भरा जाना—1966 के नियम राज्य सरकार को मात्र इस बात का अवधारण करने के लिए सशक्त बनाते हैं कि उन संवर्गों में से प्रत्येक में कितनी भर्ती की रिक्तियां किसी विशिष्ट अवधि के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं। ऐसी संख्या का अवधारण करने के पश्चात् सरकार कोटा नियम के अनुसार पदों को प्रोन्नति द्वारा भरने के लिए आवद्ध होगी। कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में ज्येष्ठता केवल उस संवर्ग में प्रविष्टि की तारीख के आधार पर गिनी जानी चाहिए, चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा हो या प्रोन्नति द्वारा हो और वह प्रोन्नति या सीधी भर्ती अपने-अपने कोटे के अनुसार की जानी चाहिए। यदि प्रोन्नतियां या सीधी भर्ती अपने विहित कोटे से अधिक की जाती हैं तो अगली भर्ती अवधि के लिए सीधी भर्ती वाली रिक्तियों या प्रोन्नति वाली रिक्तियों का अग्रनयन तीन वर्ष से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

कर्नाटक-65

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

—धारा 7ए और 14बी सपठित परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137—नियोजक द्वारा भविष्य निधि अंशदान को जमा कराने में विलम्ब के लिए प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा शास्तिक नुकसानी अधिरोपित करने वाले (पूर्वतर) आदेश पर पुनर्विचार करने से इंकारी के विरुद्ध अनुच्छेद 137 के अधीन आवेदन किया जाना—परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 सिविल न्यायालय को किसी भी अधिनियम के अधीन किए गए पिटीशन को लागू होता है और भविष्य निधि अधिनियम की धारा 7ए और 14बी के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए कोई परिसीमा नहीं है और इन कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने में मात्र विलम्ब अधित्यजन या माफ करने की कोटि में नहीं आएगा।

पटना-241

—धारा 14बी शास्तिक नुकसानी को अधिरोपित करने के लिए कार्यवाहियां—यदि प्राधिकारियों द्वारा नुकसानी की प्रस्तावित राशि में अयर्थाथता सम्बन्धी गलती पाई जाए और उसके स्थान पर कतिपय धनराशि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रस्थापित करते हुए इस बारे में सूचित किया जाता है प्रस्तावित धनराशि को वापस लिया जाता है और रद्द किया जाता है तो इससे शास्तिक नुकसानी संबंधी कार्यवाही समाप्त नहीं होगी ।

पटना-241

—धारा 14बी—शास्तिक नुकसानी को अधिरोपित करने के लिए कोई दृढ़ सूत्र नहीं हो सकता—प्राधिकारियों के लिए यह विचारणीय है कि नियोजक के आचरण द्वारा नुकसानी को कहां तक कम किया गया है—धारा 14बी के अधीन आदेश तर्कसंगत आदेश होना चाहिए जिससे यह प्रकट हो कि किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए न्यायिक तौर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया गया है ।

पटना-241

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

—धारा 85ख—अभिदाय का संदाय न करने पर नुकसानी का दायित्व—नुकसानी का अवधारण प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और तथ्यों के अनुसार युक्तियुक्त रूप से किया जाना चाहिए—बकाया की रकम की 100% नुकसानी वसूल करना अनिवार्य नहीं है—उक्त धारा के अधीन प्राधिकारी को अपनी वैवेकिक शक्ति का प्रयोग अयुक्तियुक्त रूप से या मनमाने ढंग से करने का अधिकार नहीं है ।

मध्य प्रदेश-256

कानूनों का निर्वचन

—अर्थान्वयन के सिद्धांत—यदि किसी कानूनी उपबंध के दो अर्थान्वयन हैं तो उनमें से वह अर्थान्वयन अपनाया जाना चाहिए, जो संविधान के उपबन्धों के अनुरूप हो ।

कर्नाटक-65

कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972

—धारा 2(ड), 3 और 4—अधिसूचित कृषि उपज—धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर बाजार समिति द्वारा बाजार फीस उद्ग्रहण की जा सकती है—धारा 2 (ड) में अधिसूचित कृषि उपज की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परिभाषा में धारा 4 के अधीन अधिसूचना के प्रति निर्देश किया गया है न कि धारा 3 के अधीन पूर्व अधिसूचना के प्रति ।

मध्य प्रदेश-272

—धारा 19—कृषि उपज की कुछ मदों के विक्रय के संव्यवहारों पर बाजार फीस का उद्ग्रहण—तत्प्रतितत् का सिद्धांत—इकट्ठी की गई बाजार फीस में से अधिकांश का उपयोग बाजार में आने वाले क्रेताओं के फायदे और सहूलियत के लिए किया जाना पर यदि इस प्रकार इकट्ठी की गई 3/4 या अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो कम-से-कम 2/3 का उपयोग बाजार क्षेत्र में कृषि उपज के क्रेताओं को दी गई सेवाओं से संबंधित होने पर इस प्रकार उद्ग्रहण की विधिमान्यता के लिए अनिवार्य तत्प्रतितत् का तथ्य पाया जाएगा और बाजार फीस का उद्ग्रहण विधिमान्य माना जाएगा ।

मध्य प्रदेश-272

चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980

—धारा 3(2) सपठित संविधान अनुच्छेद 226—किसी लोक सेवक को निरुद्ध करने की शक्ति का प्रयोग—लोक सेवक को निलम्बित कर दिए जाने से उसे निरुद्ध किए जाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है—निलम्बन के पश्चात् उसे निरुद्ध करने वाला आदेश अवैध होगा ।

गुजरात-102

—धारा 3(2)—लोक सेवक को निवारक रूप से निरुद्ध किया जाना—निरोध प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह निरुद्ध करने की आवश्यकता के बारे में निलम्बन के आदेश के प्रभाव की बाबत विवेकबुद्धि का प्रयोग करे—निरुद्धकरने की शक्ति का स्वरूप निवारक है न कि दण्डात्मक—लोक सेवक के विगत क्रियाकलाप के आधार पर उसे निरुद्ध करना न्यायसंगत नहीं है—यदि निरोध प्राधिकारी निरुद्ध करने के बारे में विधिसम्मत रूप से आत्मपरक समाधान पर नहीं पहुंचता है और दाण्डिक कार्यवाही शुरू किए जाने की सम्भावना पर विचार किए बिना निरोध आदेश पारित करता है तो ऐसा आदेश विधिसम्मत नहीं होगा ।

गुजरात-102

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950

—अध्याय 10 सपठित उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज (रिकवरी आफ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ड्यूज) ऐक्ट, 1972, धारा 3 और संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम (यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट), 1901, अध्याय 8—ऐसे क्षेत्रों में जोउत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश से अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, किसी लोक धन के बकाया की भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली के लिए कुर्क सम्पत्ति के नीलाम की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत की जाएगी न कि जमींदारी विनाश अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत ।

इलाहाबाद-536

जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962

—धारा 14, 16 और 17 सपठित जोधपुर विश्वविद्यालय परिनियम 9 और 9क तथा जोधपुर विश्वविद्यालय पाठ्य-विवरण, 1981-82 पैरा 11—पाठ्य-विवरण के पैरा 11 का फायदा लेने के लिए ऐसे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी के लिए, जो बी० ई० द्वितीय वर्ष परीक्षा में चार से अधिक यूनिटों में असफल नहीं रहा है, उसे अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किए जाने हेतु सम्पूर्ण योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि वर्ष 1981-82 के पाठ्य-विवरणमें कार्यपालक अनुदेश अंतर्विष्टभी हों या उसकी प्रकृति प्रशासनिक भी हो, तब भी पिटीशनर को, पाठ्य-विवरण के अधीन उसे उपलब्ध अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसलिए तदधीन की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय में न्याय्य है और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसकी संवीक्षा कर सकता है।

राजस्थान-257

जोधपुर विश्वविद्यालय परिनियम

—9 और 9क सपठित जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962, धारा 14,16 और 17 तथा जोधपुर विश्वविद्यालय पाठ्य-विवरण, 1981-82 पैरा 11—पाठ्य-विवरण के पैरा 11 का फायदा लेने के लिए ऐसे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी के लिए, जो बी० ई० द्वितीय वर्ष परीक्षा में चार से अधिक यूनिटों में असफल नहीं रहा है, अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किए जाने हेतु सम्पूर्ण योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि वर्ष 1981-82 के पाठ्य-विवरण में कार्यपालक अनुदेश अंतर्विष्ट भी हो या उसकी प्रकृति प्रशासनिक भी हो, तब भी पिटीशनर को, पाठ्य-विवरण के अधीन उसे उपलब्ध अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसलिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तदधीन की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय में न्याय्य है और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसकी संवीक्षा कर सकता है।

राजस्थान-257

जोधपुर विश्वविद्यालय पाठ्य-विवरण 1981-82

—पैरा 11 सपठित जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 धारा 14, 16 और 17 तथा जोधपुर विश्वविद्यालय परिनियम 9 और 9क पाठ्य-विवरण के पैरा 11 का फायदा लेने के लिए ऐसे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी के लिए, जो बी० ई० द्वितीय वर्ष परीक्षा में चार से अधिक यूनिटों में असफल नहीं रहा है, उसे अगली उच्चतर कक्षा में, अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किए जाने हेतु सम्पूर्ण योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि वर्ष 1981-82 के पाठ्य-विवरण में कार्यपालक अनुदेश अंतर्विष्ट हो भी या उसकी प्रकृति प्रशासनिक भी हो, तब भी पिटीशनर को, पाठ्य-विवरण के अधीन उसे उपलब्ध अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसलिए तद्धीन की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय में न्याय्य है और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसकी संवीक्षा कर सकता है।

राजस्थान-257

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

—धारा 319—अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही—उक्त धारा में प्रयुक्त साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है ऐसे साक्षियों के कथन जो न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए हों और इनके अन्तर्गत पुलिस-कथन नहीं आते—केवल पुलिस कथनों के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता—ऐसा आदेश साक्ष्य पर आधारित नहीं कहा जा सकता।

गोहाटी-72

—धारा 360(3) सपठित दण्ड संहिता, 1960, धारा 34—यदि अभियुक्त व्यक्तियों की घटनास्थल पर उपस्थिति आकस्मिक हो या जो पूर्ण रूप से अजनबी हों और अभिलेख पर ऐसी कोई बात न हो जो क्षतियां कारित करने में उन सभी के सामान्य आशय को इंगित करती हो तो ऐसे अभियुक्तों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को उक्त धारा 360(3) के अधीन उनकी आयु, शील, पूर्ववृत और अपराध की तुच्छ प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ा जा सकता है।

केरल-107

धन-कर अधिनियम, 1957

—धारा 5(1)(iii)—किसी भवन की बाबत कर से छूट प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह शासक के शासकीय निवास के रूप में अधिसूचित हो तथा वह शासक के वस्तुत: अधिभोग में भी हो—जो भाग शासक के अधिभोग में नहीं है उसे कर से छूट नहीं दी जा सकती।

दिल्ली-234

नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त

—'दूसरे पक्ष को भी सुनो'—यदि सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी देशी स्प्रिट की दुकान के सम्बन्ध में जारी की गई अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द कर देता है तो यह कहा जाएगा कि उसके ऐसा करने से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अतिक्रमण हुआ है—जब किसी आरम्भिक आदेश के बारे में यह अभिनिर्धारित कर दिया जाए कि कलक्टर द्वारा पारित आदेश आरम्भ से ही अविधिमान्य है तो बाद में इस कमी को यह बात कहकर दूर नहीं किया जा सकता कि सम्बद्ध पक्षकार को अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष वह सब कुछ कहने का अवसर मिला था जो वह कहना चाहता था।

पटना-273

—सेवा-समाप्ति का अनुचित आदेश—यदि सेवा-समाप्ति का आदेश सम्बन्धित नियमों की अनदेखी करते हुए और पिटीशनर को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश अवैध है और पिटीशनर सेवा में बहाल किए जाने का हकदार है।

राजस्थान-236

पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1914

—धारा 35 और 36 सपठित उत्पाद-शुल्क नीलाम 1982-83 के लिए घोषणाओं का खण्ड 77 और 78—देशी और विदेशी शराब के विक्रय हेतु दुकानों को उत्पाद-शुल्क नीलाम के लिए घोषणाओं में उल्लिखित शर्तों पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुज्ञप्तियों का दिया जाना—यदि शराब की दुकानें शैक्षणिक संस्थाओं, पूजा के स्थानों, अस्पतालों, मान्यताप्राप्त श्रमिक या हरिजन से बस्तियों 200 गज से कम दूरी पर हैं और इसके लिए उपायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कोई प्रमाणपत्र मंजूर नहीं किया गया है तो इससे उत्पादन-शुल्क नीलाम 1982-83 के लिए घोषणाओं के खण्ड 77 और 78 का उल्लंघन होगा।

हिमाचल प्रदेश-85

पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट ऐक्ट, 1922 (पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922)

—धारा 36—भूमि का अर्जन—ऐसी भूमि के, जिसको वाणिज्यिक, औद्योगिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, उचित बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए मापमान उस भूमि के मापमान से भिन्न होगा जिसको वाणिज्यिक आदि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता—इस तथ्य को कि अर्जित भूमि नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित है, उसके उचित बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए विचार में लिया जा सकता है किंतु वह यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक निश्चायक सबूत नहीं होगा कि ऐसी भूमि को वाणिज्यिक, औद्योगिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

पंजाब-हरियाणा-179

—धारा 36—भूमि का अर्जन—भूमि के उचित बाजार मूल्य के अवधारण के लिए भूमि अर्जन कलक्टर द्वारा सड़क से लगी हुई 12 गठ्ठा के बाद वाली अन्तर्वर्ती भूमि का किया गया वर्गीकरण न्यायोचित है।

पंजाब-हरियाणा-179

पंजाब सिनेमाज (रेगूलेशन) रूल्स, 1952 [पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1952]

—नियम 3 सपठित नियम 2(ix) तथा नियम 72, 76 से 83—'चलते-फिरते चलचित्र' (टूरिंग सिनेमेटोग्राफ) के लिए अस्थायी लाइसेंस की मंजूरी, अस्वीकृति और रद्दकरण—चलते-फिरते चलचित्र के लिए प्रदान किए गए अस्थायी लाइसेंस की प्रकृति अनिवार्यतः अस्थायी और भ्रमणशील है—अतः जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अस्थायी लाइसेंस की अवधि बढ़ाए जाने से केवल इनकार किए जाने के लिए कारण लेखबद्ध किया जाना आज्ञापक नहीं है।

पंजाब-हरियाणा-156

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रशासनिक विधि

—सपठित संविधान 1950—अनुच्छेद 14—वैवेकिक शक्ति—वैवेकिक शक्ति का अत्यधिक उपयोग या उसका दुरुपयोग करते हुए या मनमाने तौर पर या सनक के कारण कार्य करते हुए पारित किया गया आदेश अविधिमान्य होगा—मनमानापन संविधान के अनुच्छेद 14 में अंतर्विष्ट समानता के अधिकार के विपरीत है और इसलिए विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की कोटि में आने के कारण अभिखंडित किए जाने योग्य है।

मध्य प्रदेश-278

भारतीय रेल अधिनियम, 1890

—धारा 82क, 82ग और 82च सपठित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923—धारा 2(घ)—धारा 82ग के खण्ड (क) से (घ) में वर्णित व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार होते हैं—खण्ड (घ) में प्रयुक्त "आश्रित" का अर्थ उसके स्पष्टीकरण के अनुसार वही होगा, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 2(घ) में है। अतः केवल ऐसे माता-पिता ही प्रतिकर के हकदार होंगे जो मृतक पर पूर्णतः या भागतः आश्रित थे।

इलाहाबाद-481

भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1969

—धारा 18 और 19—यदि कोई व्यक्ति पूर्व पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्री को वास्तविक स्थिति का दुर्व्यपदेशन करके उसके साथ विवाह करता है तो पश्चात्कथित पत्नी उक्त विवाह को अकृत और शून्य घोषित कराने की हकदार है।

पंजाब-हरियाणा-175

मध्य प्रदेश नगरीय स्थावर सम्पत्ति-कर अधिनियम, 1964

—धारा 5(i) और 5(ii)—वार्षिक भाटक मूल्य का निर्धारण—होटल और कारखाने के भवन का वार्षिक भाटक मूल्य धारा 5(ii) के अधीन निर्धारित किया जाएगा न कि धारा 5(i) के अधीन—धारा 5(ii) के अधीन होटल और कारखाने के भवन के वार्षिक भाटक मूल्य का निर्धारण करने में भवन को वर्तमान में बनवाने में आने वाली प्राक्कलित मूल्य व उस अनुलग्न

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भूमि के प्राक्कलित मूल्य को जोड़ने पर आने वाले धनराशि का 1/20वां भाग उसका वार्षिक भाटक मूल्य होगा—धारा 5(ii) (ग) परन्तुक (क) कारखाने में पक्की ईंटों से बनी चिमनियां भवन की परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं—चिमनियां मशीनरी नहीं हैं।

मध्य प्रदेश-244

मोटरयान अधिनियम, 1939

—धारा 110-घ सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 धारा96—उक्त धारा 110-घ के अधीन अपील संहिता की धारा 96 के अधीन अपील के समान है, क्योंकि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी कानून द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि अपील पहले से ही स्थापित न्यायालय को होगी, तो वह अपील उक्त न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा विनियमित होनी चाहिए। अतः ऐसी अपील में उच्च न्यायालय साक्ष्य पर विचार करने और उसमें विनिश्चयार्थ उद्भूत विभिन्न संविवादों पर अपने निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है।

इलाहाबाद-469

राजस्थान औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1963

—नियम 18 सपठित संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—उक्त नियमावली के अधीन कदाचार के आधार पर सेवा समाप्ति का आदेश करते समय नियम 18 का अनुपालन आज्ञापक है—उक्त नियमावली के अधीन कोई कार्यवाही रिट पिटीशन लाने के लिए कोई वर्जन नहीं है।

राजस्थान-236

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

—धारा 3(2) सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 116(3)—116(3) के अधीन किसी व्यक्ति का अभिरक्षा में होना—धारा 3(2) के अधीन निरोध आदेश पारित करते समय जिला मजिस्ट्रेट को उक्त तथ्य की जानकारी न होने से या यह ज्ञात होने से कि जिला मजिस्ट्रेट ने अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निरोध आदेश अवैध है।

मध्य प्रदेश-263

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

—धारा 3(2) सपठित संविधान, 1950, अनुच्छेद 226—बन्दी-प्रत्यक्षीकरण रिट—निरुद्ध किए जाने के आधार—जहां किसी व्यक्ति के भाषण के तथ्यों को, उनसे संबंधित सामग्री प्रस्तुत किए बिना विभिन्न सम्प्रदायों के बीच शत्रुता या घृणा उत्पन्न करने, भय और आतंक फैलाने, हिंसा पैदा करने या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला भाषण दर्शाते हुए बढ़ा-चढ़ाकर निरोध के आधार पर तैयार किए गए हों, वहां उस व्यक्ति द्वारा दिए गए भाषण की बावत यह नहीं कहा जा सकता कि उसके एकमात्र भाषण से जनता भड़क गई है—वक्ता के एकमात्र भाषण को निवारक निरोध के अधीन उसे निरुद्ध करने के लिए विधिमान्य आधार नहीं माना जा सकता।

मद्रास-84

—धारा 3(2) सपठित दण्ड संहिता, 1860, अध्याय 6—किसी राज्य के मुख्य मंत्री को दी गई धमकी के विरुद्ध कार्यवाही निवारक निरोध विधि के अन्तर्गत नहीं की जाएगी वरन् दाण्डिक अभियोजन के सामान्य तन्त्र के अनुसार ही की जाएगी।

मद्रास-84

वित्त अधिनियम, 1965

—धारा 68 सपठित आय-कर अधिनियम, 1961—धारा 80(क)—छिपाई गई आय के धारा 68 के अधीन प्रकटीकरण के पश्चात् वह आय आय-कर के दायित्वाधीन आ जाती है और ऐसी आय पर आय-कर संदत्त करना ही होता है किन्तु ऐसे दायित्व के अभिनिश्चय को किसी आने वाली तारीख तक स्थगित किया जा सकता है।

पटना-267

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम (यू॰ पी॰ म्यूनिसिपिल्टीज ऐक्ट), 1916

—धारा 241(1) सपठित धारा 298 (2) एफ (ए)—उक्त धारा 298(2) एफ (ए) के साथ पठित उक्त धारा अधीन 241 (1) के विरचित उपविधियों द्वारा अन्य वातों के साथ-साथ पशुओं के विक्रय के लिए बाजार के रूप में अथवा फल और सब्जियों के विक्रय के लिए बाजार के रूप में किसी स्थान का उपयोग प्रतिषिद्ध किया जा सकता है, किन्तु खण्ड (ए) में वर्णित सीमित विस्तार तक ही। उन प्रयोजनों के लिए किसी स्थान के उपयोग पर निर्बन्धन उस दशा में लगाया जा सकता है, जब कोई अनुज्ञप्ति नहीं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ली गई हो अथवा जहां अनुज्ञप्ति ली गई है वहां ऐसा उपयोग अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के उल्लंघन में हो अर्थात् अनुध्यात अवरोध मात्र अनुज्ञापन है, यह आत्यंतिक नहीं हो सकता और न ही नगरपालिका बोर्ड नगर पालिका की सीमाओं के भीतर उन प्रयोजनों के लिए किसी स्थान का प्रयोग करने हेतु स्वयं को एकाधिकार ही दे सकता है। अतः ऐसी उपविधियां अविधिमान्य होंगी जो आत्यंतिक अवरोध लगाएं या नगरपालिका को एकाधिकार प्रदान करें।

इलाहाबाद-547

संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व (यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट), 1901

—अध्याय 8 सपठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, अध्याय 10 और उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज (रिकवरी आफ ड्यूज) ऐक्ट, 1972, धारा 3—ऐसे क्षेत्रों में जो उ० प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, किसी लोक धन के बकाया की भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली के लिए कुर्क सम्पत्ति के नीलाम की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत की जाएगी न कि जमींदारी विनाश अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत।

इलाहाबाद-536

संविधान, 1950

—अनुच्छेद 12, 14, 16 और 226—'राज्य' शब्द की परिभाषा—'सरकार के नियंत्रण के अधीन...प्राधिकारी' अभिव्यक्ति की अर्थव्यप्ति—अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत राजस्थान कोआपरेटिव डेरी फैडरेशन 'राज्य' है और उसके द्वारा सेवा-समाप्ति के अनुचित आदेश के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन फाइल किया जा सकता है।

राजस्थान-236

—अनुच्छेद 14 सपठित सेना अधिनियम, 1950—धारा 192-ध और रक्षा सेवा विनियमन, 866—अन्तरण और तैनाती का आदेश—पारित करने की शक्ति—उक्त शक्ति वैवेकिक है और उसमें हस्तक्षेप करने की गुंजाइश भी बहुत सीमित है किन्तु यदि वैवेकिक शक्ति का प्रयोग मनमाने तौर पर या सनक के कारण करके कोई आदेश किया जाता है तो ऐसा आदेश वैवेकिक शक्ति से परे कार्य करने के कारण या उसका दुरुपयोग करने के कारण अविधिमान्य है।

मध्य प्रदेश-278

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

—अनुच्छेद 14 सपठित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 धारा 7ए और 19ए—आयुक्त द्वारा शास्तिक नुकसानी का अधिरोपित किया जाना—उचित और प्रभावी जांच (सुनवाई) का विहित होना—यदि अधिनियम के अधीन किसी अधिकरण, न्यायिक या न्यायिककल्प, को अपील करने का कोई उपबंध न हो तो भी शक्ति के किसी दुरुपयोग और असद्भावना की कार्यवाही के मामले में धारा 19ए को लागू करते हुए चुनौती दी जा सकेगी और इस प्रकार अधिनियम की धारा 7ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता।

पटना-241

—अनुच्छेद 19(1) (द) सपठित चित्रकूट धाम नगरपालिका उपविधि सं० 5, 6 तथा 7 [नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) (क) के साथ पठित धारा 241 के अधीन विरचित]—चूंकि उक्त विधियों में अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए उपबन्ध नहीं है अतः उनके द्वारा लगाया गया प्रतिषेध आत्यंतिक हो जाता है और साथ ही नगर पालिका में एकाधिकार की सृष्टि हो जाती है, अतः उक्त उपविधियां अनुच्छेद 19(1)(छ) के उल्लंघन के आधार पर अविधिमान्य हैं।

इलाहाबाद-547

—अनुच्छेद 22(4) सपठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, धारा 3(2)—निरुद्ध किए जाने के आधार—संविधान के उक्त अनुच्छेद 22(4) में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को दी गई गारण्टियों की तथा इन गारण्टियों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालयों की अधिकारिता की निरुद्ध किए जाने की बाबत कार्यपालक अधिकारी के मात्र व्यक्तिनिष्ट समाधान के आधार पर उपेक्षा नहीं की जा सकती।

मद्रास-84

—अनुच्छेद 37 और 47—राज्य की नीति के निदेशक तत्व—राज्य की नीति के निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं किन्तु अनुच्छेद 47 ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य को मादक पेयों के उपभोग पर प्रतिषेध करने के बारे में आदेश देता है—मादक पेयों के विक्रय के लिए नीलाम के लिए घोषणाओं का उल्लंघन करके कार्यपालक शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और शराब की दुकानों के लिए अनुज्ञप्तियां मंजूर नहीं की जा सकती।

हिमाचल प्रदेश-85

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

—अनुच्छेद 226—उत्प्रेषण रिट—कानूनी उपचार का होना उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करता किन्तु जहां एक वादकारी के लिए एक समान प्रभावकारी उपचार उपलब्ध हो, वहां उसे उस उपचार का सहारा लेना चाहिए और उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की असाधारण अधिकारिता का अवलम्ब नहीं लेना चाहिए।

मद्रास-98

—अनुच्छेद 226—भूमि के अर्जन के लिए अधिकरण द्वारा प्रतिकर का अवधारण—यदि अधिकरण द्वारा कतिपय साक्षियों के साक्ष्य का यह निष्कर्ष लेखबद्ध करने के लिए अवलम्ब नहीं लिया गया है बल्कि उन पर केवल विचार ही किया गया है कि अर्जित भूमि को वाणिज्यिक, औद्योगिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है तो अनुच्छेद 226 के अधीन रिट कार्यवाहियों में अधिकरण के ऐसे निष्कर्ष को साक्ष्य के पुर्नमूल्यांकन के आधार पर अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

पंजाब-हरियाणा-179

—अनुच्छेद 226—अभिदाता द्वारा टेलीफोन बिलों का नियमित रूप में संदाय किया जाना—टेलीफोन का वियोजित किया जाना—टेलीफोन कार्यालय की उपेक्षा के कारण टेलीफोन बिल हेतु केवल एक चैक को न भुनाया जाना—यदि चैकों को टेलीफोन कार्यालय में देने के तुरन्त बाद बैंक को नहीं भेजा जाता है या उन्हें ऐसी अत्यधिक अवधि के अवसान के पश्चात् भेजा जाता है जब चैकों की विधिमान्यता समाप्त हो जाती है तो निश्चित रूप से टेलीफोन प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम अभिदाता की ओर से नहीं होगा और इस आधार पर टेलीफोन का वियोजन अवैध होगा।

कलकत्ता-100

—अनुच्छेद 226 सपठित जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1982, धारा 14, 16 और 17 सपठित जोधपुर विश्वविद्यालय परिनियम 9 और 9क तथा जोधपुर विश्वविद्यालय पाठ्य-विवरण, 1981-82, पैरा 11—पाठ्य-विवरण के पैरा 11 का फायदा लेने के लिए ऐसे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी के लिए, जो बी० ई० द्वितीय वर्ष में चार से अधिक यूनिटों में असफल नहीं रहा है, उसे अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किए जाने हेतु सम्पूर्ण योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि वर्ष 1981-82 के पाठ्य-विवरण में कार्यपालक अनुदेश अन्तर्विष्ट भी हो या उसकी प्रकृति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रशासनिक भी हो, तब भी पिटीशनर को, पाठ्य-विवरण के अधीन उसे उपलब्ध अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसलिए तदधीन की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय में न्याय्य है और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसकी संवीक्षा कर सकता है।

राजस्थान-257

—अनुच्छेद 226—'सुने जाने का अधिकार'—लोकहित के मामले में 'सुने जाने का अधिकार' ऐसे सभी व्यक्तियों को होता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई विधिक क्षति नहीं पहुंची है—वह नियम राज्य या लोक अधिकारी द्वारा किए गए किसी सदोष या अधिकारातीत कार्य या लोप द्वारा कारित लोक क्षति के मामलों को भी लागू होता है।

हिमाचल प्रदेश-85

—अनुच्छेद 233, 235 और 236—राज्य सरकार द्वारा अपर जिला न्यायाधीश को स्थानापन्न जिला और सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति से सम्बद्ध आदेश का जारी किया जाना—उच्च न्यायालय द्वारा स्थानापन्न जिला और सेशन न्यायाधीश के पद से अपर जिला न्यायाधीश के अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तन संबन्धी आदेश का जारी किया जाना—अनुच्छेद 235 के अधीन अपर जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के स्थानान्तरणों और तैनातियों और प्रोन्नतियों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है इसलिए उच्च न्यायालय किसी भी स्थानापन्न जिला और सेशन न्यायाधीश को अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित करने के लिए सक्षम होगा।

पटना-227

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882

—धारा 41—बेनामी संव्यवहार—यह निर्धारित करने में कि क्या संव्यवहार बेनामी है, नातेदारी एक परिस्थिति है जिस पर विचार किया जा सकता है।

उड़ीसा-72

साक्ष्य अधिनियम, 1872

—धारा 9—शनाख्त परेड का साक्ष्यिक महत्व—यदि अन्वेषणकारी अधिकारी या ऐसे मजिस्ट्रेट से, जिसने शनाख्त परेड का संचालन किया हो या शनाख्त परेड समाप्त होने के पश्चात् प्रतिपरीक्षा में उसके त्रुटिपूर्ण होने या

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विलम्ब किए जाने के बारे में कोई शिकायत न की गई हो तो बाद में शनाख्त परेड में विलम्ब किए जाने या उसके त्रुटिपूर्ण होने के बारे में दी गई दलील स्वीकार नहीं की जा सकती।

केरल-107

साक्ष्य अधिनियम, 1872

—धारा 101 और 104—बेनामी-संव्यवहार सिद्ध करने का भार—कोई संव्यवहार बेनामी है, यह सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर है जो बेनामी होने का अभिकथन करता है।

उड़ीसा-72

—धारा 114—सम्पत्ति के असली स्वामी के बारे में अभिधारणा—यह इस सम्बन्ध में अभिधारणा है कि जो व्यक्ति प्रतिफल का भुगतान करता है वह असली स्वामी है न कि वह जिसके नाम में सम्पत्ति खरीदी गई है।

उड़ीसा-72

—धारा 133—यद्यपि सह-अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी है और कोई दोषसिद्धि केवल इस कारण अवैध नहीं मानी जाती या मात्र इस कारण प्रश्नगत नहीं की जा सकती कि यह सह-अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर आधारित है तथापि कोई भी न्यायालय अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी सह-अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं कर सकता—परिणामतः ऐसे परिसाक्ष्य के आधार पर, जो किसी भी मुद्दे पर किसी साक्ष्य द्वारा सम्पुष्ट न हो, की गई दोषसिद्धि ठोस आधार पर न होकर घिसी-पिटी बातों पर ही आधारित होगी—अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के लिए हकदार है।

मुम्बई-71

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

—धारा 9—सक्षम अधिकारी द्वारा परिसीमा की अवधि के पश्चात् पारित आदेश में अन्तर्निहित अधिकारिता की कमी नहीं होती।

उड़ीसा-79

—धारा 96 सपठित मोटरयान अधिनियम, 1939, धारा 110-घ——उक्त धारा 110-घ के अधीन अपील संहिता की धारा 96 के अधीन अपील के समान है, क्योंकि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब किसी कानून द्वारा यह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निदेश दिया जाता है कि अपील पहले से ही स्थापित न्यायालय को होगी, तो वह अपील उक्त न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा विनियमित होनी चाहिए। अतः ऐसी अपील में उच्च न्यायालय साक्ष्य पर विचार करने और उसमें विनिश्चयार्थ उद्‌भूत विभिन्न संविवादों पर अपने निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है।

इलाहाबाद-469

—धारा 100 व 101—तथ्यों के निष्कर्ष पर द्वितीय अपील में आक्षेप—निचले अपील न्यायालय द्वारा निकाले गए सही निष्कर्षों पर द्वितीय अपील में आक्षेप नहीं किया जा सकता।

उड़ीसा-72

—धारा 151—उक्त धारा ऐसी अन्तर्निहित शास्ति को संरक्षित करती है, जिसके प्रयोग की अपेक्षा न्यायालय से न्याय के हित में की जाती है। अतः यह न्यायालयों का प्रथम और परम कर्त्तव्य है कि वे इस बात की सावधानी बरतें कि न्यायालय के कार्य से किसी भी पक्षकार को कोई रिष्टि न हो, अतः यदि किसी दुर्घटना के कारण न्यायालय का अभिलेख खो जाता है, अथवा आग से नष्ट हो जाता है, तो यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह उसको फिर से तैयार करे, ताकि उसके आधार पर पक्षकारों के बीच न्याय किया जा सके।

इलाहाबाद-469

—आदेश 39, नियम 1,2 और 4 सपठित आदेश 43, नियम 1(द)—अन्तरिम व्यादेश के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने पर मूल न्यायालय की अधिकारिता—अन्तरिम व्यादेश के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने से मूल न्यायालय की संविवाद का विनिश्चय करने की अधिकारिता किसी भी तरीके से छीनी नहीं जा सकती—अपील के लम्बित रहने के बावजूद संहिता के आदेश 39, नियम 4 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन का विनिश्चय करने की मूल न्यायालय को स्वतन्त्रता है। क्योंकि आदेश 39, नियम 4 और आदेश 43, नियम 1 (द) के अधीन उपचार वैकल्पिक न होकर समवर्ती हैं।

कलकत्ता-90

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सेना अधिनियम, 1950

—धारा 192 सपठित रक्षा सेवा विनियमन, विनियम 866—विनियम 866 का उल्लंघन करके या उसका दुरुपयोग करके सेना अधिकारी को अंतरित किए जाने और तैनात किए जाने का आदेश—किसी अन्य स्थान पर तैनात किए जाने का विकल्प उपलब्ध होने पर भी स्वास्थ्य खराब होने के कारण अवनत किए जाने के पश्चात् किसी सैनिक अधिकारी को सक्रिय शत्रुता, प्रतिभिड़ंत या लड़ाई वाले क्षेत्र में अन्तरित व तैनात करने का आदेश अविधिमान्य होगा।

मध्य प्रदेश-278

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अध्यक्ष निर्वाचित किया और परिषद् की कार्यवाही आगे जारी रखते हुए उनके त्यागपत्र मंजूर कर लिए और कलक्टर से इस प्रकार हुए रिक्त स्थान के लिए निर्वाचन कराने हेतु नोटिस जारी करने और अधिवेशन बुलाने के लिए निवेदन किया। अतः कलक्टर ने अपना समाधान हो जाने पर एक नोटिस जारी किया और नए अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु विशेष अधिवेशन बुलाए जाने की एक तारीख निश्चित की। कलक्टर के उक्त कार्य से व्यथित होकर पिटीशनरों ने जिला कलक्टर के नोटिस को अभिखंडित करने के लिए सरशियोरेराई का रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट पिटीशन फाइल किया।

इस पिटीशन में मुख्य विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्यागपत्रों को आन्ध्र प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, 1965 की धारा 55 के अर्थान्तर्गत विधितः मंजूर किया गया है और क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलम्ब लिया जा सकता है।

अभिनिर्धारित—रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

आन्ध्र प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1965 की धारा 55 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से किसी के भी त्यागपत्र को परिषद् के अगले अधिवेशन में मंजूर किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। त्यागपत्र देने वाले व्यक्तियों को उसे वापस लेने की स्वतन्त्रता होगी। नियम के अनुसार कोई अधिवेशन बुलाने के लिए पूर्ण तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा जिसमें प्रस्थापित अधिवेशन का समय और साथ ही उसमें विचार किए जाने वाले काम-काज का भी उल्लेख किया जाएगा। चूंकि, ऐसा कोई भी अधिवेशन बुलाया नहीं गया इसलिए त्यागपत्रों का मंजूर किया जाना पूरी तरह दोषपूर्ण है। वास्तव में ऐसा कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया, जिसे त्यागपत्रों पर विचार करने के लिए परिषद् के अधिवेशन के रूप में माना जा सके। (पैरा 5)

आन्ध्र प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, 1965 के अधीन बनाई गई नियमावली के नियम 2(1) के उपबंधों का आज्ञापक रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए। स्वीकृत रूप से पार्षदों को कोई भी नया नोटिस नहीं दिया गया है। कुछ पार्षदों की सम्मति प्रथम अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् अधिवेशन बुलाने के लिए एक आधार प्रस्तुत नहीं कर सकती क्योंकि अगला अधिवेशन परिषद् का ऐसा अधिवेशन होना चाहिए जिसमें सभी सदस्य सम्मिलित हों, जिन्हें नोटिस भेजा जाना चाहिए। यदि कुछ सदस्य उस अधिवेशन में भाग लेना नहीं चाहते हैं तो यह एक अलग बात होगी किंतु अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लिए पूर्ण तीन दिन का नोटिस आवश्यक है। इस मामले में नियम 2(1) में अधिकथित आनुकल्पिक उपबन्ध का अवलंब लिए जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि प्रभारी आयुक्त ने किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया है चाहे वह यथास्थिति एक दिन का नोटिस हो या तीन दिन का नोटिस। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या उससे कम समय का, जो कि नियम 2(1) में अनुध्यात है, नोटिस दिए जाने के लिए कोई आत्ययिकता (अर्जेन्सी) मौजूद है। (पैरा 22)

अतः चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, यह स्पष्ट हो जाता है कि नगरपालिक परिषद् के उस अधिवेशन को जिसमें कुछ पार्षद इकट्ठे हुए थे और जिन्होंने अपने में से एक को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था और परिणामस्वरूप दिए गये त्यागपत्रों को स्वीकार किया था, नियमावली के नियम 2 को ध्यान में रखते हुए अगला अधिवेशन नहीं माना जा सकता जो त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की कार्यवाही को विधिमान्य बनाता हो। (पैरा 24)

उक्त अधिनियम की धारा 55 के उपबन्ध आज्ञापक हैं और उसके अननुपालन में की गई प्रत्येक कार्यवाही शून्य होगी। प्रथमतः आयुक्त को प्राप्त हुए त्यागपत्रों को परिषद् के अगले अधिवेशन में रखा जाना चाहिए। इसकी भाषा से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि अगला अधिवेशन सम्यकरूपेण बुलाया जाएगा और कोई भी अधिवेशन किए जाने के लिए सभी सदस्यों को पूर्ण तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा। इस मामले में यह बात निर्विवाद है कि त्यागपत्रों को उसी अधिवेशन में मंजूर किया गया था जो पहले बुलाया गया था। पहले अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात् किए गए अधिवेशन को, जिसमें कुछ सदस्य उपस्थित थे, अगले अधिवेशन के रूप में माना जाना वैध और विधिमान्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि परिषद् का प्रत्येक सदस्य नोटिस पाने का हकदार है। अतः चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए ऐसे अधिवेशन को विधिमान्यतः बुलाए गए अगले अधिवेशन के रूप में नहीं माना जा सकता। (पैरा 35)

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 55 में अधिनियमित उपबंधों के अननुपालन में किया गया प्रत्येक कार्य शून्य है क्योंकि उसके उपबंध आज्ञापक हैं, अतः पार्षदों द्वारा उसी अधिवेशन में अध्यक्ष आदि के त्यागपत्रों का स्वीकार किया जाना शून्य और अप्रवर्तनीय है। इस प्रकार माने जाने पर जिला कलक्टर द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए, जो कि त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के कारण रिक्त हुआ है, अधिवेशन बुलाने के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लिए जारी किया गया नोटिस भी आनुषंगिक होने के कारण अवैध और अविधिमान्य है और इसलिए वह भी खारिज किए जाने योग्य है। (पैरा 38)

यह कहना सही नहीं है कि चूंकि अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए चुनौती नहीं दी जा सकती और इसके लिए निर्वाचन अर्जी ही एकमात्र उपचार है। दी गई चुनौती मुख्यतः त्यागपत्रों के स्वीकार किए जाने की विधिमान्यता या अविधिमान्यता के बारे में है और एकमात्र पारिणामिक चुनौती कलक्टर द्वारा जारी किये गये नोटिस को दी गई है। अन्यथा भी अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अधिवेशन का बुलाया जाना शून्य है और ऐसी स्थिति को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशन द्वारा आक्षेपित किया जा सकता है। (पैरा 40)

चूंकि, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए परिषद् के सदस्यों को नोटिस जारी करने के पश्चात् बुलाया गया अधिवेशन इस स्थिति के अविधिमान्य निष्कर्ष पर आधारित है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया गया है और चूंकि त्यागपत्रों को उचित रूप से और वैध रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए नए अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अधिवेशन बुलाए जाने के लिए जारी किए गए नोटिस को किसी भी प्रकार विधिमान्य अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। (पैरा 42)

		पैरा
[1981]	[1981] 2 उम० नि० प० 609 = ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 1612 : दिल्ली विधिज्ञ परिषद् **बनाम** सुरजीत सिंह (Bar Council of Delhi *Vs.* Surjeet Singh)	41
	का **अवलंब** लिया गया।	
[1977]	ए० आई० आर० 1977 आन्ध्र प्रदेश 286 : पी० एम० डोरास्वामी **बनाम** ई० ए० एंड डाइरेक्टर ऑफ मार्केटिंग (P. M. Doraswamy *Vs.* E. A. and Director of Marketing);	27
[1966]	ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 330 : नरसिंहम **बनाम** सिंगरी गौडा (Narsiham *Vs.* Singri Gowda);	23

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1964]	1964 (2) आन्ध्र वीकली रिपोर्ट्स 379 : रुक्माजी **बनाम** डिप्टी कलक्टर (Rukmaji *Vs.* Dy. Collector);	28
[1954]	ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 217 : वाइस चांसलर **बनाम** एस० के० घोष (Vice Chancellor *Vs.* S. K. Ghosh); और	23
[1954]	ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 314 : शाहबुद्दीन साहब **बनाम** गदाग बेतगीरी नगरपालिका (Shyabuddinsab *Vs.* Municipality of Gadag Betgeri) के साथ **प्रभेद** किया गया।	26, 37
[1982]	ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 149 : एस० पी० गुप्त और अन्य **बनाम** भारत के राष्ट्रपति और अन्य (S. P. Gupta and others *Vs.* The President of India and others);	39
[1976]	[1976]1 उम० नि० प० 1146 = ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 263 : गोविन्दलाल **बनाम** कृषि उत्पाद समिति (Gobindlal *Vs.* Agricult ural Products Committee);	32
[1972]	1972 (2) ए० पी० एल० जे० 203 : राममूर्ति **बनाम** प्रभागीय राजस्व अधिकारी (Ramamurthy *Vs.* Rev. Divisional Officer);	31
[1972]	ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 1302 : राजनारायण **बनाम** इन्दिरा गांधी (Rajnarain *Vs.* Indira Gandhi);	39
[1971]	ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 751 : उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** बाबू राम (State of Uttar Pradesh *Vs.* Babu Ram);	30
[1969]	ए० आई० आर० 1969 एस० सी० 180 : राजकुमार **बनाम** भारत संघ (Raj Kumar *Vs.* Union of India);	36

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1957] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 912 : उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** मनबोधन लाल (State of Uttar Pradesh *Vs.* Manbodhan Lal); और 29

[1861] (1861) 30 एल० जे० चांसरी 379-380 : लिवरपूल बरो बैंक **बनाम** टर्नर (Liverpool Borough Bank *Vs.* Turner) 28

निर्दिष्ट किए गए।

आरम्भिक (विशेष) अधिकारिता : 1982 का रिट पिटीशन सं० 8073.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशन।

पिटीशनरों की ओर से ... श्री बी० वी० सुबय्या

प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से ... सरकारी प्लीडर

प्रत्यर्थी सं० 2 की ओर से ... श्री डी० वैंकट रेड्डी

प्रत्यर्थी सं० 3 से 19 की ओर से ... श्री एम० चन्द्रशेखर राव

न्या० सीता राम रेड्डी :

पिटीशनरों ने, जिनकी संख्या तीन है और जो तेनाली नगरपालिका के निर्वाचित पार्षद् हैं, जिला कलक्टर, गुन्टूर, यहां प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए तारीख 2-11-1982 के उस नोटिस को अभिखंडित करने के लिए सरशियोरेराई का रिट जारी करने के लिए यह पिटीशन फाइल किया है जिस नोटिस के द्वारा यहां निर्वाचित अध्यक्ष के पद-त्याग देने के कारण खाली हुए स्थान के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन करने हेतु तारीख 12-11-1982 को तेनाली नगरपालिका का अधिवेशन बुलाया गया है।

2. सुसंगत तथ्य संबंधी परिस्थितियों को यहां इस पिटीशन के समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है।

3. तेनाली नगरपालिका की नगरपालिक परिषद् का सम्यक् गठन हो जाने के पश्चात् बुलाए गए एक विशेष अधिवेशन में सर्वसम्मति से श्री ए० सत्यनारायण को अध्यक्ष के रूप में और श्री एन० रामकृष्ण को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तत्पश्चात् कुछ पार्षदों ने तेनाली के उप-न्यायालय में पिटीशन फाइल किए और साथ ही एक रिट पिटीशन भी फाइल किया जिसमें अध्यक्ष के निर्वाचन को प्रश्नगत किया गया। तथापि रिट पिटीशन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

खारिज कर दिया गया और इसी प्रकार उसकी की गई अपील भी खारिज कर दी गई। तथापि तेनाली के उप-न्यायालय में फाइल किया गया पिटीशन अब भी लंबित है।

4. तारीख 30 अक्तूबर, 1982 को परिषद् का मासिक अधिवेशन बुलाया गया। कार्य-सूची (एजेन्डा) में दी गई मदों पर विचार किया गया और उन्हें पूरा करने के पश्चात् अधिवेशन समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विरोधी समूह (कैम्प) के क्रियाकलापों से दुखी हुए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पर प्रभारी आयुक्त के समक्ष अपने त्यागपत्र देने के लिए असम्यक् रूप से दबाव डाला गया जिसकी यहां वर्तमान तीन पिटीशनरों को कोई भी जानकारी नहीं है। तथापि अब यह ज्ञात हुआ कि उनके त्यागपत्र उस अधिवेशन में मंजूर कर लिए गए जिसकी अध्यक्षता एक अन्य पार्षद् श्री जे० अंकिनीडू द्वारा 20-10-1982 को ही की गई थी। अतः उक्त संकल्प पूरी तरह शून्य और अवैध है क्योंकि वह कानून के आज्ञापक उपबंधों के विरुद्ध है।

5. आन्ध्र प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, 1965 (आन्ध्र प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1965) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 55 के अधीन अध्यक्ष या उगाध्यक्ष में से किसी के भी त्यागपत्र को परिषद् के 'अगले' अधिवेशन में मंजूर किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। त्यागपत्र देने वाले व्यक्तियों को उसे वापस लेने की स्वतन्त्रता होगी। नियमों के अनुसार कोई अधिवेशन बुलाने के लिए तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा जिसमें प्रस्थापित अधिवेशन का समय और साथ ही उसमें विचार किए जाने वाले कामकाज का भी उल्लेख किया जाएगा। चूंकि ऐसा कोई भी अधिवेशन बुलाया नहीं गया इसलिए त्यागपत्रों का मंजूर किया जाना पूरी तरह दोषपूर्ण है। वास्तव में ऐसा कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया जिसे त्यागपत्रों पर विचार करने के लिए परिषद् के एक अधिवेशन के रूप में माना जा सके।

6. किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्भाग्यवश प्रथम प्रत्यर्थी जिला कलक्टर ने यह मान लिया है कि उनके त्यागपत्रों को वैध रूप से और विधिमान्यतः मंजूर किया गया है और इसलिए सभी पार्षदों को तारीख 2 नवंबर, 1982 के नोटिस जारी कर दिए जिसमें यह कहा गया कि अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 12-11-1982 को अपराह्न 3-00 बजे अधिवेशन होना निश्चित किया गया है। आगे यह और प्रकथन किया गया कि वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से अपने त्यागपत्र वापस लेने के लिए भी जोर डालते रहे और उनका यह युक्तियुक्त रूप से समाधान हो गया कि वे उसे अगले अधिवेशन के समक्ष वापस ले लेंगे। त्यागपत्र असली नहीं हैं और त्यागपत्रों के असली होने के बारे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में विचार करने और अपना समाधान करने का कार्य परिषद् का है और ऐसा समाधान नियमों के अनुसार और पूर्ण तीन दिनों का नोटिस दिए जाने के पश्चात् सम्यक्‌रूपेण बुलाए गए अधिवेशन में ही किया जाना चाहिए। कलक्टर से किए गए अभ्यावेदन निरर्थक साबित हुए क्योंकि वह प्राधिकारवान् व्यक्ति के प्रभाव में हैं। इसलिए यदि कलक्टर द्वारा 12-11-1982 को अधिवेशन बुलाया जाता है तो पिटीशनरों को कोई भी अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा। अतः यह रिट पिटीशन 9-11-1982 को फाइल किया गया।

7. द्वितीय प्रत्यर्थी-प्रभारी आयुक्त द्वारा तारीख 30-12-1982 को फाइल किए गए प्रति शपथपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रकथन किया गया है कि यह एक तथ्य है कि 30-10-1982 को परिषद् का अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में कार्यवृत्त पर विचार 4-45 बजे अपराह्न को समाप्त हो गया था। नगरपालिक परिषद् तेनाली के अध्यक्ष ने यह आख्यापन किया (घोषणा की) कि उन्होंने और उपाध्यक्ष ने अपने-अपने पदों से अपने त्यागपत्र दे दिए हैं और इस बाबत आख्यापन करने के पश्चात् उन्होंने उन त्यागपत्रों को नगरपालिक इंजीनियर एवं प्रभारी आयुक्त, जो कि अधिवेशन में उपस्थित थे, को उन 28 पार्षदों की उपस्थिति में सौंप दिया जिन्होंने परिषद् के उक्त अधिवेशन में भाग लिया था। तत्पश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुछ अन्य पार्षदों के साथ परिषद् का कक्ष छोड़कर चले गए। तत्पश्चात् परिषद् के शेष पार्षदों ने अपने एक पार्षद् श्री जे० अंकिनीडू को अपना अध्यक्ष चुना और दोनों त्यागपत्रों को मंजूर करते हुए कार्यवृत्त जारी रखा और उसे तारीख 30-10-1982 के परिषद् के संकल्प सं० 567 के रूप में कार्यवृत्त में लेखा-बद्ध किया। इस तथ्य की 31-10-1982 को तुरन्त जिला कलक्टर से रिपोर्ट की गई और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चूंकि ये दोनों ही पद रिक्त हो गए हैं, का निर्वाचन कराने के लिए परिषद् का एक विशेष अधिवेशन बुलाने की प्रार्थना की। यह सही नहीं है कि पिटीशनर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्यागपत्रों से अवगत नहीं हैं क्योंकि वे 30-10-1982 को हुए परिषद् के अधिवेशन में उपस्थित थे और अध्यक्ष द्वारा आख्यापन किए जाने के समय और त्यागपत्रों को परिषद् के कक्ष में प्रभारी आयुक्त को सौंपे जाने के समय उपस्थित थे। अधिकांश पार्षदों ने इस अवसर का लाभ उठाया और त्यागपत्रों की मंजूरी के लिए अधिवेशन संचालित किया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की अतिरिक्त कार्यवाहियां पूरी की गईं और नए निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा परिषद् का एक अत्यावश्यक अधिवेशन और साथ ही एक सामान्य अधिवेशन भी बुलाया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

8. कुछ पार्षदों के नाम, जिनकी संख्या 17 है, पक्षकार बनाए जाने का पिटीशन फाइल करने के बाद अभिलेख में सम्मिलित किए गए। उसके समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र में उनके अभिकथन इस प्रकार हैं : अध्यक्ष के रूप में ए० सत्यनारायण के निर्वाचन को चुनौती देने के लिए पूर्व में फाइल किए गए रिट पिटीशन की बात, जो खारिज कर दिया गया और इसी प्रकार उसकी की गई रिट अपील भी खारिज कर दी गई, स्वीकार की जाती है। तथापि, तेनाली उप-न्यायालय में फाइल किए गए पिटीशन का, जिसके द्वारा उक्त सत्य नारायण के निर्वाचन को चुनौती दी गई है, लंबित होना स्वीकार किया गया है। आगे यह और प्रकथन किया गया है कि तारीख 30-10-1982 की प्रातः को पिटीशनरों और श्रीमती ए० धन लक्ष्मी सहित 24 पार्षदों ने अध्यक्ष के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव लाने की इच्छा का लिखित नोटिस कलक्टर को भेजा। यह मालूम होने पर कि श्रीमती धन लक्ष्मी ने भी अध्यक्ष का साथ छोड़ दिया है, श्री सत्य नारायण और श्री एन० रामकृष्ण, क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 30-10-1982 को 3-30 बजे अपराह्न में बुलाए गए अधिवेशन में प्रभारी आयुक्त को त्यागपत्र दे दिए। इस अधिवेशन में 29 सदस्य उपस्थित थे। अपने त्यागपत्र देने के अलावा दोनों ने ही अधिवेशन में यह घोषणा की कि उन्होंने पद त्याग दिए हैं। तत्पश्चात् आयुक्त ने दोनों ही त्यागपत्रों को परिषद् के समक्ष रखा। तत्पश्चात् पार्षदों ने श्री जे० अंकिनीडू को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया और उस अधिवेशन में उपस्थित पार्षदों द्वारा, जिनमें रिट पिटीशनर भी सम्मिलित हैं, उन त्यागपत्रों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस आशय का एक संकल्प भी नगरपालिक परिषद् के कार्यवृत्त में लेखबद्ध किया गया। कलक्टर ने अपना समाधान हो जाने पर तारीख 2-11-1982 को नोटिस जारी किए जिसके द्वारा आकस्मिक रिक्ति के लिए नए अध्यक्ष का निर्वाचन करने हेतु 12-11-1982 को एक अधिवेशन बुलाया गया।

9. यह भी कथन किया गया है कि ये प्रकथन अस्पष्ट और मिथ्या हैं और परस्पर विरोधी हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आयुक्त के समक्ष अपने त्यागपत्र पेश करने के लिए असम्यक् रूप से दबाव डाला गया था, यह कि रिट पिटीशनर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अपने त्यागपत्र वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे और यह कि त्यागपत्र वास्तविक नहीं हैं। त्यागपत्र स्वेच्छया और पार्षदों की उपस्थिति में प्रभारी आयुक्त को दिए गए हैं। अन्यथा भी क्या त्यागपत्र वास्तविक हैं या नहीं, यह एक विशुद्ध तथ्य का प्रश्न है जिस पर इस रिट पिटीशन में विचार नहीं किया जा सकता।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

10. यह प्रकथन सही नहीं है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्यागपत्रों को आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 55 के अनुसार परिषद् के अगले अधिवेशन में रखा जाएगा और केवल उसी समय इन त्यागपत्रों को मंजूर किया जा सकता है। यह प्रकथन भी सही नहीं है कि उक्त उपबंध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने त्यागपत्र वापस लेने के लिए समर्थ बनाने के लिए आशयित है। इससे केवल यह अभिप्रेत है कि यदि त्यागपत्र आयुक्त को उस समय दिए जाते हैं जब परिषद् का सत्र नहीं चल रहा है, तो उन्हें मुल्तवी किए जाने के बजाय ठीक आगामी अधिवेशन में रखा जाना चाहिए। इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि इन त्यागपत्रों को उस दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता यदि वे परिषद् के अधिवेशन में दिए गए हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिवेशन से चले जाने के पश्चात् पार्षदों ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए श्री जे० अंकिनीडू को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। उसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उन त्यागपत्रों को परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया गया। परिषद् ने इन त्यागपत्रों की वास्तविकता के बारे में कोई संदेह नहीं किया और उस अधिवेशन में उपस्थित सभी 27 पार्षदों ने त्यागपत्र मंजूर कर लिया। पिटीशनर स्वयं अपने ही कार्यों का लाभ नहीं उठा सकते और अविश्वास के प्रस्ताव के नोटिस को सीमाबद्ध नहीं कर सकते। अतः यह रिट पिटीशन विलंबित है। निर्वाचन तारीख 12-11-1982 को होना निश्चित है। निर्वाचन की कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं। अतः यह न्यायालय विवादग्रस्त तथ्य संबंधी प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकता।

11. हमारे समक्ष उठाए गए मुद्दे इस प्रकार हैं :—

(1) क्या तारीख 30-10-1982 के अधिवेशन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्यागपत्रों का स्वीकार किया जाना विधिमान्य और वैध है ?

(2) क्या पार्षदों को तारीख 2-11-1982 को जारी किए गए नोटिसों द्वारा तारीख 12-11-1982 को निश्चित अधिवेशन सम्यकतः और विधिकतः बुलाया गया है ?

(3) क्या पिटीशनरों को सुने जाने का कोई अधिकार है ?

(4) क्या इंजीनियर एवं प्रभारी आयुक्त को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए त्यागपत्रों पर विचार करने के लिए अधिवेशन बुलाने का अधिकार है ?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(5) क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का उस स्थिति में अवलंब लिया जा सकता है जब परिषद् ने 12-11-1982 को नया अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया हो, अथवा क्या पिटीशनरों को उपलब्ध मार्ग इस निर्वाचन को चुनौती देने के लिए उचित न्यायालय के समक्ष पिटीशन फाइल करना है?

12. मुख्य और महत्वपूर्ण विवाद्यक यह है कि क्या 30-10-1982 को दिए गए और मंजूर किए गए त्यागपत्रों की बाबत यह कहा जा सकता है कि वे अधिनियम की धारा 55 के अर्थान्तर्गत विधिमान्यत: मंजूर किए गए हैं या नहीं।

13. मामले को न्यायनिर्णीत करने से पहले सुसंगत कानूनी उपबंधों पर ध्यान दिया जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 55 इस प्रकार है :—

*"55. **पार्षद, कार्यपालिक समिति के सदस्य, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का त्यागपत्र** : कोई भी पार्षद, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष आयुक्त के नाम अपने हाथ से लिखे गए पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। आयुक्त ऐसा त्यागपत्र प्राप्त होने पर उसे परिषद् के अगले अधिवेशन के समक्ष रखेगा। परिषद् यदि उसका संबंधित व्यक्ति से उस त्यागपत्र के असली होने के बारे में समाधान हो जाता है, त्यागपत्र स्वीकार करेगा और इस प्रकार स्वीकार किया गया त्यागपत्र ऐसी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा। यदि परिषद् का उस त्यागपत्र के असली होने के बारे में समाधान नहीं होता है तो त्यागपत्र का नोटिस व्यपगत हो जाएगा।

***अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :**

"55. Resignation of councillor, member of the executive committee, vice-chairman or chairman :—Any councillor, the Vice-chairman or the Chairman may by writing under his hand addressed to the Commissioner, resign his office. The Commissioner shall, on receipt of such resignation, place it before the next meeting of the council. The council shall, if it is satisfied as to its genuineness from the concerned person, accept the resignations; and the resignation so accepted shall take effect from the date of such acceptance. If the council

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

त्यागपत्र के इस प्रकार स्वीकार किए जाने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को आयुक्त के नाम अपने हाथ से लिखे गए पत्र द्वारा ऐसा त्यागपत्र वापस लेने की स्वतंत्रता होगी।"

14. अधिनियम के अधीन बनाई गई अनुसूची-I में अधिकथित नियमावली के नियम 2(1) और (2), जिनका शीर्षक "परिषद की कार्यवाहियों के बारे में नियम" और उपशीर्षक "काम-काज चलाने का ढंग" है, इस प्रकार हैं :—

*"2(1) कोई भी अधिवेशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस दिन और समय का जब अधिवेशन किया जाना है और उसमें किए जाने वाले काम-काज के बारे में नोटिस ऐसे अधिवेशन की तारीख से कम से कम पूर्ण तीन दिन पूर्व न दे दिया गया हो।

(2) आत्ययिकता की दशा में अध्यक्ष उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय से कम समय का नोटिस देकर कोई अधिवेशन बुला सकेगा।"

15. अधिनियम की धारा 55 के महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व इस प्रकार हैं : (1) त्यागपत्र आयुक्त को सम्बोधित किया जाना चाहिए, (2) **आयुक्त उसे परिषद् के अगले अधिवेशन में** रखेगा, (3) परिषद्, यदि उसका उसके असली होने के बारे में समाधान हो जाता है, ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर सकेगी, (4) इस प्रकार स्वीकार किया गया त्यागपत्र ऐसी स्वीकृति की तारीख

---

is not satisfied as to the genuineness of the resignation, the notice of resignation shall lapse. Before the resignation is so accepted, it shall be open to the person concerned to withdraw such resignation by writing under his hand addressed to the Commissioner."

*"2(1) No meeting shall be held unless notice of the day and time when the meeting is to be held and of the business to be transacted there at has been given at least three clear days before the day of the meeting.

(2) In cases of urgency the chairman may convene a meeting on giving shorter notice than that specified in sub-rule (1)."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

से प्रभावी होगा, (5) यदि परिषद् का उसके असली होने के बारे में समाधान नहीं होता है तो त्यागपत्र व्यपगत हो जाएगा, और (6) स्वीकृति के पूर्व संबंधित व्यक्ति को उसे वापस लेने की स्वतंत्रता होगी।

16. सम्यक् न्यायनिर्णयन के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व दूसरा आधार है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अत: प्रश्न यह है कि क्या आयुक्त ने त्यागपत्रों को परिषद् के अगले अधिवेशन के समक्ष रखा है। इस धारा में यथाप्रकल्पित "अगला" शब्द के आशय और परिधि का वास्तविक रूप से अर्थान्वयन किए जाने के पहले, जहां तक इस पहलू का संबंध है, तथ्य संबंधी परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि उस समय और प्रक्रम के बारे में, जब त्यागपत्रों को स्वीकार किया गया था, कोई भी मतभेद नहीं है। पिटीशन में किया गया अभिकथन इस प्रकार है :—

> "तारीख 30-10-1982 को परिषद का मासिक अधिवेशन बुलाया गया और उस अधिवेशन में एजेन्डा में सूचीबद्ध मदों पर विचार किया गया और कार्यसूची (एजेन्डा) में सूचीबद्ध मदों के पूरा होने के पश्चात् अधिवेशन समाप्त हो गया। अधिवेशन समाप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पार्षदों के विरोधी समूह की क्रियाकलापों के बारे में बुरा माना और दोनों पर आयुक्त को अपने त्यागपत्र प्रस्तुत करने के लिए असम्यकरूपेण दबाव डाला गया।"

17. प्रभारी आयुक्त की ओर से फाइल किए गए प्रत्युत्तर (प्रतिशपथपत्र) में किए गए प्रकथनों का भी ऐसा ही आशय है जो इस प्रकार है :—

> "कार्यवृत्त के कामकाज पर 4-45 बजे अपराह्न को विचार-विमर्श समाप्त हुआ। नगरपालिक परिषद् तेनाली के अध्यक्ष श्री ए० सत्य नारायण ने यह घोषणा की कि उन्होंने और श्री एन० रामकृष्ण, उपाध्यक्ष ने अपने-अपने त्यागपत्र दे दिए हैं···ऐसी घोषणा करने के पश्चात् उन्होंने अपने त्यागपत्र नगरपालिक इंजीनियर और प्रभारी आयुक्त को, जो कि अधिवेशन में उपस्थित थे, उन 28 पार्षदों की उपस्थिति में, जो परिषद् के उक्त अधिवेशन में उपस्थित थे, उसी दिन सौंप दिए। श्री ए० सत्य नारायण और श्री एन० रामकृष्ण और कुछ अन्य पार्षद् परिषद् कक्ष छोड़कर चले गए। परिषद् के कक्ष में शेष बच रहे पार्षदों ने अपने में से एक पार्षद् श्री जे० अंकिनीडू को अपना अध्यक्ष चुना और कार्यवृत्त चालू रखा जिसमें त्यागपत्रों को स्वीकार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया गया और इस बात को परिषद् के संकल्प सं० 567, तारीख 30-10-1982 के रूप में कार्यवृत्त में लेखबद्ध किया। इस तथ्य की तुरन्त जिला कलक्टर को रिपोर्ट की गई।"

जबकि तृतीय पक्षकार, जिन्हें प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है, द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र में इस प्रकार प्राख्यान किया गया है :—

"श्री ए० सत्य नारायण और उसके समर्थक नन्दम राम कृष्ण, जो कि उपाध्यक्ष है, ने 30-10-1982 को बुलाए गए और अपने द्वारा संचालित अधिवेशन में 3-30 बजे अपराह्न को आयुक्त को अपने त्यागपत्र दे दिए। इस अधिवेशन में 29 सदस्य उपस्थित थे। तत्पश्चात् आयुक्त ने दोनों ही त्यागपत्रों को नगरपालिक परिषद् के समक्ष रखा। पार्षदों ने श्री जे० अंकिनीडू को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। परिषद् द्वारा उक्त अधिवेशन में इन त्यागपत्रों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस अधिवेशन में उपस्थित पार्षदों ने, जिनमें रिट पिटीशनर भी सम्मिलित हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्यागपत्रों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है।"

18. हालांकि प्रत्यर्थी के रूप में सम्मिलित किए गए तृतीय पक्षकार के प्राख्यान से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि वे यह कहना चाहते हैं कि 30-10-1982 को बुलाया गया अधिवेशन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा अधिवेशन छोड़कर चले जाने के बाद भी चालू रहा और उनमें से एक पार्षद् को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। किंतु जहां तक मामले के इस पहलू का संबंध है, आयुक्त के शपथपत्र से, जो रिट पिटीशनर के शपथपत्र का समर्थन करता प्रतीत होता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि तारीख 30-10-1982 को अधिवेशन 4-45 बजे अपराह्न पर समाप्त हुआ था, जिस समय तक संपूर्ण कार्यसूची (एजेन्डा) पर विचार किया जा चुका था। तत्पश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा कुछ अन्य पार्षद्, जिनमें वर्तमान तीन रिट पिटीशनर भी सम्मिलित हैं, अधिवेशन छोड़कर चले गए और तत्पश्चात् शेष पार्षदों ने अपने में से एक पार्षद् को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया और त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया। यह संकल्प, जिसकी सं० 567 हैं (जिसके द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए गए हैं) 30-10-1982 का अन्तिम संकल्प है और जिसका प्रभारी आयुक्त की ओर से फाइल किए गए शपथपत्र में इस प्रकार वर्णन किया गया है :—

"परिषद् कक्ष में शेष बचे पार्षदों ने अपने में से एक पार्षद् श्री जे०.अंकिनीडू को अपना अध्यक्ष चुना और श्री ए० सत्य नारायण···

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के त्यागपत्रों को स्वीकार करते हुए कार्यवृत्त चालू रखा और उसे परिषद् के संकल्प सं० 567, तारीख 30-10-1982 के रूप में कार्यवृत्त में लेखबद्ध किया।"

19. प्रभारी आयुक्त के प्रति-शपथपत्र में किया गया यह प्रकथन अखण्डनीय (निर्विवाद) है क्योंकि इसका कलक्टर की ओर से सरकारी प्लीडर द्वारा मेरे समक्ष रखे गए सुसंगत कागजातों और साथ ही पिटीशनरों द्वारा और उनकी ओर से उसकी अभिप्राप्त तथा फाइल की गई प्रमाणित प्रतिलिपियों से भी समर्थन होता है।

20. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए क्या इसका यह युक्तियुक्त रूप से अर्थ लगाया जा सकता है कि इन परिस्थितियों से, जो कि ऊपर बताई गई हैं, यह सिद्ध होता है कि पार्षदों के उक्त अधिवेशन को, जिसमें त्यागपत्र स्वीकार किए गए हैं, अधिनियम की धारा 55 के अर्थान्तर्गत 'अगला अधिवेशन' कहा जा सकता है। स्पष्ट रूप से अवधारण किए जाने के पूर्व एक और परिस्थिति, जो इस शृंखला में एक कड़ी जोड़ती है, पर भी ध्यान दिया जा सकता है। नियम 2(1), जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है, से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी अधिवेशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस तारीख और समय का, जब अधिवेशन किया जाना है और उसमें विचार किए जाने वाले कामकाज का अधिवेशन की तारीख से कम से कम पूर्ण तीन दिन का पूर्व नोटिस नहीं दिया जाता।

21. इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने 1982 के रिट पिटीशन सं० 4777 और 5062 में तारीख 9-12-1982 के हाल ही के विनिश्चय में उक्त नियम 2 का उल्लेख करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :—

> "परिषद् की कार्यवाहियों के संबंध में नियमावली के नियम 2 में यह कहा गया है कि कोई भी अधिवेशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस दिन और समय का, जब अधिवेशन किया जाना है और उसमें विचार किए जाने वाले कामकाज का अधिवेशन की तारीख से कम से कम पूर्ण तीन दिन पूर्व नोटिस नहीं दिया गया हो। पूर्ण तीन दिनों से यह अभिप्रेत है कि नोटिस जारी किए जाने की तारीख और अधिवेशन की तारीख दोनों को ही अपवर्जित कर दिया जाएगा। यदि 14 और 17 तारीख अपवर्जित की जाती हैं तो केवल दो दिनों का नोटिस रह जाता है। तथ्यतः यह कहा गया है कि अधिकांश सदस्यों को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नोटिस केवल 15-9-1981 को ही प्राप्त हुआ है। अत: यह स्पष्ट है कि पूर्ण तीन दिनों का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। किन्तु प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउन्सेल ने नियम 2 के खंड (2) का अवलम्ब लिया है और यह कहा है कि तीन दिन का नोटिस आत्यंतिक नहीं है और आत्ययिकता की दशा में कम समय का नोटिस भी दिया जा सकता है। किन्तु इस मामले की परिस्थितियों में नियम 2 के खंड (2) का अवलम्ब लिया जाना न्यायोचित नहीं है। तारीख 25-9-1981 को समितियों का गठन किया गया था। तारीख 30-9-1981 को आयुक्त ने सरकार को एक पत्र लिखा था। सरकार ने इस मामले का निपटारा करने में लगभग नौ मास का समय लगाया और 6-7-1982 को एक आदेश पारित किया जिसके द्वारा आयुक्त को समितियां गठित करने का निदेश दिया गया। समितियों का गठन निर्वाचन द्वारा किया जाना है। इन परिस्थितियों में ऐसी कोई भी आत्ययिकता प्रतीत नहीं होती जो नियम 2 के खंड (2) का अवलम्ब लिए जाने और केवल दो दिन का या एक दिन का नोटिस दिए जाने का समर्थन करती हो। सामान्य नियम यह है कि पूर्ण तीन दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। असाधारण मामलों में, जहां कोई विषय आत्ययिकता का हो, कम समय का नोटिस भी दिया जा सकता है। प्रत्यर्थियों को यह अवश्य अभिकथन करना और साबित करना चाहिए कि ऐसी आत्ययिकता मौजूद है। प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थियों ने इस भार का निर्वहन नहीं किया है। इस मामले की परिस्थितियां तीन दिन से कम समय का नोटिस दिए जाने को न्यायोचित नहीं ठहरातीं। अत: तारीख 14-7-1982 का नोटिस अवैध है और उक्त नोटिस के अनुसरण में की गई कोई कार्यवाही भी पूरी तरह अवैध है।"

22. मैं उपर्युक्त दृष्टिकोण से कोई भिन्न दृष्टिकोण अपनाने में असमर्थ हूं। जहां तक उक्त नियम का संबंध है, उसकी भाषा पूरी तरह असंदिग्ध है और उसमें यह आदेश दिया गया है कि पूर्ण तीन दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। तथ्यत: उसके पश्चात् ही एक ऐसा उपबंध भी दिया गया है जो कम समय का नोटिस देकर अधिवेशन बुलाने को समर्थ बनाता है बशर्ते ऐसी कोई आत्ययिकता मौजूद हो। उक्त उपबंध नियम 2(1) के उपबंध का इस बारे में अर्थान्वयन करने के लिए एक हल प्रदान करता है कि क्या वह आज्ञापक है या निदेशात्मक। अत: क्या यह कहा जा सकता है कि कार्यसूची (एजेन्डा) के अनुसार अधिवेशन पूरा करने और समाप्त करने के पश्चात् क्या उसके बाद

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया गया कोई अधिवेशन एक नया या अगला (आगामी) अधिवेशन माना जाएगा। यदि ऐसा अभिनिर्धारित किया जाता है, जैसा कि पक्षकार बनाए गए प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउन्सेल द्वारा बहस की गई है, तो प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात् पार्षदों की सम्मति से किया गया अधिवेशन अगले (आगामी) अधिवेशन के रूप में समाप्त किया जाना चाहिए भले ही वह उसी दिन किया गया हो। नियम 2(1) के उपबन्धों का आज्ञापक रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए। स्वीकृत रूप से कोई भी नया नोटिस नहीं दिया गया है। कुछ पार्षदों की सम्मति प्रथम अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् अधिवेशन बुलाने के लिए एक आधार प्रस्तुत नहीं कर सकती क्योंकि अगला (आगामी) अधिवेशन परिषद् का ऐसा अधिवेशन होना चाहिए जिसमें सभी सदस्य सम्मिलित हों जिन्हें नोटिस भेजा जाना चाहिए। यदि कुछ सदस्य उस अधिवेशन में भाग लेना नहीं चाहते हैं तो यह एक अलग बात होगी। किन्तु अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तीन दिनों पूर्ण का नोटिस आवश्यक है। इस मामले में नियम 2(1) में अधिकथित आनुकल्पिक उपबंध का अवलंब लिए जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि प्रभारी आयुक्त ने किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया है चाहे वह यथास्थिति एक दिन का नोटिस हो या तीन दिन का नोटिस। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या उससे कम समय का, जोकि नियम 2(1) में अनुध्यात है, नोटिस दिए जाने के लिए कोई आत्ययिकता मौजूद है।

23. पक्षकार बनाए गए प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउन्सेल द्वारा **नरसिंह** बनाम **सिंगरी गौडा**[1] और **वाइस चांसलर** बनाम **एस० के० घोष**[2] का अवलंब लिया गया है जो कि किंचित भी या कोई भी सहायता प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि उन मामलों में नियम में बताए गए समय का नोटिस देने की बजाए कम समय का नोटिस दिया गया है और उसे विधिमान्य अभिनिर्धारित किया गया है। यहां प्रश्न यह है कि सभी सदस्यों को किसी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। यह निर्विवाद है कि कुछ सदस्यों ने उस अधिवेशन में कतई भाग नहीं लिया। अतः वे भी नोटिस पाने के लिए पूरी तरह हकदार हैं। यह धारणा करते हुए भी कि उनके भाग लेने से, जोकि अल्पमत में हैं, संकल्प के परिणाम में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा किन्तु फिर भी यह नोटिस की शर्त से, जिसके पाने के लिए प्रत्येक पार्षद् हकदार है, अभिमुक्ति प्रदान करने के लिए विधिमान्य होना तो दूर, एक आधार भी नहीं हो सकता।

---

[1] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 330.

[2] ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 217.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

24. अतः चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए यह स्पष्ट हो जाता है कि तारीख 30-10-1982 को परिषद् के अधिवेशन को, जिसमें कुछ पार्षद इकट्ठे हुए थे और जिन्होंने अपने में से एक को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था और परिणामस्वरूप दिए गए त्यागपत्रों को स्वीकार किया था, नियम 2 को ध्यान में रखते हुए अगला (आगामी) अधिवेशन नहीं माना जा सकता जो त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की कार्यवाही को विधिमान्य बनाता हो।

25. इस स्थिति का सामना करने पर पक्षकार बनाए गए प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एम० चन्द्रशेखर राव द्वारा एक कमजोर (हल्की) दलील दी गई है। यह दलील कुछ-कुछ इस प्रकार है :—अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने त्यागपत्र देने के पश्चात् परिषद कक्ष छोड़कर चले गए और तत्पश्चात् उसी अधिवेशन में शेष पार्षदों ने अपने में से एक पार्षद् को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया और अधिवेशन के कामकाज चालू रखे तथा त्यागपत्रों को 24 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया जो कि दो-तिहाई बहुमत है और यदि ऐसा हुआ है तो यह एक विधिमान्य स्वीकृति होगी। सखेद यह तर्क गलत दिया गया है। तथ्यतः इसके बाद हम तुरन्त इस तिहरे पहलू पर विचार करते हैं जैसा कि पक्षकार बनाए गए प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दलील दी गई है कि प्रथमतः अधिनियम की धारा 55 के उपबंध आज्ञापक नहीं हैं, द्वितीयतः अधिकथित उपबंधों का सारवान् अनुपालन किया गया है और तृतीयतः उपबंधों का यथार्थतः अनुसरण न किए जाने से कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इस बात का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित निर्णयज विधि का अवलंब लिया गया है।

26. **शाहबुद्दीन साहब बनाम गदाग बेतगीरी नगरपालिका**[1] में उच्चतम न्यायालय ने ऐसी ही स्थिति पर विचार करते हुए, जहां कि विशेष साधारण अधिवेशन का नोटिस लिखित में नहीं दिया गया था किन्तु केवल उन सभी पार्षदों को, जो कि पूर्व अधिवेशन में उपस्थित थे, सूचित कर दिया गया था और नोटिस की तामील अधिनियम के उपबंधों में उपवर्णित रीति में नहीं की गई थी, यह अभिनिर्धारित किया कि :—

> "इन लोपों के कारण नोटिस विधि की दृष्टि में अप्रभावी नहीं होता। ऐसा केवल उसी दशा में हो सकता है यदि उन उपबंधों को आज्ञापक अभिनिर्धारित किया जाता है। सुसंगत उपबंधों से यह दर्शित

[1] ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 314.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

होता है कि धारा 35(3) के उपबंध निदेशात्मक हैं और वे आज्ञापक नहीं हैं और नोटिस की तामील की रीति में किसी प्रकार का लोप केवल ऐसी अनियमितताएं हैं जिसके कारण कार्यवाहियां तब तक दूषित नहीं होतीं जब तक यह दर्शित नहीं किया जाता कि उन अनियमितताओं से कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।"

उच्चतम न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि :—

"यदि सभी पार्षद् 30 जुलाई को उपस्थित नहीं थे या उन्हें 3-8-1954 के प्रस्थापित अधिवेशन की सूचना नहीं दी गई थी तो अन्य विचारणाएं उद्भूत हो सकती हैं किंतु इस मामले में यह स्पष्ट है कि किसी भी पक्षकार पर या किसी व्यक्ति पर या संपूर्णतः नगरपालिका पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।"

यह भी अभिनिर्धारित किया गया है :—

"प्रत्यर्थियों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि नगरपालिका का गठन करने वाले सभी पार्षद् दोनों ही अवसरों पर अर्थात् 30-7-1954 और 3-8-1954 को उपस्थित थे। अतः उन्हें 3-8-1954 को किए जाने वाले अधिवेशन, उस अधिवेशन के समय और स्थान तथा उसमें विचार किए जाने वाले कामकाज की यथेष्ठ सूचना थी।"

27. **पी० एम० डोरास्वामी** बनाम **ई० ए० एंड डाइरैक्टर ऑफ मार्केटिंग**[1] में इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने आन्ध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एण्ड लाइवस्टाक मार्केट ऐक्ट के अधीन विरचित नियमावली के नियम 17 के उपबंधों का अर्थान्वयन करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :—

"यह सुस्थिर विधि है कि किसी विशिष्ट नियम में या विधि के उपबंध में 'होगा' या 'चाहिए' शब्द के उपयोग से वह उपबंध आज्ञापक नहीं हो जाता। इस बात का अवधारण करने के लिए कि क्या कोई विशिष्ट उपबंध आज्ञापक है या नहीं, एक ठोस कसौटी विचाराधीन नियमों से इस बात का पता लगाना है कि उस विशिष्ट उपबंध के, जिसके आज्ञापक होने की दलील दी गई है, अननुपालन के क्या परिणाम निकलते हैं। यदि अननुपालन से कोई भी प्रतिकूल परिणाम नहीं निकलता तो उपबंध को आज्ञापक नहीं वरन्

---

[1] ए० आई० आर० 1977 आन्ध्र प्रदेश 286.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

केवल निदेशात्मक अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए चाहे वह 'होगा' शब्द द्वारा या 'चाहिए' शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।"

28. **रुस्माजी** बनाम **डिप्टी कलक्टर**[1] में इस न्यायालय ने एक ऐसे अधिवेशन पर विचार किया था जो सरपंच के विरुद्ध लाए गए अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 15 दिन के पश्चात् बुलाया गया था जबकि कानूनी उपबंध यह है कि ऐसा अधिवेशन अविश्वास के प्रस्ताव के नोटिस की तारीख से 15 दिन के भीतर बुलाया जाएगा। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :—

"नियम 5 के सूक्ष्म अनुशीलन से इस बात का पता चलता है कि तहसीलदार पर उस तारीख से, जब उसे अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त होता है, 15 दिन के भीतर अधिवेशन बुलाने की एक कानूनी बाध्यता अधिरोपित की गई है। उक्त नियम में यह भी कहा गया है कि ग्राम-पंचायत के सदस्यों को ऐसे अधिवेशन के कम से कम पूर्ण सात दिन का नोटिस अवश्य मिलना चाहिए।

यह दलील कि नियम 5 'होगा' शब्द के प्रयोग के कारण आज्ञापक है, स्वीकार नहीं की जा सकती। मेरे मतानुसार 'होगा' शब्द के उपयोग से आवश्यक रूप से यह विवक्षित नहीं होता कि कोई विशिष्ट उपबंध अनिवार्य है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि चूंकि नियम या किसी धारा में अनिवार्य भाषा का उपयोग किया गया है इसलिए उसके उपबंधों की उपेक्षा करने पर की गई कार्यवाही शून्य होगी। लोक कर्त्तव्यों का सृजन करने वाले कानूनों और प्राइवेट अधिकारों को प्रदान करने वाले कानूनों के बीच अन्तर यह है कि जबकि साधारणतः लोक कर्त्तव्यों का सृजन करने वाले कानूनों के उपबंध निदेशात्मक होते हैं और प्राइवेट अधिकारों का सृजन करने वाले कानूनों के उपबंध अनिवार्य होते हैं। अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में विधानमंडल का आशय किसी कानून को निदेशात्मक या अनिवार्य अभिनिर्धारित करने के परिणाम को तौलते हुए अभिनिश्चत किया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट होगा कि जहां कहीं कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जिनसे विधानमंडल का आशय उपदर्शित होता हो तो अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और उसके विस्तार तथा परिधि को ध्यान में रखते हुए ऐसा आशय मालूम किया जाना चाहिए। यदि अधिनियम के उपबंध किसी पदधारी पर लोक प्रकृति का कर्त्तव्य अधिरोपित करता है और

[1] **1964(2) आन्ध्र वीकली रिपोर्ट 379.**

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नियम के अंतर्गत उससे उस कर्त्तव्य का एक नियत समय के भीतर अनुपालन किए जाने की आशा की जाती है तो तुरंत यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे कर्त्तव्य के अननुपालन के कारण किया गया कार्य शून्य है। मेरा विचार है कि जो कुछ ऊपर कहा गया है उसके संदर्भ में पढ़ने पर नियम 5 एक अनिवार्य नियम नहीं है। मेरे मतानुसार यह केवल निदेशात्मक है और इसलिए इसके कारण, जहां तक इसके प्रथम पहलू का संबंध है, नियम 5 के अननुपालन में की गई कोई भी कार्यवाही शून्य नहीं हो जाती। मेरे बारे में यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैंने नियम 5 के दूसरे भाग के अतिक्रमण में स्थगित अधिवेशन किए जाने के बारे में कोई बात विनिश्चित की है क्योंकि यह इस जांच की परिधि के अंतर्गत नहीं आता।"

तत्पश्चात् **लिवरपूल बरो बैंक** बनाम **टर्नर**[1] में लार्ड कैम्पवैल के इन मतों के प्रति निर्देश करने के पश्चात् कि "इस बारे में कोई भी सार्वभौमिक नियम अधिकथित नहीं किया जा सकता कि क्या आज्ञापक अधिनियमितियों को केवल निदेशात्मक माना जाए या आबद्धकर माना जाए जिसकी अवज्ञा (उपेक्षा) के कारण उस उपबंध का रद्द होना विवक्षित है। न्यायालयों का यह कर्त्तव्य है कि वे अर्थान्वयन किए जाने वाले कानून के संपूर्ण विस्तार पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए विधानमंडल का वास्तविक आशय मालूम करें।" विद्वान् न्यायाधीश ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :—

"अतः मेरा यह समाधान हो गया है कि यद्यपि अधिवेशन उस तारीख से 15 दिन के भीतर नहीं किया गया है जब तहसीलदार पर नोटिस की तामील की गई थी किंतु फिर भी वह विधिमान्यतः किया गया अधिवेशन है क्योंकि पंचायत के प्रत्येक सदस्य को पूर्ण सात दिन का नोटिस दे दिया गया है क्योंकि इस बारे में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।"

29. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **मनबोधन लाल**[2] में उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उपबंधों के प्रति निर्देश करते हुए, जिसके अंतर्गत यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से ऐसे सभी अनुशासनिक मामलों पर परामर्श किया जाएगा जिनसे यथास्थिति भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :—

---

[1] (1861) 30 एल० जे० चांसरी 379, 380.
[2] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 912.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गया है, आरम्भ किया गया विचारण उसी के द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिए या दूसरे अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा, जिसे वही नाम प्रदत्त किया गया है जो कि उस अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा धारित था, जिसने कि विचारण आरम्भ किया था।

3. 1982 का दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 2015 श्री एल० एन० राय, III अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में राज्य **बनाम** पंजाव सिंह और अन्य वाले 1980 के सेशन विचारण सं० 194 को II अपर सेशन न्यायाधीश, श्री आर० सी० गुप्ता के न्यायालय में अन्तरण के लिए इस आधार पर किया गया है कि जब श्री आर० सी० गुप्त, III अपर सेशन न्यायाधीश थे तो उन्होंने आरोप विरचित किए थे, लेकिन अब उनका पदनाम II अपर सेशन न्यायाधीश है। यद्यपि इस मामले में उनके द्वारा किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी, तथापि उन्होंने साक्षियों को अपने समक्ष उपसंजात होने तथा परीक्षा किए जाने के लिए आदेश पारित किए थे। सेशन न्यायाधीश के निर्देश पर अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक न्यायाधीश ने इस मामले में यह आदेश पारित किया था कि यह मामला श्री एल० एन० राय, III अपर सेशन न्यायाधीश को आबंटित किया जाता है। इस प्रकार यह मामला प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से श्री एल० एन० राय को सौंप दिया गया था।

4. 1982 के दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 2462 द्वारा 1974 के सेशन विचारण सं० 1, राज्य बनाम मूलचन्द का अन्तरण वर्तमान X अपर सेशन न्यायाधीश, जो विशेष न्यायाधीश भी हैं, के न्यायालय से इस आधार पर ईप्सित है कि श्री पी० सी० अग्रवाल ने, जो कि पहले अपर X सेशन न्यायाधीश थे और जिनका पदनाम अब VII अपर सेशन न्यायाधीश है और जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन चलाए जाने वाले मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मामले में तथ्य सम्बन्धी लगभग सम्पूर्ण साक्ष्य की परीक्षा की थी।

5. 1982 के दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 4779 द्वारा श्री एल० एन० राय, III अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में लम्बित 1980 के सेशन विचारण सं० 148, राज्य **बनाम** कमला, श्री आर० सी० गुप्त, II अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में इस आधार पर अन्तरण ईप्सित है कि इस मामले में आरोप श्री आर० सी० गुप्त द्वारा विरचित किए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गए थे, इसलिए यह भागतः सुनवाई किया गया मामला बन गया है। यह मामला प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश से श्री एल० एन० राय को सौंप दिया गया है।

6. 1982 के दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 4811 में आवेदकों ने 1980 के सेशन विचारण सं० 378, राज्य बनाम भोलानाथ और एक अन्य को श्री बृज पाल सिंह, I अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय से श्री के० सी० भार्गव, II अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में अन्तरण के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि श्री के० सी० भार्गव ने, जो कि पहले I अपर सेशन न्यायाधीश थे और जिनका पदनाम अब II अपर सेशन न्यायाधीश है, मामले की भागतः सुनवाई की है क्योंकि उन्होंने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किया था। चूंकि उन्होंने ऐसा I अपर सेशन न्यायाधीश की हैसियत में किया था और तत्पश्चात् श्री बृज पाल सिंह ने I अपर सेशन न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण कर लिया था और श्री के० सी० भार्गव का पदनाम II अपर सेशन न्यायाधीश हो गया था, यह मामला श्री बृज पाल सिंह के न्यायालय में ही रहने दिया गया और इसको श्री के० सी० भार्गव के न्यायालय को अन्तरित करने की आवश्यकता है। यह द्रष्टव्य है कि न तो मामले को श्री बृज पाल सिंह, I अपर सेशन न्यायाधीश को सौंपने हेतु या उस न्यायालय को आबंटित करने सम्बन्धी कोई विनिर्दिष्ट आदेश हमारे ध्यान में लाया गया है।

7. 1982 के दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 4955 द्वारा श्री वी० के० सरकार, V अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में लम्बित 1979 के सेशन विचारण सं० 184, राज्य **बनाम** अस्तफा और अन्य और इसी मामले से संसक्त 1982 का सेशन विचारण सं० 16 राज्य **बनाम** अब्दुल रशीद का श्री जे० बी० सिंह, VI अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में इस आधार पर अन्तरण ईप्सित है कि श्री जे० बी० सिंह, V अपर सेशन न्यायाधीश ने, जो अब VI अपर सेशन न्यायाधीश हैं, साक्ष्य अभिलिखित किए थे।

8. 1982 के दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 5046 में 1980 के सेशन विचारण सं० 398, राज्य **बनाम** सर्वेश कुमार उर्फ पप्पू और अन्य वाले मामले को श्री बृजपाल सिंह, I अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय से श्री के० सी० भार्गव, II अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में अन्तरण इस आधार पर ईप्सित है कि श्री के० सी० भार्गव ने, जो पहले I अपर सेशन न्यायाधीश थे और जिनका पदनाम इसलिए बदल दिया गया है कि वह पदनाम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

श्री बृजपाल सिंह को प्रदत्त कर दिया गया है, जबकि श्री के० सी० भार्गव II सेशन न्यायाधीश बना दिए गए हैं, अभियोजन साक्ष्य का अधिकांश भाग अभिलिखित किया था।

9. 1982 के दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 5442 में 1980 के सेशन विचारण सं० 487, राज्य **बनाम** मुन्नी लाल और अन्य वाला मामला श्री बृजपाल सिंह, I अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय से श्री के० सी० भार्गव, II अपर सेशन न्यायाधीश, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है और लगभग तमाम अभियोजन साक्ष्य को अभिलिखित किया है, के न्यायालय में अन्तरण के लिए है। इस मामले में मामले के अन्तरण के लिए सेशन न्यायाधीश को समावेदन किया गया था लेकिन उसने इसे इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि यह एक भागतः सुना गया मामला है, इसलिए इसे कोई भी आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है। तथापि, उन्होंने यह टिप्पणी की कि वर्तमान I अपर सेशन न्यायाधीश, जो कि श्री के० सी० भार्गव के उत्तरवर्ती हैं, मामले की सुनवाई कर सकते हैं।

10. 1982 के दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 5443 द्वारा 1982 के सेशन विचारण सं० 439, राज्य **बनाम** दया शंकर और अन्य वाले मामले को श्री बृज पाल सिंह, I अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय से श्री के० सी० भार्गव, पहले I अपर सेशन न्यायाधीश थे और जिनका पदनाम अब II अपर सेशन न्यायाधीश है, के न्यायालय में अन्तरण इस आधार पर चाहा गया है कि यह एक भागतः सुना गया मामला था, क्योंकि उन्होंने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किया था।

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता की बहुत सी धाराओं में "विचारण" (ट्रायल) और "विचारण करना" (ट्राई) शब्दों का प्रयोग जांच के बाद के प्रक्रमों के लिए किए गए हैं, लेकिन उन धाराओं में ये अर्थ उनके प्रयोग के संदर्भ के अनुसार हैं। (देखिए **बिहार राज्य** बनाम **नरेश पांडे और एक अन्य**)[1] वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता में "विचारण (ट्रायल)" शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। 1872 की संहिता में "ट्रायल" शब्द की परिभाषा आरोप विरचित करने के पश्चात् अपराधी को दण्ड देने तक की न्यायालय की कार्यवाही है। तथापि पश्चात्वर्ती संहिताओं में इसे स्थान नहीं दिया गया और इस प्रकार इसका कोई परिभाषित अर्थ नहीं है। तथापि साधारणतया यह समझा जाता है कि इसका तात्पर्य न्यायालय की कार्यवाही में आरोप विरचित करने से लेकर

---

[1] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 389.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दोषसिद्धि या दोषमुक्ति तक है । दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संहिता' कहा गया है) की धारा 4 के साथ पठित धारा 326 के अनुसार प्रत्येक दाण्डिक कार्यवाही उस निमित्त सक्षम न्यायालय, जो कि उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय कोई और न्यायालय, अपराधों के विचारण के संबंध में प्रथम अनुसूची में यथावर्णित होगा, संहिता के उपबंधों के अनुसार करेगा । धारा 6 न्यायालयों के गठन के संबंध में उपबंध करती है और निम्नलिखित प्रकार के न्यायालयों को प्रगणित करती हैं :—

1. उच्च न्यायालय;

2. किसी विधि के अन्तर्गत गठित न्यायालय;

3. सेशन न्यायालय;

4. प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट;

5. द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट; और

6. कार्यपालक मजिस्ट्रेट

धारा 9 सेशन न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित उपबंध करती है :—

"9. सेशन न्यायालय—(1) राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खण्ड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी ।

(2) प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है ।

(4) उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खण्ड के न्यायाधीश को दूसरे खण्ड का अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खण्ड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय निदेश दे ।"

12. उपधारा (1) के अनुसार प्रत्येक सेशन खण्ड में केवल एक सेशन न्यायालय होगा, जिसका एक पीठासीन सेशन न्यायाधीश होगा, उपधारा (2) देखें, यद्यपि कि उपधारा (3) के उपबन्धानुसार काम की अधिकता को देखते हुए अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश भी सेशन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार अगर अकेले सेशन न्यायाधीश द्वारा सेशन न्यायालय का कार्य नहीं चलाया जा सकता हो तो सेशन खण्ड में सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपबन्ध किया गया है। ऐसे न्यायाधीश उसी सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश के पदनाम से करते हैं। ये दाण्डिक न्यायालय हैं और इन्हें "अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश का न्यायालय", कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक सेशन खण्ड में केवल एक सेशन न्यायालय होता है और अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश केवल सेशन न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। अपर सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति से अतिरिक्त सेशन न्यायालय का गठन नहीं होता है। वह केवल उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित या सेशन न्यायाधीश द्वारा सौंपे गए मामलों का विचारण कर सकेगा। (संहिता की धारा 194 और 381 देखिए)। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पुरानी संहिता" कहा गया है) की धारा 193(2) में यह उपबन्धित है कि ऐसा निर्देश केवल राज्य सरकार द्वारा ही दिया जा सकता था। तथापि किसी अपर सेशन न्यायाधीश को सौंपा गया मामला या की गई अपील को उससे वापस लेकर सेशन न्यायाधीश स्वयं उसकी सुनवाई कर सकता है या उसके निपटाए जाने के लिए उसे किसी दूसरे अपर सेशन न्यायाधीश को अन्तरित कर सकता है (देखिए **सम्राट** बनाम **बिरजू मारवाड़ी**[1])। लेकिन अपर सेशन न्यायाधीश को अपने या किसी अन्य अपर सेशन न्यायाधीश के किसी मामले या अपील को अन्तरित करने की शक्ति नहीं है। सभी सहायक सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश के अधीन बनाए गए हैं और वही सहायक सेशन न्यायाधीशों को कार्य आबन्टित करेगा और उसकी अनुपस्थिति में इस निमित्त मनोनीत अपर सेशन न्यायाधीश उसकी ओर से कार्य कर सकेगा। (देखिए धारा 10)। संहिता के अधीन प्रदत्त शक्तियों के सम्बन्ध में धारा 32 में निम्नलिखित रूप में कहा गया :—

> "32. शक्तियां प्रदान करने का ढंग—इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गों को साधारणतः उनके पदीय अभिनामों से, आदेश द्वारा, सशक्त कर सकती है।"

अधिकारियों की शक्तियों के सम्बन्ध में उपबंध धारा 33 में है। धारा 34

---

[1] आई० एल० आर० 1944 इलाहाबाद 157.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शक्तियों को वापस लेने के सम्बन्ध में है और उसमें यह उपबन्धित है कि यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की हैं। धारा 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में है, और जहां तक सुसंगत है, वह इस प्रकार है :—

> "35. न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना—(1) इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है।
>
> (2) जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद-उत्तरवर्ती कौन है तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन-सा न्यायाधीश इस संहिता के, या इसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद-उत्तरवर्ती समझा जाएगा।......

इस तरह किसी पद-पूर्ववर्ती (प्रेडीसेसर इन आफिस) न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। अगर केवल एक ही सेशन न्यायालय है तो यह प्रश्न उठ सकता है कि किसी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के संबंध में कानूनी तौर से उसका पद-उत्तरवर्ती कौन-सा अपर सेशन न्यायाधीश होगा। इसका अवधारण, जैसा कि धारा 35 की उपधारा (2) में उपबन्धित है, सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा करेगा। यदि पूर्ववर्ती न्यायाधीश की कार्यवाहियों में सुनवाई आरम्भ करने तथा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् जांच या विचारण में अधिकारिता समाप्त हो जाती है तो उत्तरवर्ती न्यायाधीश की शक्तियां तथा उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में धारा 326 में इस प्रकार उपबन्धित है :—

> "326. (1) भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी—(1) जब कभी किसी जांच या विचारण में साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात्

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है और कोई अन्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है, उसका उत्तरवर्ती हो जाता है, तो ऐसा उत्तरवर्ती न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसे अभिलिखित या भागतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित और भागतः अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है :

परन्तु यदि उत्तरवर्ती न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्षियों में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह किसी ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा के, यदि कोई हो, जैसी वह अनुज्ञात करे, पश्चात् वह साक्षी उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(2) जब कोई मामला एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन अंतरित किया जाता है तब उपधारा (1) के अर्थ में पूर्वकथित न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के बारे में समझा जाएगा कि वह उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है और पश्चात्कथित न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसका उत्तरवर्ती हो गया है।

(3) इस धारा की कोई बात संक्षिप्त विचारणों को या उन मामलों को लागू नहीं होती है, जिनमें कार्यवाहियां धारा 322 के अधीन रोक दी गई हैं या जिनमें कार्यवाहियां वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को धारा 325 के अधीन भेज दी गई हैं।"

पुरानी संहिता में इसकी तत्स्थानी धारा 350 थी, जो इस प्रकार है :—

"350. एक मजिस्ट्रेट द्वारा भागतः और अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा भागतः अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी—(1) जब कभी कोई मजिस्ट्रेट किसी जांच या परीक्षण में साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात् उसमें क्षेत्राधिकार प्रयोग करने से परिविरत हो जाता है और अन्य मजिस्ट्रेट, जिसे ऐसा क्षेत्राधिकार है और जो उसको प्रयोग करता है उसका उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा उत्तरवर्ती मजिस्ट्रेट अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसे अभिलिखित या अपने पूर्ववर्ती द्वारा भागतः अभिलिखित और अपने द्वारा भागतः अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगा :

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परन्तु यदि उत्तरवर्ती मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्षियों में से किसी से, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त पृच्छा करना न्याय के हितों में आवश्यक है* तो वह किसी ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकेगा और ऐसी अतिरिक्त पृच्छा, प्रतिपृच्छा और पुनः पृच्छा (परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा), यदि कोई हो, के पश्चात् जैसी वह अनुज्ञात करे, वह साक्षी उन्मुक्त कर दिया जाएगा।

(2) इस धारा की कोई बात उन मामलों को लागू नहीं है, जिनमें कार्यवाहियां धारा 346 के अधीन रोक दी गई हैं या जिनमें कार्यवाहियां वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को धारा 349 के अधीन भेज दी गई हैं।

(3) जबकि कोई मामला एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन अन्तरित किया जाता है तब पूर्व-कथित के बारे में समझा जाएगा कि वह उसमें क्षेत्राधिकार प्रयोग करने से परिविरत हो गया है और पश्चात्कथित उपधारा (1) के अर्थ में उसका उत्तरवर्ती हो गया है।"

विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि भागतः सुने गए मामलों से संबंधित धारा 350 अपर सेशन न्यायाधीशों पर भी लागू की जा सकती है। पुरानी संहिता के अधीन पुरानी पद्धति के अनुसार एक सेशन खण्ड से दूसरे सेशन खण्ड में सेशन न्यायाधीश के अन्तरण के फलस्वरूप भागतः सुने गए सेशन मामलों के निपटाने में असम्यक् विलम्ब और असुविधा होती थी। एक खण्ड से दूसरे खण्ड में न्यायाधीशों के अन्तरण के फलस्वरूप होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही धारा को वर्तमान रूप में अधिनियमित किया गया है।

13. पुरानी संहिता की धारा 350 के अनुसार भागतः सुना गया सेशन विचारण उसी सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाया जाना होता था, जिसने उसे आरम्भ में सुना था। अगर वह किसी दूसरे सेशन खण्ड में अंतरित हो गया है तो उसे उस मामले को निपटाने के लिए वापस आना पड़ता था। इस परिस्थिति से निपटने के लिए धारा 326 के उपबंधों को संशोधित किया गया था, जिससे कि किसी सेशन न्यायाधीश का पद-उत्तरवर्ती उस स्तर से, जिस

*हिन्दी में अद्यतन प्रारूपण की दृष्टि से पाठ इस प्रकार होना चाहिए—'परन्तु यदि उत्तरवर्ती मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्षियों में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा न्याय के हित में आवश्यक है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्तर पर उसके पद-पूर्ववर्ती द्वारा भागतः सुना गया सेशन विचारण छोड़ा था, उसे जारी रखने में सक्षम हो सके। इस प्रकार, धारा 326 "जो सुनवाई करे उसे ही विनिश्चय करना चाहिए" साधारण नियम का अपवाद है। पक्षकारों के लिए उचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए दाण्डिक मामलों में लागू यह सामान्य नियम कि "केवल वही विनिश्चय करे, जिसने कि साक्षियों की सुनवाई की है" न्यायालयों द्वारा लगातार अपनाया जाता रहा है (देखिए **श्रीमती गुलजार** बनाम **निजाम और एक अन्य**[1], **करम चन्द और एक अन्य** बनाम **यू० पी० राज्य**[2]; **प्यारे लाल** बनाम **पंजाब राज्य**[3]; **टी० ए० फरनांडेज अभियुक्त-आवेदक वाले मामले**[4] **में**; और **इब्राहीम अली, अभियुक्त, आवेदक वाला मामला**[5] इस पृष्ठभूमि में ही धारा 326 का सही अर्थान्वयन और उसके विस्तार का अवधारण करना होगा।

14. चूंकि सभी कॉमन लॉ नियमों के कानूनी अपवाद होते हैं, अतः इस धारा का अर्थान्वयन बिल्कुल सही ढंग से करना होगा। दो प्रकार के मामले हो सकते हैं, जिनमें धारा 326 के उपबंध लागू किए जा सकते हैं—(i) जहां जिस न्यायाधीश ने विचारण आरम्भ किया था, उसका स्थानांतरण सेशन खण्ड से कर दिया गया है और जिस सेशन खण्ड से प्रथम न्यायाधीश को स्थानांतरित किया गया, उसी सेशन खण्ड का दूसरा न्यायाधीश उसका पद उत्तरवर्ती बना हो; और (ii) जबकि वह न्यायाधीश, जिसने विचारण आरंभ किया था, उसी सेशन खण्ड में बना रहता है लेकिन उसका पदनाम बदल गया है और उसके द्वारा धारित पदनाम उसी सेशन खण्ड के दूसरे न्यायाधीश को प्रदत्त कर दिया गया हो। वर्ग (i) के मामलों में धारा 326 स्पष्ट रूप से लागू होती है। वर्ग (ii) के मामलों में वह आबंटन आदेश, जिसके द्वारा पहले न्यायाधीश को मामला सौंपा गया था, महत्वपूर्ण होगा। यदि आबंटन 'नाम से' किया गया था, तब न्यायाधीश को सौंपे गए मामले उसी के पास बने रहेंगे। 'पद-नाम' पर दिए गए मामले भी दो वर्गों में आएंगे—(i) जहां पर जिस न्यायाधीश को मामला सौंपा गया था, उसके द्वारा कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गई थीं और वह भागतः सुना गया मामला बन गया था; और (ii) जहां पर कार्यवाहियां आरम्भ नहीं की गई थीं। हमारा संबंध दूसरे वर्ग से नहीं है। वर्तमान मामले में अन्तर्वलित प्रश्न प्रथम वर्ग से सम्बन्धित है और यह निश्चित

[1] 1981 (18) इलाहाबाद क्रिमिनल केसेज 55.

[2] 1980 इलाहाबाद क्रिमिनल रूलिंग्स 346.

[3] ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 690.

[4] ए० आई० आर० 1958 मद्रास 571.

[5] 1960 क्रिमिनल लॉ जर्नल 882.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करना है कि जिस न्यायाधीश ने विचारण आरम्भ किया था उसे उन्हें जारी रखने की शक्ति है या पदनाम बदल जाने से वह शक्ति प्रभावित हुई है।

15. लम्बित मामले को जारी रखने का अधिकार निहित अधिकार की प्रकृति का है, जो केवल तभी छीना जा सकता है जबकि इस प्रकार छीने जाने का स्पष्ट आशय (विधानमण्डल द्वारा) व्यक्त किया गया हो। (देखिए **वेणु गोपाल रेड्डियार और एक अन्य** बनाम **कृष्णास्वामी रेड्डियार उर्फ राजा चिदाम्बरा रेड्डियार और एक अन्य**[1]) यह मामला ब्रिटिश-भारत में तथा बर्मा में स्थित सम्पत्तियों से सम्बन्धित है, जो 1932 में दायर किया गया था। यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या 1937 में बर्मा के अलग हो जाने के पश्चात् बर्मा में स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मुकदमें में ब्रिटिश भारत के न्यायालयों को विचारण की अधिकारिता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय को अधिकारिता है और वह विचारण जारी रख सकता है और अधिकारिता पर इस कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि कुछ सम्पत्तियां बर्मा में स्थित हैं, जो ब्रिटिश-भारत से अलग हो गया था। फेडरल कोर्ट ने यह विचार प्रकट किया कि विधिवत दायर किये गए मुकदमे को जारी रखना निहित अधिकार की प्रकृति का है और ऐसे निहित अधिकार को केवल तभी छीना जा सकता है, जब इस प्रकार छीने जाने का स्पष्ट आशय (विधानमण्डल द्वारा) व्यक्त किया गया हो। न्यायमूर्ति ने **कालोनियल शुगर रिफाइनिंग कं० बनाम इरविंग**[2] वाले मामले का दृढ़ अवलम्ब लिया था और यह कहा था कि उसमें व्यक्त की गई मताभिव्यक्ति अनिवार्यतः उसमें अन्तर्वलित बहुमूल्य अधिकार को मान्यता देती है कि विचारण कार्यवाहियां सम्यक् अनुक्रम में की जानी चाहिए और उसे उसी अधिकरण द्वारा निपटाया जाना चाहिए, जिसके समक्ष यह आरम्भ किया गया था। माननीय न्यायाधीश ने कहा :—

> "....जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि सही स्थिति यह नहीं है कि क्या लम्बित कार्यवाहियों को जारी करने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अभिव्यक्त उपबंध है बल्कि यह कि क्या लम्बित कार्यवाहियों के जारी रखने के विरुद्ध कोई स्पष्ट आशय (विधानमण्डल द्वारा) व्यक्त किया गया है ?"

इन्दरमल लोनिया बनाम **अधीनस्थ न्यायाधीश, सिकन्दराबाद और अन्य**[3] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था :—

---

[1] ए० आई० आर० 1943 फैड्रल कोर्ट 24.

[2] 1905 ए० सी० 369.

[3] ए० आई० आर० 1958 आन्ध्र प्रदेश 779.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"यह सुस्थिर है कि विधि में संशोधन के होते हुए भी जब तक कि अभिव्यक्त रूप से ऐसा उपबंध न किया गया हो, कोई न्यायालय अपने आपको किसी लम्बित मामले की अधिकारिता से निर्निहित नहीं कर सकता ।"

पैनूमँचा नीलाकांतेश्वारजू और अन्य बनाम **जद्दू मंगम्मा और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था :—

"निहित अधिकारिता को तब तक निर्निहित नहीं किया जा सकता, जब तक कि विधानमण्डल ने अभिव्यक्ततः या अनिवार्य आशय द्वारा अन्यथा निदिष्ट न किया हो ।"

वह मामला आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र क्षेत्र) एस्टेट एक्ट की धारा 56(1) की वास्तविक परिधि और प्रभाव से सम्बन्धित था । वह धारा इस प्रकार है :—

*"जहां किसी सम्पदा के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् (क) क्या किसी फसली वर्ष के लिए किसी रैयत से देय किराया बकाया है ? (ख) किराए की कितनी रकम बकाया है; (ग) किसी धृति के संबंध में विधिपूर्ण रैयत कौन है, के सम्बन्ध में विवाद होने पर बन्दोबस्त अधिकारी निपटारा करेगा ।"

पूर्ण न्यायपीठ ने यह मत अभिव्यक्त किया था :—

"···धारा 56(1) का अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से यह अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता कि उस उपधारा में विनिर्दिष्ट मामलों को पहले से ही अभिगृहीत करने वाले प्राधिकारियों को उनके न्यायनिर्णयन से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है ।"

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"Where after an estate is notified, a dispute arises as to (a) whether any rent due from a ryot for any fasli year is in arrear or (b) what amount of rent is in arrear or (c) who the lawful ryot in respect of any holding is, the dispute shall be decided by the Settlement Officer."

---

[1] ए० आई० आर० 1970 आन्ध्र प्रदेश 1.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह मत भी अभिव्यक्त किया गया कि :—

> "...इसका उद्भव कुछ भी हो, उपधारणा इसी पक्ष की है कि न्यायालयों में निहित अधिकारिता उन्हीं में बनी रहेगी। कतिपय मामलों में नये अधिकरणों को अधिकारिता सौंपने से केवल यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विधानमण्डल का आशय वरिष्ठ न्यायालय को उन्हीं मामलों के सम्बन्ध में पहले से ही प्राप्त अधिकारिता से वंचित करना है।"

मैक्सवैल ने कानूनों का अर्थान्वियन, (12वां संस्करण के पृष्ठ 155 पर यह कहा है) :—

> "इस तथ्य का कि एक प्राधिकरण को अधिकारिता प्रदत्त की गई है, अनिवार्य तात्पर्य यह नहीं होता कि उस मामले में दूसरे द्वारा धारित अधिकारिता छीन ली गई है।"

एम्परर बनाम **सैय्यद सज्जाद हुसैन**[1] वाले मामले में विचारण स्थानापन्न जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरंभ किया गया था, लेकिन विचारण का समापन उसके द्वारा तब किया गया था जब वह जिला मजिस्ट्रेट नहीं रह गया था किन्तु वह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बना रहा था। यह प्रश्न उठाया गया कि जिला मजिस्ट्रेट के रूप में न रहने पर क्या उन्हें विचारण को जारी रखने की अधिकारिता रह गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचारण को समाप्ति तक जारी रखने की मजिस्ट्रेट की अधिकारिता थी। यह द्रष्टव्य है कि मामला ऐसी प्रकृति का था कि विशिष्ट मजिस्ट्रेट (श्री लोमाज) को ही जिला मजिस्ट्रेट बनने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट बनने के बाद तथा जिला मजिस्ट्रेट न रहने पर उसकी सुनवाई करने तथा उसका अवधारण करने की अधिकारिता थी। केवल इस तथ्य से कि जब उन्होंने विचारण आरम्भ किया था, वे जिला मजिस्ट्रेट थे, उनके जिले के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में प्रत्यावर्तित हो जाने पर विचार जारी रखने से निवारित नहीं हो जाते। (कृपया **क्वीन एम्प्रेस** बनाम **श्री आहो बाला मातम जियर**[2] भी देखिए)। इसलिए अधिष्ठायी पद और मामले की प्रकृति न कि पदनाम अधिकारिता का अवधारण करती है। **मुसम्मात मिथारी बनाम एम्परर**[3] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया

---

[1] IV क्रिमिनल लॉ जर्नल रिपोर्ट्स 140.

[2] इंडियन लॉ रिपोर्ट्स XXII मद्रास 47.

[3] XIII क्रिमिनल लॉ जर्नल रिपोर्ट्स 203.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

था कि किसी जिले के मजिस्ट्रेट को सौंपे गए मामले स्वत: ही स्थानीय क्षेत्र में उसके उत्तरवर्ती को अंतरित नहीं हो जाते, यदि पूर्ववर्ती का उसी जिले के किसी दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण हो गया है। **बलवंत और एक अन्य** बनाम **किशन**[1] वाले मामले में यह प्रश्न उद्भूत हुआ कि क्या उप-कलक्टर की किसी मामले में अधिकारिता समाप्त हो गई है? यह मत व्यक्त किया गया कि किसी विशिष्ट जिले में ऐसे कई अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं और जिले में किसी अधिकारी द्वारा उप-कलक्टर के रूप में कार्यभार संभालने से अनिवार्यत: यह परिणाम नहीं निकलेगा कि उस उप-कलक्टर की, जो उस जिले में मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा था, उस जिले में अधिकारिता समाप्त हो गई है। विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रत्येक अधिकारी की, उस क्षेत्र में अधिकारिता उसको नियुक्त करने वाली सरकार के आदेशों पर निर्भर करती है। **प्यारे लाल** बनाम **पंजाब राज्य**[2] (उपरि) वाले मामले में उत्तरवर्ती विशेष न्यायाधीश ने मामले का विचारण वहां से आगे किया था, जहां कि उसका पूर्ववर्ती छोड़ गया था। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया कि :—

> "विचारण से विधि के इस मूलभूत सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है कि अभियुक्त का यह अधिकार है कि उसके मामले का विनिश्चय उसी न्यायाधीश द्वारा किया जाए, जिसने इसकी पूरी तरह से सुनवाई की हो। इस सिद्धान्त की संहिता द्वारा स्वीकृति इस तथ्य से स्पष्टत: व्यक्त होती है कि संहिता की धारा 350 में इस अपवाद को सम्मिलित किया गया है।"

यह भी मत व्यक्त किया गया कि :—

> "विधि के इस सामान्य सिद्धान्त के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले का विनिश्चय केवल उसके द्वारा लिए गए साक्ष्य के आधार पर ही करेगा। धारा 350 इस सिद्धान्त से कानूनी विचलन है।"

16. उत्तरवर्ती न्यायाधीश को उस स्तर से, जिस पर उसके पूर्ववर्ती द्वारा विचारण छोड़ा गया है, आगे कार्यवाही करने के लिए सक्षम बनाने के लिए धारा 326 के उपबंधों को लागू किए जाने के लिए दो शर्तें अवश्य पूरी होनी

---

[1] इंडियन लॉ रिपोर्ट्स जिल्द XIX इलाहाबाद 1140.
[2] ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 690.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चाहिएं—(i) पहले न्यायधीश ने सुनवाई की हो और साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः अभिलिखित किया हो, और (ii) वह मामले में अधिकारिता का प्रयोग न कर सकता हो। संहिता की धारा 326 की उपधारा (1) में अभिव्यक्त "उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता" जांच या विचारण में अधिकारिता की समाप्ति की ओर न कि अधिकारी के पदनाम की ओर इशारा करता है और धारा 326 की उपधारा (1) में आने वाले "और अन्य मजिस्ट्रेट, जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है" जांच या विचारण में अधिकारिता को निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार यदि कोई न्यायाधीश एक विशिष्ट पदनाम अर्थात् अपर सेशन न्यायाधीश सं० II हो, और बाद में जिसे अपर-सेशन न्यायाधीश सं० I का पदनाम प्रदत्त कर दिया गया हो और वह न्यायाधीश, जो अपर सेशन न्यायाधीश सं० II के रूप में उसका उत्तराधिकारी बन जाता है अपने पूर्ववर्ती द्वारा आरंभ किए गए विचारण को जारी नहीं रख सकेगा, जब तक कि विचारण में पूर्ववर्ती की अधिकारिता समाप्त नहीं हो जाती और उत्तरवर्ती को विचारण की ऐसी अधिकारिता प्राप्त नहीं हो जाती। इस प्रकार "उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता" शब्दों का तात्पर्य यह है कि "भागतः सुने गए विचारण को जारी रखने की अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता" और "जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है" शब्दों का तात्पर्य "जिसे ऐसे मामलों के विचारण की अधिकारिता है और जो ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करता है"। तब वह अपने पद-पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्यवाही या भागतः अपने पूर्ववर्ती और भागतः स्वयं द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्यवाही करेगा। धारा 326 की उपधारा (2) में इस स्थिति को और भी स्पष्ट किया गया है। यह उस ढंग के प्रति निर्देश करती है, जिसके अनुसार यह समझा जा सकता है कि कोई न्यायाधीश किसी जांच या विचारण में अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता। वह ढंग मामले को एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को अंतरित करना है। यह आदेश द्वारा किया जाना होता है। जब तक कि इस प्रभाव के आदेश, चाहे प्रशासनिक हों या न्यायिक, पारित नहीं किये जाते, तब तक जिसने मामला अभिगृहीत किया है, उसके लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता। मामले के संबंध में अंतरण आदेश देने होंगे। वह सामान्य या विशेष आदेश हो सकता है।

17. धारा 326 भागतः सुने गए मामलों के संबंध में है और न्यायाधीशों की शक्तियों और उनमें उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार उस

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रक्रिया के संबंध में उपबंध करती है, जो उनके संबंध में अपनाई जानी है। किसी भागतः सुने गए जांच या विचारण में उस अवस्था तक पहुंचना है, जहां तक किसी न्यायाधीश ने सुनवाई की है और उसमें के सम्पूर्ण साक्ष्य को या उसके किसी भाग को अभिलिखित किया है और उसके पश्चात् यदि न्यायाधीश अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता और कोई दूसरा न्यायाधीश उसका उत्तरवर्ती बन जाता है, जिसे ऐसी अधिकारिता है या ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करेगा, अर्थात् विचारण को जारी रखने की अधिकारिता है। वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है या स्वयं साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है और फिर विचारण को समाप्त कर सकता है। इस संबंध में यदि उत्तरवर्ती न्यायाधीश यह आवश्यक समझता है कि उसे साक्षियों को या उनमें से किसी को पुनः समन करना चाहिए तो वह ऐसा कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा के, जैसी कि वह अनुज्ञात करे, पश्चात् साक्षी या साक्षियों को छोड़ा जा सकता है।

18. इस प्रकार, पहला प्रश्न यह है कि कब और कैसे किसी न्यायाधीश की, जिसने किसी विशिष्ट विचारण को आरम्भ किया था, अधिकारिता समाप्त हो जाती है, और दूसरा यह है कि कब और कैसे उसका उत्तरवर्ती, जिस पद का अर्थ है कि जो उसका स्थान लेता है या जो उसकी स्थिति में आ जाता है, पहले न्यायाधीश द्वारा आरंभ किए गए मामले के विचारण की अधिकारिता ग्रहण कर लेता है। किसी न्यायाधीश द्वारा आरंभ किए गए विचारण को उत्तरवर्ती द्वारा जारी रखने की अनुज्ञा देने के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि एक के कर्तव्यों को दूसरे को अंतरित कर दिया गया हो। यह सामान्य या विशेष प्रकृति के आदेश द्वारा या मामले की परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। जैसा कि पहले मत व्यक्त किया गया है, पुरानी संहिता के उपबंधों के अनुसार जब किसी सेशन न्यायाधीश का स्थानांतरण एक सेशन खण्ड से दूसरे सेशन खण्ड में हो जाता था, उसको वापस आकर उस मामले को, जिसे उसने आरंभ किया था, समाप्त करना पड़ता था। धारा 326 के उपबंधों में इस प्रक्रिया को छोड़ दिया गया है। परन्तु उस दशा में जबकि किसी न्यायाधीश ने विचारण आरंभ किया था और वह सेशन न्यायाधीश के रूप में उसी सेशन खण्ड में मौजूद है, धारा में इसके विपरीत संकेत नहीं किया गया है।

> "किसी भी कानून के इस प्रकार के अर्थान्वयन के, जो किसी वरिष्ठ न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त कर देता है या उसे निर्बंधित कर देता है, प्रति सशक्त विरोध विद्यमान है।...यह सुविदित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नियम है कि किसी स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा के अभाव में किसी कानून का निर्वचन इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए जो किसी न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव डालने वाला हो और यह विधि की वर्तमान स्थिति को अस्त-व्यस्त करने या नागरिक को न्यायालय तक पहुंचने से वंचित करता हो।"

(मैक्सवेल द्वारा लिखित इन्टरप्रिटेशन ऑव स्टेट्यूट्स के 12वें संस्करण का पृष्ठ 153 देखिए)

यह प्रत्येक अभियुक्त का अधिकार है कि उसके मामले का विनिश्चय उसी न्यायाधीश द्वारा किया जाए, जिसने सुनवाई की है तथा साक्ष्य अभिलिखित किए हैं। इस प्रकार जब तक कि प्रथम न्यायाधीश की विचारण को जारी रखने की अधिकारिता, इस प्रभाव के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश द्वारा या किसी कानूनी उपबंध में अभिव्यक्त या आवश्यक विवक्षा द्वारा, छीनी नहीं जाती, न्यायाधीश को भागतः सुने गए विचारण को जारी रखने की अधिकारिता होगी और केवल इस बात से कि उसका पदनाम बदल गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह इससे निर्निहित हो गया है। अगर यह सही नियम न हो तो अपर सेशन न्यायाधीशों के पदनामों में निरंतर परिवर्तन से भागतः सुने गए मामलों के विचारण के लिए न्यायाधीश भी लगातार बदलते रहेंगे, जो कि धारा 326 के उपबंधों के पीछे विधानमण्डल का आशय प्रतीत नहीं होता है।

19. अधिकारिता की समाप्ति :—

(i) प्राकृतिक कारणों से;

(ii) सेशन खण्ड से न्यायाधीशों के स्थानांतरण से;

(iii) न्यायाधीश के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा;

(iv) मामले के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश से;

(v) न्यायिक आदेश द्वारा मामले के अंतरण से हो सकती है।

प्राकृतिक कारणों में न्यायाधीश की मृत्यु या सेवानिवृत्ति या ऐसे ही कारण हो सकते हैं। सेशन खण्ड के बाहर स्थानांतरण होने से, जिस सेशन खण्ड से न्यायाधीश स्थानांतरित होता है, उसमें सेशन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा और तदनुसार जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, जैसा कि धारा 326 में अनुध्यात है कि वह उसके द्वारा आरंभ किए गए विचारण में अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकेगा। किसी न्यायाधीश के संबंध में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सामान्य या विशेष आदेशों में संहिता के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रदत्त किया जाना या प्रत्याहरण किया जाना सम्मिलित होगा। मामलों के संबंध में सामान्य या विशेष आदेशों में सेशन न्यायाधीश द्वारा किसी न्यायाधीश को मामला सौंपने या उसे वापस लेने या मामलों के विचारण के संबंध में निर्देश करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सम्मिलित हो सकेंगे। यह संहिता की धारा 194 और 381 में अनुध्यात है। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 407 के तथा सेशन न्यायाधीश द्वारा धारा 408 और 409 के अधीन पारित आदेश न्यायिक आदेशों के अंतर्गत आएंगे। धारा 409 सेशन न्यायाधीश को भागतः सुने गए मामलों को वापस लेने या अन्तरण से प्रतिषिद्ध करती है। 1971 के दाण्डिक प्रकीर्ण मामला सं० 747 में और 1972 के दाण्डिक प्रकीर्ण मामला सं० 3318 के दिनांक 17-9-1974 वाले निर्दिष्ट मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वह पुरानी संहिता की धारा 528 की उपधारा (1-ग), जो कि संहिता की धारा 408 की तत्स्थानी है, के अधीन ऐसा नहीं कर सकता था यद्यपि अपर सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश के पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण के अधीन दण्ड न्यायालय था। धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय को अनियंत्रित शक्तियां प्राप्त हैं। 1982 के दाण्डिक प्रकीर्ण अंतरण आवेदन सं० 2015 तथा 1982 के 4779 में श्री पालक वसु ने निवेदन किया कि धारा 194 के अधीन प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग केवल तब किया जा सकता है, जबकि मामले की सुनवाई किसी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा भागतः नहीं की गई हो और उसके बाद नहीं, क्योंकि यह धारा कार्यवाहियों के आरंभ करने के संबंध में है। इस प्रकार, न तो सेशन न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय का प्रशासनिक पक्ष कार्यवाहियों के आरम्भ होने के पश्चात् किसी न्यायाधीश के पास से मामले को प्रत्याहृत करने तथा उसे किसी दूसरे न्यायाधीश को सौंपने के लिए आदेश पारित कर सकता है। धारा 194 अध्याय XIV में है, जो कार्यवाहियों को आरंभ करने संबंधी शर्तों की बाबत है। न्यायाधीश की विचारण करने की शक्ति के प्रति निर्देश करने की शर्त उसे मामला सौंपने के साथ पूरी हो जाती है। जिसके अभाव में वह उसका विचारण करने में सक्षम न होता, लेकिन शक्ति के प्रयोग के आदेश की शर्त का अर्थान्वयन इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि यह किसी प्राधिकारी की कार्यवाही आरंभ करने के संबंध में पारित आदेश को वापस लेने की शक्ति पर नियंत्रण लगाए। जब तक कि उस शक्ति पर नियंत्रण न लगाया गया हो, वह किसी न्यायाधीश से मामला वापस ले सकता है। विवाद यह है कि प्रशासनिक रूप से सेशन न्यायाधीश को मामले के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रत्याहरण या अंतरण का अधिकार नहीं है। और उच्च न्यायालय भी ऐसा केवल न्यायिक आदेश द्वारा न कि प्रशासनिक आदेश द्वारा कर सकता है। **पी० श्रीधर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले का अवलम्ब लिया गया है। वह मामला प्रभेद्य है। उस मामले में उप-रजिस्ट्रार ने भागतः सुने गए मामले में निर्देश जारी किए थे और उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। **राहुल शर्मा** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 194 के अधीन उच्च न्यायालय भागतः सुने गए मामले के संबंध में प्रशासनिक निर्देश दे सकता है। प्रशासनिक और न्यायिक पक्ष में इसका प्रवर्तन भिन्न-भिन्न है। एक हालत में प्रशासनिक परिस्थिति का मुकाबला करना होगा। आदेश प्रशासनिक आधार पर पारित किए जाते हैं। दूसरी दशा में, विचारण में ऋजुता, कानूनी समस्या का समाधान, न्याय दिलाने के औचित्य के विविध आधार ऐसी बातें हैं, जिन पर विचार किया जाना है। प्रशासनिक आदेश, चाहे सामान्य हों या विशेष सामूहिक रूप से मामलों के संबंध में हो सकते हैं जबकि न्यायिक आदेश प्रत्येक मामले में पारित करने होते हैं। मामलों के विचारण के संबंध में उच्च न्यायालय की धारा 194 के अधीन निर्देश देने की शक्तियों का अर्थान्वयन सीमित रूप से नहीं किया जाना है। यह धारा काम के बंटवारे और अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय के सम्पूर्ण नियंत्रण के संबंध में है। यह भी द्रष्टव्य है कि यह धारा सेशन न्यायाधीश द्वारा आबंटित या उच्च न्यायालय के निर्देश के अधीन किसी मामले के विचारण के संबंध में अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियों के बारे में है। यह धारा सेशन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या इस बारे में उनकी शक्तियों से संबंधित जारी किए जाने वाले सामान्य या विशेष आदेशों से संबंधित नहीं है। उच्च न्यायालय की आरम्भ की जाने वाली या पहले से आरम्भ की गई कार्यवाहियों के संबंध में निर्देश देने की शक्ति को सीमित करना उन पर उसके प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावित करेगा, जो न्यायाधीशों के अंतरण और तैनाती या विशेष शक्तियों को प्रदत्त करना या उनको वापस लेना या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का इसी प्रकार की बातों के लिए निर्देश देने की आवश्यकता हो सकती है। "....विशेष आदेश द्वारा विचारण के लिए आदेश दे सकता है" शब्द कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर उच्च न्यायालयों

---

[1] 1976 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1861.

[2] 1978 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1276.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को सक्षम बनाने के लिए व्यापक प्रतीत होते हैं। सेशन न्यायाधीश द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश को मामले को प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण वापस लेना या उसे किसी दूसरे न्यायाधीश को आवंटित करना इस धारा की परिधि से बाहर नहीं है। देखिए **एम्परर** बनाम **बिरजू मारवाड़ी और अन्य**[1] जिसमें सामान्य सिद्धांत पर विचार किया गया था और यह कथन किया गया था :—

> "...हमें दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे यह इंगित होता हो कि पहले से की गई व्यवस्था, जो कि सेशन न्यायालय के कार्य से सुविधापूर्वक निपटाए जाने के लिए की गई हो, के फलस्वरूप गोरखपुर के सेशन न्यायाधीश की इस अपील के संबंध में अधिकारिता समाप्त कर दी गई थी।"

किसी सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित विशिष्ट सामान्य या विशेष आदेश विधि के अनुसार है अथवा नहीं—यह एक अलग बात है।

20. एक अपर सेशन न्यायाधीश से दूसरे अपर सेशन न्यायाधीश को मामले को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति के प्रश्न पर, एक अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल, श्री केशव सहाय ने यह संयाचना की कि धारा 408 में प्रयुक्त "दाण्डिक न्यायालय" शब्दों के अन्तर्गत अपर सेशन न्यायाधीश नहीं आता, इसलिए यह उपबंध किसी अपर सेशन न्यायाधीश को लागू नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ज्ञानचंद और अन्य (1971 की दाण्डिक प्रकीर्ण अंतरण आवेदन सं० 747) और राज्य बनाम ज्ञानचद (1972 की दाण्डिक प्रकीर्ण अंतरण आवेदन सं० 3318) के प्रति निर्देश में खण्ड न्यायपीठ ने अपने दिनांक 17-9-1974 वाले आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया था कि अपर सेशन न्यायाधीश दण्ड न्यायालय है और धारा 408 के उपबंधों के अध्यधीन आता है। उस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश को किसी भागतः सुने गए सेशन विचारण को एक अपर सेशन न्यायाधीश से दूसरे को अंतरित करने का अधिकार नहीं है। अपने वर्तमान ज्ञानानुसार, हम इस विचार से ससम्मान सहमत हैं। चूंकि वर्तमान मामले में यह प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, हम उस प्रश्न पर विचार करने और उस पर अपने मत व्यक्त करने से विरत रहते हैं।

21. एक न्यायाधीश के पास दो प्रकार के भागतः सुने गए मामले हो सकते हैं : (i) जहां पर न्यायाधीश ने आरोप विरचित किए थे, लेकिन साक्ष्य

---

[1] आई० एल० आर० 44 इलाहाबाद 157.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिलिखित नहीं किए थे; और (ii) जहां पर न्यायाधीश ने पूर्णतः या भागतः सुनवाई की थी और साक्ष्य अभिलिखित किया था और ऊपर निर्देशित ढंगों के अनुसार उसकी विचारण की अधिकारिता समाप्त नहीं हो गई हो। प्रथम श्रेणी के मामलों में धारा 326 अक्षरशः लागू नहीं की जा सकती और उस न्यायाधीश का पद-उत्तरवर्ती अपने पूर्ववर्ती द्वारा, जिस प्रक्रम पर मामले को छोड़ा गया था वहां से उसकी सुनवाई करने का हकदार नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही वह न्यायाधीश, जिसके पास मामला था और जिसने कार्यवाहियां आरम्भ की थीं और आरोप विरचित किए थे, वह कार्यवाहियां जारी रखने का हकदार हो गया था, क्योंकि उसकी मामले को चलाने संबंधी अधिकारिता का पर्यवसान नहीं हुआ था। ऊपर वर्णित द्वितीय प्रवर्ग में न्यायाधीश अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा और ऊपर किए गए विचार-विमर्श की रोशनी में उसे विधि के अनुसार निपटाएगा।

22. बताए गए कारणों से दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन संख्या 2462/1982, 4811/1982, 4955/1982, 5046/1982, 5442/1982 और 5443/1982, जिनके द्वारा मामलों को उस सेशन न्यायाधीश के पास, जिसने कार्यवाहियां आरम्भ की थीं और मामले में, जिसकी अधिकारिता समाप्त नहीं हो गई थी, अंतरण चाहा गया है, स्वीकार करने योग्य हैं, जबकि दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन संख्या 2015/1982 और 4779/1982 में उस अपर सेशन न्यायाधीश के पास अंतरण चाहा गया है, जिसने केवल आरोप विरचित किए थे और जिसकी अधिकारिता उच्च न्यायालय ने उस प्रशासनिक आदेश द्वारा, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि दूसरे अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा मामले का विचारण किया जाए, अस्वीकार किए जाते हैं।

23. क्रिमिनल प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 2462/1982, 4811/1982, 4955/1982, 5046/1982, 5442/1982 और 5443/1982 मंजूर किए जाते हैं। 1974 का सेशन विचारण सं० 1 (राज्य **बनाम** मूलचन्द्र) को X अपर सेशन न्यायाधीश से श्री पी० सी० अग्रवाल, VII अपर सेशन न्यायाधीश को अन्तरित किया जाता है। 1979 के सेशन विचारण सं० 184 (राज्य **बनाम** अस्तफा और अन्य) और इससे संसक्त 1982 का सेशन विचारण सं० 16 (राज्य **बनाम** अब्दुल रशीद) श्री वी० के० सरकार, VI अपर सेशन न्यायाधीश के अंतरित किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। 1980 के सेशन विचारण सं० 378 (राज्य **बनाम** भोला नाथ और एक अन्य), 1980 के 998 (राज्य **बनाम** सर्वेश कुमार उर्फ पप्पू और अन्य), 1980 के 487 (राज्य बनाम मुन्नी लाल और अन्य) और 1980 का 438 (राज्य बनाम दया शंकर और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अन्य) श्री बी० पी० सिंह, I अपर सेशन न्यायाधीश से श्री के० सी० भार्गव, II अपर सेशन न्यायाधीश को अन्तरित किए जाएंगे।

24. दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 2015/1982 और 4779/1982 खारिज किए जाते हैं।

25. इस न्यायपीठ को निर्दिष्ट प्रश्न दाण्डिक प्रकीर्ण अन्तरण आवेदन सं० 5242/1982 और 5671/1982 से अन्तर्ग्रस्त नहीं है। इन दोनों मामलों को समुचित न्यायपीठ के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

न्या० पी० एन० बक्शी :

मैं सहमत हूं।

निर्देश का उत्तर दिया गया।

खन्ना/ब्रह्म

नि० प० 1983 : इलाहाबाद—469

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम **श्रीमती गीता देवी**

(U. P. State Road Transport Corporation *Vs*. Smt. Geeta Devi)

तारीख 4 नवम्बर, 1982

[**न्या० के० सी० अग्रवाल तथा न्या० ओ० पी० सक्सेना**]

मोटरयान अधिनियम, 1939, धारा 110-घ सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 धारा 96—उक्त धारा 110-घ के अधीन अपील संहिता की धारा 96 के अधीन अपील के समान है, क्योंकि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी कानून द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि अपील पहले से ही स्थापित न्यायालय को होगी, तो वह अपील उक्त न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा विनियमित होनी चाहिए। अतः ऐसी अपील में उच्च न्यायालय साक्ष्य पर विचार करने और उसमें विनिश्चयार्थ उद्भूत विभिन्न संविवादों पर अपने निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 96 सपठित मोटरयान अधिनियम, 1939, धारा 110-घ—उक्त धारा 110-घ के अधीन अपील संहिता की धारा 96 के अधीन अपील के समान है, क्योंकि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि [जब किसी कानून द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि अपील

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पहले से ही स्थापित न्यायालय को होगी, तो वह अपील उक्त न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा विनियमित होनी चाहिए। अतः ऐसी अपील में उच्च न्यायालय साक्ष्य पर विचार करने और उसमें विनिश्चयार्थ उद्भूत विभिन्न संविवादों पर अपने निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है।

3. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 151—उक्त धारा ऐसी अन्तर्निहित शास्ति को संरक्षित करती है, जिसके प्रयोग की अपेक्षा न्यायालय से न्याय के हित में की जाती है। अतः यह न्यायालयों का प्रथम और परम कर्तव्य है कि वे इस बात की सावधानी बरतें कि न्यायालय के कार्य से किसी भी पक्षकार को कोई रिष्टि न हो, अतः यदि किसी दुर्घटना के कारण न्यायालय का अभिलेख खो जाता है, अथवा आग से नष्ट हो जाता है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उसको फिर से तैयार करे, ताकि उसके आधार पर पक्षकारों के बीच न्याय किया जा सके।

प्रत्यर्थी सं० 1 का पति और प्रत्यर्थी सं० 2 और 3 के पिता की मृत्यु दुर्घटना के कारण हो गई। दुर्घटना अपीलार्थी की बस से हुई थी, जिसमें मृतक की मोटर-साइकिल दूर जा गिरी और उसे गम्भीर चोटें आईं, जिनसे उसकी मृत्यु हो गई। अभिकथन यह था कि बस का चालक बस को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में चला रहा था। मोटरयान अधिनियम की धारा 110-क के अधीन प्रतिकर के दावे का विरोध अपीलार्थी ने इस अभिकथन के साथ किया कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति शराब पिये हुए था, फलतः उसका मोटर-साइकिल पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया था, जिसे वह सड़क के बीच में चला रहा था और बस के चालक द्वारा भरसक प्रयत्न किए जाने के बावजूद दुर्घटना टाली नहीं जा सकती। अतः मृत व्यक्ति दुर्घटना के लिए स्वयं उत्तरदायी था, इसलिए उसके उत्तराधिकारी अर्थात् प्रत्यर्थियों को प्रतिकर प्राप्त करने का कोई हक नहीं था। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दावा अधिकरण ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :

1. क्या दावेदार पिटीशनर प्रतिकर, यदि कोई हो, प्राप्त करने के विधिपूर्ण रूप से हकदार हैं ?

2. क्या गाड़ी सं० यू० पी० जैड० 4537 का चालक बस को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चला रहा था ?

3. क्या मृतक मोटर साइकिल को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चला रहा था ?

4. दावेदार पिटीशनर प्रतिकर की कितनी रकम के हकदार हैं ?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दावा अधिकरण ने दावा स्वीकार करते हुए 75,000 रु० प्रतिकर की राशि अधिनिर्णीत की। उच्च न्यायालय में अपील पर स्थिति यह पैदा हुई कि जिला न्यायालय की रिपोर्ट के अनुसार मामले का सम्पूर्ण अभिलेख आग के कारण नष्ट हो गया था। अतः साक्ष्य पर विचार करने और विभिन्न विवाद्यकों पर निष्कर्ष निकालने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री नहीं रही। प्रश्न यह उठा कि मोटरयान अधिनियम की धारा 110-घ के अधीन अपील में उच्च न्यायालय (1) क्या तथ्य के प्रश्नों पर विचार करके स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल सकता है ? (2) क्या न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन नष्ट हो गए अभिलेख के पुनर्गठन हेतु आदेश कर सकता है ?

अभिनिर्धारित—मामला प्रतिप्रेषित किया गया।

मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 110-घ के अधीन, जिसके अधीन यह अपील फाइल की गई है, इस न्यायालय को तथ्य के प्रश्नों पर विचार करने और उन पर निकाले गए निष्कर्षों की शुद्धता पर स्वयं विचार करने की अधिकारिता प्राप्त है। यह उस अपील के समान है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन फाइलकी जाती है। मोटरयान अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपीलों में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति अधिकथित की गई हो। इस संबंध में सुस्थापित विधि यह है कि यदि विशेष अधिनियम अपील न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की बाबत मौन है, तो अपीली अधिकारिता का प्रयोग उसी रीति में किया जाएगा, जिसमें उच्च न्यायालय अपनी साधारण अपीली अधिकारिता का प्रयोग करता है और इस प्रकार फाइल की गई अपील उच्च न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होनी चाहिए। यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी कानून द्वारा यह निदेश किया जाता है कि अपील पहले से ही स्थापित न्यायालय को होगी, तो वह अपील उक्त न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा विनियमित होनी चाहिए। (पैरा 8)

ऐसी स्थिति में मोटरयान अधिनियम की धारा 110-घ के अधीन अपील ऐसी अपील के समतुल्य है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन फाइल की जाती है। ऐसी अपील में उच्च न्यायालय साक्ष्य पर विचार करने और उसमें विनिश्चयार्थ उद्भूत विभिन्न संविवादों पर अपने निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है। (पैरा 9)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 ऐसी अंतर्निहित शक्ति को संरक्षित करती है, जिसके प्रयोग की अपेक्षा साधारण अधिकारिता

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के न्यायालय से न्याय के हित में की जाती है। अंतर्निहित शक्ति न्यायालय को प्रदत्त नहीं की गई है बल्कि यह वह शक्ति है जो न्यायालय में इसलिए अंतर्निहित होती है कि वह अपने समक्ष पक्षकारों के बीच न्याय करने के अपने कर्तव्य का पालन कर सके। (पैरा 11)

यह भी उल्लेखनीय है कि यह न्यायालयों का प्रथम और परम कर्तव्य है कि वे इस बात की सावधानी बरतें कि न्यायालय के कार्य से मुकदमा लड़ने वाले किसी पक्षकार को कोई रिष्टि न हो। तदनुसार, यदि किसी दुर्घटना के कारण न्यायालय का अभिलेख खो जाता है, अथवा आग से नष्ट हो जाता है तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उसका पुनर्गठन करे ताकि उसके आधार पर पक्षकारों के बीच न्याय किया जा सके। (पैरा 12)

उपर्युक्त से यह सिद्धांत निकलता है कि अपनी अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करने में न्यायालय को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उसका विनिश्चय विधिमान्य साधारण सिद्धांतों पर आधारित हो और यदि किसी विशिष्ट विषय के सम्बन्ध में कोई विनिर्दिष्ट उपबन्ध न हो तो न्याय के हित में अपनाए जाने वाले मार्ग के सम्बन्ध में यह समझा जाना चाहिए कि वह प्रतिषिद्ध या विवर्जित नहीं है। (पैरा 14)

प्रस्तुत मामले में न्याय का हित यह अपेक्षा करता है कि अभिलेख का पुनर्गठन किया जाए ताकि पक्षकारों के अधिकारों के सम्बन्ध में उसके आधार पर विनिश्चय किया जा सके।

		पैरा
[1955]	ए० आई० आर० 1955 एन० यू० सी० 3823 : डब्ल्यू मनराव **बनाम** मजबूर सिंह (W. Manrao *Vs.* Majbur Singh);	16
[1923]	ए० आई० आर० 1923 मद्रास 647 : मरक्करूटी **बनाम** वीरनकुट्टी (Marakkarutti *Vs.* Veerankutty)	16
	से सहमति प्रकट की गई।	
[1962]	ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 527 : मनोहर लाल **बनाम** सेठ हीरा लाल (Manoharlal *Vs.* Seth Hira Lal);	11

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1957] आई० एल० आर० 1957 आन्ध्र प्रदेश 739 : कटम अचुयागमैया **बनाम** रिक्की नागभूषणम (Katam Achutharamayya *Vs.* Rikki Nagabhushanam); 17

[1913] 1933 ए० सी० 549 : नेशनल टेलीफोन कम्पनी लि० एण्ड हिज मैजेस्टीज पोस्टमास्टर जनरल (National Telephone Company Limited and his Majesty's Postmaster General); 8

आई० एल० आर० इलाहाबाद 163 (पूर्ण न्यायपीठ) : नरसिंह दास **बनाम** मंगल दूबे (Narsingh Das *Vs.* Mangal Dubey); 13

97 इंगलिश रिपोर्ट्स 523 : डगलश **बनाम** यालोप (Douglass *Vs.* Yallop); 16

(1867) 7 डब्ल्यू० आर० 18 : बाबू गुरु दयाल सिंह **बनाम** दरबेरी लाल तिवारी (Babu Guru Dayal Singh *Vs.* Durberee Lal Tewaree); 16

(1845) 42 अमेरिकन डीस केसिज 640 : मैकलंडन **बनाम** जैन्स (MC London *Vs.* Jaines); 18

का अवलम्ब किया गया।

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 1975 की प्रथम अपील सं० 192.

1972 के मोटर दुर्घटना दावा सं० 29 में इलाहाबाद के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील।

अपीलार्थी की ओर से ... श्री एस० के० शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से ... सर्वश्री एस० के० सिंह और ए० पी० सिंह

न्यायालय का निर्णय न्या० के० सी० अग्रवाल ने दिया।

न्या० अग्रवाल :

मोटर यान अधिनियम की धारा 110-घ के अधीन यह अपील उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ द्वारा इलाहाबाद के मोटर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा तारीख 27 जनवरी, 1975 को किए गए अधिनिर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है।

2. उक्त अधिनिर्णय एक दुर्घटना के संबंध में प्रतिकर के लिए प्रत्यर्थी सं० 1 से 3 द्वारा किए गए दावे की बाबत था, जिसमें प्रत्यर्थी सं० 1 का पति और प्रत्यर्थी सं० 2 और 3 के पिता विद्यासागर द्विवेदी की मृत्यु तारीख 11 अक्तूबर, 1971 को हो गई। ये अभिकथन किए गए कि रात्रि के लगभग 9 बजे, जब विद्यासागर द्विवेदी ग्राम रामनगर के निकट मोटर साइकिल चला रहे थे तो रोडवेज बस सं० यू० पी० जेड० 4537 के चालक ने उन्हें टक्कर दी, जिसके परिणामस्वरूप विद्यासागर द्विवेदी मोटर साइकिल से दूर जा गिरे और उन्हें गम्भीर चोटें आई, जिनके कारण उनकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। प्रत्यर्थी सं० 1 से 3 द्वारा यह अभिकथन किया गया कि दुर्घटना रोडवेज बस के चालक रुद्र प्रताप सिंह द्वारा उतावले और उपेक्षापूर्ण चालन के कारण हुई थी। यह अभिकथन किया गया कि मृतक मोटर साइकिल पर सड़क की बाईं ओर जा रहा था जब रुद्र प्रताप सिंह द्वारा उतावलीपूर्वक चलाई जा रही पूर्वोक्त बस मृतक से टकरा गई।

3. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने उक्त दावे का विरोध किया और उपेक्षा के अभिकथनों का प्रत्याख्यान किया गया। निगम ने यह अभिकथन किया कि मृत विद्यासागर द्विवेदी शराब पिये हुए था और उस मनःस्थिति में उसका मोटर साइकिल पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया था, जिसे वह सड़क के बीच में चला रहा था और बस के चालक द्वारा भरसक प्रयत्न किए जाने के बावजूद दुर्घटना टाली नहीं जा सकी। इस पृष्ठभूमि में यह अभिवाक् किया गया कि स्वयं मृत विद्यासागर द्विवेदी दुर्घटना के लिए उत्तरदायी था और (उसके उत्तराधिकारी) निगम से किसी प्रकार का प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार नहीं थे।

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दावा अधिकरण ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :—

1. क्या दावेदार पिटीशनर प्रतिकर, यदि कोई हो, प्राप्त करने के विधिपूर्ण रूप से हकदार हैं ?

2. क्या गाड़ी सं० यू० पी० जेड० 4537 का चालक बस को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चला रहा था ?

3. क्या मृतक मोटर साइकिल को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चला रहा था ?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

4. दावेदार पिटीशनर प्रतिकर की कितनी रकम के हकदार हैं ?

5. अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए दावेदारों ने राजा राम सिंह को परीक्षा की। उसने यह दावा किया कि वह रात्रि के लगभग 9 बजे घटना के समय रामजी नामक एक व्यक्ति की दुकान पर उपस्थित था और उसने दुर्घटना देखी थी जो, उसके कथन के अनुसार, बस चालक के उतावलेपन के कारण घटित हुई थी। इसके खण्डन में निगम ने रोडवेज बस के चालक रुद्र प्रताप सिंह की परीक्षा की। उसने इस बात से इनकार किया कि वह बस उपेक्षापूर्वक चला रहा था और दुर्घटना उसकी ओर से किए गए उतावलेपन के कारण घटित हुई थी। उसने यह कथन किया कि मोटर साइकिल मृतक द्वारा उतावलेपन से चलाई जा रही थी और उसके (बस चालक के) भरसक प्रयत्न के बावजूद वह दुर्घटना को नहीं टाल सका। उसने यह कथन भी किया कि मृत विद्यासागर द्विवेदी दुर्घटना के समय शराब पिये हुये था।

6. दावा अधिकरण ने उपेक्षा के विवाद्यक का निगम के विरुद्ध विनिश्चय किया और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि दावेदारों ने अपना पक्षकथन सिद्ध कर दिया था, प्रत्यर्थी सं० 1 से 3 के पक्ष में प्रतिकर के रूप में 75,000 रुपये की राशि अधिनिर्णीत की। उक्त अधिनिर्णय के विरुद्ध ही प्रस्तुत अपील फाइल की गई है।

7. स्वीकृत तथ्यों और इलाहाबाद के जिला न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि मामले का सम्पूर्ण अभिलेख आग लग जाने के कारण नष्ट हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप हमें स्वयं साक्ष्य पर विचार करने और विभिन्न विवाद्यकों पर निष्कर्ष निकालने का लाभ प्राप्त नहीं हो सका, जो इस अपील में विचारार्थ उद्भूत हुए हैं। हमने पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेलों को भी समय दिया था, किन्तु वे दावेदारों और निगम की ओर से पेश किए गए साक्षियों के कथनों की प्रतियां प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। साक्षियों के कथनों के अभाव में हमारे लिए इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि तथ्य के विभिन्न प्रश्नों पर दावा अधिकरण का निर्णय सही था या नहीं।

8. मोटर यान अधिनियम की धारा 110-घ के अधीन, जिसके अधीन यह अपील फाइल की गई है, इस न्यायालय को तथ्य के प्रश्नों पर विचार करने और उन पर निकाले गये निष्कर्षों की शुद्धता पर स्वयं विचार करने की अधिकारिता प्राप्त है। यह उस अपील के समान है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन फाइल की जाती है। मोटर यान अधिनियम में ऐसी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कोई बात नहीं है, जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपीलों में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति अधिकथिक की गई हो। इस संबंध मे सुस्थापित विधि यह है कि यदि विशेष अधिनियम अपील न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रकिया की बाबत मौन है, तो अपीली अधिकारिता का प्रयोग उसी रीति में किया जाएगा, जिसमें उच्च न्यायालय अपनी साधारण अपीली अधिकारिता का प्रयोग करता है और इस प्रकार फाइल की गई अपील उच्च न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होनी चाहिए। यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब किसी कानून द्वारा यह निदेश किया जाता है कि अपील पहले से ही स्थापित न्यायालय को होगी, तो वह अपील उक्त न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा विनियमित होनी चाहिए। वाइकाउण्ट डैन, एल० सी० ने **नेशनल टेलीफोन कं० लि० एण्ड हिज मैजस्टीज पोस्ट मास्टर जनरल**[1] वाले मामले में यह कहा :—

> "जब यह कहा जाता है कि बिना किसी पद्धति के कोई प्रश्न स्थापित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है तो मेरी राय में इसका अर्थ यह है कि उक्त न्यायालय की प्रकिया की सामान्य प्रसगतियां संलग्न होंगी और यह भी कि उसके विनिश्चयों के विरुद्ध अपील का कोई साधारण अधिकार भी उसी प्रकार संलग्न होगा।"

9. ऐसी स्थिति में मोटर यान अधिनियम की धारा 110-घ के अधीन अपील ऐसी अपील के समतुल्य है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन फाइल की जाती है। ऐसी अपील में उच्च न्यायालय साक्ष्य पर विचार करने और उसमें विनिश्चयार्थ उद्भूत विभिन्न संविवादों पर अपने निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है।

10. प्रस्तुत मामले में अपील के आधारों से और उन मुद्दों से, जिनके बारे में दलीलें दी गई हैं, हमारे लिए दावा अधिकरण के समक्ष पक्षकारों द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य पर स्वयं विचार करना आवश्यक है। यह मौखिक साक्ष्य हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि ऐसी दशा में आनुकल्पिक मार्ग क्या अपनाया जाए।

11. इस सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने से पूर्व कि इस मामले में वस्तुतः क्या मार्ग अपनाया जाए, हम यहां उस शक्ति का उल्लेख करना चाहते हैं, जिसका प्रयोग करते हुए नष्ट अभिलेख पुनः तैयार कराने के सम्बन्ध में

[1] 1913 ए० सी० 546.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निदेश दिया जा सकता है। अभिलेख फिर से तैयार कराने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के साधारण सिविल नियमों में नियम हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निचले न्यायालयों को जारी किए गए परिपत्र भी हैं। बहरहाल, इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होती कि निचले न्यायालय के अभिलेख के सम्बन्ध में अपील न्यायालय यह निदेश करे कि निचला न्यायालय अभिलेख की तैयारी के सम्बन्ध में जारी किए गए निदेशों के अनुसार अभिलेख तैयार करे। ऐसा हमारी राय में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 151 ऐसी अंतर्निहित शक्ति को संरक्षित करती है, जिसके प्रयोग की अपेक्षा साधारण अधिकारिता के न्यायालय से न्याय के हित में की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने **मनोहर लाल बनाम सेठ हीरा लाल**[1] में यह मत व्यक्त किया था कि "अंतर्निहित शक्ति न्यायालय को प्रदत्त नहीं की गई है बल्कि यह वह शक्ति है जो न्यायालय में इसलिए अंतर्निहित होती है कि वह अपने समक्ष पक्षकारों के बीच न्याय करने के अपने कर्त्तव्य का पालन कर सके"।

12. यह भी उल्लेखनीय है कि यह न्यायालयों का प्रथम और परम कर्तव्य है कि वे इस बात की सावधानी बरतें कि न्यायालय के कार्य से मुकदमा लड़ने वाले किसी पक्षकार को कोई रिष्टि न हो। तदनुसार यदि किसी दुर्घटना के कारण न्यायालय का अभिलेख खो जाता है अथवा आग से नष्ट हो जाता है तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिलेख को फिर से तैयार करे ताकि उसके आधार पर पक्षकारों के बीच न्याय किया जा सके।

13. इस सम्बन्ध में यह दलील दी गई कि चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता में नष्ट अभिलेख को फिर से तैयार करने के सम्बन्ध में कोई विनिर्दिष्ट शक्ति नहीं है, अतः न्यायालय को यह शक्ति नहीं प्राप्त है कि वह उसको फिर से तैयार कराने हेतु अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायालय अपनी ऐसी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, जो किसी विनिर्दिष्ट उपबन्ध द्वारा अन्यथा प्रतिषिद्ध है अथवा विवक्षित रूप में विवर्जित है। अपनी अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में न्यायालय को यह सुनिश्चित करने हेतु सावधानी बरतनी चाहिए कि उसका विनिश्चय विधिमान्य सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हो और उनके या विधानमण्डल के आशय के विरुद्ध न हो। **नरसिंह दास बनाम मंगल दूबे**[2] में न्या० महमूद ने

[1] ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 527.

[2] आई० एल० आर० 5 इलाहाबाद 163 (पूर्ण न्यायपीठ).

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

"न्यायालय को इस सिद्धांत के आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया प्रतिषिद्ध होती है जब तक कि वह संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप में उपबंधित न हो, बल्कि इसके विलोम सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया अनुज्ञेय होती है जब तक कि यह दर्शित न कर दिया जाए कि वह विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है।"

14. उपर्युक्त से यह सिद्धांत निकलता है कि अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने में न्यायालय को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उसका विनिश्चय विधिमान्य साधारण सिद्धांतों पर आधारित हो और यदि किसी विशिष्ट विषय के सम्बन्ध में कोई विनिर्दिष्ट उपबन्ध न हो तो न्याय के हित में अपनाए जाने वाले मार्ग के सम्बन्ध में यह समझा जाना चाहिए कि वह प्रतिषिद्ध या विवर्जित नहीं है।

15. प्रस्तुत मामले में न्याय का हित यह अपेक्षा करता है कि अभिलेख को फिर से तैयार किया जाए ताकि पक्षकारों के अधिकारों के सम्बन्ध में उसके आधार पर विनिश्चय किया जा सके।

16. नष्ट अभिलेख को फिर से तैयार करने के सम्बन्ध में संविवाद **मरक्करूटी** बनाम **वीरनकुट्टी**[1] में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षतः विचारार्थ आया था। इस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :—

"मेरी राय में इस प्रतिपादना के आधार पर निरापद रूप में आरम्भ किया जा सकता है कि प्रत्येक न्यायालय में अंतर्निहित शक्ति होती है कि वह अभिलेख का पुनर्गठन कर सके और इसका निष्कर्ष यह है कि अपील न्यायालय में अंतर्निहित शक्ति होती कि वह उस न्यायालय के अभिलेख का पुनर्गठन कर सके, जिससे उसे अपील होती है।"

अभिलेख को फिर से तैयार करने की इस शक्ति को इस न्यायालय में भी मान्यता प्राप्त है। इस विषय पर आंग्ल मामला **डगलस** बनाम **यालोप**[2] है। संविवादगत प्रश्न से सम्बद्ध एक अन्य मामला **बाबू गुरु दयाल सिंह** बनाम **दरबेरी लाल तिवारी**[3] है।

---

[1] ए० आई० आर० 1923 मद्रास 647.

[2] 97 इंग्लिश रिपोर्ट्स 532.

[3] (1867) 7 डब्ल्यू० आर० 18.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उस मामले में अभिलेख प्रथम न्यायालय से दूसरे न्यायालय के बीच अभिवहन में खो गये थे और द्वितीय न्यायालय ने कार्यालय प्रतियों के रूप में तात्पर्यित कुछ दस्तावेजों के आधार पर कार्य किया था, जिनके सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वे नियमित रूप से साबित नहीं किए गए थे और न ही उन्हें स्वीकार किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि निचले अपील न्यायालय के पास यह मार्ग था कि वह मूल दस्तावेजों की अंतर्वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसा द्वितीयक साक्ष्य ग्रहण करता, जो दिया जाता अथवा वह पूर्णतः विचारण का आदेश करता। उपर्युक्त मद्रास उच्च न्यायालय के मामले में इस विनिश्चय का अनुसरण किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस बात का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय अपनी विवेकबुद्धि का प्रयोग करेगा कि कौन-से अभिलेख नष्ट हो गए और तब इस बात का विनिश्चय करेगा कि सम्बद्ध मामले की परिस्थितियों में सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा। मद्रास उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि कुछ मामलों में यह आवश्यक हो सकता है कि न्यायालय नये सिरे से साक्ष्य उस दशा में ग्रहण करे, यदि अपील न्यायालय स्वयं को समाधानप्रद रूप में अभिलेख का पुनर्गठन करने में असमर्थ हो। यही दृष्टिकोण मध्य भारत उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू० **मनराव** बनाम **मजबूत सिंह**[1] में अपनाया था।

17. प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सम्बद्ध अभिलेख का पुनर्गठन कराये और तब अपील का विनिश्चय करे। मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा **मरक्करूटी** बनाम **वीरनकुट्टी**[2] में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिलेख का पुनर्गठन मामले की पुनः सुनवाई की सीमा तक भी जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि पक्षकारों को यह निदेश दिया जा सकता है कि वे सुसंगत साक्ष्य पेश करें। ऐसा करने में न्यायालय न केवल इस बात का विनिश्चय करेगा कि पक्षकारों के अधिकार क्या हैं बल्कि इस बात का भी कि नष्ट अभिलेख क्या थे। **कटम अचुयारमैया** बनाम **रिक्की नागभूषणम**[3] में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को ऐसे अभिलेख के पुनर्गठन की वांछनीयता के सम्बन्ध में विनिश्चय करना पड़ा था जिससे जनित मूल अधिनिर्णय पक्षकारों की बिना किसी त्रुटि के खो गया था। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन पुनर्गठन का निदेश कर सकता था और अभिलेख के

---

[1] ए० आई० आर० 1955 एन० यू० सी० 3823.
[2] ए० आई० आर० 1923 मद्रास 647.
[3] आई० एल० आर० 1957 आन्ध्र प्रदेश 739.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पुनर्गठन पर इसका वही प्रभाव होगा, जो स्वयं मूल अभिलेखों का होता।

18. इस संदर्भ में **मैकलंडन** वनाम **जैन्स**[1] में अमरीका के न्यायालय ने निम्नलिखित सुसंगत मत व्यक्त किया था :—

> "प्राय: ऐसे मामले होते हैं, जिनमें दुर्घटनावश न्यायालय के अभिलेख नष्ट हो जाते हैं अथवा खो जाते हैं और विचित्र बात होगी यदि सामान्य विधि में ऐसा कोई पर्याप्त साधन उपबंधित न हो, जिसके द्वारा ऐसी दुर्घटनाजन्य रिष्टियों को निवारित किया जा सके या उनके सम्बन्ध में उपचार दिया जा सके।"

19. ऐसी परिस्थिति में हम यह समुचित समझते हैं कि दावा अधिकरण को यह निदेश किया जाए कि वह अभिलेख को फिर से तैयार करे। चूंकि, प्रस्तुत मामले में अभिलेख पर लाये जाने के लिए अपेक्षित तात्त्विक साक्ष्य मात्र उपर्युक्त दोनों साक्षियों के कथन हैं; अत: प्रस्तुत अपील का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, यदि दावा अधिकरण को यह निदेश दिया जाए कि वह उक्त साक्ष्य को अभिलेख पर ला दे। हमने ऊपर उल्लेख किया है कि पक्षकारों के काउन्सेल इन साक्षियों के कथनों की प्रतियां फाइल करने में असमर्थ रहे। बहरहाल, न्याय के हित में हम समुचित समझते हैं कि पक्षकारों को एक और अवसर दिया जाए ताकि वे हमारे आदेश के अनुसरण में मामले के दावा अधिकरण के समक्ष जाने पर उसके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। दावा अधिकरण पहले पक्षकारों को यह निदेश देगा कि वे यदि उनके पास साक्षियों के कथन हों तो उनकी प्रतियां तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। यदि कथनों की प्रतियां दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं तो वह इस संबंध में अपना समाधान करेगा कि क्या वे शुद्ध हैं किन्तु यदि पक्षकार ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो अधिकरण उनसे अपेक्षा कर सकेगा कि वे साक्षियों को अपने कथन करने के लिए प्रस्तुत करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पक्षकारों को एक-दूसरे के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का अधिकार होगा।

20. इलाहाबाद के दावा अधिकरण को यह निदेश किया जाता है कि वह उपर्युक्त निदेशों का पालन इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 3 मास के भीतर करे।

न्या० ओ० पी० सक्सेना :

मैं सहमत हूं।

मामला प्रतिप्रेषित किया गया।

ब्रह्म

---

[1] (1845) 82 अमरीकन डीस केसिज 640.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नि० प० 1983 : इलाहाबाद—481

श्री जी० एन० भण्डारी बनाम रेलवे प्रशासन, नई दिल्ली
(Shri G. N. Bhandari *Vs.* The Railway Administration, New Delhi)

तारीख 10 नवम्बर, 1982

[न्या० के० सी० अग्रवाल और न्या० ओ० पी० सक्सेना]

भारतीय रेल अधिनियम, 1890—धारा 82-क, 82-ग और 82-च सपठित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923—धारा 2(घ)—धारा 82-ग के खण्ड(क) से (घ) में वर्णित व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार होते हैं—खण्ड (घ) में प्रयुक्त "आश्रित" का अर्थ उसके स्पष्टीकरण के अनुसार वही होगा, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 2(घ) में है। अतः केवल ऐसे माता-पिता ही प्रतिकर के हकदार होंगे, जो मृतक पर पूर्णतः या भागतः आश्रित थे।

अपीलार्थी की मृत्यु रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना के कारण हो गई। अपीलार्थी का यह दावा है कि मृतक की आयु 22 वर्ष थी और उसने यांत्रिक इंजीनियरी की स्नातक-परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। अपीलार्थी ने प्रतिकर का दावा इस आधार पर किया कि अपीलार्थी मृतक का आश्रित था। प्रतिवादी द्वारा इस दावे का विरोध किया गया। अपीलार्थी के प्रतिकर प्राप्त करने के दावे को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर भी नकारा गया कि वह प्रतिकर पाने का हकदार नहीं है क्योंकि वह सद्भावी यात्री नहीं था।

अभिनिर्धारित—अपील खारिज की गई।

रेल अधिनियम (के अनुशीलन) से यह प्रतीत होता है कि केवल "आश्रित" आवेदन पेश करने का हकदार है और चूंकि "आश्रित" शब्द की परिभाषा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 2(घ) में दी गई है, इसलिए प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकार को उस तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। जो कोई इस परिभाषा में नहीं आते, उन्हें प्रतिकर प्राप्त करने के लिए हकदार अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। (पैरा 7)

अभिलेख गत साक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं है कि अपीलार्थी अपने बेटे के उपार्जन पर आश्रित था, अपीलार्थी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 2(घ) (iii)(ख) की शर्तों को पूरा नहीं करता है। इसलिए उसके

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रतिकर के दावे को तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा ठीक ही नामंजूर किया गया था। (पैरा 6)

		पैरा
[1979]	ए० आई० आर० 1979 इलाहाबाद 287 : श्रीमती यशोदा बनाम भारत संघ (Smt. Yashoda *Vs.* Union of India) निर्दिष्ट किया गया।	4

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 1975 की प्रथम अपील सं० 509.

उत्तर रेलवे के तदर्थ दावा आयुक्त (इलाहाबाद) डा० पी० दयाल द्वारा 1975 के दावा पिटीशन सं० 2 में दिनांक 5-9-1975 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील।

अपीलार्थी की ओर से ... श्री आर० ए० शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से ... श्री लालजी सिन्हा

न्यायालय का निर्णय न्या० कृष्ण चन्द्र अग्रवाल ने दिया।

न्या० अग्रवाल :

प्रस्तुत अपील भारतीय रेल अधिनियम की धारा 82-च के अधीन उत्तर रेलवे के तदर्थ दावा आयुक्त (इलाहाबाद) के उस निर्णय के विरुद्ध की गई है, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 82-क के अधीन फाइल किए गए अपीलार्थी के दावे को खारिज किया गया था।

2. तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। अपीलार्थी का बेटा विनोद कुमार भंडारी 31 अक्तूबर, 1974 को उस समय, 14 डाउन, अपर इण्डिया एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था, जब वह (रेलगाड़ी) उत्तरी रेलवे के मनोहरगंज रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसका उसी स्थान पर देहान्त हो गया। इसलिए सरकारी रेलवे पुलिस (जी० आर० पी०) लाश को दुर्घटनास्थल से हटा कर स्वरूप रानी अस्पताल के शवगृह में ले गई जहां पर 2-11-1974 को उसकी शिनाख्त की गई थी। तब उपयुक्त शिनाख्त के पश्चात् उप-निदेशक ने लाश को अपीलार्थी को सौंप दिया। अपीलार्थी का यह दावा है कि मृतक की आयु 22 वर्ष थी और उसने रुड़की विश्वविद्यालय से 1974 में यांत्रिक इंजीनियरिंग की स्नातक-परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। वह दिल्ली से साक्षात्कार देने के पश्चात् वापस आ रहा था। उसने यह प्रकथन किया कि वह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

90,000/-रुपये प्रतिकर के रूप में पाने का हकदार है, क्योंकि अपीलार्थी मृतक विनोद कुमार भण्डारी का आश्रित था। प्रतिवादी द्वारा इस दावे का विरोध किया गया। अपीलार्थी के प्रतिकर प्राप्त करने के दावे को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर भी मना कर दिया गया कि वह प्रतिकर पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि विनोद कुमार सद्भावी यात्री नहीं था। और दूसरी बात यह थी कि वर्तमान कार्यवाहियों में अपीलार्थी प्रतिकर प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वह "आश्रित" नहीं था। इन्हीं दो संविवादों पर तदर्थ दावा आयुक्त ने विवाद्यक संख्या 1 और 3 विरचित किए। इन दोनों विवाद्यकों का निपटारा दावा आयुक्त ने अपीलार्थी के विरुद्ध किया था और दावा पिटीशन खारिज कर दिया गया था। इसलिए यह अपील की गई है।

3. अपीलार्थी के काउन्सेल श्री आर० ए० शर्मा का पहला निवेदन यह था कि दावा आयुक्त का यह निर्णय गलत था कि विनोद कुमार भण्डारी सद्भावी यात्री नहीं था। उनकी दलील यह थी कि साक्ष्य इसके विपरीत दर्शाता है। उनके निवेदन के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन यह उपधारणा है कि मृतक के पास आवश्यक टिकट था और वह सद्भावी-यात्री था। यह निवेदन किया गया कि शायद वह बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह साक्षात्कार के पश्चात् दिल्ली से वापस आ रहा था।

4. सद्भावी-यात्री के सम्बन्ध में दलील देते हुए प्रत्यर्थी ने खण्ड न्यायपीठ के निर्णय, **श्रीमती यशोदा बनाम भारत संघ**[1] वाले मामले का अवलम्ब लिया। इस निर्णय में यह अधिकथित है कि सद्भावी यात्री का "आश्रित" ही केवल प्रतिकर पाने का हकदार होता है। हम इस विवाद पर अंतिम विचार प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि अपील द्वितीय आधार पर, जोकि हम अभी वर्णित करेंगे, असफल हो जाएगी। हमारे विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि तदर्थ आयुक्त द्वारा साक्ष्य का यह अवधारण कि विनोद कुमार भण्डारी एक सद्भावी-यात्री नहीं था, समाधानप्रद नहीं है।

5. दूसरा प्रश्न यह उठाया गया था कि अपीलार्थी "आश्रित" नहीं था इसलिए उसका दावा चलने योग्य नहीं था। धारा 82-ग में यह अधिकथित किया गया है कि खण्ड (क) से (घ) में वर्णित मनुष्य द्वारा दुर्घटना के कारण उद्भूत प्रतिकर दावे के लिए आवेदन धारा 82-क के अन्तर्गत किया जा सकता है। खण्ड (घ) मृतक के किसी आश्रित द्वारा आवेदन करने के लिए उपबन्ध

---

[1] ए० आई० आर० 1975 इलाहाबाद 287.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करता है। "आश्रित" अभिव्यक्ति की परिभाषा रेल अधिनियम में नहीं दी गई है। धारा 82-ग में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 2 के खण्ड (घ) में "आश्रित" अभिव्यक्ति की परिभाषा को अपनाया गया है। धारा 2(घ) के सुसंगत भाग को नीचे उद्धृत किया गया है :—

> " 'आश्रित' से मृतक कर्मकार के निम्नलिखित नातेदारों में से कोई अभिप्रेत है; अर्थात्
>
> (i) ....
>
> (ii) ....
>
> (iii) (क) ....
>
> (ख) माता-पिता, जिसके अन्तर्गत विधवा माता नहीं आती है;
>
> (ग) से (ज) ....
>
> यदि वह कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतः या भागतः आश्रित था या थी।"

6. ऊपर वर्णित से यह प्रतीत होता है कि प्रतिकर के लिए दावा करने के हकदार होने के लिए यह आवश्यक है कि दावेदार कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित हो। अपील में हमारे सम्मुख ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कि अपीलार्थी मृतक विनोद कुमार भण्डारी के उपार्जन पर आश्रित था। इस संदर्भ में यह भी द्रष्टव्य है कि विनोद कुमार भण्डारी नियोजित नहीं था। अपीलार्थी के अपने कथनानुसार वह साक्षात्कार के पश्चात् वापस आ रहा था। अभिलेख गत साक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं है कि अपीलार्थी अपने बेटे के उपार्जन पर आश्रित था, अपीलार्थी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 2 (घ)(iii)(ख) की शर्तों को पूरा नहीं करता है। इसलिए उसके प्रतिकर के दावे को तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा ठीक ही नामंजूर किया गया था।

7. तथापि, अपीलार्थी के काउन्सेल श्री आर० ए० शर्मा ने अनुरोध किया कि यद्यपि अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वह मृतक के उपार्जन पर आश्रित था, फिर भी वह हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 के अधीन प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल ने दलील दी कि रेल अधिनियम किसी मनुष्य के प्रतिकर प्राप्त करने के विषय में निश्शेषकारी संहिता है, इसलिए दावे की डिक्री करने के लिए हिन्दू दत्तक और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 लागू नहीं की जा सकती। प्रथमदृष्ट्या प्रत्यर्थी सही प्रतीत होता है। बहरहाल हमारी राय में अपीलार्थी का दावा गुणागुण के आधार पर सफल नहीं हो सकता। हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) में यह उपबन्धित है कि किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध या शिथिलांग माता-पिता का भरण-पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहां तक होगा जहां तक कि वे अपने उपार्जनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो। अपीलार्थी अघकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी था और यह उपधारणा की जा सकती है कि वह स्वयं उपार्जन करता था। उस मामले में जिसमें जनक स्वयं उपार्जन करते हैं, धारा 20 लागू नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी संशय है कि हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 के आधार पर प्रतिकर का दावा डिक्री या स्वीकार किया जा सकता है। रेल अधिनियम (अनुशीलन) से यह प्रतीत होता है कि केवल "आश्रित" आवेदन पेश करने का हकदार है और चूंकि "आश्रित" शब्द की परिभाषा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 2 (घ) में दी गई है, इसलिए प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकार को उस तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। जो कोई इस परिभाषा में नहीं आते, उन्हें प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता।

8. परिणामतः अपील असफल होती है और खारिज की जाती है। खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिए जाते।

अपील खारिज की गई।

खन्ना/ब्रह्म

नि० प० 1983 : इलाहाबाद—485

जगदेई कुंवरि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(Smt. Jagdeo Kunwar *Vs.* State of U. P.)

तारीख 25 नवम्बर, 1982

[न्या० एम० पी० मेहरोत्रा]

उत्तर प्रदेश भूमि-जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम (यू० पी० इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्ज ऐक्ट), 1960 (1960 का 1)—धारा 5, उपधारा (6), परन्तुक—सपठित धारा 12-क—भूमिधर द्वारा भूमि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का विक्रय—भूमिधर का धारा 5(6) के परन्तुक (ख) के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए दावा—यह विहित प्राधिकारी के समाधानपर्यन्त सिद्ध करने का भार कि संव्यवहार सद्भावपूर्वक, पर्याप्त प्रतिफल के लिए था और बेनामी नहीं था, उस पक्षकार पर है जो इसके अधीन लाभ प्राप्त करना चहता है।

अपीलार्थी भूमिधर है, उसने दिनांक 30-8-71 वाले विक्रय विलेख द्वारा कुछ भूमि बेची थी। विहित प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश भूमि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम की धारा 5(6) के अधीन उस विक्रय विलेख पर विचार नहीं किया। पिटीशनर ने अधिनियम की धारा 5(6) के परन्तुक (ख) के अधीन दावा फाइल किया, जिसे नामंजूर कर दिया गया। इसी के विरुद्ध अपिलार्थी यह अभिवाक् करते हुए इस न्यायालय के समक्ष आया है कि उसे अधिनियम की धारा 5(6) के परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन लाभ प्रदान न करना गलत था।

अभिनिर्धारित—रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

यह सही है कि अपील न्यायालय का यह सोचना ठीक नहीं था कि संव्यवहार बेनामी नहीं था इसको सिद्ध करने का भार भूधृति धारक पर था। तथापि, उस तथाकथित, गलती के अतिरिक्त पूर्वकथित अपील-निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी कल्पना के आधार पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिफल की पर्याप्तता के या अपर्याप्तता के प्रश्न पर या सद्भाव के प्रश्न पर अपील न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष किसी साक्ष्य या तथ्य से समर्थित नहीं है। उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपील न्यायालय ने सुसंगत पहलुओं पर विचार किया था। इसी कारण पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल की यह दलील है कि आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए किन्तु उनकी यह दलील पूर्वोक्त आधार पर उस सीमा तक नहीं स्वीकार की जानी चाहिए जहां तक विक्रय विलेख की उपेक्षा का सम्बन्ध है। अधिनियम की धारा 5(6) के परन्तुक में यह उपबन्धित है कि तथाकथित परन्तुक के खण्ड (ख) का लाभ तभी दिया जा सकता है जब यह सिद्ध हो जाए कि विहित प्राधिकारी का समाधान हो गया है। न्यायालय की राय में प्रस्तुत मामले में किसी भी कल्पना के यह दलील नहीं दी जा सकती कि सम्बद्ध प्राधिकारी अपने समाधान के लिए असद्भावपूर्वक प्रेरित हुआ था या समाधान निराधार कहा जा सकता था। (पैरा 8 और 9)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पैरा

[1982] 1982 ए० एल० जे० 437 : पृथ्वी पाल सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (Prithvi Pal Singh *Vs.* State of U. P.); 5

[1981] ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 636 : ब्रिजेन्द्र सिंह **बनाम** राज्य (Brijendra Singh *Vs.* State); 5

[1981] 1981 ए० एल० जे० 400 एस० सी० : भूपेन्द्र सिंह **बनाम** राज्य (Bhupendra Singh *Vs.* State); 5

[1981] 1981 ए० एल० जे० 984 : उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** सिविल न्यायाधीश (State of U. P. *Vs.* Civil Judge); 5

[1979] 1979 ए० डब्ल्यू० सी० 187 (डी० बी०) : यदुनाथ **बनाम** राज्य (Yadunath *Vs.* State); 5

[1979] ए० डब्ल्यू० सी० 22 (डी० बी०) : दीवान दिगविजय सिंह **बनाम** विहित प्राधिकारी (Diwan Digvijaya Singh *Vs.* Prescribed Authority); 5

[1978] 1978 ए० डब्ल्यू० सी० 826 : हनुमत सिंह **बनाम** राज्य (Hanumath Singh *Vs.* State); 5

[1978] 1978 ए० डब्ल्यू० सी० 530 : मेवा देवी **बनाम** राज्य (Mewa Devi *Vs.* State); 5

[1978] 1978 आर० डी० 184 : हरी ओम **बनाम** अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (Hari Om *Vs.* Addl. Civil Judge); 8

का अवलम्ब लिया गया।

[1969] 1969 ए० एल० जे० 1060 : राम अज्ञान सिंह **बनाम** मुरलीधर अग्रवाल (Ram Agyan Singh *Vs.* Murli Dhar Agarwal) 9

निर्दिष्ट किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1977 की सिविल प्रकीर्ण रिट सं० 1924.

संविधान के अनुच्छेद 226 के अधिन रिट पिटीशन।

अपीलार्थी की ओर से ... श्री वी० पी० सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से ... स्थायी काउन्सेल

न्या० एम० पी० मेहरोत्रा :

यह पिटीशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उत्तर प्रदेश भूमि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम (यू० पी० इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्ज ऐक्ट) के अधीन कार्यवाहियों के फलस्वरूप उद्भूत हुआ है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। पिटीशनर को भूधृतिधारक (टेन्योर होल्डर) माना गया था और उसने अधिनियम की धारा 10(2) के अधीन नोटिस प्राप्त किया था। उसने अपने आक्षेप दाखिल किए। उनका विनिश्चयं बिहित प्राधिकारी ने अपने दिनांक 13-12-1974 वाले आदेश द्वारा किया, जिसकी सत्य प्रतिलिपि पिटीशन का उपाबन्ध-2 है। इस आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की गई, जिसे अपील न्यायालय ने अपने दिनांक 15-3-1975 वाले आदेश द्वारा मंजूर कर लिया था। अपील न्यायालय ने मामले को पुन: विनिश्चयार्थ विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। इसके पश्चात् विहित प्राधिकारी ने मामले की फिर से सुनवाई की और दिनांक 11-1-1976 को आदेश पारित किया, जिसकी सत्य प्रतिलिपि पिटीशन का उपाबंध-3 है। 22-1-1976 के उक्त आदेश से व्यथित होकर पिटीशनर ने अपील दायर की, जो अपील न्यायालय ने अपने दिनांक 6-4-1977 वाले निर्णय द्वारा खारिज कर दी और उक्त निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पिटीशन का उपाबन्ध-4 है।

3. इससे व्यथित होकर पिटीशनर ने प्रस्तुत पिटीशन फाइल किया है और उसके समर्थन में मैंने पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल श्री बी० पी० सिंह की सुनवाई की है। इसके विरोध में विद्वान् स्थायी काउन्सेल ने निवेदन किए हैं।

4. एकमात्र विवाद, जिसके बारे में मेरे सम्मुख तथा अपील न्यायालय के सम्मुख दलीलें दी गई थीं, वह दिनांक 30-8-1971 वाले उस विक्रय-विलेख से संबंधित है, जिसे पिटीशनर ने भूधृतिधारक की हैसियत में बदरी विशाल सिंह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और राम विशाल सिंह के हक में निष्पादित किया था। उस दस्तावेज द्वारा पिटीशनर भूधृतिधारक द्वारा व्यथित क्रेता को कुछ भूमि का बेचा जाना तात्पर्यित था। अधिनियम की धारा 5(6) के अधीन विहित प्राधिकारी ने उस दस्तावेज पर ध्यान नहीं दिया। पिटीशनर अधिनियम की धारा 5(6) के परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन अपीलार्थी के दावे को नामंजूर कर दिया गया। फिर दुबारा अपील में धारा 5 (6) के परन्तुक के उक्त खण्ड के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए दावा पेश किया गया, परन्तु अपील न्यायालय ने उक्त प्रतिविरोध की शुद्धता को स्वीकार नहीं किया और अपील खारिज कर दी।

5. श्री बी० पी सिंह ने मेरे सम्मुख दलील दी कि इस न्यायालय की निम्नलिखित निर्णयज विधि के दृष्टिकोण से नीचे के प्राधिकारी अधिनियम की धारा 5 (6) के परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन लाभ प्रदान न करने में गलती पर थे :—

1. **ब्रजेन्द्र सिंह** बनाम **राज्य**[1]
2. **भूपेन्द्र सिंह** बनाम **राज्य**[2]
3. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सिविल न्यायाधीश**[3]
4. **पृथ्वी पाल सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[4]
5. **यदुनाथ** बनाम **राज्य**[5]
6. **दीवान दिगविजय सिंह** बनाम **विहित प्राधिकारी**[6]
7. **हनुमत सिंह** बनाम **राज्य**[7]
8. **मेवा देवी** बनाम **राज्य**[8]

1. **ब्रजेन्द्र सिंह** बनाम **राज्य**[1] : उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त मत को वह पृष्ठभूमि दर्शाने के लिए, जिसके अंतर्गत इस मामले में कार्यवाही की

---

[1] ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 636.
[2] 1981 ए० एल० जे० 400 (एस० सी०).
[3] 1981 ए० एल० जे० 984.
[4] 1982 ए० एल० जे० 437.
[5] 1979 ए० डब्ल्यू० सी० 187 (डी० बी०).
[6] 1979 ए० डब्ल्यू० सी० 22 (डी० बी०).
[7] 1978 ए० डब्ल्यू० सी० 826.
[8] 1978 ए० डब्ल्यू० सी० 530.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गई थी ,नीचे उद्धृत किया जा रहा है :—

"इस मामले में प्रश्नगत दोनों विक्रय न केवल यथार्थ और पर्याप्त प्रतिफल के बदले में किए गए पाए गए हैं, अपितु यह भी स्वीकार किया गया है कि यह विक्रय भूधृतिधारक द्वारा प्रत्येक भूमिधारी की एक मामूली आवश्यकता की पूर्ति के लिए अर्थात् नई दिल्ली में निवास-स्थान के निर्माण के लिए धन एकत्र करने के लिए किया गया था। अपील प्राधिकारी ने इन विक्रयों को 'असद्भाविक विक्रय' मात्र इस आधार पर अभिनिर्धारित किया था कि भूधृतिधारक द्वारा नई दिल्ली में निवास स्थान के निर्माण को, प्राधिकारी की राय में 'अति' (अनिवार्य) आवश्यकता नहीं कहा जा सकता। यह दृष्टिकोण और निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है।"

2. **भूपेन्द्र सिंह** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में भी उच्चतम न्यायालय के ब्रजेन्द्र सिंह वाले पूर्ववर्ती मामले के निर्णय के अनुसार विधि अधिकथित की गई है। भूपेन्द्र सिंह वाले मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित मत अभिव्यक्त किया :—

"हमने अपने दिनांक 25 नवम्बर, 1980 (1980 की सिविल अपील सं० 2726) वाले निर्णय द्वारा ब्रजेन्द्र सिंह की अपील, जिसमें अपील प्राधिकारी ने तथ्य लगभग एक समान पाये थे, मंजूर कर ली थी। उस मामले में भी दिल्ली में निवास-स्थान के निर्माण के लिए धन एकत्रित करने के लिए विक्रय किए गए थे। उस मामले में भी विक्रय वास्तविक थे और पर्याप्त प्रतिफल के लिए थे और केवल इसलिए छोड़ दिए गए थे कि विक्रयों के लिए अनिवार्य आवश्यकता सिद्ध नहीं की जा सकी और दिल्ली में निवास स्थान का निर्माण ऐसी आवश्यकता नहीं थी···ब्रजेन्द्र सिंह के मामले (पूर्वोक्त) में अधिकथित यह नियम वर्तमान मामले के विक्रयों को पूरी तरह से लागू होते हैं।"

3. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सिविल न्यायाधीश**[2] : यह एक ऐसा निर्णय है, जिसमें विद्वान् न्यायाधीश ने अपील प्राधिकारी के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि विक्रय-विलेख में प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए। विद्वान् न्यायाधीश ने अधिकथित किया :—

---

[1] 1981 ए० एल० जे० 400 (एस० सी०).

[2] 1981 ए० एल० जे० 984.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"यह निष्कर्ष कि विक्रय-विलेख पर्याप्त प्रतिफल और सद्भावपूर्वक किया गया है, साक्ष्य को ध्यान में रख कर निकाला गया है।"

4. पृथ्वी पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[1] : इसका निर्णय मैंने किया था। मैंने "भूधृतिधारक या उसके परिवार के दूसरे सदस्यों के तुरन्त या आस्थगित लाभ के लिए" "अभिव्यक्ति की परीक्षा की थी। मैंने दलील को नामंजूर कर दिया क्योंकि प्रश्नगत अंतरण उस भूमि के संबंध में था जोकि अन्यथा अधिशेष घोषित हो जाती और भूमिधारी को धन-संबंधी प्रतिफल के लिए आशयित था। अधिनियम की धारा 5 (6) के परन्तुक के खण्ड (ख) में यथाप्रयुक्त "तुरन्त लाभ के लिए संव्यवहार" है। यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए मैंने पूर्वकथित उच्चतम न्यायालय के निर्णय को आधार बनाया। यह निर्णय "सद्भाव" या "पर्याप्त प्रतिफल" की अभिव्यक्तियों के अर्थान्वयन के संबंध में निर्णय नहीं था।

5. यदुनाथ बनाम राज्य[2] : पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल श्री बी० पी० सिंह ने निर्णय के पैरा 14 में अभिव्यक्त निम्नलिखित मत को आधार बनाया :—

"इस दृष्टिकोण से मामले में जहां किसी व्यक्ति को जो सी०एल० एच० 3 फार्म दिया गया था, उसमें कुल भूखण्डों को गलती से उसके कब्जे में दर्शाया गया था, तो प्रथमत: सबूत का भार उस पर है कि 8-6-1973 को वे भूखण्ड उसके कब्जे में नहीं थे। विहित प्राधिकारी को पंजीकृत विक्रय-विलेख की एक कापी दिखाकर कि दिनांक 8-6-1973 से पूर्व किसी तृतीय पक्षकार को कुछ प्रतिफल के एवज में भूखण्ड अंतरित कर दिए थे, वह इस भार से उन्मोचित हो सकता है। उस परिस्थिति में जब तक कि अभिलेख पर कुछ और न हो, एक प्रज्ञावान मनुष्य इस अनुमान पर कार्य करेगा कि विक्रय-विलेख में वर्णित भूखण्डों का स्वामित्व 8-6-1973 से पूर्व तीसरे पक्षकार को अंतरित कर दिया गया था और वह उस व्यक्ति के कब्जे में नहीं रह गई थी, जिसे नोटिस जारी किया गया था।"

यह द्रष्टव्य है कि खण्ड न्यायपीठ द्वारा प्रकट पूर्वकथित विचार साधारणतया उन अंतरण विलेखों के संबंध में हैं, जो 24-1-1971 के पश्चात् निष्पादित नहीं किए गए थे, लेकिन यह विचारणा का उन अंतरण विलेखों पर लागू होना आशयित नहीं था, जो अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 5 (6) के विशेष

---

[1] 1982 ए० एल० जे० 437.

[2] 1979 ए० डब्ल्यू० सी० 187 (डी० बी०).

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपबंध के, जिसमें साक्ष्य का विशेष नियम उपबन्धित है कि भूधृतिधारक को अधिनियम की धारा 5(6) के परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन लाभ उठाना सिद्ध करने का भार होना चाहिए। यह प्रश्न 3 में दिए गए उत्तर से स्पष्ट हो जाता है। वह उत्तर निम्नानुसार है :—

> "(3) धारा 5(1) के स्पष्टीकरण II के अध्यधीन रहते हुए इस बात को साबित करने का कि 24-1-1971 से पूर्व किसी भूधारी द्वारा किया गया कोई संव्यवहार वास्तविक संव्यवहार है, आरम्भिक भार भूधारी पर है। तथापि जहां पर अभिलेख की विषयवस्तु उन परिस्थितियों की ओर इंगित करती है जिससे विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि या तो संव्यवहार के परिणामस्वरूप भूमि का स्वामित्व किसी दूसरे को अंतरित हो गया है या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो यह इंगित करती हैं कि किसी भी प्रज्ञावान् मनुष्य को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि स्वामित्व पर व्यक्ति को हस्तांतरित हो गया है, साबित करने का भार विरोधी पक्षकार पर चला जाता है और राज्य सरकार को यह सिद्ध करना होगा कि प्रश्नगत संव्यवहार वस्तुतः स्वांगतपूर्ण संव्यवहार था।"

यह भी द्रष्टव्य है कि खण्ड न्यायपीठ के निर्णय के पैरा 10 में यह पहले ही अधिकथित किया गया है कि अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 6 का स्पष्टीकरण II वस्तुतः साक्ष्य का एक नियम उपबन्धित करता है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का भार, जो किसी पक्षकार को इस बात की हकदार बनाती है कि 24-1-1971 के पश्चात् भूधारी द्वारा किया गया संव्यवहार छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए और अधिकतम सीमा का अवधारण करने क प्रयोजन के लिए उस पक्षकार के स्वामित्व में माना जाना चाहिए, उस पक्षकार पर होगा।

6. **दीवान दिग्विजय सिंह बनाम विहित प्राधिकारी**[1] : यह प्रत्यक्षतः सुसंगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विहित प्राधिकारी ने भूधारी के दावे के संबंध में आक्षेप किया कि राज्य को पहले पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। भूधारी ने रिट पिटीशन फाइल किया और खण्ड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश मान्य विधि के अनुसार थे। यह अधिकथित किया गया कि :—

"अगर राज्य यह दावा करता है कि कोई भूमि संबद्ध भूधृतिधारक

---

[1] 1979 ए० डब्ल्यू० सी० 22 (डी० बी०).

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दृश्यमानतः धारित करता है या उसके कब्जाधीन कृषि भूमि है, तो राज्य को यह सिद्ध करना होगा।"

विद्वान् काउन्सेल ने इसी मत को आधार बनाया है। तथापि यह निर्णय सद्भाव या प्रतिफल की पर्याप्तता के प्रश्न से संबंधित प्रामाणिक निर्णय नहीं है।

7. हनुमंत सिंह बनाम राज्य[1] : इस मामले में अपील न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले और मामले के इस दृष्टिकोण पर रिट पिटीशन का निर्णय करने वाले न्यायाधीश द्वारा बल दिया गया था :—

"इसके अतिरिक्त मेरे सम्मुख इन अंतरणों की शुद्धता को प्रश्नगत नहीं किया गया है। राज्य द्वारा केवल यह किया गया है कि अपीलार्थी की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजन के लिए क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया गया है।"

8. **मेवा देवी** बनाम राज्य[2] : इस मामले को निर्णीत करते समय विद्वान् न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया था कि उच्चतम सीमा निर्धारित करने वाले प्राधिकारी को भूधृतिधारक के संव्यवहार के औचित्य के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विक्रय-विलेख में विक्रय-प्रतिफल का दिया जाना पूरी तरह से इस तथ्य से स्थापित हो गया था कि विक्रेता स्त्री ने विक्रय-आगम भारतीय स्टेट बैंक में सावधि निक्षेप किए थे। विद्वान् न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि उच्चतम सीमा निर्धारित करने वाला प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था कि विक्रय-विलेख का प्रतिफल अपर्याप्त था।

6. पूर्वकथित निर्णयज विधि की अवेक्षा मैंने संक्षेपतः की है और सम्पूर्ण निर्णयज विधि से स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में निर्णय सुनाए गए थे। मैंने ऊपर जोर देकर कहा है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले ऐसे थे, जिनमें संव्यवहार की वास्तविकता या प्रतिफल का दिया जाना या उसकी पर्याप्तता पर संदेह था। उच्चतम न्यायालय ने बलपूर्वक कहा कि वह इसलिए हस्तक्षेप कर रहा था, क्योंकि नीचे के प्राधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि दिल्ली में अवासीय गृह का परिनिर्माण करना अति आवश्यक नहीं था। दूसरे निर्णय, जिनके प्रति मैंने निर्देश किया है यह दर्शित करेंगे कि तथ्य पूर्णतया उस परिस्थिति से भिन्न हैं जो इसमें हैं।

7. अपील न्यायालय के निर्णय से उद्धरण यह दर्शित करेगा कि न्यायालय

---

[1] 1978 ए० डब्ल्यू० सी० 826.

[2] 1978 ए० डब्ल्यू० सी० 530.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ने अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 5(6) के परन्तुक के खण्ड (ख) का लाभ देने से इनकार क्यों कर दिया था :—

"यह साबित करने के लिए न तो जगदेई विक्रेता की या किसी क्रेता की परीक्षा की गई थी कि संव्यवहार सद्भावपूर्वक और पर्याप्त प्रतिफल के लिए किया गया था। उनके द्वारा सबूत पेश न किए जाने से उनके विरुद्ध निष्कर्ष निकाले जाने की काफी संभावना है। जो विक्रय विलेख का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें पूर्वकथित तीनों शर्तों को सिद्ध करना तथा स्थापित करना होगा और यह राज्य का काम नहीं है कि वह अन्यथा सिद्ध करे। यह बात उपधारा की भाषा से प्रकट हो जाएगी। विहित प्राधिकारी का यह समाधान करना होगा कि संव्यवहार सद्भावपूर्वक, पर्याप्त प्रतिफल के लिए और बेनामी नहीं था। इसे सिद्ध करने का भार उन पर डाल दिया गया है, जो ऐसे संव्यवहार को आधार बनाते हैं। यही दृष्टिकोण प्रथम स्तंभ में वर्णित काली प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले के पृष्ठ 389 के समापन पर (1964 आर० डी० 385) अपनाया गया है। इस मुद्दे पर एकमात्र साक्षी शिव नंदन है। यह बात द्रष्टव्य है कि उप-रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रतिफल में से एक भी पाई संदत्त नहीं की गई थी। हां, विक्रेता ने यह अभिस्वीकृत किया कि उसने प्रतिफल के रूप में 8,000 रुपये पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कि संव्यवहार सद्भावपूर्वक तथा प्रतिफल वस्तुतः प्रदत्त किया गया था, पर्याप्त नहीं है। प्रथम दो घटकों को पूरा करने के लिए प्रतिफल के दिए जाने के संबंध में यथावत् सबूत होना चाहिए। शिव नन्दन केवल विक्रय विलेख का साथी है और केवल विक्रय-विलेख का निष्पादित किया जाना सिद्ध कर सकता है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि ऐसा विक्रय विलेख है। जिस बात की परीक्षा की जानी है वह है सद्भाव और प्रतिफल की पर्याप्तता। उसने जो कुछ कहा है, वह यह है कि विक्रय-विलेख का सद्भावपूर्वक निष्पादन उसकी उपस्थिति में हुआ था, क्योंकि संव्यवहार के किसी भी पक्षकार को अनुध्यात् अधिकतम सीमा कानून के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। यह बात बताने के लिए वह उपर्युक्त व्यक्ति नहीं है कि क्या विक्रेता और क्रेता को अनुध्यात अधिकतम सीमा कानून का किसी प्रकार आभास था। इसलिए सद्भाव के प्रश्न पर उसका कथन कोई महत्व नहीं रखता है। दोनों क्रेता और विक्रेता एक ही स्थान के हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रतिपरीक्षा में शिव नारायण द्वारा किए गए कथन से यह पता चलता है कि उसे प्रतिफल के संबंध में बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। उसने अभिसाक्ष्य में कहा कि वह यह नहीं कह सकता कि उप-रजिस्ट्रार के सम्मुख किसी प्रकार की रकम संदत्त की गई थी या नहीं। वह तो यह भी नहीं बता सकता कि उसकी उपस्थिति में विक्रय-विलेख का प्रतिफल संदत्त किया गया था या नहीं। स्थिति यह है कि उसे प्रतिफल के संबंध में जानकारी नहीं है न ही सद्भाव के प्रश्न पर वह उपयुक्त साक्षी है। वह तो यह भी नहीं बता सकता कि विक्रय की रकम क्या थी। इसलिए शिव नंदन का साक्ष्य निष्प्रभाव है।"

इसके पश्चात् अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आजकल चल रहे कृषि भूमि मूल्य को देखते हुए विक्रय-विलेख में कथित मूल्य अपर्याप्त है।

8. यह सही है कि अपील न्यायालय का यह सोचना ठीक नहीं था कि संव्यवहार बेनामी नहीं था। इसको सिद्ध करने का भार भूधृतिधारक पर था। यह बात **हरि ओम् बनाम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश**[1] वाले निर्णय से स्पष्ट हो जाती है। तथापि, उस तथाकथित गलती के अतिरिक्त पूर्वकथित अपील-निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी कल्पना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिफल की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के प्रश्न पर या सद्भाव के प्रश्न पर अपील न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष किसी साक्ष्य या तथ्य से समर्थित नहीं है। उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपील न्यायालय ने सुसंगत पहलुओं पर विचार किया था। पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल की यह दलील है कि आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए किन्तु उनकी यह दलील पूर्वोक्त आधार पर उस सीमा तक नहीं स्वीकार की जानी चाहिए, जहां तक विक्रय-विलेख की उपेक्षा का संबंध है।

9. अंत में मैं खण्ड न्यायपीठ के **राम अज्ञान सिंह बनाम मुरलीधर अग्रवाल**[2] वाले निर्णय के प्रति निर्देश करता हूं, जिसमें खण्ड न्यायपीठ ने निम्नानुसार अधिकथित किया है:—

"यह भी एक महत्त्वपूर्ण विचारणा है कि परन्तुक के अधीन फायदा राज्य सरकार के समाधान पर निर्भर करता है और मैं यह समझता हूं कि यह भली-भांति तय हो चुका है कि जहां किसी प्रश्न का अवधारण किसी कानूनी प्राधिकारी के समाधान के अनुसार होता है। उत्प्रेषण के

---

[1] 1978 आर० डी० 184.

[2] 1969 ए० एल० जे० 1060.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लिए पिटीशन पर न्यायालय को उस अवधारण में हस्तक्षेप करने की तब तक अधिकारिता नहीं है जब तक कि यह न सिद्ध कर दिया जाए कि कानूनी प्राधिकारी का समाधान निराधार है या असद्भाव-पूर्वक होने के कारण दूषित हो गया है।"

प्रस्ततु मामले में भी अधिनियम की धारा 5(6) के परन्तुक में यह उपबंधित है कि तथाकथित परन्तुक के खण्ड (ख) का लाभ तभी दिया जा सकता है, जब यह सिद्ध हो जाए कि विहित प्राधिकारी का समाधान हो गया है। मेरी राय में, प्रस्तुत मामले में किसी भी कल्पना के आधार पर यह दलील नहीं दी जा सकती कि सम्बद्ध प्राधिकारी अपने समाधान के लिए असद्भावपूर्वक प्रेरित हुआ था या समाधान निराधार कहा जा सकता था।

10. मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि श्री बी० पी० सिंह ने मेरे सम्मुख कुछ और दलीलें देनी चाहीं लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी क्योंकि अपील न्यायालय के सम्मुख एकमात्र विवाद, जिसकी संयाचना की गई थी, प्रश्नगत विक्रय-विलेख की उपेक्षा से संबंधित है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं किसी प्रकार की अपीली अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तथापि अन्त में, पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल ने यह निवेदन किया कि उसके मुवक्किल को अधिनियम की धारा 12-क के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने का हक है। इस संबंध में विद्वान् स्थायी काउन्सेल ने यह बताया कि प्रतिशपथ पत्र के पैरा 15 में राज्य का यह दावा है कि भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया था और इसलिए भूधारी का अधिकार निर्वापित हो गया था। यह दलील सहीं नहीं है। अधिकतम सीमा की कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान राज्य को प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने का हक नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है कि अपील न्यायालय के सम्मुख अधिकतम-सीमा-अपील अभी भी लम्बित थी और अपील में निर्णय के पूर्व अधिनियम की धारा 14 के अधीन कलक्टर कब्जा नहीं ले सकता था। इस दृष्टिकोण से मामले में मैं यह अभि-निर्धारित करता हूं कि यदि राज्य ने प्रश्नगत भूमि का किसी प्रकार का कब्जा ले लिया है तो वह अवैध है और भूमि का कब्जा भूधृतिधारक को दिया जाएगा। वह अधिनियम की धारा 12-क के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने का हकदार होगा और संबद्ध प्राधिकारी तथाकथित धारा में अधिकथिक ऐसे विकल्प को यथासंभव स्वीकार करेंगे। इस न्यायालय ने बहुत से निर्णयों में बलपूर्वक कहा है कि यह विधायी आदेश है और भूधारी द्वारा दिए गए विकल्प को स्वीकार करने के लिए वास्तविक प्रयास किया जाना चाहिए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

11. पूर्वकथित मत व्यक्त करने के साथ मैं रिट पिटीशन का निपटारा करता हूं। मामले की इन परिस्थितियों में खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिए जाते हैं।

रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

खन्ना/ब्रह्म

नि० प० 1983 : इलाहाबाद—497

मैसर्स उत्तराखण्ड फोरेस्ट कं० और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(M/s Uttarakhand Forest Co. and another *Vs.* State of Uttar Pradesh and others)

तारीख 29 नवम्बर, 1982

[मुख्य न्या० सतीश चन्द्र और न्या० के० सी० अग्रवाल]

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1959 धारा 128 (1)(vii) तथा धारा 128(1)(xiv)—उक्त धारा 128(1)(vii) के अधीन नगरपालिका द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर पथ-कर अधिरोपित किया जाना उस दशा में विधिमान्य है, यदि संग्रहण बिन्दु नगरपालिका की सीमा से बाहर है। पथ-कर का धारा 128(1)(vii) में विनिर्दिष्ट उल्लेख है, अतः स्लीपरों पर पथ-कर के उद्ग्रहण को न्यायोचित ठहराने के लिए खण्ड (xiv) में अन्तर्विष्ट अवशिष्टीय उपबन्ध का अवलम्ब नहीं लिया जा सकता है।

पिटीशनर रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म है, जिसके भागीदारों में से एक पिटीशनर सं० 2 है। पिटीशनर वन के ठेके लेने और इमारती लकड़ी बेचने का कारबार करता है। तख्तों और लट्ठों के परिवहन को सुकर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 के अधीन नियम विरचित किए हैं, जिनमें अधिसूचित या नियत बिन्दुओं पर नदी के रास्ते लाई गई इमारती लकड़ी के संग्रहण की चर्चा भी की गई है। जुलाई, 1975 में नगरपालिक बोर्ड ने पिटीशनर सं० 1 पर सूचना की तामील की, जिसमें उससे प्रति तख्ता 5 पैसे की दर से पथ-कर का संदाय करने की अपेक्षा की गई। यह भी अधिसूचित किया गया था कि पथ-कर का संदाय नहीं किया गया था, अतः

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पिटीशनर सं० 1 शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी था। इस मांग के विरुद्ध पिटीशनर सं० 1 ने नगरपालिक बोर्ड को अभ्यावेदन किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि गंगा नदी के रास्ते लाए गए तख्तों और लट्ठों पर पथ-कर संदेय नहीं था, अतः, नगरपालिक बोर्ड इन वस्तुओं पर न तो पथ-कर उद्गृहीत कर सकता था और न उसकी वसूली के लिए कोई प्रपीड़क रीति ही अपना सकता था। चूंकि, प्रत्यर्थी सं० 3 ने पिटीशनर सं० 1 का आवेदन स्वीकार नहीं किया, अत: पिटीशनर ने उच्च न्यायालय में इस आशय के परमादेश के लिए प्रस्तुत रिट पिटीशन फाइल किया कि प्रत्यर्थियों को पिटीशनर से पथ-कर वसूल न करने का निदेश किया जाए, और तारीख 18 नवम्बर, 1968 की अधिसूचना को अभिखण्डित किया जाए, जिसके द्वारा पथ-कर आरोपित किया गया था।

अभिनिर्धारित—रिट पिटीशन खारिज किया गया।

"पथ-कर" पद से किसी वस्तु के उपयोग के लिऐ धन की राशि, अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के उपयोग के लिए या उसके द्वारा किए गए सुधार के लिए प्रतिकर या प्रतिफल उपदर्शित होता है। वह पद धन की ऐसी किसी राशि के लिए उचित रूप में लागू किया जा सकता है, जो किसी फायदे की बाबत ली जाती है और यह फायदा भूमि के अस्थायी उपयोग के रूप में होता है। अतः, पथ-कर के उद्ग्रहण के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति को कुछ फायदा मिलना चाहिए, जिससे वह प्रभारित किया जाता है। यह प्रश्न तथ्य का प्रश्न है कि क्या किसी विशेष मामले में ऐसे व्यक्ति को कोई फायदा मिला है, जिससे पथ-कर प्रभारित किया गया है। किसी राजमार्ग या पुल के (उससे होकर जाने के द्वारा) उपयोग से पथ-कर प्रभारित करने के लिए कुछ दर का उद्ग्रहण न्यायोचित हो सकता है। यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को कुछ फायदा अवश्य ही मिलना चाहिए, जिससे पथ-कर वसूल किया जाता है। (पैरा 13)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 128(1) का खण्ड (xiv) अवशिष्टीय उपबंध है, जो अन्य करों को सम्मिलित करने के लिए आशयित है, जिन्हें अधिरोपित करने के लिए राज्य के विधानमण्डल को प्राधिकार प्राप्त है, किन्तु जिन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है। चूंकि पथ-कर का धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, अत: स्लीपरों पर पथ-कर के उद्ग्रहण को न्यायोचित ठहराने के लिए खण्ड (xiv) में अन्तर्विष्ट अवशिष्टीय उपबंध का अवलम्ब नहीं लिया जा सकता है। अधिसूचना में संशोधन करके जो नगर-पालिक बोर्ड द्वारा जारी की गई थी, गंगा नदी के रास्ते नगरपालिका के भीतर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लाए गए स्लीपरों पर पथ-कर प्रभारित करने के लिए परिवर्धन किया गया है। ऐसा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 128(1) (vii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया। तद्नुसार, यह स्पष्ट है कि स्लीपरों पर पथ-कर नगरपालिक बोर्ड द्वारा धारा 128(1)(vii) के अधीन उद्गृहीत किया गया है और इसलिए खण्ड (xiv) पर विचार नहीं किया जा रहा है। धारा 128 में कतिपय करों को नाम द्वारा प्रगणित किया गया है और उसके द्वारा बोर्ड को उन्हें उद्गृहीत करने की शक्ति प्रदत्त की गई है। खण्ड (xiv) अवशिष्टीय उपबंध है, जो अन्य करों को सम्मिलित करने के लिए आशयित है, जिन्हें आधिरोपित करने के लिए राज्य के विधानमंडल को प्राधिकार प्राप्त है, किन्तु जिन्हें प्रगणित नहीं किया गया है। चूंकि, पथ-कर का धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, अतः स्लीपरों पर पथ-कर के उद्ग्रहण को न्यायोचित ठहराने के लिए खण्ड (xiv) में अन्तर्विष्ट अवशिष्टीय उपबंध का अवलम्ब नहीं लिया जा सकता है। 1955 से पहले, स्लीपरों पर किसी प्रकार का पथ-कर अधिरोपित नहीं किया जाता था। उस अधिसूचना में संशोधन करके, जो पहले ऋषिकेश के नगरपालिक बोर्ड द्वारा जारी की गई थी, गंगा नदी के रास्ते ऋषिकेश नगरपालिका के भीतर लाए गए स्लीपरों पर पथ-कर प्रभारित करने के लिए परिवर्धन किया गया है। ऐसा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 128(1)(vii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि स्लीपरों पर पथ-कर नगरपालिक बोर्ड द्वारा धारा 128(1)(vii) के अधीन उद्गृहीत किया गया है और इसलिए खण्ड (xiv) पर विचार नहीं किया जा रहा है। (पैरा 13)

किसी उपबन्ध के शक्तिबाह्य होने का साधारण सिद्धान्त यह है कि नगरपालिक बोर्ड अधिनियम में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में ही और विहित रीति में ही उपविधियां बना सकता है। पथ-कर के उद्ग्रहण के लिए बनाई गई उपविधियों को, विधिमान्य होने के लिए, विधानमण्डल द्वारा अधिरोपित सीमाओं के अन्दर आना चाहिए। यद्यपि संविधान की सप्तम अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि सं० 59 द्वारा राज्य के विधानमण्डल को पथ-कर उद्गृहीत करने हेतु विधियां बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई है, फिर भी राज्य विधानमंडल ने नगरपालिका की सीमा में प्रवेश करने वाली गाड़ियों, अन्य सवारियों, पशुओं और लदे हुए कुलियों पर पथ-कर उद्गृहीत करने की सीमित शक्ति प्रदत्त की है। उस शक्ति का प्रयोग या विस्तार गंगा नदी के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रास्ते लाए गए स्लीपरों पर पथकर के संबंध में नहीं किया जा सकता है। (पैरा 21)

धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड(vii) द्वारा नगरपालिका की सीमा में प्रवेश करने वाले लदे हुए कुलियों पर पथ-कर अधिरोपित किया गया है। स्पष्टतः, लदे हुए कुलियों पर पथ-कर का उद्ग्रहण ऐसे माल पर कर अधिरोपित करने के लिए आशयित है, जो उनकी मार्फत नगरपालिका की सीमा के भीतर लाया जाता है। अतः लदे हुए कुलियों पर, जो स्लीपर लाते हैं, पथ-कर का उद्ग्रहण इस खण्ड के अधीन न्यायोचित ठहराया जा सकता है। (पैरा 24)

नगरपालिक बोर्ड द्वारा फाइल किए गए पूरक प्रति-शपथपत्र और उससे संलग्न नक्शे से यह प्रतीत होता है कि गंगा नदी नगरपालिक बोर्ड की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर है। पूरक प्रति-शपथपत्र के पैरा 1 और 2 में उपर्युक्त स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इस पूरक प्रति-शपथपत्र के उत्तर में कोई भी शपथपत्र फाइल नहीं किया गया है, जिससे उसमें वर्णित तथ्यों का खण्डन होता। परिणामतः, पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल का यह तर्क कि गंगा नदी ऋषिकेश नगरपालिक बोर्ड की सीमा के भीतर है और इसलिए पथ कर का उद्ग्रहण विधिमान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। (पैरा 25)

		पैरा
[1970]	ए० आई० आर० 1970 एस० सी 58 : सीतापुर नगरपालिका बनाम प्रयाग नारायण (Sitapur Municipality *Vs.* Prayag Narain);	11
[1966]	ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1502 : नगरपालिक बोर्ड, हरिद्वार बनाम रघुबीर सिंह (Municipal Board, Hardwar *Vs.* Raghubir Singh)	14

का अवलम्ब लिया गया।

आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1975 का सिविल प्रकीर्ण रिट सं० 981.

संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन।

पिटीशनरों की ओर से ... श्री वी० एन० खरे

प्रत्यर्थियों की ओर से ... श्री वी० डी० सिंह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय का निर्णय न्या० के० सी० अग्रवाल ने दिया।

न्या० अग्रवाल :

पिटीशनर सं० 1 मैसर्स उत्तराखण्ड फारेस्ट कम्पनी रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म है, जिसके भागीदारों में से एक पिटीशनर सं० 2, जगत भूषण बत्रा है। पिटीशनर सं० 1 वन के ठेके लेने और इमारती लकड़ी बेचने का कारवार करता है। पिटीशनर सं० 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित वनों के पेड़ों की नीलामी किया करता था, और उन्हें काटने के पश्चात् और उनके लट्ठे और तख्ते (लॉग और स्लीपर) बनाने के पश्चात्, पिटीशनर सं० 1 मार्ग द्वारा या नदी द्वारा उनका परिवहन किया करता था।

2. तख्तों और लट्ठों के परिवहन को सुकर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 के अधीन नियम विरचित किए हैं, जिनमें अधिसूचित या नियत बिन्दुओं पर नदी के रास्ते लाई गई इमारती लकड़ी के संग्रहण की चर्चा भी की गई है। नियत किए गए विभिन्न बिन्दुओं में से एक बिन्दु ऋषिकेश में था।

3. जुलाई, 1975 में ऋषिकेश के नगरपालिक बोर्ड ने पिटीशनर सं० 1 पर सूचना की तामील की, जिसमें उससे प्रति तख्ता 5 पैसे की दर से पथ-कर का संदाय करने की अपेक्षा की गई। यह भी अधिसूचित किया गया था कि पथ-कर का संदाय नहीं किया गया था, अत: पिटीशनर सं० 1 शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी था। इस मांग के विरुद्ध पिटीशनर सं० 1 ने नगरपालिक बोर्ड को अभ्यावेदन किया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि गंगा नदी के रास्ते लाए गए तख्तों और लट्ठों पर पथ-कर संदेय नहीं था, अत: नगरपालिक बोर्ड इन वस्तुओं पर न तो पथ-कर उद्गृहीत कर सकता था और न उसकी वसूली के लिए कोई प्रपीड़क रीति ही अपना सकता था। चूंकि, प्रत्यर्थी सं० 3 ने पिटीशनर सं० 1 का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया, अत: इस आशय के परमादेश के लिए प्रस्तुत रिट पिटीशन फाइल किया गया है कि प्रत्यर्थियों को पिटीशनर से पथ-कर वसूल न करने का निदेश किया जाए, और तारीख 18 नवम्बर, 1968 की अधिसूचना को अभिखण्डित किया जाए, जिसके द्वारा पथ-कर अधिरोपित किया गया था।

4. अब हम, बहुत संक्षेप में, ऋषिकेश के नगरपालिक बोर्ड द्वारा पथ-कर अधिरोपित किए जाने के इतिहास का वर्णन करेंगे। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 128(1)(vii) द्वारा नगरपालिक बोर्ड को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नगरपालिका में प्रवेश करने वाली गाड़ियों और अन्य सवारियों, पशुओं और लदे हुए कुलियों पर पथ-कर अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। "पथ-कर" के उद्ग्रहण को संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची सं 2० को प्रविष्टि 59 द्वारा प्राधिकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 128(1) के खण्ड (vii) को उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वशासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम [यू० पी० अर्बन लोकल सैल्फ गवर्नमेंट लाज (सेकेण्ड अमेंडमेंट) ऐक्ट], 1979 द्वारा संशोधित किया गया है। इस संशोधन अधिनियम के अधीन, जो तारीख 6 जून, 1979 को प्रवृत्त हुआ, अब ऐसी गाड़ियों और अन्य सवारियों पर पथ-कर उद्गृहीत नहीं किया जा सकता है, जो नगरपालिक की सीमाओं के बाहर स्थित बिन्दु तक अपनी यात्रा के दौरान नगरपालिका की सीमाओं में प्रविष्ट करती हैं और नगरपालिक सीमाओं के भीतर लदा हुआ माल या उसका कोई भाग नहीं उतारतीं। किन्तु प्रस्तुत मामले में, हमारा संबंध अधिरोपण की विधिमान्यता से है, जैसी कि (उसकी) स्थिति पूर्वोक्त संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व थी, अतः हम उस पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषिकेश के नगरपालिक बोर्ड ने तारीख 27 सितम्बर, 1956 की राजपत्र-अधिसूचना द्वारा, तारीख 27 मार्च, 1954 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित पथ-कर सूची में परिवर्धन किया। किया गया परिवर्धन इस प्रकार था :—

> "गंगा नदी के रास्ते ऋषिकेश नगरपालिका के भीतर लाए गए तख्तों पर 6 पाई प्रति तख्ता की दर से कर प्रभारित किया जाएगा।"

6. उसके पश्चात्, प्रति तख्ता 6 पाई की दर को, नई मीटरी प्रणाली आरम्भ किए जाने के कारण, वर्ष 1964 में उपान्तरित किया गया। तारीख 18 नवम्बर, 1968 की अधिसूचना द्वारा, जो तारीख 30 नवम्बर, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई, तख्तों पर पथ-कर की दर प्रति तख्ता 5 नए पैसे नियत की गई। यह प्रविष्टि इस प्रकार है :—

> "गंगा नदी के रास्ते नगरपालिका की सीमा में लाए जाने वाले स्लीपरों पर, प्रति स्लीपर ··· 5 नए पैसे"

7. पथ-कर के अधिरोपित किए जाने की विधिमान्यता को चुनौती देते हुए पिटीशनर ने सर्वप्रथम जो मुद्दा उठाया वह अधिनिम की धारा 131 से 134 के उपबंधों का अनुपालन न किए जाने के संबंध में था। तारीख 18 नवम्बर,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1968 को अधिसूचना द्वारा वर्ष 1968 में दर के परिवर्तन की विधिमान्यता को चुनौती देते समय भी यही तर्क दिया गया था।

8. प्रति-शपथपत्र में, धारा 131 से 134 के अननुपालन के बारे में पिटीशनर द्वारा किए गए अभिकथन का प्रत्याख्यान किया गया है। यह प्राख्यान किया गया है कि तारीख 31 मार्च, 1955 के संकल्प सं० 2 द्वारा नगरपालिक बोर्ड ने गंगा नदी के रास्ते ऋषिकेश नगरपालिक सीमाओं के भीतर लाए गए स्लीपरों पर प्रति स्लीपर 2 पाई की दर से कर अधिरोपित करने की प्रस्थापना की। इस प्रस्थापना का डोंडी पिटवाकर तथा अन्य साधनों द्वारा व्यापक प्रचार किया गया। अनुज्ञात समय के भीतर कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए। तत्पश्चात् नगरपालिक बोर्ड ने तारीख 25 नवम्बर, 1955 के संकल्प सं० 30 द्वारा, अन्ततः बोर्ड के तारीख 31 मार्च, 1955 के संकल्प सं० 2 को स्वीकार कर लिया और मंजूरी तथा अनुमोदन हेतु प्रस्थापना विहित प्राधिकारी (आयुक्त, मेरठ प्रभाग) को प्रस्तुत की, जिन्होंने तारीख 9 जुलाई, 1956 के पत्र द्वारा मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने पर धारा 135(3) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसमें 15 अक्तूबर, 1956 पथ-कर अधिरोपित किए जाने की तारीख नियत की गई।

9. हमने रिट पिटीशन के साथ फाइल किए गए सुसंगत कागज पत्रों का परिशीलन कर लिया है और प्रति-शपथपत्र में किए गए प्रकथनों पर विचार कर लिया है। किए गए प्रकथनों से हमारा यह समाधान हो गया है कि पथ-कर के उद्ग्रहण के लिए अपेक्षित प्रक्रिया अपनाई गई थी और पिटीशनर का यह कथन साबित नहीं होता है कि उद्ग्रहण उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में अन्तर्विष्ट आज्ञापक उपबंधों के उतलंघन में किया गया था। वस्तुतः, धारा 135(3) के अधीन अधिसूचना का जारी किया जाना इस तथ्य का निश्चायक सबूत है कि पथ-कर के अधिरोपित किए जाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सभी आवश्यक उपाय कर लिए गए थे। हम यह पाते हैं कि धारा 131(3) का अनुपालन किया गया था। प्रस्तुत मामले में निवासियों को पथ-कर अधिरोपित किए जाने की बाबत आक्षेप प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिला था किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

10. जहां तक परिवर्तन का संबंध है, यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि पथ-कर का अधिरोपण, जो प्रति स्लीपर 6 पाई की दर से था, वर्ष 1968 में प्रति स्लीपर 5 नए पैसे कर दिया गया था। यह परिवर्तन मीटरी प्रणाली के प्रवृत्त होने के कारण आवश्यक हो गया था। वस्तुतः प्रति स्लीपर 6 पैसे के स्थान पर प्रति स्लीपर 5 नए पैसे के इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप दर में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कमी हुई थी, न कि वृद्धि। ऐसी स्थिति में, उद्ग्रहण को धारा 131 से 134 के अननुपालन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। कम की गई दर पर पथ-कर के उद्ग्रहण की बाबत नए सिरे से आक्षेप आमंत्रित न किए जाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन अधिनियम), 1964 द्वारा, धारा 132(2) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया :—

> *"परन्तु ऐसा कोई भी प्रकाशन उस स्थिति में आवश्यक नहीं होगा, जिसमें उपान्तरण मूलतः प्रस्थापित कर की रकम या दर में कटौती तक ही सीमित रहता है।"

11. यह संशोधन वर्ष 1964 में प्रवृत्त हुआ। संशोधन कर दिए जाने के पश्चात्, अब इस बारे में कोई भी शंका नहीं रह गई है कि यदि कर की दर कम की जाती है, तो धारा 131 से 135 का अनुपालन आवश्यक नहीं है। **सीतापुर नगरपालिका** बनाम **प्रयाग नारायण**[1] वाले मामले में जल करके उद्ग्रहण की कटौती को धारा 131 से 135 के अननुपालन के आधार पर चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोक्त संशोधन अधिनियम के आधार पर उक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया।

12. पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल ने दूसरा तर्क यह दिया कि गंगा नदी के रास्ते लाए गए स्लीपरों और इमारती लकड़ी पर कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं था, अतः ऋषिकेश के नगरपालिक बोर्ड द्वारा पथ-कर का उद्ग्रहण अधिनियम के अनुसार शक्तिबाह्य था। इस संबंध में काउन्सेल ने यह दलील भी दी कि पिटीशनर पर सूचना की तामील आवश्यक नहीं थी, अतः पथ-कर का उद्ग्रहण न्यायोचित नहीं था। हम पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल द्वारा किए गए निवेदन से सहमत होने में असमर्थ हैं।

13. "पथकर" पद से किसी वस्तु के उपयोग के लिए धन की राशि, अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के उपयोग के लिए या उसके द्वारा किए गए सुधार के लिए प्रतिकर या प्रतिफल उपदर्शित होता है। यह पद धन की ऐसी किसी राशि के लिए उचित रूप में लागू किया जा सकता है, जो किसी फायदे की बाबत ली जाती है

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

> "Provided that no such publication shall be necessary where the modification is confined to reduction in the amount or rate of the tax originally proposed."

---

[1] ए० आई० आर० 1970, एस० सी० 58.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और यह फायदा भूमि के अस्थायी उपयोग के रूप में होता है । अतः, पथ-कर के उद्ग्रहण के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति को कुछ फायदा मिलना चाहिए, जिससे वह प्रभारित किया जाता है । यह तथ्य संबंधी प्रश्न है कि क्या किसी विशेष मामले में ऐसे व्यक्ति को कोई फायदा मिला है, जिससे पथ-कर प्रभारित किया गया है। किसी राजमार्ग या पुल के (उससे होकर जाने के द्वारा) उपयोग से पथ-कर प्रभारित करने के लिए कुछ दर का उद्ग्रहण न्यायोचित हो सकता है । यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को कुछ फायदा अवश्य ही मिलना चाहिए, जिसके लिए पथ-कर वसूल किया जाता है ।

14. **नगरपालिक बोर्ड, हरिद्वार बनाम रघुबीर सिंह**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पथ-कर की प्रकृति पर विचार किया था । उच्चतम न्यायलय ने यह बताया :—

> "पथ-कर कई प्रकार का होता है और निस्संदेह सभी प्रकार के पथकरों के बारे में यह माना जाना चाहिए कि वे भारत शासन अधिनियम (गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट), 1935 या संविधान में पथ-कर से संबंधित प्रविष्टि के अन्तर्गत आते हैं। उदाहरणार्थ, अन्तरवहन पथ-कर (टोल) थ्रू और पारगमन पथ-कर (टोल ट्रैवर्स), जो दो मुख्य उप विभाजन हैं और तत्पश्चात् स्टाल पथ-कर (टोल स्टालेज) । प्रथम पथ-कर ऐसे पशुओं और मनुष्यों के लिए नगरों द्वारा विहित उद्ग्रहण है, जो किसी नगर के राजमार्ग या जलमार्ग या उसके पुलों से होकर गुजरते हैं। पारगमन पथकंर (टोल ट्रैवर्स) किसी प्राइवेट व्यक्ति की भूमि से होकर गुजरने के लिए भी है······"

15. "पथ-कर" पद के उपर्युक्त निर्वचन के आधार पर, इस बात के बारे में कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है कि पथ-कर उद्गृहीत करने के लिए प्रतिफल आवश्यक है। यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति द्वारा प्रसुविधा या लाभ या विशेषाधिकार का उपभोग अवश्य ही किया जाना चाहिए, जिससे पथ-कर लिया जाता है।

16. "पथ-कर" पद के अर्थ पर विचार करने के पश्चात् अब हम पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल के इस तर्क पर विचार करेंगे कि गंगा नदी के रास्ते ऋषिकेश नगरपालिका के भीतर लाए गए स्लीपरों पर पथ-कर उद्ग्रहणीय नहीं था। उस संबंध में पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल ने यह तर्क दिया था कि

---

[1] ए० आई० आर० 1966, एस० सी० 1502.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्लीपर नगरपालिक सीमा के भीतर लदे हुए कुली या गाड़ियों द्वारा या अन्य सवारियों द्वारा लाए जाने चाहिए और चूंकि प्रस्तुत मामले में उन्हें नगरपालिक बोर्ड के क्षेत्र के अन्दर लाने के लिए कुली नहीं किए गए थे, अतः कर उद्ग्रहणीय नहीं था।

17. पिटीशनर के तर्क पर विचार करने के लिए, हम उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 के सुसंगत उपबंधों के प्रति निर्देश करना उचित समझते हैं, जिनके अधीन ऋषिकेश के नगरपालिक बोर्ड ने पथ-कर उद्गृहीत किया था। धारा 128(1)(vii) इस प्रकार है :—

> *"धारा 128. कर, जो अधिरोपित किए जा सकेंगे।
>
> (1) इस इस विषय में प्रान्तीय सरकार के किन्हीं भी साधारण नियमों या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसे कर जिन्हें बोर्ड सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में या उसके किसी भाग में अधिरोपित कर सकेगा, निम्नलिखित हैं :—
>
> × × ×
>
> (vii) नगरपालिका में प्रवेश करने वाली गाड़ियों और अन्य सवरियों, पशुओं और लदे हुए कुलियों पर पथ-कर।"

18. धारा 128 में कतिपय करों को नाम द्वारा प्रगणित किया गया है और उसके द्वारा बोर्ड को उन्हें उद्गृहीत करने की शक्ति प्रदत्त की गई है। खण्ड (xiv) अवशिष्टीय उपबंध है, जो अन्य करों को सम्मिलित करने के लिए आशयित है, जिन्हें अधिरोपित करने के लिए राज्य के विधानमण्डल को प्राधिकार प्राप्त है, किन्तु जिन्हें प्रगणित नहीं किया गया है। चंकि, पथ-कर का धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, अतः स्लीपरों पर पथ-कर के उद्ग्रहण को न्यायोचित ठहराने के लिए खण्ड (xiv)

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

> "S.128. Taxes which may be imposed.
>
> (2) Subject to any general rules or special orders of the Provincial Government in this behalf, the taxes which a Board may impose in the whole or any part of a municipality are :—
>
> × × ×
>
> (vii) a toll on vehicles and other conveyances, animals and laden coolies entering the municipality."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में अन्तर्विष्ट अवशिष्टीय उपबंध का अवलम्ब नहीं लिया जा सकता है। हम ऊपर यह बता चुके हैं कि 1955 से पहले, स्लीपरों पर किसी प्रकार का पथकर अधिरोपित नहीं किया जाता था। उस अधिसूचना में संशोधन करके जो पहले ऋषिकेश के नगरपालिक बोर्ड द्वारा जारी की गई थी, गंगा नदी के रास्ते ऋषिकेश नगरपालिका के भीतर लाए गए स्लीपरों पर पथ-कर प्रभारित करने के लिए परिवर्धन किया गया है। ऐसा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 128(1)(vii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि स्लीपरों पर पथ-कर नगरपालिक बोर्ड द्वारा 128(1)(vii) के अधीन उद्गृहीत किया गया है और इसलिए खण्ड (xiv) पर विचार नहीं किया जा रहा है।

19. हरिद्वार नगरपालिका बनाम रघुबीर सिंह[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय से इस प्रश्न पर विचार करने की अपेक्षा की गई थी क्या ऐसे पथ-कर को न्यायोचित ठहराने के लिए धारा 128(1) के खण्ड (xiv) का अवलम्ब लिया जा सकता है, जो धारा 128(1) के खण्ड (vii) के अन्तर्गत नहीं आता था। उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया और यह अभिनिर्धारित किया :—

> "हमारी राय में, इससे विधानमण्डल द्वारा नगरपालिक बोर्डों को प्रत्यायोजित सभी शक्तियां निश्शेष हो जाती हैं और वह शक्ति पथ-करों की प्रकृति से या अवशिष्टीय खण्ड (xiv) से व्युत्पन्न विचारणाओं द्वारा विस्तारित नहीं की जा सकती है। अतः यह कहना पर्याप्त है कि हरिद्वार नगरपालिका में पथ-कर संगृहीत करने की शक्ति धारा 128(1) के खण्ड (vii) द्वारा वर्ष 1941 में सीमित कर दी गई थी और वह शक्ति अब भी सीमित बनी हुई है।"

20. प्रस्तुत मामले में भी यही स्थिति प्रतीत होती है। पथ-कर उद्गृहीत करने की शक्ति खण्ड (vii) तक ही सीमित है और इसलिए विधानमण्डल द्वारा बोर्ड की शक्ति अभिव्यक्त रूप से इस प्रकार सीमित कर दिए जाने के पश्चात्, हम खण्ड (xiv) के अधीन गंगा नदी के रास्ते लाए गए स्लीपरों पर पथ-कर के उद्ग्रहण को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते हैं।

21. इस संबंध में विचारार्थ अगला प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या गंगा नदी के रास्ते ऋषिकेश नगरपालिक बोर्ड की सीमा के भीतर लाए गए स्लीपरों

---

[1] ए० आई० आर० 1966, एस० सी० 1502.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर पथ कर उद्गृहीत करने वाली अधिसूचना विधिमान्य है। यदि धारा 128(1)(vii) पथ-कर उद्गृहीत करने की शक्ति के संदर्भ में निश्शेषकारी है, तो नगरपालिक बोर्ड उस शक्ति का प्रयोग उक्त खण्ड में प्रगणित विषयों की बाबत ही कर सकता है। धारा 128(1)(ii) का अवलम्ब उसमें वर्णित सीमित प्रयोजनों के लिए ही लिया जा सकता है। उक्त खण्ड के अधीन, नगरपालिक बोर्ड का गंगा नदी के रास्ते लाए गए स्लीपरों पर पथ-कर उद्गृहीत करना न्यायोचित नहीं था। तदनुसार, पथ-कर अनुसूची में किया गया परिवर्धन, जिसके द्वारा ऋषिकेश के नगरपालिक बोर्ड को स्लीपरों पर पथ-कर प्रभारित करने के लिए हकदार बनाया गया है, धारा 128(1)(vii) के विरुद्ध होगा। इस उपबंध के अधीन पथ-कर नगरपालिका में प्रवेश करने वाली गाड़ियों, अन्य सवारियों, पशुओं और लदं हुए कुलियों पर ही उद्गृहीत किया जा सकता था। गंगा नहीं के रास्ते स्लीपरों का लाया जाना उक्त उपबंध के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः उद्ग्रहण अधिनियम के विरुद्ध होगा। किसी उपबंध के शक्तिबाह्य होने का साधारण सिद्धान्त यह है कि नगरपालिक बोर्ड अधिनियम में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में ही और विहित रीति में ही उपविधियां बना सकता है। पथ-कर के उद्ग्रहण के लिए बनाई गई उपविधियों को, विधिमान्य होने के लिए, विधानमण्डल द्वारा अधिरोपित सीमाओं के अन्दर आना चाहिए। यद्यपि संविधान की सप्तम अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि सं० 59 द्वारा राज्य के विधानमण्डल को पथ-कर उद्गृहीत करने हेतु विधियां बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई है, फिर भी राज्य विधानमण्डल ने नगरपालिका की सीमा में प्रवेश करने वाली गाड़ियों, अन्य सवारियों पशुओं और लदे हुए कुलियों पर पथ-कर उद्गृहीत करने की सीमित शक्ति प्रदत्त की। उस शक्ति का प्रयोग या विस्तार गंगा नदी के रास्ते लाए गए स्लीपरों पर पथ-कर के संबंध में नहीं किया जा सकता है।

22. ऋषिकेश के नगरपालिक बोर्ड ने, पूरक प्रति-शपथपत्र द्वारा संविधान की सप्तम अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि सं० 56 के अधीन, जिसके द्वारा राज्य के विधानमण्डल को मार्ग द्वारा या अन्तर्देशीय जलमार्ग द्वारा माल और यात्रियों पर कर अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया गया है, पथ-कर के उद्ग्रहण को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। यह निवेदन किया गया कि गंगा नदी का अन्तर्देशीय जलमार्ग है, अतः उक्त खण्ड के अधीन पथ-कर का उद्ग्रहण न्यायोचित था। हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हम ऊपर यह अभिनिर्धारित कर ही चुके हैं कि जहां तक पथ-कर का संबंध है, विधानमण्डल ने इस शक्ति को धारा 128(1)(vii) तक ही सीमित रखा है। चूंकि पथ-कर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के संबंध में प्रत्यक्ष उपबंध मौजूद है, अतः उसे निश्शेषकारी उपबंध माना जाना चाहिए।

23. नगरपालिक बोर्ड के विद्वान् काउन्सेल ने आनुकल्पिक रूप से यह दलील दी कि वह संग्रहण बिन्दु (कैचमैण्ट पॉयण्ट) जहां से स्लीपर संगृहीत किए गए थे, ऋषिकेश की नगरपालिक सीमाओं के बाहर था और वे लदे हुए कुलियों द्वारा ऋषिकेश नगरपालिका की सीमा के भीतर लाए गए थे, अतः उस आधार पर उद्ग्रहण न्यायोचित होगा। यह निवेदन किया गया कि वर्ष 1954 में अनुसूची में किया गया परिवर्धन भी अविधिमान्य माना गया, अतः लदे हुए कुलियों द्वारा लाए गए स्लीपरों पर पथ-कर का उद्ग्रहण स्वयं मुख्य उपबंध के अधीन न्यायोचित था। उक्त प्रयोजन के लिए विद्वान् काउन्सेल ने द्वितीय पूरक प्रति-शपथपत्र का अवलम्ब लिया, जिसमें ऋषिकेश नगरपालिका की पूर्वी सीमा वर्णित की गई है। उसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है :—

> "पूर्व पड़ाव की दक्षिणी सीमा से 2050 की दूरी पर मील के दूसरे फर्लांग तक गंगा का दक्षिणी तट।"

24. उपर्युक्त पैरा की सहायता से काउन्सेल ने यह दलील दी कि संग्रहण बिन्दु नगरपालिक सीमा के बाहर था और यह कि गंगा नदी स स्लीपर सगृहीत करने के पश्चात्, उन्हें लदे हुए कुलियों द्वारा ऋषिकेश नगरपालिक बोर्ड की सीमा के भीतर लाया जाता है। धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) द्वारा नगरपालिका की सीमा में प्रवेश करने वाले लदे हुए कुलियों पर पथ-कर अधिरोपित किया गया है। स्पष्टतः, लदे हुए कुलियों पर पथ-कर का उद्ग्रहण ऐसे माल पर कर अधिरोपित करने के लिए आशयित है, जो उनकी मार्फत नगरपालिका की सीमा के भीतर लाया जाता है। अतः लदे हुए कुलियों पर, जो स्लीपर लाते हैं, पथ-कर का उद्ग्रहण इस खण्ड के अधीन न्यायोचित ठहराया जा सकता है। जैसा कि प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल ने तर्क दिया है, "प्रवेश करने वाली/प्रवेश करने वाला" पद से वह बिन्दु अभिप्रेत नहीं है जिससे ऋषिकेश नगरपालिका का क्षेत्र आरम्भ होता है। पिटीशनर ने प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल के इस तर्क का खण्डन किया।

25. ऋषिकेश नगरपालिक बोर्ड द्वारा फाइल किए गए पूरक प्रति-शपथपत्र और उससे संलग्न नक्शे से यह प्रतीत होता है कि गंगा नदी नगरपालिक बोर्ड की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर है। पूरक प्रति-शपथपत्र के पैरा 1 और 2 में उपर्युक्त स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इस पूरक प्रति-शपथपत्र के उत्तर में कोई भी शपथपत्र फाइल नहीं किया गया है, जिससे उसमें वर्णित तथ्यों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का खण्डन होता। परिणामतः हमारी यह राय है कि पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल का यह तर्क कि गंगा नदी ऋषिकेश नगरपालिक बोर्ड की सीमा के भीतर है और इसलिए पथ-कर का उद्ग्रहण विधिमान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है।

26. ऊपर दिए गए कारणों से रिट पिटीशन असफल रहता है और खर्चे सहित खारिज किया जाता है। अन्तरिम रोक आदेश को प्रभावोन्मुक्त किया जाता है।

रिट पिटीशन खारिज किया गया।

न०/ब्रह्म

नि० प० 1983 : इलाहाबाद—510

बसंत लाल बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट

(Basant Lal *Vs.* The Sub-Divisional Magistrate)

तारीख 12 दिसम्बर, 1982

[न्या० ए० बनर्जी]

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने किराया तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, धारा 9-क और 3 (क)—उक्त धारा 9-क धारा 3(घ) के अर्थान्तर्गत केवल ऐसी धार्मिक संस्था को लागू होती है, जो सार्वजनिक भी हो और कोई संस्था विशेष— सार्वजनिक धार्मिक संस्था है अथवा नहीं—इस बात का अवधारण संबद्ध धार्मिक विचारधारा के अनुसार किया जाएगा।

पिटीशनर और अन्य ठाकुरद्वारा राधाकृष्ण मन्दिर के किराएदार थे। उन्हें भवन वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया गया था। किराएदारों ने 1979 की पिटीशन सं० 5099 द्वारा नीचे के न्यायालय के इस निष्कर्ष को चुनौती दी कि यह मन्दिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है। न्यास के (मन्दिर की सम्पत्तियों के) प्रबन्धक ने उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम की धारा 9-क के अधीन यह अभिवाक् करते हुए आवेदन किए थे कि न्यास एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है और उसने भवन को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया था, इसलिए दुकानों के किराए पुनः नियत किए जाएं। इसके विरुद्ध अपीलार्थियों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ने दो मुद्दे उठाए। प्रथमतः, पिटीशनर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था नहीं थी और द्वितीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट को इन मामलों का विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं थी। इस मामले में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रश्नगत मन्दिर एक धार्मिक सार्वजनिक संस्था है। अगर इसका उत्तर सकारात्मक होता तभी वाणिज्य प्रयोजनों के दिए गए गई भवन की दुकानों के संबंध में किराए का संशोधन किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित—रिट पिटीशन सं० 5099 खारिज व रिट पिटीशन सं० 10457 मंजूर किया गया।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराया तथा बेदखली विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 9-क को लागू करने से पूर्व विवाद की दशा में उपखण्ड मजिस्ट्रेट को इसका विनिश्चय करना आवश्यक है कि क्या संपत्ति सार्वजनिक धार्मिक संस्था की है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट के लिए उपलब्ध अभिलेखगत सामग्री से यह पता लगाना आवश्यक था कि क्या विवादग्रस्त दुकान मंदिर की सम्पत्तियां थी और क्या मंदिर सार्वजनिक मन्दिर की प्रकृति का बन गया था। यदि ऐसा है और अगर यह अपेक्षा कि भवन वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया गया था पूरी हो जाती है तो उस दशा में अधिनियम की धारा 9 ही लागू होगी। वर्तमान मामले में उपखण्ड मजिस्ट्रेट को यह समाधान करना होगा कि सम्पत्ति सार्वजनिक धार्मिक संस्था की है और उसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया गया था (पैरा 20)

निर्णयज विधि के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि यदि मन्दिर समर्पित करने वाला और उसमें सम्पत्ति विन्यस्त करने वाला कोई लिखित विल या विलेख हो, तो यह पता लगाने के लिए कि विन्यास प्राइवेट विन्यास है या सार्वजनिक वह सर्वोत्तम साक्ष्य होगा। जहां पर मन्दिर का उद्गम-इतिहास भूतकाल के गर्भ में लुप्त हो गया है या जहां पर दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है या जहां पर मन्दिर आरंभ में तो प्राइवेट मन्दिर था, परन्तु समय के साथ-साथ वह जनता द्वारा प्रयोग किए जाने लगा, वहां यह पता लगाने के लिए कि वह प्राइवेट मन्दिर है या सार्वजनिक, विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने होंगे। उसके उद्गम के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अतिरिक्त यदि मौखिक साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है तो वह भी सुसंगत परिस्थिति होगी। ऐसी परिस्थिति में यह पता लगाना अनिवार्य होता है कि मन्दिर का प्रयोग किनके द्वारा किया जा रहा है, क्या जनता या उसके किसी भाग द्वारा उसका साधिकार प्रयोग किया जा रहा है, क्या चढ़ावे की वस्तुओं का प्रयोग मन्दिर के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रयोगकर्ताओं तथा देवता के लिए किया जा रहा है, क्या सम्पत्ति से हुई आय का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक और परिस्थिति यह भी होगी कि वह प्राइवेट विन्यास है या सार्वजनिक और उसके प्रबंध तथा नियंत्रण की प्रकृति क्या है ? क्या वह परिवार के सदस्यों तक (वंशानुगत है) या उन तक भी सीमित है, जो न तो संस्थापक के परिवार के सदस्य हैं और न ही उसके संबंधी हैं। यह पता लगाना भी आवश्यक है कि न्यासियों या प्रबन्धकों द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण की प्रकृति क्या है। यदि इससे यह संकेत मिलता हो कि इसका प्रयोग उन भक्तों के लिए किया जाता है जो कि जनता के सदस्य हैं तब इन तमाम परिस्थितियों का सामूहिक रूप से यह निष्कर्ष निकलेगा कि वह एक सार्वजनिक विन्यास है अर्थात् प्राइवेट विन्यास और निजी मन्दिर से भिन्न एक सार्वजनिक मन्दिर है। (पैरा 18)

यह दलील बिल्कुल सही नहीं है कि वर्तमान कार्यवाहियों के समान कार्यवाहियों में तथ्य और विधि के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय नहीं किया जा सकता। जबकि प्राधिकारी को तथ्य या विधि के किसी प्रश्न का निर्णय करने के लिए कहा जाता है, उसे यह समाधान करना होता है कि अधिनियम में प्रकल्पित परिस्थितियां मौजूद हैं और इसके लिए उसे अभिलेखगत सामग्री पर निर्भर होना पड़ता है। धारा 34, नियम 22 उसे किसी भी अभिलेख को मंगाने के लिए प्राधिकृत करता है। और प्रश्न के अवधारण के लिए वह जो भी साक्ष्य आवश्यक समझे, ले सकता है। यह सत्य है कि विवादास्पद मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है और ऐसा साक्ष्य बहुत अधिक मात्रा में भी हो सकता है किन्तु यह इस कथन का आधार नहीं हो सकता कि जब कभी यह विवाद उठाया जाता है कि क्या भवन सार्वजनिक धार्मिक संस्था का है, तो वह मामला अधिनियम की धारा 9-क के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता से परे होगा। अधिनियम का यह आशय नहीं था। मामले को अधिनियम और नियम में अधिकथित विधि के अनुसार निपटाया जाएगा। कोई भी पक्षकार यह नहीं कह सकता कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने उन्हें मामले में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश करने या बहस करने से प्रवारित कर दिया है। इसके विपरीत, जैसा कि आदेश से पता चलता है, पक्षकार ने साक्ष्य पेश किया था और निर्णयज विधि में से अनेक उद्धरण पेश किए थे। यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि इस विवाद का निर्णय कि धार्मिक संस्था सार्वजनिक है या नहीं अधिनियम की धारा 9-क के अधीन जिला मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 9-क का इस प्रकार अर्थान्वयन करने से उसके उपबंध निष्फल हो जाएंगे। विधान-मण्डल का आशय बिल्कुल स्पष्ट था। उसका आशय संस्था के स्वामित्व वाले

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाणिज्यिक परिसर का किराया बढ़ाने का लाभ सार्वजनिक धार्मिक संस्था को देना था। यह उपबंध प्राइवेट धार्मिक संस्था को लागू नहीं होता था और रिहायशी जगह को भी यह लागू नहीं होता था। इस बात का विनिश्चय करने के लिए कि कोई संस्था-विशेष सार्वजनिक है या नहीं, कसौटी सुस्थिर हो चुकी है और न्यायिककल्पतः कार्य करने वाले किसी प्राधिकारी के लिए इसका अवधारण करना असभंव नहीं होगा। न्यायिककल्प प्राधिकारी को अपने आदेश के संबंध में कारण देने होते हैं वर्तमान मामले में ऐसा किया गया है। अतः यह दलील गलत है कि अधिनियम की धारा 9-क के अधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट इस बात का विनिश्चय नहीं कर सकते कि कोई संस्था सार्वजनिक धार्मिक संस्था है या नहीं। (पैरा 21 तथा 22)

		पैरा
[1971]	[1971] 1 उम० नि० प० 144 = ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 57 : बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड **बनाम** पलत लाल और अन्य (The Bihar State Board of Religious Trust *Vs.* Palat Lal and another);	14
[1972]	ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 1766 : टी० डी० गोपालन **बनाम** आयुक्त हिन्दू धार्मिक और पूर्त विन्यास, मद्रास (T. D. Gopalan *Vs.* The Commissioner of Hindu Religious and Cheritable Endowments, Madras);	16
[1957]	ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 133 : देवकी नन्दन **बनाम** मुरलीधर (Devki Nandan *Vs.* Murlidhar);	13
[1937]	ए० आई० आर० 1937 मद्रास 750 : हिन्दू धार्मिक विन्यास बोर्ड **बनाम** वीराराघवाचारलू (Hindu Religious Endowments Board *Vs.* Veeraragh-vacharlu) का अवलम्ब लिया गया।	13
[1970]	ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 458 : रामचन्द्र शुक्ल **बनाम** श्री महादेव जी (Ramchandra Shukla *Vs.* Shree Mahadeoji);	17

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1970] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 2025 : श्री महालक्ष्मी बहूजी बनाम रणछोड़दास कालीदास (Shri Mahalaxmi Bahuji *Vs*. Ranchordas Kalidas); 16

[1960] ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 100 : नारायण बनाम गोपाल (Narayana *Vs*. Gopal); 13

[1930] ए० आई० आर० 1930 मद्रास 209 : नारायण बनाम धार्मिक हिन्दू विनियास बोर्ड (Narayan *Vs*. Hindu Religious Endowments Board); 13

[1934] ए० आई० आर० 1934 प्रिवी कौंसिल 230 : मुन्दा-चोरी कोमन बनाम अच्युतन नायर (Mundachari Koman *Vs*. Achutan Nair); 15

[1924] ए० आई० आर० 1924 प्रिवी कौंसिल 44 : लक्ष्मण बनाम सुब्रह्मण्यम् (Lakshman *Vs*. Subramania) निर्दिष्ट किए गए । 15

आरम्भिक (सिविल प्रकीर्ण रिट) अधिकारिता : 1979 का सिविल प्रकीर्ण रिट पिटीशन सं० 5099, जिसके साथ 1979 के सिविल प्रकीर्ण रिट सं० 10457 भी सुना गया ।

पिटीशनर की ओर से ... सर्वश्री आर० पी० गोयल और आर० आर० अग्रवाल

विरोधी पक्षकार की ओर से ... सर्वश्री पी० के० सिंघल और एच० एस० जोशी

न्यायालय का निर्णय न्या० ए० बनर्जी ने दिया ।

न्या० बनर्जी :

ये दो रिट पिटीशन पिलखुआ, जिला गाजियाबाद में स्थित एक ही सम्पत्ति के सम्बन्ध में हैं । विवादग्रस्त सम्पत्ति श्रीमती राधा जी महारानी और श्री कृष्ण जी महाराज की मूर्तियों से सम्बन्धित हैं जो कि ठाकुरद्वारा राधा-कृष्ण मन्दिर पिलखुआ में प्रतिष्ठापित हैं ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

2. न्यास के प्रबन्धक श्री रघुनन्दन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 9-क के अधीन पांच किरायेदारों द्वारा दिए जाने वाले मासिक किराये का पुनः नियतन करने के लिए पांच आवेदन उपखण्ड मजिस्ट्रेट को दिए। प्रबन्धक ने यह कहा कि पिटीशनर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है, जो अधिनियम की धारा 9-क और धारा 3(क) के अधीन आती है। विरोधी पक्षकार पिटीशन में बताये गए किराए पर मासानुमासी किरायेदार थे। प्रबन्धक ने पांचों दुकानों का बाजार मूल्य भी बताया और यह प्रार्थना की कि किराया वर्तमान किराये से बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए।

3. प्रत्यर्थी बसंत लाल दुकान सं० 73 का किरायेदार था। जगदीश प्रसाद दुकान सं० 71 का किरायेदार था। मैसर्स मुन्नी लाल मुकुट लाल दुकान सं० 70 का किरायेदार था और मुन्नी लाल मुकुट लाल श्रीमती मैना श्रीमती द्रोपदी और श्रीमती लच्छो दुकान सं० 72 के किरायेदार थे। उन्होंने आवेदन का लिखित कथन द्वारा इस आधार पर प्रतिविरोध किया कि धारा 9-क के अर्थ के अनुसार पिटीशनर सार्वजनिक धार्मिक संस्था नहीं था बल्कि वह एक प्राइवेट धार्मिक संस्था है और मंदिर की ओर से श्री रघुनन्दन प्रसाद को आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसे मन्दिर का प्रबन्धक नहीं माना जा सकता और उसे मन्दिर के न्यासियों द्वारा प्राधिकृत भी नहीं किया गया था। पिटीशनर द्वारा बताए गए बाजार मूल्य का प्रत्याख्यान किया गया। अंत में यह दलील भी दी गई कि जिला मजिस्ट्रेट आवेदनों पर निर्णय देने के लिए सक्षम नहीं है।

4. आवेदनों की सुनवाई उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री पी० के० यादव द्वारा की गई थी, जिसने अपने दिनांक 15.5.1979 वाले निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया था कि जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 9-क के अधीन वर्तमान कार्यवाहियों में निर्णय देने में सक्षम है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के किसी या सम्पूर्ण कृत्यों का पालन, शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि उप-खण्ड मजिस्ट्रेट आवेदन का न्यायनिर्णयन करने में सक्षम था। इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक था कि पिटीशनर अधिनियम की धारा 9-क के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक धार्मिक संस्था है। निर्णयज विधि, अभिलेखगत सामग्री और परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने यह अभिनिर्धारित किया कि मन्दिर में सार्वजनिक पूजा स्थल है

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और लोग मन्दिर के उस सार्वजनिक स्थल पर पूजा करने के लिए आते हैं। लोगों को ऐसा करने का अनिर्बन्धित अधिकार है और वे मन्दिर में साधिकार पूजा कर सकते हैं। मन्दिर के कार्यकलाप का प्रबंध भी न्यासियों द्वारा किया जाता है और न्यायसियों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भी उपबन्ध किए गए हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रश्नगत सम्पत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए समर्पित कर दिया गया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि रघुनन्दन प्रसाद मन्दिर की ओर से आवेदन फाइल करने में सक्षम है। तथापि किराए के पुन: नियतन के सम्बन्ध में उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रबन्धक द्वारा किए गए मूल्यांकन को आधार नहीं बनाया गया था और किरायेदारों द्वारा बताये गये मूल्यांकन को आधार बनाया गया था। परिणामत: तीन दुकानों के सम्बन्ध में केबल किराये का सीमान्तक समायोजन ही किया गया था, जबकि दो दुकानों के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया गया कि उनके किराये का पुन: नियतन करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती राधा जी महारानी और श्री कृष्ण जी महाराज की मूर्तियों की ओर से 1979 की रिट पिटीशन सं० 10457 द्वारा निर्णय के उस भाग के विरुद्ध, जिसमें किराये के संशोधन करने से मना कर दिया गया था, या सीमांत समायोजन के लिए कहा गया था, फाइल किया गया था। यह पिटीशन मुख्यत: इस आधार पर फाइल किया गया है कि पिटीशनरों द्वारा सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में पेश की गई सामग्री उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध रूप से नामंज़ूर कर दी गई थी। 1979 का रिट पिटीशन सं० 5099 किरायेदारों द्वारा आदेश के उस भाग के विरुद्ध फाइल किया गया था, जिसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रश्नगत मन्दिर एक सार्वजनिक संस्था है और उसके द्वारा दिए गए आवेदन चलने योग्य हैं।

5. अब मैं किरायेदारों द्वारा फाइल किए गए पिटीशन पर विचार करूंगा, क्योंकि यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 9-क के अधीन मन्दिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था नहीं है, तब आवेदन अवश्य असफल होने चाहिए और पांचों दुकानों का किराया उक्त उपबन्धों के अनुसार तनिक भी उपान्तरित नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेशों को अनुमोदित कर दिया जाता है तब यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या किराये के पुन: नियतन के सम्बन्ध में पारित आदेश विधि के अनुसार थे और वे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि से ग्रस्त नहीं थे। 1979 के रिट पिटीशन सं० 5099 में पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल ने बहुत ही दीर्घ एवं व्यापक बहस की है। किरायेदारों की ओर से सर्वश्री राजा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राम अग्रवाल और आर० पी० गोयल अधिवक्ता थे। श्री राजा राम अग्रवाल ने यह दलील दी कि अधिनियम की धारा 9-क का विस्तार बहुत हीं सीमित है और वह विधि या तथ्य के जटिल प्रश्नों का निर्णय करने के लिए नहीं है। क्या कोई विशिष्ट संस्था सार्वजनिक धार्मिक संस्था है या नहीं इसका निर्णय संक्षिप्त रूप से नहीं किया जा सकता। क्या कोई संस्था, इस मामले में एक मन्दिर, क्या सार्वजनिक प्रयोग के लिए था और उसका प्रबन्ध जनता की ओर से था और वह लोगों को मन्दिर में पूजा करने का अनिर्बन्धित अधिकार प्रदान करता था, न्यासियों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय करने का अधिकार लोगों को था या नहीं और मन्दिर का सार्वजनिक रूप से समर्पित किए जाने का प्रश्न—ये विधि और तथ्य के जटिल प्रश्न हैं। अपरंच, जबकि मामले में गम्भीर रूप से विरोध किया गया था तो इसमें पक्षकारों को अपने-अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए विपुल साक्ष्य पेश करना होगा। ऐसे जटिल प्रश्नों को संक्षिप्त रूप से निर्णीत करने के लिए धारा 9-क के उपबन्ध आशयित नहीं थे। उसने यह भी दलील दी कि अधिनियम की धारा 9-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दो पूर्वापेक्षाएं हैं। अर्थात् क्या भवन लोक विन्यास या सार्वजनिक धार्मिक लोक संस्था है ? यदि यह किसी किरायेदार को दुकान के लिए या वाणिज्यिक स्थापन के लिए दी गई है तब उस मामले में भूस्वामी जिला मजिस्ट्रेट को मासिक किराये के पुन: नियतन के लिए प्रार्थना कर सकता है। अगर यह स्थापित तथ्य है कि वह एक लोक विन्यास या एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है तो इससे यह भी प्रकट हो गया है कि यह एक स्थापित तथ्य है कि भवन किसी किरायेदार को दुकान या वाणिज्यिक संस्थान के लिए किराए पर दिया गया है। जहां पर ये दो शर्तें पूरी हो जाती हैं, वहां जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 9-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जहां पर इन दोनों तथ्यों के संबंध में विवाद है और यह संविवाद की विषयवस्तु है तो यह जिला मजिस्ट्रेट की सक्षमता और अधिकारिता के अन्दर, या किसी और अधिकारी के, जो जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, नहीं आता है, वह अधिनियम की धारा 9-क के अधीन की कार्यवाहियों में इस प्रश्न के संबंध में अन्वेषण नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए यह प्रश्न कि क्या भवन लोक विन्यास या सार्वजनिक धार्मिक संस्था था, संक्षिप्त रूप से निर्णीत नहीं किया जा सकता और उसका निर्णय दिए गए साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 9-क के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए दोनों पक्षकार स्पष्ट रूप से असुविधाग्रस्त स्थिति में थे। अपरंच, अधिनियम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के अधिकार के संबंध में भी उपबंध नहीं है। सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय में, जिसमें कि हक का प्रश्न अंतर्वलित है, उसका निर्णय अंतिम होगा।

7. तब विद्वान् काउन्सेल ने दलील देते हुए कहा कि देवकी नन्दन बनाम मुरलीधर[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति ने किसी संस्था के सार्वजनिक धार्मिक संस्था होने के लिए आवश्यक तत्त्व अधिकथिक किए थे। वर्तमान मामले में सभी तत्त्व मौजूद नहीं थे। लोगों को सौंपने के प्रश्न पर भी निष्कर्ष अनुचित था। विद्वान् काउन्सेल ने यह भी दलील दी कि मन्दिर या मूर्तियों की ओर से रघुनन्दन प्रसाद आवेदन फाइल करने के लिए सक्षम नहीं था और इन कारणों से आवेदन चलने योग्य नहीं था और खारिज करने योग्य था।

8. तथापि प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल श्री एच० एस० जोशी ने यह दलील दी कि यह शुद्धतः तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है कि भवन एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था था या नहीं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट के आदेश में यह बात स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है कि उसने सुसंगत निर्णयज विधि और अभिलेखगत सामग्री पर और साथ ही उन परिस्थितियों पर, जो इस स्थापित तथ्य से प्रकट हुईं कि संस्था एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है, विचार किया है। यह निष्कर्ष तथ्य सम्बन्धी प्रश्न की बाबत था और संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशन में इस पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। उपखण्ड मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष विधि के अनुसार था कि आवेदन अधिनियम की धारा 9-क के अधीन चलने योग्य है। पिटीशनर की ओर से दी गई दलील का कि जब तक दो मूलभूत तथ्य अर्थात् क्या भवन का स्वामी सार्वजनिक धार्मिक संस्था है और उसे वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किराये पर दिया गया है, स्वीकार्य तथ्य नहीं बन जाता तब तक अधिनियम की धारा 9-क के अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, विद्वान् काउन्सेल द्वारा खण्डन किया गया। अधिनियम की धारा 9-क के अधीन फाइल किए गए आवेदन का निर्णय करने लिए जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा साक्ष्य, जैसा आवश्यक हो, लेने के लिए भी अनुज्ञात किया गया है और अधिनियम की धारा 34 और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 22 में साक्ष्य लेने के सम्बन्ध में व्यापक तथा मामले को निर्णीत करने के लिए व्यापक उपबंध किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित तथ्यों से यह निष्कर्ष सिद्ध हो गए थे कि मन्दिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था थी

---

[1] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 133.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और रघुनन्दन प्रसाद इसके प्रबन्धक एवं अध्यक्ष थे। इस रिट पिटीशन में इन निष्कर्षों के आधार पर आक्षेप नहीं किया गया था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन यह न्यायालय साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन नहीं कर सकता ।

9. मैंने न्यायालय में की गई बहस का सार संक्षेप में दे दिया है, जिससे कि पक्षकारों के बीच विवाद का पता लग सके। इसलिए मुझे तथाकथित उपबन्ध के ठीक-ठीक विस्तार और अधिनियम का आशय बताने के लिए अधिनियम की धारा 9-क का सूक्ष्म परीक्षण करना है।

* "धारा 9-क सार्वजनिक धार्मिक सस्थाओं द्वारा किराये पर दिए गए वाणिज्यिक भवनों के किराये में संशोधन :—

(1) जहां पर लोक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था का कोई भवन किसी किरायेदार को दुकान या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया है वहां इस अध्याय में या किसी संविदा या किसी पट्टे में किसी बात के होते हुए भी ऐसे भवन का मकानदार उस भवन के लिए देय मासिक किराये के संशोधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निवेदन कर सकता है। ऐसा किराया किराये पर दिए गए भवन के बाजार मूल्य के बारहवें भाग या उसके दस प्रतिशत मूल्य के बराबर संशोधित कर दिया जाएगा :

परन्तु इस उपधारा के उपबन्धों के अनुसार मकानदार द्वारा

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"9. A Revision of rent of commercial building let out by public religious institutions—

(1) Where any building, belonging to a public charitable or public religious institution has been let out to a tenant for the purposes of a shop or commercial establishment, then notwithstanding anything contained in this Chapter, or in any contract or lease, the landlord of such building may apply to the District Magistrate for revision of the monthly rent payable therefor and such rent shall be revised to a sum equivalent to one-twelfth of ten per centum of the market value of the building under tenancy :

Provided that the rent revised under this sub-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किए गए आवेदन पर आवेदन के समय देय किराये की रकम से दुगुने से अधिक किराया नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार संशोधित किराया उस तारीख से अगले माह को आरंभ होने वाले महीने से देय होगा, जिसमें कि आवेदन किया गया था।

(3) जहां पर उपधारा (1) के अनुसार किसी भवन के किराये को संशोधित कर दिया गया है, वहां मकानदार अंतिम आदेश की तिथि से पांच वर्ष के भीतर उक्त उपधारा (1) के अधीन फिर से आवेदन नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा में 'दुकान' और 'वाणिज्यिक स्थापन' अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक अधिस्थान अधिनियम, 1962 में है।"

इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 3 (ध) में प्रयुक्त 'धार्मिक संस्था' शब्दों की परिभाषा के प्रति निर्देश करना सुसंगत होगा :

---

section shall not exceed double the rent payable on the date of the application by the landlord under this sub-section.

(2) The rent revised under sub-section (1) shall be payable by the tenant from the commencement of the month of tenancy next following the date of the application.

(3) Where the rent of any building has been revised in accordance with sub-section (1) the landlord shall not move a fresh application under the said sub-section whithin a period of five years from the date of the final order.

Explanation : In this section, the expressions 'shop' and 'commercial establishment' shall have the meaning assigned to them in the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962, as amended from time to time."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"3 (ध) 'धार्मिक संस्था' से मन्दिर, मठ, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या सार्वजनिक पूजा का कोई भी स्थान अभिप्रेत है, जिसमें कि वक्फ अलल औलाद के अतिरिक्त वक्फ भी आते हैं।"

10. यह तुरन्त द्रष्टव्य है कि यह परिभाषा "धार्मिक संस्था" पद की है, जबकि अधिनियम की धारा 9-क में "सार्वजनिक धार्मिक संस्था" पद का प्रयोग हुआ है। इसलिए ऊपर वर्णित से यह स्पष्ट हो जाता है कि मात्र धार्मिक संस्था अधिनियम की धारा 9-क के अंतर्गत नहीं आती है। इसे सार्वजनिक धार्मिक संस्था होना चाहिए। इस प्रकार जब तक कि धार्मिक संस्था सार्वजनिक प्रकृति की नहीं है तब तक वह उसके द्वारा धारित वाणिज्यिक भवन के किराए को बढ़ाने के लिए नहीं कह सकती। "सार्वजनिक प्रकृति" अभिव्यक्ति से मैं यह कहना चाहता हूं कि धार्मिक संस्था आम जनता के लाभ और हित के लिए ही केवल नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका स्वरूप निजी धार्मिक संस्था से विपरीत होना चाहिए। यही धारणा किसी मूर्ति को समर्पित मन्दिर को भी लागू होगी, जिसका प्रबंध सार्वजनिक रूप से किया जाता है या जनता की ओर से और जनता की भलाई के लिए किया जाता है।

11. कोई मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर है या निजी—यह उस मामले में स्थापित तथ्यों पर निर्भर करता है। जहां पर मन्दिर का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा प्रयोग उस दशा में विशेष महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जबकि अभिव्यक्त समर्पण का दस्तावेजी साक्ष्य हो और जनता द्वारा उसका प्रयोग अधिव्यक्ततः किया जाता हो। यदि मन्दिर का प्रयोग जनता के लिए अनियंत्रित है तो यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि वह जनता को समर्पित है। दूसरी ओर निजी मन्दिर वह होता है, जिसमें जनता का किसी प्रकार का हित नहीं होता है। निजी देवता के लिए बनाए गए विन्यास के संदर्भ में यह है कि अगर संस्थापक के परिवार के सदस्यों के द्वारा उसका प्रबन्ध किया जाता है और उसका नियंत्रण पूरी तरह से उनके ही हित में है और उसका प्रयोग जनता के लिए निर्बन्धित है, तो उसमें कोई शक नहीं कि इससे यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि वह एक सार्वजनिक मन्दिर नहीं है।

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"3 (S) 'religious institution' means a temple, math, mosque, church, gurudwara or any other place of public worship and includes, waqf not being a Waqf-alal-aulad."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

12. यह पता लगाने के लिए प्रचुर मात्रा में निर्णयज विधि उपलब्ध है कि सम्बन्धित मन्दिर सार्वजनिक है या प्राइवेट। सार्वजनिक मन्दिर होने के लिए चार आवश्यक तथ्य हैं : (क) देवता के पक्ष में विन्यास (ख) जनता के साधिकार दर्शन तथा प्रयोग हेतु खुला होना (ग) जनता द्वारा प्रबन्ध तथा नियंत्रण और (घ) उत्तरोत्तर प्रबन्ध तथा नियंत्रण का मात्र संस्थापक के कुटुम्ब के सदस्यों के हाथों में न होना। ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें ये चारों तत्त्व मौजूद न हों परन्तु सार्वजनिक मन्दिर के मामले में इसका देवता को समर्पित होना, जनता द्वारा इसका प्रयोग अधिकारतः किया जाना नितांत आवश्यक तत्त्व हैं। प्रबन्ध का प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है परन्तु यह पता लगाने के लिए कि मन्दिर सार्वजनिक है या प्राइवेट यही एकमात्र कसौटी नहीं है। संस्थापक मन्दिर के प्रबन्ध तथा नियंत्रण के लिए अपने परिवार के सदस्यों को मनोनीत, देवता को सम्पत्तियां समर्पित, और उत्तराधिकार को प्रबन्धकों तक निर्बन्धित कर सकता है। परन्तु मेरे विचार में यह विनिश्चायक नहीं होगा। न्यास या विन्यास किस प्रकृति का है ? क्या यह सार्वजनिक या प्राइवेट प्रकृति का है ? क्या यह जनता को अधिकारतः प्रयोग करने के लिए अनुध्यात है। अगर ऐसा है, तो यद्यपि संस्थापक द्वारा चुने हुए कुछ व्यक्तियों के हाथ में प्रबन्ध है, तो भी यह मन्दिर के सार्वजनिक होने के वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करेगा। सामान्यतः सार्वजनिक मन्दिर से यह अनुध्यात होता है कि उसका प्रबन्ध जनता द्वारा होता है और उसका उत्तरोत्तर प्रबन्ध करने के लिए जनता स्वतंत्र है तथा वह संस्थापक के परिवार के सदस्यों तक निर्बन्धित नहीं है। परन्तु यह स्वाभाविक ही है कि संस्थापक इस बात के प्रति सजग है कि वह सदैव तो जीवित रहेगा नहीं, इसलिए वह ऐसे लोगों को प्रबन्धक नियुक्त करेगा जिन पर उसे विश्वास है। यह उसके जीवनकाल या उसके मरणोपरांत प्रभावी हो सकता है। संस्थापक उन न्यासियों के उत्तराधिकार की बाबत योजना बना सकता है। वह उसे नामित व्यक्ति के वारिसों तक निर्बन्धित कर सकता है या इसे न्यासियों के विवेक पर छोड़ सकता है। अगर न्यासी उसके परिवार के सदस्य या सम्बन्धी नहीं हैं, तो इससे तुरन्त यह पता लगेगा कि संस्थापक ने प्रबन्ध को पूरी तरह से अपने परिवार के सदस्यों या सम्बन्धियों से दूर रखने के लिए कदम उठाए हैं। अगर यह उपबन्ध कर दिया गया है कि न्यासी किसी को भी, जो उनका वारिस या सम्बन्धी नहीं है, अपने उत्तराधिकारी बना सकते हैं तो यह संस्थापक के परिवार के सदस्यों या उनके सम्बन्धियों से प्रबन्ध तथा नियंत्रण अन्यसंक्रांत करने की दशा में एक और कदम होगा। इस प्रकार यह द्रष्टव्य है कि यदि उत्तराधिकार आनुक्रमिक न्यासियों की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है तो यह प्रतीत होगा कि संस्थापक का आशय मन्दिर को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्राइवेट रखने का था और मन्दिर जनता के लिए खुला था और वे उसका प्रयोग अधिकारतः कर सकते थे। क्रम परिवर्तन और संयोजन के बहुत से भिन्न-भिन्न रंग हैं, परन्तु आवश्यक रूप से यह तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या कोई मन्दिर सार्वजनिक है या प्राइवेट।

13. **देवकी नन्दन** बनाम **मुरलीधर**[1] वाले मामले में निजी और सार्वजनिक न्यास में सुभिन्नता के प्रश्न पर विचार किया गया था। माननीय न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त किया कि :—

> "निजी और सार्वजनिक न्यास में यह सुभिन्नता है कि पूर्वकथित में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होते हैं जबकि पश्चात्कथित में आम जनता या उसका एक वर्ग हिताधिकारी होता है। जबकि पूर्वकथित दशा में हिताधिकारी अभिनिश्चित होते हैं या अभिनिश्चित किए जाने के योग्य होते हैं, पश्चात्कथित में वे एक निकाय गठित करते हैं, जिन्हें अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता।"

माननीय न्यायाधीशों ने यह भी मत व्यक्त किया :—

> "उन सिद्धान्तों को लागू करने पर यह अवश्य घोषित किया जा सकता है कि कोई धार्मिक विन्यास निजी है या सार्वजनिक।"

यह भी मत व्यक्त किया गया कि :—

> "तब प्रश्न यह है कि जब मन्दिर का निर्माण किया गया, मूर्ति की स्थापना की गई और उसके लिए सम्पत्तियां विन्यस्त की गईं, तो उसके हिताधिकारी कौन थे? हिन्दू विधि के अनुसार मूर्ति विधिक व्यक्ति है और सम्पत्ति धारण कर सकता है और संस्था के लिए विन्यस्त सम्पत्तियां उसमें निहित होती हैं। क्या उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह विन्यास का हिताधिकारी स्वामी है? यद्यपि ऐसी कार्यवाहियों में ऐसे विचार प्रचलित थे तो भी सभी संविवादों में से परे यह सिद्ध हो चुका है कि यही सही स्थिति नहीं है।..."

तब माननीय न्यायाधीश ने **हिन्दू धार्मिक विन्यास बोर्ड** बनाम **वीरराघवाचारलू**[2]

---

1 ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 133.
2 ए० आई० आर० 1937 मद्रास 750.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाले मामले में न्या० वरदाचार्य द्वारा दिए गए निर्णय के प्रति निर्देश करते हुए निम्नलिखित मत उद्धृत किया :—

> "जैसा कि मामले में स्पष्ट किया गया है कि मन्दिर को दिया गया दान भगवान को हित प्रदान करना नहीं होता बल्कि पूजा करने वालों को होता है और विन्यास का उद्देश्य करने वालों के लाभ के लिए उस पूजा को बनाए रखना है। इसी विचार के आधार पर किसी विन्यास को निजी या सार्वजनिक न्यास समझा जाता है।"

माननीय न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया :—

> "जब एक बार यह निश्चित हो जाता है कि किसी धार्मिक विन्यास के हिताधिकारी मूर्ति नहीं बल्कि उसकी पूजा करने वाले हैं और विन्यास का उद्देश्य पूजा करने वालों के हित को बनाए रखना है तब इस प्रश्न का विनिश्चय करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है कि विन्यास निजी है या सार्वजनिक। आधारभूत प्रश्न यह है कि क्या संस्थापक का यह आशय था कि विनिर्दिष्ट व्यक्तियों या आम जनता या उसका किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को पूजा करने का अधिकार था। इसी सिद्धान्त के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब सम्पत्ति किसी कौटुम्बिक मूर्ति की उपासना करने के लिए समर्पित की जाती है तब वह प्राइवेट विन्यास है न कि सार्वजनिक विन्यास। क्योंकि जो लोग पूजास्थल में पूजा करने के हकदार होते हैं, वे परिवार के सदस्य होते हैं और वे विनिर्दिष्ट वर्ग के व्यक्ति होते हैं। परन्तु जहां पर हिताधिकारी किसी परिवार के सदस्य नहीं होते हैं या विनिर्दिष्ट व्यक्ति नहीं होते हैं, वहां विन्यास को सार्वजनिक विन्यास माना जा सकता है और वह आम जनता के लाभ के लिए होता है।"

यही प्रश्न विचारार्थ फिर माननीय न्यायाधीशों के सम्मुख **नारायण** बनाम **गोपाल**[1] वाले मामले में भी आया था। उस मामले में प्रश्न यह था कि नासिक स्थित बालाजी मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर है या नहीं। माननीय न्यायाधीशों ने **नारायण** बनाम **धार्मिक हिन्दू विन्यास बोर्ड**[2] में न्या० वरदाचार्य के निर्णय से सानुमोदन एक पैरा उद्धृत किया। उस मामले में विद्वान् न्यायाधीश "मन्दिर" की परिभाषा के सम्बन्ध में विचार कर रहे थे और उन्होंने परिभाषा के साथ

---

1 ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 100.

2 ए० आई० आर० 1938 मद्रास 209.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अन्य बातों का विनिश्चय करते हुए यह अधिकथित किया था :—

"...मन्दिर से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो सार्वजनिक धार्मिक पूजास्थल है और जो हिन्दू समाज या उसके किसी वर्ग के हित के लिए समर्पित है और वे उसका साधिकार प्रयोग करते हैं।"

विद्वान् न्यायाधीश ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

"इस बात का पता लगाने के लिए कि वह स्थान सार्वजनिक रूप से प्रयोग के लिए समर्पित था या जनता उसका साधिकार प्रयोग करती थीं, इन बातों से इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संस्था की प्रकृति क्या है, किसी रूप में उसका प्रयोग किया जाता है और संस्था का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है। जब एक बार जनता द्वारा पूजा के लिए प्रयोग की दीर्घ परम्परा स्थापित हो जाए और यह तथ्य भी सिद्ध हो जाए कि देवता के न्यास के लिए विन्यास अलग से सिद्ध हो गया है, तो इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि संस्था सार्वजनिक प्रयोग के लिए समर्पित कर दी गई है (जब तक कि अन्यथा स्थापित न हो जाए) विशेष रूप से वे बातें जो स्वीकृत रूप से सार्वजनिक मन्दिर में पाई जाती हैं जैसे कि मन्दिर की प्रकृति, उसका निर्माण, मूर्ति के विभिन्न भागों के लिए क्या व्यवस्था की गई है और उसमें देवता का स्थापन किस प्रकृति का है? इसी प्रकार, जब आम तौर से जनता द्वारा उसका प्रयोग उस हद तक किया जाता है, जिस तक परिक्षेत्र की जनता पूजा करती है। जब तक परिस्थितियों से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित न हो कि उसका प्रयोग अनुज्ञेयात्मक था या मन्दिर के प्राधिकारियों ने अपवर्जन की निरंकुश शक्ति का प्रयोग किया है, जिसे केवल इस आधार पर माना जा सकता है कि संस्था प्राइवेट प्रकृति की थी तो यह उपधारणा करना अयुक्तियुक्त नहीं होगा कि जनता उसका साधिकार प्रयोग करती है।"

ऊपर जो पैरा सानुमोदन उद्धृत किया गया है उसमें यह अधिकथित किया गया कि जब एक बार यह स्थापित हो जाता है कि मन्दिर जनता के लिए खुला है तथा वह उसका साधिकार प्रयोग करती है, तो अगर अन्यथा सिद्ध न हो तो यह समझा जाएगा कि वह सार्वजनिक मन्दिर है।

14. यही प्रश्न मान्य न्यायाधीश के सम्मुख विचारार्थ बिहार राज्य

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धार्मिक न्यास बोर्ड बनाम पलट लाल और अन्य[1] वाले मामले में भी उठा था। इस मामले में कतिपय सम्पत्तियों का वसीयतकर्ता के कौटुम्बिक गृह में स्थित मूर्ति के हित में विन्यास सृजित किया गया था। प्रश्न यह था कि क्या विल के अधीन मूर्ति को यह समर्पण एक सार्वजनिक न्यास था, जिसे बिहार हिन्दू रिलीजियस ट्रस्ट ऐक्ट के उपबन्ध लागू होते थे। न्यायालय की ओर से मु० न्या० ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

> "मूर्ति अनेक वर्षों से इस कुटुम्ब में थी और ठाकुरद्वारा में सेवा-पूजा केवल यह कुटुम्ब ही कर रहा था और कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि जनता ने कभी भी इस मूर्ति की देखभाल की थी या साधिकार उन्हें उपासना करने में हाथ बंटाने दिया गया था। इसके अतिरिक्त विल में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् जनता को साधिकार प्रवेश करने दिया जाएगा। पूरी व्यवस्था से यह ज्ञात होता है कि ठाकुर जी की और आगे देखभाल का कार्य कुटुम्ब के जिम्मे था और कुटुम्ब द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने पर ही वैष्णव मत के किसी विशिष्ट व्यक्ति को कुटुम्ब के उन सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् मुतवल्ली होने वाले थे, भारसाधक नियुक्त किया जाना था।"

ऊपर उल्लिखित मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह मूर्ति कुटुम्ब की थी और इसकी पूजा सदैव परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती रही है। इस मामले में यह प्रकट होता है कि जनता ने इसकी पूजा साधिकार कभी भी नहीं की थी। सार्वजनिक मन्दिर होने के लिए तथा सार्वजनिक प्रकृति का न्यास होने के लिए यह आवश्यक तत्त्व है कि जनता द्वारा उसका प्रयोग साधिकार किया जाता हो। इस तत्त्व के लोप होने पर उस न्यास को सार्वजनिक न्यास अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, ऐसे मामले में कोई मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर नहीं माना जा सकता।

15. उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के सम्मुख **जी० एस० महालक्ष्मी बनाम शाह रणछोड़ दास**[2] वाले मामले में भी यही प्रश्न अंतर्वलित था। प्रश्न यह था कि नाडिया में स्थित बल्लभ सम्प्रदाय का मन्दिर निजी मन्दिर था या सार्वजनिक मन्दिर। न्यायालय की ओर से न्या० हेगड़े ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

---

[1] ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 57=[1971] 1 उम० नि० प० 144.

[2] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 2025.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"यद्यपि वर्तमान हिन्दू सार्वजनिक मन्दिरों में से अधिकांश मन्दिर सार्वजनिक मन्दिरों के रूप में ही स्थापित किए गए हैं, तो भी ऐसे भी उदाहरण हैं जहां प्राइवेट मन्दिर कालान्तर में सार्वजनिक मन्दिर बन गए हैं। प्राइवेट मन्दिरों में से कुछ मन्दिरों ने अत्यधिक धार्मिक कीर्ति, या तो उनके संस्थापक की प्रख्याति के कारण अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण प्राप्त की है। उनमें भक्त बड़ी संख्या में जाते हैं और कालान्तर में धीरे-धीरे वे सार्वजनिक मन्दिर बन जाते हैं। सार्वजनिक मन्दिर सामान्यतया जनता द्वारा निर्मित किए, अथवा बनाए गए हैं और जनसाधारण या उसके किसी वर्ग को पूजा करने में समर्थ बनाने के लिए उनमें देवता को प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसी दशा में मन्दिर स्पष्ट रूप से सार्वजनिक मन्दिर होगा। यदि किसी मन्दिर के बारे में यह सिद्ध हो जाता है कि उसका आरम्भ एक सार्वजनिक मन्दिर के रूप में हुआ था तो यह दर्शित करने के लिए कि वह एक सार्वजनिक मन्दिर है, किसी और बात को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किसी मन्दिर के बारे में यह सिद्ध हो जाता है कि उसका आरम्भ प्राइवेट मन्दिर के रूप में हुआ था अथवा उसका आरम्भ अज्ञात है अथवा इतिहास के गर्त में नष्ट हो गया है, तब यह दर्शित करने के लिए सबूत का होना आवश्यक है कि उसका उपयोग सार्वजनिक मन्दिर के रूप में हो रहा है। ऐसे मामलों में किसी मन्दिर विशेष का वास्तविक स्वरूप विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर विनिश्चित किया जाता है। उन मामलों में न्यायालयों को विभिन्न प्रश्नों पर स्वयं विचार करना पड़ता है, जैसे कि :—

(1) क्या मन्दिर का निर्माण ऐसी भव्य रीति से किया गया है कि वह प्रथमदृष्ट्या सार्वजनिक मन्दिर प्रतीत होता है ?

(2) क्या जन-सामान्य को उस मन्दिर में साधिकार पूजा करने का हक है ?

(3) क्या मन्दिर के खर्च जनता द्वारा किए गए अभिदायों से पूरे किए जाते हैं।

(4) क्या उस मन्दिर में की जाने वाली सेवाएं और उत्सव ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक मन्दिरों में किए जाते हैं ?

(5) क्या प्रबन्धक और भक्त लोग उस मन्दिर को सार्वजनिक मन्दिर मानते रहे हैं ?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह बात कि जनता अथवा उसका कोई वर्ग किसी मन्दिर में सामान्य अनुक्रम में नियमित रूप से पूजा करता रहा है तथा वे लोग उस मन्दिर में होने वाले उत्सवों और समारोहों में साधिकार भाग ले सकते हैं, यह साबित करने के लिए जोरदार साक्ष्य है कि वह मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर है। यदि जनता उसमें प्रायिक तौर पर भक्तिपूर्वक चढ़ावा देती रहती है और यदि मन्दिर के खर्चों की पूर्ति जनता के अभिदाय से की जाती है तो यह उपधारणा करना उचित है कि सम्बन्धित मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर है। संक्षेप में, मन्दिर की बुनियाद, वह रीति जिसमें उसके कामकाज का प्रबन्ध किया जाता है, उसे प्राप्त होने वाले दानों का स्वरूप और मात्रा, उसमें पूजा करने के बारे में भक्तों द्वारा प्रयोग किएं जाने वाले अधिकार तथा मन्दिर के सार्वजनिक होने के बारे में प्रबन्धक का प्रतिबोध तथा मन्दिर के भक्तों ही का प्रतिबोध ऐसी बातें हैं जिनसे यह साबित होता है कि मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर है अथवा प्राइवेट मन्दिर।"

माननीय न्यायाधीश में **लक्ष्मण बनाम सुब्रह्मण्यम्**[1] और **मुन्दा-चौरी कौमन** बनाम **अच्युतन नायर**[2] वाले मामलों के प्रति निर्देश किया, जो वर्तमान मामलों में भी निर्दिष्ट किए गए हैं। इन निर्णयों के प्रति विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से ऊपर वर्णित मामलों में माननीय न्यायाधीश द्वारा अधिकथित विधि में वे सभी मुद्दे आ जाते हैं, जो पहले ही या तो प्रिवी कौंसिल द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जा चुके हैं।

16. **टी० डी० गोपालन्** बनाम **आयुक्त हिन्दू धार्मिक और पूर्त विन्यास, मद्रास**[3] वाले मामले में यह प्रश्न था कि मदुरै स्थित मन्दिर-विशेष हिन्दू धार्मिक मन्दिर था या नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों ने **श्री महालक्ष्मी बहूजी बनाम रणछोड़ दास काली दास**[4] वाले मामले में अधिकथित विधि को इस मामले में भी अनुमोदन प्रदान कर दिया।

17. मूर्ति को समर्पित सम्पत्ति के प्रश्न के संबंध में उच्चतम न्यायालय

---

[1] ए० आई० आर० 1924 प्रिवी कौंसिल 44.

[2] ए० आई० आर० 1934 प्रिवी कौंसिल 230.

[3] ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 1766.

[4] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 2025.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के न्यायधिपतियों ने रामचन्द्र शुक्ल बनाम श्री महादेव जी[1] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया :—

"हिन्दू विधि के अनुसार धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति का समर्पण विधिमान्य रूप से मौखिक या लिखित विल द्वारा किया जा सकता है और विन्यास का सृजन करने के लिए विल द्वारा सर्जन के अतिरिक्त विल का होना आवश्यक नहीं है। यह जीवनकाल में दान द्वारा या वसीयत द्वारा या औपचारिक रूप से या त्यजन द्वारा किया जा सकता है। विनिर्दिष्ट धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के विनिर्दिष्ट विधिक समर्पण के लिए आवश्यक है। प्रिवी कौंसिल ने विद्या वारिधि बनाम वालूस्वामी अय्यर (48 इंडिया अपील्स 302 पृष्ठ 322= ए० आई० आर० 1922 प्रिवी कौंसिल 123 पृष्ठ 126) में यह कहा कि जिस प्रकार आंग्ल विधि में न्यास है, वैसा हिन्दू पद्धति में नहीं है। हिन्दू धर्म में आस्था अभिव्यक्त करने के लिए मूर्तियों तथा धार्मिक संस्थाओं को दान दिया जाता है और हिन्दू धर्म की सामाजिक तथा धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी प्रयोजनों के लिए इसे पुण्यकर्म माना जाता है......। इसलिए इस बात का निर्णय आवश्यक रूप से हिन्दू विचारधारा और हिन्दू विधि के द्वारा किया जाना चाहिए कि शुद्ध रूप से धार्मिक प्रयोजन क्या है और कौन-सा धार्मिक प्रयोजन पूर्त प्रयोजन है?

18. ऊपर वर्णित निर्णयज विधि के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि यदि मन्दिर समर्पित करने वाला और उसमें सम्पत्ति विन्यस्त करने वाला कोई लिखित विल या विलेख हो, तो यह पता लगाने के लिए विन्यास प्राइवेट विन्यास है या सार्वजनिक वह सर्वोत्तम साक्ष्य होगा। जहां पर मन्दिर का उद्गम-इतिहास भूतकाल के गर्भ में लुप्त हो गया है या जहां पर दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है या जहां पर मन्दिर आरंभ में तो प्राइवेट मन्दिर था परन्तु समय के साथ-साथ वह जनता द्वारा प्रयोग किया जाने लगा, वहां यह पता लगाने के लिए कि वह प्राइवेट मन्दिर है या सार्वजनिक विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने होंगे। उसके उद्गम के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अतिरिक्त यदि मौखिक साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है तो वह भी सुसंगत परिस्थिति होगी। ऐसी परिस्थिति में यह पता लगाना अनिवार्य होता है कि मन्दिर का प्रयोग किनके द्वारा किया जा रहा है, क्या जनता या उसके किसी भाग द्वारा उसका साधिकार प्रयोग किया जा रहा है, क्या चढ़ावे की वस्तुओं का प्रयोग मन्दिर के प्रयोगकर्ताओं तथा देवता के लिए किया जा रहा है, क्या सम्पत्ति से

[1] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 458.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हुई आय का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक और परिस्थिति यह भी होगी कि वह प्राइवेट विन्यास है या सार्वजनिक और उसके प्रबंध तथा नियंत्रण की प्रकृति क्या है ? क्या वह परिवार के सदस्यों तक (वंशानुगत है) या उन तक भी सीमिति है जो न तो संस्थापक के परिवार के सदस्य हैं और न ही उसके संबंधी हैं। यह पता लगाना भी आवश्यक है कि न्यासियों या प्रबन्धकों द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण की प्रकृति क्या है। यदि इससे यह संकेत मिलता हो कि इसका प्रयोग उन भक्तों के लिए किया जाता है जो कि जनता के सदस्य हैं तब इन तमाम परिस्थितियों का सामूहिक रूप से यह निष्कर्ष निकलेगा कि वह एक सार्वजनिक विन्यास है अर्थात् प्राइवेट विन्यास और निजी मन्दिर से भिन्न एक सार्वजनिक मन्दिर है।

19. मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने सही कसौटी अपनाई है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है। उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से यह पता चलता है कि उन्होंने प्रश्न को हल करने में परिश्रम किया है और अपने समक्ष उद्धृत निर्णयज विधि पर विचार किया है तथा अपने द्वारा निष्कर्षित तथ्यों से सम्बद्ध प्रश्नों की बाबत सही सिद्धान्त लागू किए हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि आम जनता उस मन्दिर का प्रयोग साधिकार करती थी। चढ़ावा तथा मन्दिर की आय मन्दिर के रखरखाव तथा विन्यास सम्पत्ति पर खर्च की जाती थी। प्रश्न केवल यह था कि क्या आम जनता प्रबन्धक या न्यासी का पद धारित कर सकती थी ? यदि ऐसा नहीं भी था, तो वर्तमान मामले में इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस पर विचार करने से ही यह दावा स्वतः खारिज नहीं हो जाएगा कि मन्दिर एक सार्वजनिक मन्दिर था। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा अधिकथित सिद्धान्तों को लागू करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही था तथा विधि के अनुसार था।

20. अधिनियम की धारा 9-क को लागू करने से पूर्व विवाद की दशा में उप-खण्ड मजिस्ट्रेट को इसका विनिश्चय करना आवश्यक है कि क्या संपत्ति सार्वजनिक धार्मिक संस्था की है। उप-खण्ड मजिस्ट्रेट के लिए उपलब्ध अभिलेखगत सामग्री से यह पता लगाना आवश्यक था कि क्या विवादग्रस्त दुकानें मन्दिर की सम्पत्तियां थीं और क्या मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर की प्रकृति का बन गया था। यदि ऐसा है और अगर यह अपेक्षा कि भवन वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया गया था, पूरी हो जाती है तो उस दशा में अधिनियम की धारा 9 ही लागू होगी। वर्तमान मामले में उप-खण्ड मजिस्ट्रेट

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को यह समाधान करना होगा कि सम्पत्ति सार्वजनिक धार्मिक संस्था की है और उसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया गया था। इन दोनों ही मुद्दों को उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने आवेदक के हक में अभिनिर्धारित किया है। उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में मुझे प्रत्यक्ष रूप से विधि संबंधी कोई गलती दिखाई नहीं देती है और दूसरी बात यह है कि अधिनियम की धारा 9-क के अधीन किराए का अवधारण अनुज्ञेय था।

21. यह दलील बिल्कुल सही नहीं है कि वर्तमान कार्यवाहियों के समान कार्यवाहियों में तथ्य और विधि के जटिल प्रश्न का विनिश्चय नहीं किया जा सकता। जब किसी प्राधिकारी को तथ्य या विधि के किसी प्रश्न का निर्णय करने के लिए कहा जाता है, उसे यह समाधान करना होता है कि अधिनियम में प्रकल्पित परिस्थितियां मौजूद हैं और इसके लिए उसे अभिलेखगत सामग्री पर निर्भर होना पड़ता है। धारा 34 नियम 22 उसे किसी भी अभिलेख को मंगाने के लिए प्राधिकृत करता है। और प्रश्न के अवधारण के लिए वह जो भी साक्ष्य आवश्यक समझे, ले सकता है। यह सत्य है कि विवादास्पद मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है और ऐसा साक्ष्य बहुत अधिक मात्रा में भी हो सकता है किन्तु यह इस कथन का आधार नहीं हो सकता कि जब कभी यह विवाद उठाया जाता है कि क्या भवन सार्वजनिक धार्मिक संस्था का है, तो वह मामला अधिनियम की धारा 9-क के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता से परे होगा। अधिनियम का यह आशय नहीं था। मामले को अधिनियम और नियम में अधिकथित विधि के अनुसार निपटाया जाएगा। कोई भी पक्षकार यह नहीं कह सकता कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने उन्हें मामले में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश करने या बहस करने से प्रवारित कर दिया है। इसके विपरीत जैसा कि आदेश से पता चलता है पक्षकारों ने साक्ष्य पेश किया था और निर्णयज विधि में से अनेक उद्धरण पेश किए थे। मैं यह दलील स्वीकार नहीं कर सकता कि इस विवाद का विनिश्चय कि धार्मिक संस्था सार्वजनिक है या नहीं, अधिनियम की धारा 9-क के अधीन जिला मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता।

22. अधिनियम की धारा 9-क का इस प्रकार अर्थान्वयन करने से उसके उपबंध निष्फल हो जाएंगे। विधान मंडल का आशय बिल्कुल स्पष्ट था। इसका आशय संस्था के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक परिसर का किराया बढ़ाने का लाभ सार्वजनिक धार्मिक संस्था को देना था। यह उपबंध प्राइवेट धार्मिक संस्था को लागू नहीं होता था और रिहायशी जगह को भी यह लागू नहीं होता था। इस बात का विनिश्चय करने के लिए कोई संस्था विशेष सार्वजनिक है

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

या नहीं, कसौटी सुस्थिर हो चुकी है और न्यायिक कल्पत:, कार्य करने वाले किसी प्राधिकारी के लिए इसका अवधारण करना असंभव नहीं होगा। न्यायिककल्प प्राधिकारी को अपने आदेश के संबंध में कारण देने होते हैं। वर्तमान मामले में ऐसा किया गया है। इसलिए मेरे विचार से यह दलील देना गलत है कि अधिनियम की धारा 9-क के अधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट इस बात का विनिश्चिय नहीं कर सकते कि कोई संस्था सार्वजनिक धार्मिक संस्था है या नहीं।

23. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि क्या धार्मिक संस्था की ओर से रघुनन्दन प्रसाद अधिनियम की धारा 9-क के अधीन आवेदन दे सकता था या नहीं। उसने ऐसे कई आदेशों के प्रति निर्देश किया, जिनमें इस बात पर विचार किया गया था कि क्या रघुनन्दन प्रसाद प्रबन्धक था। एक मामले में रघुनन्दन प्रसाद को प्रबन्धक के रूप में कार्य करने से अवरुद्ध कर दिया गया था। तथापि प्रबन्धक की हैसियत में रघुनन्दन प्रसाद की हस्ताक्षरित रसीदें विभिन्न किराएदारों को जारी की गई थीं और अभिलेख में ऐसी सामग्री भी है, जिससे यह पता चलता है कि कृष्ण कुमार और रघुनन्दन प्रसाद में समझौता हो गया था। उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने ऊपर वर्णित तथ्य से निष्कर्ष निकाला है और यह तथ्य कि किसी और ने न्यास का प्रबन्धक होने का दावा नहीं किया है और यह अभिनिर्धारित किया कि धार्मिक संस्था की ओर से आवेदन फाइल करने में रघुनाथ प्रसाद सक्षम था।

24. पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल ने अभिलेखगत सामग्री के आधार पर रघुनन्दन प्रसाद की प्रबन्धक की स्थिति को चुनौती दी है परन्तु यह न्यायालय तथ्य के प्रश्न के संबंध में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता। उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को सही मानना पड़ेगा। मैं उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में प्रत्यक्ष रूप से विधि संबंधी कोई गलती नहीं पाता हूं।

25. मामले का उचित रूप से विचारण करने के पश्चात्, मुझे इस बात का संतोष है कि उप,खण्ड मजिस्ट्र ट ने इन प्रश्नों का विनिश्चय विधि के अनुसार किया था कि मन्दिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है तथा अधिनियम की धारा 9-क के अधीन रघुनन्दन प्रसाद आवेदन करने के लिए सक्षम था। मुझे 1979 के रिट पिटीशन सं० 5099 में कोई सार नहीं प्रतीत होता। इसलिए यह रिट पिटीशन अवश्य असफल होना चाहिए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

26. 1979 के रिट पिटीशन सं० 10457 में देवता ने अपने प्रबन्धक श्री रघुनन्दन प्रसाद के माध्यम से आदेश के बाद वाले भाग को इस आधार पर चुनौती दी कि उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक धार्मिक संस्था की पांच दुकानों के बाजार मूल्य का निर्धारण विधि के अनुसार नहीं किया था। यह सुसंगत तथ्य है कि देवता बहुत सी दुकानों का मालिक है, जिनमें से वर्तमान मामले में 5 दुकानों के संबध में यह विवाद है। देवता की ओर से यह दावा किया गया था कि मन्दिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है और दुकानें 1979 के रिट पिटीशन सं० 10457 में वर्णित प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दी गई थीं। देवता की ओर से यह दावा किया गया था कि चूंकि अधिनियम की धारा 9-क की अपेक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, इसलिए विभिन्न किराएदारों द्वारा देय संशोधनीय है। देवता की ओर से प्रबन्धक ने 5 दुकानों का बाजार मूल्य बताते हुए यह दावा किया कि उसी के अनुसार किराया निर्धारित किया जाना चाहिए। किराएदारों-प्रत्यर्थियों की ओर से यह प्रार्थना की गई कि प्रबन्धक द्वारा दर्शाया गया बाजार मूल्य सही नहीं है और सही मूल्यांकन काफी कम था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने तारीख 15-10-79 वाले आक्षेपित आदेश द्वारा किराएदारों द्वारा दिए गए मूल्यांकन को स्वीकार कर लिया और प्रबन्धक द्वारा दिए गए मूल्यांकन पर निर्भर नहीं किया। भू-स्वामी के मूल्यांकन के बीच सीमांतक समायोजन था और उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने इसी के अनुसार आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर देवता ने इस न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल किया।

27. पिटीशनर-देवता की ओर से श्री एच० एस० जोशी ने यह कहा कि उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मूल्यांकन के संबंध में पारित आदेश स्पष्टतः गलत थे, क्योंकि उसने प्रबन्धक द्वारा दिए गए मूल्यांकन को बिलकुल ही अपर्याप्त आधार पर नामंजूर कर दिया। उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा यह कारण दिया गया था कि प्रबन्धक द्वारा पांचों किराएदारों के संबंध में समान मूल्यांकन शपथ-पत्र दिया गया है, जिसमें पांचों दुकानों का मूल्य ही अलग-अलग दर्शाया गया था। उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

> "वास्तव में एक-समान शपथ-पत्र टाइप किये गये और प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त यह भी सुसंगत है कि पांचों शपथ-पत्रों के पैरा 20 में रघुनन्दन प्रसाद ने शपथपूर्वक यह कहा है कि लम्बाई, चौड़ाई, आकार और सन्निर्माण की किस्म वैसी ही है जैसी कि गांधी बाजार पिलखुआ में स्थित दुकान नं० 142 है, जिसे 1970 में भीकन की पत्नी श्रीमती मलहो ने 8000 में सीस राम के पुत्र

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लालू और खचेरू के पुत्र सीस राम को बेची थी। उस विलेख की फोटो-प्रति साथ में संलग्न की गई है। इस प्रकार रघुनन्दन प्रसाद ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि पांचों मामलों की दुकानों का क्षेत्र और सन्निर्माण की किस्म इत्यादि समान हैं। तथापि शपथ-पत्र के पैरा 21 में उसने शपथपूर्वक यह कथन किया है कि दुकानों का मूल्य अलग-अलग है और उनका मूल्य क्रमशः 25,000, 25,000, 15,000, 5,000 और 25,000 है, जो कि स्याही से लिखा गया है। ये दोनों वृतान्त परस्पर विरोधी हैं। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि बाजार मूल्य मौनानुकूलता से भरा गया है और शपथपत्र स्पष्ट रूप से मिथ्या है। इस प्रकार श्री रघुनन्दन प्रसाद या श्री कृष्ण कुमार द्वारा फाइल किए गए शपथपत्रों का साक्ष्य की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है।"

28. पांच विभिन्न दुकानों के संबंध में फाइल किए गए एक जैसे पांचों शपथ-पत्र एक जैसे होने के कारण साक्ष्य में अस्वीकार्य नहीं हो जाएंगे। प्रत्येक में भिन्न-भिन्न मूल्यांकन दिया गया प्रतीत होता है, इसलिए भी वे साक्ष्य में अस्वीकार्य नहीं हो जाएंगे। इस प्रकथन का सत्यापन किया जाना चाहिए कि पांचों दुकानें एक जैसी थी या नहीं। मैं यह मानता हूं कि वे एक ही स्थान पर स्थित थीं परन्तु उनकी स्थिति के आधार पर उनके मूल्यांकन में इतनी अधिक विभिन्नता नहीं हो सकती। निस्संदेह, अगर आकार, क्षेत्र, सन्निर्माण की प्रकृति और साज सामान एक समान न हों तो मूल्यांकन भिन्न-भिन्न हो सकता है। अगर प्रत्येक दुकान बिल्कुल एक जैसी और इसी क्षेत्र में स्थिति है। जब तक कि सन्निर्माण और साज-सामान की प्रकृति में भिन्नता न हो उनका मूल्यांकन लगभग समान ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पिटीशनर द्वारा दिए गए पांचों दुकानों के मूल्यांकन में से कम मूल्यांकन की जांच की जानी चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए। पिटीशनर ने 1970 में 8,000 में बेची गई इसी आकार की दुकान का उदाहरण दिया था। वर्तमान मामले का विनिश्चय 1929 में किया जा रहा है। यह सर्वविदित है कि इन वर्षों में, विशेष रूप से 1975, 1976 में स्थावर सम्पत्तियों का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बात पर विचार करना आवश्यक था कि पिटीशनर द्वारा दिया गया निम्नतर मूल्यांकन न्यायोचित था या नहीं। दूसरी ओर पांच दुकानों के किराएदारों द्वारा दिए गए शपथ-पत्रों में उनका मूल्यांकन 6,000 रुपये, 3,000 रुपये, 8,000 रुपये और 4,500 रुपये दिया गया है। यदि दुकानें एक ही आकार की थीं तथा उनका निर्माण भी एक जैसा ही था, तो उनके मूल्यांकन में 3,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विभिन्नता क्यों हो सकती है। यदि रघुनन्दन प्रसाद द्वारा दिए गए शपथ-पत्र को अस्वीकार करने का उपखण्ड मजिस्ट्रेट का यह कारण मान लिया जाए कि एक ही जैसी दुकानों का मूल्यांकन भिन्न-भिन्न किया गया था, तो यही दलील पांच दुकानों के विषय में किराएदारों द्वारा दिए गए मूल्यांकन पर भी लागू होती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने इन पांच दुकानों के संबंध में मूल्यांकन मानदंड को सही तरह नहीं अपनाया है। बाजार मूल्य का बढ़ना एक स्थापित तथ्य है। प्रत्येक शपथपत्र को उसके तात्विक मूल्य के आधार पर विचार करना चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि शपथ-पत्र हितबद्ध व्यक्तियों के हैं। ऐसे शपथ-पत्रों की विषय वस्तु को सावधानी से आंकना चाहिए। यह भी कि पक्षकारों द्वारा दिए गए मूल्यांकन के आधार भी पता करने की कोशिश की जानी चाहिए। बाजार मूल्य का अवधारण करते समय, अच्छी तरह स्थापित सिद्धान्तों को दिमाग में रखना चाहिए।

29. इसलिए यह सुस्पष्ट है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दुकानों के मूल्यांकद के संबंध में अपनाया गया दृष्टिकोण विधि की दृष्टि से प्रत्यक्षतः, गलत है और आदेश के इस भाग को कायम नहीं रखा जा सकता। मेरे विचार से आदेश के इस भाग को अभिखण्डित करना होगा और ऊपर व्यक्त किए गए मतानुसार मामले को विधि के अनुसार फिर से निर्णय के लिए उप-खण्ड मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है।

30. इसलिए परिणामतः किराएदारों द्वारा फाइल किए गए 1979 के रिट पिटीशन सं० 5,099 खर्चों सहित खारिज किया जाता है।

31. देवता द्वारा फाइल किया गया 1979 का रिट पिटीशन संख्या 10,457 मंजूर किया जाता है। पांच दुकानों के मूल्यांकन के अवधारण के संबंध में उप-खण्ड मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त किया जाता है और उपखण्ड मजिस्ट्रेट को यह निदेश दिया जाता है कि वह पांच दुकानों के बाजार मूल्य का विधि के अनुसार फिर से मूल्यांकन करे। इस मामले में पक्षकार अपना अपना खर्चस्वयं वहन करेंगे।

1979 का रिट, पिटीशन सं० 5,099 खारिज
किया व सं० 10,457 मंजूर किया गया।

खन्ना/ब्रह्म

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नि० प० 1983 : इलाहाबाद—536

जालान इण्डस्ट्रीज बनाम यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन और अन्य
(Jalan Industries *Vs.* U. P. Financial Corporation and others)

तारीख 15 दिसम्बर, 1982

[न्या० राम सूरत सिंह]

1. उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज (रिकवरी ऑफ ड्यूज) ऐक्ट, 1972—धारा 3 सपठित संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम (यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट), 1901, अध्याय 8 और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, अध्याय 10—ऐसे क्षेत्रों में, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, किसी लोक धन के बकाया की भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली के लिए कुर्क सम्पत्ति के नीलाम की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत की जाएगी न कि जमींदारी विनाश अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत।

2. संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व (यू० पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट), 1901—अध्याय 8 सपठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, अध्याय 10 और उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज (रिकवरी ऑफ ड्यूज) ऐक्ट, 1972, धारा 3—ऐसे क्षेत्रों में, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, किसी लोक धन के बकाया की भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली के लिए कुर्क सम्पत्ति के नीलाम की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत की जाएगी न कि जमींदारी विनाश अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत।

3. जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950—अध्याय 10 सपठित उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज (रिकवरी ऑफ ड्यूज) ऐक्ट, 1972, धारा 3 और संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम (यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट), 1901, अध्याय 8—ऐसे क्षेत्रों में, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, किसी लोक धन के बकाया की भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली के लिए कुर्क सम्पत्ति के नीलाम की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत की जाएगी न कि जमींदारी विनाश अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत।

प्रत्यर्थी सं० 4 ने प्रत्यर्थी सं० 1 से ऋण लिया था जिसका भुगतान नहीं किया गया। अतः उस ऋण की वसूली के लिए प्रत्यर्थी सं० 1 ने उत्तर प्रदेश

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लोक धन (बकाया धन की वसूली) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अधीन कलक्टर से यह अनुरोध किया कि बकाया धन की खर्चे सहित वसूली भू-राजस्व के बकाया की तरह की जाए। उक्त धन की वसूली के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति कुर्क की गई और उसे नीलाम किया गया। इस नीलामी के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं० 4 ने आयुक्त को एक अपील की जो नामंजूर कर दी गई। आयुक्त के निर्णय से व्यथित होकर प्रत्यर्थी सं० 4 ने राजस्व बोर्ड के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन किया। राजस्व बोर्ड ने इस नीलामी और उसकी पुष्टि को अपास्त करते हुए पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार कर लिया और मुकदमे को कलक्टर के पास इस निर्देश के साथ भज दिया कि वह कुर्क सम्पत्ति का नियमानुसार नीलाम करे। अत: राजस्व बोर्ड के निर्णय से व्यथित होकर पिटीशनर ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट पिटीशन फाइल किया है।

संक्षेप में पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल द्वारा यह दलील दी गई है कि राजस्व बोर्ड द्वारा नीलाम को निरस्त करने हेतु दिए गए ये दोनों कारण विधि-विरुद्ध हैं कि नीलाम कम मूल्य पर किया गया है और दूसरे उद्घोषणा जारी होने के 30 दिन के भीतर ही नीलाम किया गया है। इसके विपरीत प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउन्सेल द्वारा यह दलील दी गई है कि नीलाम की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियमानुसार होनी चाहिए थी किन्तु कलक्टर ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नीलाम की कार्यवाही करके विधि संबंधी भूल की है, यह कि विवादग्रस्त सम्पत्ति का नीलाम उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर किया गया था जो नियम-विरुद्ध है और नीलाम भी कम मूल्य पर किया गया है।

इस पिटीशन में विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या नीलाम की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत की जानी चाहिए या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत की जानी चाहिए।

अभिनिर्धारित—पिटीशन खारिज किया गया।

इस मामले में नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति मकान है जिसके अन्दर मशीन भी थी। उक्त सम्पत्ति की नीलामी हो चुकी है। इस मामले में यह किसी का केस (पक्षकथन) नहीं है कि विवादित (विवादग्रस्त) सम्पत्ति जो नीलाम हो चुकी है वहां पर उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम, 1950 लागू है। उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सीमित क्षेत्रों में अभी भी लागू है और ऐसे क्षेत्रों में उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनिमम के प्रावधानों (उपबन्धों) का कोई प्रभाव नहीं है। अतः इस मुकदमे में वसूली की कार्यवाही उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार होनी चाहिये न कि उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि सुधार (व्यवस्था)अधिनियम के अनुसार। इस मामले में कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होनी चाहिए थी परन्तु अधिकारीगण ने उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करके विधिक भूल की है। यद्यपि इस मामले में सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई परन्तु वसूली की कार्यवाही एक व्यक्ति को बन्दी बनाकर आरम्भ की गई। चूंकि, कार्यवाही नगरपालिका सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत हुई अतः यह कार्यवाही उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम के अनुसार नहीं की जा सकती। यह कार्यवाही केवल उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार हो सकती है। उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम की धारा 334 केवल उन्हीं कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लागू होगी जो इस अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत की गई हो। यह उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत न होकर किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत हुई हो। (पैरा 6)

भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 164 के अन्तर्गत कलक्टर या सहायक कलक्टर, जो विशेष तौर पर इसी कार्य के लिए कलक्टर द्वारा नियुक्त किया गया हो, के द्वारा नीलाम की जा सकती है परन्तु कोई नीलाम (नीलामी) रविवार या अन्य अधिकृत (प्राधिकृत) अवकाश (दिन) या उद्घोषणा के दिन से 30 दिन के पूर्व नहीं की जा सकती है परन्तु कलक्टर को समय-समय पर नीलाम को स्थगित (मुल्तवी) रखने (करने) का अधिकार है। धारा 170 के अनुसार कोई भी नीलाम धारा 164 के अन्तर्गत स्थगित (मुल्तवी) किये जाने के पश्चात् पुनः तभी हो सकती है जबकि मूल विक्रय की तरह शुद्ध (के लिए यथा-विहित नई) उद्घोषणा जारी कर दिया गया (दी गई) हो। उपरोक्त (उपर्युक्त) दोनों प्रावधानों (उपबन्धों) को एक साथ पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कारण से नीलाम धारा 164 के अन्तर्गत न होने पर कलक्टर उसे स्थगित (मुल्तवी) कर सकता है परन्तु दूसरा नीलाम करने के लिए पुनः उद्घोषणा जारी करना आवश्यक है, जो उद्घोषणा जारी करने के दिन से 30 दिन के अन्दर नहीं किया जा सकता। इससे यह स्पष्ट है कि दूसरा नीलाम उद्घोषणा जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर किया गया है और इस तथ्य का कोई प्रत्यक्ष विरोध याची (पिटीशनर) की ओर से नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह नीलाम भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधान (उपबन्धों) के विरुद्ध है। (पैरा 7)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पैरा

[1974] [1974] 2 उम० नि० प० 468=ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 1331 : मैसर्स के जे इन्डस्ट्रीज लि० बनाम मैसर्स एशनिब ड्रम्स प्रा० लि० और अन्य [M/s Kayjay Industries Ltd. *Vs.* M/s. A snew Drums (P) Ltd. and others]; 8

[1974) [1974] 3 उम० नि० प० 241=ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 2037 : नवलकका (नौलखा) एण्ड सन्स बनाम रामायना (रामनय्या) दास और अन्य (Navlakha and Sons *Vs*. Ramanya Das and others); 10

[1971] ए० आई० आर० 1971 एस० सी 2337 : राधेश्याम बनाम श्याम बिहारी सिंह (Radhey Shyam *Vs.* Shyam Bihari Singh); 8

[1969] 1969 ए० एल० जे० 276 : विमल प्रकाश बनाम उ० प्र०.सरकार द्वारा कलक्टर और अन्य (Vimal Prakash *Vs*. Government of U. P. through Collector and others); 6

[1968] 1968 आर० डी० 115 : आर० एस० वैश्य बनाम उ० प्र० शासन(सरकार) और अन्य (R. S. Vaishya *Vs.* Government of U. P. and others). 10

का अवलम्ब लिया गया।

आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1978 का सिविल प्रकीर्ण रिट सं० 10066.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन।

पिटीशनर की ओर से ... श्री वी० के० एस० चोधरी

विरोधी पक्षकार की ओर से ... सर्वश्री एस० एन० उपाध्याय और टी० एन० हुक्कू

न्या० राम सूरत सिंह :

याची (पिटीशनर) द्वारा यह याचिका (पिटीशन) भारत के संविधान के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत राजस्व परिषद् (बोर्ड) के आदेश दिनांक 4-9-1978 के विरुद्ध संस्थित किया गया (की गई) है जिसके द्वारा नीलाम एवं उसकी पुष्टि को अपास्त कर दिया गया है।

2. इस मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने वर्ष 1970-71 में प्रत्यर्थी सं० 1 से 2.25 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण का भुगतान नहीं किया गया जिसकी वसूली के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज (रिकवरी ऑफ ड्यूज) ऐक्ट, 1972 [उत्तर प्रदेश लोक धन (बकाया धन की वसूली) अधिनियम, 1972] (एतत्पश्चात् केवल अधिनियम कहलावेगा) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी सं० 1 ने एक प्रमाणपत्र जिलाधिकारी (कलक्टर) के पास इस अनुरोध के साथ भेजा कि वे बकाया धन की वसूली मय खर्चे के भू-राजस्व के बकाये की तरह करें। उक्त धन की वसूली के लिए विवादित (विवादग्रस्त) सम्पत्ति कुर्क की गई और उसका नीलाम किया गया। यह नीलाम दिनांक 28-7-1977 को 4,000 रुपये में हुआ। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आयुक्त के समक्ष नीलाम के विरुद्ध एक आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे निरस्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध प्रत्यर्थी सं० 4 ने राजस्व परिषद् (बोर्ड) के समक्ष एक निगरानी (पुनरीक्षण आवेदन) संस्थित की। राजस्व परिषद् (बोर्ड) ने नीलामी व उसकी पुष्टि को अपास्त करते हुए निगरानी (पुनरीक्षण आवेदन) को स्वीकार किया और मुकदमे को कलक्टर के समक्ष इस निर्देश के साथ भेजा कि वे कुर्क सम्पत्ति का नियमानुसार नीलाम करें। राजस्व परिषद् (बोर्ड) के उक्त आदेश से क्षुब्ध (व्यथित) होकर याची (पिटीशनर) ने इस न्यायालय के समक्ष यह याचिका (पिटीशन) संस्थित की है।

3. याची (पिटीशनर) के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व परिषद् (बोर्ड) ने नीलाम के निरस्तीकरण हेतु दो कारण दिए हैं प्रथम यह कि नीलाम कम मूल्य पर किया गया है और द्वितीय यह कि उद्घोषणा जारी होने के 30 दिन के भीतर ही नीलाम किया गया है। विद्वान् अधिवक्ता के तर्क के अनुसार राजस्व परिषद् (बोर्ड) द्वारा नीलाम को निरस्त करने हेतु दिए गए उक्त दोनों कारण विधिविरुद्ध हैं।

4. प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि इस मामले में नीलाम की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों (उपबंधों) के अन्तर्गत नियमानुसार होनी चाहिए थी परन्तु कलक्टर ने उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम के प्रावधानों (उपबंधों) के अन्तर्गत नीलामी की कार्यवाही करके विधि संबंधी भूल की है। विद्वान् अधिवक्ता का यह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भी तर्क है कि इस मामले में विवादित (विवादग्रस्त) सम्पत्ति का नीलाम उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर की गई थी (किया गया था), जो नियम विरुद्ध है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त नीलाम का मूल्य भी अत्यन्त कम था। ऐसी परिस्थिति में राजस्व परिषद् (बोर्ड) द्वारा नीलाम को निरस्त किया जाना विधिनुसार (विधि के अनुसार) है एवं इस याचिका (पिटीशन) में हस्तक्षेप हेतु पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं हैं।

5. इस याचिका (पिटीशन) में विचारणीय प्रश्न यह है कि नीलाम की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधान (उपबंधों) के अन्तर्गत होनी चाहिए अथवा उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन (विनाश) एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम के अन्तर्गत। भू-राजस्व के बकाया की वसूली का प्रावधान (उपबंध) भू-राजस्व अधिनियम के अध्याय 8 और उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम के अध्याय 10 में वर्णित है। केवल उन स्थानों को छोड़कर, जो प्रथम अनुसूची में वर्णित हैं, उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होता था। विवादित (विवादग्रस्त) सम्पत्ति का संबंध उस क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। तात्पर्य यह है कि प्रथम अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में, चाहे वे नगरपालिका क्षेत्र के भीतर हों या बाहर, भू-राजस्व अधिनियम के अध्याय 8 का प्रावधान (उपबंध) भू-राजस्व के बकाये की वसूली हेतु लागू था। उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम की धारा 339 के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के दिन से उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम के अध्याय 8 से 10 तक उस क्षेत्र में जहां उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया है, निरसित (रिपील्ड) कर दिया गया अर्थात् उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम जिस क्षेत्र में लागू हुआ है उस क्षेत्र में उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम के अध्याय 8 के प्रावधान (उपबंध) भू-राजस्व की वसूली हेतु लागू नहीं होंगे। उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार यह अधिनियम नगरपालिका सीमा के अन्दर लागू नहीं होता है।

6. इस मामले में नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति मकान था (है) जिसके अन्दर मशीन भी थी। उक्त सम्पत्ति नीलाम हो चुकी है। इस मामले में यह किसी का केस (पक्षकथन) नहीं है कि विवादित (विवादग्रस्त) सम्पत्ति जो नीलाम हो चुकी है वहां पर उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिनियम लागू है। उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम सीमित क्षेत्रों में अभी भी लागू है और ऐसे क्षेत्रों में उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम के प्रावधानों (उपबंधों) का कोई प्रभाव नहीं है। अतः इस मुकदमे में वसूली की कार्यवाही उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए न कि उ० प्र०जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम के अनुसार। इस मामले में कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होनी चाहिए थी परन्तु अधिकारीगण ने उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करके विधिक त्रुटि की है। मेरे इस अभिमत को आर०एस० वैश्य प्रति (बनाम) उ० प्र० शासन तथा अन्य[1] से बल मिलता है। ऐसा ही दृष्टिकोण विमल प्रकाश प्रति (बनाम) उ० प्र० सरकार द्वारा कलक्टर तथा अन्य[2] में भी अपनाया गया है जिसमें यह विनिश्चित हुआ है कि किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम के प्रावधान (उपबन्ध) भू-राजस्व की बकाया की वसूली में लागू नहीं होते, इस अधिनियम के अन्तर्गत भू-राजस्व के बकाया की वसूली हेतु कार्यवाही विधिनुसार (विधि के अनुसार) नहीं की जा सकती। यह कार्यवाही उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत समझी जाएगी। यद्यपि इस मामले में सम्पत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई परन्तु वसूली की कार्यवाही एक व्यक्ति को बन्दी बनाकर आरम्भ की गई। चूंकि कार्यवाही नगरपालिका सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत हुई अतः यह कार्यवाही उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम के अनुसार नहीं की जा सकती। यह कार्यवाही केवल उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार हो सकती है। उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं (और) भूमि सुधार (व्यवस्था) अधिनियम की धारा 334 केवल उन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में लागू होगी जो इस अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत की गई हो। यह उन कार्यवाहियों के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत न होकर किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत हुई हो। इसलिए उक्त धारा इस मामले में लागू नहीं हो सकती।

7. भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम की धारा 164 एवं धारा 170 के प्रावधान (उपबन्ध) निम्नलिखित हैं:—

---

[1] 1968 आर० डी० 115.

[2] 1969 ए० एल० जे० 276.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

*"धारा 164. विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाएगा—इस अध्याय के अधीन प्रत्येक विक्रय या तो वैयक्तिक रूप से कलक्टर द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से नियुक्त किए गए सहायक कलक्टर द्वारा किया जाएगा।

कोई भी ऐसा विक्रय रविवार या अन्य प्राधिकृत अवकाश दिन या उद्घोषणा जारी किए जाने की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व नहीं किया जाएगा।

कलक्टर समय-समय पर विक्रय मुल्तवी कर सकेगा।"

* *"धारा 170. पुनर्विक्रय के पूर्व उद्घोषणा—धारा 164 के अधीन मुल्तवी किए जाने के पश्चात् कोई विक्रय और क्रय धन न देने की दशा में धारा 167 के अधीन कोई पुनर्विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी नई उद्घोषणा जारी नहीं की जाती जैसी कि मूल विक्रय के लिए विहित है।"

उक्त धारा 164 के अन्तर्गत कलक्टर या सहायक कलक्टर, जो विशेष तौर पर इसी कार्य के लिए कलक्टर द्वारा नियुक्त किया गया हो, के द्वारा नीलाम की जा

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"*S. 164. Sale when any by whom to be made*—Every sale under this chapter shall be made either by the Collector in person or by an Assistant Collector specially appointed by him in this behalf.

No such sale shall take place on a Sunday or other authorized holiday or until after the expiration of at least thirty days from the date on which the proclamation thereof was issued.

The Collector may, from time to time, postpone the sale."

* *"*S. 170. Proclamation before re-sale*—No sale after postponement under section 164, and no re-sale under section 167 in default of payment of the purchase money, shall be made until a fresh proclamation has been issued as prescribed for the original sale."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सकती है परन्तु कोई नीलाम (नीलामी) रविवार या अन्य अधिकृत (प्राधिकृत) अवकाश दिन या उद्घोषणा के दिन से 30 दिन के पूर्व नहीं की जा सकती है परन्तु कलक्टर को समय-समय पर नीलाम को स्थगित (मुल्तवी) रखने (करने) का अधिकार है। धारा 170 के अनुसार कोई भी नीलाम धारा 164 के अन्तर्गत स्थगित (मुल्तवी) किए जाने के पश्चात् पुनः तभी हो सकता है जबकि मूल विक्रय की तरह शुद्ध (के लिए यथा विहित नई) उद्घोषणा जारी कर दिया गया (दी गई) हो। उपरोक्त (उपर्युक्त) दोनों प्रावधानों (उपबन्धों) को एक साथ पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कारण से नीलाम धारा 164 के अन्तर्गत न होने पर कलक्टर उसे स्थगित (मुल्तवी) कर सकता है परन्तु दूसरा नीलाम करने के लिए पुनः उद्घोषणा जारी करना आवश्यक है, जो उद्घोषणा जारी करने के दिन से 30 दिन के अन्दर नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् (बोर्ड) ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि :—

> *"अभिलेख में मौजूद पेपर (पत्र) संख्या 147 से यह दर्शित होता है कि तारीख 28-6-77 को बोली लगाने वाले उपस्थित नहीं थे। अतः यह आदेश किया गया कि नीलाम 28-7-77 को किया जाए। अभिलेख में मौजूद उद्घोषणा (पत्र सं० 149) से यह दर्शित होता है कि वह 1-7-77 को अर्थात् तीस दिन का समय दिए बिना जारी की गई है और उसमें सम्पत्ति का पूर्ण विवरण और उसका सही मूल्य नहीं दिखाया गया है। अतः उद्घोषणा अनियमितता के दोष से ग्रस्त है और विक्रय कार्यवाहियां भी इस कारण दूषित हैं।"

इससे यह स्पष्ट है कि दूसरा नीलाम उद्घोषणा जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर किया गया है और इस तथ्य का कोई प्रत्यक्ष विरोध याची (पिटीशनर) की ओर से नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह नीलाम भू-राजस्व

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

> "Paper no. 147, on record shows that on 28-6-77, the bidders were not present. Therefore, it was ordered that the auction should be held on 28-7-77. The proclamation on record (Paper no. 149) shows that it was issued on 1-7-77, i.e. without giving thirty days time and that complete description of the property and correct value thereof have not been shown therein. Thus the proclamation suffers from irregularity and the sale proceedings are also vitiated on this account.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिनियम के प्रावधान (उपबंधों) के विरुद्ध है।

8. जहां तक नीलाम के उचित मूल्य का प्रश्न है इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इस नीलाम से पूर्व यह मकान दिनांक 18-1-1970 को 62,000 रु० में नीलाम किया जा चुका था, जो कम मूल्य के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था। यह दूसरा नीलाम केवल 40,000 रु० में हुआ है परन्तु स्वीकृत कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में याची (पिटीशनर) के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि कम मूल्य के कारण किसी भी नीलाम को निरस्त नहीं किया जा सकता। उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम की धारा 173 में यह प्रावधान (उपबंधित) है कि :—

*"धारा 173. **विक्रय को अनियमितता, आदि के आधार पर अपास्त करने के लिए आवेदन** :—विक्रय में किसी तात्विक अनियमितता या उसके प्रकाशन या संचालन में भूल के आधार पर विक्रय अपास्त करने के लिए आयुक्त को आवेदन विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय किया जा सकेगा किन्तु कोई भी विक्रय ऐसे आधार पर तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित न कर दे कि उसे ऐसी अनियमितता या भूल के कारण सारवान क्षति पहुंची है।"

नीलाम के निरस्तीकरण हेतु इसी प्रकार का प्रावधान (उपबन्ध) सिविल प्रक्रिया संहिता आ० 21 नि० 90 में भी है। इस सम्बन्ध में विद्वान् अधिवक्ता ने **राधेश्याम प्रति** (बनाम) **श्याम बिहारी सिंह**[1] पर भरोसा किया (का अवलम्ब लिया है) जिसमें यह विनिश्चित किया गया है कि किसी विक्रय में प्रतिफल की अपर्याप्तता विक्रय के निरस्तीकरण हेतु पर्याप्त नहीं है क्योंकि प्रतिफल की

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

"173. Application to set aside sale for irregularity etc.—At any time within thirty days from the date of the sale, application may be made to the Commissioner to set aside the sale on the ground of some material irregularity or mistakes in publishing or conducting it; but no sale shall be set aside on such ground unless the applicant proves to the satisfaction of the Commissioner that he has sustained substantial injury by reason of such irregularity or mistake."

[1] ए० आई० आर० 1971 उच्चतम न्यायालय (एस० सी०) 2337.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अपर्याप्तता कई कारणों से हो सकती है। विक्रय को निरस्त कराने हेतु यह सिद्ध (साबित) करना होगा कि किसी तात्विक अनियमितता अथवा कपट के कारण प्रतिफल अपर्याप्त है। **मैसर्स के० जे० (केजे) इन्डस्ट्रीज लि० प्रति (बनाम) मैसर्स एशिनिब (एसन्यू) ड्रम्स प्रा० लि० तथा (और) अन्य**[1] में भी इसी मत की पुष्टि की गई है।

9. निस्सन्देह कोई भी नीलाम केवल प्रतिफल की अपर्याप्तता के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि तात्विक अनियमितता अथवा कपट से हुई क्षति, जैसा कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 173 में वर्णित है, सिद्ध (साबित) न हो। जैसा कि ऊपर विवेचन किया जा चुका है, ऐसे मामलों में यह सिद्ध (साबित) करना अवश्यक है कि प्रतिफल केवल अपर्याप्त ही नहीं था बल्कि इस अपर्याप्तता का कारण तात्विक अनियमितता एवं कपट था। इस प्रकार प्रतिफल की अपर्याप्तता और तात्विक अनियमितता के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है तभी किसी विक्रय नीलाम को निरस्त किया जा सकता है।

10. इस मामले में नीलाम हेतु जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह विधि विरुद्ध है क्योंकि उद्घोषणा भू-राजस्व अधिनियम के स्पष्ट प्रावधान (उपबन्धों) के अन्तर्गत नहीं हुई और उक्त प्रावधान (उपबन्धों) का पालन न किया जाना प्रतिफल की अपर्याप्तता का स्वयं ही एक कारण है। इस अभिमत की पुष्टि **नवल्का (नौलखा) एण्ड सन्स प्रति (बनाम) श्री रामायना दास (रामनय्या) तथा (और) अन्य**[2] से भी होती है।

11. उपरोक्त (उपर्युक्त) विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राजस्व परिषद (बोर्ड) ने नीलाम को निरस्त करने में ऐसी कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है जिसके आधार पर उनके आदेश को अभिखण्डित किया जा सके। इस केस (मामले) के तथ्य से भी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि यह याचिका (पिटीशन) हस्तक्षेप योग्य है।

12. अतः यह याचिका (पिटीशन) सारहीन है और तदनुसार निरस्त की जाती (खारिज किया जाता) है। उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

पिटीशन खारिज किया गया।

प्रमोद

---

[1] [1974] 2 उम० नि० प० 468=ए० आई० आर० 1974 उच्चतम न्यायालय (एस० सी०) 1331.

[2] [1974] 3 उम० नि० प० 241=ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 2037.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नि० प० 1983 : इलाहाबाद—547

बैजनाथ बनाम चित्रकूट धाम नगर पालिका

(Baij Nath *Vs.* The Nagar Palika Chitrakut Dham)

तारीख 17 दिसम्बर, 1982

[न्या० के० एन० सिंह एवं न्या० बी० डी० अग्रवाल]

1. संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम (यू० पी० म्यूनिसिपिल्टीज ऐक्ट), 1916, धारा 241(1) सपठित धारा 298(2) एफ (ए)—उक्त धारा 298(2) एफ (ए) के साथ पठित उक्त धारा 241(1) के अधीन विरचित उपविधियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ पशुओं के विक्रय के लिए बाजार के रूप में अथवा फल और सब्जियों के विक्रय के लिए बाजार के रूप में किसी स्थान का उपयोग प्रतिषिद्ध किया जा सकता है, किन्तु खण्ड (ए) में वर्णित सीमित विस्तार तक ही। उन प्रयोजनों के लिए किसी स्थान के उपयोग पर निर्बन्धन उस दशा में लगाया जा सकता है, जब कोई अनुज्ञप्ति नहीं ली गई हो अथवा जहां अनुज्ञप्ति ली गई है वहां ऐसा उपयोग अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के उल्लंघन में हो अर्थात् अनुध्यात अवरोध मात्र अनुज्ञापन है, यह आत्यंतिक नहीं हो सकता और न ही नगरपालिक बोर्ड नगरपालिका की सीमाओं के भीतर उन प्रयोजनों के लिए किसी स्थान का प्रयोग करने हेतु स्वयं को एकाधिकार ही दे सकता है। अतः ऐसी उपविधियां अविधिमान्य होंगी जो आत्यंतिक अवरोध लगाएं या नगरपालिका को एकाधिकार प्रदान करें।

2. संविधान, 1950, अनुच्छेद 19(1)(छ) सपठित चित्रकूट धाम नगर पालिका उपविधि सं० 5, 6 तथा 7 [नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(2)(क) के साथ पठित धारा 241 के अधीन विरचित]—चूंकि उक्त उपविधियों में अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए उपबन्ध नहीं है, अतः उनके द्वारा लगाया गया प्रतिषेध आत्यंतिक हो जाता है और साथ ही नगरपालिका में एकाधिकार की सृष्टि हो जाती है, अतः उक्त उपविधियां अनुच्छेद 19(1)(छ) के उल्लंघन के आधार पर अविधिमान्य हैं।

प्रत्यर्थी नगरपालिका ने संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन कतिपय उपविधियां विरचित कीं जिनके द्वारा यह उपबंध किया गया कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अपनी भूमि पर नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना मवेशी बाजार या फल सब्जी बाजार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लगाए। और ऐसा बाजार लगाने का एकाधिकार नगरपालिका को दे दिया गया। पिटीशनरों ने रिट पिटीशन फाइल किया और ऐसी उपविधियों की विधिमान्यता को चुनौती दी। पिटीशनरों की ओर से मुख्य दलील यह दी गई कि आक्षेपित उपविधियां संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम की धारा 298(2) एफ (ए) के साथ पठित धारा 241 के अधीन नगरपालिका की शक्तियों के बाह्य हैं तथा नगरपालिका ने स्वयं को एकाधिकारी बना लिया है जिसकी वह हकदार नहीं और यह भी कि अनुज्ञप्ति देने के लिए समुचित उपबन्ध का पूर्णत: अभाव है।

अभिनिर्धारित—रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 241(1) तथा 298(2) एफ (ए) परस्पर सम्बद्ध हैं। दोनों को एक साथ पढ़ा जाना है। एक को दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। धारा 241(1) किसी व्यक्ति के किसी स्थान के कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग के विरुद्ध निर्बन्धन लगाती है। इन प्रयोजनों के अंतर्गत पशुओं के विक्रय के लिए बाजार के रूप में अथवा फल या सब्जियों के विक्रय के लिए बाजार के रूप में किसी स्थान का उपयोग आता है। अधिरोपित निर्बन्धन ऐसा है, जो धारा 298 के शीर्ष एफ के अधीन बनाई गई उपविधियों के अधीन लगाया जाए। निस्संदेह धारा298(2) एफ (ए) के अधीन विरचित उपविधियां अन्य बातों के साथ-साथ पशुओं के विक्रय के लिए बाजार के रूप में अथवा फल या सब्जियों के विक्रय के लिए बाजार के रूप में किसी स्थान का उपयोग प्रतिषिद्ध कर सकती है, किन्तु एक सीमित विस्तार तक ही। यह सीमा खण्ड ए में ही उपवर्णित है। इन प्रयोजनों के लिए किसी स्थान के उपयोग पर निर्बन्धन उस दशा में लगाया जा सकता है, जब कोई अनुज्ञप्ति नहीं ली गई हो अथवा जहां अनुज्ञप्ति ली गई है, वहां ऐसा उपयोग अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के उल्लंघन में हो। दूसरे शब्दों में, अनुध्यात अवरोध मात्र अनुज्ञापन है। यह आत्यंतिक नहीं हो सकता और न ही नगरपालिक बोर्ड नगरपालिका की सीमाओं के भीतर उन प्रयोजनों के लिए किसी स्थान का उपयोग करने हेतु स्वयं को एकाधिकार ही दे सकता है। अतः प्रदत्त शक्ति की प्रकृति विनियामक है। प्रतिषेध उस सीमा तक ही अंतर्वलित है, जहां तक ऐसे अधिकारों का प्रयोग उपविधियों के अधीन विनियमित किया जा सकता है। (पैरा 9)

उपर्युक्त के प्रकाश में यह द्रष्टव्य है कि 1975 के रिट पिटीशन सं० 562 में आक्षेपित उपविधियां, जो फल तथा सब्जियों के विक्रय के सम्बन्ध में बाजार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लगाने से सम्बद्ध हैं, ऐसा बाजार लगाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति लेने का उपबन्ध नहीं करतीं। उपविधि सं० 1 (जी० ए०) में यह स्पष्ट शब्दों में अधिकथित है कि जब ये उपविधियां प्रवृत्त हों, तो कोई भी नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर ऐसा बाजार लगाने का पात्र नहीं होगा। यह प्रतिषेध अनिर्बन्धित और आत्यंतिक है। इसे अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के अध्यधीन नहीं किया गया है। उपविधि सं० 2 में उपबन्धित अनुज्ञप्ति केवल उन लोगों के सम्बन्ध में है, जो फलों तथा सब्जियों का खुदरा व्यापार करना चाहते हैं। इसका संबंध उन वस्तुओं के थोक विक्रय हेतु बाजार लगाने से नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नगरपालिका स्वयं बाजार लगाने के लिए अथवा नीलामी द्वारा या अन्यथा स्वीकृत ठेकेदारों द्वारा बाजार लगाने के लिए स्थान निर्धारित कर सकती है। विनियमन तथा निर्बन्धन या प्रतिषेध में जो सुभिन्नता है वह सुविदित है। निर्बन्धन उस स्वतंत्रता तथा सुविधा को सम्प्रवर्तित करता है, जो सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के हित में विनियमित की जानी है, जबकि प्रतिषेध जिन पर भी वह लागू हो, उन्हें पूर्णतः ऐसी स्वतंत्रता से निर्बन्धित या वंचित कर देता है। यह सही है कि यदि स्थिति ऐसा आवश्यम बना दे तो विनियमन भी प्रतिषेध की सीमा तक पहुंच सकता है, किंतु प्रस्तुत मामले में, वह कानूनी उपबन्ध, जिसके अधीन नगर पालिका को अधिकार प्राप्त है, ऐसे अनिर्बन्धित प्रतिषेध के अधिरोपण तक विस्तारित नहीं है, जो किसी नागरिक द्वारा अपनी निजी भूमि पर ऐसा बाजार लगाने का पूर्ण प्रतिषेध करे और न ही प्रत्यर्थी यह दर्शित कर सके हैं कि पूर्ण प्रतिषेध लगाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। नगरपालिका किसी व्यक्ति को अपनी भूमि पर ऐसा बाजार लगाने से निर्बन्धित कर सकती है या उसका विनियमन कर सकती है, किन्तु केवल उस दशा में, जबकि ऐसा बाजार लगाना असुविधाकर हो अथवा जब वह सामान्य यातायात में बाधक हो। लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा यातायात के आधार पर किसी की निजी भूमि के उपयोग को भी उन प्रयोजनों के लिए निर्बन्धित किया जा सकता है। किन्तु प्रस्तुत मामले में कठिनाई यह है कि इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है, जो ऐसी शर्तों के अधीन, जो विधिसम्मत रूप में अधिरोपित की जा सकें, अनुज्ञप्ति लेने में समर्थ मनायें। अतः उपविधियां विधि में मान्य नहीं हैं। (पैरा 10)

ऐसी उपविधियों के, जिनका सम्बन्ध मवेशी बाजार लगाने से है, अन्य संवर्गों के विषय में भी स्थिति समरूप ही है। उप-विधि सं० 5 तथा 7 के अधीन नगरपालिका ने अपनी भूमि पर अथवा पट्टे की भूमि पर मवेशी बाजार अपने कर्मचारियों की मार्फत सीधे लगाने का अथवा समय-समय पर दिए गए ठेके

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर लगाने का अधिकार आत्यंन्तिक रूप में अपने तक ही आरक्षित रखा है। उप-विधि केवल नगरपालिका के पक्ष में एकाधिकार को पूर्ण करने के स्पष्ट आशय से ही अंतःस्थापित की गई है। इन उपविधियों में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर मवेशी बाजार लगाने के लिए अनुज्ञप्ति के उपबंध का अभाव सहजदृश्य है। उपविधियों में अनुज्ञप्ति के लिए पात्र होने की कसौटी विहित नहीं है और न ही अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया विहित की गई है। (पैरा 11)

यह सुस्थिर है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अंतर्गत किसी निर्बन्धन की युक्तियुक्तता अवधारित करने के लिए कोई आत्यन्तिक मानक नहीं है। अपेक्षा यह है कि किसी व्यक्ति के अधिकार के उपभोग पर लगाया गया निर्बन्धन मनमाना या स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए और उससे अधिक नहीं होना चाहिए, जितना कि लोक हित में अपेक्षित है। "युक्तियुक्त" पद में यह विवक्षित है कि विलक्षण सावधानी और विमर्श का प्रयोग किया जाए अर्थात् ऐसा मार्ग अपनाया जाए, जो तर्कसंगत हो। निर्बन्धन ऐसा होना चाहिए जो संविधान द्वारा उपबन्धित प्रत्याभूत स्वतंत्रता तथा सामाजिक नियंत्रण में समुचित सन्तुलन स्थापित करे। अतः यह दर्शित करना होगा कि लगाए गए निर्बन्धन का प्राधिकृत प्रयोजन से युक्तियुक्त सम्बन्ध है। गम्भीर उपताप (न्यूसेंस) को कम करने के लिए अथवा लोक स्वास्थ्य के संरक्षण की प्रकल्पित विधि को भी नागरिक के अधिकारों पर मनमाना या अतिरेकपूर्ण निर्बन्धन नहीं लगाना चाहिए। (पैरा 15)

न्यायालय के समक्ष इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद नहीं उठाया गया कि नगरपालिका लोक स्वास्थ्य सुविधा के लिए पशु बाजार तथा फल एवं सब्जी बाजार का विनियमन कर सकती है। किन्तु चूंकि अपनी भूमि पर ऐसे बाजार लगाने के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को लाइसेन्स देने के लिए कोई भी उपबन्ध नहीं किया गया है अतः यह नहीं अभिनिर्धारित किया जा सकता कि लाइसेन्स के लिए उपबंध के अभाव का ईप्सित उद्देश्य से युक्तियुक्त सम्बन्ध है। इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि स्थानीय प्राधिकारी समुचित शर्तें, जिनके अंतर्गत स्थल के चयन की बाबत शर्तें भी आती हैं, विहित कर सकता है, यह आवश्यक नहीं प्रतीत होता कि उन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्ण वर्जन लगाया जाए जो अपनी भूमि पर ऐसे बाजार लगाते हैं। प्रस्तुत मामले में लगाया गया अवरोध अयुक्तियुक्त एवं अतिरेकपूर्ण है। (पैरा 16)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पैरा

[1982]	ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 33 : बिशम्भर दयाल चंद्र मोहन **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (Bishambhar Dayal Chandra Mohan *Vs.* State of U. P.);	15
[1981]	ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 873 लक्ष्मी खण्डसारी **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (Laxmi Khandsari *Vs.* State of U. P.);	15
[1981]	ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 679 : दि न्यू बिहार बीड़ी लीव्ज कं० और अन्य **बनाम** बिहार राज्य और अन्य (The New Bihar Biri leaves Co. and others *Vs.* State of Bihar and others);	14
[1979]	1979 (3) एस० सी० 229 : उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **बनाम** हिन्दुस्तान एल्यूनियम कारपोरेशन और अन्य (State of U. P. and others *Vs.* Hindustan Aluminium Corporation and others);	10
[1977]	1977 (2) एस० सी० सी० 670 : फतेह चंद हिम्मत लाल **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (Fatehchand Himatlala *Vs.* State of Maharashtra);	10
[1970]	ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1197 : महाराष्ट्र राज्य **बनाम** एच० एन० राव (State of Maharashtra *Vs.* H. N. Rao);	15
[1963]	ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 1047 : अकादशी प्रधान **बनाम** उड़ीसा राज्य (Akadasi Pradhan *Vs.* State of Orisa);	14
[1955]	ए० आई० आर० 1955 एस० सी० 188 : गणपत सिंह **बनाम** अजमेर राज्य (Ganpati Singh *Vs.* State of Ajmer);	12

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1954] ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 630 : ताहिर हुसैन बनाम जिला बोर्ड मुजफ्फर नगर (Tahir Hussain *Vs.* District Board Muzaffar Nagar); 13

[1952] ए० आई० आर० 1952 एस० सी० 115 : मोहम्मद यासीन बनाम गांव एरिया जलालाबाद (Mohd. Yasin *Vs.* T. A. Jalalabad); 12

[1950] ए० आई० आर० 1950 एस० सी० 163 : रशीद अहमद बनाम नगरपालिका बोर्ड कराना (Rashid Ahmad *Vs.* Municipal Board Kairana) 11, 13

का अवलम्ब लिया गया।

[1982] ए० आई० आर० 1982 इलाहाबाद 435 : डा० वाई० पी० सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (Dr. Y. P. Singh and others *Vs.* State of U. P. and others); 15

[1978] 1978 इलाहाबाद वीकली केसिज 28 (खण्ड न्यायपीठ): सूरत पाल बनाम जिला परिषद, बांदा (Suraj Pal *Vs.* Zila Parishad, Banda); 15

[1976] 1976 रिवेन्यू डिसीजन 107 : शिवराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (Shivraj Singh *Vs.* State of U. P. and others); 12

[1972] 1972 इलाहाबाद ला जर्नल 936 : विशम्भर नाथ द्विवेदी बनाम एस० डी० एम० और अन्य (Bishambhar Nath Dwivedi *Vs.* S. D. M. and another); 13

[1921] ए० आई० आर० 1921 अवध 110 : गणेश सिंह और अन्य बनाम शीतला बख्श सिंह और अन्य (Ganesh Singh and others *Vs.* Shitla Bux Singh and others); 12

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आई० एल० आर० 47 कलकत्ता 1079 : हेम चंद्र राय चौधरी **बनाम** कृष्ण चंद्र साह सरदार (Hem Chandra Roy Chowdhry *Vs.* Krishna Chandra Sah Sardar) 12

से सहमति प्रकट की गई।

आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1975 का सिविल रिट सं० 3800, जिसके साथ 1975 के रिट पिटीशन सं० 6562 की भी सुनवाई की गई।

पिटीशनर की ओर से ... श्री एस० एम० दयाल

प्रत्यर्थियों की ओर से ... श्री एन० डी पंत

न्यायालय का निर्णय न्या० बी० डी० अग्रवाल ने दिया।

न्या० अग्रवाल :

बांदा जिले में स्थित चित्रकूट धाम करवी की नगरपालिका ने संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम (यू० पी० म्यूनिसपैलिटीज ऐक्ट) 1916 की धारा 298 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय उपविधियों की विरचना की। 1975 के रिट पिटीशन सं० 3800 में प्रश्नगत उपविधियां मवेशी बाजार लगाने से सम्बन्धित हैं। उपविधि सं० 5 में यह उपबंधित है कि मवेशी बाजार ऐसी भूमि पर लगाया जाएगा, जो नगरपालिका द्वारा धारित हो अथवा किराए पर ली जाए, जैसा भी नगरपालिका विनिश्चित करे। उपविधि सं० 6 में यह उपबंधित है कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अपनी भूमि पर नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना मवेशी बाजार लगाए। उपविधि सं० 7 के अनुसार बोर्ड उपविधियों के अधीन मवेशी बाजार लगाने के लिए स्वयं सक्षम है अथवा किसी अन्य को ऐसा बाजार लगाने का अधिकार प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए अस्थायी आधार पर दे सकता है। बाजार में मवेशियों का विक्रय और क्रय यथास्थिति विक्रेता या क्रेता द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके द्वारा ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा, जो उपविधि सं० 12 में अंतर्विष्ट अनुसूची में प्रगणित है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

2. 1975 के रिट पिटीशन सं० 6562 में आक्षेपित उपविधियां सब्जी तथा फल के बाजार से सम्बन्धित हैं। उनकी उपविधि सं० 1(क) के अनुसार उस स्थान से भिन्न कोई भी स्थान फलों तथा सब्जियों के थोक व्यापार के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जिसे नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा विनिश्चित करे। उपविधि सं० 1 (ख) में ऐसी वस्तुओं के खुदरा व्यापार के सम्बन्ध में इसी प्रकार का उपबंध किया गया है। उपविधि सं० 1(ग) में यह उपबंधित है कि उन उपविधियों के प्रवृत्त होने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर स्वयं सब्जी का बाजार नहीं लगाएगा। बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह अपने देय या तो नीलामी द्वारा ठेका देकर अथवा सीधे अपने कर्मचारियों की मार्फत वसूल करे। बोर्ड को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह सब्जी बाजार लगाने के लिए ठेका एक वर्ष के लिए दे अथवा स्थायी आधार पर पांच वर्षों के लिए [उपविधि सं० 1 (घ)] उपविधि सं० 2 के अनुसार फलों तथा सब्जियों में खुदरा व्यापार करने वाला व्यक्ति अधिशासी अधिकारी को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन देगा। आवेदन के साथ 100 रुपये की प्रतिभूति भी होगी (उपविधि सं० 3) और संबद्ध उपविधि वह होगी, जो उपविधि सं० 8 में उपबन्धित है।

3. उपविधियों के उन दोनों संवर्गों में उस आशय का भी उपबंध किया गया है कि उनका भंग 1,000 रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में प्रतिदिन 25 रु० तक जुर्माना किया जा सकेगा।

4. प्रारूप उपविधियों को नगरपालिका ने 15 मई, 1973 के अपने अधिवेशन में अनुमोदन प्रदान किया और उसके पश्चात् वे प्रकाशित कर दी गईं। पिटीशनर ने आक्षेप फाइल किया, जो नामंजूर कर दिया गया और उपविधियों को झांसी संभाग के कमिश्नर ने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया। उपविधियां 28 दिसम्बर, 1974 के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गईं। सुसंगत उपविधियों की एक प्रति इन पिटीशनों के साथ उपा० 1 के रूप में उपाबद्ध है।

5. पिटीशनर बैजनाथ बांदा जिले में स्थित करवी का निवासी है और वह चित्रकूट धाम में भूखण्ड सं० 852/1 तथा 618 स्थायी पट्टे पर धारित करता है। इन पिटीशनों से पूर्व लगभग 27 वर्ष तक वह भूखण्ड सं० 852/1 पर मवेशी बाजार तथा भूखण्ड सं० 618 पर सब्जी एवं फल बाजार लगाता रहा है। व्यापारी विभिन्न स्थानों से इन बाजारों में अपने-अपने सामान

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बेचने आते रहे हैं। पिटीशनर के अनुसार आक्षेपित उपविधियां अपना कारबार चलाने के उसके मूल अधिकार के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिषेध अधिरोपित करती हैं और नगरपालिका ने स्वयं में अनिर्बन्धित तथा अनियंत्रित शक्ति निहित कर ली है। व्यथित होकर पिटीशनर ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषण के अनुतोष की मांग की है और यह मांग की है कि ये उपविधियां अभिखण्डित कर दी जाएं तथा प्रत्यर्थियों को इस बात से निर्बन्धित करते हुए उन्हें समादेश दिया जाए कि वे पिटीशनर के अपने अधिकारों के प्रयोग में कोई हस्तक्षेप न करें। चूंकि इन दोनों ही पिटीशनों में तथ्य तथा विधि के सामान्य विवाद्यक उठे हैं, अतः उनका निपटारा एक साथ किया जा रहा है।

6. पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल श्री एस० एम० दयाल ने यह निवेदन किया कि आक्षेपित उपविधियां संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) एफ (ए) के साथ पठित धारा 241 के अधीन नगरपालिका की शक्तियों के बाह्य हैं। यह दलील दी गई कि नगरपालिका ने स्वयं को एकाधिकार बना लिया है, जिसकी वह हकदार नहीं है और यह भी कि अनुज्ञप्ति देने के लिए समुचित उपबंध का पूर्णतः अभाव है। उत्तर में यह दलील दी गई कि उपविधियों द्वारा मात्र यह अपेक्षा की गई है कि पिटीशनर मवेशी बाजार लगाने के लिए धारा 241 के अधीन नगरपालिका से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करे। यह निवेदन किया गया कि नगरपालिका को यह अधिकार है कि वह स्वयं मवेशी बाजार लगाए गए या अपने द्वारा लगाए जाने वाले मवेशी बाजार की नीलामी करे। पिटीशनर अपने भूखण्ड पर मवेशी बाजार लगाने से निर्बन्धित नहीं है। शर्त केवल यह है कि उसे अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। 1975 के रिट रिटीशन सं० 6562 में, जो सब्जियों तथा फलों के बाजार को शासित करने वाली उपविधियों से सम्बद्ध है, कोई शपथपत्र फाइल नहीं किया गया है।

7. चित्रकूट धाम करवी की नगरपालिका कानून अर्थात् संयुक्त प्रांत नगरपारिका अधिनियम, 1916 की सृष्टि है। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि नगर निगम के रूप में उसे वही शक्तियां प्राप्त हैं, जो उसे राज्य विधानमण्डल द्वारा प्रदत्त की जाएं। संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 241(1) कतिपय वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार तथा दुकानों के लिए अनुज्ञापन का उपबन्ध करती है। उसमें यह कहा गया है कि :—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

*"नगरपालिका सीमाओं के भीतर नगरपालिका बाजार से भिन्न किसी स्थान का पशुओं, मानव उपयोग के लिए आशयित मांस या मछली के विक्रय के लिए बाजार या दुकान के रूप में अथवा फल या सब्जी के विक्रय के लिए बाजार के रूप में उपयोग करने का अधिकार धारा 298 के शीर्ष एफ के अधीन बनाई गई उपविधियों (यदि कोई हों) के अध्यधीन होगा।"

8. धारा 298(2) एफ (ए) के निबन्धनानुसार नगरपालिका ऐसी उपविधियां बना सकती है, जो "धारा 241 के उपबन्धों के अधीन बोर्ड द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के व्यतिक्रम में अथवा इस प्रकार दी गई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का अनुसरण किए बिना किसी स्थान को वधशाला (बूचड़खाना) के रूप में अथवा बाजार के रूप में अथवा मानव उपभोग के लिए आशयित पशुओं के अथवा मांस के अथवा मछली के विक्रय के लिए दुकान के रूप में अथवा फल या सब्जी के विक्रय के लिए बाजार के रूप में उपयोगी को प्रतिषिद्ध करे।"

9. धारा 241(1) तथा 298(2) एफ (ए) परस्पर सम्बद्ध हैं। दोनों को एक साथ पढ़ा जाना है। एक को दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। धारा 241(1) किसी व्यक्ति के किसी स्थान के कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग के विरुद्ध निर्बन्धन लगाती है। इन प्रयोजनों के अंतर्गत पशुओं के विक्रय के लिए बाजार के रूप में अथवा फल या सब्जियों के विक्रय के लिए बाजार के रूप में किसी स्थान का उपयोग आता है। अधिरोपित निर्बन्धन ऐसा है, जो धारा 298 के शीर्ष एफ के अधीन

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

"The right of any person to use any place, within the limits of a municipality, other than a municipal market, as a market or shop for the sale of animals, meat or fish intended for human food, or as a market for the sale of fruit or vegetables, shall be subject to bye-laws (if any) made under heading F of section 298."

**"Prohibiting, subject to the provisions of Sec. 241, the use of any place as a slaughter house, or as a market or shop for the sale of animals intended for human food or of meat or of fish, or as a market for the sale of fruit or vegetables, in default of a licence granted by the Board or otherwise than in accordance with the condition of a licence so granted."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बनाई गई उपविधियों के अधीन लगाया जाए। निस्संदेह धारा 298(2) एफ (ए) के अधीन विरचित उपविधियां अन्य बातों के साथ-साथ पशुओं के विक्रय के लिए बाजार के रूप में अथवा फल या सब्जियों के विक्रय के लिए बाजार के रूप में किसी स्थान का उपयोग प्रतिषिद्ध कर सकती हैं, किन्तु एक सीमित विस्तार तक ही। यह सीमा खण्ड ए में ही उपवर्णित है। इन प्रयोजनों के लिए किसी स्थान के उपयोग पर निर्बन्धन उस दशा में लगाया जा सकता है, जब कोई अनुज्ञप्ति नहीं ली गई हो अथवा जहां अनुज्ञप्ति ली गई है, वहां ऐसा उपयोग अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के उल्लंघन में हो। दूसरे शब्दों में, अनुध्यात अवरोध मात्र अनुज्ञापन है। यह आत्यंतिक नहीं हो सकता और न ही नगरपालिक बोर्ड नगरपालिका की सीमाओं के भीतर उन प्रयोजनों के लिए किसी स्थान का उपयोग करने हेतु स्वयं को एकाधिकार ही दे सकता है। अतः प्रदत्त शक्ति की प्रकृति विनियामक है। प्रतिषेध उस सीमा तक ही अंतर्वलित है, जहां तक ऐसे अधिकारों का प्रयोग उपविधियों के अधीन विनियमित किया जा सकता है।

10. उपर्युक्त के प्रकाश में यह द्रष्टव्य है कि 1975 के रिट पिटीशन सं० 6562 में आक्षेपित उपविधियां, जो फल तथा सब्जियों के विक्रय के सम्बन्ध में बाजार लगाने से सम्बद्ध हैं, ऐसा बाजार लगाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति लेने का उपबन्ध नहीं करतीं। उपविधि सं० 1 (जी० ए०) में यह स्पष्ट शब्दों में अधिकथित है कि जब ये उपविधियां प्रवृत्त हों तो कोई भी नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर ऐसा बाजार लगाने का पात्र नहीं होगा। यह प्रतिषेध अनिर्वन्धित और आत्यंतिक है। इसे अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के अध्यधीन नहीं किया गया है। उपविधि सं० 2 में उपबन्धित अनुज्ञप्ति केवल उन लोगों के सम्बन्ध में है, जो फलों तथा सब्जियों का खुदरा व्यापार करना चाहते हैं। इसका संबंध उन वस्तुओं के थोक विक्रय हेतु बाजार लगाने से नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नगरपालिका स्वयं बाजार लगाने के लिए अथवा नीलामी द्वारा या अन्यथा स्वीकृत ठेकेदारों द्वारा बाजार लगाने के लिए स्थान निर्धारित कर सकती है। विनियमन तथा निर्बन्धन या प्रतिषेध में जो सुभिन्नता है, वह सुविदित है। निर्बन्धन उस स्वतंत्रता तथा सुविधा को सम्प्रवर्तित करता है, जो सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के हित में विनियमित की जानी है, जबकि प्रतिषेध जिन पर भी वह लागू हो, उन्हें पूर्णतः ऐसी स्वतंत्रता से निर्वन्धित या वंचित कर देता है। (**उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन और अन्य**[1] देखिए)। यह सही है कि

[1] 1979 (3) एस० सी० 229.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यदि स्थिति ऐसा आवश्यक बना दे तो विनियमन भी प्रतिषेध की सीमा तक पहुंच सकता है, जैसा कि **फतह चन्द हिम्मत लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] में अभिनिर्धारित किया गया है। किंतु प्रस्तुत मामले में, वह कानूनी उपबन्ध, जिसके अधीन नगरपालिका को अधिकार प्राप्त है, ऐसे अनिर्बन्धित प्रतिषेध के अधिरोपण तक विस्तारित नहीं है, जो किसी नागरिक द्वारा अपनी निजी भूमि पर ऐसा बाजार लगाने का पूर्ण प्रतिषेध करे और न ही प्रत्यर्थी यह दर्शित कर सके हैं कि पूर्ण प्रतिषेध लगाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। नगरपालिका किसी व्यक्ति को अपनी भूमि पर ऐसा बाजार लगाने से निर्बन्धित कर सकती है या उसका विनियमन कर सकती है किन्तु केवल उस दशा में, जबकि ऐसा बाजार लगाना असुविधाकर हो अथवा जब वह सामान्य यातायात में बाधक हो। लोक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा यातायात के आधार पर किसी की निजी भूमि के उपयोग को भी उन प्रयोजनों के लिए निर्बन्धित किया जा सकता है। किन्तु प्रस्तुत मामले में कठिनाई यह है कि इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है जो ऐसी शर्तों के अधीन, जो विधिसम्मत रूप से अधिरोपित की जा सकें, अनुज्ञप्ति लेने में समर्थ बनायें। अतः उपविधियां विधि में मान्य नहीं हैं।

11. ऐसी उपविधियों के, जिनका सम्बन्ध मवेशी बाजार लगाने से है, अन्य संवर्गों के विषय में भी स्थिति समरूप ही है। उपविधि सं० 5 तथा 7 के अधीन नगरपालिका ने अपनी भूमि पर अथवा पट्टे की भूमि पर मवेशी बाजार अपने कर्मचारियों की मार्फत सीधे लगाने का अथवा समय-समय पर दिए गए ठेके पर लगाने का अधिकार आत्यंतिक रूप में अपने तक ही आरक्षित रखा है। उपविधि केवल नगरपालिका के पक्ष में एकाधिकार को पूर्ण करने के स्पष्ट आशय से ही अंतःस्थापित की गई है। इन उपविधियों में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर मवेशी बाजार लगाने के लिए अनुज्ञप्ति के उपबंध का अभाव सहज दृश्य है। उपविधियों में अनुज्ञप्ति के लिए पात्र होने की कसौटी विहित नहीं है और न ही अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया विहित की गई है। **रशीद अहमद बनाम कैराना नगर पालिक बोर्ड**[2] में सुसंगत उपविधि में निम्नलिखित उपबंध था :—

---

[1] 1977 (2) एस० सी० सी० 670.

[2] ए० आई० आर० 1950 एस० सी० 163.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

*"कोई भी व्यक्ति बोर्ड से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना थोक विक्रय संव्यवहार के लिए कोई नया बाजार या स्थान स्थापित नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति बोर्ड द्वारा किसी सब्जी फल आदि के विक्रय के लिए नियत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर न तो कोई सब्जी फल आदि लगाएगा और न ही उसे विक्रय के लिए उच्छन्न करेगा।"

यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) उस अनुच्छेद के खण्ड (6) में वर्णित युक्तियुक्त निर्बन्धनों के अधीन व्यापार या कारबार करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को गारण्टी करता है। उपर्युक्त उपविधि के प्रति निर्देश करते हुए यह इंगित किया गया कि उपविधि (2) के अधीन स्थिति यह है कि जबकि इसमें यह उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बोर्ड की अनुज्ञा के बिना सब्जियों के थोक विक्रय संव्यवहार के लिए कोई बाजार स्थापित नहीं करेगा, किंतु कोई ऐसी उप-विधि नहीं है, जो प्रत्यर्थी बोर्ड को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्राधिकृत करे। इसका शुद्ध परिणाम यह है कि अनुज्ञप्ति जारी करने के उपबंध के अभाव में इस उप-विधि द्वारा लगाया गया प्रतिषेध आत्यंतिक हो जाता है। (रेखांकन हमारे द्वारा)

12. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन नागरिक को कोई उपजीविका व्यापार या कारबार चलाने का अधिकार है। मवेशी बाजार या फल और सब्जी आदि का बाजार धनीय फायदे के लिए लगाना व्यापार या कारबार चलाना है। अपनी भूमि पर मेला लगाने का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है। मवेशी बाजार लगना अनुच्छेद 19(1)(छ) के अर्न्तगत उपजीविका या कारबार है। अत: नागरिक को अपनी भूमि पर उपजीविका कमाने का मौलिक अधिकार है। परंतु यह तब जबकि वह जन-साधारण के हित में इस अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली किसी विधि का उल्लघंन न करे [सीरवई कृत कांस्टीट्यूशनल ला आफ इण्डिया, जिल्द 1 (1975 पृष्ठ 405) देखें]। इस देश में मेला विशेषाधिकार नहीं माना जाता और वह सम्पत्ति के स्वामित्व का विधिक अनुषंग है। हेमचंद्र

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

"No person shall establish any new market or place for wholesale transaction without obtaining the previous permission of the board and no person shall set or expose for sale any vegetable fruit etc. at any place other than that fixed by the board for the purpuse."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राय चौधरी बनाम **कृष्ण चंद्र शार सरदार**[1] में बाजार लगाने का अधिकार भूमि के स्वामित्व का अनुषंग माना गया था। इस नजीर का अनुसरण **गणेश सिंह और अन्य** बनाम **शीतला बख्श सिंह और अन्य**[2] में किया गया है। इसी प्रकार का दृष्टिकोण **शिवराज सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[3] में इस न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ द्वारा अपनाया गया है। **गणपति सिंह** बनाम **अजमेर राज्य**[4] में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया :—

> "वार्षिक मेला लगाना अनुच्छेद 19(1)(छ) के अर्थांतर्गत उपजीविका या कारबार है। अत: अपीलार्थी का अपनी भूमि पर ऐसी उपजीविका कमाना उसका मौलिक अधिकार है, परंतु यह तब जबकि उससे जनसाधारण के हित में उस अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाने वाली किसी विधि का उल्लंघन न होता हो।"

जहां अनुज्ञप्ति के लिए उपबंध किया गया हो वहां अपीलार्थी को कानून के निबन्धनों के अनुसार अपने आवेदन पर विचार करवाने का हक होगा और ऐसे कानून में उपवर्णित कसौटी के आधार पर अनुज्ञाप्ति के अनुदान के लिए आग्रह करने का भी अधिकार होगा। **मोहम्मद यासीन** बनाम **टाउन एरिया जलालाबाद**[5] में भी सब्जी तथा फल के व्यापारियों को अनुज्ञप्ति जारी करने का उपबंध उप-विधियों में नहीं किया गया था। यद्यपि कि स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति द्वारा थोक विक्रय कारबार करने के विरुद्ध कोई प्रतिषेध नहीं लगाया गया था, किन्तु उप-विधियों द्वारा प्रभावत: और सारत: थोक विक्रय व्यवहारियों के कारबार को वाणिज्यिक अर्थ में पूर्णत: बन्दी हो गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने सम्बद्ध उपबंधो का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के उल्लंघन के आधार पर असांविधानिक घोषित कर दिया।

13. **ताहिर हुसैन** बनाम **जिला बोर्ड मुजफ्फर नगर**[6] में पिटीशनर अपनी भूमि पर पशुओं के विक्रय के लिए बाजार (पैंठ) लगाया था और उसके लिए कमीशन लेता था और उप-विधि (2) यह उपबन्धित करने के लिए विरचित की गई थी कि कोई भी व्यक्ति जिले में बोर्ड की अधिकारिता

---

1. आई० एल० आर० 47 कलकत्ता 1079.
2. ए० आई० आर० 1921 अवध 110.
3. 1976 रिवेन्यू डिसीजन 109.
4. ए० आई० आर० 1955 एस० सी० 188.
5. ए० आई० आर० 1952 एस० सी० 115.
6. ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 630.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विरोधी पक्षकारों ने यह अभिवाक् किया कि पहले भी छात्रों की हाजिरी की बावत स्थिति को परीक्षा के दौरान अधिसूचित किया जाता था। अन्त में उन्होंने अपने द्वारा कुछ समय से अनुसरित की जाने वाली पद्धति को विधि की हैसियत देना चाहा है। वास्तव में उनका अभिवाक् सुआधारित नहीं है और यह अवैध होने के कारण कायम नहीं रखा जा सकता। उनके द्वारा उपबंध ए/1 के रूप में दिए गए कथन से यह उल्लेखनीय है कि 1978-79 की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तक विद्यार्थियों की स्थिति को परीक्षा के प्रारम्भ होने के कुछ दिन पूर्व सम्यक् समय में अधिसूचित किया जाता था। यह विचलन 1978-79 की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा से प्रारम्भ हुआ है और तब से उपस्थिति की स्थिति को परीक्षा के प्रारम्भ होने के पश्चात् और परीक्षा के दौरान अधिसूचित किया जाता रहा है। इस प्रकार यह पद्धति अभी हाल ही में उद्भूत हुई है जो विनियम 21 की अपेक्षा के प्रतिकूल है। विनियम 21 की स्कीम में असुविधा और कठिनाई के लिए कोई स्थान नहीं है। एक ऐसे विशिष्ट ढंग से जो कानूनी तौर पर व्यादिष्ट किया गया हो, विचलन अनुज्ञेय नहीं है और यह विचलन अवैध है और इसका परिहार किया जाना चाहिए। यह अपेक्षा इसलिए हितकर है कि विद्यार्थी को परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व ही इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसे रोका जाएगा या परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। यदि उसे इस बात की जानकारी है कि उसे रोका जाएगा तो वह अनावश्यक रूप से परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करेगा। यदि उसे इस बात की जानकारी है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई उपस्थिति की प्रतिशतता ऐसी है जिसे माफ किया जा सकता है तो वह इस प्रकार माफ किए जाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करेगा। परीक्षा के दौरान इस बात की घोषणा करना कि किसी विद्यार्थी ने विहित प्रतिशतता से कम उपस्थिति की प्रतिशतता प्राप्त की है अतः वह परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य है तो यह बात सम्बद्ध विद्यार्थी के लिए बहुत ही विक्षुब्धकारी और व्याकुलकारी होगी। इस नियम का अनुसरण करने के लिए प्राधिकारियों की निष्क्रियता और उदासीनता उसके मस्तिष्क में कुण्ठा और विद्रोह के भाव पैदा करती है जो कि एक अनुशासनहीन प्रवृत्ति है। हम विरोधी पक्षकारों की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि अभिलेख और तालिका कुछ ही दिनों में तैयार नहीं की जा सकती जिससे कि इसे परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराया जा सके। चूंकि औचित्य और नियम ने आचरण का एक विशिष्ट मार्ग व्यादिष्ट किया है, अतः उससे उसका अतिलंघन करना अवैध है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता। यह भंग विरोधी पक्षकारों की ओर से निष्क्रियता, उदासीनता या

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तत्परता के अभाव के कारण है। विद्यार्थियों के कैरियर के सम्बन्ध में हम उस मार्ग का अनुमोदन नहीं कर सकते जिसका अनुसरण किया गया है।

पिटीशनरों ने यह दलील दी कि विरोधी पक्षकार ली गई कक्षाओं में अपनी उपस्थिति की स्थिति के बारे में जानते थे या वे सम्यक् तत्परता से स्थिति को जान सकते थे और उन्हें अन्तिम परीक्षा में बैठने से रोकने या अवरुद्ध करने, उन्हें परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात करने के लिए विरोधी पक्षकार ली गई कक्षाओं में अपेक्षित उपस्थिति की कमी की बाबत अभिवचन करने से विबंधित हैं। पिटीशनरों ने साम्यापूर्ण विबंध का अभिवचन किया। उनका यह कहना है कि चूंकि विरोधी पक्षकारों ने अपने आचरण द्वारा उन्हें एक मार्ग का अनुसरण करने के लिए अनुज्ञात कर दिया है अतः अब वे उससे विमुख होने और उनके लिए अहितकर कार्य करने के हकदार नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने विरोधी पक्षकार के साथ कोई कपटपूर्ण व्यवहार नहीं किया है न ही उन्होंने ऐसी कोई सूचना दी है जो गलत हो। उन्होंने इस तर्क पर जोर दिया कि चूंकि विरोधी पक्षकार इससे अवगत थे या इस स्थिति में थे कि वे इस बात की जानकारी कर सकते थे और उन्हें परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया था, अतः अब उनके लिए विनियम 21 के वर्जन का अभिवाक् करना अननुज्ञेय है। अब हम न्यायालय में प्रोद्धृत की गई कुछ नजीरों के प्रति निर्देश करना चाहेंगे। **बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, यू० पी०** बनाम **कुमारी चित्रा श्रीवास्तव**[1] वाले मामले में कुमारी चित्रा का परिणाम बोर्ड द्वारा इस आधार पर घोषित नहीं किया गया था कि उसने कक्षा में अपेक्षित उपस्थिति की प्रतिशतता प्राप्त नहीं की थी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जिस संक्षिप्त प्रश्न पर जोर दिया गया था, वह परिणाम को विधारित करने के विनिश्चय से पूर्व छात्र को नैसर्गिक न्याय से मना करना था। उच्चतम न्यायालय ने इस बात का विनिश्चय किए बिना कि बोर्ड परिणाम को विधारित कर सकता है, बोर्ड को यह निदेश दिया कि वह कुमारी चित्रा को अवसर प्रदान करे।

कृष्ण बनाम **कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र**[2] वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया (पृ० 380-381) :—

> "...जब एक बार अपीलार्थी को सही रूप से या गलत रूप से परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है तब वह कानून जो विश्वविद्यालय को आवेदक की अभ्यर्थिता को प्रत्याहृत करने के लिए

---

[1] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1039

[2] ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 376.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सशक्त करता है, स्वयं निष्क्रिय हो जाता है और आवेदक को बाद में किसी ऐसी अयोग्यता के कारण प्रवेश पाने से इनकार नहीं किया जा सकता जिस अयोग्यता की बाबत आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान करने से पूर्व जांच कर लेनी चाहिए थी···।"

श्री कृष्ण वाले मामले पर कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी कलैण्डर, वाल्यूम I के अध्यादेश X का खण्ड 2 लागू होता है। इसमें इस प्रभाव का खण्ड है कि यह प्रमाणपत्र कि विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम में उपस्थित होगा, अनन्तिम है और इसे परीक्षा से पूर्व किसी भी समय प्रत्याहृत किया जा सकता है, यदि छात्र उस अवधि के अन्त से पूर्व विहित पाठ में उपस्थित होने में असफल रहता है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इस प्रकार के प्रमाणपत्र को प्रत्याहृत किया जा सकता है यदि विद्यार्थी कक्षा के विहित पाठ्यक्रम में उपस्थित होने में असफल रहता है किन्तु ऐसा परीक्षा से पूर्व ही किया जा सकता है और जब एक बार विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाता है तो विद्यार्थी को बाद में किसी ऐसी अयोग्यता के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता जिस अयोग्यता की परीक्षा में बैठने से पूर्व आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करने में जांच कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि विद्यार्थी असत्य के सुझाव का या सत्य के गोपन का दोषी नहीं है। यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के पास इस त्रुटि का पता लगाने का अवसर था तो उन्हें अभ्यर्थिता को प्रत्याहृत करने की कोई शक्ति नहीं है। यद्यपि निस्संदेह ही अध्यादेश में प्रमाणपत्र को प्रत्याहृत करने के लिए उपबंध अन्तर्विष्ट है किन्तु इसमें इस प्रमाणपत्र को परीक्षा के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रत्याहृत करने के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को प्रतिषिद्ध किया गया है, इस सिद्धान्त से जो विनिश्चय निकल सकता है, वह यह है कि यदि किसी विद्यार्थी को कोई मार्ग अपनाने के लिए अर्थात् परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है तो विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को ऐसा मत अपनाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता जो विद्यार्थी के हित में अपायकर हो। उस मामले में प्रमाणपत्र की बाबत उपबंध एक विनिर्दिष्ट उपबंध हो सकता है। लेकिन जोर साम्यापूर्ण सिद्धान्त पर दिया गया जो विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विरुद्ध लागू होता है। उस मामले में जो महत्त्वपूर्ण मत अपनाया गया, उस पर ध्यान दिया जा सकता है (पृ० 381) :—

"···यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी विनिर्दिष्ट शर्त की पूर्ति करने के लिए विद्यार्थी द्वारा दिए गए वचन के आधार पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विश्वविद्यालय द्वारा उस परीक्षा में बैठने के लिए ऐसा अनन्तिम प्रवेश दिया गया हो जिसे पूर्वोक्त शर्त की पूर्ति न किए जाने पर किसी भी क्षण प्रत्याहृत किया जा सकता हो। यदि ऐसी स्थिति हो तो विद्यार्थी स्वयं ही उस कानून से, जो उसके फायदे के लिए हो, अनुबंधित होगा और कानून आवेदक की अभ्यर्थिता को रद्द करने में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के मार्ग में नहीं आएगा।"

प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर इस सिद्धान्त को लागू करते हुए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि छात्रों को परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व रोका जा सकता है किन्तु यदि उन्हें परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है तो उन्हें रोका नहीं जा सकता और न ही विनियम 21 में अन्तर्विष्ट उपबंध का उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए प्रयोग किया जा सकता है।

श्रीमती गीता मिश्र बनाम **उत्कल विश्वविद्यालय**[1] वाले मामले में प्रश्न यह था कि क्या विश्वविद्यालय प्राप्तांक पत्र में दर्शित उन अंकों को प्रश्नगत कर सकता है जिन्हें छात्र ने प्राप्त किया है यदि उसके आधार पर छात्र पहले ही कार्रवाई कर चुका है। विश्वविद्यालय की ओर से यह दलील दी गई कि यह मामला मात्र भूल का मामला है और विश्वविद्यालय सही स्थिति पर कार्रवाई कर सकता है। इस मामले में व्यक्त किए गए मत उद्धृत किए जाने योग्य हैं :—

"विबंध न केवल प्राप्तांक सूची के आधार पर किए गए क्रियाशील अभ्यावेदन से ही उत्पन्न होता है वरन् विश्वविद्यालय की ओर से की गई उपेक्षा के आधार पर भी उत्पन्न होता है।" (रेखांकन हमारे द्वारा किया गया)

नाबा किशोर गदपल्ला बनाम **उत्कल विश्वविद्यालय**[2] वाले मामले में विश्वविद्यालय ने पिटीशनर के परिणाम को इस आधार पर विधारित कर लिया था कि विद्यार्थी गणित की अनुपूरक परीक्षा देने का हकदार नहीं है क्योंकि वह पूर्वतन परीक्षा में रसायनशास्त्र में भी असफल रहा है। विश्वविद्यालय ने यह अभिवचन किया कि अंक पत्र गलत था। किन्तु इस न्यायालय ने विश्वविद्यालय को उस स्थिति से विचलित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जिस स्थिति से

---

[1] ए० आई० आर० 1971 उड़ीसा 276.

[2] ए० आई० आर० 1978 उड़ीसा 65.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विद्यार्थी ने अंकपत्र, जो चाहे गलत पाया गया हो, के आधार पर कार्य किया था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया (पैरा 4) :—

"···किन्तु जहां भूल पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की जानकारी में हो और अन्य पक्षकार ने अभ्यावेदन के आधार पर कार्य किया हो और अपने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली अपनी स्थिति में आ गया हो, वहां निश्चित रूप से विबन्ध उपलब्ध होगा। विश्वविद्यालय को अपनी विशेष जानकारी में के तथ्यों को प्रकट करते हुए इस बात का अभिवचन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता कि प्राप्तांक पत्र गलत था और यह कि वास्तव में पिटीशनर ने केवल 44 अंक प्राप्त किए थे न कि 56 अंक जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा उस समय प्रकट किया गया था······।"

विश्वविद्यालय को परमादेश रिट जारी की गई थी जिसमें उसे परिणाम प्रकाशित करने का निदेश दिया गया था।

पुरुषोत्तम दास दुलीचन्द जारगर बनाम **बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, राइट टाउन, जबलपुर**[1] वाले मामले में पिटीशनर को प्रयोगात्मक परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया था किन्तु बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन द्वारा बाद में उसे यह सूचित किया गया कि उसे लिखित परीक्षा में बैठने से विवर्जित कर दिया गया है क्योंकि उसकी उपस्थिति कम थी। बोर्ड की ओर से यह अभिकथन किया गया कि साधारणतः विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जाता है और उनके आवेदन प्ररूपों की संवीक्षा बाद में की जाती है। पिटीशनर को प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात करने में उपस्थिति की कमी को माफ नहीं किया गया था। बाद में इस प्रश्न पर बोर्ड ने विचार किया और पिटीशनर को यह सूचित किया कि वह लिखित परीक्षा में नहीं बैठ सकता। खण्ड न्यायपीठ की ओर से निर्णय देते हुए मुख्य न्यायमूर्ति दीक्षित ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था (पैरा 6) :—

"विनियम 9 से यह स्पष्ट है कि विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक कि सचिव का स्वयं यह समाधान नहीं हो जाता कि उसने परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है। अतः इस पद्धति का यदि कोई है, जिसमें विद्यार्थियों को साधारणतया प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठने के लिए

---

[1] ए० आई० आर० 1962 मध्य प्रदेश 3.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

> अनुज्ञात कर दिया जाता है, कोई औचित्य नहीं है । इस प्रकार की गलत पद्धति विनियम 9 के विधिक प्रभाव को विस्थापित नहीं कर सकती । यह प्रभाव यह है कि यदि किसी विद्यार्थी को किसी विषय की परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है तो यह माना जाना चाहिए कि उसने परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है,..."

उस मामले में यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि उन नए विनियमों के अधीन, जो इस मामले में लागू होते हैं, उपस्थिति की कमी को माफ करने के लिए अध्यक्ष की शक्ति एक विशिष्ट अवधि तक के लिए सीमित थी तथा आवेदक की उपस्थिति की कमी उस सीमा से काफी अधिक थी जिसे माफ किया जा सकता था । उक्त दलील का खण्डन करते हुए न्यायालय ने पैरा 6 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

> "...यह महत्त्वहीन है कि आवेदक पर नए विनियम लागू होते हैं या पुराने विनियम । इस तथ्य की बाबत कि आवेदक को प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया था और उसे रोल नम्बर आबंटित कर दिया गया था, यह माना जाना चाहिए कि इसकी आवश्यक विवक्षा यह है कि पिटीशनर की उपस्थिति में कमी ऐसी थी जिसे माफ किया जा सकता था और उन विनियमों के अधीन उसे माफ कर दिया गया है जो उस पर लागू थे । अतः यदि नए विनियमों को उस पर लागू किया जाता है तो यह माना जाना चाहिए कि आवेदक की उपस्थिति में कमी ऐसी थी जिसे अध्यक्ष ने अपनी शक्ति के भीतर माफ कर दिया था ।" (रेखांकन हमारे द्वारा किया गया है)

पूर्वोक्त व्यक्त किए गए मत से विरोधी पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों का उत्तर मिल जाता है । इस तर्क को लागू करते हुए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि चूंकि तथ्य विरोधी पक्षकार की विशेष जानकारी में थे जिसके कारण उसने पिटीशनरों को परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया था और उन्हें परीक्षा से रोका या अवरुद्ध नहीं किया था । अतः विरोधी पक्षकार ने आवश्यक विवक्षा द्वारा पिटीशनरों को यह सूचित किया कि उनकी उपस्थिति में कोई कमी नहीं है ।

कुमारी संगीता श्रीवास्तव बनाम **प्रोफेसर यू० एन० सिंह**[1] वाले मामले में खण्ड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जहां विद्यार्थी किसी कपट

[1] ए० आई० आर० 1980 दिल्ली 27.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

या दुर्व्यपदेशन का दोषी न हो, वहां साम्यापूर्ण विबंध का सिद्धान्त इस तथ्य के होते हुए भी लागू होगा कि छात्र जिसे स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश दे दिया गया था, उसका पात्र नहीं था। **उमा शंकर मिश्र** बनाम **बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, यू० पी०, इलाहाबाद**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साम्यापूर्ण विबन्ध का सिद्धान्त उस समय लागू होता है जबकि इण्टरमीडिएट परीक्षा के परिणाम को भूल के अभिवाक् के आधार पर रद्द कराना चाहा गया हो।

विरोधी पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेल श्री रथ ने **हरिपद दास** बनाम **उत्कल विश्वविद्यालय**[2] वाले मामले का अवलम्ब लिया। उस मामले में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया था (पैरा 9) :—

> "अतः पूर्वकथन के अनुसार तृतीय परीक्षा के केवल एक विषय में उसकी उपस्थिति विश्वविद्यालय को धोखा देने और कानून की उपेक्षा करने का जानबूझकर किया गया प्रयत्न है। इन परिस्थितियों में वह विबन्ध का अभिवाक् नहीं दे सकता...।"

ऐसी स्थिति होने के कारण यह नजीर उसके समान नहीं है तथा प्रभेदनीय है।

श्री रथ ने आगे **प्रधानाचार्य, पटना महाविद्यालय, पटना** बनाम **कल्याण श्रीनिवास रमण**[3] वाले मामले का अवलम्ब लिया। इस मामले में दिए गए विनिश्चय के पैरा 20 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :—

> "...जहां किसी विद्यालय की शैक्षणिक संस्था द्वारा विरचित विनियम के निर्वचन का प्रश्न अन्तर्वलित हो वहां साधारणतया उच्च न्यायालय को सरशियोरेराई रिट जारी करने की उस स्थिति में उपेक्षा करनी चाहिए जिसमें कि यह स्पष्ट हो कि प्रश्नगत विनियम के दो अर्थान्वयन किए जा सकते हैं और सामान्यतया उच्च न्यायालय के लिए यह समीचीन नहीं है कि वह शिक्षा प्राधिकारियों के विनिश्चय को इस आधार पर उलट दे कि उक्त प्राधिकारियों द्वारा सुसंगत विनियम की बावत किया गया अर्थान्वयन उच्चन्यायालय को उस अनुकल्पी अर्थान्वयन से कम युक्तियुक्त प्रतीत होता है जिसे उच्च न्यायालय स्वीकार करता है......।"

---

[1] ए० आई० आर० 1974 इलाहाबाद 290.

[2] ए० आई० आर० 1978 उड़ीसा 68.

[3] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 707.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रस्तुत मामले के तथ्यों के आधार पर विनियम के निर्वचन संबंधी ऐसा प्रश्न उद्भूत नहीं हुआ है जिसके दो अर्थान्वियन किए जा सकें। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, विनियम 21 में अन्तर्विष्ट उपबंध सादे और स्पष्ट हैं।

10. पूर्वोक्त कारणों के आधार पर हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि विरोधी पक्षकार पिटीशनरों को सम्पूर्ण परीक्षा में बैठने से विवर्जित करने के लिए विबंधित हैं। अतः हम उपाबंध-4 को अभिखण्डित करते हैं और विरोधी पक्षकारों को यह निदेश देते हैं कि वे उन प्रश्नपत्रों की बाबत परीक्षा लें जिनमें पिटीशनरों को परीक्षा देने से अनुज्ञात नहीं किया गया था तथा परीक्षा लिए जाने के पश्चात् परिणाम घोषित करें।

11. परिणामतः रिट आवेदन मंजूर किया जाता है किन्तु मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं दिया जाता।

न्या० जे० के० महान्ति :

मैं सहमत हूं।

पिटीशन मंजूर किया गया।

बंसल/मि०

नि० प० 1983 : उड़ीसा—72

भ्रामर प्रधान बनाम गोविन्द महापात्र और अन्य

(Bhramar Pradhan *Vs.* Govinda Mahapatra and others)

तारीख 6 अक्तूबर, 1982

[न्या० पी० के० महान्ति]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 100 व 101—तथ्यों के निष्कर्ष पर द्वितीय अपील में आपेक्ष—निचले अपील न्यायालय द्वारा निकाले गए सही निष्कर्षों पर द्वितीय अपील में आक्षेप नहीं किया जा सकता।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, धारा 101 व 104—बेनामी-संव्यवहार सिद्ध करने का भार—कोई संव्यवहार बेनामी है, यह सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर है जो बेनामी होने का अभिकथन करता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 114—सम्पत्ति के असली स्वामी के बारे में अभिधारणा—इस संबंध में अभिधारणा यह है कि जो व्यक्ति प्रतिफल का भुगतान करता है, वह असली स्वामी है न कि वह जिसके नाम में सम्पत्ति खरीदी गई है।

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, धारा 41—बेनामी संव्यवहार—यह निर्धारित करने में कि क्या संव्यवहार बेनामी है, नातेदारी एक परिस्थिति है जिस पर विचार किया जा सकता है।

वादी ने वाद की सम्पत्ति के बारे में अभिकथन किया है कि वह प्रतिवादी संख्या 2 के भाई का पुत्र है न कि प्रतिवादी 2 का 1 वादी अपने पिता की मृत्यु के समय सिर्फ दो वर्ष का था। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और उसने अपनी शादी के समय वादी के भरण-पोषण के लिए प्रतिवादी सं० 2 को कुछ जेवर व 200 रु० नकद दिए थे। जिनकी सहायता से प्रतिवादी सं० 2 ने वादी के नाम में वादगत भूमि खरीदी थी। लेकिन अवैध अभिलाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी 2 ने प्रतिवादी सं० 1 को वादगत भूमि का विक्रय कर दिया है। यह प्रतिवादी 1 के पक्ष में किया गया विक्रय-विलेख अवैध है। विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्री कर दिया। प्रथम अपील न्यायालय (जिला न्यायाधीश) ने डिक्री को उलट दिया तथा निर्धारित किया कि प्रतिवादी 2 द्वारा प्रतिवादी 1 के पक्ष में किया गया विक्रय-विलेख वैध है क्योंकि प्रतिवादी 2 वाद की भूमि का असली स्वामी था। अब द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष विचार का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी 2 वाद की भूमि का असली स्वामी है व प्रतिवादी 2 द्वारा वादी के नाम में कराया गया विक्रय-विलेख बेनामी संव्यवहार था।

अभिनिर्धारित—अपील खारिज की गई।

निचले अपील न्यायालय के इस निष्कर्ष पर कि वादी प्रतिवादी 2 के भाई का पुत्र नहीं है बल्कि वह प्रतिवादी 2 का ही पुत्र है, द्वितीय अपील में आपेक्ष नहीं किया जा सकता। (पैरा 6)

प्रतिवादी 2 नें वादगत भूमि को खरीदने के लिए अपनी धनराशि में से प्रतिफल का भुगतान किया था। वह व्यक्ति जो कीमत का भुगतान करता है, सम्पत्ति का असली स्वामी होता है न कि वह जिसके नाम में सम्पत्ति खरीदी जाती है। इस देश में बेनामी संव्यवहार बिना किसी हेतु के बहुधा होते रहते हैं। बेनामी संव्यवहार को सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर है जो इस संव्यवहार होने का अभिकथन करता है। (पैरा 7 और 8)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह निर्धारित करने में कि क्या संव्यवहार बेनामी है, सम्बन्ध एक परिस्थिति है जिस पर विचार किया जा सकता है। इस देश में बेनामी संव्यवहार बिना किसी हेतु के बहुधा होते रहते हैं। (पैरा 9 और 10)

		पैरा
[1977]	(1977) ए० आई० आर० एस० सी० 409 : भारत संघ **बनाम** मोक्ष बिल्डर्स एण्ड फाइनैंशियर्स लिमिटेड (Union of India *Vs.* Moksh Builders and Financiers Ltd.);	7
[1939]	(1939) ए० आई० आर० पटना 462 : शहदेव करन सिंह **बनाम** उस्मान अली खान (Sahdeo Karan Singh *Vs.* Usman Ali Khan);	9
[1854]	(1854) 6 मू० इण्डिया अपील 53 (पी० सी०) : गोपी कृष्ण गुसांई **बनाम** गंगा प्रसाद गुसांई (Gopeekrishan Gosain *Vs.* Gungapersaud Gosain)	9

निर्दिष्ट किए गए।

सिविल अपीली अधिकारिता : 1977 की द्वितीय सिविल अपील सं० 221.

निचले न्यायालय द्वारा डिक्री उलट दिए जाने के विरुद्ध वादी द्वारा द्वितीय अपील।

अपीलार्थी की ओर से ... श्री पी० के० मिश्र

प्रत्यर्थियों की ओर से ... श्री एल० रथ

न्या० पी० के० महान्ति :

वादी ने यह द्वितीय अपील उलट दी गई डिक्री के विरुद्ध की है। यह वाद हक की घोषणा के लिए व पुष्टीकरण के लिए, या अनुकल्प में, इस अधिनिर्णय पर वादगत भूमियों के कब्जे के वापस दिए जाने के लिए कि प्रतिवादी सं० 2 के द्वारा प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में 24-3-67 को निष्पादित विक्रय-विलेख वादी पर बाध्यकर नहीं है व वादी के कब्जे में प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश के लिए भी है।

2. वाद-पत्र में अभिवचन किया गया मामला यह है कि वादी प्रतिवादी सं० 2 बवन प्रधान के भाई स्वर्गीय घाना प्रधान का पुत्र है और उसके पिता की मृत्यु उस समय हुई जब वह सिर्फ दो वर्ष का था। उसकी मां हेमा बेवा ने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दूसरी शादी कर ली। अपनी दूसरी शादी के समय हेमा बेवा ने वादी के भरण-पोषण के लिए प्रतिवादी सं० 2 को 200 रु० नकद व कुछ जेवर दिए थे। हेमा बेवा के द्वारा दिए गए नकद रुपयों व जेवर से प्रतिवादी सं० 2 ने वादी के नाम में दिनांक 10-6-1959 को (प्रदर्श क) विक्रय विलेख द्वारा वादगत भूमियों को खरीदा था। इसके पश्चात् प्रतिवादी सं० 2 ने अवैध अभिलाभ प्राप्त करने के लिए गलत रूप से अपने को वादी का पिता बताकर वाद की भूमि विक्रय विलेख (प्रदर्श ख) दिनांक 24-3-1967 को प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में लिख दिया। वह विक्रय वादी के फायदे के लिए कभी नहीं था। 'हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम' के उपबन्धों का उल्लंघन करके जिला न्यायाधीश की अनुमति लिए बिना विक्रय विलेख लिख दिया गया था।

3. प्रतिवादी संख्या 2 वाद में उपस्थित नहीं हुआ जो उसके विरुद्ध एकपक्षीय चला। प्रतिवादी सं० 1 ने, जो वाद में अकेला विरोधी था, प्रतिविरोध किया कि वादी घाना प्रधान का पुत्र नहीं है बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र है और वह उसके साथ एक अविभक्त परिवार में रहता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी का पिता होने के नाते अपने स्वयं की रकम में से वादी के नाम में, जो उस समय अप्राप्तवय था, वाद की सम्पत्ति को बेनामी खरीदा था। प्रतिवादी संख्या 2 वादगत भूमि का वास्तविक स्वामी था तथा बिचौलिए के हक समाप्त होने के बाद भूमि का बन्दोबस्त उसके हक में किया गया। उसने अपने परिवार की वैध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वादगत भूमियों को प्रतिवादी संख्या 1 को 1000 रुपए का प्रतिफल लेकर बेच दिया और 24-3-1967 को विक्रय विलेख लिख दिया तथा भूमि का कब्जा सौंप दिया। प्रतिवादी संख्या 2 ने, एक अनुभवी वादकारी होने के कारण, विक्रय विलेख अपास्त कराने के लिए एक वाद प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया था। उसने वाद की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उगाई गई धान की फसल को काट लिया तथा उसे ले गया जिसके लिए दाण्डिक मामला उसके विरुद्ध लम्बित है। दाण्डिक जिम्मेदारी से बचने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के माध्यम से वर्तमान वाद प्रस्तुत किया है।

4. विचारण न्यायालय ने पाया था कि वादी स्वर्गीय घाना प्रधान का लड़का है, कि वादी के भरण-पोषण के लिए उसकी मां ने प्रतिवादी संख्या 2 को कुछ जेवर व नकद दिया था, कि प्रतिवादी संख्या 2 ने उस जेवर व नकदी की सहायता से वादी के नाम में दावे की भूमि को खरीदा था। किन्तु बाद में अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए उसने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विलेख लिख दिया और यह भी निश्चित किया कि बिचौलिए के हक समाप्त होने के बाद वादगत भूमियों का प्रतिवादी संख्या 2 के नाम में बन्दोबस्त कर दिया गया किन्तु यह वादी के लाभ के लिए प्रवृत्त थी और प्रतिवादी संख्या 2 सिर्फ वादी की सम्पत्ति की न्यासी था। और आगे यह भी निर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया गया वादगत भूमि का अन्तरण अवैध है क्योंकि जिला न्यायाधीश की कोई अनुमति नहीं ली गई जैसा कि 'हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम' के उपबन्धों के द्वारा आवश्यक था। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई अपील में विद्वान् जिलाधीश ने पाया कि वादी प्रतिवादी संख्या 2 बवन प्रधान का पुत्र है और कि वादी का अभिकथन कि उसकी मां ने वादी के भरण-पोषण के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को कुछ जेवर व नकदी दी थी, असत्य था, कि वादी सिर्फ एक नाम धारक था तथा प्रतिवादी सख्या 2 वादगत भूमि का वास्तविक स्वामी था, और कि उड़ीसा संपदा उत्सादन अधिनियम के अन्तर्गत वादगत भूमियों का बन्दोबस्त प्रतिवादी संख्या 2 के नाम कर दिया गया। उसने दिनांक 24-3-1967 के विक्रय विलेख द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में वैध हक हस्तान्तरित किया था। इन निष्कर्षों के आधार पर विचारण न्यायालय की डिक्री को अपास्त कर दिया और वादी का वाद खारिज कर दिया।

5. इस अपील में यह प्रार्थना की गई है कि वादी वाद की भूमि का वास्तविक स्वामी था और प्रतिवादी संख्या 2 के नाम में किए गए बन्दोबस्त को वादी के लाभ में प्रवृत्त किया गया समझना चाहिए। आगे फिर यह अनुरोध किया गया कि यह मानते हुए भी कि वादी प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र है, उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जिलाधीश की अनुमति लिए बिना किया गया अन्यसंक्रामण अवैध था?

6. जैसा कि पहले ही कहा गया है, प्रथम अपील न्यायालय ने ये निष्कर्ष निकाले कि वादी प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र है, कि प्रतिवादी संख्या 2 वादगत भूमियों का वास्तविक स्वामी था, और कि उड़ीसा संपदा उत्सादन अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत वादगत भूमियों का प्रतिवादी संख्या 2 के साथ बन्दोबस्त हो जाने के बाद उसने उस भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वैध रूप से हस्तान्तरण किया था। तथ्यों के ये सही निष्कर्ष हैं और इन पर द्वितीय अपील में विरोध नहीं किया जा सकता है। विक्रय-विलेख प्रदर्श 'क' व 'ख' में वादी को प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र बताया है। प्रदर्श 'क' के विक्रेता ने, जिसकी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कि वादी की तरफ से प्रथम साक्षी के रूप में परीक्षा की गई थी, प्रतिपरीक्षा में कहा है कि प्रतिवादी संख्या 2 वादी का पिता है। वादी साक्षी 2 का साक्ष्य, जो अपने को वादी की मां होने का दावा करती है, वादी साक्षी संख्या 3 व 4 से बहुत भिन्न है। सावधानीपूर्वक संवीक्षा के वाद अधीनस्थ अपील न्यायालय ने उनके साक्ष्य पर कोई विश्वास नहीं किया है। मुझे अधीनस्थ अपील न्यायालय के निष्कर्षों, कि वादी घाना प्रधान का पुत्र नहीं था बल्कि वह वास्तव में प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र है, में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अकाट्य आधार प्रतीत नहीं होता है।

7. अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने वहुत जोर देते हुए प्रतिविरोध किया है कि अधीनस्थ अपील न्यायालय का प्रदर्श 'क' के अन्तर्गत बेनामी संव्यवहार की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। यह सुस्थापित है कि एक संव्यवहार का बेनामी होना सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर है जो उस संव्यवहार के बेनामी होने का अभिकथन करता है, क्योंकि कार्यकलाप की स्पष्ट स्थिति वास्तविक होनी चाहिए जव तक कि विरुद्ध सिद्ध न हो जाए। फिर भी भार एक स्थान पर नहीं रहता बल्कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ बदलते रहता है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह निर्धारित किया कि सिद्ध करने का भार स्थायी नहीं है, तथा साक्ष्य के दौरान पारी वदल सकती है। इस प्रकार जब भार आरम्भ में उस पक्ष पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि कोई साक्ष्य नहीं दिया गया, साक्ष्य अभिलिखित हो जाने के वाद यह उस पक्ष पर चला जाता है जिसके विरुद्ध निर्णय दे दिया जाएगा यदि आगे और कोई साक्ष्य किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता। यद्यपि यह स्थापित करने का भार, कि संव्यवहार बेनामी है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा होने का प्राख्यान करता है। जहां पर साक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं हो जो निष्कर्षतः अभिकथन को स्थापित करता हो या उलट देता हो तो वहां पर मामले का व्यवहार युक्तियुक्त संभावनाओं व सिद्ध किए गए या स्वीकार कर लिए गए तथ्यों से उत्पन्न कानूनी निष्कर्षों पर करना चाहिए। (देखिए **भारत संघ** वनाम **मोक्ष बिल्डर्स व फाइनेंशियर्स लि०**[1])

8. इस मामले के साक्ष्य की परीक्षा उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में, यह ढूंढने के लिए कि क्या संव्यवहार की बेनामी प्रकृति सिद्ध हो गई है या नहीं, करना है। विक्रय विलेख (प्रदर्श 'क') के परिवर्णन से ज्ञात यह होता है कि विक्रय की राशि का प्रतिवादी सख्या 2 द्वारा भुगतान किया गया था। प्रदर्श 'क'

[1] ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 409.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(जो प्रदर्श 1 के तत्सम है) पर उप-रजिस्ट्रार द्वारा किए गए पृष्ठांकन से यह ज्ञात होता है कि प्रतिफल की रकम के 200 रुपए उसके सामने दिए गए थे। वादी साक्षी 1 जो प्रदर्श 'क' के अन्तर्गत विक्रेता है, इस प्रश्न का कि कीमत का भुगतान किसने किया, जवाब देने से पहले तो बचता रहा लेकिन बाद में स्वीकार किया कि विक्रय-विलेख में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिफल के भुगतान के बारे में परिवर्णन सही है। वादी का पक्षकथन यह है कि विक्रय-विलेख प्रदर्श 'क' के लिखे जाने के समय उसकी उम्र 6 वर्ष की थी। स्पष्टतः उसके पास स्वयं का कोई धन नहीं था। लेकिन उसने यह अभिकथन किया है कि वादी साक्षी संख्या 2 ने कुछ जेबर व नकदी प्रतिवादी संख्या 2 को दिए थे और उन जेबर व नकदी की सहायता से प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के नाम से वादगत भूमियां खरीदी थीं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने पर अपील न्यायालय ने यह पाया कि वादी अपने अभिकथन को सिद्ध करने में असफल रहा है। धन के स्रोत के बारे में प्रतिवादी संख्या 2 को पूर्ण जानकारी थी, वह इस वाद में उपस्थित नहीं हुआ और न किसी पक्ष ने उसे साक्षी के रूप में समन किया। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि प्रदर्श 'क' के अन्तर्गत प्रतिफल की राशि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दी गई थी, यह एक उपधारणा है कि वह व्यक्ति, जो धन का भुगतान करता है, वास्तविक स्वामी है न कि वह व्यक्ति जिसके नाम में सम्पत्ति खरीदी जाती है।

9. हेतु का न होना संव्यवहार की बेनामी प्रकृति के विरुद्ध एक परिस्थिति नहीं हो सकती। यह सभी जानते हैं कि इस देश में बेनामी संव्यवहार बिना किसी हेतु या कारण के किए जाते हैं। **शहदेव करन सिंह** बनाम **उस्मान अली खान**[1] के मामले में पटना उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुभव यह बताता है कि इस देश में बेनामी संव्यवहार बिना किसी स्पष्ट कारण के होते रहते हैं। **गोपी कृष्ण गुसांई** बनाम **गंगा प्रसाद गुसांई**[2] के मामले में प्रिवी कौंसिल के माननीय न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत में बेनामी क्रय अभिवर्धन के किसी इरादे के बिना बहुधा होते रहते हैं।

10. नातेदारी एक परिस्थिति है जिसे यह निर्धारित करने के लिए विचार में लिया जा सकता है कि क्या संव्यवहार बेनामी है या नहीं। विद्वान् जिला न्यायाधीश ने तथ्य के रूप में यह पाया कि वादी प्रतिवादी संख्या 2 का

---

1 ए० आई० आर० 1939 पटना 462.

2 (1854) 6 मू० इण्डिया अपील 53 (पी० सी०).

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पुत्र है यद्यपि वादी ने स्पष्टतः कुछ अन्तरस्थ हेतु के साथ इस सम्बन्ध को अस्वीकार किया है।

11. प्रतिवादी संख्या 2 का पश्चात्‌वर्ती आचरण यह दिखाने के लिए है कि संव्यवहार बेनामी था। बिचौलिया के हित समाप्त होने के बाद उड़ीसा सम्पदा उत्सादन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत (देखिए प्रदर्श ई) उसने वादगत भूमियों का अपने नाम में बन्दोबस्त करा लिया।

12. इन तथ्यों पर विचार करने पर कि प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिफल का भुगतान किया था, कि वादी प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र है, कि संव्यवहार के समय वह सिर्फ बच्चा था, कि उसके पास स्वयं का कोई धन नहीं था, कि वह यह सिद्ध करने में कि हेमा बेवा उसकी मां है, असफल रहा है, और यह कि अपनी दूसरी शादी के समय उसने प्रतिवादी संख्या 2 को कुछ जेवर व नकदी दी थी, एक युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने ही लाभ के लिए संव्यवहार किया था। यद्यपि विक्रय-विलेख वादी के नाम में बेनामी लिखा गया था। इसलिए विद्वान् जिला न्यायाधीश द्वारा यह निर्धारित करना न्यायोचित था कि प्रतिवादी संख्या 2 वादगत भूमियों का वास्तविक स्वामी था।

13. इस निष्कर्ष की दृष्टि से कि प्रतिवादी संख्या 2 वादगत भूमियों का असली स्वामी था, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया अन्यसंक्रामण वैध है। अपील में उठाए गए प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

14. अपील असफल रहती है तथा खारिज की जाती है किन्तु मामले की परिस्थितियों में खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

अपील खारिज की गई।

रा०/मि०

नि० प० 1983 : उड़ीसा—79

गोपाल मेहर और अन्य बनाम डाला बारिहा और अन्य

(Gopal Meher and others *Vs.* Dala Bariha and others)

तारीख 21 अक्तूबर, 1982

[न्या० डा० बी० एन० मिश्र]

उड़ीसा सम्पदा उत्सादन अधिनियम, 1952—धारा 7—राज्य सरकार द्वारा भूमि का बन्दोबस्त किया जाना—बन्दोबस्त के लिए सिर्फ भूतपूर्व मध्यवर्ती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ही दावा करने के हकदार हैं—धारा 7 के अधीन बन्दोवस्त के लिए अभिधारी हकदार नहीं हैं।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 9—सक्षम अधिकारी द्वारा परिसीमा की अवधि के पश्चात् पारित आदेश में अन्तर्निहित अधिकारिता की कमी नहीं होती।

उड़ीसा सम्पदा उत्सादन अधिनियम, 1952 के अधीन प्रतिवादियों ने विवादग्रस्त भूमि के बन्दोवस्त के लिए परिसीमा की अवधि के पश्चात् एक आवेदन-पत्र सम्पदा उत्सादन कलक्टर के समक्ष दिया जिसे कलक्टर ने खारिज कर दिया और विवादग्रस्त भूमि का बन्दोवस्त वादियों के पिता के हक में कर दिया। प्रतिवादियों ने एक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिया जिसे मंजूर कर लिया तथा अपने पहले आदेश को उलट दिया तथा विवादग्रस्त भूमि का बन्दोवस्त प्रतिवादियों के हक में कर दिया गया। उस आदेश से व्यथित होकर वादियों ने यह अपील फाइल की है। इस अपील के विचारण में उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य दो प्रश्न विचार के लिए थे। (1) क्या विवादग्रस्त भूमि के बन्दोवस्त के लिए अधिनियम के अधीन भूतपूर्व मध्यवर्तियों को अधिकार था या अभिधारियों को? (2) क्या परिसीमा की अवधि के पश्चात् दिए गए प्रार्थना-पत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश में अन्तर्निहित अधिकारिता की कमी थी?

अभिनिर्धारित—अपील मंजूर की गई।

मामले के तथ्यों व दोनों पक्षों द्वारा प्रोद्धृत निर्णयों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम के अधीन उपबंधों के अनुसार सिर्फ भूतपूर्व मध्यवर्ती ही बन्दोवस्त के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते थे। अभिधारियों को बन्दोवस्त के लिए आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं था लेकिन वर्तमान मामले में वादियों ने बन्दोवस्त के लिए कोई आवेदन नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ आपेक्ष किया था जो स्वीकार कर लिया गया। (पैरा 5)

सक्षम अधिकारी द्वारा परिसीमा की अवधि के पश्चात् दिए गए आवेदन-पत्र पर पारित आदेश में अन्तर्निहित अधिकारिता की कमी नहीं होती क्योंकि प्रार्थना-पत्र प्रतिवादियों द्वारा दिया गया था न कि वादियों द्वारा। प्रार्थना-पत्र के प्रकाशन के बाद वादियों ने आपेक्ष किया था जो स्वीकार कर लिया गया। इसलिए वह आदेश विधिमान्य है और दोनों पक्षों पर आवद्धकर है तथा वादियों के अभिधारी के रूप में हक को मान्यता देता है। (पैरा 6)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संबंध में हस्तक्षेप कर सकता है। अतः आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

5. परिणामतः उपरोक्त कारणों से यह पिटीशन मंजूर किया जाता है और आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और मामला विचारण न्यायालय को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त मतों के प्रकाश में विधि के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण करे।

पिटीशन मंजूर किया गया।

ख्वाजा/चन्द

नि० प० 1983 : कर्नाटक—65

एम० जी० कदाली बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य

(M. G. Kadali *Vs*. The State of Karnataka and others)

तारीख 8 सितम्बर, 1982

[मु० न्या० ई० एम० चन्द्रशेखर और न्या० एन० वेंकटचला]

कर्नाटक प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम (कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिक्रूटमैन्ट रूल्स, 1957 और संशोधन नियम (एमैन्डमैन्ट रूल्स) 1977 सपठित कर्नाटक राजपत्रित परिवीक्षाधीनों के भर्ती नियम (कर्नाटक रिक्रूटमैन्ट आफ गजेटेड प्रोबेशनर्स रूल्स,) 1959 सपठित कर्नाटक राज्य राजपत्रित परिवीक्षाधीन पद (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियम (कर्नाटक गवर्नमेंट गजेटेड प्रोबेशनर्स पोस्ट्स (अपायन्टमैन्ट बाई कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन रूल्स), 1966 का नियम 3—कर्नाटक प्रशासनिक सेवा में कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए कोटा विहित होना—प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग की रिक्तियों का भरा जाना—1966 के नियम राज्य सरकार को मात्र इस बात का अवधारण करने के लिए सशक्त बनाते हैं कि उन संवर्गों में से प्रत्येक में कितनी भर्ती की किस विशिष्ट अवधि के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। ऐसी संख्या का अवधारण करने के पश्चात् सरकार कोटा नियम के अनुसार पदों को प्रोन्नति द्वारा भरने के लिए आबद्ध होगी। कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में ज्येष्ठता केवल उस संवर्ग में प्रविष्टि की तारीख के आधार पर गिनी जानी चाहिए, चाहे वह सीधी भर्ती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

द्वारा हो या प्रोन्नति द्वारा हो और वह प्रोन्नति या सीधी भर्ती अपने-अपने कोटे के अनुसार की जानी चाहिए। यदि प्रोन्नतियां या सीधी भर्ती अपने विहित कोटे से अधिक की जाती हैं तो अगली भर्ती अवधि के लिए सीधी भर्ती वाली रिक्तियों या प्रोन्नति वाली रिक्तियों का अग्रनयन तीन वर्ष से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता ।

2. कानूनों का निर्वचन-अर्थान्वयन के सिद्धांत—यदि किसी कानूनी उपबंध के दो अर्थान्वयन हैं तो उनमें से वह अर्थान्वयन अपनाया जाना चाहिए, जो संविधान के उपबंधों के अनुरूप हो ।

कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में रिक्तियों को प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा भरा गया था । भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती और प्रोन्नति का कोटा विहित किया गया था । सरकार ने अपने विवेक के अनुसार विहित कोटा से अधिक प्रोन्नतियां कीं और सीधी भर्ती के लिए विहित कोटा की रिक्तियों का अग्रनयन कर दिया । बाद में सीधी भर्ती वाली रिक्तियों को भरा गया । 1 जनवरी, 1972 को सरकार की तारीख 13 जनवरी, 1972 की अधिसूचना के अधीन कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की एक पदक्रम-सूची तैयार की गई थी और उसे तारीख 14 जनवरी, 1972 के कर्नाटक राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । उस पदक्रम सूची को 1972 के एक रिट पिटीशन में कुछ कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों ने, जो प्रोन्नत व्यक्ति थे, चुनौती दी थी । उन्होंने यह शिकायत की थी कि यद्यपि उन्हें वर्ष 1960 में कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी प्रोन्नत किया गया था, फिर भी उन्हें वर्ष 1962 में सीधे भर्ती किए गए 23 व्यक्तियों से नीचे रखा गया था। इस न्यायालय ने उस पदक्रम सूची को अभिखण्डित कर दिया था और राज्य सरकार को इस न्यायालय के आदेश में उल्लिखित सिद्धान्तों के आधार पर सही पदक्रम-सूची तैयार करने का निदेश दिया गया था। इस न्यायालय के विनिश्चय से असंतुष्ट होकर उन पिटीशनरों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की । उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अपीलों को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि वे 23 सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति उन अपीलार्थियों से ज्येष्ठ थे। इस पिटीशन में पिटीशनर को सहायक आयुक्त के पद पर 27 जनवरी, 1961 को प्रोन्नत किया गया था। उसकी शिकायत यह है कि 1962 के सीधे भर्ती किए गए प्रत्यर्थी सं० 2 से 24, जिनको अगस्त, 1976 को प्रकाशित कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की पदक्रम सूची में उससे ऊपर रखा गया है, इस प्रकार नहीं रखा जाना चाहिए था। उसने इस पदक्रम सूची और 1957 के सामान्य

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भर्ती नियमों और 1957 के ज्येष्ठता नियमों के कतिपय उपबंधों को भी अभिखण्डित करने की प्रार्थना की है। कुछ पिटीशनर कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति हैं। उनको सरकार द्वारा परिवीक्षा पर 19 जुलाई, 1976 की अधिसूचना के अधीन नियुक्त किया गया था और उन्होंने 18 जुलाई, 1978 को अपना परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया था और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। इन सभी पिटीशनरों की शिकायत यह है कि उनको उनकी उन पृथक्-पृथक् तारीखों से पुष्टि नहीं की गई है, जिसको उन्होंने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी की है। उन्होंने उनको पुष्ट करने के लिए सरकार को निदेश देते हुए परमादेश का रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की है और उनको कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की पदक्रम सूची में उचित स्थान पर रखने के लिए प्रार्थना की है। किन्तु पदक्रम सूची तैयार करते समय प्रोन्नत व्यक्तियों को सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों से नीचे रखा गया। प्रोन्नत व्यक्तियों ने इसके बारे में आक्षेप उठाया उनमें से कुछ ने कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की पदक्रम सूची को आक्षेपित किया और कुछ ने सरकार के तारीख 22 मई, 1980 के आदेश को आक्षेपित किया है, जिसके द्वारा उस पदक्रम सूची में कुछ उपान्तरण किया गया था। इन रिट पिटीशनों में संविवाद कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच सापेक्ष ज्येष्ठता के सम्बन्ध में है। इन पिटीशनों में मुख्य विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को इस तथ्य के बावजूद भी प्रोन्नत व्यक्तियों से ऊपर रखा जाए, कि प्रोन्नतियां सीधी भर्ती से पहले की गई हों या उनकी ज्येष्ठता उक्त संवर्ग में उनकी प्रविष्टि की तारीख से गिनी जाए।

अभिनिर्धारित—पिटीशन भागतः मंजूर किए गए।

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी कि अग्रणनयन स्कीम के लिए युक्तियुक्त अवधि तीन वर्ष की होगी और उससे अधिक वाली यह मताभिव्यक्ति आकस्मिक थी और वह उत्तरोक्ति की प्रकृति की थी और यह नहीं समझा जा सकता कि उस मताभिव्यक्ति द्वारा इस मुद्दे पर विधि अधिकथित की गई थी। प्रस्तुत मामले में उद्धृत मामला, जिसका विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था, भी ऐसी सेवा से सम्बद्ध था जिसके लिए एक स्रोत से अधिक स्रोतों द्वारा भर्ती की गई थी और ऐसे विभिन्न स्रोतों के लिए कोटा विहित किया गया था। अतएव उपर्युक्त मताभिव्यक्ति को आकस्मिक या उत्तरोक्ति नहीं समझा जा सकता। (पैरा 44)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय ने यह मत अपनाया कि ऐसे अस्थायी पद, जो सेवा की अत्यावश्यकता के कारण सृष्ट किए गए थे, ऐसे पद थे, जो संवर्ग-बाह्य थे। अन्य शब्दों में, सम्भवतः उच्चतम न्यायालय ने यह सोचा कि संवर्ग में जोड़े गए अस्थायी पद संवर्ग-बाह्य पद थे। सम्भवतः उच्चतम न्यायालय का ध्यान कर्नाटक सिविल सेवा नियम के नियम 49 की टिप्पणी 2 की ओर आकर्षित किया गया प्रतीत नहीं होता है जो कि अस्थायी पदों को दो वर्गों में वर्गीकृत करती है अर्थात् सामान्य कार्य का निर्वहन करने के लिए सृष्ट किए गए पद जिनके लिए संवर्ग में पहले से ही स्थायी पद विद्यमान थे और सामान्य कार्य से असम्बद्ध ऐसे विशेष कार्य का, जिसका सम्पादन सेवा के सदस्य द्वारा अपेक्षित हो, निर्वहन करने के लिए सृष्ट किए गए एकल पद। (पैरा 57)

उच्चतम न्यायालय का वदामी वाले मामले में यह उक्ति कि कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में केवल स्थायी पद सम्मिलित हैं और उसमें अस्थायी पद सम्मिलित नहीं थे, इस सही तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाते कि उस संवर्ग में स्थायी और अस्थायी दोनों पद सम्मिलित थे। किन्तु उच्चतम न्यायालय का निष्कर्ष कि उस संवर्ग में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच कोटा नियम केवल उस संवर्ग की स्थायी संख्या के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, जो केवल इस बात पर आधारित नहीं था कि संवर्ग में केवल स्थायी पद सम्मिलित थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने निष्कर्ष को परिवीक्षाधीन सम्बन्धी नियमावली के नियम 9 पर भी आधारित किया क्योंकि उस सेवा का स्थायी सदस्य उस संवर्ग के स्थायी पदों में अधिष्ठायी रिक्त में ही हो सकता था। (पैरा 60)

1959 के नियम 11 सितम्बर, 1959 से केवल 6 वर्ष के लिए प्रवृत्त थे और 1957 के नियमों के ऊपर उनका अध्यारोही प्रभाव रहा, जब 1966 के नियमों के प्रवर्तन की तारीख अर्थात् 31 मई, 1966 तक 1959 के नियम पूर्ण रूप से प्रवृत्त हुए थे और 1957 के नियमों के ऊपर 1966 के नियमों का अध्यारोही प्रभाव था, जैसा कि 1966 के नियम 3 के उपनियम (2) में उपबंधित है, तो प्रश्न यह है कि 1957 के नियमों के ऊपर 1966 के नियमों का अध्यारोही प्रभाव किस सीमा तक था। 1966 के नियमों का शीर्षक (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा कर्नाटक राजपत्रित परिवीक्षाधीन पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती नियम) से यह उपदर्शित होता है कि वे नियम केवल राजपत्रित परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की सीधी भर्ती को लागू होते हैं। नियम 3 के उपनियम (1) में यह उल्लेख किया गया है कि उन नियमों के उपबंध पदों के कतिपय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रवर्गों के लिए सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लागू किए जाएं। नियम 3 के उपनियम (3) में यह उपबंध किया गया है कि उन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों के प्रवर्गों के भर्ती नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए उपलब्ध रिक्तियां (वे रिक्तियां जो कि सरकार द्वारा विनिश्चित की जानी थीं और भर्ती की किसी विशिष्ट अवधि के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी थी) सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएं। इस प्रकार 1966 के नियमों के उपबंध केवल सीधी भर्ती को निर्दिष्ट करते हैं न कि प्रोन्नति को। उन संवर्गों में, जिनको वे नियम लागू होते हैं, पदों के लिए प्रोन्नतियां कैसे की जाएं। क्या वे नियम सरकार को उन संवर्गों में प्रोन्नति करने या न करने या इस बारे में कि कितनी प्रोन्नतियां करनी हैं, यदि सरकार चाहे, अनिबंधित विवेक देती हैं। यदि 1966 के नियमों का आशय सरकार को अनिर्बन्धित विवेक देना था तो केवल सीधी भर्ती के लिए उन नियमों की कोई आवश्यकता नहीं थी और उन सभी नियमों में यह उपबंध करने की आवश्यकता थी कि उन संवर्गों को कोटा नियम लागू नहीं होगा। (पैरा 75, 76 और 77)

1966 के नियमों का अनुकल्पतः निर्वचन यह है कि वे नियम राज्य सरकार को मात्र इस बात का अवधारण करने के लिए सशक्त बनाते हैं कि उन संवर्गों में से प्रत्येक में कितने पद भर्ती की किसी विशिष्ट अवधि के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। यदि सरकार ने ऐसी संख्या का अवधारण किया था, तो वह कोटा नियम के अनुसार प्रोन्नति द्वारा पदों की आनुपातिक संख्या को भरने के कर्त्तव्य के अधीन थीं। उदाहरण के लिए किसी संवर्ग के भर्ती नियमों में यह उपबंध किया गया है कि पदों का $66\frac{2}{3}\%$ प्रोन्नति द्वारा भरा जाए तो संवर्ग में प्रत्येक पद के लिए सरकार सीधी भर्ती द्वारा भरने का विनिश्चय करती है तो सरकार उस संवर्ग में दो पदों को प्रोन्नति द्वारा भरने के दायित्वाधीन थी। दूसरे शब्दों में, सरकार को दिया गया विवेक केवल किसी विशिष्ट भर्ती अवधि के दौरान किसी संवर्ग में सीधी भर्ती वाली रिक्तियों को भरने की संख्या को विनिश्चित करनें के लिए था। सरकार को केवल सीधी भर्ती द्वारा या केवल प्रोन्नति द्वारा किसी संवर्ग में सभी रिक्तियों को भरने की शक्ति नहीं थी। सरकार को कोटा नियम द्वारा अनुज्ञेय संख्या से अधिक सीधी भर्ती या प्रोन्नति करने की भी शक्ति नहीं थी। 1966 के नियमों के अधीन भी सरकार उस संवर्ग, जिसके लिए वह नियुक्तियां करना चाहती है, के कोटा नियम का पालन करने के लिए आवद्ध थी। (पैरा 78)

प्रश्न यह है कि 1966 के नियमों के इन दो आनुकल्पिक निर्वचनों में से कौन सा लागू होगा। कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग के लिए भर्ती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की प्रक्रिया में सरकार का आशय कोटा नियम को बिल्कुल समाप्त करने का नहीं था जो कि इस तथ्य से स्पष्ट हैं कि 1957 के नियम कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (भर्ती) (संशोधन) नियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1977 का नियम कहा गया है) द्वारा आगे संशोधित किए गए थे जो कि 18 अगस्त, 1977 को प्रवृत्त हुए। उन नियमों द्वारा सीधी भर्ती और प्रोन्नति के बीच $33\frac{1}{3}\%$ और $66\frac{2}{3}\%$ से बढ़ा कर क्रमश: 50% और 50% के रूप में उपान्तरित किया गया था। 1957 के नियमों में एक बार उस अनुपात का उपबंध करने के पश्चात् जिसमें उस संवर्ग में भर्ती दो स्रोतों से की जाए अर्थात् सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा तो इस बात की बहुत ही अधिक सम्भावना नहीं है कि 1966 के नियमों का आशय यह था कि ऐसे अनुपात का विनियमन करने के लिए कोटा नियम नहीं होना चाहिए। उस अनुपात के सम्बन्ध में, जिसमें ऐसी नियुक्तियां उन दोनों स्रोतों से की जा सकती थीं सरकार को मार्गदर्शन रहित और अनियंत्रित विवेक प्रदत्त किया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार को ऐसी अनियंत्रित और मार्गदर्शन रहित शक्ति का प्रदत्त किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण के आधार पर अभिखण्डनीय है। (पैरा 79)

कानूनों के अर्थान्वयन का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी कानूनी उपबन्ध के दो अर्थान्वयन हो सकते हैं एक वह जो संविधान के उपबन्धों से संगत हो और दूसरा वह जो ऐसे उपबंधों के विरोध में हो, तो पूर्वकथित अर्थान्वयन को अधिमान दिया जाना चाहिए। अर्थान्वयन के इस नियम को लागू करते हुए न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि 1966 के नियम कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग के लिए भर्ती के सम्बन्ध में कोटा नियम को समाप्त नहीं करते थे किन्तु सरकार को केवल उस संवर्ग में रिक्तियों की संख्या को विनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाते थे कि भर्ती की किसी विशेष अवधि के दौरान सीधी भर्ती द्वारा कितनी रिक्तियां भरी जाएं और सरकार सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों को और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच अनुपात को, जैसा कि 1957 के नियमों द्वारा विहित है, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संख्या के अनुपात में करके कायम रखने के लिए आबद्ध थी। किन्तु प्रत्यक्षतः सम्भवतः सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ हो कि 1974 के बैच के सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की पदक्रम सूची में उनके स्थान दिए जाने थे तो इस बारे में कोई विवाद नहीं किया जा सकता कि उस संवर्ग में प्रोन्नत व्यक्ति उस पदक्रम सूची के ऐसे उपान्तरण से पूरी तरह से प्रभावित थे। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की यह अपेक्षा है कि सरकार को पदक्रम सूची का उपान्तरण करने के लिए अपने प्रस्ताव के बारे में प्रोन्नत व्यक्तियों को सूचित किया जाना चाहिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

था और उन्हें ऐसे प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। चूंकि तारीख 22 मई, 1980 के सरकारी आदेश द्वारा 10 अगस्त, 1976 की पदक्रम सूची का उपान्तरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अतिक्रमण में था इसलिए उस सरकारी आदेश को अभिखण्डित किया ही जाना चाहिए। (पैरा 80 और 84)

		पैरा
[1980]	ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 1561 : वी० वी० बदामी और अन्य **बनाम** मैसूर राज्य और अन्य (V. B. Badami and others *Vs.* State of Mysore and others);	21
[1980]	ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 452-464 : ए० एस० अय्यर **बनाम** बालासुब्रमण्यम (A. S. Iyer *Vs.* Balasubramanyam);	43
[1977]	1977 का रिट पिटीशन सं० 1627 और 1628 : वी० आर० राधाकृष्ण और एक अन्य **बनाम** कर्नाटक राज्य और अन्य (V. R. Radhakrishna and another *Vs.* The State of Karnataka and others);	64
[1975]	1975 (1) कर्नाटक ला जर्नल 356 : वी० वी० बदामी और अन्य **बनाम** मैसूर राज्य और अन्य (V. B. Badami and others *Vs.* State of Mysore and others)	20

का **अवलम्ब** लिया गया।

[1975]	[1975] 2 उम० नि० प० 600=ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 483 : ए० के० सुब्रमण और अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य (A. K. Subbaraman and others *Vs.* Union of India and others);	58
[1975]	[1975] 1 उम० नि० प० 617=ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 1908 : जी० आर० लुथरा, अपर जिला न्यायाधीश दिल्ली **बनाम** उप राज्यपाल दिल्ली और अन्य (G. R. Luthra, Additional District Judge, Delhi *Vs.* Lt. Governor of Delhi and others);	58

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1972] ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 2627 : बिशन स्वरूप गुप्ता **बनाम** भारत संघ और अन्य (Bishan Swarup Gupta *Vs.* Union of India and others) 58

से **प्रभेद** बताया गया।

आरंभिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1980 का रिट पिटीशन सं० 4871 (इसके साथ 1980 के रिट पिटीशन सं० 7409, 7410, 8739 और 8767 तथा 1981 के रिट पिटीशन सं० 1751 से 1766 तक और 2059 से 2061 तक की भी सुनवाई की गई।)

संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन।

पिटीशनरों की ओर से ... सर्वश्री जी० बी रायकर, जी० एस० विश्वेश्वर, शिवराज, एन० सन्तोष हेगडे और मुरलीधर राव

प्रत्यर्थियों की ओर से ... सर्वश्री बी० एस० केशव आयंगर, एच० बी० दातार, के० एस० देसाई, यू० एल० नारायण राव और टी० एन० रघुपति और कीर्ति।

न्यायालय का निर्णय मु० न्या० डी० एम० चन्द्रशेखर ने दिया।

मु० न्या० चन्द्रशेखर :

ये पिटीशन संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन खण्ड न्यायपीठ को निर्दिष्ट किये गए हैं।

2. इन पिटीशनों में कर्नाटक प्रशासनिक सेवा वर्ग I के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी कहा गया है) के संवर्ग में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच सापेक्ष ज्येष्ठता के सम्बन्ध में संविवाद है।

3. प्रत्येक मामले के तथ्यों, उनमें दी गई दलीलों और चाहे गए अनुतोषों पर विचार करने से पूर्व कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (जिसे इसमें इसके पश्चात् क० प्र० से० कहा गया है) के इतिहास का उल्लेख करना उपादेय है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

4. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन राज्यों के पुनर्गठन करने पर सहायक आयुक्तों और उनके समतुल्य पदों के संवर्ग में अनेक अधिकारियों को 1 नवम्बर, 1956 को नया मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) आवंटित किया गया था। ये पद बाद में तारीख 23 जनवरी, 1958 की अधिसूचना के अधीन संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन राज्यपाल द्वारा जारी किए गए कर्नाटक प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् संवर्ग नियम कहा गया है) के अधीन संगठित कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के समतुल्य किए गए थे। ऐसे कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग की संख्या, जो कि 1 नवम्बर, 1956 से प्रारम्भ में 135 नियत की गई थी, को उस संवर्ग की स्थायी संख्या मानी गई थी। वे पद उन व्यक्तियों द्वारा भरे गए थे, जो सहायक आयुक्त और समतुल्य पदों के अधिकारियों के रूप में नए राज्य को आवंटित किया गया था। 135 से अधिक ऐसे आवंटितियों को उन अधिष्ठायी रिक्तियों में धीरे-धीरे समायोजित किया गया था, जो कि उस संवर्ग में बाद में हुई थीं।

5. 2 दिसम्बर, 1959 तक क० प्र० से० के लिए कोई भर्ती नियम प्रवृत्त नहीं हुए थे। परिणामतः उस तारीख तक उद्भूत सभी रिक्तियां केवल प्रोन्नति द्वारा भरी गई थीं। 2 दिसम्बर, 1959 को संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स (कर्नाटक प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम) 1957 प्रवृत्त हुए। उन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की रिक्तियों का $66\frac{2}{3}\%$ क० प्र० से० के वर्ग II अधिकारियों से चयन द्वारा प्रोन्नति के आधार पर और रिक्तियों का $33\frac{1}{3}\%$ लोक सेवा आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से भरने के लिए उपबंध किया गया था। किन्तु 11 सितम्बर, 1959 तक कोई सीधी भर्ती नहीं की गई थी, जब संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए कर्नाटक राजपत्रित परिवीक्षाधीनों की भर्ती के नियम 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1959 के नियम कहा गया है) प्रवृत्त हुए थे। उन 39 रिक्तियों में से, जो उस संवर्ग में 2 दिसम्बर, 1957 और 10 सितम्बर, 1959 के बीच हुई थीं, 26 पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाने थे। 26 पदों में से 15 पद नए राज्य के आबंटितियों को समनुदेशित किए गए थे और 11 पद वास्तव में वर्ग II पदों से प्रोन्नति द्वारा भरे गए थे।

6. 1959 के नियमों के अधीन कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग के लिए सीधी भर्ती का कोटा पांच वर्ष की अवधि के लिए $33\frac{1}{3}\%$ से बढ़ा कर $66\frac{2}{3}\%$ कर दिया गया था और प्रोन्नति का कोटा $66\frac{2}{3}\%$ से घटाकर $33\frac{1}{3}\%$

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कर दिया गया था। 1959 के नियम मूलतः पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहने थे, किन्तु उनके प्रवर्तन को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था।

7. सितम्बर, 1959 में सरकार ने सीधी भर्ती के लिए विहित कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए प्रथम बार कदम उठाए। आयोग ने एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की और सहायक आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति के लिए परिवीक्षा के आधार पर 17 व्यक्तियों का चयन किया। 6 और ऐसे व्यक्तियों को भी, जो अन्य सेवाओं के लिए चुने गए थे, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप सहायक आयुक्त के पदों पर लिया गया था। इस प्रकार 11 सितम्बर, 1959 से 26 अक्तूबर, 1962 की अवधि के दौरान सीधी भर्ती द्वारा कुल 23 पद भरे गए थे। उन 23 व्यक्तियों को 26 अक्तूबर, 1962 को परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किया गया था और उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना था। सरकार ने उनके प्रशिक्षण की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के 20 अस्थायी पद मंजूर किए। उनके परिवीक्षाकाल के पूरा करने पर सरकार ने अपने तारीख 26 अक्तूबर, 1964 के आदेश द्वारा यह घोषणा की कि उन 23 परिवीक्षाधीन व्यक्तियों ने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है। प्रशिक्षण की अवधि के लिए सृष्ट 20 अस्थायी पद 26 अक्तूबर, 1964 के पश्चात् नवीकृत नहीं किए गए थे। उन 23 सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों की पुष्टि के आदेश को जारी करना वस्तुतः आबंटितियों की अन्तरराज्यीय ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक विलम्बित किया गया था।

8. 11 सितम्बर, 1959 से 31 दिसम्बर, 1964 तक की अवधि के दौरान संवर्ग में 77 रिक्तियां हुईं और उनमें से 25 पद वस्तुतः प्रोन्नति द्वारा भरे गए थे और 23 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गए थे।

9. 1 जनवरी, 1965 से 31 दिसम्बर, 1966 तक की अवधि के दौरान कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में 8 रिक्तियां हुई और उनमें से 3 पद प्रोन्नति द्वारा भरे गए थे किन्तु सीधी भर्ती द्वारा कोई पद नहीं भरा गया था।

10. 31 मई, 1966 को राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन कर्नाटक राज्य राजपत्रित परिवीक्षाधीन पद (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियम 1966 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 1966 के नियम कहा गया है) बनाए। उन नियमों के नियम 3 के उपनियम (3) में अन्य बातों के साथ-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साथ यह उपबंध किया गया कि कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के लिए भर्ती नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए उस सेवा में सरकार द्वारा अवधारित रिक्तियां आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा लेने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएं।

11. वर्ष 1967 से 1968 के दौरान कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में 29 रिक्तियां हुई और उनमें से 22 रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा भरी गई थीं किन्तु सीधी भर्ती द्वारा कोई रिक्ति नहीं भरी गई थी।

12. वर्ष 1969 के दौरान कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में 16 रिक्तियां हुई और उनमें से 11 पद सीधी भर्ती द्वारा और 5 पद प्रोन्नति द्वारा भरे गए थे।

13. वर्ष 1970 और 1971 के दौरान उस वर्ग में 17 रिक्तियां हुई और उनमें से 11 पद प्रोन्नति द्वारा भरे गए थे, किन्तु सीधी भर्ती द्वारा कोई पद नहीं भरा गया था।

14. 8 अक्तूबर, 1971 से 15 जुलाई, 1976 तक की अवधि के दौरान कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में 60 रिक्तियां हुई, और उनमें से 40 पद प्रोन्नति द्वारा और 11 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गए थे।

15. 11 अगस्त, 1977 को जारी किए गए कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (भर्ती) (संशोधन) नियम, 1977 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 1977 के नियम कहा गया है) द्वारा 1957 के नियम संशोधित किए गए थे, ताकि सीधी भर्ती और प्रोन्नति का अनुपात प्रत्येक स्रोत से 50% हो।

16. जनवरी, 1977 में 18 व्यक्तियों की कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती की गई थी।

17. वर्ष 1976 और वर्ष 1977 में सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों को उनकी परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने की घोषणा की गई थी। किन्तु उनकी अभी तक कनिष्ठ वेतनमान पदों में पुष्टि नहीं की गई है।

18. कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग का यह संक्षिप्त इतिहास है।

19. अब हम कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के संवर्ग में सीधी भर्ती किए गए और प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के सम्बन्ध में पहले हुई मुकदमेबाजी का संक्षिप्त विवरण देंगे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

20. 1 जनवरी, 1972 को सरकार की तारीख 13 जनवरी, 1972 की अधिसूचना के अधीन कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की एक पदक्रम सूची तैयार की गई थी और उसे तारीख 14 जनवरी, 1972 के कर्नाटक राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। उस पदक्रम सूची को 1972 के रिट पिटीशन सं० 192 में और उससे सम्बद्ध रिट पिटीशनों में कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी बी० बी० बदामी और अन्य प्रोन्नत व्यक्तियों ने चुनौती दी थी। उन्होंने यह शिकायत की कि यद्यपि उन्हें वर्ष 1960 में कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के रूप में प्रोन्नत किया गया था फिर भी उन्हें वर्ष 1962 में सीधे भर्ती किए गए 23 व्यक्तियों से नीचे रखा गया था। इस न्यायालय ने अपने तारीख 15 दिसम्बर, 1972 के आदेश द्वारा **बी० बी० बदामी और अन्य** बनाम **मैसूर राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उस पदक्रम सूची को अभिखण्डित कर दिया था और राज्य सरकार को इस न्यायालय के आदेश में दिए गए चार सिद्धांतों के अनुसार सही पदक्रम सूची तैयार करने का निदेश दिया गया था।

21. इस न्यायालय के विनिश्चय से असन्तुष्ट होकर उन पिटीशनरों (बी० बी० बदामी और अन्य ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 17 सितम्बर, 1975 के आदेश द्वारा **बी० बी० बदामी और अन्य** बनाम **मैसूर राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में अपने निर्णय द्वारा अपीलों को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि वे 23 सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति उन अपीलार्थियों से ज्येष्ठ थे।

22. बी० बी० बदामी वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश इस प्रकार थे :—

"(i) जहां पर नियमों द्वारा अपेक्षित हो प्रोन्नत और सीधी भर्ती किए गए व्यत्तियों का कोटा कनिष्ठ कर्त्तव्य पद (जूनियर ड्यूटी पोस्ट्स) की स्थायी संख्या अर्थात् 135 के संदर्भ में नियत की जाए।

(ii) राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन उन आवंटितियों को, जो ऐसे आवंटन के समय सहायक आयुक्त या कनिष्ठ कर्त्तव्य पद के समतुल्य पदों पर थे, 135 की उक्त संख्या में प्रथमतः समायोजित किया जाए और यदि अधिष्ठायी पदों या 1 नवम्बर, 1956 से 1 दिसम्बर, 1957 की अवधि के दौरान उपलब्ध रिक्तियों पर पुष्टिकरण द्वारा उन्हें

[1] 1975 (1) कर्नाटक ला जर्नल 356.

[2] ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 1561.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समायोजित करना सम्भव न हो तो बाकी को 2 दिसम्बर, 1957 से 10 सितम्बर, 1959 तक की अवधि के दौरान उपलब्ध प्रोन्नति वाली रिक्तियों में समायोजित किया जाए।

(iii) 2 दिसम्बर, 1957 से 10 सितम्बर, 1959 तक की अवधि के दौरान स्थायी संख्या में उद्भूत अधिष्ठायी रिक्तियों को प्रोन्नति और सीधी भर्ती वाली रिक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाए और ऐसी रिक्तियों के दो तिहाई विस्तार तक और पश्चात्‌वर्ती का शेष एक तिहाई विस्तार तक होगा। इस प्रकार विनिश्चित प्रोन्नति वाली रिक्तियों में ऐसे आबंटिती जिन्हें प्रथम अवधि में समायोजित नहीं किया जा सका था, को पहले समायोजित किया जाए और उसके पश्चात् उन व्यक्तियों को जिन्हें प्रोन्नत किया गया है उनके क्रम के अनुसार उक्त अवधि के दौरान प्रोन्नत व्यक्तियों को समायोजित किया जाए। एक तिहाई सीधी भर्ती वाली रिक्तियों में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को उनकी ज्येष्ठता के क्रम में यथासम्भव रूप में समायोजित किया जाए और उन रिक्तियों पर अधिष्ठायी प्रोन्नत ऐसे व्यक्तियों को, जिनसे वे विस्थापित होंगे, अगली अवधि में प्रोन्नति वाली रिक्तियों में समायोजित किया जाए।

(iv) 11 सितम्बर, 1959 से 26 अक्तूबर, 1964 तक की अवधि के दौरान संवर्ग की स्थायी संख्या में उद्भूत अधिष्ठायी रिक्तियों को प्रोन्नति वाली रिक्तियों और सीधी भर्ती वाली रिक्तियों में वर्गीकृत किया जाए। पूर्ववर्ती को एक तिहाई और पश्चात्‌वर्ती को शेष दो तिहाई रूप में विनिश्चित किया जाए। प्रोन्नति वाली रिक्तियों में ठीक पहली अवधि में सीधी भर्ती द्वारा किए गए व्यक्तियों से प्रोन्नत व्यक्तियों को विस्थापित किया गया है, उनको पहले समायोजित किया जाए और उसके पश्चात् इस अवधि के प्रोन्नत व्यक्तियों को उसी क्रम में समायोजित किया जाए, जिसमें उनको प्रोन्नत किया गया था। उसके पश्चात् सीधी भर्ती वाली रिक्तियों में शेष सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों को समायोजित किया जाए और उसके पश्चात् पूर्वतर विस्तार तक प्रोन्नत व्यक्तियों को यदि आवश्यक हो तो विस्थापित व्यक्तियों के दायित्वों को ध्यान में रखकर उनकी ज्येष्ठता के क्रम में समायोजित किया जाए।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

23. बदामी वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय (जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी) के अनुसरण में सरकार ने अपने तारीख 5 जुलाई, 1976 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच ज्येष्ठता को निश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार 30 जून, 1973 तक कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की तैयार की गई पदक्रम सूची सरकार के तारीख 10 अगस्त, 1976 की अधिसूचना के अधीन प्रकाशित की गई थी। उस अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ पदक्रम सूची का आधार स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार हैं :—

"(i) 2 दिसम्बर, 1957 से 10 सितम्बर, 1959 तक की अवधि के दौरान अधिष्ठायी रिक्तियों की संख्या, जो हुई थी, 39 थी और जिनमें से 1957 के नियमों के अनुसार 26 प्रोन्नति वाले पद थे और 13 सीधी भर्ती वाले पद थे। प्रोन्नति वाले पदों में से प्रथम 15 पद आबंटितियों को और शेष 11 पद प्रोन्नत व्यक्तियों को दिए गए थे। 13 सीधी भर्ती वाले पद अग्रनीत किए गए थे क्योंकि इस अवधि के दौरान कोई सीधी भर्ती नहीं की गई थी।

(ii) 11 सितम्बर, 1959 से 26 अक्तूबर, 1964 तक की अवधि के दौरान (वह तारीख जिसको 1962 के सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों की प्रोन्नति होनी थी) उन रिक्तियों की संख्या जो हुई 76 थी जिनमें से 1959 के नियमों के अनुसार 51 सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए और 25 प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध थी। 23 अधिष्ठायी रिक्तियां 1962 के सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दी गई थीं। इस अवधि की सीधी भर्ती की शेष 28 रिक्तियां और पूर्व अवधि की सीधी भर्ती की 13 रिक्तियां अग्रनीत की गई थीं; और

(iii) 26 अक्तूबर, 1964 से आगे रिक्तियां वर्षानुवर्ष आधार पर वर्गीकृत की गई थीं और 7 अक्तूबर, 1971 तक प्रोन्नति वाली और सीधी भर्ती वाली रिक्तियों की उपलब्ध कुल संख्या क्रमशः 60 और 35 थी। वे सभी 60 रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा भरी गई थीं। पूर्व अवधि से अग्रनीत की गई सीधी भर्ती वाली 41 रिक्तियों में से थी और इस अवधि (26 अक्तूबर, 1964 से 7 अक्तूबर, 1971 तक) की सीधी भर्ती वाली 35 रिक्तियां थीं, 1969 के बैंच के सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को 11 रिक्तियां समनुदेशित की गई थीं और शेष 65 सीधी भर्ती वाली रिक्तियां अग्रनीत की गई थीं।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

24. सरकार की तारीख 2 फरवरी, 1977 की अधिसूचना द्वारा 10 अगस्त, 1976 के अनुक्रम में एक पदक्रम सूची प्रकाशित की गई थी। उस अधिसूचना में ऐसे चालू रहने को इस प्रकार स्पष्ट किया गया था :—

"(i) 7 जून, 1974 से 15 जुलाई, 1976 तक की अवधि के दौरान (जब 1974 के बैच के सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति पुष्टीकरण के लिए पात्र थे) संवर्ग की स्थायी संख्या के आधार पर 11 अधिष्ठायी रिक्तियां उपलब्ध थीं।

(ii) उस अवधि के दौरान उपलब्ध 133 अस्थायी पदों में से 89 पद प्रोन्नत व्यक्तियों को समनुदेशित किए गए थे। इस अवधि के दौरान उपलब्ध 44 अस्थायी पदों का सीधी भर्ती का कोटा पूर्वतर अवधि से अग्रनीत सीधी भर्ती की रिक्ति के पूल में जोड़ी गई थीं। 1964 के बैच के सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को पूर्व अवधि से अग्रनीत की गई सीधी भर्ती की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए रैंक समनुदेशित किए गए थे।"

25. इसके पश्चात् 1974 के बैच के सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों ने सरकार से यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन दिया कि पदक्रम सूची में उनके रैंक संवर्ग में केवल स्थायी पदों को ध्यान में रखते हुए पुनः नियत किए जाएं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे पूर्वतर अवधियों से अग्रनीत की गई सीधी भर्ती वाली रिक्तियों पर पुष्टीकरण के लिए पात्र थे। सरकार ने यह मत अपनाते हुए उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि ज्येष्ठता के अवधारण के प्रयोजनार्थ केवल स्थायी पदों को ही ध्यान में रखा जाए और यह कि 1974 के बैच के सहायक आयुक्त 15 जुलाई, 1976 को पुष्टीकरण के लिए पात्र थे। तदनुसार सरकार ने अपने तारीख 22 मई, 1980 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया कि 2 फरवरी, 1977 को प्रकाशित पदक्रम सूची के अनुक्रम में उस संवर्ग में सीधे भर्ती किए गए 1974 के बैच के व्यक्तियों को ठीक क्रम संख्या 64 (श्री राघवेन्द्र राव मानवीकर) के नीचे और क्रम सं० 65 (श्री अनिरुद्ध देसाई) से ऊपर दिखाया जाए।

26. अब हम प्रत्येक रिट पिटीशन के सारवान् तथ्यों, उनमें उल्लिखित शिकायतों और उनमें मांगे गए अनुतोषों का उल्लेख करेंगे।

27. 1980 के रिट पिटीशन सं० 4871 में पिटीशनर एम० जी० कदाली 27 जनवरी, 1961 को सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नत किया गया था। उसकी शिकायत यह है कि 1962 के सीधे भर्ती किए गए प्रत्यर्थी सं० 2

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

से 24, जिनको 10 अगस्त, 1976 को प्रकाशित कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की पदक्रम सूची में उससे ऊपर रखा गया है, इस प्रकार नहीं रखा जाना चाहिए था। उसने उस पदक्रम सूची और 1957 के सामान्य भर्ती नियमों और 1957 के ज्येष्ठता नियमों के कतिपय उपबंधों को भी अभिखण्डित करने की प्रार्थना की है।

28. 1980 के रिट पिटीशन सं० 7409 और 7410 में पिटीशनर टी० सी० एस० गौडा और एम० एल० नागराज वर्ष 1971 में सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नत किए गए थे। उनकी शिकायत यह है कि 2 फरवरी, 1977 को प्रकाशित कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की पदक्रम सूची के अनुक्रम में वर्ष 1974 के सीधे भर्ती किए गए सी० आर० गोविन्द भट्ट और अन्य को उनसे ऊपर रखा गया था जिन्हें इस प्रकार नहीं रखा जाना चाहिए था। उन्होंने 2 फरवरी, 1977 के अनुक्रम में प्रकाशित पदक्रम सूची और सरकार के तारीख 22 मई, 1980 के आदेश को अभिखण्डित करने के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने 1957 के सामान्य भर्ती नियमों और 1957 के ज्येष्ठता नियमों के कतिपय उपबंधों को भी अभिखण्डित करने प्रार्थना की है।

29. 1980 के रिट पिटीशन सं० 8739 में पिटीशनर टी० रामचन्द्र बैद्य को दिसम्बर, 1968 में सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नत किया गया था। उसकी शिकायत यह है कि 1969 के बैच और 1972 के बैच के सीधे भर्ती किए गए वे व्यक्ति, जिनको कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की पदक्रम सूची में उससे ऊपर रखा गया, जो इस प्रकार नहीं रखा जाना चाहिए था। उसने सरकार के तारीख 22 मई, 1980 के आदेश को अभिखण्डित करने की प्रार्थना की है। उसने उसको ऊपर रखने के लिए राज्य को निदेश देते हुए परमादेश का का रिट जारी करने की भी प्रार्थना की है। उसने आगे इस निदेश के लिए प्रार्थना की है कि कोटा नियम को संवर्ग में स्थायी और अस्थायी पदों को ध्यान में रख कर तैयार किया जाना चाहिए।

30. 1980 के रिट पिटीशन सं० 8767 में पिटीशनर एम० हौंगेय्या 23 जुलाई, 1971 को सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नत किया गया था। उसकी शिकायत यह है कि 1974 के बैच के सीधे भर्ती किए गए वे व्यक्ति, जिनको 2 फरवरी, 1977 को प्रकाशित पदक्रम सूची के अनुक्रम में उससे ऊपर रखा गया है इस प्रकार नहीं रखा जाना चाहिए था। उसने सरकार के तारीख 22 मई, 1980 के आदेश को अभिखण्डित करने के लिए प्रार्थना की है। 1957 के सामान्य भर्ती नियमों के कतिपय उपबंधों को भी अभिखण्डित करने के लिए प्रार्थना की है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और बिल क्रेता को संदाय करने पर परिदेय होता है किन्तु ऐसा संदाय नहीं किया जाता है तो क्या ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि सम्बद्ध सम्पत्ति क्रेता को संक्रांत नहीं हुई। अन्य मुद्दों के साथ-साथ तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यदि कोई माल सामान्य वाहक द्वारा भेजा जाता है और उसके सम्बन्ध में स्वामी नुकसानी का दावा करता है तो यह साबित करने का भार कि उस माल का स्वामी कौन है किस पर होगा अर्थात् स्वामी पर या सामान्य वाहक पर और यह कि ऐसी स्थिति में परेषण के दौरान हुई हानि को कौन पूरा करेगा ?

अभिनिर्धारित—अपील खारिज की गई।

प्रत्यर्थी सं० 1 उस समय माल का स्वामी था जब उसने माल अपीलार्थी के पोत में भेजा था और जब वह वहनपत्र जारी किया गया था जिससे यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी सं० 1 ने माल स्वयं को या कलकत्ता में अपने अभिकर्ता को परेषित किया था। प्रत्यर्थी सं० 1 ने अपना कब्जा बनाए रखा और माल के व्ययन का अधिकार समुद्री यात्रा पूरा होने तक आरक्षित रखा। इन कारणों से यह साबित करने का भार कि प्रत्यर्थी सं० 1 माल का स्वामी नहीं था अपीलार्थी पर है (देखिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 110)। प्रत्यर्थी सं० 1 ने माल भेजा और वहनपत्र के द्वारा माल स्वयं को या प्रत्यर्थी सं० 1 के अभिकर्ता को परिदेय था। इस प्रकार यह समझा जाएगा कि प्रत्यर्थी सं० 1 ने प्रथमदृष्टया माल के व्ययन का अधिकार आरक्षित रख लिया था। प्रत्यथी सं० 1 ने वहनपत्र में माल के व्ययन के अधिकार को आरक्षित रख लिया था। इसलिए माल में की कोई सम्पत्ति उस समय तक संक्रान्त नहीं हो सकती थी जब तक कि विधिमान्य पृष्ठांकन न हो और क्रेता को वहनपत्र का मूल्यवान् प्रतिफल के लिए परिदान न हो और पृष्ठांकन सम्पत्ति के संक्रान्त होने के आशय से न किया गया हो। प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी सं० 1 ने वहनपत्र का कोई पृष्ठांकन नहीं किया है। तात्पर्यित पृष्ठांकन अपीलार्थी के प्रबन्ध निदेशक ने किया था। अभिकथित पृष्ठांकन के शब्द सम्पत्ति के संक्रान्त होने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। (पैरा 2, 4, 5 और 6)

जब तक कि वादगत माल संविदा मद्धे अशर्त विनियोजित नहीं किया जाता तब तक माल में की सम्पत्ति संक्रांत नहीं हो सकती। उक्त माल केवल उसी समय विनियोजित हो सकता था जब कोई विधिमान्य पृष्ठांकन हुआ होता और मिल्स को मूल्यवान प्रतिफल के लिए वहनपत्र का परिदान हुआ हो। पृष्ठांकन माल में की सम्पत्ति के संक्रान्त होने के आशय से किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में भाड़ा प्रत्यर्थी सं० 1 ने संदत्त किया था। बीमा किया गया था

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और समय-समय पर प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा संदाय किया गया था और परिवहन के दौरान प्रत्यर्थी सं० 1 की जोखिम पर माल भेजा गया था। इन सभी बातों से यह साबित होता है कि माल में की सम्पत्ति कभी भी मैं० श्री हनुमान जूट मिल्स को संक्रान्त नहीं हुई थी किन्तु सभी तात्विक समय पर वह प्रत्यर्थी सं० 1 में निहित रही थी। (पैरा 6)

न्यायालय की राय यह है कि अपीलार्थी उपेक्षावान था और अपीलार्थी की उपेक्षा के कारण ही माल की हानि हुई थी और अपीलार्थी उस हानि को पूरा करने के दायित्वाधीन है। इस मामले में भी 10 अक्तूबर, 1961 को हानि हुई। 13 अक्तूबर, 1961 को अपीलार्थी ने मैं० प्रश्नगत मिल्स को यह बात स्वीकार करते हुए जानकारी दी थी कि उस वहनपत्र का माल जिसका नम्बर आर/7211 बार्ज ए/5214 था और जो कि एम० वी० रामपुरिया से संबंधित था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 27 अक्तूबर, 1961 को प्रत्यर्थी सं० 1 ने अपीलार्थी को यह जानकारी दी कि यद्यपि उसे मैं० डी० एल मिलर एण्ड कं० प्रा० लि० के माध्यम से प्रश्नगत मिल्स को सम्बोधित उनका पत्र तारीख 13 अक्तूबर, 1961 को प्राप्त हो गया था और उसने माल के पूरे मूल्य के लिए दावा किया था (एतद्मुद्रित)। इस प्रकार उक्त माल के प्रेषण टिप्पण के खण्ड 16 के निबन्धनों के अनुसार माल की हानि होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर दावा किया गया था। जैसा कि पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है उक्त माल के प्रेषण टिप्पण का खण्ड 16 किसी भी प्रकार से अविधिमान्य नहीं था (एतद्मुद्रित)। वास्तव में हानि की तारीख से 6 महीने के भीतर सम्यक सूचना दे दी गई थी। (पैरा 7)

		पैरा
[1966]	ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1153 : मैं० करोनासाहू एण्ड कं० प्रा० लि० **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (M/s. Carona Sahu and Co. Pvt. Ltd. *Vs.* State of Maharashtra);	5
[1964]	ए० आई० आर० 1964 कलकत्ता 290 पृ० 303 : कमिश्नर्स फार दी पोर्ट आफ कलकत्ता **बनाम** जनरल ट्रेडिंग कं० लि० (Commissioners for the Port of Calcutta *Vs.* General Trading Co. Ltd.);	2
[1958]	ए० आई० आर० 1958 कलकता 730 : सुकुल ब्रदर्स **बनाम** एच० के० कावरना (Sukul Brothers *Vs.* H. K. Kavrana);	2

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1940]	1940 (3) ई० आर०60 : स्मिथ **बनाम** बैले (Smyth *Vs.* Bailey);	5
[1923]	ए० आई० आर० 1923 मुम्बई 125 पृ० 128 : फोर्ड आटोमोबाइल्स (इण्डिया) लि० **बनाम** दिल्ली मोटर एण्ड इन्जीनियरिंग कं०[Fort Autonobiles (India) Ltd. *Vs.* Delhi Motor and Engineering Co.];	5
[1915]	आई० एल० आर० 42 कलकत्ता 334 पृ० 342-343 =ए० आई० आर०1915 कलकत्ता 793 : रि : कार्गो एक्स एस० एस० रेप्पनफेल्स (Re : Cargo Ex S. S. Rappenfels);	5
[1884]	1884 (10) ए० सी० 74 पृ० 105 : सीवैल **बनाम** बरडिक (Sewell *Vs.* Burdick)	6

का **अवलम्ब** लिया गया।

सिविल अपीली अधिकारिता : 1969 की मूल डिक्री से प्रथम अपील सं०137.

न्या० रमेन्द्र मोहन दत्त के तारीख 29 जनवरी, 1968 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से ...
प्रत्यर्थी की ओर से ...

न्यायालय का निर्णय मु० न्या० एस० सी० घोष ने दिया।

मु० न्या० घोष :

यह अपील न्या० रमेन्द्र मोहन दत्त के तारीख 29 जनवरी, 1968 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध की गई है। उक्त निर्णय और डिक्री में विद्वान विचारण न्यायाशीश ने प्रत्यर्थियों के पक्ष में 16,500 रु० की राशि के संदाय के लिए निदेश दिया था। प्रत्यर्थी सं० 1 का दावा निम्नलिखित परिस्थितियों में माल के अपरिदान के लिए था।

प्रत्यर्थी सं० 2 उक्त माल का बीमाकर्त्ता था और उसने प्रत्यर्थी सं० 1 को बीमाकृत माल का मूल्य संदत्त कर दिया था। अन्य कारबार के साथ-साथ अपीलार्थी ग्रेट इण्डिया बोटिंग कम्पनी के नाम और अभिनाम के अधीन अपना कारबार चलाता है जो (उक्त कम्पनी) सभी तात्विक समय पर और अब भी भाड़ा लेकर नौपरिवहन के रूप में सामान्य वाहक का कार्य करती रही है/कर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रही है। 3 अक्तूबर, 1961 को या उसके आसपास अपीलार्थी ने सामान्य वाहक के रूप में गोहाटी में कच्चे पटसन की 125 गांठे प्राप्त कीं और प्रतिगृहीत कीं। प्रत्येक गांठ का भार 150 किलोग्राम था। यह प्रत्यर्थी सं० 1 की सम्पत्ति थी, ले जाने के लिए रखी गई थी और उसे सुरक्षित रूप से स्टीमर द्वारा कलकत्ता ले जाने के लिए और वहां पर उसका प्रत्यर्थी सं० 1 को या उसके आदेशानुसार परिदान करने के लिए अपीलार्थी के बजरा (बार्ज) सं० 1/5,214 में रखा गया था। वहन की उक्त संविदा के साक्ष्य के रूप में अपीलार्थी ने सम्यक् रूप से तारीख 3 अक्तूबर, 1961 वाला वहनपत्र जारी किया था जिसकी सं०आर/7211 थी। इसके पश्चात् उक्त माल को कलकत्ता में श्री हनुमान जूट मिल्स को परिदान के लिए आदेश दिया गया था। सभी तात्विक समय पर प्रत्यर्थी सं० 1 उक्त माल का स्वामी था। सामान्य वाहक और/या पारिश्रमिक वाहक के रूप में अपने कर्त्तव्यों का भंग करके अपीलार्थी सुरक्षित रूप से माल ले जाने या उसका यथानिर्दिष्ट परिदान करने में असफल रहा या उपेक्षा की। अपीलार्थी ने यह अभिकथन किया है कि उक्त माल पूर्वी पाकिस्तान में खुलना में उक्त बार्ज के डूब जाने से नष्ट हो गया है। इस कारण प्रत्यर्थी सं० 1 को उक्त माल से वंचित किया गया है और उसको उक्त माल के मूल्य के रूप में 18,725 रु० की राशि की नुकसानी हुई। अपीलार्थी ने उक्त माल का मूल्य संदत्त नहीं किया और इसलिए वाद फाइल किया गया था।

2. अपीलार्थी का अपने लिखित कथन में पक्षकथन यह था कि माल प्रेषण टिप्पण और वहनपत्र के आधार पर स्वामी के जोखिम पर ले जाया जाता था और अभिव्यक्त रूप से यह अनुबंध किया जाता था कि अपीलार्थी किसी प्राकृतिक विपत्ति, उत्कूलन, भूग्रस्त होने, टकराने, फटने या किसी दुर्घटना या नदियों, नहरों, जलद्वार से गुजरने या नौपरिवहन की वजह से उद्भूत होने वाली हानि या नुकसानी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उक्त संविदा के सम्बन्ध में कोई भी दावा उस समय तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह लिखित में न हो और उसका कलकत्ता में प्रतिवादी के कार्यालय में उस व्यतिक्रम, हानि या नुकसानी की तारीख से चार सप्ताह के अन्दर परिदान न किया जाए जिसके सम्बन्ध में ऐसा दावा उद्भूत हुआ। उक्त प्रेषण टिप्पण में भी यह उपबंध किया गया था कि यदि प्रेषण टिप्पण के निबन्धनों में से कोई निबन्धन विरोधी है या माल भेजने वाले और ले जाने वाले (अर्थात् अपीलार्थी) के बीच या अन्य किसी करार के विरोधी प्रतीत होता है तो ऐसे करार या प्रेषण टिप्पण के निबन्धन माल ले जाने वाले अर्थात् अपीलार्थी के विकल्प पर अभिभावी होंगे। अपीलार्थी ने श्री हनुमान जूट मिल्स को यह जानकारी दी कि 125 गांठों के परेषण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को ले जाने वाला बार्ज खुलना के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और डूब गया है और प्रेषित माल पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। 13 अक्तूबर, 1961 को प्रत्यर्थी सं० 1 ने प्रत्यर्थी सं० 2 से दावा किया। 21 अक्तूबर, 1961 को प्रत्यर्थी सं० 1 ने अपीलार्थी द्वारा लिखा गया एक पत्र भेजा और उसे श्री हनुमान जूट मिल्स से प्रत्यर्थी सं० 2 को सम्बोधित किया। प्रत्यर्थी सं० 2 ने इस पर 18,725 रु० की वह कुल राशि संदत्त की जिसके लिए उक्त प्रेषण प्रत्यर्थी सं० 1 के पक्ष में बीमाकृत था और प्रत्यर्थी सं० 1 ने उक्त राशि प्राप्त करने पर तारीख 22 नवम्बर, 1961 वाला प्रत्यासन पत्र निष्पादित किया जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं० 2 बीमाकृत विषयवस्तु के सम्बन्ध में सभी अधिकारों और उपचारों में प्रत्यासीन हो गया। पत्र-व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि 22 मार्च, 1962 को या उसके आसपास श्री हनुमान जूट मिल्स ने अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त परेषण के परिदान के लिए दावा किया और अपरिदान के लिए 92.43 रु० प्रति क्विटल की दर पर 17,330 रु० 65 पैसे की राशि का नुकसानी के रूप में दावा किया। उक्त पत्र प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने श्री हनुमान जूट मिल्स को यह जानकारी दी कि पटसन की गांठों के उक्त प्रेषण को ले जाने वाला बार्ज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसके परिणामस्वरूप परेषित माल बिल्कुल नष्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने यह जानकारी दी कि सभी आवश्यक दस्तावेज 8 नवम्बर, 1^61 को प्रत्यर्थी सं०1 को भेज दिए गए थे। 27 अप्रैल, 1962 को श्री हनुमान जूट मिल्स ने अपीलार्थी कम्पनी को एक और अनुस्मारक भेजा और संदाय की मांग की। उसके उत्तर में अपीलार्थी ने 28 अप्रैल, 1962 को श्री हनुमान जूट मिल्स से यह अनुरोध किया कि वे मामले को माल भेजने वाले या बीमा कम्पनी को निर्दिष्ट करें। उसके पश्चात् सालीसीटर्स के पत्र-व्यवहार के पश्चात् प्रत्यर्थी सं० 1और प्रत्यर्थी सं० 2 ने अपीलार्थी के विरुद्ध वाद फाइल किया। वाद में अनेक विवाद्यक उठाए गए और उनका स्थिरीकरण किया गया। अपीलार्थी की ओर से दी गई मुख्य दलील यह थी कि प्रत्यर्थी सं० 1 का माल में कोई हित नहीं था और माल में की सम्पत्ति श्री हनुमान जूट मिल्स को संक्रान्त हो गई थी और इसलिए चूंकि मालिक ने प्रेषण टिप्पण या वहन-पत्र में अनुध्यात सूचना नहीं भेजी अत: अपीलार्थी अपने दायित्व से यदि कोई हो, मुक्त हो गया। पक्षकारों का यह सामान्य पक्षकथन है कि प्रत्यर्थी सं० 1 उस समय माल का स्वामी था जब उसने माल भेजा था और माल को बार्ज सं० ए/5214 में, जो अपीलार्थी के पोत एम० वी० रामपुरिया से सम्बन्धित था, लादा था। 3 अक्तूबर, 1961 को वहन-पत्र जारी किया गया था जिससे यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी सं० 1 ने माल स्वयं को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

या कलकत्ता में अपने अभिकर्त्ता को प्रेषित किया था। प्रत्यर्थी सं० 1 ने अपना कब्जा बनाए रखा और माल के व्ययन का अधिकार समुद्री यात्रा पूरा होने तक आरक्षित रखा। इन कारणों से यह साबित करने का भार कि प्रत्यर्थी सं० 1 माल का स्वामी नहीं था, अपीलार्थी पर है। (देखिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 और **सुकुल ब्रदर्स** बनाम **एच० के० कावरना**[1] और **कमिश्नर्स फार दी पोर्ट आफ कलकत्ता** बनाम **जनरल ट्रेडिंग कं० लि०**[2] वाले मामले देखिए)।

3. 3 अक्तूबर, 1961 को प्रत्यर्थी सं० 1 ने बाटम की मिड 121 गांठों की 89 गांठों और पटसन की बी-बॉटम क्वालिटी की 10 गांठों के विक्रय के लिए मै० हनुमान जूट मिल्स के साथ संविदा की और उक्त संविदा के संदाय के निबन्धनों के अनुसार दस्तावेज की राशि का 100 % संदाय किया जाना था। अपीलार्थी ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी सं० 1 ने उक्त संविदा के अधीन पटसन की 125 गांठों की लदाई (शिपमैन्ट) द्वारा और तात्पर्यित पृष्ठांकन और वहनपत्र के परिदान के द्वारा उक्त श्री हनुमान जूट मिल्स को माल भेजने के दौरान माल में की सम्पत्ति अन्तरित कर दी थी। अपीलार्थी की दलीलें हमें स्वीकार्य नहीं हैं।

4. प्रत्यर्थी सं० 1 ने माल भेजा और वहनपत्र के द्वारा माल स्वयं को या प्रत्यर्थी सं० 1 के अभिकर्त्ता को परिदेय था। इस प्रकार यह समझा जाएगा कि प्रत्यर्थी सं० 1 ने प्रथमदृष्टया माल के व्ययन का अधिकार आरक्षित रख लिया था। (माल विक्रय अधिनियम की धारा 25 देखिए)

5. प्रत्यर्थी सं० 1 ने वहनपत्र में माल के व्ययन के अधिकार को आरक्षित रख लिया था इसलिए माल में की कोई सम्पत्ति उस समय तक संक्रान्त नहीं हो सकती थी जब तक कि विधिमान्य पृष्ठांकन न हो और क्रेता को वहनपत्र का मूल्यवान प्रतिफल के लिए परिदान न हो और पृष्ठांकन सम्पत्ति के संक्रान्त होने के आशय से न किया गया हो। (देखिए **मै० करोना साहू एण्ड कं० प्रा० लि०** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3], **स्मिथ** बनाम **बैले**[4], **फोर्ड आटोमोबाइल्स (इण्डिया) लि०** बनाम **दिल्ली मोटर एण्ड इन्जीनियरिंग कं०**[5], **कार्गो एक्स एस० एस० रेप्पनफेल्स**[6] वाले मामले।)

---

[1] ए० आई० आर० 1958 कलकत्ता 730.

[2] ए० आई० आर० 1964 कलकत्ता 290 पृ० 303.

[3] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1153.

[4] 1940 (3) ई० आर० 60.

[5] ए० आई० आर० 1923 मुम्बई 125 पृ० 128.

[6] आई०एल०आर० 42 कलकत्ता 334पृ० 342-343=ए० आई०आर० 1915 कलकत्ता 793.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

6. प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी सं० 1 ने वहनपत्र (पेपर बुक्स के पृ०127 से 132 तक देखिए) का कोई पृष्ठांकन नहीं किया है। तात्पर्यित पृष्ठांकन अपीलार्थी के प्रबन्ध निदेशक ने किया था। अभिकथित पृष्ठांकन के शब्द संपत्ति के लिए पर्याप्त नहीं हैं। (कालिदास चक्रवर्ती प्रश्न 75 पृ० 41, प्रश्न 149-150, पृ० 50)। अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि प्रत्यर्थी सं० 1 ने अपीलार्थी को वहनपत्र (प्रदर्श सी पृ० 87) के साथ इस प्रयोजन के लिए भेजा था ताकि अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से उसका पृष्ठांकन कर सके और इसके साथ-साथ उन्हें उसे प्रत्यर्थी सं० 1 को वापस भेजने के लिए अनुदेश दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात अमान्य है क्योंकि प्रत्यर्थी सं० 1 वहनपत्र को स्वयं ही बहुत अच्छी तरह से पृष्ठांकित कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं० 1 अपीलार्थी के माध्यम से जलयान के मास्टर को कारगो को एक अन्य उतराई घाट की ओर मोड़ देने के लिए कहा और वहनपत्र अपीलार्थी को भेजा गया ताकि वहनपत्र पर मोड़ देने सम्बन्धी अनुदेश की पुष्टि कराई जा सके। वहनपत्र और बिल डी० एल० मिलर एण्ड कं० को, जो कि प्रत्यर्थी सं० 1 का अभिकर्त्ता था, यूनियन बैंक आफ इण्डिया के माध्यम से भेजे गए थे। अभिकर्त्ता ने वहनपत्र वादी सं०1 को देने के लिए अपने कब्जे में रखा। अभिकर्त्ता उक्त दस्तावेजों को केवल संदाय हो जाने पर ही दे सकते थे। मैं० श्री हनुमान जूट मिल्स से कोई संदाय प्राप्त नहीं हुआ था (देखिए कालीदास चक्रवर्ती प्रश्न 97 से 105, प्रश्न 125 से 138, पृ० 43-44, 47-48)। **सीवैल** बनाम **बरडिक**[1] वाले मामले में लार्ड ग्रामवैल की मताभिव्यक्तियां प्रत्यर्थी सं० 1 के विरुद्ध नहीं है। **सीवैल** बनाम **बरडिक**[1] ऐसा मामला है जिसमें भेजने वाले ने वहनपत्र पृष्ठांकित किया था और इसे बैंक के पास गिरवी रखा था और पोत परिवहन कम्पनी ने बैंक के विरुद्ध भाड़े के लिए वाद चलाया था। उस मामले में हाऊस आफ लार्ड्स ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अभिकर्त्ता द्वारा वहनपत्र के पृष्ठांकन के बावजूद माल में की सम्पत्ति भेजने वाले के पास रही है और केवल विशेष सम्पत्ति ही बैंक को संक्रांत हुई है और इस आधार पर बैंक पोत परिवहन कम्पनी को देनदार नहीं था। बिल ऑफ लैंडिंग ऐक्ट के प्रति निर्देश करते हुए वहनपत्र पर पृष्ठांकन के सम्बन्ध में लार्ड ग्रामवैल ने पृ०105 पर यह मत व्यक्त किया 'सम्पत्ति पृष्ठांकन द्वारा संक्रांत नहीं होती किन्तु उस संविदा द्वारा संक्रान्त होती है जिसके अनुसरण में पृष्ठांकन किया जाता है।' प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी सं० 1 और मैं० श्री हनुमान जूट मिल्स के बीच विभिन्न क्वालिटी के अनभिनिश्चित माल के विक्रय के लिए संविदा थी। जब तक कि वादगत माल

[1] 1884 (10) ए० सी० 74 प० 105.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संविदा मद्धे अशर्त विनियोजित नहीं किया जाता, तब तक माल में की सम्पत्ति संक्रांत नहीं हो सकती। उक्त माल केवल उसी समय विनियोजित हो सकता था जब कोई विधिमान्य पृष्ठांकन हुआ होता और श्री हनुमान जूट मिल्स को मूल्यवान प्रतिफल के लिए वहनपत्र का परिदान हुआ होता। पृष्ठांकन माल में की सम्पत्ति के संक्रान्त होने के आशय से किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में भाड़ा प्रत्यर्थी सं० 1 ने संदत्त किया था। बीमा किया गया था और समय-समय पर प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा संदाय किया गया था और परिवहन के दौरान प्रत्यर्थी सं० 1 की जोखिम पर माल भेजा गया था। इन सभी बातों से यह साबित होता है कि माल में की सम्पत्ति कभी भी मै० श्री हनुमान जूट मिल्स को संक्रान्त नहीं हुई थी किन्तु सभी तात्विक समय पर वह प्रत्यर्थी सं० 1 में निहित रही थी।

7. कच्चे पटसन के 125 गांठों के भार, क्वालिटी, वर्णन और मूल्य के प्रश्न पर प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से श्री राम चन्द्र पाण्डेय ने साक्ष्य पेश किया गया था। श्री पाण्डेय ने भार की जांच की क्योंकि प्रेषण टिप्पण प्राप्ति होने के पश्चात् उन्हें घाट पर माल के लारी द्वारा वहन का पर्यवेक्षण करना होता है और उन्हें ही बार्ज पर माल लदवाना होता है। प्रत्यर्थी सं० 1 के गोदाम में तोलने की तुला थी और घाट पर वहन के लिए लारी में माल लादने से पहले एक या दो गांठों को तोला जाता था। इस प्रकार से गांठों के भार की जांच की जाती थी। साक्षी ने भी यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं० 1 के गोदाम में क्वालिटी के अनुसार खुले पटसन को छांटा जाता था और इस प्रकार से ऐसे पटसन को गांठों में पैक करने के लिए तोला जाता था। प्रत्येक गांठ का भार 150 कि० ग्रा० होता था जो कि 4 मन के बराबर है। एस० के० हकीम, जो उक्त बार्ज का विशेष नाविक था द्वारा दिए गए विरोध-टिप्पण से श्री पाण्डेय के मौखिक साक्ष्य की सम्पुष्टि हुई। यह एक स्वीकृत दस्तावेज है। इस आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त परेषण से सम्बन्धित प्रत्येक गांठ का भार 150 कि० ग्रा० था जो चार मन के बराबर था। क्वालिटी के सम्बन्ध में साक्षी ने यह कथन किया कि पटसन की विभिन्न क्वालिटी को सामान्यतः गोदाम में विभिन्न स्थानों पर रखा जाता था। माल को चिन्हांकित किया जाता था और उक्त चिन्हांकन के आधार पर माल का प्रेषण टिप्पण तैयार किया जाता है। निचली क्वालिटी वाली पटसन के लिए बाजार में प्रभारित की जाती थी और उसका ही इस बाद में दावा किया गया है। पाण्डेय द्वारा यह साक्ष्य दिया गया था कि निचली क्वालिटी वाली पटसन बाजार में सबसे निचली क्वालिटी वाली पटसन थी। इसके प्रतिकूल कोई साक्ष्य नहीं था। पत्र-व्यवहार और दस्तावेज से साक्षी के उक्त मौखिक परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि हो गई। वहनपत्र में पटसन का वर्णन 1961-62 राहा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एन० एन० निचली क्वालिटी था। राहा वह स्थान था जहां पर पटसन की ऐसी क्वालिटी पैदा की जाती थी। उस तारीख को प्रचालित मूल्य के साक्ष्य के आधार पर उक्त पटसन का मूल्य जबकि उक्त हानि हुई थी, अर्थात् 10 अक्तूबर, 1961 को 33 रु० प्रति मन था, जैसा कि अन्य मामलों से दर्शित होता था। उस आधार पर माल का मूल्य 16,500 रु० था। जैसा कि अन्य अपील में अभिनिर्धारित किया गया है, अपीलार्थी सामान्य वाहक था और वह अपनी उपेक्षा को नासाबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी सामान्य वाहक के रूप में परेषण को ले जाने में अपने कर्त्तव्य का भंग करने के लिए दायित्वाधीन था और इसके साथ-साथ उसका प्रत्यर्थी और/या उसके अभिकर्त्ता को परिदान करने के दायित्वाधीन था। पहले ही यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि माल के प्रेषण टिप्पण का खण्ड 16 प्रत्यर्थी सं० 1 के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर सकता। जैसा कि अन्य मामले में अभिनिर्धारित किया जा चुका है हमारी राय यह है कि अपीलार्थी उपेक्षावान था और अपीलार्थी की उपेक्षा के कारण ही माल की हानि हुई थी और अपीलार्थी उस हानि को पूरा करने के दायित्वाधीन है। इस मामले में भी 10 अक्तूबर, 1961 को हानि हुई। 13 अक्तूबर, 1961 को अपीलार्थी ने मै० श्री हनुमान जूट मिल्स को यह बात स्वीकार करते हुए जानकारी दी थी कि उस वहनपत्र का माल, जिसका नम्बर आर/7211 बार्ज हो गया, ए/5214 था और जो कि एम० वी० रामपुरिया से सम्बन्धित था, दुर्घनाग्रस्त था। 27 अक्तूबर, 1961 को प्रत्यर्थी सं० 1 ने अपीलार्थी को यह जानकारी दी कि यद्यपि उसे मै० डी० एल० मिलर एण्ड कं० प्रा० लि० के माध्यम से श्री हनुमान जूट मिल्स को संबोधित उनका पत्र तारीख 13 अक्तूबर, 1961 को प्राप्त हो गया था और उसने माल के पूरे मूल्य के लिए दावा किया था (एतद्मुद्रित)। इस प्रकार उक्त माल के प्रेषण टिप्पण के खण्ड 16 के निबन्धनों के अनुसार माल की हानि होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर दावा किया गया था। जैसा कि पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है उक्त माल के प्रेषण टिप्पण का खण्ड 16 किसी भी प्रकार से अविधिमान्य नहीं था (एतद्मुद्रित)। वास्तव में हानि की तारीख से 6 महीने के भीतर सम्यक् सूचना दे दी गई थी।

8. ऊपर उल्लिखित सभी कारणों से और 1967 की अपील सं० 197 के आधार पर यह अपील असफल होती है और इसे खर्चे सहित खारिज किया जाता है।

न्या० आर० एन० पायन :

मैं सहमत हूं।

अपील खारिज की गई।

चन्द

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नि० प० 1983 : कलकत्ता—90

शंकर कुमार घोष वाला मामला
(In re : Sankar Kumar Ghosh Case)

तारीख 24 फरवरी, 1983

[न्या० अमिताभ दत्ता]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 39, नियम 1, 2 और 4 सपठित आदेश 43 नियम 1(द)—अन्तरिम व्यादेश के एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने पर मूल न्यायालय की अधिकारिता—अंतरिम व्यादेश के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने से मूल न्यायालय की संविवाद का विनिश्चय करने की अधिकारिता किसी भी तरीके से छीनी नहीं जा सकती—अपील के लम्बित रहने के बावजूद संहिता के आदेश 39, नियम 4 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन का विनिश्चय करने की मूल न्यायालय को स्वतन्त्रता है क्योंकि आदेश 39, नियम 4 और आदेश 43, नियम 1(द) के अधीन उपचार वैकल्पिक न होकर समवर्ती हैं।

पिटीशनर ने 1982 में एक हकवाद फाइल किया जिसमें प्रतिवादी के पत्र द्वारा पिटीशनर के निलम्बन के आदेश को और पिटीशनर के विरुद्ध जारी किए गए आरोप-पत्र को चुनौती दी गई। वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 39 नियम 1 और 2 के अधीन प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश के आदेश हेतु एक पिटीशन फाइल किया जिसमें प्रतिवादी को उक्त आरोप-पत्र को प्रभावी करने और वाद का निपटारा होने तक वादी के विरुद्ध कोई दण्डनीय कार्यवाही करने से अवरुद्ध करने के लिए और अंतरिम व्यादेश का आदेश देने के लिए कहा गया था। विद्वान् मुंसिफ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए यह कारण बताने के लिए कहा कि क्यों न अस्थायी व्यादेश के लिए वादी का पिटीशन मंजूर कर लिया जाए और प्रतिवादी के विरुद्ध वादी की प्रार्थना के अनुसार उस समय तक अन्तरिम व्यादेश मंजूर किया जाए जब तक कि व्यादेश के मामले का निपटारा न हो जाए। प्रतिवादी कम्पनी ने संहिता के आदेश 39 नियम 4 के अधीन वादियों को उनके अन्तरिम व्यादेश को निष्प्रभावी बताने के लिए नोटिस देते हुए एक आवेदन किया। इसके पश्चात् प्रतिवादी ने अन्तरिम व्यादेश के आदेश के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष एक अपील फाइल की और उक्त आदेश के प्रवर्तन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को अपील का निपटारा होने तक रोकने के लिए अनुरोध किया। जिला न्यायाधीश ने वादी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और यह कहा कि क्यों न प्रार्थित रोक आदेश मंजूर कर दिया जाए और अपील के अधीन अन्तरिम व्यादेश के आदेश के प्रवर्तन का आक्षेपित अन्तरिम रोक आदेश पारित कर दिया। पिटीशनर की ओर से यह दलील दी गई कि विद्वान् जिला न्यायाधीश ने अवैध रूप से कार्यवाही की है और आक्षेपित रोक आदेश पारित करके अपनी अधिकारिता के प्रयोग करने के तात्त्विक अनियमितता बरती है क्योंकि संहिता के आदेश 43 नियम 1 (द) के अधीन अन्तरिम व्यादेश के आदेश के विरुद्ध उस समय कोई अपील नहीं की जाती जब संहिता के आदेश 39 नियम 4 के अधीन उक्त आदेश में फेरफार करने के लिए या उसे निष्प्रभावी वनाने के लिए प्रथम प्रक्रम के न्यायालय के समक्ष आवेदन लम्बित हो। प्रतिवादी विरोधी पक्षकार की ओर से यह दलील दी गई है कि प्रतिवादी को अन्तरिम व्यादेश के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध आवेदन के द्वारा उपचार उपलब्ध है जिससे वह संहिता के आदेश 39 नियम 4 के अधीन आदेश को उत्सादित करा सकता है या उसमें फेरफार करा सकता है और यह कि दोनों उपचार समवर्ती हैं।

अभिनिर्धारित—पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43, नियम 1(द) में अपील के लिए उपबन्ध है। अपील का अधिकार कानूनी अधिकार है इसलिए इसकी परिधि को उस कानून के उपबन्धों के प्रति निर्देश करके अवधारित किया जाना चाहिए जो उसको प्रदत्त करते हैं और उसका निर्वचन द्वारा खण्डन नहीं किया जा सकता। यह एक मूलभूत अधिकार है न कि मात्र प्रक्रियात्मक मामला है। अन्तरिम व्यादेश के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करना मूल न्यायालय की संविवाद का विनिश्चय करने से सम्बन्धित अधिकारिता को किसी भी प्रकार से नहीं छीन सकता और यदि दोनों पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील न्यायालय द्वारा अन्तरिम रोक आदेश प्रभावोन्मुक्त किया जाता है तो मूल न्यायालय को अपील के लम्बित रहने के बावजूद संहिता के आदेश 39, नियम 4 के अधीन आवेदन का विनिश्चय करने की स्वतन्त्रता होगी। दोनों उपचार समवर्ती हैं। (पैरा 5)

किसी भी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि एक मात्र इस आधार पर कि संहिता के आदेश 39, नियम 4 के अधीन प्रतिवादी विरोधी पक्षकार सं० 1 द्वारा अपील करने से पूर्व आवेदन फाइल किया गया था, इसलिए अपील

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नहीं हो सकती है। अपील न्यायालय ने वादी-प्रत्यर्थियों को सूचना जारी करने के पश्चात् रोक आदेश के लिए आवेदन की सुनवाई होने तक अपील के लिए अन्तरिम व्यादेश के आदेश के प्रवर्तन का अन्तरिम रोक आदेश मंजूर करने में अधिकारिता सम्बन्धी कोई भूल नहीं की है। (पैरा 6, 7)

		पैरा
[1976]	ए० आई० आर० 1976 मद्रास 350 : अब्दुल शकूर **बनाम** उमाचन्दर (Abdul Shukeer *Vs.* Umachander) से **असहमति** प्रकट की गई।	3, 4
[1970]	ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 376 (पूर्ण न्यायपीठ) : जिला परिषद् **बनाम** बी० आर० शर्मा (Zila Parishad *Vs.* B. R. Sharma);	3
[1964]	ए० आई० आर० 1964 असम 81 : युनाइटेड क्लब **बनाम** नौगांव फुटबाल ऐसोसियेशन (United Club *Vs.* Nowgong Football Association) ;	3
[1909]	[1909] 13 सी० डब्ल्यू० एन० 846=मुल्ला की सिविल प्रक्रिया संहिता, 13वां संस्करण पृ० 813 : दामोदर मन्ना **बनाम** शरतचन्द्र ढल (Damodar Manna *Vs.* Sarat Chandra Dhal);	4
[1908]	[1908] 12 सी० डब्ल्यू० एन० 885 : शरतचन्द्र ढल **बनाम** दामोदर मन्ना (Sarat Chandra Dhal *Vs.* Damodar Manna) से **सहमति** प्रकट की गई।	4
[1911]	(1911) 13 कलकत्ता लॉ जर्नल 221 (225) : कुमुदनाथ रे **बनाम** राय जतिन्द्रनाथ चौधरी (Kumud Nath Ray *Vs.* Rai Jatindra Nath Chowdhury) ; **निर्दिष्ट** किया गया।	5

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सिविल पुनरीक्षण अधिकारिता : 1983 की प्रकीर्ण अपील संख्या 4 से उद्भूत पुनरीक्षण ।

हुगली के विद्वान् जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख 4 जनवरी, 1983 को पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन ।

पिटीशनर की ओर से ... श्री काशीकान्त मैत्रा

प्रत्यर्थी की ओर से .... सर्वश्री अजीत राय मुखर्जी, श्यामल सेन और एस० एन० दत्त

न्या० अमिताभ दत्ता :

यह पुनरीक्षण आवेदन 1983 की प्रकीर्ण अपील सं० 4 में हुगली के विद्वान् जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख 4 जनवरी, 1983 को पारित उस आदेश के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन किया गया है जिसमें 1982 के हक सम्बन्धी वाद सं० 256 में हुगली के प्रथम न्यायालय के प्रभारी विद्वान् मुन्सिफ द्वारा तारीख 22 दिसम्बर, 1982 के अन्तरिम व्यादेश के एक पक्षीय आदेश के प्रवर्तन को रोका गया था ।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि 23 दिसम्बर, 1982 को पिटीशनर ने विरोधी पक्षकार सं० 2 के साथ प्रतिवादी-विरोधी पक्षकार सं० 1, डनलप इंडिया लि० के विरुद्ध हुगली के मुन्सिफ के प्रथम न्यायालय में 1982 का हक वाद सं० 256 फाइल किया था, जिसमें प्रतिवादी के क्रमशः पत्र सं० सी० एस०/2/82 और सी० एस०/1/82 दिनांक 26 नवम्बर, 1982 द्वारा पिटीशनर के निलम्बन के आदेश को और उसके विरुद्ध जारी किए गए आरोप-पत्र को चुनौती दी गई है । वादी ने भी संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 39 नियम 1 और 2 के अधीन प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश के आदेश हेतु एक पिटीशन फाइल किया था जिसमें प्रतिवादी को उक्त आरोप-पत्र को प्रभावी करने और वाद का निपटारा होने तक वादी के विरुद्ध कोई दण्डनीय कार्यवाही करने से अवरुद्ध करने के लिए कहा गया था और पिटीशन में उल्लिखित आधारों पर अन्तरिम व्यादेश का आदेश देने के लिए कहा गया था । उसी तारीख को विद्वान् मुन्सिफ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए उस नोटिस की तामील से 10 दिन के भीतर प्रतिवादी से यह कारण बताने के लिए आदेश पारित किया कि क्यों न अस्थायी व्यादेश के लिए वादी का पिटीशन मंजूर कर लिया जाए और प्रतिवादी के विरुद्ध वादी की प्रार्थना के निबन्धनों के अनुसार उस समय तक अन्तरिम व्यादेश मंजूर किया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जाए जब तक कि व्यादेश के मामले का निपटारा न हो जाए। प्रतिवादी कम्पनी वाद में हाजिर हुई और 3 जनवरी, 1983 को उसने संहिता के आदेश 39, नियम 4 के अधीन वादियों को उनके अन्तरिम व्यादेश को निष्प्रभावी करने के लिए नोटिस देते हुए एक आवेदन दिया। विद्वान् मुन्सिफ ने मामले की सुनवाई के लिए 6 जनवरी, 1983 नियत की। इसी बीच 4 जनवरी, 1983 को प्रतिवादी ने अन्तरिम व्यादेश के आदेश के विरुद्ध हुगली के विद्वान् जिला न्यायाधीश के समक्ष 1983 की प्रकीर्ण अपील सं० 4 फाइल की और उक्त आदेश के प्रवर्तन को अपील का निपटारा होने तक रोकने के लिए अनुरोध किया। विद्वान् जिला न्यायाधीश ने वादियों-प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिनमें उनसे नोटिस की तामील से सात दिन के भीतर यह कारण बताने के लिए कहा कि क्यों न प्रार्थित रोक आदेश मंजूर कर दिया जाए और अपील के अधीन अन्तरिम व्यादेश के प्रवर्तन का आक्षेपित अन्तरिम रोक आदेश पारित कर दिया।

3. पिटीशनर के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि विद्वान् जिला न्यायाधीश ने अवैध रूप से कार्यवाही की है और आक्षेपित रोक आदेश पारित करने में अपनी अधिकारिता के प्रयोग करने में तात्विक अनियमितता बरती हैं क्योंकि संहिता के आदेश 43, नियम 1(द) के अधीन अन्तरिम व्यादेश के आदेश के विरुद्ध उस समय कोई अपील नहीं की जाती जब संहिता के आदेश 39, नियम 4 के अधीन उक्त आदेश में फेरफार करने या उसे निष्प्रभावी करने के लिए प्रथम प्रक्रम के न्यायालय के समक्ष आवेदन लम्बित हो। अपनी दलील के समर्थन में उसने **अब्दुल शकूर** बनाम **उमाचन्दर**[1] और **जिला परिषद्** बनाम **बी० आर० शर्मा**[2] वाले मामलों में न्यायपीठ के विनिश्चय का अवलम्ब लिया है। दूसरी ओर प्रतिवादी-विरोधी पक्षकार सं० 1 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी को अंतरिम व्यादेश के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध आवेदन के द्वारा उपचार उपलब्ध है जिसमें वह आदेश 39, नियम 4 के अधीन आदेश को उत्साहित करा सकता है या उसमें फेरफार करा सकता है और यह कि दोनों उपचार समवर्ती हैं इसलिए प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन में कोई सार नहीं है। इस दलील के समर्थन में **युनाइटेड क्लब** बनाम **नौगांव फुटबाल एसोसिएशन**[3] वाले मामले में न्यायपीठ

---

[1] ए० आई० आर० 1976 मद्रास 350.

[2] ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 376 (पूर्ण न्यायपीठ).

[3] ए० आई० आर० 1964 असम 81.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के विनिश्चय का अवलम्ब लिया गया है जिसमें प्रस्तुत मामले में विवाद्यक सीधे रूप से उद्भूत हुए थे और उनका विनिश्चय किया गया था।

4. मेरी राय में विरोधी पक्षकार की ओर से दी गई दलील सुधारित हैं और उन्हें ही अभिभावी होना चाहिए। **अब्दुल शकूर** बनाम **उमाचन्दर**[1] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्ड न्यायपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्थायी या अन्तरिम व्यादेश का मंजूर किया जाना इन दो व्यापक विनिश्चयों के अन्तर्गत आता है अर्थात न्यायालय द्वारा वाद के निपटारे होने तक अन्तरिम व्यादेश मंजूर किया जाना और आगामी आदेश होने तक अन्तरिम व्यादेश का मंजूर किया जाना और यह कि पूर्वकथित दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् सकारण अंतिम आदेश की परिकल्पना होती है। और एक वादी के ऐसे आदेश को मंजूर किए जाने के लिए वादी के अधिकार का निश्चायक अवधारण किया जाता है और इस प्रकार से यह आदेश 43, नियम 1(द) के अधीन अपीलीय है किन्तु पश्चात्कथित कम कठोर है और न्यायालय के विनिश्चय की औपचारिक अभिव्यक्ति के बिना जारी किया जाता है जो कि दोनों पक्षकारों को सूचना जारी करने के पश्चात् और उनकी सुनवाई के पश्चात् तर्कसंगत अन्तिम आदेश की ओर एक कदम है और इस प्रकार ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है क्योंकि इसके विरुद्ध एकमात्र उपचार आदेश 39, नियम 4 के अधीन उपबंधित किया गया है ताकि एक सकारण अंतिम आदेश संहिता के आदेश 43, नियम 1 (द) के अधीन अपील के लिए अभिप्राप्त किया जा सके। मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीशों के प्रति सम्यक् सम्मान प्रकट करते हुए मैं उनके विचारों से सहमत होने में कठिनाई महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरी राय में आदेश 43, नियम 1(द) में अपीलके लिए उपबंध हैं जो कि इस प्रकार हैं कि आदेश 39 के नियम 1, नियम 2, नियम 2क, नियम 4 या नियम 10 के अधीन आदेश से अपील की जाएगी, आदेश 39 नियम 1 या नियम 2 या दोनों के अधीन अन्तरिम व्यादेश के आदेश के वर्गीकरण की अनुज्ञा दो भागों में नहीं दी गई है और एक भाग को अपील के कार्यक्षेत्र से वाहर नहीं रखा गया है। न्यायालयों को ऐसा निर्वचन अपनाना चाहिए जो कि उपचार सम्बन्धी अधिकार को कम न करके उन्हें कायम रखे, भले ही इससे अनेक कार्यवाहियां क्यों न उत्पन्न हों। अपील का अधिकार कानूनी अधिकार है इसलिए इसकी गुंजाइश को उस कानून के उपबंधों के प्रति निर्देश करते हुए अवधारित किया जाना चाहिए जो उसको प्रदत्त करते हैं और उसका निर्वचन

[1] ए० आई० आर० 1976 मद्रास 350.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

द्वारा खण्डन नहीं किया जा सकता। यह एक मूलभूत अधिकार है न कि मात्र प्रक्रियात्मक मामला। मैं ससम्मान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ से **जिला परिषद्** बनाम **बी० आर० शर्मा**[1] वाले मामले में व्यक्त की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्ति से सहमत हूं जो कि निर्णय के पैरा 12 में इस प्रकार आई है :—

> "आदेश 43 के नियम 1(द) में यह नहीं कहा गया है कि आदेश 39 के नियम 1 या नियम 2 के अधीन अन्तिम आदेश से अपील की जाएगी। नियम 1(द) में 'आदेश' से पहले 'अन्तिम' शब्द के प्रक्षेप के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है। सामान्यतः न्यायालय अधिनियमितियों में अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ते हैं। वह एक विधायी कृत्य है।"

इलाहाबाद वाले उपर्युक्त मामले में विनिश्चय के लिए मुद्दा यह था कि क्या एकपक्षीय अन्तरिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है या नहीं अथवा क्या ऐसा आदेश, आदेश 43 के नियम 1(द) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उस मुद्दे का विनिश्चय करने के लिए पूर्ण न्यायपीठ ने निम्नलिखित शब्दों में निर्णय के पैराग्राफ 16 में अपना मत अभिव्यक्त किया :—

> "आदेश 43 के नियम 1(द) की भाषा और उद्देश्य तथा आदेश 39 के नियम 1 और 4 की स्कीम से यह दर्शित होता है कि व्यादेश के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। ज्यों ही अन्तरिम व्यादेश जारी किया जाता है और उससे प्रभावित पक्षकार को इसके बारे में अवगत कराया जाता है तो उसके दो उपचार उपलब्ध होते हैं : (1) वह या तो आदेश 39 के नियम 4 के अधीन एकपक्षीय व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त करा सकता है या उसमें फेर-फार करा सकता है या उसे अपास्त करा सकता है और यदि वह असफल रहता है तो आदेश 43, नियम 1 (द) के अधीन यथाउपबंधित अपील के अधिकार का लाभ उठा सकता है, या (2) या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के नियम (1) और 2 के अधीन पारित व्यादेश के आदेश के विरुद्ध आदेश 43, नियम 1(द) के अधीन सीधे ही अपील फाइल कर सकता है। वैकल्पित उपचार के लिए उपबंध किया जाना

[1] ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 376.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

असामान्य नहीं है। उदाहरणार्थ जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है तो उसे दो उपचार सुलभ होते हैं : या तो वह एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध अपील कर सकता है या वह उसी न्यायालय से एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करा सकता है।"

प्रस्तुत मामले में पिटीशनर के विद्वान् अधिवक्ता ने उपर्युक्त मताभिव्यक्ति से यह दलील दी है कि दोनों उपचार वैकल्पिक हैं और समवर्ती नहीं हैं। किन्तु मेरी राय में ऐसा तर्क मान्य नहीं है क्योंकि यह प्रश्न कि क्या उपचार वैकल्पिक है या समवर्ती प्रतिवेदित मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष विनिश्चय के लिए उद्भूत नहीं हुआ था। उक्त मताभिव्यक्ति में दी गई एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध उपचारों के सादृश्य से यह दर्शित होता है कि उपचारों की समवर्ती प्रकृति से भी इंकार नहीं किया गया है। जहां तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के विनिश्चियों का संबंधहै, एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध उपचार समवर्ती हैं। देखिए **शरत चन्द्र ढल** बनाम **दामोदर मन्ना**[1], **दामोदर मन्ना** बनाम **शरत चन्द्र ढल**[2] वाले मामले। यह प्रश्न कि क्या अन्तरिम व्यादेश के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध दो उपचार समवर्ती हैं या नहीं **युनाइटेड क्लब** बनाम **नौगांव फुटबाल एसोसिएशन**[3] वाले मामले में सीधे उद्भूत हुआ है या नहीं और खण्ड न्यायपीठ के निर्णय को देते हुए मुख्य न्यायाधीश मेहरोत्रा ने पिटीशनर की ओर से उठाए गए आक्षेप को इस आधार पर उलट दिया था कि विरोधी पक्षकार को अन्तरिम व्यादेश के विरुद्ध अपील में आने का उस समय कोई अधिकार नहीं था जबकि उसने पहले ही उसके लिए आक्षेप फाइल कर दिए थे और विद्वान् मुंसिफ द्वारा उस आक्षेप का अन्तिम रूप से विनिश्चय नहीं किया गया था और उन्होंने निर्णय के पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :—

"विरोधी पक्षकार ने व्यादेश के अन्तरिम आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर आक्षेप फाइल किया और जो कुछ स्थगित किया गया था, वह विरोधी पक्षकार सं० 2 द्वारा फाइल किए गए आक्षेपों का निपटारा था। किन्तु इससे विरोधी पक्षकार को अपील के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता यदि उसको एकपक्षीय अन्तरिम व्यादेश के मंजूर किए गए आदेश के विरुद्ध अन्यथा कोई शिकायत हो। आक्षेप के

---

[1] [1908] 12 सी० डब्ल्यू० एन० 885.

[2] [1909] 13 सी० डब्ल्यु० एन० 846—मुल्ला की सिविल प्रक्रिया संहिता, 13 वां संस्करण पृ० 813.

[3] ए० आई० आर० 1964 असम 81.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निपटारे के पश्चात् विरोधी पक्षकार को आदेश 39 नियम 4 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील का नया अधिकार प्राप्त होता है। विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेपों को फाइल करने के तथ्य से विरोधी पक्षकार को आदेश के विरुद्ध अपील में जाने से विवर्जित नहीं किया जा सकता यदि अपील अन्यथा अनुज्ञेय हो ।"

मैं असम उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा अभिव्यक्त किए गए मत से ससम्मान सहमत हूं जो कि संहिता के उपबंधों के अनुसार ठीक है ।

5. यह उल्लेखनीय है कि अन्तरिम व्यादेश के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करना मूल न्यायालय की संविवाद में विनिश्चय करने से सम्बंधित अधिकारिता को किसी भी प्रकार से छीन नहीं सकता और यदि दोनों पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक आदेश प्रभावोन्मुक्त किया जाता है, तो मूल न्यायालय को अपील के लम्बित रहने के बावजूद संहिता के आदेश 39, नियम 4 के अधीन आवेदन का विनिश्चय कराने की स्वतन्त्रता होगी । किन्तु अपील के न्यायनिर्णयन के पश्चात् स्थिति उस समय भिन्न होगी जबकि अपील न्यायालय के आदेश द्वारा मूल आदेश अधिक्रमित किया गया है । इसलिए अधिकारिता के विरोध का कोई प्रश्न नहीं है । ऐसी ही स्थिति उस मामले में उत्पन्न होती है जहां एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने के लिए आवेदन और एकपक्षीय डिक्री से अपील प्रतिवादी द्वारा फाइल किए जाते हैं । इस सम्बन्ध में **कुमुदनाथ रे** बनाम **राय जतिन्द्रनाथ चौधरी**[1] वाले मामले में न्यायाधीश श्री आशुतोष मुखर्जी की निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों के प्रति निर्देश किया जा सकता है :—

"किन्तु प्रत्यर्थी के विद्वान् वकील द्वारा **धोनई सरदार** बनाम **तारकनाथ चौधरी** [(1910) 12 कलकत्ता लॉ जर्नल 53], **रामनधन** बनाम **नारायण** [(1904) आई० एल० आर० 27 मद्रास 602] और **शंकर भट्ट** बनाम **सुब्रैय्या भट्ट** (1907 आई० एल० आर० 30 मद्रास 535) वाले मामलों में निर्णयों में अभिव्यक्त निष्कर्ष पर व्यापक रूप से यह दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का तत्काल प्रभाव हर हालत में संविवाद से सम्बन्धित निर्णय देने में पश्चात्कथित न्यायालय की अधिकारिता को नष्ट करना है । हम इस प्रतिपादना और निष्कर्षित

[1] (1911) 13 कलकत्ता ला जर्नल 221 (पृष्ठ 225).

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सिद्धांत को स्वीकार करने लिए तैयार नहीं है और वास्तव में यह ऐसा मामला है जो **मैलिश** बनाम **रिचर्डसन**[(1832)1 सी०और एफ०244, 36 आर० आर० 111, 6 ई० आर० 900] वाले मामले में हाऊस ऑफ लार्ड्स के विनिश्चय के विरुद्ध है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब न्यायालय को अन्यथा निर्णय में संशोधन करने का प्राधिकार होगा तो ऐसा अपील लिए जाने के पश्चात् ही किया जा सकेगा। यह मत इस सिद्धांन्त से बिल्कुल असंगत है कि अपील के मात्र प्रस्तुत किए जाने से ही हर हालत में अपील के अधीन निर्णय को निपटाने के लिए वह मूल न्यायालय की शक्ति से परे हो जाता है। अपील के न्यायनिर्णयन के पश्चात् स्थिति प्रत्यक्षतः भिन्न है जबकि मूल निर्णय अपील न्यायालय के निर्णय द्वारा अधिक्रमित किया गया है। बृज नारायण बनाम तेजबल [(1910) 11 कलकत्ता लॉ जर्नज 560]। हम जो मत अपना रहे हैं वह अमेरिका के न्यायालयों के अनेक विनिश्चयों में भी अपनाया गया है उनमें से स्पष्ट करने के लिए कुछ के प्रति निर्देश किया जा सकता है। हैण्डरसन (1887) 4 सदर्न 284 और टैक्सेज **रेलवे** कम्पनी बनाम वेकर [(1905) 87 एस० डब्ल्यू 194]। अतः हमें दामोदर मन्ना बनाम शरत चन्द्र ढल [(1909) 13 सी० डब्ल्यू० एन० 846] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के अधीन दिए गए सिद्धांत का अनुसरण करना ही चाहिए और हम प्रत्यर्थी की इस दलील का खण्डन करते हैं कि मूल न्यायालय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन को एकमात्र इस आधार पर ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि विरोधी प्रतिवादी ने इस न्यायालय में अपील की थी।"

6. प्रस्तुत मामले में अपील न्यायालय को या तो रोक आदेश को अपील के निपटारे तक कायम रखने और अपील का स्वयं विनिश्चय करने की स्वतन्त्रता है या अन्तरिम रोक आदेश को प्रभावोन्मुक्त करने की स्वतन्त्रता है जिसमें विद्वान मुंसिफ अपील को लम्बित रखते हुए संहिता के आदेश 39 नियम 4 के अधीन आवेदन को विनिश्चत कर सकता है। किसी भी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि एकमात्र इस आधार पर कि संहिता के आदेश 39, नियम 4 के अधीन प्रतिवादी विरोधी पक्षकार स० 1 द्वारा अपील करने से पूर्व आवेदन फाइल किया गया था, इसलिए अपील नहीं होती।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

7. अतः मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी विरोधी पक्षकार सं० 1 द्वारा की गई अपील कायम रखे जाने योग्य है और अपील न्यायालय ने वादी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने के पश्चात् रोक आदेश के लिए आवेदन की सुनवाई होने तक अपील के लिए अन्तरिम व्यादेश के आदेश के प्रवर्तन का अन्तरिम रोक आदेश मंजूर करने में अधिकारिता सम्बन्धी कोई भूल नहीं की है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वादियों द्वारा फाइल किए गए वाद के चलाए जाने का प्रश्न इस कार्यवाही में मेरे द्वारा विनिश्चित नहीं किया गया है। अतः पुनरीक्षण आवेदन असफल होता है और खारिज किया जाता है। खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया।

चन्द/मिश्र

नि० प० 1983 : कलकत्ता—100

बीरेन्द्र कुमार भुवलका बनाम भारत संघ और अन्य

(Birendra Kumar Bhuwalka *Vs*. Union of India and others)

तारीख 6 अप्रैल, 1983

[न्या० बी० सी० रे]

संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—अभिदाता द्वारा टेलीफोन बिलों का नियमित रूप मे संदाय किया जाना—टेलीफोन का वियोजित किया जाना—टेलीफोन कार्यालय की उपेक्षा के कारण टेलीफोन बिल हेतु केवल एक चैक को न भुनाया जाना—यदि चैकों को टेलीफोन कार्यालय में देने के तुरन्त बाद बैंक को नहीं भेजा जाता है या उन्हें ऐसी अत्याधिक अवधि के अवसान के पश्चात् भेजा जाता है जब चैकों की विधिमान्यता समाप्त हो जाती है तो निश्चित रूप रूप से टेलीफोन प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम अभिदाता की ओर से नहीं होगा और इस आधार पर टेलीफोन का वियोजन अवैध होगा।

पिटीशनर का टेलीफोन इस तथ्य के बावजूद अवैध रूप से वियोजित किया गया कि उसने चैक द्वारा अपने टेलीफोन बिलों को नियमित रूप से संदत्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

20. **एन० के० बोस** बनाम **बैंक आफ इण्डिया**[1] वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्या० अमरेन्द्र नाथ सेन को लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पर, जिससे हमारा सामना पड़ा है, विचार करना पड़ा था। विद्वान् न्यायाधीश द्वारा विचार किए गए विभिन्न प्रश्नों में से एक प्रश्न नियोजक, जो उस मामले में बैंक था, के इस अधिकार के बारे में था कि क्या बैंक अपने उन कर्मचारियों की मजदूरी की उस अवधि के दौरान, जिसमें वे प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे आनुपातिक मजदूरी के आधार पर कटौती कर सकता है। सम्मानपूर्वक विद्वान् न्यायाधीश ने यह मत अपनाया कि दिन के भाग के लिए कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण बैंक द्वारा उनके सम्बलम् की अनुपाततः कटौती करना भी अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि मजदूरी की संविदा अस्तित्त्वशील है और चूंकि कर्मचारी मास में काम किए गए नियत घण्टों की संख्या के अनुसार अपना मासिक सम्बलम् उपार्जित नहीं करता तथा प्रतिमास कर्मचारी को संदेय सम्बलम् एक नियत राशि है तथा मजदूरी की संविदा विभाजनीय नहीं है। इसी उच्च न्यायालय के न्या० एस० मुखर्जी को **अलगेमेना बैंक** बनाम **सैण्ट्रल गवर्नमेंट एल० सी०**[2] वाले मामले में दिए गए उक्त विनिश्चय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस मामले में उच्च न्यायालय में मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-ग(2) के अधीन कार्यवाहियों में बैंक के कर्मचारियों द्वारा परिवाद पर उस समय फाइल किया गया था जबकि बैंक ने काम करने के घण्टों के दौरान की अवधि के लिए मजदूरी की उस समय की कटौती की जबकि कर्मचारी अनुपस्थित रहे। विद्वान् न्यायाधीश ने न्या० सेन से सहमत न होते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि मजदूरी की गई सेवा के लिए संदाय है और बिना सूचना के अनुपस्थिति के लिए जिसका परिणाम प्रतिफल की असफलता है, अनुपाततः सम्बलम् की कटौती अनुज्ञेय है।

21. **वी० रामचन्द्रन** बनाम **इण्डियन बैंक**[3] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ ने "काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धान्त का अनुमोदन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी को अपनी मजदूरी उपार्जित करने के लिए अपना कर्तव्य करना होगा तथा कर्तव्य से अनुपस्थिति उस समय के उसके पारिश्रमिक से वंचित करेगी जिसके दौरान वह अनुपस्थित रहा है।

---

[1] 1977—II एल० एल० जे० 285.

[2] 1978—II एल० एल० जे० 117.

[3] 1979—I एल० एल० जे० 122.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

खण्ड न्यायपीठ ने इस दलील का खण्डन किया कि ऐसी परिस्थितियों में नियोजक के विरुद्ध संविदा के भंग के लिए वाद लाया जा सकेगा तथा वह प्रतिकर का दावा कर सकेगा तथा वेतन से कटौती कर सकेगा ।

22. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को **धर्म सिंह बनाम बैंक आफ इण्डिया, मुम्बई**[1] वाले मामले में इसी प्रकार के प्रश्न पर विचार करना पड़ा था । न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि बैंक में काम करने के घण्टे नियत हैं अतः कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी मजदूरी उपार्जित करने के लिए पूरे घण्टे कार्य करें । काम करने के घण्टों के दौरान काम का रोका जाना सम्पूर्ण दिन के काम पर महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालता है तथा यह बैंक के कार्य को गतिहीन भी बना सकता है । कर्मचारी काम के घण्टों को उस समय और अधिक विभाजित नहीं कर सकता जबकि प्रत्येक दिन के काम करने के घण्टों को एक ही यूनिट के रूप में माना जाता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जहां मासिक मजदूरी का संदाय किया जाता है वहां यद्यपि उस मास के दौरान दिनों की संख्या को युक्तियुक्त रूप से विभाजित किया जा सकता है किन्तु इसे घण्टे, मिनट या सेकेण्डों के रूप में और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता । यह अभिनिर्धारित किया गया कि कर्मचारियों को इस बात का अनिर्बन्धित विवेकाधिकार नहीं है कि वे दिन के किसी भी समय, जब वे चाहें, काम पर आएं और इसके पश्चात् भी दिन के शेष भाग में काम करके पारिश्रमिक का दावा कर सकें । दिन के एक भाग की अनुपस्थिति के लिए पूरे दिन के संदाय की कटौती किए जाने का इस मामले में अनुमोदन किया गया है । **वी० गनेसन** बनाम **स्टेट बैंक आफ इण्डिया**[2] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के न्या० पद्मनाभन् को इसी प्रकार के मामले पर विचार करना पड़ा था । कर्मचारियों की ओर से विद्वान् न्यायाधीश के समक्ष यह दलील दी गई कि बैंक कर्मचारियों के सम्बलम् में से उस अवधि के लिए जिसमें वे कर्तव्य से अनुपस्थित रहे हों, अनुपाततः सम्बलम् की कटौती करने के लिए हकदार है किन्तु वह सम्पूर्ण दिन के सम्बलम् की कटौती करने के लिए हकदार नहीं है । बैंक की इस दलील को कि कर्मचारी अनुपाततः मजदूरी का दावा करने के हकदार नहीं हैं न्यायालय द्वारा इस कारण अस्वीकार किया गया कि उस मामले में बैंक ने उन शेष घण्टों के लिए, जिन घण्टों के दौरान कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की थी, काम करने के लिए उन्हें अनुज्ञात करके

[1] 1979—लेबर आई० सी० 1879.

[2] 1981—I एल० एल० जे० 64.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कर्मचारियों द्वारा किए गए भंग के लिए उपमति दे दी थी। यद्यपि विद्वान् न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि नियोजन की संविदा पूर्णत: एक और अविभाजनीय है तथापि अपने विनिश्चय को कर्मचारियों के काउन्सेल द्वारा दी गई रियायत और इस तथ्य के आधार पर कि बैंक ने काम करने के शेष घण्टों के लिए कर्मचारियों को काम करने के लिए अनुज्ञात करते हुए उपमति दे दी थी, दोनों बातों पर आधारित किया। **आर० राजामणिकम्** बनाम **इण्डियन बैंक**[1] वाले मामले में न्या० नैनार सुन्दरम् ने ऊपर निर्दिष्ट की गई विभिन्न नजीरों पर विचार करने के पश्चात् **वी० गनेसन** बनाम **स्टेट बैंक आफ इण्डिया**[2] वाले मामले में उपमति के आधार पर प्रभेद किया और यह अभिनिर्धारित किया कि जहां बैंक ने हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को दिन के शेष भाग के लिए काम करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया है, वहां बैंक "काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर पूरे दिन के सम्बलम् की कटौती करने के लिए हकदार है जैसा कि **वी० रामचन्द्रन** बनाम **इण्डियन बैंक**[3] वाले मामले में खण्ड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया है जिसमें एक न्यायाधीश वे भी थे। उस मामले में बैंक द्वारा चार घण्टे के प्रदर्शन के लिए सम्पूर्ण दिन के सम्बलम् की कटौती को विधिमान्य माना गया था।

23. उपरोक्त विवेचन से हमने जो कुछ निष्कर्ष निकाला है, वह यह है कि इस प्रश्न पर कि नियोजक दिन के किसी भाग की अनुपस्थिति के लिए पूरे दिन की मजदूरी की कटौती नहीं कर सकता, भिन्न-भिन्न राय व्यक्त की गई हैं। जहां तक 1977 के मूल पिटीशन सं० 4788 में के पिटीशनरों का संबंध है, उन्हें इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि दिन के किसी भाग में कर्तव्य से अनुपस्थिति को सम्पूर्ण दिन की अनुपस्थिति माना जाएगा तथा सम्पूर्ण दिन की मजदूरी की कटौती की जाएगी। ये पिटीशनर अधिकारी हैं जिन पर मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 लागू नहीं होता। इनकी सेवा की शर्तें संविदा द्वारा शासित होती हैं। बैंक जैसी संस्था को लोक के प्रति दुर्भर कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। दिन के किसी भाग में बैंक के कार्यकलापों को सांकेतिक हड़ताल द्वारा ठप्प करना बैंक के उस दिन के शेष भाग के कार्यकरण पर गम्भीर प्रभाव डालता है। अधिकारी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह घण्टे या मिनटों के अनुसार अपना सम्बलम् उपार्जित करता है। अधिकारी के

---

[1] 1981—II एल० एल० जे० 367.

[2] 1981—I एल० एल० जे० 64.

[3] 1979—I एल० एल० जे० 122.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पारिश्रमिक के प्रयोजन के लिए न्यूनतम इकाई एक दिन मानी जानी चाहिए। ये अधिकारी परिणामों के बारे में चेतावनी देने के बावजूद भी कर्तव्य से अनुपस्थित रहे यद्यपि यह अनुपस्थिति दिन के एक भाग के लिए ही थी। इस रिट पिटीशन में के पिटीशनरों की भांति के अधिकारियों को दायित्व को समझना चाहिए तथा बैंक और सामान्य जनता के प्रति प्रश्नगत क्रियाकलापों के कारण अपने आचरण द्वारा कार्य को निष्क्रिय करने के परिणाम भोगने चाहिए। हमारे इस निष्कर्ष के आधार पर कि अधिकारियों की दशा में दिन को नियोजन की संविदा की इकाई माना जाना चाहिए और जो कुछ उन्होंने किया, उसके लिए एक दिन के सम्बलम् की कटौती के आदेश को अनुच्छेद 226 के अधीन की कार्यवाहियों में अविधिमान्य नहीं माना जा सकता। हम इस आधार पर 1977 के मूल पिटीशन सं० 4788 में के पिटीशनरों के विरुद्ध अभिनिर्धारित करते हैं।

24. 1978 के मूल पिटीशन सं० 542 में पिटीशनरों के संबंध में हम इस रिट पिटीशन में कोई मत व्यक्त नहीं करना चाहते। इन पिटीशनरों को मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के उपबंध लागू होते हैं। इनकी दशा में मजदूरी की कटौतियां मजदूरी संदाय अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप और अनुकूल होंगी। हमारे समक्ष के मामले की भांति के विवादों को सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और विधि-विषयक प्रश्न के निर्देश पर उच्च न्यायालय द्वारा भी अधिनिर्णीत किए जाने के लिए अधिनियम के अधीन जो तंत्र उपबंधित किया गया है, उसके प्रति हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं। यह प्रश्न कि क्या पिटीशनर हड़ताल के पश्चात् अपने कर्तव्य पर आए, क्या उन्हें दिन के शेष भाग में कार्य करने से बैंक द्वारा निवारित किया गया और क्या बैंक या इसके अधिकारियों ने काम करने के लिए पिटीशनरों को अनुज्ञात करके हड़ताल में उपमति दी, सभी तथ्य विषयक प्रश्न हैं जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। हमारे मतानुसार इस मामले में अनुच्छेद 226 के अधीन उपचार का उस समय आश्रय लेना जबकि पिटीशनरों को अन्य प्रभावी आनुकल्पिक उपचार उपलब्ध हों, अस्वीकृत और निरुत्साहित किया जाना चाहिए। यदि पिटीशनर चाहें तो वे मजदूरी संदाय अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकते हैं।

25. 1977 के मूल पिटीशन सं० 4788 में के पिटीशनर अधिकारी हैं। ये अधिकारी सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया रेगुलेशंस द्वारा शासित होते हैं। ये विनियम 1970 के अधिनियम सं० 5 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के प्रयोग में बनाए गए हैं। आचरण विनियम (कन्डक्ट रेगूलेशन्स) के खण्ड 13(1) में यह कहा गया है कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा या कार्यालय में उपस्थित होने में विलम्ब नहीं करेगा अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने से पूर्व मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यह इस परन्तुक के अधीन है कि जहां परिहार्य परिस्थितियों के कारण पूर्व अनुज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती हो, वहां इस प्रकार की अनुज्ञा सक्षम प्राधिकारी के समाधान के अधीन रहते हुए बाद में प्राप्त की जाएगी। खण्ड 24 में यह उपबन्ध किया गया है कि विनियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबंध का भंग किया जाना अनुशासन और अपील विनियम, 1976 (डिसीप्लीन एण्ड अपील रेगूलेशंस, 1976) के अधीन दण्डनीय अवचार समझा जाएगा। उक्त विनियमों के खण्ड 4(घ) में यह कहा गया है कि "वेतन या ऐसी अन्य रकम की वसूली जो उपेक्षा या आदेशों के भंग के कारण बैंक को पूर्णतः या भागतः धनीय हानि कारित करने के कारण उस पर शोध्य हो" लघु शास्तियों में से एक है। खण्ड 8 के अधीन लघु शास्तियों को अधिरोपित करने की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। इस खण्ड में इस बात को आवश्यक बनाया गया है कि कर्मचारी के विरुद्ध लांछन को लिखित में उसे सूचित किया जाए और उसे अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। पिटीशनरों के काउन्सेल ने यह दलील दी कि इस शास्ति को अधिरोपित करने के लिए बैंक ने अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है अतः की गई कटौती इस प्रकार की प्रक्रिया का अतिक्रमण किए जाने के कारण अनुचित है। इस दलील का जवाब यह दिया गया कि इस मामले में सम्बलम् की कटौती शास्ति के तौर पर नहीं की गई है अथवा यह अवचार के स्वभाव की नहीं है बल्कि इसमें संविदा के निबन्धनों को लागू किया गया है। यदि यह अवचार होता तो बैंक को सम्बलम् में कटौती करने की अपेक्षित शक्ति होने के साथ ही साथ वह बैंक अपने और कर्मचारियों के बीच द्विपक्षीय समझौते के अधीन अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाहियां भी प्रारम्भ कर सकता था। हम इस दलील से सहमत हैं कि इस मामले में की गई कटौती शास्ति के तौर पर नहीं की गई है बल्कि केवल संविदा के निबन्धनों को लागू करके ही की गई है। अतः की गई कटौती विनियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का अतिक्रमण नहीं करती।

26. पिटीशनर, सैण्ट्रल बैंक के अधिकारियों की ओर से उपस्थित होने वाले काउन्सेल ने एक और यह दलील प्रस्तुत की कि प्रदर्श पी-1 विधि का बल नहीं रखता क्योंकि ये ऐसे विनियम नहीं हैं जो 1970 के अधिनियम सं० 5 की धारा 19 के अधीन की शक्तियों के प्रयोग में विरचित किए गए हों। अतः

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इन विनियमों को पिटीशनरों के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। इस तर्क का प्रत्यर्थियों के काउन्सेल ने यह उत्तर दिया कि प्रदर्श पी-1 आवलियां बैंक द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों को अग्रसर करने में अन्तर्विभागीय संप्रेक्षण हैं जो विनियमों के अभाव में विषय से सम्बन्धित होने के कारण अनुज्ञेय हैं तथा विधि का बल रखते हैं। हमारे अनुसार यह तर्क सफल रहा है।

27. 1978 के मूल पिटीशन सं० 542 में पिटीशनरों द्वारा जिस अगले प्रश्न पर जोर दिया गया है, वह 1966 के द्विपक्षीय करार के निबन्धनों के अतिलंघन पर आधारित है। उनके अनुसार हड़ताल करने में पिटीशनरों का आचरण उनकी ओर से तुच्छ अवचार है जिसके लिए बैंक को विहित रीति में अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ करनी चाहिए और यदि उन्हें दोषी पाया जाए तो उनके सम्बलम् में से कटौती की जानी चाहिए। हम यह समझते हैं कि पिटीशनर इस दलील के आधार पर किसी भी प्रकार सफल नहीं हो सकते। करार (छुट्टी नियमावली अध्याय XIII) के पैरा 13.7 में अवकाश से अधिक दिन ठहर जाने के लिए सम्बलम् से कटौतियां किए जाने का उपबंध किया गया हैं और यह कहा गया है कि ऐसा कर्मचारी ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं दायित्वाधीन होगा जैसी कि प्रबन्ध अधिरोपित करना उचित समझे। सम्बलम् में से कटौती किए जाने के अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया अध्याय XIX में उपबंधित की गई है। बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना खण्ड 19.7(क) के अधीन एक लघु अवचार है। खण्ड 19.8 में लघु अवचार के लिए दण्ड विहित किया गया है। इसके आगे खण्ड 19.11 में वह प्रक्रिया अधिकथित की गई है जबकि अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की जा सकती हैं। इस मामले में बैंक ने जो कुछ किया वह दोनों पक्षों के बीच हुए करार के निबन्धनों के अनुरूप ही है। दोनों पक्षों के बीच किया गया करार बैंक को सम्बलम् से कटौती करने का आदेश देने में असमर्थ नहीं बनाता। यह बैंक को सम्बलम् से कटौती किए जाने के लिए समर्थ बनाता है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के लिए भी सशक्त करता है। चूंकि अनुध्यात अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ नहीं की गई हैं अतः अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन न किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः इस दलील में कोई बल नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच किये गये करार का प्रस्तुत मामले में अतिक्रमण किया गया है।

28. प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों के बीच किए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गए करार पर आधारित पिटीशनरों के दावे से इन्कार करने के लिए अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 18 के अधीन दोनों पक्षकारों के बीच किए गए करार की भांति पक्षकारों के बीच किया गया समझौता आबद्धकर समझौता होता है। यदि नियोजक इस समझौते का भंग करता है तो अधिनियम की धारा 29 में इस प्रकार के भंग के लिए शास्ति का उपबन्ध किया गया है। कर्मचारियों के पास दोनों पक्षों के बीच किए गए करार के निबन्धनों का अनुपालन कराने के लिए नियोजक को बाध्य करने हेतु प्रभावी उपचार है। इस भंग के आधार पर कर्मचारी विवाद उठा सकते हैं और ऐसे भंग के आधार पर अपने दावे के लिए प्रभावी और उचित अधिनिर्णयन प्राप्त कर सकते हैं। यह दलील बलरहित नहीं है। लेकिन हमारे इस निष्कर्ष के अनुसार कि दोनों पक्षों के बीच किए गए करार के निबन्धनों का अतिक्रमण नहीं किया गया है, हम इस मामले में इस पहलू पर और आगे जांच करना आवश्यक नहीं समझते।

29. दी गई अन्तिम दलील यह है कि प्रदर्श पी-1 आवली के आदेशों को पारित करने में बैंक ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अतिक्रमण किया है। 1978 के मूल पिटीशन सं० 542 में के पिटीशनरों की दशा में नैसर्गिक न्याय के अतिक्रमण की दलील का इस प्रकार जवाब दिया गया है। 1970 के बैंककारी कम्पनी अधिनियम सं० 5 के अधीन बैंक के कार्यकलाप निदेशक बोर्ड में निहित होते हैं। इसके कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिनियम की धारा 19(v)(घ) के अधीन निदेशक बोर्ड द्वारा निर्मित विनियमों द्वारा शासित होती हैं। धारा 19(3) में यह उपबंध किया गया है कि बैंक द्वारा विरचित बैंक के संगम् अनुच्छेद, विनियम, उप-विधि, आदेश के बारे में तब तक यह समझा जाएगा कि यह धारा 19(1) के अधीन बनाए गए विनियम हैं जब तक कि ये विनियम निदेशक बोर्ड द्वारा न बनाए जाएं। पिटीशनरों की भांति के कर्मचारियों की दशा में अधिकारियों के लिए कोई विनियम विरचित नहीं किए गए हैं। दोनों पक्षों के बीच किए गए 1965 के करार को अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन विनियम के रूप में नहीं माना जा सकता। इसमें कोई कानूनी बल नहीं है। करार के निबन्धनों में से किसी निबन्धन के अतिक्रमण को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस आधार पर कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अतिक्रमण हुआ है, अनुच्छेद 226 के अधीन की कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

30. अधिनियम की धारा 19(1)(घ) के अधीन पिटीशनरों की भांति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित विरचित किन्हीं विनियमों के अभाव में बैंक को उस विषय पर प्रशासनिक परिपत्र जारी करने की शक्तियां हैं। इन प्रशासनिक परिपत्रों पर केवल यह निर्बन्धन अधिरोपित किया गया है कि ये परिपत्र अधिनियम की धारा 19(1)(घ) के अधीन विनियम बनाने की शक्तियों के अन्तर्गत ही आने चाहिए। इस प्रकार के प्रशासनिक अनुदेश जारी करने की सरकार की शक्ति को **बी० एन० नागराजन्** बनाम **मैसूर राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है। इसी प्रकार की शक्तियां कानूनी निगमों को भी दी गई हैं। **वी० टी० खनजोदा** बनाम **रिजर्व बैंक आफ इण्डिया**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित प्रशासनिक अनुदेश या परिपत्र जारी करने की शक्ति से सहमति व्यक्त की है। **जे० कुमार** बनाम **भारत संघ**[3] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया कि वरिष्ठता शासित करने वाले कानूनी नियम के प्राख्यापन में पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है तथा इसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त लागू नहीं होते (पैरा 37)। इस सिद्धान्त के आधार पर यह दलील दी गई कि सेवा की शर्तों से सम्बन्धित प्रशासनिक परिपत्रों को जारी करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को लागू नहीं किया जा सकता। पिटीशनरों की ओर से हाजिर होने वाले काउन्सेल ने यह दलील दी कि नैसर्गिक न्याय के सभी सिद्धान्त सर्वव्यापी हैं तथा ये कानूनी उपबंधों और साथ ही साथ प्रशासनिक अनुदेशों के अतिक्रमण पर समान रूप से लागू होने चाहिए और यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अतिक्रमण हुआ है तो उसके अनुसरण में की गई कार्रवाई दोषपूर्ण होगी। हम इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिए समय नष्ट नहीं करना चाहते (यद्यपि हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है) क्योंकि आगामी पैरा में जो कुछ हम कहना चाहते हैं, उसके आधार पर यह यथावत् रूप से आवश्यक नहीं है।

31. हमारे समक्ष के पिटीशनर भिन्न-भिन्न वर्गों के कर्मचारी हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि नैसर्गिक न्याय का अतिक्रमण हुआ है तो भी इस बात पर विचार करना होगा और इस बात का विनिश्चय करना होगा कि क्या पिटीशनरों को सूचना जारी करने का निदेश देने से और उनके आक्षेप आमंत्रित करने से कोई प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। क्या यह न्यायालय उस

---

[1] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1942.

[2] (1982) 2 एस० सी० सी० 7.

[3] (1982) 2 एस० सी० सी० 116.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समय जबकि यह समस्त तथ्यों से अवगत हो अपनी इच्छानुसार व्यर्थ की रिट जारी कर सकेगा यदि इस न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि इस प्रकार की रिट का जारी किया जाना इसके समक्ष के पिटीशनरों के हितों में किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि नहीं कर सकेगा। रिट केवल तभी जारी किए जा सकते है जबकि नैसर्गिक न्याय का अतिक्रमण हुआ हो और न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप पश्चात्‌वर्ती कार्यवाहियों से व्यथित पक्षकार को विरोधी पक्षकार से सार्थक अनुतोष प्राप्त हो सकेगा। यहां तक कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप होने पर भी वही परिणाम हों कि न्यायालय को आदेश अभिखण्डित करने से पूर्व विचार करना पड़े तो न्यायालय सामान्यता उन आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जिनकी बाबत न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा किया जाना व्यर्थ होगा। इस मामले में बैंक का निश्चित मत यह है कि यदि कर्मचारी काम के घण्टों के किसी भाग में हड़ताल करते हैं तो उन्हें पूरे दिन के वेतन दिए जाने से इंकार किया जाएगा। यदि कर्मचारियों को सुने जाने का अवसर भी दे दिया जाए, तो भी बैंक और इसके अधिकारी इस विनिश्चय में तब्दीली नहीं कर सकेंगे। यह ऐसा विनिश्चय है जिसे बैंक द्वारा लिया गया है और जो प्रत्यर्थियों पर आबद्धकर है। मान लीजिए कि पिटीशनरों को स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दे दिया जाता है और वे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं तो भी प्रत्यर्थी अधिकारी प्रदर्श पी-1 और पी-2 में दिए गए अनुदेशों का पालन करेंगे और परिणामतः सम्बलम् की कटौती की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा निदेश दिया गया है। वे प्रदर्श पी-1 और पी-2 के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। अतएव इस आधार पर प्रदर्श पी-1 और पी-2 में हस्तक्षेप किया जाना विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक प्रयोग होगा। प्रश्नगत प्रशासनिक परिपत्रों के आधार पर केवल एक ही निष्कर्ष और एक ही शास्ति संभव है जो उस दिन के सम्बलम् की कटौती है। अतः इन आदेशों को अभिखंडित करने में पिटीशनरों को जो अन्तिम फायदा होगा वह नहीं के बराबर है। यहां तक कि यदि यह न्यायालय बैंक के इस कर्त्तव्य के अस्तित्व की उपधारणा करे कि उन्हें नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए तो भी इस न्यायालय को सदैव ही यह देखना होगा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने में पिटीशनरों को वास्तव में कोई फायदा प्रोद्‌भूत होगा। **एस० एल० कपूर** बनाम **जगमोहन और अन्य**[1] वाले मामले में व्यक्त किए गए निम्नलिखित मत का अवलोकन किया जा सकता है :—

[1] ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 136.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं जहां किसी स्वीकार किए गए या निर्विवाद तथ्यों से केवल एक ही निष्कर्ष संभव हो और विधि के अधीन केवल एक ही शास्ति अनुज्ञेय हो, वहां न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य करने हेतु रिट इसलिए जारी नहीं करेगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक नहीं है वरन् इसलिए जारी नहीं करेगा क्योंकि न्यायालय व्यर्थ की रिट जारी नहीं करते।" (पैरा 24)

32. इस मामले में बैंक और इसके अधिकारियों को कोई विवेकाधिकार नहीं है। उन्हें प्रदर्श पी-1 और पी-2 में निहित अनुदेशों का पालन करना ही है। अतः यदि हम नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुपालन के लिए बाध्य करते हैं और कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हैं तो भी वही परिणाम होंगे जैसे कि अब हुए हैं। यदि अधिकारियों को इस मामले में विवेकाधिकार होता तो परिणाम कुछ और ही होता।

33. पिटीशनरों की ओर से उपस्थित होने वाले काउन्सेल ने अन्तिम आश्रय के रूप में यह दलील दी है कि पिटीशनरों को प्रतिनिधि की हैसियत में इस मामले का विरोध करने की अनुज्ञा देने हेतु उसके द्वारा दिए गए दोनों आवेदनों के खारिज किए जाने के बावजूद भी इस पिटीशन के बारे में यह समझा जाना चाहिए कि यह प्रतिनिधि की हैसियत में किया गया है क्योंकि रिट कार्यवाहियों को सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू नहीं होते। प्रतिनिधि की हैसियत में पिटीशनों में आगे कार्यवाही करने के लिए इजाज़त हेतु न्यायालय में अभ्यावेदन किया जा चुका है और यह असफल हो गया है, अतः हम इस मामले पर जिसमें कि अभिवचन नहीं किए गए हैं और जो इस अन्तिम प्रक्रम पर उठाया गया है, विचार करना आवश्यक नहीं समझते।

34. संक्षेप में (1) 1977 के मूल पिटीशन सं० 4788 के पिटीशनर अधिकारी हैं। वे मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 द्वारा शासित नहीं होते। प्रश्नगत प्रदर्श पी-1, पी-2 और पी-3 आवलियां सेवा की संविदा के प्रवर्तन में पारित किए गए हैं। उन्हें यह कह दिया गया था कि यदि वे काम करने वाले दिन के किसी भाग में हड़ताल करते हैं, तो उनके पूरे दिन के सम्वलम् की कटौती की जाएगी। जहां तक उनका संबंध है, दिन नियोजन की संविदा की एक इकाई है। एक दिन के सम्बलम् की कटौती करने की बैंक की कार्रवाई विधिमान्य है। (2) 1978 के मूल पिटीशन सं० 542 के पिटीशनर मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। उन्हें एक से अधिक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रभावी आनुकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं। चूंकि उन्होंने उन उपचारों का आश्रय नहीं लिया है अतः यह पिटीशन समयपूर्व है। तथ्य विषयक विवादग्रस्त प्रश्नों पर पिटीशनरों को अनुतोष मंजूर करने से पूर्व विचार करना होगा जो कि अनुच्छेद 226 की अधिकारिता से बाहर है। यदि यह भी मान लिया जाए कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अतिक्रमण हुआ है, तो भी इस मामले में रिट जारी करना व्यर्थ होगा। द्विपक्षीय करार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। इन दोनों ही मामलों में किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है।

35. पूर्वगामी कारणों के आधार पर, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि ये पिटीशन असफल होते हैं। हम इन पिटीशनों को खारिज करते हैं और पक्षकारों को अपने-अपने खर्चे वहन करने का आदेश देते हैं।

पिटीशन खारिज किए गए।

बंसल/मि०

नि० प० 1983 : केरल—107

देवीसन बनाम केरल राज्य

(Devison *Vs*. State of Kerala)

तारीख 1 अक्तूबर, 1982

[न्या० के० भास्करण और न्या० पी० सी० बालकृष्ण मेनन]

साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 9—शनाख्त परेड का साक्ष्यिक महत्व—यदि अन्वेषणकारी अधिकारी या ऐसे मजिस्ट्रेट से, जिसने शनाख्त परेड का संचालन किया हो या शनाख्त परेड समाप्त होने के पश्चात् प्रतिपरीक्षा में उसके त्रुटिपूर्ण होने या विलम्ब किए जाने के बारे में कोई शिकायत न की गई हो तो बाद में शनाख्त परेड में विलम्ब किए जाने या उसके त्रुटिपूर्ण होने के बारे में दी गई दलील स्वीकार नहीं की जा सकती।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 360(3) सपठित दण्ड संहिता, 1860, धारा 34—यदि अभियुक्त व्यक्तियों की घटनास्थल पर उपस्थिति आकस्मिक हो या जो पूर्ण रूप से अजनबी हों और अभिलेख पर ऐसी कोई बात न हो जो क्षतियां कारित करने में उनके सभी के सामान्य आशय को इंगित करती हो तो ऐसे अभियुक्तों को उक्त धारा 360(3) के अधीन उनकी आयु,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शील, पूर्ववृत और अपराध की तुच्छ प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ा जा सकता है।

अभियुक्त 1 से 4 अन्य व्यक्तियों के साथ अभियुक्त 1 के भाई के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए कोयम्बटूर से 2-9-1979 को पालघाट आए। उसी दिन रात्रि में लगभग 9.30 बजे अभियोजन साक्षी सं० 1 का पिता और अभियोजन साक्षी सं० 1 अभि० सा० 6 के घर के सामने बैठे हुए बातचीत करने में व्यस्त थे। अभियुक्त 1 से 4 सड़क से आए और अभियुक्त 1 ने अभि० सा० 6 के घर के सामने लघुशंका की। अभि० सा० 1 के पिता और अभि० सा० 6 ने अभियुक्त के इस प्रकार लघुशंका करने में आपत्ति की जिससे कुपित होकर अभियुक्त 1 ने अभि० सा० 1 के पिता को जोर से धक्का दे दिया। अभि० सा० 1 ने उससे ऐसा करने से मना किया किन्तु अभियुक्त 1 ने उसके गाल पर चांटा मार दिया। अभि० सा० 1 के जोर-जोर से चिल्लाने पर मृतक अपने घर से निकल कर आया। इस पर अभियुक्त 1 ने अपनी कमर से चाकू निकाल लिया और मृतक के माथे में घुसेड़ दिया। मृतक चिल्लाता हुआ अपने घर की ओर दौड़ा किन्तु अभियुक्त 1 ने उसका पीछा करते हुए उसके नितम्ब पर चाकू का दूसरा वार किया। मृतक सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ा और अभियुक्त 1 ने गिरे हुए मृतक पर चाकू की अनेक क्षतियां कारित कीं। इतने में ही अभि० सा० 2 और 3 भी अपने-अपने घरों से निकलकर घटनास्थल पर आ गए जिन्हें अभियुक्त 2, 3 और 4 ने पीटा और लातें मारीं। अभियुक्त 1 ने अभियोजन साक्षी 2 के माथे और सिर पर चाकू के वार किए। अभि० सा० 3 के अभि० सा० 2 को बचाने के प्रयत्न में उसके हाथ पर चाकू का वार लगा। जैसे ही अभि० सा० 3 घूम कर अपने घर की ओर भागा अभियुक्त 1 ने उसके नितम्ब पर चाकू का वार किया। मृतक के चिल्लाने पर अनेक व्यक्ति घटनास्थल पर आ गए और द्वितीय अभियुक्त के शोर मचाने पर सभी अभियुक्त दक्षिण की ओर भागे और बच कर निकल गए। मृतक, अभि० सा० 2 और 3 को चिकित्सालय ले जाया गया किन्तु मृतक की रास्ते में मृत्यु हो गई। अभि० सा० 1 पुलिस थाने गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई। अन्वेषण के दौरान घटनास्थल पर चाकू मिला जिसे अभिरक्षा में ले लिया गया। पुलिस उप-निरीक्षक कल्यानमण्डपम् पहुंचा जहां साक्षियों ने अभियुक्त 1 से 4 की पहचान की। इसके पश्चात् 22-9-1979 को पालघाट के अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ने शनाख्त परेड की। यह शनाख्त परेड मजिस्ट्रेट के कोर्ट-हाल में ही की गई थी। शनाख्त परेड के पश्चात् अभियुक्तों से यह पूछा गया था कि उन्हें परेड की बावत कोई शिकायत तो नहीं है जिसका उन्होंने नकारात्मक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्तर दिया। निचले न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 323, 324 और 302 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किए किन्तु अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया। अभियोजन साक्षी सं० 1, 2, 3 और 6 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और उन्होंने समस्त घटना को स्वयं देखा है। निचले न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त 1 को मृतक की हत्या करने और उस पर चाकू की अनेक क्षतियां कारित करने के कारण दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 और 324 के अधीन दोषी पाया और तदनुसार उसे दण्डित किया किन्तु अभियुक्त सं० 2, 3 और 4 को धारा 323 के अधीन दोषी पाया और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360(3) के अधीन सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश दिया। निचले न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्तों ने सेशन न्यायालय में अपील की और यह दलील दी कि शनाख्त परेड को उचित रूप से पहचान कराने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह त्रुटिपूर्ण थी और परेड में काफी विलम्ब किया गया था और साथ ही साक्षियों को अपराधियों की पहचान करा दी गई थी जब वे उप-कारागार में थे। प्रस्तुत मामले में विचारार्थ और अवधारार्थ प्रश्न यह है कि क्या शनाख्त परेड के पूर्ण किए जाने के पश्चात् अभियुक्तों द्वारा इसकी बाबत किसी प्रकार की शिकायत न किए जाने पर भी शनाख्त परेड को त्रुटिपूर्ण और विलम्ब से किया गया माना जा सकता है?

अभिनिर्धारित—अपील खारिज की गई।

अभि० सा० सं० 8 के साक्ष्य और शनाख्त परेड परीक्षण की कार्यवाहियों के आधार पर न्यायालय यह निष्कर्ष पहले ही निकाल चुका है कि अभियुक्त की इस दलील में कोई सार नहीं है कि उन्हें उस समय साक्षियों को दिखा दिया गया था जब वे उप-कारागार, पालघाट में थे। अभि० सा० 8 (मजिस्ट्रेट) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अभियुक्त ने उससे यह शिकायत नहीं की है कि उन्हें शनाख्त परेड से पूर्व साक्षियों को दिखा दिया गया था। (पैरा 13)

शनाख्त परेड का संचालन करने में हुए विलम्ब की बाबत अन्वेषणकारी अधिकारी अभियोजन सा० सं० 11 या मजिस्ट्रेट, अभि० सा० 8, जिसने जांच शनाख्त परेड का संचालन किया था, से कोई शिकायत नहीं की गई थी। अतः इस दलील में कोई सार नहीं है कि जांच शनाख्त परेड अभियुक्त को गिरफ्तार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करने के पश्चात् उसका संचालन करने में विलम्ब होने के कारण त्रुटिपूर्ण थी। (पैरा 14)

जांच-शनाख्त परेड के अतिरिक्त अभियुक्त की पहचान को साबित करने के लिए अन्य सारवान् साक्ष्य भी है। प्रदर्श पी-1 प्रथम इत्तिला कथन में स्वयं अभियुक्त का वर्णन अन्तर्विष्ट है। अभि० सा० सं० 7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि अभियुक्त ने बराण्डी-बोतल पीने में भाग लिया था और शाम को लगभग 7.30 बजे कल्याण मण्डपम से चला गया था और 2 सितम्बर, 1979 को रात्रि में लगभग 9.45 बजे उत्तेजित होते हुए पुनः वापस आया। अभि० सा० सं० 7 ने हरे रंगित दस्ते वाले चाकू को, जिसकी एम० ओ० 1 के रूप में पहचान की गई है, प्रथम अभियुक्त के हाथ में देखा था। प्रथम अभियुक्त ने 2 सितम्बर, 1979 की शाम को लगभग 6 बजे कोयम्बतूर से कल्याणमण्डपम पहुंचने पर इस चाकू का प्रयोग सुपारी काटने में किया था। इस मामले में चाकू की पहचान प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा भी की गई है। अभि० सा० सं० 1 से 3 पर भी प्रथम अभियुक्त द्वारा हमला किया गया था। साक्ष्य इस बात को दर्शित करता है कि पर्याप्त रोशनी थी जिसकी सहायता से वे अभियुक्त व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। अभि० सा० सं० 1 से 3 और 6 ने प्रथम अभियुक्त को "मणियण्णा ओडुंको" नाम का सम्बोधन करते हुए सुना था। इन तथ्यों के आधार पर, जिन्हें कि मामले में साबित किया जा चुका है, अभियुक्त की पहचान सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो गई है। (पैरा 15)

अभि० सा० सं० 1 ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने 3 सितम्बर, 1979 को कल्याण मण्डपम में पुलिस को अभियुक्त के बारे में बताया था। साक्ष्य की इस कमी के कारण यह अभिनिर्धारित करना सम्भव नहीं है कि ऊपर चर्चित विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त की उचित रूप से पहचान नहीं की गई थी। (पैरा 16)

अभिलेख पर मृतक की हत्या करने या अभि० सा० सं० 2 और 3 पर क्षतियां कारित करने के लिए अभियुक्त के सामान्य आशय को दर्शित करने के लिए कोई बात नहीं दी गई है। अभियुक्त व्यक्ति उस परिक्षेत्र में अजनबी हैं। हमले से व्यथित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें अभियुक्त पहले से जानते हों। वे मण्डपम में होने वाले विवाह में सम्मिलित होने के लिए कलपथी आए थे, जो घटनास्थल से लगभग 300 मीटर दूरी पर है। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति केवल आकस्मिक थी। अतः निचला न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में पूर्णतया सही है कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपित अपराधों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में से किसी भी अपराध को करने में अभियुक्त का कोई सामान्य आशय नहीं था। (पैरा 18)

न्यायालय द्वारा साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई जिससे कि यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त 2 से 4 किसी अन्य अपराध के दोषी हैं। अभियुक्त सं० 2 से 4 द्वारा किया गया अपराध दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत आता है और चूंकि वे किशोर अवस्था वाले व्यक्ति हैं जिनके बारे में कोई पूर्ववर्ती दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है। निचले न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360(3) के अधीन सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् उन्हें मुक्त कर दिया है। (पैरा 20)

		पैरा
[1972]	ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 283 : हासिब **बनाम** बिहार राज्य (Hasib *Vs.* The State of Bihar)	13
	से **प्रभेद** बतलाया गया।	
[1982]	1982 (1) एस० सी० सी० 700 : मोहनलाल गंगाराम गेहानी **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (Mohanlal Gangaram Gehani *Vs.* State of Maharashtra);	12
[1979]	(1979) क्रिमिनल एल० जे० 919=ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1127 : कन्नन और अन्य **बनाम** केरल राज्य (Kannan and others *Vs.* State of Kerala);	12
[1974]	ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 791 : सम्पत तात्यादा शिन्दे **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (Sampat Tatyada Shinde *Vs.* State of Maharashtra);	13
[1972]	ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 2478 : भरत सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (Bharat Singh *Vs.* State of U. P.);	13
[1972]	ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 3 : दिल्ली प्रशासन **बनाम** बाला कृष्णन् (The Delhi Administration *Vs.* Bala Krishnan);	13
[1972]	[1972] 1 उम० नि० प० 214 पृ० 218=ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 102 : रामेश्वर सिंह **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य (Rameshwar Singh *Vs.* State of Jammu and Kashmir)	13
	निर्दिष्ट किए गए।	

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1980 की दाण्डिक अपील सं० 424, जिसके साथ 1981 की दाण्डिक अपील संख्या 65 की भी सुनवाई की गई।

दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 324 और 302 के अधीन के आरोपों से दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध की गई अपील।

अपीलार्थी की ओर से ... —
प्रत्यर्थी की ओर से ... लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्या० पी० सी० बालकृष्ण मेनन ने दिया।

न्या० मेनन :

ये दोनों अपीलें पालघाट खण्ड के सेशन न्यायालय में 1979 के सेशन मामले सं० 58 से उद्भूत हुई हैं। 1980 की दाण्डिक अपील सं० 424 प्रथम अभियुक्त द्वारा दण्ड संहिता की धारा 302, 324 और 323 के अधीन की अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध फाइल की गई है। उसे दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कठोर कारावास से दण्डादिष्ट किया गया था। उसे दण्ड संहिता की धारा 324 के अधीन के अपराध के लिए भी 6 मास के कठोर कारावास भोगने का तथा दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन के अपराध के लिए एक मास के लिए दण्डादिष्ट किया गया था। किन्तु यह निदेश दिया गया कि दोनों दण्ड साथ-साथ भोगे जाएंगे।

2. अभियुक्त सं० 2, 3 और 4 को दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था। उन्हें कारावास की किसी अवधि के लिए दण्डादिष्ट करने के बजाय उनके बारे में यह निदेश दिया गया कि उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 की उपधारा (3) के अधीन सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् मुक्त कर दिया जाए। अभियुक्त सं० 2, 3 और 4 को दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 324 और 302 के अधीन के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। इस दोषमुक्ति के विरुद्ध ही राज्य को 1981 की दाण्डिक अपील सं० 65 फाइल की गई है।

3. अभियोजन पक्ष का पक्षकथन इस प्रकार है कि अभियुक्त सं० 1 से लेकर 4 तक अन्य कई व्यक्तियों के साथ 2 सितम्बर, 1979 को प्रथम अभियुक्त के भाई के साथ अभियोजन साक्षी सं० 7 की बहिन के विवाह को, जो 3 सितम्बर, 1979 को पालघाट में सवरी कल्याण मण्डपम में सम्पन्न होना था, सम्पन्न कराने के लिए कोयम्बतूर से पालघाट आए। 2 सितम्बर, 1979 को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लगभग 9.30 बजे अभियोजन साक्षी 6 सहस्रनाम अय्यर और अभियोजन साक्षी सं० 1 का पिता श्रीनिवास अय्यर, अभियोजन साक्षी 6 के घर के सामने, जो घटना-स्थल के रेखांक के प्रदर्श पी-13 में मद सं० 6 के रूप में चिह्नित है, बैठे हुए थे तथा बातचीत करने में व्यस्त थे। अभियुक्त सं० 1 से 4 सड़क से अभियोजन साक्षी सं० 1, 6 और मृतक महादेवन उर्फ प्रकाश के घरों के सामने आए तथा प्रथम अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी 6 के घर के सामने, जहां कि अभियोजन साक्षी 6 और श्रीनिवास अय्यर जो घरों के सामने सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, पेशाब किया। श्रीनिवास अय्यर और अभियोजन साक्षी 6 सहस्रनाम अय्यर ने प्रथम अभियुक्त से घर के सामने पेशाव करने में उसके आचरण पर आपत्ति की जिस पर प्रथम अभियुक्त ने श्रीनिवास अय्यर को बलपूर्वक धकेल दिया। अभियोजन साक्षी 1 जो कि रेखांक प्रदर्श पी-13 में 7 के रूप में चिह्नित अपने घर के सामने खड़ा हुआ था, प्रथम अभियुक्त के पास गया और उससे पूछा कि उसने उसके पिता को धक्का क्यों दिया। प्रथम अभियुक्त ने उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। अभियोजन साक्षी 1 जोर से चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट को सुन कर प्रकाश अपने घर से, जो रेखांक प्रदर्श पी-13 में 8 के रूप में चिह्नित है, निकल आया। प्रथम अभियुक्त ने अपनी कमर से चाकू निकाल लिया और चाकू से प्रकाश के माथे में प्रहार किया। प्रकाश "अइयो" करता हुआ चिल्लाया और वह अपने घर की ओर भागा। प्रथम अभियुक्त ने उसका पीछा किया और उसके नितम्बों पर भी चाकू का एक और प्रहार किया। प्रकाश सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ा। प्रथम अभियुक्त ने जमीन पर पड़े हुए प्रकाश पर चाकूओं के कई प्रहार करते हुए उसको क्षतियां पहुंचाई। अभियोजन साक्षी सं० 2 कानन और अभियोजन साक्षी सं० 3 नटराजन् अपने घरों से घटना-स्थल पर आए। अभियुक्त सं० 2, 3 और 4 ने उन्हें पीटा और उनको लातें लगायीं। प्रथम अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी सं० 2 के माथे पर और सिर पर चाकू के प्रहार किए। अभियोजन साक्षी 3 जब प्रथम अभियुक्त को अभियोजन साक्षी 2 पर चाकू का प्रहार करने से निवारित करने का प्रयत्न कर रहा था तब उसे उसके हाथ पर चाकू का प्रहार लगा। जब अभियोजन साक्षी सं० 3 अपने घर को लौटने के लिए पीछे की ओर मुड़ा तब प्रथम अभियुक्त ने उसके नितम्बों पर चाकू का एक और प्रहार किया। प्रकाश उठा और "अइयो अप्पा एन्ने कुत्ति" कहता हुआ चिल्लाया तथा दक्षिण में अपने घर की ओर दौड़ा। प्रकाश की चिल्लाहट को सुन कर कई लोग उस ओर दौड़ते हुए आए जहां से द्वितीय अभियुक्त ने "मणियण्ण ओडुंके" कहता हुआ चिल्लाया जिससे सभी अभियुक्त दक्षिण दिशा की ओर भागे और बच निकले। प्रथम अभियुक्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के हाथों में चाकू था। प्रकाश और अभियोजन साक्षी सं० 2 और 3 को कार में जिला चिकित्सालय ले जाया गया। प्रकाश की मृत्यु अस्पताल जाते हुए रास्ते में हो गई। अभियोजन साक्षी सं० 5 लक्ष्मी नारायण, सहायक सर्जन, जिला चिकित्सालय, पालघाट ने प्रकाश की परीक्षा की और उसे मृत घोषित किया। अभियोजन साक्षी 4, डा० शिवथानू पिल्लई जिला चिकित्सालय के एक अन्य सहायक सर्जन ने अभियोजन साक्षी 2 और 3 का चिकित्सालय में अन्तरंग रोगी के रूप में दाखिला लिया। प्रदर्श पी-4 और प्रदर्श पी-5 अभियोजन साक्षी 2 और 3 से संबंधित अभियोजन साक्षी 4 द्वारा जारी किए गए घाव संबंधी क्रमिक प्रमाणपत्र हैं। अभियोजन साक्षी सं० 1 पालघाट कस्बे के उत्तरी पुलिस थाने में गया और अभियोजन साक्षी 10 पुलिस उप-निरीक्षक को रात्रि 11 बजे प्रथम इत्तिला कथन प्रदर्श पी-1 दिया। पुलिस उप-निरीक्षक ने मामले को 1979 के अपराध सं० 181 के रूप में दर्ज किया तथा प्रदर्श पी-1(क) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की। उसने घटना-स्थल और सबरी कल्याण मण्डपम जहां कि अभियुक्त विवाह में उपस्थिति होने के लिए आया था, रक्षा करने की व्यवस्था की। अभियोजन साक्षी 11 पुलिस उप-निरीक्षक, अपराध विलगन (क्राइम डिटैचमेंट) पालघाट ने 3 सितम्बर, 1979 को अन्वेषण प्रारम्भ किया। उसने प्रकाश के शव की सुबह 8 बजे से लेकर 10.30 बजे तक मृत्यु समीक्षा की और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 प्रस्तुत की। वह घटना-स्थल पर गया और मौका महाजर (नजरी नक्शा) प्रदर्श पी-2 तैयार किया। रेखाचित्र प्रदर्श पी-13 में चिह्नित गृह सं० 10 के सामने पाए गए एम० ओ० 1 चाकू को अभिरक्षा में ले लिया गया। वह सबरी कल्याण मण्डपम गया तथा अभियुक्त सं० 1 से लेकर 4 तक को, जिनकी साक्षियों द्वारा पहचान की गई थी, 3 सितम्बर, 1979 को रात्रि के लगभग 8 बजे कल्याण मण्डपम से गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन साक्षी सं० 5 लक्ष्मी नारायण, चिकित्सक ने प्रकाश की शव परीक्षा की तथा शव परीक्षा प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-9 प्रस्तुत किया। इस मामले में और आगे अन्वेषण अभियोजन साक्षी सं० 2, पुलिस सर्किल इंस्पैक्टर, अपराध विलगन (क्राइम डिटैचमेंट), पालघाट ने किया। निचले न्यायालय ने दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित दण्ड संहिता की धारा 323, 324 और 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए। अभियुक्त ने आरोपों का दोषी न होने का अभिवचन किया है।

4. अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी सं० 1 से लेकर 12 तक की परीक्षा की तथा अपने पक्षकथन के सबूत में प्रदर्श पी-1 से लेकर प्रदर्श पी-13 को चिह्नित किया। एम० ओ० सं० 1 से लेकर 9 तक को मामले की तात्विक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वस्तुओं के रूप में पेश किया गया। एम० ओ० 1 के बारे में यह कहा गया कि यह अपराध करने में प्रयोग किया गया वह चाकू है जिसे घटनास्थल के पास से प्राप्त किया गया है। एम० ओ० 2 रक्त से रंजित सीमेंट प्लास्टरिंग का एक टुकड़ा है तथा एम० ओ० 3 रक्त रंजित तारकोल है जिसे घटना-स्थल से अभिरक्षा में लिया गया है। एम० ओ० सं० 4 और 5 धोती और कमीज है जिन्हें अभियोजन साक्षी सं० 2 पहने हुए था। एम० ओ० 6 मृतक की कमीज है। एम० ओ० 7 पवित्र जनेऊ है। एम० ओ० 8 करधनी है जिसे वह अपनी कमर में डाले हुए था। एम० ओ० 9 वह लुंगी है जिसे मृतक घटना के समय पहने हुए था। प्रदर्श पी-12, रसायन परीक्षक की रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि ये तात्विक वस्तुएं मानव रक्त से रंजित थीं।

5. अभियोजन साक्षी सं० 1, 2, 3 और 6 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। अभियोजन साक्षी 4 डा० शिवथानू पिल्लई है जिसने अभियोजन साक्षी 2 और 3 का चिकित्सालय में दाखिला किया और उनके घावों से संबंधित प्रदर्श पी-4 और पी-5 घावों के प्रमाणपत्र जारी किए। उसने प्रकाश की मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी-6 भी दी तथा अभियोजन साक्षी 2 और 3 के शरीर पर पाई जाने वाली क्षतियों की सूचना प्रदर्श पी-7 और प्रदर्श पी-8 पुलिस को दी। अभियोजन साक्षी सं० 7 राजू दुल्हन का भाई है जिसका विवाह प्रथम अभियुक्त के भाई के साथ 3 सितम्बर, 1979 को सबरी कल्याण मण्डपम में होने वाला था। उसने अतिथियों के ठहरने की कल्याण मण्डपम में 2 सितम्बर, 1979 की व्यवस्था की तथा वह उनके आराम की व्यवस्था करने में व्यस्त था। अभियोजन साक्षी सं० 8 न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, पालघाट है जिसने इस मामले में अभियुक्त की शनाख्त परेड की। 13 सितम्बर, 1979 का प्रदर्श पी-10 अभियोजन साक्षी सं० 8 द्वारा संचालित की गई शनाख्त परेड की कार्यवाहियां हैं। अभियोजन साक्षी सं० 9 ने शव परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी.-11 अनुप्रमाणित की। अभियोजन साक्षी सं० 10 पुलिस उप-निरीक्षक, पालघाट टाउन नार्थ पुलिस स्टेशन है जिसने अभियोजन साक्षी सं० 1 का प्रथम इत्तिला कथन प्रदर्श पी-1 अभिलिखित किया। अभियोजन साक्षी सं० 11 पुलिस, अपराध विलगन, पालघाट में उप-निरीक्षक है और उसने अन्वेषण प्रारम्भ किया तथा शव परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 प्रस्तुत की और मौका महाजर (नजरी नक्शा) प्रदर्श पी-2 तैयार किया। अभियोजन साक्षी 12 पुलिस अपराध विलगन, पालघाट के सी० आई० ने अन्वेषण पूरा किया तथा दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित उसकी धारा 323, 324 और 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को आरोप पत्र देते हुए अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

6. निचले न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य और अभियोजन साक्षी 1, 2, 3 और 6 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम अभियुक्त प्रकाश की हत्या के लिए दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराध का दोषी है। उसे अभियोजन साक्षी 2 और 3 को क्षतियां कारित करने के कारण धारा 324 के अधीन के अपराधों तथा अभियोजन साक्षी सं० 1 के चेहरे पर मारने के कारण दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन के अपराधों का दोषी भी पाया। अभियुक्त 2, 3 और 4 को अभियोजन साक्षी सं० 2 और 3 को लातों से मारने और पीटने के कारण दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन के अपराधों का दोषी पाया।

7. प्रकाश की मृत्यु के बारे में यह बात विवादास्पद नहीं है कि उसकी मृत्यु 2-9-1979 को उसको पहुंची क्षतियों के कारण हुई थी। यह भी विवादास्पद नहीं है कि अभियोजन साक्षी सं० 2 और 3 को उसी घटना में क्षतियां पहुंची थीं जिसमें प्रकाश की मृत्यु हुई थी। प्रकाश के शव की परीक्षा करने वाले अभियोजन साक्षी सं० 5 द्वारा जारी किए गए शव परीक्षा प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-9 से उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां दर्शित होती हैं :—

1. मध्य रेखा से 3 सें० मी०, बांई भोहों से ऊपर, माथे के बांई ओर 6 × 1 सें० मी० अस्थि तक गहराई वाला खड़ा चिरा हुआ घाव।

2. बांई नासा के नीचे ऊपर वाले होंठ पर 2 × 1 × 1 सें० मी० का खड़ा चिरा हुआ घाव।

3. दाएं घुटने के नीचे दाएं पैर पर 3 × 1 सें० मी० की खरोंच।

4. 5वें कटिक्षेत्र और पेड़ू की हड्डी के कशेरुका पर मध्य रेखा से दूर 4 सें० मी० पीछे बांईं ओर 1 × 1/2 × 2 सें० मी० का चिरा हुआ तिरछा घाव।

5. घाव सं० 4 से 9 सें० मी० नीचे बाएं नितम्ब के क्षेत्र पर 1 × 1 × 4 सें० मी० का खड़ा चिरा हुआ घाव जिसके चारों ओर रक्त जमा हुआ है।

6. घाव सं० 5 के बांईं ओर 7 सें० मी० दूर 1 × 1 × 4 सें० मी० का तिरछा चिरा हुआ घाव।

7. दाएं नितम्ब क्षेत्र पर 2 × 1 × 3 सें० मी० का तिरछा चिरा हुआ घाव जिसके नीचे के स्नायुयों पर रक्त जमा हुआ है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

8. घाव सं० 7 के 1 से० मी० नीचे दाएं नितम्ब क्षेत्र पर 2×1×4 सें० मी० का तिरछा चिरा हुआ घाव।

9. अन्दर की बड़ी कुल्हे की रीढ़ की हड्डी से 9 सें० मी० पर दाई जंघा के बाहरी क्षेत्र पर 2×2×8 सें० मी० का तिरछा चिरा हुआ घाव जो बीच में है। इस घाव के कारण चर्म के नीचे की नस, अन्दर की स्नायु, जांघ की हड्डी की धमनी और दायीं जांघ की नस आरपार कट गई है। स्नायुयों और चर्म के नीचे के भाग की नस पर काफी मात्रा में रक्त जम गया है।

10. बांई जांघ के जोड़ पर और अण्डकोश के बांई ओर बाहरी क्षेत्र के गुदा पर 4×2×5 सें० मी० का चिरा हुआ घाव।

अभियोजन साक्षी सं० 5 डा० लक्ष्मीनारायणन्, सहायक सर्जन, जिला अस्पताल, पालघाट ने अपने द्वारा जारी किए गए शव परीक्षा प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-9 को साबित किया। अभियोजन साक्षी सं० 5 के अनुसार मृत्यु का कारण जांघ की हड्डी की धमनी और नसों तथा नसों पर की क्षति और अन्य अनेक क्षतियों के कारण सदमा और रक्तस्राव है। अभियोजन साक्षी सं० 5 के अनुसार क्षति सं० 9 शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर है। इसके कारण दाएं निचले नितम्ब की महत्वपूर्ण रक्त नाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी है जो आवश्यक रूप से घातक है। आगे उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि क्षति सं० 3 के अतिरिक्त सभी अन्य क्षतियां चिरी हुई हैं जो एम०ओ० 1 जैसे हथियार के कारण ही की जा सकती हैं। क्षति सं०3 से भिन्न क्षतियों का कुल प्रभाव प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए भी पर्याप्त है।

8. प्रदर्श पी-4 अभियोजन साक्षी सं० 2 के शरीर पर पाई गई क्षतियों से संबंधित अभियोजन साक्षी सं० 4 द्वारा जारी किया गया घाव प्रमाणपत्र है और प्रदर्श पी-5 अभियोजन साक्षी सं० 4 द्वारा जारी किया गया अभियोजन साक्षी सं० 3 से संबंधित घाव प्रमाणपत्र है। प्रदर्श पी-4 में अभियोजन साक्षी सं० 2 पर भी निम्नलिखित क्षतियां दर्शित की गई हैं :—

1. दाई नासिका पर 2.5 सें० मी० लम्बी, 4 सें० मी० गहरी और 0.25 सें०मी० चौड़ी चिरी हुई क्षति।

2. ऊपरी होंठ के बांई ओर 1.5 सें० मी० लम्बी 0.5 सें० मी० गहरी चिरी हुई क्षति।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

3. ऊपरी होंठ के बांई ओर 1.5 सें० मी० लम्बी 0.5 सें० मी० शिरोवल्क गहराई वाली चिरी हुई क्षति।

प्रदर्श पी-5 में अभियोजन साक्षी सं० 3 नटराजन् के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां दर्शित की गई हैं :—

1. उदर के दाएं निचले भाग पर 2×0.5×7 सें० मी० का चिरा हुआ घाव।

2. दाएं नितम्ब क्षेत्र पर 2×0.5 सें० मी० चर्म तक गहराई वाला चिरा हुआ घाव।

अभियोजन साक्षी सं० 4 ने प्रदर्श पी-4 और प्रदर्श पी-5 को साबित किया है। यह भी साबित हो गया है कि अभियोजन साक्षी सं० 2 को 2 सितम्बर, 1979 को चिकित्सालय में दाखिल कराया गया था और चिकित्सालय से उसे 5-9-1979 को छुट्टी दे दी गई। अभियोजन साक्षी सं० 3 को चिकित्सालय में 2 सितम्बर, 1979 को भर्ती कराया गया था जिसे 10-9-1979 को चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई।

9. ऊपर निर्दिष्ट किए गए मामले में चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह साबित कर दिया है कि प्रकाश की मृत्यु 2 सितम्बर, 1979 की रात्रि में उसे चाकू से पहुंची क्षति के कारण हुई थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित कर दिया है कि अभियोजन साक्षी सं० 2 और अभियोजन साक्षी सं० 3 को क्रमशः प्रदर्श पी-4 और प्रदर्श पी-5 में दर्ज की गई क्षतियां 2 सितम्बर, 1979 की रात्रि को पहुंची थीं।

10. अभियोजन साक्षी सं० 1, 2, 3 और 6 इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। अभियोजन साक्षी सं० 1 और 6 ने समस्त घटना को देखा है। उन्होंने प्रदर्श पी-1 के अनुरूप ही कहा है। प्रदर्श पी-1 अभियोजन साक्षी सं० 10 पुलिस उप-निरिक्षक, पालघाट, टाउन नार्थ पुलिस स्टेशन द्वारा अभिलिखित किया गया अभियोजन साक्षी सं० 1 का प्रथम इत्तिला कथन है। प्रदर्श पी-1 कथन घटना होने के पश्चात् शीघ्र ही 2 सितम्बर, 1979 को रात्रि में 11 बजे अभिलिखित किया गया था। प्रदर्श पी-1 में अभियोजन साक्षी सं० 1 ने यह कहा है कि जब वह 2 सितम्बर, 1979 को रात्रि में लगभग 9 बजे अपने घर के सामने खड़ा हुआ था तब उसने एक व्यक्ति को अभियोजन साक्षी सं० 6 के घर के सामने पेशाब करते हुए देखा था। तीन अन्य व्यक्ति भी थे जिन्हें वह पहचान सकता है। उसके पिता और अभियोजन साक्षी सं० 6 ने प्रथम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभियुक्त से घर के सामने पेशाब करने के उसके आचरण पर आपत्ति की। जिस पर प्रथम अभियुक्त ने बल के साथ श्रीनिवास अय्यर को धक्का दे दिया। अभियोजन साक्षी सं० 1 आगे आया और उसने उससे यह कहा कि उसने उसके पिता को धक्का क्यों दिया। प्रथम अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी सं० 1 के चेहरे पर तमाचे जड़ दिए। उस समय तक प्रकाश, सुन्दरम् का पुत्र घटनास्थल पर आ पहुंचा। प्रथम अभियुक्त ने अपनी कमर से चाकू निकाला और प्रकाश के माथे पर चाकू से प्रहार किया। जिस व्यक्ति ने प्रकाश पर छुरे से प्रहार किया था वह लम्बा व्यक्ति था। प्रकाश "अइयो" चिल्लाता हुआ अपने घर की ओर मुड़ा और दौड़ना प्रारम्भ कर दिया। अभियुक्त ने उसका पीछा किया और पुनः उसके नितम्बों पर छुरे से प्रहार किया। प्रकाश मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा तब हमलावर ने उस पर छुरे के अनेक प्रहार किए। अभियोजन साक्षी सं० 2 कानन और अभियोजन साक्षी स० 3 नटराजन् घटना-स्थल पर आए। तीन व्यक्तियों ने, जो हमलावर के साथ थे, अभियोजन साक्षी सं० 2 और 3 को पीटा और लातें जमाई। लम्बे व्यक्ति ने जिसके हाथ में चाकू था, अभियोजन साक्षी सं० 2 और 3 पर चाकू से प्रहार किया। अभियोजन साक्षी सं० 2 को उसके सिर और चेहरे पर क्षतियां लगीं तथा अभियोजन साक्षी सं० 3 को उसके उदर और नितम्बों पर क्षतियां लगीं। प्रकाश उठा और "अइयो अप्पा ऐन्ने कुत्ति" चिल्लाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर भागा। उस लम्बे व्यक्ति, जिसके हाथ में चाकू था, के साथ जो तीन व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति ने "मणियण्णा ओडुंके" कहा। लम्बा व्यक्ति हाथ में चाकू लिए हुए और अन्य तीनों हमलावर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। हमलावर को, जिसने प्रकाश और अभियोजन साक्षी सं० 2 और 3 को चाकू भोंका था, लम्बा और पतला किशोर व्यक्ति कहा गया है। अन्य तीन व्यक्ति भी किशोरावस्था के थे। उनमें से एक गौर वर्ण का था तथा दूसरे के बाल घुंघराले थे उसके छोटी-सी दाड़ी थी। घटना-स्थल के पास लगी ट्यूब लाइट से पर्याप्त रोशनी आ रही थी तथा हमलावरों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता था। अभियोजन साक्षी सं० 1 ने प्रदर्श पी-1 में आगे यह कहा कि वह चारों हमलावरों को पहचान सकता है। वह उस चाकू को भी पहचान सकता है जिससे प्रकाश और अभियोजन साक्षी सं० 2 और 3 पर प्रहार किए गए थे। प्रदर्श पी-1 में ही पहचान के लिए अभियुक्त का पर्याप्त वर्णन अन्तर्विष्ट है। अभियोजन साक्षी सं० 1 सुसंगत समय पर सिनमय मिशन कालेज, पालघाट का बी० काम० अन्तिम वर्ष का विद्यार्थी था। उसका अभियुक्त के साथ कोई वैरभाव नहीं था तथा वे पूर्णतः अजनबी थे और सवरी कल्याण मण्डपम में विवाह समारोह में उपस्थित होने के लिए आए थे। समस्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

घटना प्रथम अभियुक्त के अभियोजन साक्षी सं० 6 के घर के सामने पेशाब करने के कारण प्रारम्भ हुई जिस पर अभियोज साक्षी सं० 6 और श्रीनिवास अय्यर ने आपत्ति की। प्रथम अभियुक्त के नाम का भी अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ प्रदर्श पी-1 में उल्लेख किया गया है और उसे "मणियण्णा ओड्डुंको" कहा गया है। अभियोजन साक्षी सं० 6 सहस्रनाम अय्यर ने अभियोजन साक्षी सं० 6 के साक्ष्य की पूर्णतः संपुष्टि की है। इन साक्षियों के साक्ष्य में कोई कमी नहीं है। अभियोजन साक्षी सं० 2 और 3 प्रकाश की चिल्लाहट सुनकर घटना-स्थल पर आए। उन्होंने घटना के पश्चात्वर्ती भाग की बाबत भी कहा है। उन्होंने क्षतिग्रस्त प्रकाश को सड़क पर मुंह के बल गिरे हुए और प्रथम अभियुक्त को उस पर चाकू का प्रहार करते हुए देखा था। उन्होंने प्रकाश पर और प्रहार करने से प्रथम अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त सं० 2, 3 और 4 ने उन्हें पीटा और लातें मारी। प्रथम अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी सं० 2 के सिर और चेहरे पर चाकू के प्रहार किए। अभियोजन साक्षी सं० 3 ने प्रथम अभियुक्त को अभियोजन साक्षी सं० 2 पर चाकू का प्रहार करने से रोकने का प्रयत्न किया जिसके कारण अभियोजन साक्षी सं० 3 को उसके हाथ पर क्षति लगी। उस पर भी प्रथम अभियुक्त ने उसके उदर और नितम्बों पर चाकू के प्रहार किए। उन्होंने प्रकाश को "अप्पा ऐन्ने कुत्ति" चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भागते हुए देखा। उन्होंने द्वितीय अभियुक्त को प्रथम अभियुक्त से "मणियण्णा ओड्डुंको" कहते हुए सुना तथा सभी अभियुक्त दक्षिण की ओर भाग गए और घटना-स्थल से बच निकले। अभियोजन साक्षी सं० 1 से लेकर 3 तक ने और 6 ने एम० ओ० सं० 1 वाले उस चाकू की, जिसका प्रथम अभियुक्त ने प्रकाश और अभियोजन साक्षी सं० 2 और 3 पर प्रहार करते हुए प्रयोग किया था, पहचान की। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अभियुक्त को गली की रोशनी में और आसपास की दुकानों से आने वाली रोशनी में स्पष्ट रूप से पहचाना है। अभियोजन साक्षी सं० 2 और 3 भी अभियुक्त द्वारा किए गए हमले से क्षतिग्रस्त हुए। उन्हें प्रथम अभियुक्त के चाकू के प्रहार लगे। इन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जो उनके अभिसाक्ष्य पर अविश्वास करने वाली हो। राजू अभियोजन साक्षी सं० 7, रेणुका देवी का, जिसका प्रथम अभियुक्त के भाई के साथ 3-9-1979 को सबरी कल्याण मण्डपम में विवाह होना था, भाई है। दूल्हे की पार्टी को 2-9-1979 को कल्याण मण्डपम पहुंचना था। अभियोजन साक्षी सं० 7 ने कल्याण मण्डपम में उनके ठहरने की व्यवस्था की थी तथा वह उनकी सुख-सुविधा की भी व्यवस्था कर रहा था। दूल्हे सहित दुल्हे की पार्टी तथा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आदेश की विधिमान्यता को चुनौती दी गई हो, रिट न्यायालय की अधिकारिता से सम्बन्ध रखने वाली सुस्थिर विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी विधिमान्यता की परीक्षा किए जाने पर हमारा स्पष्ट रूप से यह मत है कि पिटीशनर की दलील सुआधारित है और निरोध प्राधिकारी की दलील के अधिमान में उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

12. इसमें किंचित भी सन्देह नहीं है कि प्रस्तुत मामले में पिटीशनर को निरुद्ध किए जाने की आवश्यकता के बारे में व्यक्तिपरक समाधान काफी बड़े परिमाण में ऐसे सीमेण्ट के, जो कि सिंचाई परियोजना में उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, चोरबाजारी में छुपे तौर पर व्ययन के लिए बिचौलिए के रूप में पिटीशनर के वर्तमान और विगत क्रियाकलापों के आधार पर किया गया है। वर्तमान क्रियाकलाप से हमारा तात्पर्य तारीख 28 और 29 जून, 1982 को 600 बोरी सीमेण्ट के हटाए जाने और व्ययन में पिटीशनर के सम्मिलित होने से है जिसके बारे में निरोध प्राधिकारी के पास सामग्री मौजूद है। 'विगत काफी समय से' ऐसे क्रियाकलाप में पिटीशनर के शामिल होने के बारे में निरोध के आधारों के पैरा 14 के प्रकथनों से स्पष्टत: और निश्चित रूप से यह प्रतीत होता है कि निरोध प्राधिकारी द्वारा उस बारे में निष्कर्ष "ऊपर उपवर्णित किए गए सम्पूर्ण तथ्यों से" अर्थात् पिटीशनर को दिए गए आधारों के पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लिखित तथ्यों और विशिष्टियों से निकाला गया है। आधारों के ये पैरे केवल उस संक्रिया से संबंधित हैं जिसके परिणामस्वरूप जून, 1982 के मास में 600 बोरी सीमेंट को चोरबाजारी के लिए ले जाया गया और व्ययन किया गया है या व्ययन किए जाने का प्रयत्न किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि इन तथ्यों या विशिष्टियों में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे किंचित भी यह उपदर्शित होता हो कि पिटीशनर विगत समय से या विगत काफी समय से ऐसे निन्द्य क्रियाकलाप कर रहा है। उस सामग्री में भी, जैसे कि पूर्ववर्ती पैराओं में निर्दिष्ट साक्षियों के बयान आदि में भी ऐसी कोई बात नहीं है और न किसी बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है जिससे ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सके। विद्वान् विशेष लोक अभियोजक द्वारा भी यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली गई है कि पूर्ववर्ती पैराओं में या उनमें विनिर्दिष्टत: निर्दिष्ट दस्तावेजों में उपवर्णित किए गए तथ्यों या विशिष्टियों में विगत समय में ऐसे क्रियाकलाप में पिटीशनर के वास्तविक रूप से शामिल होने के बारे में कोई भी अभिव्यक्त उल्लेख नहीं किया गया है। अतः इससे अनिवार्यत: यह निष्कर्ष निकलता है कि निरोध के आधारों में या अभिलेख में मौजूद सामग्री में (जिनका उनमें विनिर्दिष्टत: उल्लेख किया गया है) उपवर्णित तथ्यों या विशिष्टियों के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आधार पर पिटीशनर के विगत समय में या विगत काफी समय से ऐसे क्रियाकलाप में शामिल होने के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस संबंध में इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि पिटीशनर के अपने बयान और साथ ही सह-निरुद्ध व्यक्ति डी० बी० पटेल (सहायक इंजीनियर) के बयान से भी यह प्रकट होता है कि यद्यपि वे एक दूसरे को लगभग तीन वर्ष से जानते हैं किन्तु चोरबाजारी में सीमेंट को बेचे जाने के प्रयोजन के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ पहली बार बातचीत जून, 1982 के लगभग दूसरे या तीसरे सप्ताह में की थी। इससे यह प्रतीत होता है कि संबंधित व्यक्तियों के बीच षड्यंत्र, यदि कोई है, पहली बार इन दोनों घटनाओं के लगभग 15 दिन पूर्व या 10 दिन पूर्व रचा गया जिसके परिणामस्वरूप धरमपुर गोदाम से 600 बोरी सीमेंट निकाला गया। निरोध के आधारों में निर्दिष्ट साक्षियों में से किसी ने भी सिंचाई परियोजना में से सीमेंट का व्यक्तिगत अभिलाभ के लिए चोरबाजारी में ले जाए जाने के बारे में अभिकथित सह-षड्यंत्रकारियों के बीच पूर्व बातचीत अर्थात् 1982 के दूसरे या तीसरे सप्ताह के पूर्व बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है कि निरोध प्राधिकारी द्वारा पैरा 14 में कथित महत्वपूर्ण और सारवान् तथ्य के बारे में विवेकबुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया है जिसका व्यक्तिपरक समाधान निकालने के लिए अवलम्ब लिया गया है। पिटीशनर द्वारा आधार सं० 1 (ए) में बताई गई यह कमी, जैसी कि इसके पूर्व उपवर्णित की गई हैं, हमारे मतानुसार अपने आप ही व्यक्तिपरक समाधान को दूषित करने के लिए पर्याप्त है।

13. तथापि मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता। सहमत हुए बिना यह धारणा करने पर कि एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और निरोध प्राधिकारी को आधारों में विनिर्दिष्टतः निर्दिष्ट बातों से बाहर अन्य बातों पर विचार करने और ऐसे निष्कर्ष के लिए सारांश निकालने के लिए अभिलेख का अवलम्ब लेने की छूट होनी चाहिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह मत है कि अभिलेख में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर उपर्युक्त निष्कर्ष निकाला जा सके या यदि कोई सामग्री है तो वह ऐसी नहीं है जिसके आधार पर संभवतः ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सके या युक्तिसंगत रूप से निकाला जा सके। हमारा ध्यान ऐसी किसी भी सामग्री की ओर आकृष्ट नहीं किया गया है और निरोध प्राधिकारी की ओर से फाइल किए गए प्रत्युत्तर में ऐसी किसी भी सामग्री के प्रति निर्देश नहीं किया गया है हालांकि पिटीशन में विनिर्दिष्ट रूप से यह चुनौती दी गई है। इन परिस्थितियों में व्यक्तिपरक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समाधान को उस आधार पर भी कायम नहीं रखा जा सकता और यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह पिटीशनर द्वारा आधार सं० 1(बी) में बताई गई कमी से दूषित है, जैसा कि यहां इसके पूर्व उपवर्णित किया गया है।

14. तथापि, निरोध प्राधिकारी की ओर से बलपूर्वक यह दलील दी गई है कि निरोध प्राधिकारी ने जो निष्कर्ष निकाला है वह उनके द्वारा पूर्व में उल्लिखित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रूप से निकाला जा सकता है, अर्थात् (1) पिटीशनर की सामान्य व्यापार पद्धति सीमेण्ट में दलाली नहीं है, (2) 600 बोरी सीमेण्ट के प्रतिफलस्वरूप उसके माध्यम से काफी बड़ी धनराशि का लेनदेन हुआ है, (3) एक सुनियोजित षड्यंत्र करने के पश्चात् प्रश्नगत दो अवसरों पर अत्यधिक परिमाण में सीमेण्ट का चोरबाजारी में व्ययन किए जाने का प्रयत्न किया गया है, (4) उन दो अवसरों पर सीमेण्ट के हटाए जाने और परिवहन की व्यवस्था पूर्ण सन्तुष्टि के साथ पूरी की गई और (5) पिटीशनर द्वारा और उक्त प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए पिटीशनर और सह-निरुद्ध व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति। हम यहां यह देखने में असमर्थ हैं कि ये सभी परिस्थितियां किस प्रकार विगत समय में पिटीशनर के वैसे ही क्रियाकलाप में लगे होने के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष का समर्थन करती है। इस संबंध में इस बात पर ध्यान देना उचित होगा कि पिटीशनर और साथ ही सह-निरुद्ध व्यक्ति, सहायक इंजीनियर डी० बी० पटेल के बयान से केवल यही उपदर्शित होता है कि (1) पिटीशनर और होमजीभाई कंट्रैक्टर के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप, जो 28/29 जून, 1982 के केवल कुछ दिन पूर्व हुई थी, केवल 600 बोरी सीमेण्ट का संव्यवहार किया गया था और (2) यह कि सीमेण्ट को चोरबाजारी में बेचे जाने के बारे में षड्यंत्र, यदि कोई है, पहली बार उनके बीच केवल 28/29 जून, 1982 के केवल 15 दिन या 10 दिन पूर्व रचा गया था। इसके पूर्व पिटीशनर द्वारा ऐसे या ऐसी ही प्रकृति की कोई अन्य जोखिम उठाने का उल्लेख नहीं किया गया हैं। निरोध प्राधिकारी द्वारा अवलंबित परिस्थितियों से अधिक से अधिक जून, 1982 के मास में उक्त दो अवसरों पर काफी बड़े परिमाण में सीमेण्ट हटाए जाने में पिटीशनर का गम्भीर रूप से शामिल होना दर्शित होता है। उनसे यह भी दर्शित हो सकता है कि इन दो अवसरों पर दोनों सहायक इंजीनियरों द्वारा पिटीशनर के साथ दुरभिसंधि करते हुए सीमेण्ट को उसके अभिप्रेत उपयोग से भिन्न उपयोग हेतु व्यक्तिगत अभिलाभ के लिए हटाए जाने का एक व्यवस्थित और सुनियोजित प्रयत्न किया गया है। तथापि इन परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला जाना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

असंभव होगा कि पिटीशनर विगत समय में या विगत काफी समय से ऐसे क्रियाकलाप में शामिल है या कर रहा है

15. निरोध प्राधिकारी की ओर से यह दलील दी गई है कि कम से कम इन परिस्थितियों में विधिसम्मत रूप से यह सन्देह पैदा हो सकता है कि पिटीशनर विगत समय में ऐसे क्रियाकलाप में लगा हुआ था और ऐसा सन्देह और साथ ही जून, 1982 के मास में काफी बड़े परिमाण में सीमेण्ट हटाए जाने में पिटीशनर का वास्तविक रूप से शामिल होना उसके द्वारा भविष्य में भी ऐसे क्रियाकलाप में लगे रहने की अधिसंभाव्यता के बारे में पूर्वानुमान किए जाने के लिए पर्याप्त होगा। हम इस दलील में कोई भी सुसंगति पाने में असमर्थ हैं। ऊपर उद्धृत किए गए निरोध के आधारों के पैरा 14 के प्रति निर्देश से यह दर्शित होता है कि निरोध प्राधिकारी ने पिटीशनर के विगत समय में ऐसे क्रियाकलाप में शामिल होने के बारे में किसी सन्देह के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की है। निरोध प्राधिकारी ने पिटीशनर के विगत काफी समय से ऐसे क्रियाकलाप में शामिल होने के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकाला है। अतः निरोध प्राधिकारी द्वारा यह दर्शित किया जाना अपेक्षित है कि उसके पास ऐसी सामग्री थी जिसके आधार पर वह युक्तिसंगत रूप से यह निश्चित निष्कर्ष निकाल सकता है कि पिटीशनर विगत समय में ऐसे क्रियाकलाप कर रहा था। अब यह दलील दिए जाने के लिए उस स्थिति में कुछ गुंजाइश हो सकती है यदि निष्कर्ष किसी भिन्न भाषा में लेखबद्ध किया गया होता उदाहरणार्थ, "यह सन्देह किया जाता है कि तुम विगत समय में ऐसे ही कामों में शामिल रहे हो" या "इस बात का अनुमान लगाए जाने के लिए कारण है कि तुम विगत काफी समय से ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हो।"

16. हम यहां इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि 1982 के विशेष दाण्डिक आवेदन सं० 340 में, जो 29/30 जुलाई, 1982 को विनिश्चित किया गया, इस न्यायालय के एक खण्ड न्यायपीठ के समक्ष लगभग समान परिस्थितियों में ऐसे ही प्रश्न पर विचार किया गया था और यह कि उस मामले में न्यायालय द्वारा समान दृष्टिकोण अपनाया गया है। उस मामले में पिटीशनर के संबंध में यह अभिकथन किया गया था कि उसने व्यक्तिगत अभिलाभ के लिए आयातित निराकृत ताड़ के तेल के अनधिकृत व्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस बाबत पिटीशनर और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच षड्यंत्र कांधला से मुम्बई के लिए 10 टेंकरों में आयातित निराकृत ताड़ के तेल के बहुत बड़े परिमाण के छुपे तौर पर वास्तविक हटाए जाने के केवल कुछ दिन पूर्व रचा गया था। तथापि, निरोध के आधारों के सारवान् भाग में इस बात

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का उल्लेख किया गया है कि पिटीशनर "विगत काफी समय से" ऐसे क्रियाकलाप कर रहा है और इस बात की पूरी-पूरी संभावना है कि वह तब तक ऐसे समाज विरोधी और आपत्तिजनक क्रियाकलाप करता रहेगा जब तक उसे निरुद्ध नहीं किया जाता। ऐसे क्रियाकलाप में "विगत काफी समय से" पिटीशनर के शामिल होने के बारे में निष्कर्ष के संबंध में यह कथन किया गया है कि वह निरोध के आधारों के पूर्वतर भाग में उपवर्णित तथ्यों पर आधारित है। प्रस्तुत मामले के समान उस मामले में भी आधारों के पूर्ववर्ती भाग में उपवर्णित किसी भी तथ्य और विशिष्टि से यह उपदर्शित नहीं होता कि पिटीशनर "विगत काफी समय से" ऐसे निन्द्य क्रियाकलाप में शामिल था। इसके अलावा अभिलेख में अन्य ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जिससे युक्तिसंगत रूप से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सके। इन परिस्थितियों में खण्ड न्यायपीठ ने समान दृष्टिकोण अपनाया और उस मामले में निरोध आदेश को विवेकबुद्धि का प्रयोग न किए जाने, अनुचित होने और सामग्री के अभाव के आधार पर अभिखण्डित और अपास्त कर दिया। विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने यह मानते हुए कि उक्त कमी, यदि कोई है, निरोध आदेश के लिए घातक नहीं है, स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि 1982 के विशेष-दाण्डिक आवेदन सं० 340 में विनिश्चय प्रस्तुत मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है और उक्त विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत मामले में अन्य कोई भी निष्कर्ष निकाला नाना संभव नहीं है।

17. अतः हमारे सुविचारित मतानुसार इस निष्कर्ष से कोई अन्य निष्कर्ष निकाले जाने की गुंजाइश नहीं है कि निरोध प्राधिकारी के समक्ष वास्तव में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जिसके आधार पर वह ऐसा निष्कर्ष निकाल सके या कम से कम विगत समय में या विगत काफी समय से ऐसे निन्द्य क्रियाकलाप में पिटीशनर के शामिल होने के बारे में युक्तिसंगत रूप से कोई निष्कर्ष निकाल सके। परिणामतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि पिटीशनर को निरुद्ध किए जाने की आवश्यकता के बारे में निरोध प्राधिकारी द्वारा किया गया व्यक्तिपरक समाधान, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ विगत समय में पिटीशनर द्वारा ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने की परिस्थितियों पर आधारित है, दूषित है। परिणामतः यह भी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तिपरक समाधान के आधार पर पिटीशनर के विरुद्ध निरोध की शक्ति का प्रयोग अवैध और अधिकारातीत है और इसलिए निरोध-आदेश को अभिखण्डित और अपास्त किया जाना चाहिए।

18. अतः परिणामस्वरूप रिट पिटीशन सफल होता है और मंजूर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया जाता है। निरोध का आक्षेपित आदेश अभिखंडित और अपास्त किया जाता है। जहां तक प्रस्तुत मामले का संबंध है, पिटीशनर को तुरन्त छोड़ जाने का आदेश किया जाता है। उपर्युक्त निबन्धनानुसार न्यायादेश आत्यंतिक बनाया जाता है।

रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

प्रमोद/श०

नि० प० 1983 : गुजरात—102

दलपतभाई भीखाभाई पटेल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, सूरत और अन्य

(Dalpatbhai Bhikhabhai Patel *Vs.* The District Magistrate, Surat and others)

तारीख 14/15 अक्तूबर, 1982

[न्या० पी० डी० देसाई और वी० वी० वेदरकर]

चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980—धारा 3(2) सपठित संविधान अनुच्छेद 226—किसी लोकसेवक को निरुद्ध करने की शक्ति का प्रयोग—लोक सेवक को निलम्बित कर दिए जाने से उसे निरुद्ध किए जाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है—निलम्बन के पश्चात् उसे निरुद्ध करने वाला आदेश अवैध होगा।

2. चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980—धारा 3(2)—लोक सेवक को निवारक रूप से निरुद्ध किया जाना—निरोध प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह निरुद्ध करने की आवश्यकता के बारे में निलम्बन के आदेश के प्रभाव की बाबत विवेकबुद्धि का प्रयोग करे—निरुद्ध करने की शक्ति का स्वरूप निवारक है न कि दण्डात्मक—लोक सेवक के विगत क्रियाकलाप के आधार पर उसे निरुद्ध करना न्यायसंगत नहीं है—यदि निरोध प्राधिकारी निरुद्ध करने के बारे में विधिसम्मत रूप से आतमपरक समाधान पर नहीं पहुंचता है और दाण्डिक कार्यवाही शुरू किए जाने की सम्भावना पर विचार किए बिना निरोध आदेश पारित करता है तो ऐसा आदेश विधिसम्मत नहीं होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रथम प्रत्यर्थी ने चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2)के अधीन पिटीशनर को निरुद्ध किया जिससे कि उसे आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित किया जा सके। पिटीशनर ने अपने निरोध को चुनौती देते हुए द्वितीय प्रत्यर्थी (गुजरात राज्य) को दो अभ्यावेदन किए जो दोनों ही नामंजूर कर दिए गए। पिटीशनर राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में झुज शीर्ष तन्त्र, खण्ड सं० 1 वांसदा में सहायक अभियंता है और उसका सहनिरुद्ध भी वहीं सहायक अभियंता है। पिटीशनर के विरुद्ध यह पक्षकथन है कि उसने और उसके सहयोगी ने दुरभिसन्धि करके सिंचाई परियोजना में प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित सीमेंट एक व्यक्ति के माध्यम से वैयक्तिक अभिलाभ के लिए हटाया है और इस प्रकार हटाए गए सीमेंट का एक ठेकेदार द्वारा अपने निर्माण कार्य में उपयोग किया जाना था। कुल मिलाकर 600 बोरी सीमेंट के हटाए जाने का अभिकथन किया गया है जिसमें से 200 बोरी सीमेंट परिदत्त कर दिया गया था और 400 बोरी सीमेंट, जिसे कूटरचित गेट पास जारी करके गोदामों से दो ट्रकों में ले जाया जा रहा था, मार्ग में बालोद के मामलातदार द्वारा अभिगृहीत कर लिया गया था। इन तथ्यों के आधार पर पिटीशनर को उक्त आदेशों के अधीन निरुद्ध किया गया था।

पिटीशन ज्ञापन में आधारों को निम्नलिखित रूप में चुनौती दी गई है। यह कि पिटीशनर को निलम्बित कर दिया गया है और अब वह अपने पद का दुरुपयोग करने की स्थिति में नहीं है। निरोध प्राधिकारी का आत्मपरक समाधान विधि के अनुसार नहीं हुआ है और निरोध प्राधिकारी ने दाण्डिक अभियोजन शुरू करने की सम्भाव्यता पर विचार नहीं किया है

अभिनिर्धारित—रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि पिटीशनर को 19 जुलाई, 1982 से और को निलंबित किया गया था अर्थात् निरोध आदेश पारित किए जाने से लगभग एक मास और तीन सप्ताह पूर्व। अन्तरिम निलंबन के आदेश का प्रभाव किसी भी लोकसेवक को अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने से निवारित करना होता है भले ही उसकी लोक सेवक की प्रास्थिति बनी रहती है। ऐसा निलंबन उसे अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में कोई कार्य करने से निवारित करता है। ऐसे निलंबन का प्रयोजन, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना होता है कि विभागीय जांच अथवा दाण्डिक अभियोजन अथवा दोनों, जो संस्थित की गई हो अथवा जो अनुध्यात रहा हो,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ऐसा लोकसेवक अपने प्राधिकार का उसी रूप में दुरुपयोग करने की स्थिति में नहीं रहता जिसमें वह विगत समय में रहा हो । अतः पिटीशनर के विरुद्ध पारित निलंबन आदेश से वह प्रयोजन पूरा हो गया था और उसका वही प्रभाव था जो उसके निरोध द्वारा प्राप्त करना चाहा गया है । उसके द्वारा पिटीशनर को हानि के मार्ग से अलग कर दिया गया था और भविष्य में उसे उसके ऐसे आपत्तिजनक क्रियाकलाप में लगे रहने से निवारित किया गया था जो आवश्यक वस्तु के प्रदाय के बनाए रखने के लिए अपायकर हैं । (पैरा 15)

इस बाबत कोई संदेह नहीं रह जाता है कि प्रस्तुत मामले में निरोध प्राधिकारी ने दाण्डिक अभियोजन शुरू करने की संभावना पर विचार नहीं किया था जो निरोध आदेश को अविधिमान्य बनाती है। पिटीशनर को निलम्बित कर दिए जाने के कारण उसे हानि के मार्ग से अलग कर दिया गया है । वह अब आपत्तिजनक क्रियाकलाप करने की स्थिति में नहीं है । इन परिस्थितियों के अधीन मामूली दाण्डिक अभियोजन से प्रयोजन भलीभांति पूरा हो जाएगा जो कि निरोध द्वारा प्राप्त करना चाहा गया है । इस संबंध में इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि निरुद्ध करने की शक्ति का स्वरूप निवारक है न कि दण्डात्मक । पिटीशनर को प्रश्नगत दो अवसरों पर सीमेंट की चोर बाजारी करने के कार्य में लगे रहने के लिए दण्डित करने की दृष्टि से नहीं निरुद्ध किया जा सकता । उसे भविष्य में ऐसे क्रियाकलाप में लगने से निवारित करने की दृष्टि से ही निरुद्ध किया जा सकता है । प्रस्तुत मामले की भांति के मामले में जहां व्यक्ति को उसके महत्वपूर्ण पद से हटा कर ऐसे क्रियाकलाप करने से असमर्थ बना दिया जाता है, वहां वह प्रयोजन, जो निरोध द्वारा प्राप्त करना चाहा जाता है, मामूली तौर पर दाण्डिक अभियोजन उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा क्योंकि यह उसे भविष्य में, यदि कोई छुट-पुट अवसर आए, उस रूप में कार्य करने से रोकेगा । (पैरा 20)

यह बात सुस्पष्ट है कि निरोध प्राधिकारी ने इस महत्वपूर्ण पहलू पर विवेक-बुद्धि का कतई प्रयोग नहीं किया था जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निरुद्ध करने की शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति के बारे में पिटीशनर के निलम्बन के प्रभाव से सम्बन्धित है । यह बहुत ही उपयुक्त पहलू है और ऐसे पहलू पर विवेकबुद्धि का प्रयोग न किए जाने से विधिसम्मत रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निरोध की शक्ति दूषित हो गई है क्योंकि आत्मपरक समाधान, जिसके बारे में विधि यह व्यादिष्ट करती है, कि निरोध प्राधिकारी को उस पर पहुंचना चाहिए, वह विधिसम्मत रूप से नहीं पहुंचा है । (पैरा 17)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

		पैरा
[1982]	[1982] 3 उम० नि० प० 401 = ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 8 : श्रीमती हेमलता कांतीलाल **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (Smt. Hemlata Kantilal *Vs.* The State of Maharashtra);	19
[1979]	ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1945 : कंचन लाल मानकलाल चौकसी **बनाम** गुजरात राज्य (Kanchanlal Maneklal Chokshi *Vs.* The State of Gujarat);	19
[1974]	[1974] 1 उम० नि० प० 2001 = ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 806 : भूतनाथ **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य (Bhut Nath *Vs.* State of West Bengal) का **अवलम्ब** लिया गया।	19

विशेष दाण्डिक अधिकारिता : 1982 का विशेष दाण्डिक आवेदन सं० 1398.

जिला मजिस्ट्रेट, सूरत के आदेश के विरुद्ध किया गया विशेष दाण्डिक आवेदन।

पिटीशनर की ओर से ... श्री एच० एल० पटेल

प्रत्यर्थियों की ओर से ... सर्वश्री आर० एम० विन और सी० के० टकवानी

न्या० पी० डी० देसाई :

प्रथम प्रत्यर्थी (जिला मजिस्ट्रेट, सूरत) ने चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर पिटीशनर को निरुद्ध किया है कि समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने के लिए उसका निरुद्ध किया जाना आवश्यक है। निरोध आदेश, उपाबंध बी, तारीख 10-9-1982 का है। उक्त आदेश के अनुसरण में पिटीशनर को उसी दिन निरुद्ध किया गया था। निरोध आदेश, उपाबंध बी, तारीख 10-9-1982 की तामील पिटीशनर पर उसके निरुद्ध किए जाने के तुरन्त पश्चात् की गई थी। पिटीशनर ने द्वितीय प्रत्यर्थी (गुजरात राज्य) को दो अभ्यावेदन किए। उक्त प्रत्यर्थी ने प्रथम अभ्यावेदन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

22 सितम्बर, 1982 को और दूसरा उससे अगले दिन अर्थात् 23 सितम्बर, 1982 को प्राप्त किया। राज्य सरकार ने 29 सितम्बर, 1982 को दोनों अभ्यावेदन नामंजूर कर दिए और 30 सितम्बर, 1982 को पिटीशनर को उनकी नामंजूरी की संसूचना दे दी। इस बीच 20 सितम्बर, 1982 को द्वितीय प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन निरुद्ध किए जाने के आदेश का अनुमोदन कर दिया और 23 सितम्बर, 1982 को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार को इसकी रिपोर्ट की।

2. प्रस्तुत पिटीशन 24 सितम्बर, 1982 को संस्थित किया गया था। इसे प्रारम्भिक सुनवाई के लिए 27 सितम्बर, 1982 को लगाया गया था। उसी दिन पिटीशन पर न्यायादेश जारी किया गया और इसका 11 अक्तूबर, 1982 को प्रत्युत्तर दिया जाना था। पिटीशन की कल सुनवाई हुई और आज इसकी सुनवाई समाप्त हुई है अतः इसे इस निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. पिटीशनर राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के पद का पदधारण करने वाला एक सरकारी सेवक है। तात्त्विक समय पर वह वांसदा स्थित झुझ शीर्ष तंत्र, खण्ड सं० 1, जिला बुलसार में सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य कर रहा था। रमणलाल रामजीभाई परमार भी, जिसे निरुद्ध किया गया है, और जिसके निरोध को इससे संबंधित मामले में (1982 का विशेष दाण्डिक आवेदन सं० 1399) में चुनौती दी गई है, पिटीशनर के साथ ही सहायक अभियन्ता के रूप में झुझ शीर्ष तंत्र, खण्ड सं० 1, वांसदा में कार्य कर रहा था। प्रश्नगत सिंचाई परियोजना के लिए बड़ी संख्या में सीमेंट मंगाया जाता था और पिटीशनर तथा सह-निरुद्ध व्यक्ति परमार ऐसे सीमेंट के संवितरण और/या उपयोग से निकट रूप से संबंधित थे। इस अभिकथन पर कि पिटीशनर और सह-निरुद्ध व्यक्ति परमार आपस में दुरभिसंधि करके सिंचाई परियोजना के लिए प्राप्त सीमेंट को बारदोली के यूसुफभाई महमूद हाफिजी के माध्यम से (जिसे निरुद्ध किया गया है और जिसके निरोध को इससे संबंधित मामले अर्थात् 1982 के विशेष दाण्डिक आवेदन सं० 1438 में चुनौती दी गई है) चोर बाजारी में बेच रहे थे और ओमप्रकाश गुलाबचन्द वर्मा उर्फ होमजीभाई ठेकेदार नाम के भवन ठेकेदार को (जिसे निरुद्ध किया गया है और जिसके निरोध को इससे संबंधित मामले अर्थात् 1982 के विशेष दाण्डिक आवेदन सं० 1417 में चुनौती दी गई है) सीमेंट का प्रदाय कर रहे थे। पिटीशनर को आक्षेपित आदेश के अधीन निरुद्ध किया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

4. निरोध के आधार, उपाबंध 'बी', गुजराती भाषा में हैं और वे 24 पृष्ठों में हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी दस्तावेजों का, जिन्हें तीन अलग जिल्दों में संकलित किया गया है, निरोध आदेश के समर्थन में अवलम्ब लिया गया है। आधारों में और साथ ही उसके साथ की दस्तावेजों में समस्त सामग्री है। वह दो अलग दिनों पर 600 बोरी सीमेंट के चोरी से हटाए जाने में पिटीशनर के शामिल होने से संबंधित है। हम आधारों में पिटीशनरों के विरुद्ध अभिकथनों के सार संक्षेप में उल्लेख करेंगे।

5. पिटीशनर बारदोली नगर के निकट स्थित बागुमरा गांव का रहने वाला है। 1979 में किसी समय उसका सह-निरुद्ध यूसुफभाई महमूद हाफिजी से, जो बारदोली नगर का निवासी है और वहां कबाड़ी और रद्दी (प्रयुक्त) तेल का कारबार करता था, से परिचय हुआ। 1982 के जून मास में किसी समय (मास के या तो द्वितीय अथवा तृतीय सप्ताह में) यूसुफभाई पिटीशनर से वांसदा स्थित उसके निवास स्थान पर मिला और उससे यह प्रार्थना की कि वह सरकारी स्टाक से सीमेंट का प्रदाय किए जाने की व्यवस्था करे। पिटीशनर व्यवस्था करने से पर सहमत हो गया और यह बात तय हुई कि वह सीमेंट की प्रति बोरी पर प्रतिफल के तौर पर 43 रुपये लेगा। इस प्रक्रम पर इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि होमजीभाई ठेकेदार (सह-निरुद्ध) यूसुफभाई से इसके पूर्व मिला था और उससे सीमेंट का प्रबन्ध करने की प्रार्थना की थी क्योंकि उसे अपने निर्माण कार्य के लिए उसकी आवश्यकता थी। पूर्वोक्त करार के अनुसरण में पिटीशनर ने यूसुफभाई को 28-6-1982 और 29-6-1982 को सीमेंट ले जाने की व्यवस्था करने की हिदायत दी।

6. पिटीशनर से यथापूर्वोक्त हिदायत प्राप्त हो जाने पर 28 जून, 1982 को यूसुफभाई ईश्वरलाल सोमभाई पटेल से मिला जो रमणभाई सोमभाई पटेल का भाई है, जो बारदोली में परिवहन ठेकेदार का कारबार करता है, और उससे यह प्रार्थना की कि वह सीमेंट ले जाने के लिए उसे एक मोटर ट्रक दे दे। 28 जून, 1982 को लगभग 9 बजे पूर्वाह्न यूसुफभाई, रतिलाल सोमभाई पटेल के घर गया जो रमणभाई सोमभाई पटेल, परिवहन ठेकेदार के ट्रक का ड्राइवर था जिसके लिए सम्भवतः ईश्वरभाई ने कहा था। ट्रक ड्राइवर रतिलाल और यूसुफभाई ट्रक सं० जी० टी० टी० 5059 में बारदोली से वांसदा के लिए अग्रसर हुए। वांसदा पहुंचने के पश्चात् वे पिटीशनर के कार्यालय में गए और उससे मिले। पिटीशनर ने गेट पास में कतिपय विशिष्टियां भरीं और नरेश कुमार हमीर सिंह परमार नामक व्यक्ति को, जो उसके कार्यालय में लिपिक के रूप में कार्य करता था, यह हिदायत दी कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वह उसे यूसुफभाई को दे दे और धरमपुर के गोदाम से 200 बोरी सीमेंट दिए जाने की व्यवस्था करने के लिए उसके साथ ट्रक में जाए। धरमपुर में 200 बोरी सीमेंट ट्रक में लादा गया और गेट पास सं० 408 झुझ परियोजना, उप-खण्ड सं० 1, वांसदा के उप अधिशासी अभियन्ता के नाम में जारी किया गया। गेट पास पर यूसुफभाई ने हस्ताक्षर किए थे और नरेश कुमार ने इसे लिया था। उसके पश्चात् यूसुफभाई और नरेश कुमार सहित वह ट्रक धरमपुर से लगभग 7-30 बजे अपराह्न चला। वांसदा में नरेश कुमार उतर गया और वह ट्रक यूसुफभाई सहित बारदोली की तरफ चला गया। नरेश कुमार ने वह गेट पास सहायक अभियन्ता परमार (सहनिरुद्ध) को वांसदा के कार्यालय में सौंप दिया और परमार ने अन्ततोगत्वा इसे अन्वेषण प्राधिकारी के समक्ष तब पेश किया जब उसका कथन अभिलिखित किया गया। इस बीच यूसुफभाई ने, जो सीमेंट सहित ट्रक में जा रहा था, ट्रक ड्राइवर रतिलाल को यह सूचित किया कि वह सीमेंट बारदोली में नहीं उतारा जाना है बल्कि कामरेज के निकट चौराहे पर ले जाया जाना है और गन्तव्य स्थान में तब्दीली के लिए वह उसे अतिरिक्त रकम देने के लिए सहमत हो गया। कामरेज चौराहे पर जाते समय वह ट्रक लगभग 11 बजे अपराह्न बारदोली पहुंचा। इस आशंका से कि सुसंगत समय पर मजदूरों की कमी के कारण सीमेंट को उतारना सम्भव नहीं होगा अतः वह यात्रा बारदोली में ही भंग कर दी गई। दूसरे दिन अर्थात् 29 जून, 1982 को यूसुफभाई उस स्थान पर गया जहां ट्रक खड़ा किया गया था। मजदूरों की तलाश की गई किन्तु कोई मजदूर उपलभ्य नहीं हुआ और ट्रक को कामरेज चौराहे के निकट के स्थान पर ले जाया गया जहां सीमेंट उतारा जाना था। यूसुफभाई ट्रक में गया और कामरेज चौराहे से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी से स्थान दिखा दिया और वहां सीमेंट उतारा गया। जिस स्थान पर सीमेंट उतारा गया उसे लसकाना ग्राम के निकट डायमण्ड नगर के नाम से जाना जाता है जहां होमजीभाई ठेकेदार (सह-निरुद्ध) द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। सीमेंट उतारने के पश्चात् ट्रक यूसुफभाई सहित बारदोली वापस आ गया। अन्वेषण के दौरान डायमण्ड नगर स्थित स्थल पर उतारे गए 200 बोरी सीमेंट में से 15 बोरियां सीमेंट एक पंचनामे के अधीन बरामद की गई और उन्हें अभिगृहीत किया गया। शेष सीमेंट की बोरियों के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उनका डायमण्ड नगर स्थित निर्माण कार्य में उपयोग कर लिया गया था।

7. 29 जून, 1982 को लगभग 1-30 बजे अपराह्न यूसुफभाई पुनः ईश्वरलाल सोमभाई पटेल से मिला और उससे यह प्रार्थना की कि वह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वांसदा से सीमेन्ट का एक नया फेरा लाने के लिए दो ट्रक उसके अधिकार में दे दे। इस पर ट्रक सं० जी० टी० सी० 4570 और ट्रक सं० जी० टी० टी० 5059 (जो पहले दिन प्रयुक्त किया गया था) यूसुफभाई के अधिकार में दे दिये गये। ट्रक सं० जी० टी० सी० 4570 का ड्राइवर दौलत भाई खेम भाई राठौड़ था जबकि ट्रक सं० जी० टी० टी० 5059 का ड्राइवर रतिलाल सोमभाई पटेल था। दोनों ट्रक ड्राइवरों को यह हिदायत दी गई कि वे वांसदा जाएं और झुज परियोजना कार्यालय से दिए गए सीमेन्ट को बारदोली सरदार सीमेन्ट पाईप फैक्टरी के रूप में ज्ञात पाईप फैक्टरी ले जाएं। उस पर दोनों ट्रक ड्राइवर ईश्वर लाल द्वारा दी गई चिट अपने साथ में लेकर बारदोली से चले गए। यूसुफभाई इस अवसर पर उनके साथ नहीं गया। वांसदा में ट्रक ड्राइवर रतिलाल नरेश कुमार लिपिक से मिला। उसके पश्चात् नरेश कुमार ने सहायक अभियन्ता परमार (सह-निरुद्ध) से सम्पर्क किया क्योंकि पिटीशनर अपने कार्यालय में मौजूद नहीं था और उसे यह सूचना दी कि सीमेन्ट लेने के लिए बारदोली से ट्रक आ गया है। इस पर सहायक अभियन्ता परमार ने उसे निरंक गेट पास सं० 5 दिया और यह हिदायत दी कि वह उसमें पिटीशनर से विशिष्टियां भरवा ले। इसके पश्चात् नरेश कुमार पिटीशनर के घर गया और निरंक गेट पास को भरवाया और तत्पश्चात् कार्यालय में लौट आया। यह देखने पर कि वह केवल एक ही गेट पास लाया है। ट्रक ड्राइवर रति लाल ने उससे यह कहा कि दो गेट पासों की जरूरत होगी क्योंकि सीमेंट दो ट्रकों में ले जाया जाना है। इस पर नरेश कुमार ने पुनः सहायक अभियन्ता परमार (सह-निरुद्ध) से सम्पर्क किया जिसने उसे एक अन्य निरंक गेट पास सं० 8 दे दिया और यह हिदायत दी कि वह उसमें गेट पास सं० 5 के अनुसार, जो पिटीशनर ने उसे इसके पूर्व दिया था, आवश्यक विशिष्टयां भर ले। तत्पश्चात् नरेश कुमार ने गेट पास सं० 8 में गेट पास सं० 5 के अनुसार आवश्यक विशिष्टियां लिख लीं। यह दोनों गेट पास अमर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम में बनाए गए थे, जो झुज परियोजना के अनुमोदित ठेकेदार थे। पिटीशनर की हिदायत के अनुसार नरेश कुमार ट्रकों के साथ धरमपुर गया। धरमपुर गोदाम में कार्य करने वाले एक लिपिक पटेल ने दो गेट पास तैयार किए। उनके द्वारा दो ट्रकों में 400 बोरी सीमेन्ट ले जाया जाना प्राधिकृत किया गया। उन गेट पासों के नम्बर 487 और 488 थे और उन पर नरेश कुमार ने हस्ताक्षर किए थे। दो गेट पास झुज शीर्षतन्त्र, खण्ड सं० 1, वांसदा के उप अधिशासी अभियन्ता के नाम में बनाए गए थे। इसके पश्चात् नरेश कुमार ट्रकों सहित वनकल नाम के गोदाम पर गया जो धरमपुर से चार किलोमीटर की दूरी पर है। गोदाम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर 200 बोरी सीमेन्ट हर एक ट्रक में लादा गया। गेट पास सं० 5 और 8 जिन्हें वांसदा में तैयार किया गया था, दोनों ट्रक ड्राइवरों को दे दिए गए जबकि गेट पास सं० 487 और 488, जो धरमपुर में तैयार किए गए थे, नरेश कुमार द्वारा रख लिए गए। उसके पश्चात् ट्रकों ने वापस लौटना शुरू किया और रास्ते में नरेश कुमार वांसदा में उतर गया और वहां पर उसने सहायक अभियन्ता परमार (सहनिरुद्ध) को गेट पास सं० 487 और 488 सौंप दिया। उसके पश्चात् वह ट्रक बारदोली की ओर अग्रसर हुए। रास्ते में ट्रक गांव बाजीपुरा के बस स्टैण्ड के निकट रुके। यह रात्रि का समय था और वालोद पुलिस थाने के एक पुलिस कांस्टेबल ने, जो रात की गश्ती ड्यूटी पर था, ट्रक ड्राइवरों से इस बारे में पूछताछ की कि वे ट्रक में क्यों माल ले जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों ने पुलिस कांस्टेबल को यह जानकारी दी कि वह सीमेन्ट ले जा रहे हैं जो धरमपुर में ट्रकों पर लादा गया था। जब पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें बिल आदि पेश करने के लिए कहा तो ट्रक ड्राइवरों ने गेट पास सं० 5 और 8 पेश कर दिए जो उनके पास थे। चूंकि पुलिस कांस्टेवल ने गेटपासों पर संदेह किया इसलिए उसने वालोद के पुलिस उपनिरीक्षक को रिपोर्ट की। वालोद के पुलिस उप-निरीक्षक ने वालोद के मामलतदार को इत्तिला दी। मामलतदार उस स्थान पर पहुंचा जहां ट्रक खड़े हुए थे और गेट पासों की परीक्षा करने पर उसे भी संदेह हो गया। इसके पश्चात् उसने उसी रात एक पंचनामे के अधीन दोनों ट्रक अभिगृहीत कर लिए। यह उल्लेख कर दें कि इन दोनों ट्रकों में लादा गया सीमेन्ट भी ओमजी भाई ठेकेदार (सहनिरुद्ध) को प्रदाय किया जाना था। किन्तु केवल पहली बार 200 बोरियां ही परिदत्त की गईं और दूसरी बार का 400 बोरी सीमेन्ट परिदत्त नहीं किया जा सका क्योंकि यह यथापूर्वोक्त रूप में अभिगृहीत कर लिया गया था।

8. इस बीच यूसुफ भाई 25 जून, 1982 को ओमजी भाई ठेकेदार से मिला और सीमेन्ट के प्रदाय किए जाने से संबंधित संव्यवहार के ब्यौरे तय किए। उनके बीच हुए करार के अनुसार वह सीमेन्ट लसकाना गांव के निकट डायमण्ड नगर में ले जाया जाना था। यूसुफ भाई ने परिवहन व्यय उठाने थे और उसने ओमजी भाई ठेकेदार से सीमेण्ट की प्रति बोरी पर 52 रुपये वसूल करने थे। तद्नुसार ओमजी भाई ने उसी दिन यूसुफ भाई को 31,200 रुपये की रकम भेजने का इन्तजाम कर दिया। 29 जून, 1982 को यूसुफ भाई ने पिटीशनर को 600 बोरी सीमेण्ट की कीमत के तौर पर इसके पूर्व हुए करार के अनुसार 43 रु० प्रति बोरी की दर से 25,800 रु० की राशि पिटीशनर को दी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

9. इन सभी तात्विक तथ्यों का पता अन्वेषण के दौरान चला जो वालोद के मामलतदार द्वारा 29 जून, 1982 को दो ट्रकों का अभिग्रहण करने के पश्चात् किया जा रहा था। अन्वेषण के दौरान बहुत से व्यक्तियों के कथन, जिनमें पिटीशनर और सहनिरुद्ध सम्मिलित हैं, अभिलिखित किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य, जिसमें सीमेन्ट हटाए जाने के लिए प्रयुक्त किए गए गेट पास सम्मिलित हैं, भी अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया गया। अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि सरदार सीमेन्ट पाईप फैक्टरी ने वांसदा स्थित झुज शीर्षतन्त्र, उपखण्ड सं० 1 से किसी सामग्री के प्रदाय किए जाने के लिए कोई संविदा नहीं की थी और इसलिए ट्रक ड्राइवरों को, जिन्होंने 29 जून, 1982 को 400 बोरी सीमेन्ट ले गए थे, दी गई हिदायत मिथ्या और भ्रामक हैं। इसके अतिरिक्त यह पता चला कि 29 जून, 1982 को दो ट्रकों में जो 400 बोरी सीमेन्ट अमर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम में तैयार किए गए गेट पास सं० 5 और 8 के अधीन ले जाया गया था वह वास्तव में उक्त कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने नहीं मंगवाया था और यह कि उक्त कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम का प्रयोग इस दृष्टिकोण से किया गया था जिससे कि इस संव्यवहार को वैधता अथवा नियमितता का जामा पहना जा सके। इसके अतिरिक्त अन्वेषण से यह पता चला कि दो परेषणों के अधीन हटाए गए 600 बोरी सीमेन्ट की वांसदा के कार्यालय में रखे गए रजिस्टर में, उक्त कार्यालय में उनके प्राप्त होने के प्रतीक स्वरूप प्रविष्टि नहीं की गई थी। पिटीशनर और सहनिरुद्ध सहायक अभियन्ता परमार की कार्यप्रणाली के ब्यौरों का पता चलने के पश्चात् यह बात प्रकट हुई कि उन दोनों ने संयुक्त रूप से यह योजना बनाई थी कि : (1) कूटरचित गेट पास जारी करके गोदामों से सीमेन्ट के हटाए जाने की व्यवस्था की जाए, (2) इस प्रकार हटाए गए सीमेन्ट के स्टाक को उनके कार्यालय में रखे गए स्टाक रजिस्टर में जमा किया जाए, (3) ठेकेदार के नाम में समान मात्रा की सीमेन्ट का नाम लिखा जाए (विकलित किया जाए) और (4) तद्नुसार स्टाक का समायोजन करने के पश्चात् उप-अभियन्ता को रिपोर्ट की जाए। यथापूर्वोक्त किए गए अन्वेणण के दौरान जो तथ्य जानकारी में आए उनके अनुसरण में पिटीशनर और सह-निरुद्ध को पृथक् निरोध आदेशों के अधीन निरुद्ध किया गया था।

10. निरोध आधारों से जो तात्विक तथ्य सामने आते हैं, जिन्हें इसमें इसके ऊपर वर्णित किया गया है, उनसे यह पता चलता है कि पिटीशनर के विरुद्ध यह पक्षकथन किया गया है कि उसने और उसके सहयोगी, सहायक अभियन्ता परमार ने दुरभिसंधि करके सिंचाई परियोजना में प्रयुक्त किए जाने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लिए आशयित सीमेन्ट को यूसुफ भाई के माध्यम से वैयक्तिक अभिलाभ के लिए हटाया गया है और यह कि इस प्रकार हटाए गए सीमेन्ट का ओमजी भाई ठेकेदार द्वारा उस निर्माण कार्य में उपयोग किया जाना था जो वह डायमण्ड नगर में कर रहा है।

11. इस प्रक्रम पर निरोध आधारों के तात्विक प्रभागों को उद्धृत करना सुविधाजनक होगा क्योंकि पिटीशन का अंतिम विनिश्चय उन प्रकथनों पर आधारित है जो उन प्रभागों में दिए गए हैं। निरोध आधारों के पैरा 3, 4, 13, 14 और 15 को गुजराती भाषा से सम्यकतः अनूदित रूप में नीचे उद्धृत किया जा रहा है :—

"(3) आप सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर हैं। सिंचाई विभाग में शासकीय सिंचाई परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में सीमेंट नियमित रूप से प्राप्त किया जा रहा है। इस रीति से आप सीमेंट के संव्यवहार से सदैव निकट रूप से सम्बद्ध हैं और आपको सीमेन्ट के बारे में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं करने का सदा ही अवसर मिलता रहता है।"

"(4) जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है वांसदा स्थित झुज परियोजना में बांध का निर्माण करने के लिए जहां आप इस समय सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं बड़ी मात्रा में सीमेन्ट प्राप्त किया जा रहा है। बांध के निर्माण के लिए इस प्रकार प्राप्त सीमेन्ट में से आप, श्री आर० आर० परमार के साथ दुरभिसंधिपूर्वक, जो आपके साथ परियोजना के सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य कर रहा है, वारदोली के यूसुफ भाई महमूद हाफिजी के माध्यम से सूरत के ओमजी भाई को चोरबाजारी से बार-बार सीमेन्ट बेच रहे हैं। यह बात नीचे उपवर्णित किए गए तथ्यों से साबित हो जाती है।"

+ + +

"(13) ऊपर उपवर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि आप और आपके कार्यालय के सहायक अभियन्ता श्री आर० आर० परमार और वारदोली के यूसुफ हाफिजी बिचौलिया और सूरत के श्री ओमजी भाई भवन ठेकेदार एक दूसरे के साथ दुरभिसंधि करके अवैध रूप से सीमेन्ट बेच रहे हैं। 29 जून, 1982 को आपने 200 बोरी सीमेन्ट चोर-बाजारी में बेचा और झुज परियोजना का 400 बोरी सीमेन्ट वालोद के मामलतदार द्वारा तब

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिगृहीत किया गया जब उसे अवैध रीति में गेट पास तैयार करके चोर-बाजारी में बेचे जाने के लिए भेजा जा रहा था।"

"(14) ऊपर उपवर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपने एक दूसरे से दुरभिसंधि करके अवैध रूप से सीमेन्ट बेचा है। उस सीमेन्ट का उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए वह आशयित था और सरकार द्वारा नियत की गई कीमत से अधिक कीमत वसूल की गई है। तद्नुसार कार्य करके आपने गुजरात एसेंशियल आर्टीकल्स (लाइसेंसिंग कन्ट्रोल एण्ड स्टाक डिक्लेरेशन) आर्डर, 1981 के खण्ड 3, 20 और 22 का और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 का भी भंग किया है और उसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है।"

"(15) ऊपर उपवर्णित समस्त तथ्यों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि श्री आर० आर० परमार सहायक अभियन्ता के साथ दुरभिसंधि करके आपने श्री यूसुफ भाई हाफिजी के माध्यम से सूरत के श्री ओमजी भाई भवन ठेकेदार को सीमेन्ट बेचा है। इस रीति से आपस में दुरभिसंधि करके आपने नियमित रूप से सीमेन्ट का अवैध रूप से दुर्विनियोजन करते रहे हैं और उसके द्वारा दुष्प्रेरण द्वारा चोर-बाजारी को प्रोत्साहन देते रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऊपर वर्णित तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप काफी समय से ऐसे अपराध करने के अभ्यस्त हैं। इन परिस्थितियों के अधीन जब तक आपको निरुद्ध नहीं किया जाता तब तक बड़ी संभावना है कि आप ऐसे अपराध करने में लगे रहेंगे। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग में हजारों बोरी सीमेन्ट नियमित रूप से प्राप्त होता है और इस कारण यह पूरी संभावना है कि बड़ी मात्रा में सीमेन्ट के दुर्विनियोजन और ऐसी अनियमितताओं के किए जाने की पूरी संभावना है। अतः आपको ऐसी हानिकारक गतिविधियों से निवारित करने की दृष्टि से निरुद्ध किया जाता है।"

15-10-1982

12. पिटीशन ज्ञापन में बहुत से आधारों पर निरोध आदेश को चुनौती दी गई है। किन्तु पिटीशन की सुनवाई के समय चुनौती को निम्नलिखित आधारों तक ही सीमित रखा गया है :—

(1) निरोध प्राधिकारी की ओर से तात्विक पहलू पर जिसका पिटीशनर को निरुद्ध करने की आवश्यकता के प्रश्न से संबंध है, विवेक-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया है। पिटीशनर को 19 जुलाई, 1982 से निलंबित कर दिया गया है। यह तात्विक तथ्य कि इस प्रकार पिटीशनर को अपने पद का दुरुपयोग करने के अवसर से और वांसदा स्थित सिंचाई परियोजनाओं के लिए समय-समय पर प्राप्त सीमेंट के कोटे की बाबत अनियमितताएं करने से वंचित करके हानि के रास्ते से अलग कर दिया गया है, निरोध प्राधिकारी के विचार में उस समय नहीं था जब 10 सितम्बर, 1982 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। अतः निरोध प्राधिकारी का आत्मपरक समाधान विधि के अनुसार नहीं हुआ है और आत्मपरक समाधान पर आधारित आक्षेपित आदेश अवैध और अविधिमान्य है।

(2) निरोध प्राधिकारी की ओर से विधि के अभिकथित भंग के और परिणामतः पिटीशनर द्वारा अभिकथित अपराध किए जाने के बारे में दाण्डिक अभियोजन शुरू करने की संभाव्यता पर विचार करने में असफलता हुई है क्योंकि निरोध प्राधिकारी ने उक्त महत्वपूर्ण और तात्विक पहलू पर विवेक-बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है। आत्मपरक समाधान विधि के अनुसार नहीं हुआ है और ऐसे आत्मपरक समाधान पर आधारित आक्षेपित आदेश अवैध और अविधिमान्य है।

(3) पिटीशनर को दिए गए आधारों से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि पिटीशनर को निरुद्ध करने की आवश्यकता के बारे में निरोध प्राधिकारी का समाधान अन्य बातों के साथ-साथ पिटीशनर द्वारा विगत काफी समय से किये जा रहे अभिकथित क्रियाकलापों के आधार पर हुआ था जिनसे समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय को बनाए रखने पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा था। ऐसा समाधान दूषित है :—

(क) आधारों के सुसंगत भाग को देखने से यह पता चलता है कि निरोध प्राधिकारी ने इस तात्विक और महत्वपूर्ण पहलू पर विवेकबुद्धि का प्रयोग नहीं किया है,

(ख) ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए निरोध प्राधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं थी।

(ग) निरोध प्राधिकारी के समक्ष सामग्री, यदि कोई थी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तो उसके आधार पर युक्ति संगत रूप से ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था, और

(घ) पिटीशनर को दिए गए आधारों में पिटीशनर के ऐसे विगत क्रियाकलापों के बारे में कोई विशिष्टियां नहीं दी गई हैं और इसलिए पिटीशनर को ऐसे अभिकथन का उत्तर देने के लिए कोई युक्तियुक्त अवसर नहीं मिला।

(4) निरोध-आदेश ऐसी सामग्री पर आधारित हैं जो पिटीशनर को संसूचित नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप निरोध आदेश के विरुद्ध प्रभावी अभ्यावेदन करने के अवसर से वंचित किया गया है।

13. हमारी यह राय है कि पिटीशनर चुनौती के प्रथम दो आधारों में से हरेक के आधार पर सफल हो सकता है। अत: अन्य दो आधारों की विधिमान्यता अथवा अन्यथा के बारे में मत प्रकट करना आवश्यक नहीं है। इस निर्णय के दौरान हम अपना ध्यान प्रथम दो आधारों तक ही सीमित रखेंगे।

14. ऊपर वर्णित निरोध के आधारों का सार स्पष्ट रूप से यह संकेत है कि पिटीशनर और उसका सहनिरुद्ध सहायक अभियंता, परमार, उनके द्वारा धारित पद के कारण ही उन आपत्तिजनक क्रियाकलापों में लग सके जिनके बारे में यह भी कथन किया गया है कि वे उनमें शामिल थे। सुसंगत सामग्री के साथ पढ़ने पर आधारों के सार से यह पता चलता है कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में सीमेंट प्राप्त किया जा रहा था जिससे पिटीशनर और उसके सहयोगी अपनी पदीय हैसियत के कारण संबद्ध थे, (2) यह कि उनका, ऐसे सीमेंट को गोदामों से, जहां उसका स्टाक किया जाता था, जारी करने और व्ययन करने पर प्रभावी नियंत्रण था, (3) यह कि अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए वह ऐसे सीमेंट की बड़ी मात्रा में चोर-बाजारी कर सकते थे जिससे प्रश्नगत सिंचाई परियोजना के लिए सीमेंट के प्रदाय को बनाए रखने की जोखिम पर अपने लिए अभिलाभ कमाया जा सके। वास्तव में पिटीशनर को निरोध के जो आधार दिए गए हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निरोध प्राधिकारी का प्रस्तुत मामले में आत्मपरक समाधान पिटीशनर और उसके सह-निरुद्ध की ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति पर ही विचार करके हुआ था। निरोध आधारों के पैरा 3 और 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई विभाग द्वारा अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए सीमेंट भारी मात्रा में भेजा जा रहा था और प्राप्त किया जा रहा था, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिटीशनर अपने द्वारा धारित पद के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कारण सीमेंट के संव्यवहारों से घनिष्ट रूप से संबद्ध था, अतः पिटीशनर को ऐसे सीमेंट के बारे में दुराचरण में लगने के लिए पर्याप्त अवसर था और यह संभावना थी कि वह ऐसे क्रियाकलापों में भविष्य में भी लगा रहेगा। इसलिए भविष्य में उसे ऐसे क्रियाकलाप करने से निवारित करने के लिए उसका निरुद्ध किया जाना आवश्यक है। इन परिस्थितियों के अधीन इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि पिटीशनर को महत्वपूर्ण स्थिति से हटाया जाना, यदि कोई, जहां से वह ऐसे दुष्ट क्रियाकलाप में लग सकता था, एक बहुत ही तात्विक और महत्वपूर्ण तथ्य है।

15. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में अब हम चुनौती के प्रथम आधार की विधिमान्यता की परीक्षा करेंगे। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि पिटीशनर को 19 जुलाई, 1982 से और को निलंबित किया गया था अर्थात् निरोध आदेश पारित किए जाने से लगभग एक मास और तीन सप्ताह पूर्व अंतरिम निलंबन के आदेश का प्रभाव किसी भी लोकसेवक को अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने से निवारित करना होता है भले ही उसकी लोकसेवक की प्रास्थिति बनी रहती है। ऐसा निलंबन उसे अपने पद के कर्त्तव्यों के निर्वहन में कोई कार्य करने से निवारित करता है। ऐसे निलंबन का प्रयोजन, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना होता है कि विभागीय जांच अथवा दाण्डिक अभियोजन अथवा दोनों, जो संस्थित की गई हो अथवा जो अनुध्यात रहा हो, ऐसा लोक-सेवक अपने प्राधिकार का उसी रूप में दुरुपयोग करने की स्थिति में नहीं रहता जिसमें वह विगत समय में रहा हो। अतः पिटीशनर के विरुद्ध पारित निलंबन आदेश से वह प्रयोजन पूरा हो गया था और उसका वही प्रभाव था जो उसके निरोध द्वारा प्राप्त करना चाहा गया है। उसके द्वारा पिटीशनर को हानि के मार्ग से अलग कर दिया गया था और भविष्य में उसे उसके ऐसे आपत्तिजनक क्रियाकलाप में लगे रहने से निवारित किया गया था जो आवश्यक वस्तु के प्रदाय के बनाए रखने के लिए अपायकर हैं।

16. निरोध प्राधिकारी ने आत्मपरक समाधान पर पहुंचने से पूर्व इस महत्वपूर्ण और तात्विक तथ्य पर विचार नहीं किया है। निरोध प्राधिकारी अर्थात् प्रथम प्रत्यर्थी ने स्वयं कोई शपथ-पत्र फाइल नहीं किया है। यह इस कारण है कि उसे प्रशासकीय प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है और संप्रति वह मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। यह बात शपथ-पत्र न फाइल करने के लिए पर्याप्त कारण की कोटि में आ सकती है अथवा नहीं आ सकती है, प्रस्तुत मामले में हम इस प्रश्न पर अपनी कोई राय अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। यद्यपि हम यह मत व्यक्त करते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लिए विवश हैं कि स्वयं निरोध प्राधिकारी के शपथ-पत्र के अभाव में यह समझ पाना मुश्किल है कि इस प्रकृति की चुनौती का किस प्रकार उत्तर दिया जा सकता था। निरोध प्राधिकारी की ओर से शपथ-पत्र भारसाधक कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने फाइल किया है जो 1 जुलाई, 1982 से उक्त पद का प्रभारी (अधिकारी) है। अपने शपथ-पत्र के अनुक्रम में उसने यह कथन किया है कि उसे मामले के तथ्यों और अभिलेख का पूरा ज्ञान है और इस प्रकार वह सुसंगत तथ्यों के बारे में अभिसाक्ष्य देने और मामले में उद्‌भूत होने वाले मुद्दों का उत्तर देने की स्थिति में है। जब हम प्रतिज्ञान खंड पर आते हैं तब हमें यह पता चलता है कि शपथ-पत्र के सभी तात्विक पैराओं के बारे में यह कथन किया गया है कि वे "जानकारी और विश्वास" पर आधारित हैं और ऐसे पैराओं में पैरा 8 सम्मिलित है जो विचाराधीन मुद्दे के बारे में है। अतः यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि पैरा 8 में जो अभिसाक्ष्य दिया गया है वह उसकी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित नहीं है और यह कि यह उसे प्राप्त जानकारी और उसके विश्वास पर आधारित है। ऐसी जानकारी और विश्वास के स्रोत का कथन नहीं किया गया है। किन्तु यह उपधारणा अयुक्तियुक्त नहीं होगी कि ऐसा स्रोत, अभिलेख ही हो सकता है जो उसके समक्ष उस समय था जब उसने शपथ-पत्र तैयार किया था। अतः, विचाराधीन चुनौती का उत्तर देने के प्रयोजनार्थ मामले का अभिलेख एकमात्र आधार गठित करता है।

17. शपथ-पत्र के पैरा 8 का तात्विक भाग इस प्रकार है :—

> "...मेरा यह निवेदन है कि ऐसी बात नहीं है कि विवेक-बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसा कि अभिकथन किया गया है। निरोध प्राधिकारी ने पिटीशनर और आर० आर० परमार के निलम्बन के पहलू पर विचार किया है। जैसा कि ऊपर कथन किया जा चुका है पिटीशनर, आर० आर० परमार और उनके सहषड्यंत्रकारियों की एक अवियोज्य शृंखला है। पिटीशनर एक महत्वपूर्ण पद धारण करता है और उसे सीमेंट के भारी स्टाक से बरतने का अवसर मिलता था। विभाग में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण वह ऐसी स्थिति में है कि अपने अधीनस्थों पर असर डाल सके और अपने आपत्तिजनक क्रियाकलाप में उन्हें सम्मिलित करने के लिए उत्प्रेरित कर सके। अतः उसे निरुद्ध करना आज्ञापक है जिसके बिना निरोध प्राधिकारी ने यह महसूस किया कि उसके क्रियाकलापों को रोका नहीं जा सकता।"

जब शपथ-पत्र का यह भाग हमें पढ़कर सुनाया गया तो हमने विशेष लोक अभियोजक से यह अभिनिश्चित करने के लिए अभिलेख पेश करने के लिए कहा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कि क्या अभिलेख से यह पता चलता है कि निरोध प्राधिकारी ने पिटीशनर के निरुद्ध किए जाने की आवश्यकता के प्रश्न के बारे में निलम्बन के आदेश के प्रभाव पर विवेक-बुद्धि का प्रयोग किया था। जब हमने अभिलेख का परिशीलन किया तो हमें यह पता चला कि कहीं भी यह दर्शित नहीं किया गया है कि इस पहलू पर निरोध प्राधिकारी ने विचार किया था। वस्तुतः अभिलेख में पिटीशनर के निलम्बन के तथ्य का कोई हवाला तक भी नहीं दिया गया है। जब विद्वान् विशेष लोक अभियोजक के सामने यह स्थिति रखी गई तो उसने निष्पक्ष रूप से यह अभिकथन किया कि अभिलेख से यह प्रकट नहीं होता है कि निरोध प्राधिकारी के ध्यान में यह पहलू था अथवा उसने इस पर विचार किया था। इन परिस्थितियों के अधीन प्रभारी कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने जिसने इसके पूर्व वाला शपथ-पत्र शपथित किया है, अगले दिन यह अभिकथन करते हुए एक अन्य शपथ-पत्र फाइल किया :—

> "मेरा ध्यान उक्त शपथ-पत्र के पैरा 8 की ओर और विशेष रूप से "निरोध प्राधिकारी ने पिटीशनर और आर० आर० परमार के निलम्बन के पहलू पर विचार किया है...." शब्दों की ओर दिलाया है। मेरा यह निवेदन है कि सूरत के जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन को, जो अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर आधारित है, समर्थन करने के लिए मेरे शपथ-पत्र में के इस कथन की पुष्टि करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि वह कथन अनवधानतापूर्वक किया गया है जिसका मुझे खेद है और जिसके लिए मुझे दुख है।"

दूसरे शपथपत्र को ध्यान में रखते हुए यह बात सुस्पष्ट है कि निरोध प्राधिकारी ने इस महत्वपूर्ण पहलू पर विवेक-बुद्धि का कतई प्रयोग नहीं किया था जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निरुद्ध करने की शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति के बारे में पिटीशनर के निलम्बन के प्रभाव से सम्बन्धित है। यह बहुत ही उपयुक्त पहलू है और ऐसे पहलू पर विवेक-बुद्धि का प्रयोग न किए जाने से विधिसम्मत रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निरोध की शक्ति दूषित हो गई है क्योंकि आत्मपरक समाधान जिसके बारे में विधि यह व्यादिष्ट करती है कि निरोध प्राधिकारी को उस पर पहुंचना चाहिए वह विधिसम्मत रूप से नहीं पहुंचा है। एकमात्र इस आधार पर ही निरोध आदेश असफल होना चाहिए।

18. किन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। निरुद्ध (व्यक्ति) इस आधार पर भी सफल होने का हकदार है कि यह दर्शित नहीं किया गया है कि निरोध प्राधिकारी ने दाण्ड़िक अभियोजन शुरू करने की सम्भाव्यता पर कोई

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विचार किया है। इस पहलू के बारे में भी स्थिति निलम्बन के पहलू की स्थिति से बेहतर नहीं है। शपथ-पत्र के पैरा 9 में प्रभारी कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित कथन किया है :—

> "...यह निवेदन किया जाता है कि निरोध प्राधिकारी ने पिटीशनर के आपत्तिजनक क्रियाकलाप को रोकने के प्रभावी उपाय के रूप में दाण्डिक कार्यवाहियों की सम्भाव्यता पर विचार किया था। दाण्डिक अभियोजन स्वयं एक लम्बी प्रक्रिया है और यह पूरी अधिसंभाव्यता है कि पिटीशनर को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अतः मात्र दाण्डिक अभियोजन पिटीशनर को अपने आपत्तिजनक क्रियाकलाप में लगे रहने से निवारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

किन्तु जब हमने मूल अभिलेख को देखा तो हमें यह पता चला कि निरोध प्राधिकारी ने पिटीशनर के विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन शुरू करने की सम्भाव्यता पर विवेक-बुद्धि का कतई प्रयोग नहीं किया था और इस बारे में नहीं सोचा था कि ऐसा अभियोजन, यदि कोई है, उसके आपत्तिजनक क्रियाकलाप को चालू रखने के विरुद्ध, जैसा कि उसके विरुद्ध अभिकथन किया गया है, एक प्रभावी रोक होगा। अभिलेख से कहीं भी यह प्रकट नहीं होता है कि निरोध प्राधिकारी ने इस तात्विक पहलू पर विचार किया था। हमें वह बात दुहराने की आवश्यकता नहीं है जो हमने इसके पूर्व निलम्बन के प्रश्न के बारे में कही है अर्थात् यह कि निरोध प्राधिकारी के शपथ-पत्र के अभाव में अभिलेख का ही एकमात्र अवलम्ब लिया जा सकता है और यह कि प्रस्तुत मामले में जो शपथ-पत्र है वह वस्तुतः अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर ही आधारित है। इन परिस्थितियों के अधीन यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि शपथ-पत्र के पैरा में किया गया यह प्रकथन सही नहीं है कि निरोध प्राधिकारी ने पिटीशनर के आपत्तिजनक क्रियाकलाप को रोकने के प्रभावी उपाय के रूप में दाण्डिक कार्यवाहियों की सम्भाव्यताओं पर विचार किया था और यदि अत्यधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए तो यह प्रतीत होता है कि यह अनवधानतापूर्वक किया गया है।

19. इसके पश्चात् प्रश्न यह रह जाता है कि इस तात्विक पहलू पर विचार न किए जाने का क्या प्रभाव है। 1982 के विशेष दाण्डिक आवेदन सं० 790 और एक अन्य मामले में जिसका विनिश्चय 3/6 अगस्त, 1982 को किया गया था, इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने, जिस न्यायपीठ का मैं एक सदस्य था, उस विधिक स्थिति पर विचार किया है जो **भूतनाथ** बनाम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पश्चिमी बंगाल राज्य[1], **कंचनलाल मानकलाल चौकसी** बनाम **गुजरात राज्य**[2] और **श्रीमती हेमलता कांतालाल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों से सामने आई है। उन विनिश्चयों के आधार पर विचार करने के पश्चात् खण्ड न्यायपीठ ने, जिसकी ओर से मैंने निर्णय दिया इस विषय पर विधि का सार निम्नलिखित शब्दों में दिया है :—

> "....निरुद्ध करने की शक्ति का प्रयोग मात्र इसलिए कि न्यायालय में दोष को साबित करने का प्रयास कष्टप्रद होगा दण्ड विधि को समाप्त करने, उसका स्थान लेने या उसको प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मामूली दाण्डिक प्रक्रिया को सहसा निवारक निरोध का अवलम्ब लेकर रोका या समाप्त नहीं किया जा सकता है। किन्तु यह तथ्य कि दाण्डिक अभियोजन संभवतः शुरू किया जा सकता है। निवारक निरोध का आदेश के लिए आत्यंतिक वर्जन नहीं है। यदि निरोध प्राधिकारी का इस बाबत समाधान हो जाता है कि अपराधी की प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण करने की है तो उसे ऐसे अपराध दोहराने के लिए अशक्त करने हेतु उसको निरुद्ध करने के लिए कोई वर्जन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मात्र इस कारण कि निरोध प्राधिकारी ने दाण्डिक अभियोजन की संभावना पर विचार नहीं किया है अतः निरोध आदेश आवश्यक रूप से अविधिमान्य नहीं हो जाएगा। किन्तु मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए निरोध प्राधिकारी की ओर से दाण्डिक अभियोजन शुरू करने की संभावना पर विचार करने की असफलता से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि निरोध प्राधिकारी ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि क्या निवारक निरोध का आदेश करना आवश्यक था, विवेकबुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। जहां अभिव्यक्त रूप से यह अभिकथन किया जाता है कि निरोध आदेश बिना सोचे-समझे इस प्रश्न पर विचार किए बिना जारी किया गया है कि ऐसा आदेश करना आवश्यक है जबकि मामूली दाण्डिक अभियोजन से भी वह प्रयोजन पूरा हो सकता था तो निरोध प्राधिकारी को न्यायालय का यह समाधान करना होगा कि उस निरोध आदेश के किए जाने से पहले उस पहलू पर विचार किया गया था। ऐसे मामले में यह अपेक्षित है

---

[1] [1974] 1 उम० नि० प० 2001 = ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 806.

[2] ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1945.

[3] [1982] 3 उम० नि० प० 401 = ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 8.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अधीन परीक्षा किए जाने पर अभियुक्त ने यह कथन किया कि उसका हमला की गई महिला की हत्या करने का कोई आशय नहीं था। घटना के दिन वह मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से बीमार था। अपीलार्थी की ओर से न्यायमित्र के तौर पर अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन आने वाला मामला नहीं है क्योंकि कारित क्षतियां सादी हैं।

अभिनिर्धारित—अपील खारिज की गई।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307 में ऐसे कार्यों का उल्लेख है जिसके लिए यदि उससे मृत्यु कारित होती है तो अपराधी हत्या का दोषी होगा और अपराध उस समय पूर्ण हो जाता है जब प्रयत्न किया जाता है और ऐसा प्रयत्न धारा के प्रथम भाग के अधीन कारावास की ऐसी अवधि के लिए दण्डित किया जाएगा जो दस वर्ष तक की हो सकती है और अपराधी जुर्माने के लिए भी दायी होगा। दूसरा प्रवर्ग हत्या करने का ऐसा प्रयत्न है, जहां उपहति कारित की जाती है जिस दशा में अपराध गंभीर स्वरूप का होता है और दण्ड आवीजन कारावास से दण्डनीय होगा। प्रस्तुत मामले में अपराध स्पष्ट रूप से दूसरे प्रवर्ग में आता है क्योंकि उपहति कारित हुई है। धारा में केवल उपहति अपेक्षित है, उसमें गंभीर उपहति का उल्लेख नहीं है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि प्रस्तुत मामले में महिला को उपहति कारित की गई थी और इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि अपराध के किए जाने में प्रयुक्त किए गए हथियार का स्वरूप और शरीर का महत्वपूर्ण भाग जिस पर प्रहार किए जाने का निशाना लगाया गया था और यदि महिला की मृत्यु हो जाती, तो अपीलार्थी निश्चित रूप से हत्या का दोषी होता। यह तथ्य कि जबकि अपीलार्थी का उसी महिला की हत्या करने के पूर्ववर्ती प्रयत्न के लिए सेशन मामले में विचारण किया जा रहा था और जब उक्त महिला का साक्ष्य पूरा भी नहीं हुआ था, तब न्यायालय के भीतर विद्वान् काउंसेल और नजदीकी नातेदारों की मौजूदगी में दूसरा प्रयत्न किया गया। इससे यह बात स्पष्ट रूप से दर्शित होती है कि अपीलार्थी ने दूसरे प्रयत्न में महिला की हत्या करने का प्रयत्न किया है और इसलिए उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है। (पैरा 6)

न्यायालय को न केवल अपराध किन्तु दाण्डिक और सुधारात्मक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना होता है। पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी तथा सामाजिक आर्थिक बातों के अपराधी पर पड़ने वाले प्रभाव के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बारे में जानकारी पर अपराधी को सुधारने के लिए विचार करना होता है। अपराध अक्सर सामाजिक और आर्थिक वातावरण के परिणामस्वरूप होते हैं जिन पर स्वयं अपराधी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। कारित की गई क्षति का स्वरूप भी सुसंगत होगा। बी० ए० के परीक्षार्थी के पुनर्वासन की आवश्यकता भी सम्मिलित है, न्याय और अपराध निवारण के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे यदि दोषसिद्धि कायम रखी जाती है। किन्तु दण्डादेश कम करके पांच वर्ष का कठोर कारावास कर दिया जाता है। (पैरा 8 और 9)

		पैरा
[1980]	ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 1758 : प्रभा राशू माछी बनाम गुजरात राज्य (Prabha Rashu Machi *Vs.* State of Gujarat) **निर्दिष्ट** किया गया।	8

दाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1980 की दाण्डिक अपील सं० 76 (जे).

1980 के सेशन मामला सं० 34 (के० जी०) में गोहाटी कामरूप के सहायक सेशन न्यायाधीश सं० 2 द्वारा तारीख 21-11-1980 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से ... कुमारी के० शाह, अधिवक्ता (न्याय-मित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से ... श्री सी० आर० डे लोक अभियोजक, असम

न्या० के० एन० साइकिया :

अपीलार्थी रोबिन डेका धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और उसे आठ वर्ष के कठोर कारावास का तथा 500 रुपए जुर्माना अदा करने का दण्डादेश दिया गया है। जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर 6 मास के अतिरिक्त कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया है। बसन्ती ताल्लुकदार नामक एक महिला को सहायक सेशन न्यायाधीश सं० 1 के न्यायालय में हत्या करने का प्रयत्न करने के लिए उसे दण्डादेश दिया गया था। बसन्ती ताल्लुकदार ने 30-5-1979 को यह वर्णित करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उस दिन जब वह उक्त रोबिन डेका के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/326 के अधीन श्रीमती बसन्ती ताल्लुकदार की 14-11-1977 को हत्या करने का प्रयत्न करने के लिए विचारण कर रहा था, तो अपीलार्थी ने बसन्ती ताल्लुकदार की हत्या करने का पुनः प्रयत्न किया जब वह न्यायालय में भीतर सहायक पुलिस अभियोजक,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कर्त्तव्य पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल, मामले से संबद्ध प्रतिपक्ष के अधिवक्ता, उसके चपरासी और उसके कार्यालय के एक सहायक तथा अन्य व्यक्तियों की मौजूदगी में न्यायालय के भीतर एक बैंच पर बैठी हुई थी। अभियुक्त (अपीलार्थी) पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 और 326 के अधीन आरोप लगाया गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग गोहाटी ने उसे सेशन के सुपुर्द किया। विचारण में अभियोजन ने 12 साक्षियों की परीक्षा की जिसमें अभियोजन साक्षी 11 के तौर पर डाक्टर और अभियोजन साक्षी 12 के तौर पर अन्वेषण अधिकारी सम्मिलित हैं जबकि प्रतिरक्षा पक्ष ने किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की। उक्त साक्षियों में से अभियोजन साक्षी सं० 3, 7, 8, 9 और 10 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। बसंती ताल्लुकदार ने अपनी परीक्षा अभि० सा० 8 के तौर पर करवाई। उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 30-5-1979 को पूर्वाह्न में वह अपना साक्ष्य दे रही थी और दोपहर की छुट्टी होने तक उसका साक्ष्य अधूरा रहा था। जब वह और उसकी मां चाय पीने के लिए बाहर गईं और बरामदे में पहुंचीं तो अपीलार्थी भी उनकी ओर बाहर गया और उससे कहा, "आज मैं तुमको खत्म कर दूंगा।" उसकी मां ने भी यह बात सुनी। चाय पीने के पश्चात् जब वह अपनी मां के साथ वापस लौटी और न्यायालय के भीतर करीब ढाई बजे अपराह्न में एक बैंच पर बैठी थी तब अपीलार्थी रोबिन डेका वहां आया और उसने चाकू से उस पर हमला किया। रोबिन डेका ने उसकी हत्या करने के प्रयोजन से चाकू से उसकी छाती पर तीन प्रहार किए। एक बार प्रहार उसकी छाती में चाकू भोंक दिया। जब वह अपने आपको बचाने का प्रयत्न कर रही थी, तब एक चाकू उसके हाथ पर लगा और एक फिसल गया। तात्विक प्रदर्श 1 वह चाकू था, जिससे अभियुक्त ने उस पर हमला किया था। उसकी छाती और हाथ में चोट लगी। उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था और चाकू उसकी छाती में घुस गया था। जब वह चिल्लाई, तो लोग आये और उन्होंने अभियुक्त को पकड़ लिया। जब अभियुक्त को पकड़ लिया गया तो उसने चाकू फेंक दिया। वह यह बतलाती है कि यदि उसे पकड़ा नहीं गया होता तो वह उस पर और हमला करता। सरकारी अधिवक्ता और उस मामले में अभियुक्त के अधिवक्ता भी न्यायालय में उस समय मौजूद थे जब यह घटना घटी। सरकारी अधिवक्ता की कार में उसे मैडिकल कालेज के अस्पताल में ले जाया गया जहां उसका इलाज हुआ। प्रतिपरीक्षा में उसने यह कहा है कि अपीलार्थी की उससे बोलचाल नहीं थी। उसने यह कहा है कि जब अभियुक्त ने उसे धमकी दी तो उसने और उसकी मां ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि न्यायालय के भीतर वास्तव में कोई बात हो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ही जाएगी। जब उस पर हमला किया गया तो उसने चाकू देखा। वह जमीन पर गिरी नहीं थी किन्तु चीखी थी।

2. बसंती ताल्लुकदार के साक्ष्य की अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा तात्विक रूप से संपुष्टि हो गई है। अभियोजन साक्षी 7 श्रीमती राधिका ताल्लुकदार बसंती की मां ने यह सुना कि अपीलार्थी बसंती से कह रहा था : आज मैं तुमको अवश्य ही खत्म कर दूंगा। उसने देखा कि अपीलार्थी बसंती की छाती और हाथ पर चाकू से प्रहार कर रहा था जिस पर वे दोनों चिल्लाईं तब एक पुलिस कर्मी ने अभियुक्त को बाहर घसीटा। बसंती के सामने से आते हुए अपीलार्थी ने एकदम उसकी छाती में चाकू मारा। पुन: जब अपीलार्थी ने छाती में चाकू मारा तो वह बसंती के हाथ में लगा। तब बसंती ने हाथ एक ओर करने का प्रयत्न किया। इसके पश्चात् बसंती और अपीलार्थी के बीच हाथापाई हुई। अभियोजन साक्षी 9 फूलन ताल्लुकदार होमगार्ड का एक चपरासी है। उसने देखा कि अपीलार्थी बसंती को सामने की ओर से चाकू मार रहा था। उसने यह भी देखा कि वह हाथ में चाकू मार रहा था और उसने अपीलार्थी को पकड़ लिया। इसके पश्चात् पुलिस आई और वह अपीलार्थी को ले गई। अभि० सा० 3 गिरिजा कांत दास, अधिवक्ता, सेशन मामले में पैरवी करने के लिए बुलाया गया था। जब वे बैठे थे और श्री बीरेन डेका से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अपीलार्थी एकाएक बसंती की ओर दौड़ रहा था और उसने बसंती पर हमला कर दिया। उसने यह देखा कि अभियुक्त ने चाकू से उस पर तीन बार प्रहार किया। पहली बार छाती के बायीं ओर प्रहार किया और जब बसंती ने शोरगुल किया तो उसने उसके सीधे हाथ पर दो बार प्रहार किया। अभि० सा० 2 श्री बीरेन्द्र कुमार डेका सेशन मामले में अपीलार्थी का अधिवक्ता था। जब वह और अभियोजन साक्षी 3 बैठकर बातें कर रहे थे तब उसने एक लड़की के चीखने की आवाज सुनी और पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि बसंती अपनी मां की तरफ झुकी हुई थी जो उसे पकड़े हुई थी और न्यायालय के फर्श पर उसने उस स्थान पर खून देखा जहां वह बैठी थी और एक चाकू वहां पड़ा हुआ था। उसके पश्चात् न्यायाधीश अपने कक्ष से बाहर आये और उन्होंने बसंती को अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की। अभि० सा० 4 श्री टी० एन० भूयान, जो सहायक सेशन न्यायाधीश हैं, सेशन मामले का विचारण कर रहे थे और उन्होंने ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। चाय पीने के पश्चात् वे आदेश लिखवा रहे थे। करीब ढ़ाई बजे अपराह्न में उसने न्यायालय के भीतर से चीखने की आवाज सुनी और अपनी सीट छोड़कर बाहर जाते हुए उसने देखा कि बसंती के हाथ से खून निकल रहा था और बसंती की मां उसे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पकड़े हुए थी। अमूल्या, न्यायालय का एक चपरासी और अन्य व्यक्तियों ने यह कहा कि अपीलार्थी रोबिन डेका ने सेशन मामले में वसंती पर चाकू से हमला किया था।

3. अभि० सा० 11 डा० रत्नेश्वर सरगीवारी, शल्य-चिकित्सा रजिस्ट्रार, गोहाटी मैडिकल कालेज, ने बसंती की तारीख 30-5-1979 को करीब 2.40 अपराह्न में परीक्षा की और उन्हें निम्नलिखित क्षतियों का पता लगा :—

(i) एक विद्ध घाव जो सीधे हाथ की प्रबाहु में ऊपरी हिस्से पर 1 इंच और $\frac{1}{2}$ इंच डायमीटर का था। क्षति ताजा थी जो किसी नुकीले हथियार से पहुंचाई गई थी। क्षति का स्वरूप साधारण था।

(ii) एक छिन्न घाव $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ इंच $\times \frac{1}{3}$ इंच का था जो उरोस्थि के पास बाएं हिस्से में चौथे इंटरकोस्टल स्थान पर था। क्षति ताजी थी जो किसी नुकीले हथियार द्वारा की गई थी। क्षति का स्वरूप सादा। छाती का एक्सरे लिया गया था। कोई भी असामान्य बात ज्ञात नहीं हुई। मरीज को उसी दिन सलाह देकर निर्मुक्त कर दिया गया है। क्षति सं० 2 शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर पहुंची थी।

क्षति सं० 2 गहराई में $\frac{1}{3}$ इंच और वह वृत्ताकार क्षति थी और वे स्पष्ट रूप से कटे हुए घाव थे और दरवाजे पर गिरने से कुछ चोट आती ही है। डाक्टर के मतानुसार दोनों क्षतियां सादी थीं और मरीज को उसी दिन निर्मुक्त कर दिया गया था।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा किए जाने पर अभियुक्त अपीलार्थी ने यह कथन किया—"मैंने बसंती पर हमला उसकी हत्या करने के आशय से नहीं किया था। घटना के समय मेरी मानसिक दशा सामान्य नहीं थी क्योंकि मेरी बी० ए० की अंतिम परीक्षा चल रही थी। अतः मैं सो नहीं सका था। मैं यह नहीं कह सकता कि घटना के दिन मुझे क्या हो गया था। जब गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा मुझे ले जाया गया था, मैं मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से बीमार था।"

5. उपर वर्णित साक्ष्य से इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी रोबिन डेका ने बसंती पर हमला किया था जैसा कि साक्षियों ने अभिकथन किया है और चोटें पहुंचाई थीं जो डाक्टर को ज्ञात हुईं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अपीलार्थी ने इस बात से इंकार नहीं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया है कि उसने बसंती को चाकू मारा था। यद्यपि वह यह कहता है कि ऐसा हत्या करने के आशय से नहीं किया गया था किन्तु उसी समय उसने यह भी कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार था।

6. न्यायमित्र के तौर पर कुमारी के० शाह ने यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन आने वाला मामला नहीं है क्योंकि कारित क्षतियां सादी हैं। यह दलील कायम नहीं रखी जा सकती। धारा 307 में हत्या करने के प्रयत्न का उल्लेख है। जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसे एतस्मिन पूर्व वर्णित है। इस धारा के निबंधनों के अनुसार इसमें दो प्रकार से नृशंस और जान-बूझकर हत्या के प्रयत्नों का उल्लेख है अर्थात् (क) जहां कोई उपहति कारित नहीं होती है, और (ख) जहां उपहति कारित होती है। इस धारा में ऐसे कार्यों का उल्लेख है जिसके लिए यदि उससे मृत्यु कारित होती है तो अपराधी हत्या का दोषी होगा और अपराध उस समय पूर्ण हो जाता है जब प्रयत्न किया जाता है और ऐसा प्रयत्न धारा के प्रथम भाग के अधीन कारावास की ऐसी अवधि के लिए दण्डित किया जाएगा जो दस वर्ष तक की हो सकती है और अपराधी जुर्माने के लिए भी दायी होगा। दूसरा प्रवर्ग हत्या करने का ऐसा प्रयत्न है, जहां उपहति कारित की जाती है जिस दशा में अपराध गंभीर स्वरूप का होता है और दण्ड आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्ड्नीय होगा जैसा एतस्मिन पूर्ववर्णित है। इस मामले में अपराध स्पष्ट रूप से दूसरे प्रवर्ग में आता है क्योंकि उपहति कारित हुई है। धारा में केवल उपहति अपेक्षित है उसमें गंभीर उपहति का उल्लेख नहीं है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में बसंती को उपहति कारित की गई थी और इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि अपराध के किए जाने में प्रयुक्त किए गए हथियार का स्वरूप और शरीर का महत्त्वपूर्ण भाग जिस पर प्रहार किए जाने का निशाना लगाया गया था और यदि बसंती की मृत्यु हो जाती तो अपीलार्थी निश्चित रूप से हत्या का दोषी होता। यह तथ्य कि जबकि अपीलार्थी का उसी बसंती की हत्या करने के पूर्ववर्ती प्रयत्न के लिए सेशन मामले में विचारण किया जा रहा था और जब बसंती का साक्ष्य पूरा भी नहीं हुआ था तब न्यायालय के भीतर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विद्वान् काउंसेल और नजदीकी नातेदारों की मौजूदगी में दूसरा प्रयत्न किया गया। इससे यह बात स्पष्ट रूप से दर्शित होती है कि अपीलार्थी ने दूसरे प्रयत्न में वसंती की हत्या करने का प्रयत्न किया है और इसलिए उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है।

7. दोषसिद्धि के निर्णय में मुझे कोई खामी प्रतीत नहीं होती है। विद्वान् न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि को ध्यान में रखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के अधीन कोई पृथक् दण्डादेश पारित नहीं किया है। अतः इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इस मुद्दे पर दोषसिद्धि धारा 324 के अधीन होनी चाहिए थी न कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326।

8. अपीलार्थी के काउंसेन ने यह निवेदन किया कि अपीलार्थी नवयुवक है और वह बी० ए० की परीक्षा में बैठ रहा था और उसकी वृद्ध मां और अविवाहित बहिनें हैं जिनकी कोई आमदनी नहीं है। विद्वान् लोक अभियोजक ने दण्डादेश का प्रश्न ठीक ही न्यायालय पर छोड़ दिया है। दण्डादेश देने की प्रक्रिया के कई पहलू हैं। न्यायालय को न केवल अपराध किन्तु दाण्डिक और सुधारात्मक-दाण्डिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना होता है। पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी तथा सामाजिक-आर्थिक बातों के अपराधी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी पर अपराधी को सुधारने के लिए विचार करना होता है। अपराध अक्सर सामाजिक और आर्थिक वातावरण के परिणामस्वरूप होते हैं जिन पर स्वयं अपराधी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। कारित की गई क्षति का स्वरूप भी सुसंगत होगा। **प्रभा राशू माछी बनाम गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में कारित क्षति के स्वरूप पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दो अभियुक्तों के दण्डादेश को दस वर्ष और सात वर्ष से कम करके क्रमशः पांच वर्ष और चार वर्ष कर दिया था।

9. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिसके अंतर्गत बी० ए० के परीक्षार्थी के पुनर्वासन की आवश्यकता भी सम्मिलित है, न्याय और अपराध निवारण के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे यदि दोषसिद्धि कायम रखी जाती है। किन्तु दण्डादेश कम करके पांच वर्ष का कठोर कारावास कर दिया जाता है। मैं तदनुसार दण्डादेश उपांतरित करता हूं। दण्डादेश में ऊपर वर्णित उपांतरण के अधीन यह अपील खारिज की जाती है।

---

[1] ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 1758.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

10. कुमारी के० शाह ने न्यायमित्र के तौर पर पर्याप्त सहायता की है। उन्हें राज्य द्वारा लोक अभियोजक को संदेय आधार पर संदाय किया जाए।

अपील खारिज की जाती है।

मि०

नि० प० 1983 : गोहाटी—72

गुनाराम तांती और एक अन्य बनाम असम राज्य

(Gunaram Tanti and another *Vs.* State of Assam)

तारीख 27 जुलाई, 1982

[न्या० बी० एल० हंसारिया]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 319—अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही—उक्त धारा में प्रयुक्त साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है—ऐसे साक्षियों के कथन जो न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए हों और इनके अन्तर्गत पुलिस-कथन नहीं आते—केवल पुलिस कथनों के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता—ऐसा आदेश साक्ष्य पर आधारित नहीं कहा जा सकता।

प्रस्तुत मामले में घटना में कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई व्यक्तियों को चोटें पहुंचीं। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कुछ व्यक्तियों के नाम लिखवाए गए। अन्वेषण के पश्चात् कुछ व्यक्तियों को आरोपित किया गया। सेशन न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने के पश्चात् लोक अभियोजक ने न्यायालय को यह सूचना दी कि वह संहिता की धारा 319 के उपबंधों के अधीन कुछ और व्यक्तियों को समन करने के लिए पिटीशन फाइल करेगा। पिटीशन फाइल किया गया और उसमें दो व्यक्तियों, जो प्रस्तुत मामले में पिटीशनर हैं, को भी आरोपित अभियुक्तों के साथ समन किए जाने और उनका भी विचारण किए जाने की प्रार्थना की गई। तत्पश्चात् उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का आदेश दे दिया गया और उसी आदेश में यह निदेश दिया गया कि उनका विचारण अन्य अभियुक्तों के साथ किया जाएगा। आलिप्त किए गए दो व्यक्तियों ने प्रस्तुत मामले में पुनरीक्षण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिकारिता के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण फाइल किया है। पिटीशनरों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि धारा 319 के अधीन शक्ति का सहारा लेने के लिए पुलिस द्वारा किए गए कथनों का अवलंब नहीं लिया जा सकता।

अभिनिर्धारित—पिटीशन मंजूर किया गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 में यह उपबंध किया गया है कि न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकता था जो कि न्यायालय में हाजिर न हो। नई धारा की उपधारा (4) के खंड (ख) में यह बात स्पष्ट की गई है कि हाल ही में नए रूप से अभियुक्त के तौर पर जोड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध संज्ञान की बाबत यह समझा जाएगा कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का संज्ञान उसी रीति में किया गया है जिस रीति में प्रथम बार दूसरे अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का संज्ञान किया गया था। तथापि इस बात के प्रति संकेत करना उचित होगा कि पुरानी संहिता के अधीन भी इस शक्ति का सहारा केवल तभी लिया जा सकता था जबकि साक्ष्य से यह प्रतीत हो कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए। (पैरा 4)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(8) में जो कुछ वर्णित किया गया है, उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि शब्द 'साक्ष्य' जिसका संहिता में कहीं भी प्रयोग किया गया है, के अन्तर्गत पुलिस-कथन आएंगे। पुलिस-कथन न तो शपथ पर और न ही प्रतिज्ञान पर आधारित होते हैं। (पैरा 6, 8)

धारा 319 में प्रयुक्त शब्द 'साक्ष्य' को यदि इस धारा के अन्य उपबंधों के साथ पढ़ा जाए तो उससे ऐसे साक्षियों के कथन अभिप्रेत हैं जो न्यायालय द्वारा अभिलेखबद्ध किए गए हों और इनके अंतर्गत पुलिस का कथन नहीं आता। (पैरा 9)

विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पुलिस-कथनों के आधार पर पिटीशनरों के विरुद्ध आगे कार्यवाही करने के लिए आदेश देकर विधि संबंधी भूल की है। चूंकि, आदेश केवल पुलिस-कथनों पर आधारित है अतएव उसे कायम नहीं रखा जा सकता और पिटीशन मंजूर करते हुए उसे अभिखंडित किया जाता है। (पैरा 10)

पैरा

[1979] ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 339 : जोगेन्द्र सिंह बनाम पंजाब राज्य (Jogindra Singh *Vs.* State of Punjab); 3

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1967] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1167 : रघुवंश **बनाम** बिहार राज्य (Raghubans *Vs.* State of Bihar); 7

[1964] ए० आई० आर० 1964 पंजाब 351 : फत्ता **बनाम** राज्य (Fatta *Vs.* State); 7

[1962] ए० आई० आर० 1962 कलकत्ता 133 : शैफर **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य (Saifar *Vs.* State of West Bengal) 5

निर्दिष्ट किए गए ।

दाण्डिक पुनरीक्षण अधिकारिता : 1981 का दाण्डिक पुनरीक्षण सं० 100.

श्री एस० हक, सेशन न्यायाधीश, यू० ए० डी०, जोरहाट द्वारा 1980 के सेशन मामला सं० 18 (एस०-जे) में तारीख 28 अप्रैल, 1981 को दिए गए आदेश के विरुद्ध दाण्डिक पुनरीक्षण ।

पिटीशनरों की ओर से ... श्री पी० जी० बरुआ और डी० गोस्वामी

प्रत्यर्थी की ओर से ... श्री ए० के० फुकन, लोक अभियोजक, असम

न्या० बी० एल० हंसारिया :

तारीख 9 अप्रैल, 1979 को समग्र रूप से एक भयानक घटना घटी। इस घटना में 10 व्यक्ति मरे और असंख्य व्यक्तियों को चोटें पहुंचीं। घटना की तारीख को ही मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसमें 51 व्यक्तियों के नाम अभियुक्त के रूप में लिखवाए गए। अन्वेषण के दौरान 225 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया यद्यपि अंततः उनमें से केवल 85 व्यक्तियों को आरोपित किया गया। सेशन न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने के पश्चात् जबकि विद्वान् न्यायाधीश "विचारण आरम्भ करने वाले ही थे" तो तारीख 2 मई, 1980 को दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 18 के अधीन लोक अभियोजक ने न्यायालय को यह सूचना दी कि वह संहिता की धारा 319 के उपबंधों के अधीन कुछ और व्यक्तियों को समन करने के लिए पिटीशन फाइल करेगा। यह पिटीशन 30 जून, 1980 को फाइल किया गया जिसमें यह प्रार्थना की गई कि तीन व्यक्तियों, जिनमें दो पिटीशनर भी सम्मिलित हैं, को भी 85 आरोपित अभियुक्तों के साथ समन किया जाए और उनका विचारण साथ-साथ किया जाए। तत्पश्चात् दो पिटीशनरों के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का आक्षेपित वारंट आदेश जारी करने का आदेश दे दिया गया और उसी आदेश में यह निदेश दिया गया कि उनका विचारण अन्य अभियुक्तों के साथ किया जाएगा। जहां जक तीसरे व्यक्ति, अर्थात् रत्नेश्वर बोरा का संबंध है, उसके बारे में की गई प्रार्थना को आदेश में अभिलेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। प्रस्तुत मामले में जो नए दो अभियुक्त आलिप्त किए गए हैं, उन्होंने पुनरीक्षण अधिकारिता के अंतर्गत इस न्यायालय में पुनरीक्षण फाइल किया है।

2. आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा अभिलेखबद्ध किए गए कुछ साक्षियों के कथनों का परिशीलन करने और अपना यह समाधान हो जाने के पश्चात् ही कि अपराध में पिटीशनरों को फंसाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी, पिटीशनरों के विरुद्ध आगे कार्यवाही करने के लिए निश्चय किया। अभिलेख पर की सामग्री से यह प्रतीत होता है कि स्वत: न्यायालय ने ही आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व कोई साक्ष्य अभिलेखबद्ध नहीं किया था। श्री बरुआ द्वारा जो मुख्य दलील दी गई है, वह यह है कि संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का केवल तब ही प्रयोग किया जा सकता है जबकि न्यायालय द्वारा अभिलेखबद्ध किए गए साक्ष्य से यह प्रतीत होता हो कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है। विद्वान् काउन्सेल के अनुसार भिन्न शब्दों में इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि धारा 319 के अधीन शक्ति का सहारा लेने के लिए पुलिस द्वारा किए गए कथनों का अवलंब नहीं लिया जा सकता जैसा कि प्रस्तुत मामले में किया गया है। अन्य व्यथा यह है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पहले से ही यह निश्चय कर लिया था कि पिटीशनरों ने ही अभिकथित षड्यंत्र का अपराध किया था और उसे करने के लिए दुष्प्रेरित किया था। यह ऐसी बात है जो जब कभी वे विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर होंगे और उनको उन्मोचित करने का प्रश्न उठेगा, उनके मार्ग में बाधक होगी। इस व्यथा में अधिक बल नहीं है क्योंकि संहिता की धारा 319 का सहारा लेने के लिए भी किसी न्यायालय को सकृतदर्शने अपना यह समाधान करना होता है कि संहिता की धारा 319 की शक्ति का आश्रय लेना वांछित है और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय को साक्ष्य पर विचार करना होता है। यह बात धारा में प्रयुक्त किए गए शब्द 'अपीअर्स' (प्रतीत होता है) से स्पष्ट हो जाएगी।

3. मुख्य दलील पर विचार करने से पूर्व इस बात के प्रति संकेत कर दिया जाए कि धारा 319 के अधीन प्रदत्त की गई शक्ति का प्रयोग केवल ऐसे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए ही सीमित नहीं किया जा सकता जिनका कि नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लिखवाया गया है किन्तु जिनके नाम पुलिस द्वारा नहीं भेजे गए हों तथापि ऐसे व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित होते हैं। यह बात **जोगेन्द्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय के पैरा 9 में कथित मत से स्पष्ट हो जाती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संहिता की धारा 193 के उपबंध सेशन न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान करने के बारे में हैं और जो धारा 319 के अधीन पिटीशनरों के विरुद्ध न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने में बाधा नहीं बन सकती जैसा कि उक्त जोगेन्द्र सिंह वाले मामले में कहा गया है।

4. श्री बरुआ द्वारा दी गई मुख्य दलील का मूल्यांकन करने के लिए हमें धारा 319 को पढ़ना होगा :—

"धारा 319. **अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति :** (1) जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार व समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के लिए निरुद्ध किया जा सकता है।

(4) जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां :—

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा ;

[1] ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 339.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(ख) खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था जिस पर जांच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।"

पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 351 में भी ऐसे ही समानांतर उपबंध थे यद्यपि पुरानी संहिता का नई संहिता के अधीन पूर्णतया पुनः प्रारूपण कर दिया गया है। पुरानी धारा के अधीन, शक्ति का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता था जबकि संबंधित व्यक्ति न्यायालय में हाजिर हों और अन्यथा नहीं। प्रस्तुत धारा में यह उपबंध किया गया है कि न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकता था जो कि न्यायालय में हाजिर न हो। नई धारा की उपधारा (4) के खंड (ख) में यह बात स्पष्ट की गई है कि हाल ही में नए रूप से अभियुक्त के तौर पर जोड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध संज्ञान की बाबत यह समझा जाएगा कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का संज्ञान उसी रीति में किया गया है जिस रीति में प्रथम बार दूसरे अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का संज्ञान किया गया था। तथापि इस बात के प्रति संकेत करना उचित होगा कि पुरानी संहिता के अधीन भी इस शक्ति का सहारा केवल तभी लिया जा सकता था जबकि साक्ष्य से यह प्रतीत हो कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

5. अवधारण के लिए प्रश्न यह है कि धारा 319 में प्रयुक्त शब्द "साक्ष्य" से क्या अभिप्रेत है। क्या इसके अंतर्गत ऐसे साक्षियों के कथन भी सम्मिलित होंगे जो कि संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस द्वारा अभिलेखबद्ध किए गए हों जिन्हें पुलिस-कथन कहते हैं। विद्वान् सेशन न्यायाधीश के मतानुसार इन कथनों का इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि यह कथन किया गया था कि ये कथन आरोप विरचित करने के प्रयोजन के लिए अभिलेखबद्ध किए गए हैं। अतएव इनका प्रयोग धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। इस संबंध में **शेफर बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाला मामला भी निर्दिष्ट किया गया। पुलिस-कथनों का आरोप विरचित करते हुए इसलिए प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वे साक्ष्य माने जाते हैं जैसा कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा मत व्यक्त किया गया है। संहिता की धारा 227 और 228 का परिशीलन करने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। धारा 227 अभियुक्त को उन्मोचित

[1] ए० आई० आर० 1962 कलकत्ता 133.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करने के लिए अनुज्ञात करती है बशर्ते कि "मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर" न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। धारा 228 के अनुसार, यदि इस प्रकार विचार करने के पश्चात् न्यायाधीश की यह राय हो कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है तो उसे उसके विरुद्ध आरोप विरचित करना होगा। इन दोनों धाराओं में शब्द "साक्ष्य" का प्रयोग नहीं किया गया है। इन धाराओं में तो "मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने" के बारे में कहा गया है।

6. विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि संहिता में कहीं भी शब्द "साक्ष्य" की परिभाषा नहीं है और उसके मतानुसार इस शब्द का प्रयोग बहुत ही शिथिल रूप से किया गया है। इस संबंध में उसने संहिता की धारा 173(8) और धारा 226 के प्रति निर्देश किया है। जहां तक पश्चात्-कथित धारा का संबंध है उसके आधार पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि पुलिस-कथन साक्ष्य हैं। इस धारा की अपेक्षा यह है कि लोक अभियोजक मामले की कार्यवाही प्रारंभ करेगा और यह कथन करेगा "कि वह अभियुक्त के दोष को किस प्रकार के साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है", इससे यह दर्शित नहीं होता कि पुलिस द्वारा पूर्वतर प्रक्रम पर अभिलेखबद्ध किए गए कथन किसी अन्य बात के बिना साक्ष्य की कोटि में आते हैं। ये कथन केवल तभी साक्ष्य बन जायेंगे जबकि संबंधित व्यक्तियों की परीक्षा कर ली जाती है। संहिता की धारा 173(8) में जो कुछ कथन किया गया है, वह विद्वान् लोक अभियोजक की दलील का समर्थन करेगा। किंतु मात्र जो कुछ इस उपधारा में कथन किया गया है कि (जोकि विधायी अनवधानता का उदाहरण हो सकता है) उसके बारे में मैं यह नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि शब्द "साक्ष्य" जिसका संहिता में कहीं भी प्रयोग किया गया है, के अंतर्गत पुलिस-कथन आयेंगे।

7. धारा 319 में "साक्ष्य" शब्द को बनाए रखने के लिए विधानमंडल के आशय को समझने के लिए इस बात के प्रति लाभप्रद रूप से संकेत किया जा सकता है कि उपधारा 319(4) के खंड (क) में यह वर्णित किया गया है कि किसी व्यक्ति के बारे में जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किया गया है, कार्यवाही "नए सिरे से प्रारंभ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा।" यह बात स्पष्ट रूप से यह संकेत करती है कि विधानमंडल को इस बारे में कोई संदेह नही था कि उपधारा (1) के अधीन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जबकि साक्षियों की सुनवाई कर ली गई हो और यह कि न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दे दिया गया हो। विद्वान् लोक अभियोजक की यह दलील कि यदि धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग साक्षियों के परीक्षा कर लेने के पश्चात् किया जाता है तो इससे विचारण की प्रगति में विलंब होगा और यह विधि आयोग की आकांक्षाओं के विरुद्ध होगा जिसकी सिफारिश के आधार पर पुरानी संहिता की धारा 351 का मामले को जल्दी से निपटाने के लिए पूर्णतया पुनर्प्रारूपण किया गया था। निस्संदेह विद्वान् लोक अभियोजक की इस दलील में कुछ बल है किंतु न्यायालय विधानमंडल की अभिव्यक्त आकांक्षाओं के विरुद्ध नहीं जा सकता। संदेह की दशा में न्यायालय को ऐसा निर्वचन करना अनुज्ञेय होगा जो कि प्रश्नगत उपबंध की पृष्ठभूमि के आधारिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। इस आधार पर भी श्री बरुआ यह निवेदन करेंगे कि धारा 319 के उपबंध युक्तियुक्त, न्यायसंगत और ऋजु होने चाहिएं ताकि संविधान के अनुच्छेद 21 की अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके और यह कि न्यायालय को अपने समक्ष शपथ पर साक्ष्य लेने के लिए जोर देना चाहिए क्योंकि इस प्रकार से परखे गए साक्ष्य से संबंधित व्यक्तियों को और अधिक रक्षोपाय उपलब्ध होंगे। अपनी इस दलील कि धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल तब ही किया जा सकता है जबकि न्यायालय में साक्ष्य अभिलेखबद्ध कर लिया गया हो, का समर्थन करने के लिए श्री बरुआ ने कुछ ऐसे विनिश्चय भी निर्दिष्ट किए जिनमें इस शक्ति का प्रयोग पुलिस के समक्ष किए गए कथन के आधार पर नहीं किया गया था अपितु ऐसे अभिसाक्ष्य के आधार पर किया गया था जो कि न्यायालय के समक्ष साक्षियों ने दिया था। प्रथमत: **जोगिन्दर सिंह वाले मामले**[1] के प्रति निर्देश किया गया जिस विनिश्चय में धारा 319 के व्याप्ति-क्षेत्र और विस्तार को स्पष्ट किया गया है। उस मामले में जिन दो अपीलार्थियों के विरुद्ध धारा 319 के अधीन कार्यवाही की गई थी, का नाम न केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लिखवाया गया था किंतु उन्हें न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों द्वारा विचारण के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर भी अपराध में फंसाया गया था। उसी प्रकार से **रघुवंश** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामले में मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य अभिलेखबद्ध किए जाने के पश्चात् ही अपीलार्थी को समन किया था। **फत्ता** बनाम **राज्य**[3] वाले मामले में इस शक्ति का आश्रय

---

[1] ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 339.
[2] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1167.
[3] ए० आई० आर० 1964 पंजाब 351.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय में परीक्षित साक्षियों के कथन के अपराध में आलिप्त ऐसे व्यक्तियों के, जिनका चालान नहीं किया गया था, फंसे होने की बाबत समाधान हो जाने पर ही लिया गया था।

8. तथापि इस प्रतिपादना के लिए कि न्यायालय साक्ष्य अभिलेखबद्ध करने के पश्चात् ही इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ये विनिश्चय कोई नजीर नहीं हैं क्योंकि यह प्रश्न उन मामलों में विनिश्चय के लिए उद्भूत ही नहीं हुआ था। ये निर्णय तो मात्र वस्तुतः घटित घटना को ही दर्शित करते हैं। किंतु जो कुछ ऊपर कहा गया है उसके आधार पर मेरे विचार में श्री बरुवा द्वारा दी गई दलील स्वीकार किए जाने योग्य है। शब्द "साक्ष्य" की कुछ शब्द-कोशों में दी गई परिभाषा के प्रति निर्देश करना भी इस संबंध में संगत होगा। मौजले एंड वाइटलेज ला डिक्शनरी में शब्द "साक्ष्य" को परिभाषित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अभिप्रेत है "...शपथ पर या प्रतिज्ञान पर अभिसाक्ष्य के रूप में पेश की गई कोई सामग्री" यह सर्वविदित बात है कि पुलिस-कथन न तो शपथ पर और न ही प्रतिज्ञान पर आधारित होते हैं। वैब्सटर्स ट्वेन्टीअथ सेन्चुअरी डिक्शनरी में शब्द "साक्ष्य" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिससे विधि के अनुसार किसी साक्षी का ऐसा कोई कथन अभिप्रेत है जो न्यायालय के समक्ष किसी उद्देश्य आदि के बारे में वैध रूप से पेश किया गया हो जो प्रश्नगत मुद्दे को सुनता है या साबित करता है। आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में "साक्ष्य" शब्द के विधिक प्रयोग के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया गया है कि उससे ऐसा कोई अभिसाक्ष्य अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट मामले में न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया हो और जिसे अभिलेखबद्ध किया गया हो।

9. अतः इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है कि धारा 319 में प्रयुक्त शब्द "साक्ष्य" को यदि इस धारा के अन्य उपबंधों के साथ पढ़ा जाए तो उससे ऐसे साक्षियों के कथन अभिप्रेत हैं जो न्यायालय द्वारा अभिलेखबद्ध किए गए हों और इनके अंतर्गत पुलिस का कथन नहीं आता। अब मैं **शैफर** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले पर विचार करूंगा जिसमें बिल्कुल ही प्रतिकूल मत अभिव्यक्त किया गया था और जिसका विद्वान् सेशन न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया था। न्यायपीठ ने इस मामले में 1955 में पुरानी संहिता में पुरःस्थापित किए गए संशोधनों पर अत्यधिक जोर दिया जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट के लिए आरोप विरचित करने से पूर्व साक्ष्य

---

[1] ए० आई० आर० 1962 कलकत्ता 133.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

से लोक हानि हुई हो और उसके बारे में मात्र अभिकथन न किया गया हो और यह कि ऐसा सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद हो—यदि आक्षेपित कार्यवाही या किसी आदेश से संबंधित प्राधिकारी की बाबत असद्भाविकता का आरोप लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को ऐसी कार्यवाही या आदेश शून्य घोषित करने से पूर्व ऐसा अभिकथन करने वाले पक्षकार को असद्भाविकता सिद्ध करनी होगी और इस सम्बन्ध में कोई भी सन्देह, भले ही वह कितना ही मजबूत क्यों न हो, सबूत का स्थान ग्रहण नहीं कर सकेगा।

प्रत्यर्थियों में से एक प्रत्यर्थी ने खुले नीलाम में प्रीमियम देकर 30 वर्ष की अवधि के लिए जम्मू विकास प्राधिकरण से एक प्लाट पट्टे पर लिया था। इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख भी निष्पादित किया गया था। कुछ समय बाद उस स्थल को और उस पर बनी संरचना को लोक प्रयोजन के लिए अर्जित करने की बात चली और इस निमित्त सरकार ने जम्मू विकास प्राधिकरण से सम्पर्क किया। जब प्रत्यर्थी को होटल स्थल और उस पर बनी संरचना अर्जित करने के प्रस्ताव के बारे में पता लगा तो प्रत्यर्थी ने राज्य सरकार से प्रस्तावित अर्जन के सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया क्योंकि प्रत्यर्थियों ने होटल स्थल पर सिनेमा के लिए पहले ही काफी धन लगा दिया था और उन्हें इससे अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी ने जम्मू कश्मीर सरकार के आवास और नगरीय विकास विभाग के आयुक्त को यह लिखा कि उसे उस होटल स्थल से वंचित करना अत्यन्त अनुचित होगा और वह भी विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उसने उस पर कई वर्षों से काम शुरू कर दिया था और उसे उससे अभी तक कोई फायदा भी नहीं पहुंचा था। उसने यह भी प्राख्यान किया कि वाणिज्यिक दृष्टि से भी चूंकि वह स्थल नगर के बीच में है और तेजी से उस क्षेत्र का विकास हो रहा है इसलिए इस भूमि का मूल्य काफी बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो प्लाट उसे पैट्रोल पम्प के पास उक्त प्लाट के बदले में दिया जा रहा था उसके बारे में उसने यह कहा कि उस पर तब विचार किया जा सकता है जब उस पर उसे सिनेमा बनाने की अनुज्ञा दी जाए। यह पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जम्मू-कश्मीर राज्य ने प्रत्यर्थियों को अपने होटल स्थल की बाबत पट्टा सम्बन्धी अधिकारों को उस भू-खण्ड से अर्थात् सिनेमा स्थल से बदलने की मंजूरी दे दी। यह आदेश इस प्रकार था : चार कनाल क्षेत्र वाले भूखण्ड (होटल स्थल), जो जम्मू बस स्टैंड पर स्थित है और जिसका स्वामी जम्मू विकास प्राधिकरण है और जो इस समय मैसर्स माडर्न होटल्स लिमिटेड जम्मू के पट्टा सम्बन्धी अधिकाराधीन है, के सम्बन्ध में पट्टा सम्बन्धी अधिकारों को बी० सी० रोड, जम्मू पर स्थित पांच कनाल और तेरह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वर्ग फुट वाले क्षेत्र में एक भूखण्ड को (सिनेमा स्थल), जिसका स्वामी जम्मू विकास प्राधिकरण है, मैसर्स रामचंद महालन और अन्य व्यक्तियों के पक्ष में, जो मैसर्स माडर्न होटल लिमिटेड जम्मू के मालिक हैं, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, जो मूल रूप से होटल स्थल के सम्बन्ध में अनुबंधित की गई थीं और सरकार द्वारा जम्मू विकास प्राधिकरण को ऐसा प्रतिकर संदाय करके, जिसका अधिकारियों की समिति, जिसमें आवास और नगरीय विकास विभाग के आयुक्त, जम्मू विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, आर० एण्ड बी० जम्मू के मुख्य इंजीनियर और जम्मू के उपायुक्त सदस्यों के रूप में सम्मिलित हों, अवधारित करें, बदलने की मंजूरी दी जाती है। बस स्टैंड के पास होटल स्थल पर मौजूद संरचना के अर्जन हेतु कार्यवाही आरंभ करने की भी मंजूरी दी जाती है। इसके अतिरिक्त यह आदेश किया जाता है कि : (क) मैसर्स माडर्न होटल्स लिमिटेड बी० सी० रोड, जम्मू पर स्थित एक कनाल और तेरह वर्ग फुट अतिरिक्त भूमि के लिए जम्मू विकास प्राधिकरण को एक लाख रुपये के प्रीमियम का संदाय करेंगे। (ख) पांच कनाल और 13 वर्ग फुट के क्षेत्र को सिनेमा भवन के लिए प्रयोग में लाना अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाने की सामान्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा। जम्मू-कश्मीर सरकार के आदेश से जारी किया गया।

इस आदेश के अनुसरण में जे० डी० ए० और प्रत्यर्थी के बीच एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया और उसे रजिस्ट्रीकृत करा लिया गया। अतिरिक्त एक कनाल और 13 वर्ग फुट भूमि के लिए प्रत्यर्थी को एक लाख रुपये का प्रीमियम संदत्त करना था। बदली से संबंधित उपर्युक्त आदेश और उसके फलस्वरूप निष्पादित पट्टा-विलेख को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर इन तीनों पिटीशनों में चुनौती दी गई है : (1) आक्षेपित आदेश, जिसमें बदले की मंजूरी दी गई थी अधिकारिता रहित है क्योंकि सरकार को जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम, 1970 के अधीन जे० डी० ए० पर कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं है; (2) आक्षेपित पट्टा-विलेख से विकास अधिनियम की धारा 16 और 17 का उल्लंघन होता है और इसके साथ-साथ मास्टर प्लान (महायोजना) और लैंड ग्रांट्स ऐक्ट (भूमि अनुदान अधिनियम) का भी उल्लंघन होता है; (3) आक्षेपित आदेश एक मंत्री, जो प्रत्यर्थी के मित्र हैं, की ओर से की जाने वाली असद्भाविक कार्यवाही का परिणाम है और उसे सरकार ने प्रत्यर्थी को अनुचित फायदा देने के आशय से और जनता को उस मूल्यवान सम्पत्ति से वंचित करने के लिए जारी किया है जिसमें जनता को सारभूत हित प्राप्त है और उक्त मंत्री के इस असद्भाविक कार्यवाही के कारण सरकारी खजाने को काफी हानि हुई है। प्रत्यर्थियों को इस बारे में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कारण बताओ सूचना जारी की गई थी कि रिट पिटीशन को क्यों न ग्रहण कर लिया जाए। उन्होंने अपने-अपने आक्षेप फाइल किए हैं। प्रत्यर्थियों ने पिटीशन में लगाए गए अभिकथनों का खण्डन किया है और कुछ प्रारम्भिक आक्षेप भी किए हैं। यद्यपि पिटीशन के ग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में फाइल किए गए आक्षेपों में प्रत्यर्थियों ने अनेक प्रारम्भिक आक्षेप किए किन्तु सुनवाई के समय प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउन्सेलों ने रिट पिटीशनों के चलाए जाने योग्य होने को केवल निम्नलिखित तीन आधारों पर चुनौती दी है कि : (1) पिटीशनरों में से किसी को भी आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के सम्बन्ध में सुने जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ; (2) पिटीशनों में अतिविलम्ब हुआ है और इसके साथ-साथ असाधारण विलम्ब ; और (3) असद्भाव से संबंधित अभिकथन संदिग्ध हैं और कोई भी विनिर्दिष्ट विवरण नहीं दिया गया है और यही कारण है कि असद्भाविकता से संबंधित अभिकथनों की यह न्यायालय जांच नहीं कर सकता। इन चुनौतियों के आधार पर प्रत्यर्थियों ने यह अनुरोध किया है कि पिटीशनों को आरम्भ में ही (कच्ची पेशी में) खारिज कर देना चाहिए।

प्रारम्भिक आक्षेपों का सविस्तार विवरण देते हुए प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी कि किसी पक्षकार के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा किसी संव्यवहार को शून्य घोषित करने से पूर्व उस पक्षकार को (सम्बद्ध पक्षकार को) यह सिद्ध करना होता है कि उसे न्यायालय में जम्मू-कश्मीर के संविधान, 1957 की धारा 103 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन लाकर न्यायालय में उस संव्यवहार को चुनौती देकर सुने जाने का अधिकार प्राप्त है। यह दलील दी गई है कि न्यायालय के द्वार उन व्यक्तियों के लिए अधखुले नहीं रहने चाहिए जिन्हें उस संव्यवहार में उससे परे कोई और वास्तविक हित प्राप्त न हो जो देश के किसी अन्य नागरिक को प्राप्त है। विद्वान् काउन्सेल ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों द्वारा इस न्यायालय के दुरुपयोग की अनुज्ञा नहीं देनी चाहिए जो किसी राजनैतिक हेतुक के कारण या वैयक्तिक लाभ और फायदे के लिए न्यायालय के समक्ष आते हैं और ऐसे पक्षकारों के अनुरोध पर उसे उनके दावों के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। विद्वान् काउन्सेल ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय को अपना समय उन घिसे पिटे दावों के बारे में जांच करने में नष्ट नहीं करना चाहिए जिनमें पिटीशनरों के कोई कार्यवाही न करके अपने प्रतिपक्षी को इस बात का अवसर दिया कि वह काफी धन का विनिधान करके अपनी स्थिति को बदल ले। इसके अतिरिक्त विद्वान् काउन्सेल ने इस बात पर जोर दिया कि पिटीशन में किए गए असद्भाविकता से संबंधित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिकथनों में आरोप का आवश्यक विवरण नहीं दिया गया है और सम्बद्ध पक्षकार कोई भी प्रथमदृष्टया मामला बनाने में असफल रहा है और ऐसी दशा में उच्च न्यायालय को ऐसे असद्भाविकता के संदिग्ध अभिकथनों पर विचार करने से इनकार कर देना चाहिए। उत्तर में यह कहा गया कि लोकहित संबंधी मुकदमेबाज़ी में प्रत्येक नागरिक को सरकार की ऐसी कार्रवाई को चुनौती देने के संबंध में सुने जाने का अधिकार प्राप्त होता है जिससे सरकारी खजाने को हानि हो।

अभिनिर्धारित—प्रारम्भिक आक्षेप मंजूर किए गए और रिट पिटीशन आरम्भ में ही खारिज किए गए।

कोई भी 'व्यथित व्यक्ति' उत्प्रेषण रिट के लिए आवेदन कर सकता है। किन्तु किसी व्यक्ति के बारे में यह तब कहा जाएगा कि वह व्यथित है जब उसे इस अर्थ में कोई विधिक शिकायत हो कि विधि द्वारा मान्यताप्राप्त उसका हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है और यह कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जिसे केवल वह लाभ नहीं मिल पाया है जो उसे आदेश से भिन्न कोई आदेश पारित किए जाने की दशा में मिलता तब तक 'व्यथित व्यक्ति' नहीं कहा जा सकता जब तक कि लाभ के इनकार से उसके विधिक अधिकारों या उनमें अन्तर्निहित किसी हित का अतिक्रमण नहीं होता है। (2) पर्याप्त हित रखने वाला जनसाधारण में से कोई भी व्यक्ति लोकहित संबंधी मुकदमेबाजी में न्यायिक कार्यवाही कर सकता है किन्तु तब जबकि : (i) लोकहानि हो ; (ii) कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के पास लोकहानि को दूर करने के लिए न्यायिक कार्यवाही को चलाने के लिए पर्याप्त हित मौजूद हो ; (iii) हानि किसी लोक कर्तव्य या संविधान और विधि के किसी उपबंध के अतिक्रमण से उद्भूत हुई हो ; और (iv) उसमें किसी लोक कर्तव्य के प्रवर्तन और ऐसे सांविधानिक या विधिक उपबंध के अनुपालन की प्रार्थना की गई हो। उच्च न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए आवेदनों को नामंजूर कर देना चाहिए जो बीच में दखलअंदाजी करते हों या जो ऐसी चीज़ों में हस्तक्षेप करते हों जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है और फिर भी वे न्यायालय के समक्ष आते हैं और यहां तक कि उन्हें लोक हित की तो बात ही क्या अपने हितों की रक्षा की भी आवश्यकता नहीं है वरन् उन्हें तो केवल ऐसा करने की इच्छा कुख्याति या सस्ती ख्याति प्राप्त करने के कारण होती है और यह कि उन व्यक्तियों के बारे में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष निजी फायदे या निजी लाभ या किसी राजनैतिक उद्देश्य से आते हैं। दूसरे प्रवर्ग में चारों शर्तें एक साथ मौजूद होनी चाहिएं और उनकी पूर्ति होनी चाहिए ताकि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जनसाधारण में से कोई भी व्यक्ति लोकहित संबंधी मुकदमेबाजी में किसी आक्षेपित आदेश को चुनौती दे सके। प्रवर्ग (1) और (3) में आने वाले मामलों में वस्तुतः ऐसी कोई गम्भीर समस्या खड़ी नहीं होती। (पैरा 19 और 20)

यह बात कि किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय में कार्यवाही चलाने के संबंध में 'सुने जाने का अधिकार' प्राप्त है या नहीं न केवल उस स्तर पर निर्भर करता है जो पिटीशनर अपने आप को देता है या मुकदमेबाजी की प्रकृति पर वरन् वह तो आक्षेपित संव्यवहार/आदेश या कार्रवाई की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के सुने जाने के अधिकार के संबंध में विचार प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए करना पड़ता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सामान्य मार्गदर्शन के अलावा इस संबंध में कोई भी कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता। संव्यवहार की प्रकृति और आदेश का प्रभाव किसी पक्षकार के अधिकार का अवधारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। जहां तक प्रस्तुत मामले का संबंध है संव्यवहार की प्रकृति 'होटल स्थल' पर प्रत्यर्थी के पट्टा संबंधी अधिकारों का 'सिनेमा स्थल' से विनिमय है और सामान्यतया स्वयं अपनी प्रकृति के हिसाब से यह संव्यवहार पर व्यक्तियों के सम्मिलित किए जाने को अपवर्जित कर देता है और इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो संव्यवहार में पक्षकार नहीं है, उसे चुनौती नहीं दे सकता। अन्यथा भी यह बात देखनी होगी कि क्या कोई 'लोकहानि' हुई है। (पैरा 21 और 22)

'लोकहानि' क्या है, इसकी परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। बहरहाल इस न्यायालय के लिए 'लोकहानि' की परिभाषा देना आवश्यक नहीं है क्योंकि इन पिटीशनों में सरकारी खजाने को होने वाली 'वित्तीय हानि' के बारे में ही शिकायत की गई है। चूंकि, पिटीशनरों के कथनानुसार सिनेमा स्थल के पचास लाख रुपए मिल सकते थे किन्तु तब जब उसे किसी सार्वजनिक नीलाम में बेचा जाता क्योंकि वस्तुतः पिटीशनर स्वयं यह रकम देने के लिए तैयार है। यद्यपि पिटीशनरों ने उस रकम के बारे में कुछ अनुमान लगाया है जो सिनेमा-स्थल से उस समय प्राप्त हो सकती थी जब उसे किसी सार्वजनिक नीलाम में बेचा जाता किन्तु यह बड़ी दिलचस्पी की बात है कि सारे के सारे पिटीशनर उस होटल स्थल के मूल्य के बारे में कोई भी अनुमान लगाने के संबंध में चुप रहे हैं, जो प्रत्यर्थी ने सिनेमा स्थल के बदले में दिया था। यह बात दर्शाने के लिए कि ऐसी लोकहानि हुई है जिससे सरकारी खजाने को हानि हुई है, पिटीशनरों के लिए यह अनिवार्य था कि वे स्वयं पिटीशन में ही यह धारणा करते हुए एक दृढ़ आधार अधिकथित करते कि विनिमय का संव्यवहार असाम्यापूर्ण है। जम्मू के उपायुक्त, जिन्होंने अन्तरण की बात सुझाई थी, के पत्र के प्रति निर्देश से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि उस होटल स्थल का बाजार-मूल्य, जो उस क्षेत्र में स्थित है, जो वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विकसित है, उस सिनेमा स्थल की अपेक्षा कहीं अधिक था जो एक अविकसित पहाड़ी पर स्थित था।' जब स्थिति ऐसी हो तो सिनेमा स्थल से होटल स्थल की बदली के बारे में यह कैसे समझा जा सकता है कि उससे सरकारी खजाने को लोकहानि हुई है। यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि अतिरिक्त 1 कनाल और 13 वर्ग फुट के संबंध में प्रत्यर्थी ने पहले ही एक लाख रुपए की प्रीमियम का संदाय कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिटीशनरों ने 'विनिमय' और 'आबंटन' या 'अनुदान' के बीच अन्तर को ठीक से नहीं समझा है क्योंकि यदि वे ऐसा समझ लेते तो इस बात पर जोर देने का प्रश्न ही नहीं उठता कि सिनेमा स्थल को खुले सार्वजनिक नीलाम में बेचा जाए या पट्टे पर दिया जाए। 'विनिमय' न तो 'अनुदान' है और न ही 'आबंटन' और इसलिए सिनेमा स्थल के लिए कोई धन देने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। यहां यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि यह विनिमय जम्मू-कश्मीर राज्य और जे० डी० ए० (जम्मू विकास प्राधिकरण) की प्रेरणा पर किया गया था जिन्हें, जैसा कि उपायुक्त की राय थी, लोक प्रयोजन के लिए होटल स्थल की आवश्यकता थी और उसी कारण इस संव्यवहार की जरूरत हुई थी। पिटीशनरों ने सरकारी खजाने को होने वाली वित्तीय हानि के संबंध में कोई भी आधार नहीं दिया है और यह मात्र अभिकथन और वह भी संव्यवहार की प्रकृति से बिल्कुल अलग होकर, यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आक्षेपित आदेश से कोई 'लोकहानि' हुई है क्योंकि यह आदेश सिनेमा स्थल से होटल स्थल के विनिमय का आदेश है। (पैरा 23)

चूंकि बुनियादी तौर पर संव्यवहार ही उस पक्षकार के सुने जाने के अधिकार का अवधारण करता है, जो उसकी विधिमान्यता को चुनौती देता है, विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विकास अधिनियम के अधीन विनिमय की अनुज्ञा नहीं दी गई थी और स्वयं इस बात से ही पिटीशनर पिटीशन करने का हकदार हो गया। न्यायालय इस बात से सहमत होने के लिए तैयार नहीं है कि सम्पत्ति के अन्तरण हेतु 'विनिमय' की उक्त विकास अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञा दी गई है। वस्तुतः धारा 16 और 17 आक्षेपित संव्यवहार को लागू नहीं होती क्योंकि उसे तो अधिनियम की धारा 18 लागू होती है। यदि स्थिति ऐसी है तो यह नहीं कहा जा सकता कि पट्टे से सम्बन्धित अधिकारों का विनिमय विकास अधिनियम द्वारा प्राधिकृत नहीं था। (i) उपरोक्त चर्चा से यह परिणाम निकलता है कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सरकारी खजाने को कोई 'लोकहानि' नहीं हुई है और इस आधार पर किया गया परिवाद न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार पहली शर्त पूरी नहीं की गई है। (ii) क्या यह बात कही जा सकती है कि पिटीशनरों में से किसी को भी कार्यवाही चलाने के लिए पर्याप्त हित प्राप्त है? इस प्रश्न का उत्तर भी संव्यवहार की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। स्वीकृततः प्रत्यर्थी के उस होटल स्थल से सम्बन्धी पट्टा सम्बन्धी अधिकार, जो सामान्य बस स्टैण्ड के पास स्थित है, सिनेमा स्थल के सम्बन्ध में उसके पक्ष में पट्टा सम्बन्धी अधिकारों के अन्तरण के कारण समाप्त हो गए। किसी भी पक्षकार का यह कथन नहीं है कि पिटीशनरों में से कोई या इस विषय में और कोई व्यक्ति सिनेमा स्थल के लिए विनिमय में लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित होटल स्थल के समान किसी और सम्पत्ति की व्यवस्था कर सकता था। केवल यह बात ही यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि पिटीशनरों को इस कार्यवाही के चलाने के लिए पर्याप्त हित प्राप्त नहीं है। यहां यह संकेत करना सुसंगत होगा कि अब सिनेमा स्थल सुलभ नहीं है क्योंकि स्वयं पिटीशनरों ने इस बात को दर्शित किया है कि उस पर काफी निर्माण हो चुका है और उसके कारण यह भी कहा जा सकता है कि पिटीशनरों में से किसी को भी पर्याप्त हित प्राप्त नहीं है। कब किसी व्यक्ति के बारे में यह कहा जाएगा कि उसका 'पर्याप्त हित है' इसका विनिश्चय उच्चतम न्यायालय ने एस० पी० गुप्ता वाले मामले के पैरा 24 में किया है: 'सुने जाने के अधिकार के बारे में इस सामान्य विचार-विमर्श को समाप्त करने से पूर्व, एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम जोर देना चाहेंगे और यह वह है कि ऐसे मामले उद्भूत हो सकते हैं जहां कि निःसन्देह लोकक्षति राज्य अथवा लोक प्राधिकारी के कार्य या लोप द्वारा उद्भूत हो सकती है किन्तु ऐसा कार्य अथवा लोप किसी व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों के विनिर्दिष्ट वर्ग या समूह को उल्लिखित विधिक क्षति भी कारित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में पर्याप्त रूप से हितबद्ध जनता का सदस्य निश्चित रूप से ऐसी कार्यवाही को बनाए रख सकता है जिसके द्वारा ऐसे कार्य अथवा लोप की वैधता पर आक्षेप किया गया हो किन्तु यदि वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का विनिर्दिष्ट वर्ग या समूह, जिन्हें प्राथमिक रूप से ऐसे कार्य अथवा लोप के परिणामस्वरूप क्षति पहुंची है, किसी अनुतोष की मांग नहीं करना चाहते और ऐसे कार्य अथवा लोप को इच्छापूर्वक तथा किसी प्रतिरोध के बिना उसका दावा नहीं करना चाहते अथवा जनता का ऐसा सदस्य जो कि गौण सार्वजनिक क्षति के बारे में परिवाद करता है, कार्यवाही को कायम नहीं रख सकता क्योंकि जनता के ऐसे सदस्य की प्रेरणा पर कार्यवाही को ग्रहण करने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का प्रभाव ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विनिर्दिष्ट वर्ग अथवा समूह को अनुतोष प्रदान करना होगा जिसे प्राथमिक रूप से क्षति पहुंची है क्योंकि ऐसी वांछा नहीं करते।' (पैरा 25)

जो कुछ भी ऊपर कहा गया है उससे यह परिणाम निकलता है कि पिटीशनर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विधिक अधिकारों का अतिलंघन हुआ है। उसे इस अर्थ में न तो किसी विधिक अन्याय का सामना करना पड़ा है और न ही कोई क्षति पहुंची है कि विधि द्वारा मान्यताप्राप्त उसके किसी हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और यह कि वह प्रत्यक्षतः आक्षेपित संव्यवहार से प्रभावित हुआ हो। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई विधिक शिकायत हो और इस प्रकार वह 'व्यथित व्यक्ति' नहीं है और इसलिए केवल इस आधार पर ही पिटीशन चलाए जाने योग्य नहीं है। अतः न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पिटीशनरों को कोई 'पर्याप्त हित' प्राप्त नहीं है। अगली शर्त जो कोई कार्यवाही करने के लिए पिटीशनरों को पूरी करनी है वह यह है कि वह इस बात को सिद्ध करें कि 'कोई लोक कर्त्तव्य' भंग हुआ है या संविधान या किसी विधि के कुछ उपबन्धों का अतिक्रमण हुआ है। विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क कि विकास अधिनियम पट्टा सम्बन्धी अधिकारों के विनिमय की अनुज्ञा नहीं देता, विकास अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) और (3) के उपबंधों की अवज्ञा करता है। मास्टर प्लान (महायोजना) पर केवल एक नजर डालने से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सिनेमा स्थल के लिए नियत 'भूमि के प्रयोग' में कोई हेर-फेर नहीं हुई है। मास्टर प्लान के अधीन सिनेमा थियेटर का निर्माण सिनेमा स्थल हेतु 'भूमि के प्रयोग' के रूप में अनुज्ञेय है और इसीलिए विकास अधिनियम या मास्टर प्लान के उपबन्धों का अतिक्रमण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त इस तर्क के सम्बन्ध में कि भूमि का प्रयोग लैण्ड ग्रान्ट्स ऐक्ट (भूमि अनुदान अधिनियम) और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबन्धों के अनुसार होना था, बुनियादी तौर पर बिल्कुल भ्रामक है क्योंकि उसमें इस बात की बिल्कुल अनदेखी कर दी गई कि होटल स्थल और प्रश्नगत भूमि दोनों ही प्राधिकरण के व्ययन के लिए रखी गई नुजूल भूमियां थीं, जिनके सम्बन्ध में विकास अधिनियम के अधीन कार्यवाही करनी थी और यह कि ऐसी स्थिति में भूमि अनुदान अधिनियम लागू नहीं होता। जहां तक किसी सांविधानिक उपबंध के उल्लंघन का प्रश्न है उसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं की गई है और ऐसा ठीक ही किया गया है क्योंकि असमान व्यक्तियों के बीच में समानता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः पिटीशनरों ने तीसरी शर्त भी पूरी नहीं की। जहां तक चौथी शर्त का सम्बन्ध है विधि की अपेक्षा यह है कि लोकहित संबंधी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मुकदमेबाजी में जनता का कोई भी आदमी, जिसे पर्याप्त हित प्राप्त हो, लोक कर्त्तव्य के प्रवर्तन और सांविधानिक या विधिक उपबंधों के अनुपालन की प्रार्थना कर सकता है भले ही उसे कोई व्यक्तिगत नुकसान न पहुंचा हो। इस मुद्दे पर और कुछ न कहकर यही उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि इस मामले में प्राधिकारियों ने आक्षेपित संव्यवहार करके किसी भी कानूनी बाध्यता का उल्लंघन नहीं किया है। विधि के किसी भी उपबंध का, जो उक्त संव्यवहार को लागू होता हो, अतिक्रमण नहीं किया गया है और यदि केवल बहस के लिए यह धारणा कर भी ली जाए कि ऐसा अतिक्रमण हुआ है तो इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि पिटीशनर, जिनके बारे में यह अधिनिर्धारित किया जा चुका है कि उन्हें पर्याप्त हित प्राप्त नहीं है, इस निमित्त कोई कार्यवाही नहीं चला सकते। चूंकि पिटीशनर उपरोक्त प्रवर्ग (2) में दी हुई चारों शर्तों में से किसी को पूरा नहीं कर सके हैं, अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उन्हें पिटीशन चलाने और उनके सुने जाने के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त न.ीं है। (पैरा 30, 31, 32, 33, 34 और 35)

वस्तुतः विलम्ब और अतिविलम्ब दोनों ही केवल प्रज्ञा के नियम हैं किन्तु जब किसी पक्षकार द्वारा किए गए विलम्ब और अतिविलम्ब से विरोधी पक्षकार को अपनी स्थिति बदलने का अवसर मिले तो इस प्रकार नाममात्र प्रभावित पक्षकार को अपनी ही गलती का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह सिद्धान्त कि न्यायालयों को विलम्ब से किए गए दावों पर ध्यान नहीं देना चाहिए इस साम्यापूर्ण नियम पर आधारित है कि 'विलम्ब से साम्या विफल होती है'। वस्तुतः विलम्ब प्रत्येक मामले में घातक नहीं होता और यदि पक्षकार ने संतोषप्रद रूप से विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया है तो न्यायालय केवल उस आधार पर किसी पक्षकार को वाद चलाने से नहीं रोक सकता। प्रस्तुत मामले में पिटीशनर ने इस बात पर जोर देते हुए विलम्ब का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है कि उन्हें इस संव्यवहार की जानकारी फरवरी, मार्च, 1982 में राज्य विधान सभा के सत्र में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर से मिली। उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि वह राजपत्र, जिसमें आक्षेपित संव्यवहार प्रकाशित हुआ था, बहुत ही गोपनीय रखा गया था और यह कि राजपत्र की केवल 5/6 प्रतियां प्रकाशित हुई थीं और यह कि इस कारणवश भी उन्हें इससे पूर्व संव्यवहार की जानकारी नहीं हो पाई थी। पिटीशनरों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है। स्वीकृततः आक्षेपित आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इस अभिकथन से कि राजपत्र की केवल 5/6 प्रतियां प्रकाशित की गई थीं, इनकार किया गया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है और ऐसी स्थिति में न्यायालय के लिए यहां यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि राजपत्र की केवल 5/6 प्रतियां ही छापी गई हों। इस उपधारणा का कि समस्त सरकारी कार्यवाही उचित रूप से की गई है, किसी जोरदार सबूत से खण्डन नहीं किया जा सकता और इस मामले में, मजबूत सबूत की तो बात ही छोड़िए अभिलेख पर कोई भी ऐसी सामग्री सुलभ नहीं है जिससे यह उपधारणा की जा सके कि सरकारी कार्यवाही उचित रूप से नहीं की गई थी। वस्तुतः पिटीशनरों ने यह कहने का विफल प्रयास किया है कि सरकारी राजपत्र सम्यक् रूप से प्रकाशित नहीं किया गया था। केवल यही नहीं प्रत्यर्थी और जम्मू विकास प्राधिकरण के बीच सिनेमा स्थल से सम्बन्धित पट्टा-विलेख सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कराया गया था और यह सुस्थापित विधि है कि रजिस्ट्रीकृत-विलेख पट्टे से सम्बन्धित आम जनता को एक सूचना है। इसके अतिरिक्त बी० सी० रोड पर अगस्त, 1980 से सिनेमा कम्पलैक्स का निर्माण हो रहा है और यह कि न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना सम्भव नहीं है कि पिटीशनरों ने, जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने लोकहित में कार्यवाही की है, इस बात को न देखा हो कि निर्माण चल रहा है। (पैरा 41)

अतः जो कुछ ऊपर कहा जा चुका है उससे दूसरा प्रारम्भिक आक्षेप पर भी सफल होता है और यहां यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि चूंकि पिटीशनरों ने लगभग दो वर्ष के पश्चात् इस न्यायालय में कार्यवाही की है और यह कि इस अवधि के दौरान प्रत्यर्थी ने सिनेमा कम्पलैक्स बनाने में काफी पैसा लगाकर अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लिया अतः वे इस न्यायालय से राज्य के संविधान की धारा 103 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उसकी वैवेकिक शक्ति के प्रयोग से किसी अनुतोष को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि विलम्ब का कोई भी संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और विलम्ब को माफ कराने के लिए कोई भी मामला नहीं बनाया गया है। (पैरा 44)

यहां इस बात का खण्डन नहीं किया गया है कि प्राधिकारियों की ओर से किए गए आदेश के सम्बन्ध में उनकी असद्भाविकता को सिद्ध करना ही यह घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि वह कार्यवाही शून्य है किन्तु इससे पूर्व कि ऐसा किया जा सके असद्भाविकता को सिद्ध करना होगा और इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई सन्देह, भले ही वह कितना ही मजबूत क्यों न हो, सबूत का स्थान ग्रहण कर ले। यहां इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि असद्भाविकता का आरोप लगाना बहुत ही सरल बात है किन्तु जब तक कि उसे पर्याप्त सामग्री से समर्थन न मिले तब तक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस आरोप पर विचार नहीं किया जा सकता और न्यायालय स्पष्ट सबूत के सिवाय उस आधार पर किसी भी कार्यवाही को शून्य घोषित करने के लिए अग्रसर नहीं हो सकता। प्रस्तुत मामले में पिटीशनरों का विद्वेष का कोई विवरण न देना और अभिकथित षड्यन्त्र, असद्भाविकता के अभिकथन की जांच से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार है किन्तु केवल यही पर्याप्त नहीं है। (पैरा 46 और 49)

इसके अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध पिटीशन में असद्भाविकता का कोई अभिवचन नहीं किया गया है और चूंकि आक्षेपित आदेश पूर्ण मंत्रिमंडल का विनिश्चय है, अतः मंत्रिमंडल के सदस्यों में से केवल एक के विरुद्ध असद्भाविकता के अभिवाक् पर कोई विचार नहीं किया जा सकता विशेषकर जबकि ऐसा सम्बद्ध मन्त्री के राजनीतिक विरोधियों ने किया हो। पिटीशनर आक्षेपित आदेश को तब तक असद्भाविकता के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते जब तक कि वे यह सिद्ध न कर दें कि कानूनी निकाय, जम्मू विकास प्राधिकरण के उपायुक्त और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की ओर से असद्भाविकता हुई है। (पैरा 50)

जहां स्वयं पिटीशन में अभिकथन के समर्थन में आवश्यक विवरण नहीं दिया गया है वहां न्यायालय न केवल असद्भाविकता के अभिकथनों के अन्वेषण से इनकार करने में न्यायोचित है वरन् न्यायालय ऐसे पिटीशन को आरम्भ में ही खारिज करने के लिए बाध्य है। (पैरा 56)

		पैरा
[1982]	[1982] 4 उम० नि० प० 1 = ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 149 : एस० पी० गुप्त **बनाम** भारत संघ और अन्य (S. P. Gupta *Vs.* Union of India and others);	10, 17; 25
[1982]	ए० आई० आर० 1982 दिल्ली 51 : एस० एस० सोबती **बनाम** भारत संघ (S. S. Sobti *Vs.* Union of India);	25
[1981]	[1981] 4 उम० नि० प० 383 : ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 344 = [1981] 2 एस० सी० आर० 52 : फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार यूनियन (रजिस्टर्ड), सिंदरी और अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य [Fertiliser Corporation Kamgar Union	37

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(Registered) Sindri and others *Vs.* Union of India and others];

[1980] [1980] 14 चांसरी डिवीजन 458 (465) : साइडबोथम वाला मामला (Sidebothem's case); 26

[1980] ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 112 : अशोक कुमार **बनाम** कलक्टर (Ashok Kumar *Vs.* Collector); 43

[1980] [1980] 2 उम० नि० प० 961 = ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1628 : रमण दया राम शेट्टी **बनाम** अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और अन्य (Raman Daya Ram Shetty *Vs.* The International Airport Authority of India and others); 42

[1977] ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 567 : ताराचंद खत्री **बनाम** दिल्ली नगर निगम और अन्य (Tara Chand Khatri *Vs.* Municipal Corporation of Delhi and others); 48

[1976] [1976] 4 उम० नि० प० 1030 = ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 578 : जसभाई मोतीभाई देसाई **बनाम** रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद और अन्य (Jasbhai Motibhai Desai *Vs.* Roshan Kumar, Haji Bashir Ahmed and others); 16

[1970] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 899 : तिलक चंद मोती चंद **बनाम** एच० बी० मुंशी (Tilak Chand Moti Chand *Vs.* H. B. Munshi); 42

[1967] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 295 : बेरियम कैमिकल्स लि० और अन्य **बनाम** कम्पनी लॉ बोर्ड और अन्य (Barium Chemicals Ltd. and others *Vs.* Company Law Board and others); 50

[1961] (1961) 1 क्यू० बी 278 : बक्सटन **बनाम** मिनिस्टर आफ हाऊसिंग एण्ड लोकल गवर्नमेन्ट (Buxton *Vs.* 27

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Minister of Housing and Local Government)

का अवलम्ब लिया गया।

[1957] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 354 : ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि० और अन्य **बनाम** इंडिस्ट्रयल ट्रिब्युनल पंजाब और अन्य (British India Corporation Ltd. and others *Vs.* Industrial Tribunal Punjab and others) 56

से **प्रभेद** बताया गया।

आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1982 का रिट पिटीशन सं० 583 (इसके साथ 1982 के रिट पिटीशन सं० 198 और 239 भी सुने गए)

संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन।

विजय कुमार की ओर से ... श्री आर० पी० सेठी

श्री एम० एच० बेग ... स्वयं हाजिर

प्रत्यर्थियों की ओर से ... सर्वश्री आर० पी० मृदुल, पी० एल० हान्डू, एस० टी० हुसैन और एस० पी० गुप्ता।

न्या० डा० ए० एस० आनन्द :

इन रिट पिटीशनों में उन कुछ संव्यवहारों की विधिमान्यता को चुनौती दी गई है जो तारीख 26 अगस्त, 1980 को 1980 के सरकारी आदेश सं० 991-यू० डी० के जारी किए जाने के फलस्वरूप अस्तित्व में आए थे।

2. आगे कुछ कार्यवाही करने से पूर्व कुछ ऐसे मुख्य तथ्यों का उल्लेख करना उचित होगा जिनको अभिवचनों में पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया है।

3. मैसर्स माड्रन होटल प्रा० लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) ने एक खुले नीलाम में एक भूखण्ड, जिसका क्षेत्र चार कनाल था और जो जम्मू के सामान्य बस स्टैंड के पास स्थित है, 30 वर्ष की अवधि के लिए जम्मू विकास प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् जे० डी० ए० कहा गया है) से दो लाख रुपए प्रीमियम देकर पट्टे पर अभिप्राप्त किया और पक्षकारों के बीच एक रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख 26 जून, 1975 को निष्पादित किया गया। मार्च, 1980 में किसी समय सरकार की ओर से उस

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्थल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् होटल स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और उस पर बनी संरचना को लोक प्रयोजन के लिए अर्जित करने की बात चली और इस निमित्त सरकार ने जे० डी० ए० से सम्पर्क किया था। उपायुक्त की राय यह थी कि वस्तुतः (होटल स्थल) के मूल्य को, जिस पर संरचना बनाई गई थी, होटल स्थल को प्रश्नगत भूमि से (जिसे इसमें इसके पश्चात् सिनेमा स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) विनिमय के लिए बढ़ाया गया था और उन्होंने अपनी ऐसी राय तारीख 14 मई, 1980 के पत्र सं० 682/एन०/76-77/116 में व्यक्त की। जब प्रत्यर्थी को होटल स्थल और उस पर बनी संरचना को अर्जित करने के प्रस्ताव के बारे में पता लगा तो प्रत्यर्थी ने राज्य सरकार से (प्रस्तावित) अर्जन का विरोध करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया क्योंकि प्रत्यर्थियों ने होटल स्थल पर सिनेमा के लिए पहले ही काफी धन का विनिधान कर दिया था और उन्हें उससे कोई फायदा नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी ने जम्मू-कश्मीर सरकार के आवास और नगरीय विकास विभाग के आयुक्त को 19 अगस्त, 1980 को यह लिखा कि सरकार के लिए मुझे उस होटल स्थल से वंचित करना अत्यंत अनुचित होगा जिस पर गत वर्षों में काम आरम्भ किया जा चुका है और मुझे उससे अभी तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है। वाणिज्यिक दृष्टि से उक्त स्थल नगर के बीच वाले क्षेत्र में होने वाले विकास के कारण बहुत ही मूल्यवान हो जाएगा। अतः मैं यह प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस स्थल से वंचित न किया जाए। जहां तक पैट्रोल पम्प के पास बी० सी० रोड वाले आनुकल्पिक स्थल का प्रश्न है उस पर विचार केवल तब ही किया जा सकता है। जब मुझे उसका उपयोग सिनेमा बनाने के लिए करने की अनुज्ञा दी जाती है। फिर भी मुझे भरोसा है कि मुझे मूल स्थल ही अपने पास रखने की इजाजत दी जाएगी।"

4. यह पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जम्मू-कश्मीर राज्य ने अपने तारीख 26 अगस्त, 1980 के आदेश सं० 991-यू० डी० द्वारा प्रत्यर्थियों को अपने होटल स्थल की बाबत पट्टा सम्बन्धी अधिकारों का पांच कनाल और 15 वर्ग फुट के भूखण्ड अर्थात् सिनेमा स्थल से स्वयं आदेश में दिए गए निबन्धनों और शर्तों पर बदलने की मंजूरी दे दी। उक्त आदेश इस प्रकार है :—

"1980 का तारीख 26 अगस्त, 1980 वाला सरकारी आदेश सं० 991-यू० डी०

चार कनाल क्षेत्र वाले भूखण्ड (होटल स्थल), जो जम्मू बस स्टेंड पर स्थित है और जिसका स्वामी जम्मू विकास प्राधिकरण है और जो इस समय मैसर्स मॉडर्न होटल्स लिमिटेड जम्मू के पट्टा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सम्बन्धी अधिकाराधीन है, के सम्बन्ध में पट्टा सम्बन्धी अधिकारों को बी० सी० रोड, जम्मू पर स्थित पांच कनाल और तेरह वर्ग फुट वाले क्षेत्र में एक भूखण्ड को (सिनेमा स्थल), जिसका स्वामी जम्मू विकास प्राधिकरण है, मैसर्स रामचंद महाजन और अन्य व्यक्तियों के पक्ष में, जो मैसर्स मॉडर्न होटल लिमिटेड जम्मू के मालिक हैं, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, जो मूल रूप से होटल स्थल के सम्बन्ध में अनुबंधित की गई थीं और सरकार द्वारा जम्मू विकास प्राधिकरण को ऐसा प्रतिकर संदाय करके, जिसका अधिकारियों की समिति, जिसमें आवास और नगरीय विकास विभाग के आयुक्त, जम्मू विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, आर० एण्ड बी० जम्मू के मुख्य इंजीनियर और जम्मू के उपायुक्त सदस्यों के रूप में सम्मिलित हों, अवधारित करें, बदलने की मंजूरी दी जाती है। बस स्टेंड के पास होटल स्थल पर मौजूद संरचना के अर्जन हेतु कार्यवाही आरंभ करने की मंजूरी दी जाती है।

इसके अतिरिक्त यह आदेश किया जाता है कि :—

(क) मैसर्स माडर्न होटल्स लिमिटेड बी० सी० रोड, जम्मू पर स्थित एक कनाल और तेरह वर्ग फुट अतिरिक्त भूमि के लिए जम्मू विकास प्राधिकरण को एक लाख रुपये के प्रीमियम का संदाय करेंगे।

(ख) पांच कनाल और 13 वर्ग फुट के क्षेत्र को सिनेमा भवन के लिए प्रयोग में लाना अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाने की सामान्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

जम्मू-कश्मीर सरकार के आदेश से जारी किया गया।

ह०/

(एस० डी० पनहावी)

सरकार के अपर सचिव

आवास और नगरीय विकास विभाग"

इस आदेश के अनुसरण में जे० डी० ए० और प्रत्यर्थी के बीच 2 सितम्बर, 1980 को एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था। उसे 3 सितम्बर, 1980 को रजिस्ट्रीकृत किया गया था। अतिरिक्त एक कनाल और 13 वर्ग फुट भूमि के लिए प्रत्यर्थी को एक लाख रुपये का प्रीमियम संदत्त करना था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

5. इन तीनों पिटीशनों में बदली से सम्बन्धित उपर्युक्त आदेश और उसके फलस्वरूप निष्पादित पट्टा-विलेख को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है :—

(1) आक्षेपित आदेश जिसमें बदले की मंजूरी दी गई थी अधिकारिता रहित है क्योंकि सरकार को जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् विकास अधिनियम कहा गया है) के अधीन जे० डी० ए० पर कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं है।

(2) आक्षेपित पट्टा-विलेख से विकास अधिनियम की धारा 16 और 17 का उल्लंघन होता है और इसके साथ-साथ मास्टर प्लान (महायोजना) और लैंड ग्रांट्स ऐक्ट (भूमि अनुदान अधिनियम) का भी उल्लंघन होता है;

(3) आक्षेपित आदेश श्री डी० डी० ठाकुर, जो प्रत्यर्थी के मित्र हैं, की ओर से की जाने वाली असद्भाविक कार्यवाही का परिणाम है और उसे सरकार ने प्रत्यर्थी को अनुचित फायदा देने के आशय से और जनता को उस मूल्यवान सम्पत्ति से वंचित करने के लिए जारी किया है जिसमें जनता को सारभूत हित प्राप्त है और श्री डी० डी० ठाकुर की इस असद्भाविक कार्यवाही के कारण सरकारी खजाने को काफी हानि हुई है।

6. प्रत्यर्थियों को इस बारे में कारण बताओ सूचना जारी की गई थी कि रिट पिटीशन को क्यों न ग्रहण कर लिया जाए। उन्होंने अपने-अपने आक्षेप फाइल किए हैं।

7. प्रत्यर्थियों ने पिटीशन में लगाये गये अभिकथनों का खण्डन किया है और कुछ प्रारम्भिक आक्षेप भी किए हैं। यद्यपि पिटीशन के ग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में फाइल किए गए आक्षेपों में प्रत्यर्थियों ने अनेक प्रारम्भिक आक्षेप किए किन्तु सुनवाई के समय प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउन्सेलों ने रिट पिटीशनों के चलाए जाने योग्य होने को केवल निम्नलिखित तीन आधारों पर चुनौती दी है :—

(1) पिटीशनरों में से किसी को भी आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के सम्बन्ध में सुने जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है;

(2) पिटीशनों में अतिविलम्ब हुआ है और इसके साथ-साथ असाधारण विलम्ब; और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सरल हो जाए, दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 के संशोधन के लिए बराबर मांग की जा रही थी। साथ ही सरकार ने 9 सितम्बर, 1975 को यह विनिश्चय किया कि जिस व्यक्ति के स्वामित्व में उसका अपना मकान उसके कार्य-स्थान पर है, उसे 31 दिसम्बर, 1975 से पूर्व आबंटित सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए। परिणामस्वरूप सरकार ने यह तय किया कि विद्यमान परिस्थितियों में अधिनियम का संशोधन अति आवश्यक हो गया है।"

21. संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए प्रतिस्थापित खंड 2(ठ) के विस्तार और प्रभाव और साथ ही ऐसा अभिधृति के उत्तराधिकार में प्राप्त करने की योग्यता पर, जिसे छोड़ देने के नोटिस द्वारा समाप्त कर दिया गया हो, **हाजी मोहम्मद दीन और एक अन्य बनाम श्री नारायण दास के मामले**[1] में इस न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ द्वारा विचार किया गया है। पूर्ण न्यायपीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :—

"यह कि ऐसे व्यक्तियों को 'जो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की तारीख तक उसके कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों के रूप में उसके साथ ऐसे परिसर में सामान्यतः रहते रहे हैं' उत्तराधिकार का सीमित अधिकार देने के लिए 'अभिधारी' की संशोधित परिभाषा में प्रयुक्त शब्दों का अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनसे यह अभिप्रेत है कि इस संशोधन का लाभ केवल ऐसी दशा में ही उपलब्ध होगा जब किराएदारी (अभिधृति) निवासीय प्रयोजन के लिए हो। केवल इस स्थिति में ही किराएदारों (अभिधारियों) के वारिस उसकी मृत्यु के समय तक ऐसे परिसर में उसके साथ रह सकते हैं। यदि ऐसा परिसर निवासीय प्रयोजन के लिए किराये पर नहीं उठाया गया है तो न तो किराएदार और न उसके वारिस ही उन परिसर में रह सकेंगे।"

"किराएदार की मृत्यु के पश्चात् कब्जा बनाए रखने का अधिकार केवल निवासीय परिसरों की बाबत ही उपलब्ध है और वह भी उपर्युक्त खंड (ठ)(iii) में विनिर्दिष्ट वारिसों की सीमित संख्या तक ही उपलब्ध होगा यदि वे उसमें कथित अन्य शर्तें पूरी करते हों।"

22. **हाजी मोहम्मद दीन के मामले**[1] का निष्कर्ष इस प्रकार है कि कानूनी अभिधारी जो ऐसी अभिधृति का दावा करता है, जिसके द्वारा किसी अभिधारी का पट्टा के समाप्त होने के पश्चात् भी कब्जा बना रहता है, अभिव्यक्त रूप से

[1] 1979(1) आल इण्डिया रेण्ट कण्ट्रोल जर्नल 129.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विरासत योग्य नहीं होता क्योंकि वह उस परिसर से संबंधित है जिन्हें निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर नहीं उठाया गया था ।

23. पूर्ण न्यायपीठ का यह विनिश्चय प्रस्तुत दोनों ही अपीलों के विनिश्चय पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालता है और जब इनमें से एक अपील न्या० वाड के समक्ष पेश की गई तब उन्होंने निर्देश-आदेश पारित किया। विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष संशोधित धारा 2(ठ) की शक्तिमत्ता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर उठाए गए परिसर और निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर न उठाए गए परिसर के बीच कृत्रिम विभेद पैदा करने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है। यह दलील दी गई कि यह एक मनमाना वर्गीकरण है जिसका अधिनियम के प्रयोजन के साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए वह शून्य है। आगे यह और दलील दी गई कि **दमड़ी लाल और अन्य बनाम परशुराम और अन्य**[1] में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कानूनी किराएदारी (अभिधृति) के उत्तराधिकार में प्राप्त न होने संबंधी आंग्ल संकल्पना भारत में लागू नहीं होती और इसलिए यह दलील दी गई कि उत्तराधिकार में प्राप्त होने के प्रयोजन के लिए निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर उठाए गए परिसर और निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर न उठाए गए परिसर के बीच खंड 2(ठ) में वर्गीकरण अयुक्तियुक्त है और उसका मूल अधिनियम के उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए वह शून्य है। इस प्रकार मूल अधिनियम की धारा 2(ठ) में दी गई पुरानी कानूनी परिभाषा को ही लागू किया जाए और **दमड़ी लाल के मामले**[1] में किए गए निर्वचन के अनुसार प्रस्तुत मामले में भी कानूनी अभिधृति उत्तराधिकार में प्राप्त होने योग्य बन जाती है। न्या० वाड के समक्ष **एच० सी० शर्मा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम**[2] में इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ के विनिश्चय को भी माननीय न्यायाधीश की जानकारी में लाया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मूल अधिनियम में निवासीय और अनिवासीय परिसरों के बीच वर्गीकरण विभेदपूर्ण नहीं है और उससे संविधान के किसी भी उपबंध का अतिक्रमण नहीं होता है।

24. ऐसा प्रतीत होता है कि न्या० वाड संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए खंड 2(ठ) में यथा-अंतर्विष्ट अभिधारी की नई परिभाषा की सांविधानिक

---

[1] [1977] 2 उम० नि० प० 1199=ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 2229.

[2] आई० एल० आर० 1973 (1) दिल्ली 90.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विधिमान्यता के बारे में दी गई दलीलों से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने निम्नलिखित तीन प्रश्न विरचित करते हुए निर्देश-आदेश किया है :—

1. कानूनी किराएदारी (अभिधृति) के उत्तराधिकार में प्राप्त होने की योग्यता की बाबत निवासीय और अनिवासीय परिसर के बीच अंतर के लिए क्या कसौटी है ?

2. क्या ऐसे अन्तर और अधिनियम में किए गए वर्गीकरण के उद्देश्य के बीच कोई युक्तिसंगत संबंध है ? और

3. क्या शर्मा वाले मामले में खंड न्यायपीठ के निर्णय से इस अपील में उद्भुत प्रश्न समाप्त हो जाता है ?

25. इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए यह मामला अब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

26. दिल्ली के नगरीय क्षेत्र के लिए भाटक और बेदखली के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम व्यापक विधान दिल्ली एंड अजमेर मारवाड़ रैण्ट कण्ट्रोल ऐक्ट, 1947 (1947 का अधिनियम सं० 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् '1947 का अधिनियम' कहा गया है) के रूप में पुरःस्थापित किया गया था । 1947 के अधिनियम की धारा 2(डी) में किराएदार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :—

*"(डी) 'किराएदार' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिसर को स्वयं अपने अधिभोग के लिए या अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति के अधिभोग के लिए किराए पर लेता है, किंतु जिसके अंतर्गत भाटक (किराया) कलक्टर या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो किसी परिसर को किसी अन्य व्यक्ति को उप-पट्टे पर उठाए जाने की दृष्टि से पट्टे पर लेता है या लिया है ।"

27. 1947 के अधिनियम में भी धारा 7 दी गई है जिसमें कतिपय परिसरों के संबंध में मानक किराए के अवधारण के लिए उपबंध किया गया है

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"(d) 'Tenant' means a person who takes on rent any premises for his own occupation or for the occupation of any person dependent on him, but does not include a Collector of rents or any middle man who takes or has taken any premises on lease with a view to sublet them to another person."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और धारा 7-ए में कतिपय नवीनतः सन्निर्मित परिसरों के लिए विभिन्न आधारों पर मानक किराए के नियतन के लिए उपबंध किया गया है। धारा 9 अभिधारी की बेदखली को नियंत्रित करती है और उसमें उस स्थिति में विभिन्न आधारों का उपबंध किया गया है जिसमें मकान-मालिक किसी किराएदार की बेदखली की ईप्सा कर सकता है किंतु इस धारा के कतिपय उपबंध ऐसे परिसरों को लागू नहीं होते जो पूरी तरह निवासीय नहीं हैं। मानक किराए के नियतन के संबंध में धारा 7 और 7-ए में अंतर्विष्ट उपबंधों में निवास के प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए परिसर और ऐसे परिसरों के बीच सुभिन्न अन्तर किया गया है जो निवास के प्रयोजन के लिए किराए पर नहीं उठाए गए हैं। ऐसे परिसरों के लिए, जिन्हें निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर नहीं उठाया गया है, जिन आधारों पर बेदखली का आदेश पारित किया जा सकता है उन्हें ऐसे परिसरों की तुलना में अधिक निर्बन्धित किया गया है जिन्हें निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाया गया हो। उदाहरणार्थ मकान-मालिक की सद्भावी व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर ऐसे किसी भी परिसर को, जिन्हें निवास के रूप में उपयोग किये जाने के लिए किराए पर नहीं उठाया गया है, मकान-मालिक की सद्भावी आवश्यकता के आधार पर या तो उसके निवास के लिए या उसके कुटुम्ब के निवास के लिए खाली नहीं कराया जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी किराएदार ने सन्निर्माण कर लिया है, खाली कब्जा प्राप्त किया है या उसे कोई समुचित निवास स्थान आबंटित किया गया है तो उसकी बेदखली का दावा किया जा सकता है किन्तु यदि उन परिसरों को अनिवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाया गया हो तो मकान-मालिक को ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अन्य आधार भी हैं जिन पर उन परिसरों को खाली कराया जा सकता है जिन्हें निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाया गया है किंतु यदि उन परिसरों को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किराए पर उठाया गया है तो उन्हें उन आधारों पर खाली नहीं कराया जा सकता। इस प्रकार निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए परिसर और निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर न उठाए गए परिसर के बीच स्पष्ट अंतर है। 1947 का अधिनियम खाली भूमि को लागू नहीं होता। 1947 के अधिनियम को दिल्ली एंड अजमेर रैण्ट कण्ट्रोल ऐक्ट, 1952 (1952 का अधिनियम सं० 38) (जिसे इसमें इसके पश्चात् '1952 का अधिनियम' कहा गया है) द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस अधिनियम में पुनः मानक किराए के नियतन के लिए धारा 6 से लेकर 9 तक के उपबंध अंतर्विष्ट हैं। 1952 के अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के साथ पठित धारा 6 से लेकर 8 तक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के उपबंधों में मानक किराए के अवधारण के लिए उपबंध किए गए हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के परिसरों के बीच अंतर किया गया है और उसके नियतन के लिए भिन्न-भिन्न कसौटी उपबंधित की गई है। इस प्रकार निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए परिसर और उन परिसरों के लिए, जो अनिवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए हैं, मानक किराया नियत किए जाने के लिए स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न उपबंध हैं।

28. 1952 के अधिनियम की धारा 13 में किसी किराएदार (अभिधारी) की बेदखली के नियंत्रण के लिए उपबंध किया गया है और उसमें पुनः उस स्थिति में बेदखली के कतिपय आधार दिए गए है जहां परिसर निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए हैं और वे आधार उस दशा में उपलब्ध नहीं होंगे जहां परिसर अनिवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए हैं। 1952 के अधिनियम को 1958 के वर्तमान अधिनियम द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया है जिसे इसमें इसके पूर्व 'मूल अधिनियम' कहा गया है। पुनः मूल अधिनियम में द्वितीय अनुसूची के साथ पठित धारा 6 से लेकर 9 द्वारा मानक किराए के नियतन के लिए उपबंध किए गए हैं और इसमें भी निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए परिसर और उन परिसरों के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया है जिन्हें निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर नहीं उठाया गया है। इसी प्रकार मूल अधिनियम की धारा 14 में उपधारा (1) के परंतुक के विभिन्न खंडों द्वारा...परिसरों से किराएदार की बेदखली पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपबंध किए जाने के पश्चात् कतिपय परिस्थितियों में बेदखली पर से प्रतिबंध उठा लिया गया और यहां पुनः हमको उन आधारों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है जो निवासीय परिसर से किसी किराएदार की बेदखली के लिए उपलब्ध हैं और जो उस दशा में उपलब्ध नहीं हैं जहां परिसर निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर नहीं उठाए गए हैं।

29. निस्सदेह संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 14-क में कतिपय सरकारी सेवकों को परिसर का कब्जा वापस पाने के लिए कतिपय विशेष उपबंध किए गए हैं। उन परिसरों की बाबत, जहां भूस्वामी कोई कंपनी या नियमित निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई लोक संस्था है, कब्जा वापस लेने के लिए भी विशेष उपबंध किए गए हैं। (देखिए धारा 22)

30. 1947 के अधिनियम, 1952 के अधिनियम और 1958 (मूल अधिनियम) के अधिनियम की संक्षिप्ति को देखने से यह दर्शित होता है कि इन सभी विधानों में निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए परिसर और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर न उठाए गए परिसर के बीच एक सुस्पष्ट वर्गीकरण किया गया है। मूल अधिनियम की उद्देशिका में "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में कतिपय क्षेत्रों में किराए और बेदखली के नियंत्रण के लिए" उपबंध किया गया है। इसमें कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता कि इस उद्देशिका से हम अधिनियम का व्यापक प्रयोजन मालूम कर सकते हैं। अधिनियम का प्रयोजन अन्य बातों के साथ-साथ 'बेदखली पर नियंत्रण' है। मूल अधिनियम केवल परिसरों को लागू होता है और खाली भूमि को लागू नहीं होता, मूल अधिनियम का प्रयोजन बेदखली पर नियंत्रण रखना है और बेदखली पर प्रतिबंध लगाना नहीं है। धारा 14 में बेदखली पर नियंत्रण रखे जाने के लिए उपबंध किया गया है। जैसा कि उसके पूर्व कहा जा चुका है, इस नियंत्रण में निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए परिसर और निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर न उठाए गए परिसर के बीच आधारभूत अंतर रखा गया है। विधानमंडल ने इन दो प्रकार के परिसरों के बीच और किराए पर उठाए जाने के दोनों प्रयोजनों के बीच यह व्यापक वर्गीकरण जान-बूझकर किया है। यह वर्गीकरण युक्तियुक्त है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। यह वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के अधीन विभेद की कसौटी पर खरा उतरता है और उसका अधिनियम के प्रयोजन के साथ भी संबंध है। यह वर्गीकरण मोटे तौर पर व्यावहारिक रूप से भारत में सभी राज्यों में पाया जाता है। अन्य प्रादेशिक अधिनियमों में भी किराएदार (अभिधारी) की परिभाषा दी गई है जो प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है और कुछ मामलों में एक जैसी है जो संरक्षण देने के लिए या संरक्षण न देने के लिए उस राज्य की आवश्यकता पर निर्भर करती है। यहां हम जिस बात पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं वह यह है कि निवासीय और अनिवासीय किराएदारी (अभिधृति) के बीच वर्गीकरण को भलीभांति माना गया है। इस संबंध में **मैसर्स रावल एण्ड कम्पनी बनाम वी० के० जी० रामचन्द्रन और अन्य**[1] में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय के प्रति लाभप्रद रूप से निर्देश किया जा सकता है जिसमें खाली भूमि तथा किसी भवन के बीच अंतर किया गया है और बेदखली के लिए विभिन्न आधार उपबंधित किए गए हैं। यहां इस संबंध में **मंघाराम चूहड़मल बनाम बी० सी० पटेल और अन्य**[2] के मामले के प्रति भी निर्देश किया जा सकता है। निवासीय परिसर के किराएदार और अनिवासीय परिसर के किराएदार के बीच यह अंतर इंग्लैंड में भी पाया जाता है। देखिए आर० ई० मेगारीकृत "रैण्ट ऐक्ट" 10वां संस्करण पृष्ठ 86, जिसमें निवासीय मकान और कारबार

[1] ए० आई० आर० 1967 मद्रास 57.

[2] ए० आई० आर० 1972 मुम्बई 46.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लिए परिसर के बीच अंतर किया गया है। इस वर्गीकरण की सदैव पुष्टि की गई है और इसे विभेदकारी या अयुक्तियुक्त नहीं पाया गया जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता हो। इस न्यायालय ने भी **श्री एच० सी० शर्मा के मामले**[1] में यह अभिनिर्धारित किया है कि निवासीय और अनिवासीय परिसर के बीच यह वर्गीकरण विभेदपूर्ण नहीं है और वह संविधान के किसी भी उपबंध का अतिक्रमण नहीं करता।

31. तथापि न्या० वाड ने इस वर्गीकरण को केवल कानूनी किराएदारी (अभिधृति) के उत्तराधिकार में पाने की योग्यता को लागू करते हुए उसकी विधिमान्यता का निर्णय करने के लिए उस पर संदेह किया है। (देखिए प्रश्न सं० 1)

32. यदि एक बार यह बात मान ली जाती है कि निवासीय और अनिवासीय परिसरों के बीच वर्गीकरण विधिमान्य और युक्तियुक्त है तथा उसका अधिनियम के उद्देश्य के साथ संबंध है तो यह बात निश्चित हो जाती है कि ऐसे वर्गीकरण का प्रभाव भी भिन्न-भिन्न होगा। न्या० वाड ने ऐसे ही जिस एक प्रभाव पर विचार किया है वह कानूनी अभिधारी के संबंध में उत्तराधिकार में पाने की योग्यता है। यदि एक बार इस वर्गीकरण को युक्तियुक्त मान लिया जाता है तो भिन्न-भिन्न परिसर के लिए संरक्षण का विस्तार भी भिन्न-भिन्न होगा। हमें इस वर्गीकरण का अधिनियम के प्रयोजन के साथ व्यापक रूप से विवेचन करना है और उसकी प्रत्येक अलग-अलग घटना का विवेचन नहीं करना है। **केवल सिंह बनाम मुसम्मात लाजवंती**[2] के मामले में पृष्ठ सं० 168 पर पैरा 21 और 22 में उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्णय सुनाते हुए न्या० फजल अली ने निम्नलिखित सुसंगत विचार व्यक्त किए हैं :—

> "हमारे देश में भाटक (किराया) नियंत्रण विधान के अधिनियमित किए जाने के पहले भी मकान मालिक और किराएदार का संबंध हमारी सामान्य विधि, अर्थात् संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 107 से 111 द्वारा शासित होता था। किराएदार को उसकी संविदा में सन्निविष्ट शर्तों द्वारा नियमित होने वाले उसके अंतर्निहित करार सहित कब्जा दिया गया था और उस अवधि के दौरान उसके और मकान मालिक के बीच किए गए करार का खंडन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसलिए किराएदार या तो स्वेच्छा से या पट्टे के निबन्धनों और शर्तों

---

[1] आई० एल० आर० 1973 (1) दिल्ली 90.

[2] [1980] 3 उम० नि० प० 1141=ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 161.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अधीन संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा यथा-अपेक्षित नोटिस के उसे दिए जाने के पश्चात् वाद के माध्यम से परिसरों को खाली करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। तथापि मनमौजी और निरर्थक बेदखली से किराएदारों को संरक्षण देने के सामाजिक सुधार के भाग के रूप में विधान बनाया गया था और उसे एक कानूनी किराएदार का स्तर प्रदत्त करके किराएदार को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया था जिसे सिवाय भाटक नियंत्रण अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और विहित प्रक्रिया के अधीन अन्यथा बेदखल नहीं किया जा सकता। अतः इस सीमा तक पट्टे का करार और संपत्ति अंतरण अधिनियम के उपबंधों को अतिष्ठित किया गया है। साथ ही साथ भाटक नियंत्रण अधिनियमों में कतिपय विनिर्दिष्ट आधारों जैसे कि वास्तविक वैयक्तिक आवश्यकता अथवा भाटक आदि का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर मकान मालिक के लिए बेदखल कराने की प्रसुविधाओं का उपबंध किया गया था। अतः कोई अधिकार जो पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किराएदार के पास था, वह भाटक नियंत्रण अधिनियम के आधार पर ही उसे प्रदत्त किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि विधानमंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता से किराएदारों को कतिपय अधिकार या प्रसुविधायें प्रदत्त की थीं तो वह परिवर्तित परिस्थितियों के कारण उसे घटा सकता था, उपांतरित कर सकता था, परिवर्तित कर सकता था अथवा ऐसे अधिकार या बेदखली के प्रयोजनार्थ अधिनियमित प्रक्रिया को वापस भी ले सकता था और किराएदारों को सामान्य विधि के अधीन अपना उपचार प्राप्त करने के लिए छोड़ सकता था।

अतः हम यह नहीं देखते हैं कि किस प्रकार किराएदार विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित किसी ऐसे उपबंध की विधिमान्यता पर आक्षेप कर सकता है जिससे किराएदार स्वयं अपने ऐसे अधिकार प्राप्त करता है।"

33. पुनः **पी० जे० ईरानी बनाम मद्रास राज्य और एक अन्य**[1] में उच्चतम न्यायालय ने कतिपय भवनों के अपवर्जन पर विचार करते हुए मद्रास बिल्डिंग्स (लीज एण्ड रैण्ट कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1949 (1949 का 25) की धारा 13 की विधिमान्यता को कायम रखा था जो राज्य सरकार को किसी कतिपय वर्ग के भवन को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती

[1] ए० आई० आर० 1961 एस० सी० 1731.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है किंतु यह दृष्टिकोण अपनाया था कि उक्त उपबंधों के अधीन सरकार के अलग-अलग आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है।

34. यह बात ध्यान देने योग्य है कि संशोधन अधिनियम द्वारा उत्तराधिकार में पाने की योग्यता के प्रयोजन के लिए अभिधारी (किराएदार) की परिभाषा को केवल निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए परिसर तक ही सीमित रखा गया है। यह एक साधारण अपवाद है तो उत्तराधिकार में पाने की योग्यता को केवल निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर दिए गए परिसर तक सीमित करता है। जिस समय यह अध्यादेश और तत्पश्चात् संशोधन अधिनियम प्रवृत्त हुआ था उस समय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निम्नलिखित दो विनिश्चयों में विधि के प्रचलित दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया गया। ये विनिश्चय इस प्रकार हैं :—**आनन्द निवास प्राइवेट लि० बनाम आनन्दजी कल्याणजी पेधी और अन्य**[1] तथा **जे०सी० चटर्जी और अन्य बनाम श्री श्रीकृष्ण टंडन और एक अन्य**[2]। इन दोनों ही विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि कानूनी अभिधारी के अधिकार उत्तराधिकार में पाने योग्य नहीं हैं और कानूनी अभिधारी के वारिस भाटक अधिनियम द्वारा उपबंधित संरक्षण पाने के हकदार नहीं हैं। **आनन्द निवास प्रा० लि० वाले मामले**[1] में जिस कानून पर विचार किया गया था वह बाम्बे रैण्ट्स, होटल एण्ड लाजिंग हाउस रेट्स कण्ट्रोल ऐक्ट (1947 का 57) था और **जे० सी० चटर्जी के मामले**[2] में जिस कानू पर विचार किया गया वह राजस्थान प्रमिसेज (कंट्रोल आफ रैण्ट एंड एविक्शन) ऐक्ट, (1950 का 17) था और प्रचलित दृष्टिकोण यह था कि कानूनीन अभिधारी के वारिसों को भाटक अधिनियम के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं है। विधि के इस प्रचलित दृष्टिकोण के कारण ही संसद ने, जहां तक दिल्ली का संबंध है और जैसा कि मैं संशोधन अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के कथन में उद्धृत कर चुका हूं और मृतक कानूनी अभिधारी के कतिपय वारिसों उत्तराधिकारियों को अभिधृति के अधिकार प्रदान किए जाने की निरंतर मांग के परिणामस्वरूप, ताकि उन्हें मकान मालिकों द्वारा बेदखली से संरक्षण प्रदान किया जा सके, संशोधन अधिनियम द्वारा उपर्युक्त खंड 2(ठ) जोड़ा है।

35. **दमड़ी लाल के मामले**[3] में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय, जिसमें उपर्युक्त दोनों विनिश्चयों अर्थात् **आनन्द निवास प्रा० लि०**[1] और **जे० सी०**

[1] ए० आई० आर० 1965 एस० सी० 414.
[2] [1972] 3 उम० नि० प० 700=ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 2526.
[3] ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 2229.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चटर्जी[1] के विनिश्चयों पर पुनः विचार किया गया था, 7 मई, 1976 को दिया गया था। **दमड़ी लाल के मामले**[2] में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या कानूनी किराएदार के वारिस कानूनी अभिधारी के विरुद्ध निचले अपील न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील फाइल कर सकते हैं और इस प्रश्न को विनिश्चित करते समय उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून में अभिधारी की दी गई परिभाषा पर निर्भर होगा और इस कारण उच्चतम न्यायालय ने **आनन्द निवास**[3] और **जे० सी० चटर्जी**[1] वाले मामलों के पूर्वतर विनिश्चयों को प्रभेदित किया है और उन्हें उलटा नहीं है। यह संभव है कि मूल अधिनियम में अभिधारी की पूर्वतर परिभाषा ऐसी हो कि उसके अंतर्गत दोनों ही प्रकार की अभिधृति अर्थात् संविदात्मक किराएदारी (अभिधृति) और कानूनी किराएदारी दोनों ही आती हों किन्तु **केवल सिंह के मामले**[4] में न्या० फजल अली ने यह मत व्यक्त किया है कि "इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि विधानमंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता से किराएदारों को कतिपय अधिकार या प्रसुविधायें प्रदत्त की थीं तो वह परिवर्तित परिस्थितियों के कारण उसे घटा सकता था, उपांतरित कर सकता था, परिवर्तित कर सकता था, अथवा ऐसे अधिकारों या...को वापस भी लिया जा सकता था।" यह उल्लेखनीय है कि जैसा पहले दिल्ली में था और कुछ अन्य राज्य के अधिनियमों में भी मकान-मालिक को निवास या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपनी सद्भाविक व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर ऐसे परिसर से बेदखली का आदेश अभिप्राप्त करने के लिए वहां कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था जहां परिसर वाणिज्यिक प्रयोजन या अनिवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए हों। विधानमंडल के समक्ष उच्चतम न्यायालय का वह प्रचलित दृष्टिकोण था जो कि **आनन्द निवास**[3] और **जे० सी० चटर्जी**[1] के मामलों में प्रतिपादित किया गया है और विधानमंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार कतिपय परिस्थितियों में कानूनी अभिधारी के कतिपय वारिसों को अधिकार देना या अपेक्षाकृत कानूनी किराएदार के वारिसों को उसका लाभ प्रदान करना ठीक समझा जहां परिसर निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए हों किन्तु उन किराएदारों के वारिसों को, जिन्हें परिसर अनिवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए हैं, ऐसा संरक्षण प्रदान करना या लाभ देना ठीक नहीं समझा। यह वर्गीकरण मूल अधिनियम में निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए

---

[1] [1972] 3 उम० नि० प०=ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 2526.

[2] ए० आई० आर० 700 1976 एस० सी० 2229.

[3] ए० आई आर० 1965 एस० सी० 414.

[4] [1980] 3 उम० नि० प० 1141=ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 161.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परिसर और निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर न उठाए गए परिसर के बीच किए गए साधारण वर्गीकरण के अनुरूप है।

36. **श्री रामकृष्ण डालमिया और अन्य** बनाम **माननीय न्या० एस० आर० तंदोलकर और अन्य**[1] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण के आधार पर कानून की विधिमान्यता का अवधारण करने के लिए न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने योग्य सिद्धांत अवधारित किए थे। उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :—

"यह बात अब सुस्थिर है कि जबकि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का प्रतिषेध करता है किन्तु वह विधान के प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण का प्रतिषेध नहीं करता। तथापि अनुज्ञेय वर्गीकरण को कसौटी पर खरा उतरने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात् (i) वर्गीकरण एक ऐसे बोधगम्य अंतर पर आधारित हो जो उन व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच प्रभेद करता हो जिन्हें उन व्यक्तियों से, जिन्हें उस समूह से छोड़ दिया गया है, एक साथ समूहबद्ध किया गया है, और (ii) यह कि ऐसे अंतर का प्रश्नगत कानून द्वारा प्राप्तव्य उद्देश्य के साथ युक्तिसंगत संबंध होना चाहिए। यह वर्गीकरण भिन्न-भिन्न आधारों पर अर्थात् भौगोलिक या उद्देश्यों या उपजीविका के अनुसार या ऐसे ही अन्य आधारों पर निर्भर हो सकता है। तथापि यहां यह बात आवश्यक है कि ऐसे वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच संबंध होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों द्वारा भी यह बात सुस्थापित है कि अनुच्छेद 14 ऐसे विभेद की न केवल मुख्य विधि द्वारा बल्कि प्रक्रियात्मक विधि द्वारा भी निन्दा करता है। उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों से यह और बात भी सिद्ध हो जाती है कि :—

(क) कोई विधि सांविधानिक हो सकती है भले ही वह किसी विशेष परिस्थितियों या उसे लागू होने वाले कारणों की वजह से किसी एक व्यक्ति से संबंधित हो और अन्य व्यक्तियों को लागू न होती हो; यह कि एकल व्यक्ति को अपने आप ही एक वर्ग के रूप में माना जा सकता है;

(ख) यह कि किसी अधिनियमिति की सांविधानिकता के पक्ष में सदैव उपधारणा की जाती है और यह दर्शित करने का भार उस व्यक्ति

[1] ए० आई० आर० 1958 एस० सी० 538.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर होता है जो उसे चुनौती देता है कि सांविधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट अतिक्रमण हुआ है;

(ग) इस बात की उपधारणा की जानी चाहिए कि विधानमंडल स्वयं अपनी जनता की आवश्यकता को समझता है और उसका सही-सही मूल्यांकन करता है और उसकी विधियां अनुभव द्वारा स्पष्ट की गई समस्याओं के लिए बनाई गई हैं और उसके द्वारा विभेद यथेष्ट आधारों पर आधारित है;

(घ) विधानमंडल नुकसान की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र है और वह अपने निर्बन्धनों को केवल उन मामलों तक ही सीमित कर सकता है जहां ऐसी आवश्यकता सबसे अधिक स्पष्ट रूप से समझी जाती है;

(ङ) यह कि सांविधानिकता की उपधारणा करने के लिए न्यायालय सामान्य ज्ञान के विषयों, सामान्य रिपोर्ट के विषयों और समय के इतिहास पर विचार कर सकता है और प्रत्येक ऐसी तथ्य स्थिति की धारणा कर सकता है जिनकी विधान बनाए जाने के समय विद्यमान होने की कल्पना की जा सकती है; और

(च) यह कि जबकि विधानमंडल की ओर से सद्भावना और विद्यमान दशा की जानकारी होने की उपधारणा की जाती है किंतु यदि विधि या चारों ओर की परिस्थितियों को देखने से, जिन्हें न्यायालय की जानकारी में लाया गया हो और जिन पर वर्गीकरण को युक्तियुक्त रूप से आधारित माना जा सकता हो, ऐसी कोई भी बात प्रकट न होती हो तो सदैव यह अभिनिर्धारित करने की सीमा तक सांविधानिकता की उपधारणा नहीं की जा सकती कि कतिपय व्यक्तियों या निगमों को किसी प्रतिकूल या विभेदकारी विधान के अधीन रखे जाने के लिए कुछ अज्ञात और अप्रकट कारण होने चाहिए। उपर्युक्त सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा उस समय सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए जब उससे किसी ऐसी विशिष्ट विधि की सांविधानिकता को न्यायनिर्णीत करने की अपेक्षा की गई हो जिस पर विभेदकारी होने और विधियों के समान संरक्षण का अतिक्रमण करने के आधार पर आक्षेप किया गया हो।"

37. निवासीय और अनिवासीय परिसरों के बीच यह अंतर अभिधारी की परिभाषा देते समय खंड 2(ठ) में भी रखा गया है। यह दोनों प्रकार की अभिधृतियों के बीच पाई जाने वाली उस साधारण स्कीम के अनुरूप है

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिसका अधिनियम के साथ अर्थात् अभिधारियों की बेदखली को उस सीमा तक, जहां तक विधानमंडल आवश्यक समझता है, नियंत्रित करने के साथ संबंध है।

38. इस मामले पर विचार किए जाने का एक और अन्य पहलू भी है। हमारे मतानुसार पिटीशनरों को संशोधित धारा 2(ठ) की शक्तिमत्ता को चुनौती देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई सुने जाने का अधिकार (विधिक अधिकार) नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि मकान-मालिक और किराएदार के साधारण अधिकारों को दिल्ली में संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू होता है। भाटक नियंत्रण विधियां किराएदारी समाप्त हो जाने के पश्चात् या संविदा या पट्टे के अनुसार किसी किराएदार को बेदखल करने के लिए मकान-मालिक के साधारण अधिकारों पर निर्बन्धन हैं। यह निर्बन्धन परिसर के उपयोग के संबंध में उसके अधिकार पर निर्बन्धन है। किराएदारों को इस संरक्षण का दावा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। किराएदार को विशेष अधिकार प्रदान करने वाले कानून को संपूर्णतः कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यदि उत्तराधिकार में पाने की योग्यता के मुकाबले में दोनों प्रकार के परिसरों के बीच इस अंतर को विभेदपूर्ण माना जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा ? मूल अधिनियम का पुराना खंड 2(ठ) पहले ही प्रतिस्थापित किया जा चुका है। तथ्यतः यह पुरानी धारा 2(ठ) का निरसन है। इसे पुनःप्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि जहां कि भूस्वामी/मकान-मालिक की परिभाषा उसमें दी गई है किन्तु उसमें अभिधारी की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई। मूल अधिनियम में परिभाषा से संबंधित धारा 2 में यह अनुध्यात है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किराएदार (अभिधारी) से यथा-परिभाषित अभिप्रेत है। भाटक अधिनियम के सभी उपबंध स्वबल के कारण उसमें इस प्रकार परिभाषित भूस्वामी और अभिधारी के बीच लागू होते हैं। यदि उसमें अभिधारी की कोई परिभाषा नहीं दी जाती है तो संपूर्ण अधिनियम अभिधारियों को लागू नहीं होगा। अतः इस बात पर विचार किए जाने में एक अंतर्निहित भ्रान्ति है कि अभिधारियों को संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने के आधार पर इस उपबंध को चुनौती देने के लिए सुने जाने का अधिकार है। भाटक अधिनियमों को प्रमुख रूप से अभिधारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है और इस सीमा तक विधानमंडल ने ऐसे वारिसों को, जिन्हें वह ठीक और उचित समझे, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ठीक और उचित माना है। अभिधारियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उन्हें अपनी भावी संतति के लिए भी वही संरक्षण प्रदान किया जाए। यदि विधानमंडल अपनी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बुद्धिमत्ता के अनुसार यह उचित समझता है कि उन्हें भी संरक्षण दिया जाना चाहिए तो वह समुचित निर्बन्धन अधिनियमित करेगा परन्तु केवल इस कारण कि विधानमंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार अभिधारियों के वारिसों को ऐसा संरक्षण प्रदान नहीं किया है, यह अभिप्रेत नहीं होगा कि इस परिभाषा का अधिनियम या अधिनियम के उद्देश्य या प्रयोजनों के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह अधिनियम भविष्य में बेदखली पर नियंत्रण रखता है और उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता है । अतः हमारा स्पष्ट रूप से यह मत है कि कानूनी किराएदारी (अभिधृति) को उत्तराधिकार में पाने की योग्यता को लागू होने के लिए निवासीय और अनिवासीय परिसरों के बीच यह अन्तर युक्तियुक्त है और उसका अधिनियम के उद्देश्यों के साथ संबंध है।

39. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउन्सेल ने यह आनुकल्पिक दलील दी है कि यदि यथासंशोधित सम्पूर्ण धारा 2(ठ) को अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता तो कम से कम उसके एक सीमित भाग को अवश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने वाला घोषित किया जाए। इस प्रकार बताया गया भाग यह है "जो...ऐसे परिसर में सामान्यतः रहते रहे हैं।" इस दलील को नामंजूर कर दिया गया। यह उपबंध इस परिभाषा का एक अभिन्न अंग है और वह उससे पृथक किए जाने योग्य नहीं है। इस भाग के द्वारा अभिधृति को उत्तराधिकार में पाने की योग्यता को चाहे उसे किसी भी नाम से अर्थात् कानूनी या संविदात्मक पुकारा जाए, केवल उन व्यक्तियों तक सीमित किया जा रहा है जो किराएदार (अभिधारी) की मृत्यु की तारीख तक उसके साथ ऐसे परिसर में सामान्यतः रहते रहे हैं।

40. इस निर्देश पर बहस समाप्त करने के पूर्व कुछ अन्य नजीरों के प्रति निर्देश किया जाना भी उचित होगा जिन पर अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने धारा 2(ठ) को अधिकारातीत घोषित किए जाने के लिए अवलंब लिया है। ये नजीरें इस प्रकार हैं :—

(1) एस० के० दत्त, आयकर अधिकारी बनाम लारेंस सिंह इन्कटी[1]।

(2) जय लाल बनाम दिल्ली प्रशासन[2]।

(3) राजस्थान राज्य बनाम मकन चंद[3]।

[1] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 658.

[2] ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1781.

[3] ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 1633.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(4) डी० एस० रेड्डी बनाम कुलाधिपति उस्मानिया विश्वविद्यालय[1]।

(5) बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली और राजस्थान और एक अन्य[2]।

(6) उपायुक्त और कलक्टर, कामरूप और अन्य बनाम दुर्गानाथ शर्मा[3]।

(7) गनपत लोढ़ा बनाम शशिकांत[4]।

(8) आनन्दजी हरिदास एंड कंपनी बनाम एस० पी० कस्तूरी, आदि[5]।

(9) आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम नल्ला राजारेड्डी और अन्य[6]।

(10) जैला सिंह और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य[7]।

(11) हरकचन्द बनाम भारत संघ[8]।

(12) ए० पी० कृष्णस्वामी नायडू आदि बनाम मद्रास राज्य[9]।

(13) के० कुन्हीकोमन बनाम केरल राज्य[10]।

(14) कस्तूरीलाल लक्ष्मीरेड्डी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य[11]।

(15) रमण दयाराम शेट्टी बनाम इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया, आदि[12]।

---

[1] 1967 (2) एस० सी० आर० 214.
[2] ए० आई० आर० 1959 एस० सी० 149.
[3] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 394.
[4] [1979] 1 उम० नि० प० 980=ए० आई० आर० 1978 एस० सी० 955.
[5] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 565.
[6] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1458.
[7] [1975] 4 उम० नि० प० 382=ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 1436.
[8] [1970] 2 उम० नि० प० 460=ए० आई० आर० 1970 एस० सी 1453.
[9] ए० आई० आर 1964 एस० सी० 1515.
[10] ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 723.
[11] [1981] 2 उम० नि० प० 908=ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 1992.
[12] [1980] 2 उम० नि० प० 961=ए० आई० आर० 1979 ए० सी० 1628.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(16) **स्वामी मोटर ट्रांसपोर्ट्स प्रा० लि० आदि बनाम शंकर स्वामीगल मठ**[1]।

41. **एस० के० दत्त, आयकर अधिकारी के मामले**[2] में प्रत्यर्थी असम राज्य में एक सरकारी सेवक था किंतु वह अनुसूचित जन-जाति का सदस्य था। इनकम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 4(3)(xxi) में तथ्यत: यह उपबंधित है कि किसी अनुसूचित जन-जाति के सदस्य की आय उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी "बशर्ते ऐसा सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है।" हालांकि प्रत्यर्थी अनुसूचित जन-जाति का सदस्य था किंतु उपर्युक्त खंड के छूट वाले भाग को ध्यान में रखते हुए उसे इस लाभ से वंचित कर दिया गया। इस कारण उसने इस उपबंध के उस भाग को चुनौती दी है जिसके द्वारा सरकारी सेवकों को इस छूट के फायदे से अपवर्जित किया जाना ईप्सित है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आक्षेपित धारा के प्रयोजन के लिए सरकारी सेवकों का वर्गीकरण मनमाना है। उच्चतम न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि सरकारी सेवक की आय और किसी ऐसे व्यक्ति की आय के बीच, जो किसी प्राइवेट कंपनी या निगम में काम कर रहा हो या जो कोई भी व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो, कोई अंतर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह और अभिनिर्धारित किया कि आक्षेपित भाग को सरलतापूर्वक अलग किया जा सकता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि विधानमंडल इस बात के प्रति जागरूक होता कि वह सरकारी सेवकों को प्रश्नगत छूट से अपवर्जित करने के लिए सक्षम नहीं है तो ऐसी छूट प्रदान कर दी गई होती।

42. **जय लाल के मामले**[3] में जिस उपबंध को चुनौती दी गई है वह भारतीय आयुध अधिनियम, 1878 की धारा 29 है। इस धारा में अधिनियम की धारा 19(च) के अधीन किए गए अपराध के लिए (लाइसेंस के बिना कोई शस्त्र रखना) अभियोजन के लिए मंजूरी देने का उपबंध किया गया है। कतिपय मामलों में मंजूरी अपेक्षित है जबकि दूसरे मामलों में ऐसा अपेक्षित नहीं है। इस उपबंध का प्रभाव यह है कि इसके द्वारा गंगा और जमुना के क्षेत्रों के उत्तरी क्षेत्रों और गंगा-जमुना के दूसरी ओर के क्षेत्रों के बीच एक अन्तर किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि मंजूरी प्रदान किए जाने के प्रयोजन के लिए गंगा और जमुना के एक ओर के क्षेत्रों और

[1] ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 864.
[2] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 658.
[3] ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1781.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गंगा और जमुना के दूसरी ओर के क्षेत्रों के बीच यह अन्तर युक्तियुक्त वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने पृष्ठ 1786 पर कालम 1 में एक महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है जो इस प्रकार है :—

"तथ्य यह है कि विभेद के इस दोष में यह बात अन्तर्हित है कि उसकी इस बात के लिए विभाजन नहीं किया जा सकता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस आरोप का मुख्य आधार कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है, यह है कि इसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों के बीच, जिनकी स्थिति एक ही जैसी है, के बीच अयुक्तिसंगत अन्तर किया गया है और जहां ऐसा आरोप सु-आधारित हो वहां सम्पूर्ण धारा को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।"

43. वास्तव में ये विचार पृथक किए जाने की बाबत, जैसा कि अनुकल्पतः दलील दी गई है, प्रत्यर्थी की ओर से की गई बहस का ही समर्थन करते हैं।

44. **राजस्थान वाला मामला**[1] राजस्थान जागीरदार डेट रिडक्शन ऐक्ट, 1957 की धारा (ई) के बारे में है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस धारा को अवैध घोषित किया गया था। यह अधिनियम ही उन जागीरदारों के ऋणों को कम करने के लिए पारित किया गया था जिनकी जागीरें इसके पूर्व राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन आफ जागीर्स ऐक्ट, 1952 द्वारा फिर से ग्रहण कर ली गई थीं। धारा 2(ई) में "ऋण" पद को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा का बाद वाला भाग कतिपय ऋणों को अधिनियम की परिधि से अपवर्जित करता है। उसमें यह कहा गया है कि "ऋण" से अभिप्रेत है···किन्तु इसके अन्तर्गत 1 जनवरी, 1949 को या उसके पश्चात् दिया गया अग्रिम धन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार को देय ऋण नहीं आता। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना सही है कि इस धारा का वह भाग जो कतिपय प्राधिकारियों द्वारा देय ऋणों को अपवर्जित करता है, अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है क्योंकि ऋणों को छूट प्रदान करने के लिए कोई भी बोधगम्य सिद्धान्त नहीं दिया गया है और न इस अन्तर और अधिनियम द्वारा प्राप्तव्य उद्देश्य के बीच कोई युक्तिसंगत सम्बन्ध ही है। यह मामला स्वयं उन निष्पादन कार्यवाहियों में उद्भूत हुआ है जिनमें निर्णीत ऋणी ने अधिनियम

---

[1] ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 1633.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के उपर्युक्त उपबंधों के आधार पर ऋणों में कमी किए जाने के लिए आवेदन किया था। यह मामला यहां लागू नहीं होता।

45. एक कानून द्वारा किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को राज्य द्वारा फिर से ग्रहण किया जा रहा है और एक अन्य अधिनियम द्वारा उसके ऋणों को कम किया जा रहा है किन्तु उसके ऋणों को कम किए जाने की इस प्रक्रिया में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को देय रकम का अपवर्जित किया जाना ईप्सित है। उच्चतम न्यायालय ने ऋण कम किए जाने के प्रयोजन के लिए इस अन्तर को दोषपूर्ण पाया है।

46. **डी० एस० रेड्डी का मामला**[1] उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1959 के अधीन उद्भूत हुआ था। उस मामले में अपीलार्थी को पांच वर्ष की एक विशिष्ट अवधि के लिए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पदावधि को एक संशोधन द्वारा घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। तत्पश्चात् उस्मानिया यूनिवर्सिटी (सेकन्ड अमैंडमैंट) ऐक्ट, 1966 द्वारा अधिनियम में धारा 13-ए जोड़ी गई। इस धारा में यह उपबंधित है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी (सेकन्ड अमैंडमैंट) ऐक्ट, 1966 के प्रारम्भ पर पद को धारण करने वाला कुलपति अपने पद को उस समय तक धारण किए रहेगा जब तक धारा 12(1) के अधीन नया कुलपति नियुक्त नहीं किया जाता और ऐसी नियुक्ति ऐसे प्रारम्भ के 90 दिन के भीतर की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि धारा 13-ए अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी के विरुद्ध निर्दिष्ट की गई है जिसे अपने आप में एक वर्ग नहीं माना जा सकता।

47. इस नजीर की सुसंगति को समझना कठिन है क्योंकि प्रस्तुत मामले में किसी व्यक्तिगत अभिधारी या उसके वारिसों को इस उपबंध से अपवर्जित नहीं किया जा रहा है बल्कि एक निश्चित वर्ग को कतिपय वर्ग के परिसर से भाटक अधिनियम के संरक्षण से अपवर्जित किया जा रहा है।

48. **बशेश्वर नाथ के मामले**[2] में अपीलार्थी ने टैक्सेशन आन इनकम (इनवेस्टीगेशन कमीशन) ऐक्ट, 1947 के अधीन एक करार किया था और उस समझौते के अनुसरण में वह अपने निर्धारण पर कर और शास्ति की कतिपय रकम का संदाय करने के लिए राजी हो गया था। इसी बीच उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने वाला घोषित

[1] 1967 (2) एस० सी० आर० 214.
[2] ए० आई० आर० 1959 एस० सी० 149.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा किया गया समझौता भी शून्य हो गया और अपीलार्थी ने बकाया रकम का संदाय करने के अपने दायित्व का विरोध किया। उच्चतम न्यायालय में राजस्व विभाग के काउन्सेल ने समझौते की विधिमान्यता का इस अभिवाक के आधार पर समर्थन किया कि निर्धारिती ने समझौते के अनुसार एक सारवान रकम का संदाय करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन अपना अधिकार अधित्यक्त कर दिया है। तथापि उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी नागरिक या किसी अन्य व्यक्ति को, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के उपबंधों का फायदा उठाता है, राज्य की ओर से उसके भंग को अधित्यक्त करने की स्वतन्त्रता नहीं है। अतः अपील मंजूर कर ली गई और वसूली के लिए निर्धारिती के विरुद्ध कार्यवाहियां अभिखंडित कर दी गई।

49. **उपायुक्त और कलक्टर, कामरूप और अन्य वाले मामले**[1] में प्रत्यर्थी की भूमि को असम राज्य द्वारा 1960 के असम ऐक्ट सं० 21 के साथ पठित असम एक्वीजीशन आफ लैंड फार फ्लोर कण्ट्रोल एण्ड प्रीवैंशन आफ इरोजन ऐक्ट, 1955 के अधीन अर्जित किए जाने की ईप्सा की गई थी। प्रत्यर्थी ने इस अधिनियम की विधिमान्यता को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन विभेद के आधार सहित विभिन्न आधारों पर चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को अविधिमान्य अभिनिर्धारित किया और उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि कर दी। इसका कारण यह है कि आक्षेपित अधिनियम केवल कुछ सामान्य प्रतिकर का संदाय किए जाने पर ही भूमि नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जित किए जाने को अनुज्ञात करता है जबकि साथ ही लगी हुई भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अन्य लोक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त प्रतिकर का संदाय करने पर अर्जित किया जा सकता है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल इस कारण कि कुछ भूमि का आक्षेपित अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजन के लिए अर्जन किया जा रहा है और दूसरी भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए अर्जन किया जा रहा है, एक-जैसी ही भूमि के स्वामियों के बीच अनुचित विभेद किया गया है।

50. **गनपत लोढ़ा का मामला**[2] वास्तव में एक विसंगत मामला है क्योंकि यह मामला बाम्बे रेण्ट्स, होटल एण्ड लाजिंग हाउस रेट्स कण्ट्रोल ऐक्ट, 1947 की धारा 12(3)(बी) के निर्वचन से सम्बन्धित है। तथापि उच्चतम

[1] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 394.

[2] [1979] 1 उम० नि० प० 980=ए० आई० आर० 1978 एस० सी० 955.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय ने निर्णय के पृष्ठ 960 पर पैरा 1 के अन्त में इस प्रकार मत व्यक्त किया है :—

"यदि कानूनी उपबंध अभिधारी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो इसका उपचार विधानमंडल के पास है।"

51. **आनन्दजी हरिदास एण्ड कम्पनी के मामले**[1] में अपीलार्थी सेन्ट्रल प्राविंसेज एंड बरार सेल्स-टैक्स ऐक्ट, 1947 (संयुक्त प्रान्त और बरार बिक्री कर अधिनियम, 1947) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी है। उसने कतिपय तिमाही की विवरणियां प्रस्तुत नहीं कीं। उस पर अधिनियम की धारा 11(4)(ए) के अधीन इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए नोटिस की तामील की गई कि क्यों न उस पर कर निर्धारण प्राधिकारी के सर्वोत्तम निर्णयानुसार कर निर्धारण किया जाए। धारा 11(4)(ए) केवल रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को ही लागू होती है। धारा 11-ए (1) रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत दोनों ही प्रकार के व्यापारियों को लागू होती है। धारा 11-ए(1) के उपबंधों के अधीन कार्यवाही आरम्भ करने के लिए परिसीमा तीन वर्ष है जबकि धारा 11(4)(ए) के अधीन परिसीमा का ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है। निर्धारिती ने यह दलील दी है कि चूंकि उनके विरुद्ध धारा 11(4)(ए) के अधीन कार्यवाही की गई है, इसलिए उन्हें तीन वर्ष के परिसीमाकाल का लाभ नहीं मिल सकता और तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि धारा 11(4)(ए) विभेदकारी है। अतः धारा 11(4)(ए) अवैध घोषित की जाती है। इस मामले की हमारे समक्ष मामलों के तथ्यों के साथ कोई समता नहीं है।

52. **आन्ध्र प्रदेश राज्य के मामले**[2] में प्रत्यर्थियों ने राज्य को आन्ध्र प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (एडीशनल एसेसमेंट) एण्ड सेस रिवीजन (अमैण्डमेंट) ऐक्ट, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारित किए गए भू-राजस्व को वसूल करने से प्रविरत रहने का निदेश देने के लिए उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किए थे। उच्च न्यायालय ने इन पिटीशनों को इस आधार पर मंजूर कर लिया कि उक्त अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकारातीत है। इसके विरुद्ध राज्य ने अपील की। आन्ध्र और तेलंगाना में सन् 1863 में किए गए पूर्वतन बन्दोबस्त को रय्यतवाड़ी बन्दोबस्त कहा जाता है जो कि मिट्टी के वर्गीकरण पर आधारित है। भूमि को आवली में, आवली को वर्गों में और वर्गों को प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। नम (आर्द्र) मिट्टी के मामले में कुछ और वर्गीकरण

[1] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 565.
[2] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1458.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया गया है। संक्षेप में भूमि को कई और विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है।

53. परिणामस्वरूप भू-राजस्व भूमि की उपज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे धन मूल्य में रूपांतरित किया गया है। सन् 1939 में रय्यतवाड़ी प्रथा समाप्त कर दी गई। मूल्य-स्तर के आधार पर निर्धारण की दरों का मानकीकरण करने के लिए दो अधिनियम पारित किए गए, एक सन् 1952 में और दूसरा सन् 1956 में। सन् 1958 में भू-राजस्व सुधार समिति नियुक्त की गई जिसने यह सिफारिश की कि निर्धारण मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता, जल के प्रदाय की अवधि और कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।

54. आक्षेपित अधिनियम के अधीन पूरी तरह एक नई स्कीम शुरू की गई। भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता का विचार किए बिना एक नियत न्यूनतम दर अधिकथित की गई। नम भूमि की दशा में इसे आयाकट की सीमा तक जोड़ दिया गया। विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है। अतः यह मामला भी कतई सुसंगत नहीं है।

55. **जंला सिंह और एक अन्य के मामले**[1] में उस सरकारी भूमि के आबंटन के संबंध में नियमों के दो समूह थे जिसको विभिन्न व्यक्तियों को अस्थायी पट्टे पर दिया गया था। राजस्थान कालोनाईजेशन (राजस्थान लैण्ड प्राजैक्ट प्रि-1955 टैम्परेरी टेनेंट्स गवर्नमेंट लैण्ड अलाटमेंट) कन्डीशन्स, 1971 राजस्थान के उन निवासियों को लागू होते हैं जो तारीख 1-4-1955 के पहले से वहां हैं और जिनका 16-10-1955 के पहले से लेकर 3-2-1971 तक कृषि भूमि पर अस्थायी कब्जा है। राजस्थान कालोनाईजेशन (अलाटमेंट आफ गवर्नमेंट लैंड टू पोस्ट-1955 टैम्परेरी कल्टीवेशन लीज होल्डर्स एण्ड अदर लैंडलैस पर्सन्ज इन दि राजस्थान लैंड प्रोजैक्ट एरिया) रूल्स, 1971 तारीख 16-10-1955 के बाद के अस्थायी पट्टाधारकों के संबंध में लागू होते हैं। सन् 1955 के पहले आबंटन संबंधी शर्तें 1955 के बाद अभिधारियों को आवंटन संबंधी शर्तों की तुलना में कहीं अधिक फायदाप्रद थीं। न्यायालय ने इन नियमों को अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी अभिनिर्धारित किया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दोनों समूह पृथक-पृथक वर्ग नहीं हैं और उनके बीच अंतर पूरी तरह मनमाना है। इस अंतर को दो आधारों पर न्यायोचित ठहराया

[1] [1975] 4 उम० नि० प० 382=ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 1436.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गया है, अर्थात् (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम तारीख 15-10-1955 से प्रवृत्त हुआ है और (2) अधिभोग की अवधि। दोनों ही आधारों को सारहीन ठहराया गया।

56. **हरक चन्द** बनाम **भारत संघ के मामले**[1] में आक्षेपित अधिनियम स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 है। जिन धाराओं को अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई है वे धारा 27 और 39 हैं। धारा 27 में अन्य बातों के साथ-साथ किसी व्यक्ति द्वारा एक व्यापारी के रूप में कारबार शुरू किए जाने या चलाए जाने के पहले व्यापारियों के अनुज्ञापन के लिए उपबंध किया गया है। धारा 39 में प्रमाणित स्वर्णकारों के अनुज्ञापन के लिए उपबंध किया गया है। यह दलील दी गई है कि व्यापारियों के अनुज्ञापन के बारे में उपबंध रजिस्ट्रीकृत स्वर्णकारों के अनुज्ञापन के संबंध में उपबंधों की तुलना में कहीं अधिक कठोर हैं। इस तर्क पर विचार-विमर्श करते हुए न्यायालय ने पृष्ठ 1467 में कालम 2 पर अनुच्छेद 14 के अधीन किसी उपबंध की विधिमान्यता की परीक्षा करने के लिए दोहरी कसौटी बताई है। इस कसौटी का अपीलार्थियों द्वारा अवलंब लिया गया है। तथापि न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुज्ञप्त व्यापारियों और प्रमाणित स्वर्णकारों के पृथक-पृथक वर्ग बनते हैं और उनकें बीच किया गया वर्गीकरण युक्तियुक्त है। अतः आक्षेपित धाराएं इस आधार पर अविधिमान्य नहीं हैं। तथापि न्यायालय ने धारा 27 को अनुच्छेद 19 के अधीन अविधिमान्य अभिनिर्धारित किया। किन्तु यह मामला भी अपीलार्थियों के लिए लाभप्रद प्रतीत नहीं होता।

57. **ए० पी० कृष्णस्वामी नायडू**[2] और **के० कुन्हीकोमन**[3] के मामले क्रमशः मद्रास लैंड रिफार्म्स (फिक्सेशन आफ सीलिंग आन लैंड) ऐक्ट, 1961 और केरल ऐग्रेरियन रिलेशंस ऐक्ट, 1961 के अधीन उद्भूत हुए थे। दोनों ही मामलों में आक्षेपित अधिनियमों में अधिकतम सीमा नियत करने के प्रयोजन के लिए "कुटुम्ब" पद की एक कृत्रिम परिभाषा दी गई थी। इसके अतिरिक्त दोनों ही अधिनियमों में अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए एक खण्ड (स्लैब) पद्धति अधिकथित की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ये अधिनियम अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने के कारण असांविधानिक हैं।।

[1] [1970] 2 उम० नि० प० 460=ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1453.

[2] ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 1515.

[3] ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 723.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

58. ये सभी विनिश्चय प्रस्तुत मामले के प्रयोजनों के लिए कतई सुसंगत नहीं हैं।

59. **कस्तूरी लाल लक्ष्मीरेड्डी**[1] और **रमण दयाराम शेट्टी**[2] के मामले सरकार द्वारा अनुच्छेद 14 के मुकाबले संविदा मंजूर किए जाने के रूप में पट्टा मंजूर किए जाने के प्रश्न के बारे में हैं। अतः वे किसी कानून की विधिमान्यता पर विचार करने के लिए कतई सुसंगत नहीं हैं।

60. **स्वामी मोटर ट्रांसपोर्ट प्रा० लि० आदि के मामले**[3] में मद्रास सिटी टेनेंट प्रोटैक्शन ऐक्ट, 1921 का 1955 के मद्रास अधिनियम सं० 19 द्वारा तंजोर के नगर तक विस्तार किया गया था। परिणामस्वरूप अधिनियम द्वारा उपबंधित संरक्षण वहां के अभिधारियों को भी उपलब्ध हो गए। इसके अंतर्गत वह संरक्षण भी आता है जो अनिवासीय परिसरों के अभिधारियों (किराएदारों) को दिया गया है।

61. 1960 के मद्रास अधिनियम सं० 13 द्वारा मूल अधिनियम में इस प्रकार पुनः संशोधन किया गया जिससे तंजोर के नगर में और कुछ अन्य नगरों में अनिवासीय भवनों के अभिधारियों को दिया गया संरक्षण वापस ले लिया गया। तथापि यह संरक्षण मद्रास शहर और कुछ अन्य अधिसूचित नगरों की बाबत लागू बना रहा। तंजोर नगर के अनिवासीय भवनों के अभिधारियों ने 1960 के मद्रास अधिनियम को दो कारणों के आधार पर अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने के आधार पर चुनौती दी, अर्थात् (1) जबकि 1960 के अधिनियम को अधिनियमित किए जाने का उद्देश्य निवासीय भवनों से अभिधारियों की बेदखली से संरक्षण प्रदान करना है किन्तु उसके उपबंध भिन्न-भिन्न नगरपालिक क्षेत्रों में अनिवासीय भवनों के बीच एक वर्गीकरण करते हैं और कुछ नगरों में अनिवासीय भवनों के अभिधारियों को राहत प्रदान करते हैं और राज्य के दूसरे नगरों में वैसे ही भवनों के समान अभिधारियों को वही राहत देने से इनकार करते हैं और इस कारण ऐसे वर्गीकरण की अधिनियम द्वारा प्राप्तव्य उद्देश्य के साथ कोई भी सुसंगति नहीं है; और (2) 1960 का अधिनियम एक ओर मद्रास, सालेम, मदुरई, कोयम्बतूर और तिरुचिरापल्ली में अनिवासीय भवनों और दूसरी ओर तंजोर सहित अन्य नगरों में अनिवासीय भवनों के बीच प्रभेद करता है और

[1] [1981] 2 उम० नि० प० 908=ए० आई० आर० 1980 एस० सी 1992.
[2] [1980] 2 उ० नि० प० 961=ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1628.
[3] ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 864.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पूर्वतर समूह में आने वाले ऐसे भवनों के अभिधारियों को संरक्षण प्रदान करता है और पश्चात्‌वर्ती समूहों में आने वाले वैसे ही भवनों के अभिधारियों को उनसे वंचित करता है, हालांकि दोनों समूहों के परिक्षेत्रों के बीच अभिकथित प्रभेद का प्राप्तव्य उद्देश्य के साथ अर्थात् उन अभिधारियों को, जिन्होंने बेदखली से बचने के लिए सारवान निर्माण करा लिए हैं, संरक्षण प्रदान करने के साथ कोई भी युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है।

62. उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :—

1. मूल अधिनियम के उपबंध निवासीय और अनिवासीय भवनों अर्थात् दोनों को ही लागू होते हैं और इसी प्रकार 1955 का अधिनियम भी दोनों को ही लागू होता है। अतः जबकि 1960 के अधिनियम सं० 13 में दिए गए उद्देश्यों और कारणों के कथन में विधानमंडल ने यह कहा है कि उक्त अधिनियम अभिधारियों को निवासीय भवनों (क्वार्टर) से बेदखली से संरक्षण प्रदान किए जाने के मुख्य उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है तथापि वे केवल उसके मुख्य उद्देश्य पर ही जोर दे रहे हैं किन्तु अनिवासीय भवनों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के प्रवर्तन को अपवर्जित नहीं कर रहे हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि अधिनियम का उद्देश्य केवल निवासीय भवनों के किराएदारों को ही संरक्षण प्रदान करना है।

2. यह कि मद्रास राज्य की ओर से फाइल किए गए शपथपत्र में किए गए उन अभिकथनों के आधार पर, जिनका न्यायालय में पेश किए गए आंकड़ों से भी समर्थन होता है, मदुरई, कोयम्बतूर, सालेम और तिरुचिरापल्ली के नगरों में अनिवासीय भवनों में और मद्रास राज्य के दूसरे नगरों में अनिवासीय भवनों के बीच बास्तविक अन्तर है जिसका अधिनियम द्वारा प्राप्तव्य उद्देश्य के साथ युक्तियुक्त सम्बन्ध है।

63. अतः हम प्रथम दोनों प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देते हैं :—

यह कि भाटक नियन्त्रण अधिनियम, 1958 में उसके संशोधन के पूर्व और उसके संशोधन के पश्चात् सर्वत्र आने वाले पद निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए परिसर और निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर न उठाए गए परिसर के बीच एक आधारभूत युक्तियुक्त वर्गीकरण किया गया है और यह वर्गीकरण उचित है और इस वर्गीकरण को ध्यान में रखते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हुए उनके परिणाम और उनके सम्बन्ध में उपचार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। दोनों प्रकार के परिसरों के बीच अन्तर कानूनी अभिधृति को उत्तराधिकार में पाने की योग्यता के सम्बन्ध में भी लागू हो सकता है और इस प्रकार इस वर्गीकरण और अधिनियम के प्रयोजन के बीच युक्तिसंगत सम्बन्ध है।

64. तीसरे प्रश्न का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

65. उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर दे दिए जाने के पश्चात् अपील के कागजात अब परिवर्तित नियमों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई के लिए खण्ड न्यायपीठ के समक्ष पेश किए जा सकते हैं।

न्या० बी० एन० कृपाल :

मैं अपने विद्वान् बंधु न्या० कपूर और न्या० दयाल के तर्कों और निष्कर्षों से सहमत हूं।

निर्देशित प्रश्नों का तद्नुसार उत्तर दिया गया।

प्रमोद/श०

नि० प० 1983 : दिल्ली—217

आय-कर आयुक्त, दिल्ली-1, नई दिल्ली बनाम मैसर्स मोहन दास हस्सा नन्द, दिल्ली

(The Commissioner of Income-tax, Delhi-I, New Delhi *Vs.* M/s. Mohan Das Hassa Nand, Delhi)

तारीख 16 नवम्बर, 1982

[न्या० डी० के० कपूर और न्या० एस० रंगनाथन]

आय-कर अधिनियम, 1961—धारा 271(1) (ग), 271(4-क) सपठित धारा 274(2)—आय के छिपाए जाने की दशा में शास्ति—जहां निर्धारिती द्वारा अपवंचन केवल मूल विवरणी में ही किया गया हो और पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों में कोई भी अपवंचन न किया गया हो, वहां शास्ति की गणना उस कर के आधार पर की जाएगी जिसका अपवंचन किया गया है और अपवंचित आय के आधार पर गणना नहीं की जाएगी—अतः शास्ति की रकम को उस कर के 25% तक सीमित किया जाना न्यायोचित है जिसका अपवंचन किया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निर्धारिती-प्रत्यर्थी एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है। निर्धारिती पर सम्बन्धित वर्षों के लिए कर-निर्धारण के पूरा होने के पश्चात् विभाग को यह पता चला कि निर्धारिती दोहरी लेखाबहियां रखता है और उनमें विक्रय के कुछ ऐसे संव्यवहार मौजूद हैं जिन्हें मूल निर्धारण के समय प्रकट नहीं किया गया। आय-कर अधिनियम की धारा 133-क के अधीन कार्यवाहियों के शुरू हो जाने पर निर्धारिती द्वारा विभाग को सम्बन्धित लेखाबहियां आदि सौंप दी गई। तत्पश्चात् निर्धारिती ने एक पत्र लिखकर विभाग से यह प्रार्थना की कि वह धारा 271(4-क) के अधीन पूर्ण और सही प्रकटन करना चाहता है और उसने अपनी आय को 10 वर्षों की अवधि तक के निर्धारणों में बराबर-बराबर बांटे जाने की तथा कोई भी शास्ति या दाण्डिक ब्याज प्रभारित न किए जाने की प्रार्थना की। अन्ततः विभाग और निर्धारिती के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते की मुख्य बात यह थी कि निर्धारिती की आय को 10 वर्षों तक की आय में जोड़ा जाएगा और 10 वर्ष की फर्म की आय पर तय पाए गए परिवर्धनों के मद्दे 25 प्रतिशत की शास्ति उद्ग्रहणीय होगी और इसके अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त शास्ति या ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात् कर निर्धारण पूरा किया गया।

निर्धारणों को पूरा करने के पश्चात् आय-कर अधिकारी ने निर्धारिती को यह हेतुक दर्शित करने का नोटिस जारी किया कि क्यों न उस पर सम्बन्धित दोनों निर्धारण वर्षों के लिए धारा 271(1)(ग) के अधीन शास्ति अधिरोपित की जाए और कार्यवाहियां धारा 274(2) के अधीन सहायक आयुक्त (निरीक्षण) को निर्देशित कर दी गई। सहायक आयुक्त (निरीक्षण) का यह मत है कि निर्धारिती वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा यथा संशोधित धारा 271(1)(ग) के आधार पर शास्ति के लिए अर्थात् ऐसी धनराशि के संदाय के लिए दायी है जो उस आय की रकम से, जिनकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं, कम न हो किन्तु दुगुने से अधिक न हो। निर्धारिती ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की। निर्धारिती ने यह दलील दी कि संशोधित उपबंध के अधीन उस पर कोई भी शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं है, यह कि परिवर्धनों के लिए शास्ति अपेक्षित नहीं है और चाहे कोई भी स्थिति हो निर्धारिती को एक अरजिस्ट्रीकृत फर्म मानते हुए शास्ति की रकम उस कर के 25% से अधिक नहीं हो सकती जिसका अपवंचन किया गया है। तथापि निर्धारिती की दलीलों को नामंजूर करने के पश्चात् सहायक आयुक्त (निरीक्षण) ने यह मत व्यक्त किया कि निर्धारिती ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने आय की विशिष्टियां

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

छिपाई हैं, जहां तक शास्ति के परिमाण का सम्बन्ध है, निर्धारिती संशोधित उपबंधों के अधीन शास्ति के लिए दायी है तथा आयुक्त को शास्ति की रकम को विधि के अनुसार उद्ग्रहणीय न्यूनतम शास्ति की रकम से कम करने की शक्ति नहीं है अर्थात् निर्धारिती धारा 271(1)(ग) के संशोधित उपबंधों के अधीन न्यूनतम शास्ति के लिए दायी है। अतः सहायक आयुक्त (निरीक्षण) के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर निर्धारिती ने अपील अधिकरण के समक्ष अपील की। अपील अधिकरण के समक्ष निर्धारिती ने यह दलील दी कि अपवंचित कर के 25 % से अधिक शास्ति का उद्ग्रहण न्यायोचित न होगा और चूंकि सुसंगत निर्धारण वर्ष के समय धारा 271(1)(ग) मौजूद थी इसलिए सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा छिपाई गई आय के बराबर शास्ति अधिरोपित करना गलत होगा। अपील अधिकरण ने यह मत व्यक्त किया कि विभाग और निर्धारिती के बीच हुए समझौते का पालन किया जाना चाहिए, यह कि आयुक्त धारा 271(4क) के अधीन शास्ति की रकम को अधित्यक्त करने या कम करने के लिए सक्षम है, यह कि यद्यपि निर्देशाधीन प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए शास्ति के अधिरोपण का औचित्य है किन्तु शास्ति की रकम को उस कर के 25 % तक सीमित किया जाए जिसका अपवंचन किया गया है अर्थात् अपवंचन किए गए कर के 25 % से अधिक की शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती और अपील भागतः मंजूर कर ली। अतः अपील अधिकरण के आदेश से व्यथित अनुभव करने पर आय-कर आयुक्त ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत निर्देश किया है।

अभिनिर्धारित—निर्दिष्ट प्रश्न का सकारात्मक और निर्धारिती के पक्ष में उत्तर दिया गया।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(ग) का सम्पूर्ण प्रयोजन यह है कि जहां कोई निर्धारिती विवरणी में अपनी सही आय घोषित नहीं करता है और यदि विभाग ने तत्परता न बरती होती या अन्वेषण न किया होता तो उसके परिणामस्वरूप वह आय निर्धारण से बच सकती है तो ऐसी स्थिति में, जब निर्धारित आय विवरणी में बताई गई आय से अधिक हो, निर्धारिती को दण्डित किया जाना चाहिए। किन्तु शास्तिक उपबधों को किसी ऐसे मामले में लागू करना गलत होगा जहां हालांकि विवरणी में आय की कतिपय मद दर्शित नहीं की गई हैं किन्तु साथ ही साथ निर्धारिती द्वारा कतिपय अन्य आय के बारे में, जिसे निर्धारिती ने उपार्जित किया है, प्रकटन किया गया हो और विभाग को पूर्ण जानकारी हो। उस समय जब धारा 148 के अधीन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विवरणियां फाइल की गई थीं, प्रकट की गई आय को कई वर्षों तक फैलाने के लिए निर्धारिती के आवेदन लंबित थे और स्थिति को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। विभाग के साथ किसी समझौते के लम्बित रहने के दौरान निर्धारिती इन वर्षों की बावत उस आय से अधिक किसी विशिष्ट आय को घोषित करने की स्थिति में नहीं था जिसे पूर्व में विवरणी में बताया जा चुका था। इन परिस्थितियों में धारा 148 के अधीन फाइल की गई विवरणियों में केवल उस आय की ही पुनरावृत्ति की गई है जिस पर पूर्व में निर्धारण किया जा चुका है। अतः मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामले के बारे में चाहे जो भी स्थिति हो, जहां किसी मूल विवरणी में और धारा 148 के अधीन पश्चात्‌वर्ती विवरणी में अपवंचन के दो पृथक्-पृथक् कार्य किए गए हों, किन्तु यहां ऐसा अपवंचन वास्तव में केवल मूल विवरणी में ही किया गया है और पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों में निर्धारिती की ओर से कोई भी अपवंचन नहीं किया गया है क्योंकि विवरणी के साथ ही या उसके पूर्व भी निर्धारिती ने प्रश्नगत वर्षों के दौरान अपनी आय के बारे में पूर्ण तथ्यों और विशिष्टियों को विभाग के समक्ष रख दिया था। इन कारणों से तथ्यों के आधार पर शास्ति केवल मूल विवरणी की तारीखों के प्रति निर्देश से ही अधिरोपित की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, शास्ति की गणना उस कर के आधार पर की जानी चाहिए जिसका अपवंचन किया गया है और अपवंचित आय के आधार पर गणना नहीं की जानी चाहिए। (पैरा 11)

		पैरा
[1968]	ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 718 : भारत संघ और अन्य बनाम मैसर्स एंग्लो-अफगान एजेन्सीज आदि (Union of India and others *Vs.* M/s Anglo Afghan Agencies etc.) का अवलम्ब लिया गया।	5,7,9
[1982]	1982-133 आई० टी० आर० 19 : जसवन्त राय और एक अन्य बनाम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य (Jaswant Rai and another *Vs.* Central Board of Direct Taxes and others);	8
[1979]	1979-120 आई० टी० आर० 132 : आय-कर आयुक्त बनाम एम० वी० राजम्मा (C. I. T. *Vs.* M. V. Rajamma);	9

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1979] 1979-120 आई० टी० आर० 1 : ब्रज मोहन **बनाम** आय-कर आयुक्त (Brij Mohan *Vs.* C. I. T.); 10

[1977] 1977-106 आई० टी० आर० 144 : आय-कर आयुक्त **बनाम** राम अचल राम सेवक (C. I. T. *Vs.* Ram Achal Ram Sewak); 9

[1974] 1974-94 आई० टी० आर० 562 : आय-कर आयुक्त **बनाम** भान सिंह बूटा सिंह (C. I. T. *Vs.* Bhan Singh Boota Singh); और 7

[1971] 1971-81 आई० टी० आर० 423 : हाजी के० असेनर **बनाम** आय-कर आयुक्त (Hajee K. Assainar *Vs.* C. I. T.) 7

निर्दिष्ट किए गए।

निर्देश अधिकारिता : 1975 का आय-कर निर्देश सं० 170.

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के अधीन पिटीशन।

पिटीशनर की ओर से ... श्री जी० सी० लालवानी

प्रत्यर्थी की ओर से ... श्री एम० एल० वर्मा और कुमारी रश्मि सेनी।

न्यायालय का निर्णय न्या० एस० रंगनाथन ने दिया।

न्या० रंगनाथन :

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के अधीन इन दोनों निर्देशों में एक सामान्य प्रश्न उठाया गया है जो कुछ रोचक परिस्थितियों में उद्भूत हुआ है। ये निर्देश निर्धारण वर्ष 1961-62 और 1962-63 से संबंधित हैं। यह प्रश्न मैसर्स मोहन दास हस्सानन्द द्वारा सहायक आयुक्त (निरीक्षण) के उन आदेशों के विरुद्ध की गई अपील में उठा है जिसके द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 274(2) के साथ पठित धारा 271(1)(ग) के अधीन शास्ति अधिरोपित की गई है। सहायक आयुक्त (निरीक्षण) ने तारीख 22-2-1973 के अपने आदेश द्वारा प्रश्नगत दोनों निर्धारण वर्षों के लिए क्रमशः 17,000 और 23,000 रुपए की शास्ति के अधिरोपण का निदेश दिया था जो कि आय की वे रकमें हैं जिन्हें उक्त निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में निर्धारिती द्वारा छिपाया गया था। तथापि अपील अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निर्देशाधीन प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए शास्ति के अधिरोपण का औचित्य है किन्तु शास्ति की रकम को उस कर के 25 % तक सीमित किया जाए जिसका प्रश्नगत हाल ही के दो निर्धारण वर्षों के लिए अपवंचन किया गया है। आय-कर आयुक्त ने अपील अधिकरण के आदेशों से व्यथित होकर इस न्यायालय में निम्नलिखित प्रश्न निर्देशित किया है :—

> "क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अधिकरण द्वारा शास्ति की रकम को उस कर के 25 % तक सीमित किया जाना न्यायोचित है जिसका निर्धारण वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिए अपवंचन किया गया है।"

2. अब तथ्यों का सविस्तार उल्लेख किया जा सकता है। निर्धारिती एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है जो सदर बाजार दिल्ली में सूती धागे, रेशमी धागे, धागें की रीलें, ऊन आदि के विक्रय का कारबार कर रही हैं। निर्धारण वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिए मूल निर्धारण क्रमश: 40,000 रुपए और 53,340 रुपए की कुल आय पर पूरा किया गया।

3. कर निर्धारण पूरा होने के पश्चात् विभाग को यह मालूम पड़ा कि निर्धारिती दोहरी लेखाबहियां रखता है जिनमें विक्रय के ऐसे संव्यवहार मौजूद हैं जिन्हें मूल निर्धारण के समय प्रकट नहीं किया गया। धारा 133-क के अधीन कार्यवाहियां शुरू की गईं जिनके दौरान निर्धारिती द्वारा विभाग को कतिपय लेखाबहियां और कागजात सौंपे गए। तत्पश्चात् 26-9-1967 को निर्धारिती ने आय-कर आयुक्त को एक पत्र लिखा जिसमें यह स्वीकार किया गया कि सौंपी गई लेखाबहियों में कुछ ऐसी लेखाबहियां भी सम्मिलित हैं जिन्हें निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान दिखाया नहीं गया है। और उनमें से कुछ बहियों में ऐसे उधारों की प्रविष्टियां और व्यापार संव्यवहार मौजूद हैं जो कि नियमित लेखाबहियों में भागत: दर्ज की गई हैं और भागत: दर्ज नहीं की गई हैं। निर्धारिती ने यह बताया कि वह धारा 271(4क) के अधीन पूर्ण और सही प्रकटन करना चाहता है और उसने यह प्रार्थना की कि उसे लेखाबहियों में से कुछ नोट (टिप्पण) उतारने के लिए अनुज्ञात किया जाए जिससे वह एक विस्तृत विवरण तैयार करने और पूर्ण और सही प्रकटन करने के लिए समर्थ हो सके। तारीख 15-2-1968 को निर्धारिती ने आय-कर आयुक्त को एक और पत्र लिखा। इस पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्वीकार किया गया कि "अनियमित लेखा बहियों" में कुछ ऐसे "ऋण" हैं जो निर्धारण वर्ष 1961-62 में 39,500 रुपये और 1962-63 में 42,500 रुपये और 1964-65 में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

89,500 रुपये और 1968-69 में 43,500 रुपये तक के हैं। यह कहा गया कि निर्धारण वर्ष 1960-61, 1963-64 और 1965-66 से लेकर 1967-68 के लिए "अधिकतम ऋणों" की रकम इस कारण निकाली नहीं जा सकी क्योंकि उन वर्षों की "अनियमित लेखा बहियां" मौजूद नहीं थीं। इस पत्र में यह भी बताया गया है कि निर्धारिती की प्रकट न की गई आय 1,20,000 रुपये आती है और इस रकम को निर्धारण के प्रयोजनों के लिए 1959-60 से लेकर 1968-69 तक के 10 वर्षों की अवधि तक के निर्धारणों में बराबर-बराबर बांटा जाए। यह निवेदन किया गया कि फर्म को एक रजिस्ट्रीकृत फर्म माना जाए और कोई भी शास्ति या दाण्डिक ब्याज प्रभारित न किया जाए। निर्धारिती द्वारा इन पिटीशनों के किए जाने के पश्चात् विभागीय अधिकारियों और निर्धारिती के बीच विचार-विमर्श किया गया। तारीख 14-4-1969 के पत्र में निर्धारिती ने तारीख 15-2-68 के पूर्वतर पत्र के प्रति निर्देश किया है, उसकी कार्य पद्धति स्पष्ट की है और व्यापार की दशाओं और निर्धारिती द्वारा रखी जाने वाली लेखाबहियों की प्रकृति के बारे में स्थिति पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह निवेदन किया कि इस प्रकटन को स्वीकार किया जाए और किसी भी प्रकार की कोई शास्ति अधिरोपित न की जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्ततः विभाग और निर्धारिती के बीच एक समझौता हो गया। समझौते के निबन्धनों के बारे में आय-कर आयुक्त का आदेश अभिलेख में सम्मिलित नहीं है किन्तु यह एक सामान्य आधार है कि समझौते के निबन्धन वही हैं जो कि निर्धारिती द्वारा तारीख 4-12-1970 को सहायक कलक्टर (निरीक्षण) को लिखे गए पत्र में उपवर्णित किए गए हैं। करार के व्यापक निबन्धन इस प्रकार हैं कि 1,65,000 रुपये की धनराशि को निर्धारण वर्ष 1961-62 से लेकर 1968-69 तक के लिए निर्धारिती की आय में जोड़ा जाए, निर्धारण वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिए क्रमशः 17,000 और 23,000 रुपये की रकम जोड़ी जाए, यह कि पिटीशनर फर्म या उसके भागीदारों के विरुद्ध कोई भी अभियोजन कार्यवाहियां शुरू न की जाएं, यह कि "शास्ति के प्रयोजनों के लिए फर्म को अरजिस्ट्रीकृत फर्म के रूप में मानते हुए निर्धारण वर्ष 1961-62 से लेकर निर्धारण वर्ष 1968-69 तक के लिए फर्म की आय पर तय पाए गए परिवर्धनों के मद्दे 25 प्रतिशत की शास्ति उद्ग्रहणीय होगी" और कोई भी अतिरिक्त शास्ति या ब्याज प्रभारित न किया जाए। कर-निर्धारणों को इस आधार पर पूरा किया गया।

4. निर्धारणों को पूरा करने के पश्चात् आय-कर अधिकारी ने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निर्धारिती से इस बात का हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस जारी किए कि क्यों न उस पर उपर्युक्त दोनों निर्धारण वर्षों के लिए धारा 271(1)(ग) के अधीन शास्ति अधिरोपित की जाए। तत्पश्चात् धारा 274(2) के अधीन सहायक आयुक्त (निरीक्षण) को कार्यवाहियां निर्देशित कर दी गई और उसने भी निर्धारिती को हेतुक दर्शित करने के लिए नोटिस जारी किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई के समय सहायक आयुक्त (निरीक्षण) का यह मत कि निर्धारिती वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा यथासंशोधित धारा 271(1)(ग) के उपबंधों के निबंधनों के आधार पर शास्ति के लिए अर्थात् ऐसी धनराशि के संदाय के लिए दायी है जो उस आय की रकम से, जिसकी बावत विशिष्टियां छिपाई गई हैं, कम न हो किन्तु दुगुने से अधिक न हो। निर्धारिती ने तारीख 17-2-1973 के पत्र द्वारा इस प्रस्ताव पर आपत्ति की। यह दलील दी गई कि संशोधित उपबंध के अधीन कोई भी शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं है क्योंकि प्रश्नगत निर्धारण वर्ष 1968-69 के पूर्व के हैं। यह कहा गया कि ऐसे परिवर्धनों के लिए शास्ति अपेक्षित नहीं है और किसी भी स्थिति में निर्धारिती को एक अरजिस्ट्रीकृत फर्म मानते हुए शास्ति की रकम उस कर के 25 % से अधिक नहीं हो सकती जिसका अपवंचन किया गया है। शास्ति की इसी रकम के संबंध में आय-कर आयुक्त और निर्धारिती के बीच करार हुआ है और यह कहा गया है कि सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा बताए गए अनुसार शास्ति की इस रकम से पूर्वतन सहायक आयुक्त (निरीक्षण) और आय-कर आयुक्त के साथ किए गए करार से मुकरना अभिप्रेत होगा। अत: यह दलील दी गई कि शास्ति को प्रत्येक वर्ष के लिए उस रकम तक सीमित रखा जाए और वह सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा प्रस्थापित दरों के अनुसार उद्गृहीत न की जाए। तथापि, निर्धारिती के अभिवाकों को नामंजूर कर दिया गया। उन परिस्थितियों के प्रति निर्देश करने के पश्चात्, जिनमें परिवर्धन किए गए हैं, सहायक आयुक्त (निरीक्षण) ने यह मत व्यक्त किया है कि निर्धारिती ने उसके समक्ष यह स्वीकार किया है कि उसने आय की विशिष्टियां छिपाई हैं। जहां तक शास्ति के परिमाण का सम्बन्ध है, उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि निर्धारिती संशोधित उपबन्धों के अधीन शास्ति के लिए दायी है क्योंकि आय की विवरणियां 1-4-1968 के पश्चात् प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने यह कहा है कि निर्धारिती का धारा 271(4क) के अधीन किया गया पिटीशन आयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया और इसलिए आयुक्त को शास्ति की रकम को विधि के अनुसार उद्ग्रहणीय न्यूनतम शास्ति की रकम से कम करने की शक्ति नहीं है। अत: सहायक आयुक्त (निरीक्षण) इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निर्धारिती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धारा 271(1)(ग) के संशोधित उपबन्धों के अधीन न्यूनतम शास्ति के लिए दायी है। अतः उन्होंने, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, प्रश्नगत दोनों वर्षों के लिए 17,000 रुपये और 23,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की।

5. निर्धारिती ने अपील अधिकरण के समक्ष अपील की और उसने यह दलील दी कि अपवंचित कर के 25% से अधिक शास्ति का उद्ग्रहण इन परिस्थितियों में न्यायोचित नहीं होगा। यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में लागू होने वाली धारा 271(1)(ग) के उपबन्ध वे उपबन्ध होंगे जो सुसगत निर्धारण वर्ष के समय मौजूद थे और इसलिए सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा छिपाई गई आय के बराबर शास्ति अधिरोपित करना गलत है। चाहे कोई भी स्थिति हो, चूंकि आयुक्त ने केवल 25% की शास्ति अधिरोपित करने का वचन दिया है, इसलिए उस वचन को **भारत संघ और अन्य बनाम मैसर्स एंग्लो-अफगान एजेन्सीज, आदि के मामले**[1] में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयाधार को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा निभाया जाना चाहिए। इसके विपरीत विभाग की ओर से यह दलील दी गई कि चूंकि विवरणियां 1-4-1968 के पश्चात् फाइल की गई थीं इसलिए धारा 271(1)(ग) के संशोधित उपबन्ध लागू होते हैं और ऐसी स्थिति होने पर आयुक्त द्वारा धारा 271(4क) के अधीन निर्धारिती के आवेदन को नामंजूर कर दिए जाने पर वह शास्ति को संशोधित धारा 271(1)(ग) के अधीन अधिरोपणीय न्यूनतम शास्ति से कम करने के लिए सक्षम नहीं है।

6. अधिकरण के निष्कर्षों के प्रति निर्देश करने के पूर्व इस प्रक्रम पर दो पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम पहलू यह है कि निर्धारिती द्वारा 15-2-1968 और 14-4-1969 को प्रकटन किए जाने के पश्चात् आय-कर अधिनियम की धारा 148 के अधीन कार्यवाहियां शुरू की गईं। इस धारा के अधीन जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में निर्धारिती ने दोनों निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणियां फरवरी-मार्च, 1970 (अभिलेख में सही तारीख नहीं दी गई है) में फाइल की थीं। इन विवरणियों में निर्धारिती ने अपनी आय 40,000 रुपए और 50,340 रुपए बताई है जिसका मूलतः दोनों वर्षों के लिए निर्धारण किया गया है। जिस दूसरे पहलू को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है वह आयुक्त के आदेश के बारे में है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, निर्धारिती और विभाग के बीच तथा उस रीति के बारे में किए

[1] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 718.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गए समझौते के ब्यौरों, जिसमें उन पर कर निर्धारण किया जाएगा, के प्रति निर्धारिती के तारीख 4-12-1970 के पत्र में निर्देश किया गया है। किन्तु जहां तक शास्ति के प्रश्न का सम्बन्ध है ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त ने 30-11-1970 को निम्नलिखित आदेश पारित किया है :—

> "इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्धारिती ने उस आय का अवधारण करने में, जिसे छिपाया गया है, पूरी सहायता प्रदान की है, यह कि जैसे ही धारा 133(क) के अधीन कार्यवाही की गई वैसे ही उसके द्वारा किए गए प्रकटन और उसके कारबार की प्रकृति को देखते हुए अभियोजन कार्यवाहियां प्रारम्भ करना उसके प्रति कठोरता होगी। अतः यद्यपि यह एक ऐसा मामला नहीं है जो धारा 271(4क) के अन्तर्गत आ सके किन्तु फिर भी यदि छिपाई गई आय को सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा बताई गई रीति में किंचित समायोजन के अधीन रहते हुए विभाजित कर दिया जाए और 25 प्रतिशत की शास्ति अधिरोपित की जाती है तो इससे न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। यह शास्ति पूरी तरह पर्याप्त है क्योंकि यह फर्म को अरजिस्ट्रीकृत फर्म मानते हुए उस आधार पर उद्गृहीत की जाएगी। (रेखांकित शब्दों पर हमारे द्वारा बल दिया गया)।"

दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 271 (4क) के निबंधन पूरे नहीं हुए हैं किन्तु फिर भी उन्होंने यह निदेश दिया है कि शास्ति को उस कर के 25 % तक सीमित किया जाए जिसका अपवंचन किया गया है।

7. उपर्युक्त परिस्थितियों के संदर्भ में अधिकरण ने यह बताया है कि निर्धारिती और विभाग के बीच एक सामूहिक चर्चा या सम्पूर्णतः करार पाया गया संव्यवहार (पैकेज डील) हुआ है। निर्धारिती ने 8 वर्ष से भी अधिक की छिपाई गई आय के बारे में कर-निर्धारण किए जाने के लिए सहमति व्यक्त की है जबकि आयुक्त उस कर के 25 % तक, जिसका अपवंचन किया गया है, शास्ति के अधिरोपण के लिए सहमत हो गया है। इस समझौते को स्वीकार करते हुए निर्धारिती ने 8 वर्ष की अतिरिक्त आय की बाबत अपने पर कर-निर्धारण किए जाने के लिए सहमति व्यक्त करते हुए स्वयं अपने लिए ही अपायकर रूप में कार्य किया है। आयुक्त ने यह वचन दिया है कि केवल उस कर के 25 % के बराबर शास्ति अधिरोपित की जाएगी जिसका अपवंचन किया गया है। इन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परिस्थितियों में अधिकरण का यह मत है कि **मैसर्स एंग्लो-अफगान एजेन्सीज वाले मामले**[1] में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धान्त लागू होता है। तथापि अधिकरण ने विभाग की इस दलील के साथ सहमति व्यक्त नहीं की कि आयुक्त ऐसा वचन देने के लिए सक्षम नहीं है। अधिकरण ने यह बताया कि आयुक्त धारा 271(4क) के अधीन शास्ति की रकम को अधित्यक्त करने या कम करने के लिए सक्षम है और यद्यपि इस बाबत निर्धारिती के प्ररूपिक आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है तथापि यह आयुक्त के लिए स्वयमेव कार्य करने और शास्ति की रकम को घटाने के लिए कोई वर्जन नहीं है। आयुक्त के तारीख 30-11-1970 के आदेश को आयुक्त द्वारा धारा 271(4क) के अधीन स्वयमेव पारित आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। किन्तु इसके अलावा भी चूंकि आयुक्त द्वारा वचन दिया गया है इसलिए स्पष्टतः उसको पूरा किया जाना चाहिए और इसलिए अपवंचन किए गए कर के 25% से अधिक की शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती। अधिकरण ने भी शास्ति के अधिरोपण के मामले में लागू होने वाली विधि पर विचार किया है। अधिकरण ने **हाजी के० असेनर** बनाम **आय-कर आयुक्त**[2] के मामले में केरल उच्च न्यायालय के विनिश्चय और **आय-कर आयुक्त** बनाम **भान सिंह बूटा सिंह**[3] के मामले में पंजाब उच्च न्यायालय के विनिश्चय के प्रति निर्देश किया है जिनमें इस विवाद्यक के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। इन परस्पर विरोधी विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए अधिकरण ने निर्धारिती के पक्ष में विनिश्चय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलाधीन निर्धारण वर्षों के लिए उस कर की रकम पर, जिसका अपवंचन किया गया है, शास्ति अधिरोपित की जाए और छिपाई गई आय की रकम के प्रति निर्देश से शास्ति अधिरोपित नहीं की जाए। अतः अधिकरण ने अपीलाधीन दोनों निर्धारण वर्षों के लिए शास्ति को उस कर के 25% तक सीमित कर दिया जिसका अपवंचन किया गया है और अपीलें भागतः मंजूर कर लीं। अधिकरण के आदेश से व्यथित होकर आयुक्त ने हमारे समक्ष यह निर्देश किया है।

8. आवेदक की ओर से यह दलील दी गई है कि प्रस्तुत मामले में निर्धारिती ने दो प्रकार की विवरणियां फाइल की हैं और इन दोनों ही विवरणियों में उसने उस आय को छिपाया है जिसके परिवर्धन के लिए वह तत्पश्चात् राजी

---

[1] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 718.

[2] 1971-81 आई० टी० आर० 423.

[3] 1974-94 आई० टी० आर० 562.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हो गया है। चूंकि धारा 148 के अधीन फरवरी-मार्च, 1970 में फाइल की गई विवरणियों में आय छिपाई गई है इसलिए विभाग धारा 271(1)(ग) के संशोधित उपबन्धों के आधार पर शास्ति उद्गृहीत करने के लिए हकदार है। इन उपबन्धों में छिपाई गई आय के शत-प्रतिशत रकम के बराबर न्यूनतम शास्ति दी गई है। आयुक्त का तारीख 30-11-1970 का आदेश धारा 271(4क) के अधीन पारित किया गया आदेश नहीं है क्योंकि उस उपधारा के उपबन्धों की पूर्ति नहीं हुई है। निर्धारिती अपनी छिपाई गई आय की घोषणा करने के लिए स्वेच्छा से आगे नहीं आया है। वह विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप ही ऐसा मार्ग अपनाने के लिए बाध्य (विवश) हुआ है। चूंकि धारा 271(4क) के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं और चूंकि तथ्यतः आयुक्त ने उस उपधारा के अधीन आवेदन को नामंजूर कर दिया है इसलिए उसे शास्ति को कम करने की कोई अधिकारिता नहीं है जैसा कि वह कराना चाहता है। इस बाबत निर्धारिती को दिया गया उसका आश्वासन भी साम्यापूर्ण विबन्ध के आधार पर किसी दावे का आधार नहीं हो सकता क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे करने की उसे अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई शक्ति नहीं है। **जसवन्त राय और एक अन्य बनाम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य**[1] के मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के प्रति निर्देश से यह बताया गया है कि धारा 271(4क) के अधीन शास्ति में कमी किए जाने का प्रश्न केवल उस समय उद्भूत हो सकता है जब कोई शास्ति अधिरोपित कर दी गई हो। इन परिस्थितियों में यह दलील दी गई है कि आयुक्त के आदेश का निर्धारिती को संशोधित धारा के आधार पर शास्ति का संदाय करने के उसके दायित्व से मुक्त करने के लिए कोई विधिक या साम्यापूर्ण प्रभाव नहीं है।

9. इसके विपरीत प्रत्यर्थी की ओर से यह दलील दी गई है कि ऐसे मामलों में, जैसे इस मामले में हुआ है, आय केवल एक बार छिपाई गई है और वह भी उस समय जब मूल विवरणी फाइल की गई है। धारा 148 के अधीन फाइल की गई विवरणी में आय को प्रकट करने में असफल रहना उसी आय के छिपाए जाने की पुनरावृत्ति हो सकती है किन्तु उससे शास्ति के लिए कोई नया दायित्व उद्भूत नहीं होता। यह कहा गया है कि इस दृष्टिकोण का **आयकर आयुक्त बनाम राम अचल राम सेवक**[2] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के और **आयकर आयुक्त बनाम एम० वी० राजम्मा**[3] में मद्रास उच्च न्यायालय के

[1] 1982-133 आई० टी० आर० 19.
[2] 1977-106 आई० टी० आर० 144.
[3] 1979-120 आई० टी० आर० 132.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विनिश्चयों से समर्थन होता है। प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल ने यह कहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय का भी एक ऐसा ही विनिश्चय है जो अप्रतिवेदित है (केशवानी का मामला) और यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस विनिश्चय को केन्द्रीय बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है। इन परिस्थितियों में यह दलील दी गई है कि वर्तमान निर्धारिती के मामले में शास्ति केवल 1968 में संशोधन के पूर्व धारा 271(1)(ग) के उपबन्धों के अधीन ही उद्ग्रहणीय है। ऐसी स्थिति होने पर आयुक्त को शास्ति के ऐसी किसी भी रकम पर उद्ग्रहण का निदेश देने की स्वतन्त्रता है जो तत्समय विहित न्यूनतम से कम न हो जो कि उस कर का केवल 10 % है जिसका अपवंचन किया गया है। इस उपबंध को ध्यान में रखते हुए ही आयुक्त ने शास्ति की रकम को 25 % पर अर्थात् न्यूनतम से कुछ ऊपर नियत किया है। आयकर विभाग को पिटीशनर पर उससे अधिक शास्ति उद्गृहीत करने की स्वतन्त्रता नहीं है जितने से विभाग साम्यापूर्ण विबंध के सिद्धान्त द्वारा आवद्ध होगा जिसका **मैसर्स एंग्लो-अफगान एजेन्सीज के मामले**[1] में वर्णन किया गया है और तत्पश्चात् जिसे उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों में दोहराया गया है।

10. हालांकि हमारे समक्ष दी गई दलीलों के अन्तर्गत व्यापक आधार आते हैं किन्तु हम समझते हैं कि प्रस्तुत निर्देश का निपटारा प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर आधारित अपेक्षाकृत एक अत्यधिक संकीर्ण आधार पर किया जा सकता है। जहां तक शास्ति के अधिरोपण से सम्बन्धित विधि का सम्बन्ध है, वह **ब्रज मोहन** बनाम **आयकर आयुक्त**[2] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की जा चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि जब आय की विशिष्टियां छिपाई जाने के लिए कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तब वही विधि सुसंगत है जो उस तारीख को प्रचलित थी जब आय छिपाई जाने का कार्य घटित हुआ है। यह बात पूरी तरह सारहीन है कि छिपाई गई आय पर विगत किसी निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर निर्धारण किया जाएगा। शास्ति कोई दोषपूर्ण कार्य किए जाने पर अधिरोपित की जाती है और उस तारीख को, जब कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है, प्रवर्तित विधि के अनुसार ही शास्ति का अवधारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के इस विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए अधिकरण के इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की जा सकती कि प्रस्तुत मामले में शास्ति उस कर पर अधिरोपित की

---

[1] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 718.

[2] 1979-120 आई० टी० आर० 1.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जानी चाहिए जिसका अपवंचन किया गया है क्योंकि शास्ति निर्धारण वर्ष 1961-62 और 1962-63 से सम्बन्धित है।

11. तथापि प्रश्न यह उठता है कि वह अपराध किए जाने की तारीख कौन-सी है जिसके लिए निर्धारिती को दण्डित किया जा रहा है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस मामले में दो विवरणियां फाइल की गई थीं, एक लगभग 1961-62 में और दूसरी विवरणी धारा 148 के अधीन दिए गए नोटिसों के उत्तर में फरवरी-मार्च, 1970 में फाइल की गई थी। विभाग की ओर से यह दलील दी गई है कि जिस आय के सम्बन्ध में अब यह पाया गया है कि वह छिपाई गई है, उसे दोनों विवरणियों में सम्मिलित नहीं किया गया है और इसलिए विभाग को दूसरे अवसर के प्रति निर्देश से, जब अपराध किया गया था, अर्थात् जब धारा 148 के अधीन विवरणियां फाइल की गई थीं, शास्ति उद्गृहीत करने की स्वतन्त्रता है। इसके विपरीत, निर्धारिती की ओर से इस दृष्टिकोण की यह दलील दी गई है कि पुनर्निर्धारण कार्यवाहियां किए जाने पर भी उस समय, जब दूसरी विवरणी फाइल की गई थी, शास्ति उद्गृहीत करने के लिए कोई भी नया वाद-हेतुक उद्भूत नहीं होता क्योंकि यह केवल वही गलती किए जाने के क्रम में है जो पहले की जा चुकी थी और यह कि वही गलती दोहराई जाने से कोई नया अपराध नहीं बनता। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए इस दृष्टिकोण का विद्वान् काउन्सेल द्वारा निर्दिष्ट किए गए इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों से समर्थन होता है। तथापि हमने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विनिश्चय पर या केन्द्रीय बोर्ड के उस परिपत्र पर विचार नहीं किया है जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह उपर्युक्त विनिश्चय को स्वीकार करते हुए जारी किया गया है। तथापि हमारे मतानुसार हमें प्रस्तुत मामले में यहां प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में यह कहा जा चुका है कि प्रस्तुत मामले में धारा 148 के अधीन विवरणियां फरवरी-मार्च, 1970 में फाइल की गई थीं। किन्तु इस मामले में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विवरणियां निर्धारिती द्वारा स्वेच्छया प्रकटन किए जाने के काफी समय के पश्चात् फाइल की गई थीं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, निर्धारिती के पूर्व कथन का सर्वेक्षण सन् 1967 में हुआ था। स्वेच्छया प्रकटन सितम्बर, 1967 में और उसके बाद आने वाले दो वर्षों में किया गया। तारीख 14 अप्रैल, 1969 को निर्धारिती द्वारा छिपाई गई आय के परिमाण के बारे में पूर्ण प्रकटन किया गया और यह प्रार्थना की गई कि इसे कई

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वर्षों तक फैला दिया जाए। स्वेच्छया प्रकटन के सम्बन्ध में कार्यवाहियां सहायक आयुक्त (निरीक्षण) और आयुक्त के समक्ष जारी हैं और संयोगवश वे नवम्बर-दिसम्बर, 1970 में एक समझौते में समाप्त हो गईं। यदि हम इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि फरवरी-मार्च, 1970 में फाइल की गई विवरणियों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें आय की विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं जिसके लिए कोई शास्ति अधिरोपित की जा सके। ये विवरणियां धारा 148 के अधीन जारी किए गए और तामील किए गए प्ररूपिक नोटिसों के अनुपालन में फाइल की गई हैं जिससे समझौते के लिए किए गए प्रस्ताव को अधिनियम के अधीन नियमित रूप से किए जाने वाले निर्धारणों द्वारा कार्यान्वित किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती ने उस धनराशि से कहीं अधिक धनराशि पर, जिस पर इसके पूर्व कर-निर्धारण किया गया है, कर-निर्धारण किए जाने के लिए सहमत होते हुए स्वेच्छया प्रकटन किया है, इस बात की कल्पना करना सही न होगा कि इन विवरणियों को फाइल करते समय निर्धारिती का आशय वास्तव में यह घोषणा करना था कि उसकी आय वही है जिस पर मूलतः निर्धारण किया गया है। धारा 271(1)(ग) का सम्पूर्ण प्रयोजन यह है कि जहां कोई निर्धारिती विवरणी में अपनी सही आय घोषित नहीं करता है और यदि विभाग ने तत्परता न बरती होती या अन्वेषण न किया होता तो उसके परिणामस्वरूप वह आय निर्धारण से बच सकती है तो ऐसी स्थिति में, जब निर्धारित आय विवरणी में बताई गई आय से अधिक हो, निर्धारिती को दण्डित किया जाना चाहिए। किन्तु शास्तिक उपबंधों को किसी ऐसे मामले में लागू करना गलत होगा जहां हालांकि विवरणी में आय की कतिपय मदें दर्शित नहीं की गई हैं किन्तु साथ ही साथ निर्धारिती द्वारा कतिपय अन्य आय के बारे में, जिसे निर्धारिती ने उपार्जित किया है, प्रकटन किया गया हो और विभाग को पूर्ण जानकारी हो। उस समय जब धारा 148 के अधीन विवरणियां फाइल की गई थीं, प्रकट की गई आय को कई वर्षों तक फैलाने के लिए निर्धारिती के आवेदन लम्बित थे और स्थिति को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। विभाग के साथ किसी समझौते के लम्बित रहने के दौरान निर्धारिती इन वर्षों की बाबत उस आय से अधिक किसी विशिष्ट आय को घोषित करने की स्थिति में नहीं था जिसे पूर्व में विवरणी मे बताया जा चुका था। इन परिस्थितियों में धारा 148 के अधीन फाइल की गई विवरणियों में केवल उस आय को ही पुनरावृत्ति की गई है जिस पर पूर्व में निर्धारण किया जा चुका है। मामले की इन विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मत है

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कि ऐसे मामले के बारे में चाहे जो भी स्थिति हो, जहां किसी मूल विवरणी में और धारा 148 के अधीन पश्चात्वर्ती विवरणी मे अपवंचन के दो पृथक-पृथक कार्य किए गए हों, किन्तु जहां तक प्रस्तुत मामले का सम्बन्ध है, ऐसा अपवचन वास्तव में केवल मूल विवरणी में ही किया गया है। पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों में निर्धारिती की ओर से कोई भी अपवंचन नहीं किया गया है क्योंकि विवरणी के साथ ही या उसके पूर्व भी निर्धारिती ने प्रश्नगत वर्षों के दौरान अपनी आय के बारे में पूर्ण तथ्यों और विशिष्टियों को विभाग के समक्ष रख दिया था। इन कारणों से हम प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल की इस दलील के साथ सहमत हैं कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों के आधार पर शास्ति केवल मूल विवरणी की तारीखों के प्रति निर्देश से ही अधिरोपित की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, शास्ति की गणना उस कर के आधार पर की जानी चाहिए जिसका अपवंचन किया गया है और अपवंचित आय के आधार पर गणना नहीं की जानी चाहिए।

12. अब मामले के दूसरे भाग पर विचार करने पर स्थिति हमारे उपर्युक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सरल हो जाती है। हमें यह प्रतीत होता है कि आयुक्त के आदेश की प्रकृति या विधिमान्यता के बारे में और इस बारे में कि किस सीमा तक उससे विभाग के विरुद्ध साम्यापूर्ण विबध पैदा हो सकता है, प्रश्न की परीक्षा करना अनावश्यक है। प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण सही नहीं है कि आयुक्त शास्ति को अपवचन किए जाने के लिए ईप्सित कर के 25 % तक घटा नहीं सकता। किन्तु सम्भवतः इस बात पर अब भी बहस की जा सकती है कि क्या आय-कर आयुक्त को आयकर अधिकारी या सहायक आयुक्त (निरीक्षण) को शास्ति को किसी विशिष्ट अंक तक सीमित करने के लिए, विशिष्टतः जब वह इस बात से सहमत हो कि धारा 271(4-क) लागू नहीं होती, निदेश देने की शक्ति है। यह दलील दी जा सकती है कि निर्धारण कार्यवाहियों के समान ही शास्ति-कार्यवाहिया भी न्यायिकेतर हैं और यथास्थिति सहायक आयुक्त (निरीक्षण) या आयकर अधिकारी को मामले के तथ्यों पर विचार करने की और ऐसी शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति है जिसे वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझें और जबकि आयुक्त को, जहां धारा 271(4क) के निबन्धन पूरे हो जाए, इस प्रकार अधिरोपित शास्ति को कम करने या अधित्यक्त करने की स्वतन्त्रता हो सकती है किन्तु उसे ऐसी शास्ति को किसी पूर्वाशा में कम करने या अधित्यक्त करने की कोई शक्ति नहीं है जो आय-कर अधिकारी या सहायक आयुक्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(निरीक्षण) के विवेकाधिकार को आबद्ध करती हों। किन्तु यदि यह बात भी मान ली जाए तो भी हमारा यह मत है कि मामले की परिस्थितियों में अधिनियम के अधीन अधिरोपणीय न्यूनतम शास्ति उद्गृहीत की जानी चाहिए। उन्होंने केवल यही सोचा था कि न्यूनतम शास्ति छिपाई गई आय का शत-प्रतिशत है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यह बात सही नहीं है। अतः जब यह मामला अधिकरण के समक्ष पहुंचा और अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में 1968 के पहले के उपबंध लागू होते हैं तो अधिकरण शास्ति की रकम को उस कर के 10 % तक सीमित कर सकता है जिसे अपवंचित किया जाना ईप्सित है। सम्भवतः निर्धारिती अधिकरण के समक्ष यह दलील दे सकते हैं कि उसके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर शास्ति 1968 के पहले के उपबंधों के अधीन न्यूनतम होनी चाहिए। किन्तु विभाग के साथ किए गए समझौते का आदर करते हुए निर्धारिती ने अपवंचित कर के 25 % तक की शास्ति के अधिरोपण का कोई विरोध नहीं किया, जैसा कि आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया है। यही बात अधिकरण द्वारा भी कायम रखी गई है। हमें यह प्रतीत होता है कि आय-कर आयुक्त के आदेश का विचार किए बिना और इस प्रश्न की परीक्षा किए बिना कि क्या आयुक्त द्वारा शास्ति की रकम को घटाया जाना या उसे धारा 271(4क) के शर्तों के पूरी न होने पर भी कम किया जाना न्यायोचित है, वास्तविक स्थिति यह है कि आयुक्त के आदेश के बावजूद भी अधिकरण शास्ति को उस कर के 10 % तक सीमित कर सकता है जिसका अपवंचन किया जाना ईप्सित है, यदि उसने सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा आशयित मानक को लागू किया है और उचित विधि को लागू किया है जैसा कि हमारे द्वारा इसके पूर्व स्पष्ट किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकरण का यह निष्कर्ष (जो कि साम्यापूर्ण रूप से निर्धारिती के करार और उसकी उपमति पर आधारित है) कि शास्ति को उस कर के 25 % तक सीमित किया जाए जिसका अपवंचन किया जाना ईप्सित है, किसी भी प्रकार से अन्यायोचित है।

13. अतः हम निर्दिष्ट किए गए प्रश्न का सकारात्मक और निर्धारिती के पक्ष में उत्तर देते हैं।

14. इस मामले के गुणागुण के अलावा भी हम यह महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें विभाग कोई निर्देश करे। आखिरकार अधिकरण ने केवल आयुक्त द्वारा पारित आदेश को ही बहाल रखा है और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अब यह बात बेतुकी प्रतीत होती है कि आयुक्त ही यह शिकायत करे या वह इस बात से व्यथित अनुभव करे कि उसके आदेश को प्रभावी किया गया था। अतः जब यह निर्देश पूर्वतर अवसरों पर सुनवाई के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था तब हमने इस मामले को समय-समय पर मुल्तवी किया था और विभाग के काउन्सेल को इस बारे में अनुदेश प्राप्त करने के लिए निदेश दिया था कि क्या इन परिस्थितियों में विभाग अपने निर्देश की और आगे पैरवी करना चाहेगा। हालांकि हमने विभाग के स्थायी काउन्सेल को इस मामले में आवश्यक अनुदेश अभिप्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया है किन्तु काउन्सेल ने यह रिपोर्ट की है कि उसे ऐसा कोई भी अनुदेश प्राप्त नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में हम इस निर्देश पर कार्यवाही करने के लिए विवश हुए हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह निदेश देते हैं कि निर्धारिती को उसके खर्चे का आयुक्त द्वारा संदाय किया जाए। काउन्सेल की फीस 350 रुपये है।

निर्दिष्ट प्रश्न का सकारात्मक और
निर्धारिती के पक्ष में उत्तर दिया गया।

प्रमोद/श०

नि० प० 1983 : दिल्ली—234

मोहम्मद अली खां और अन्य बनाम धन-कर आयुक्त
(Mohd. Ali Khan and others *Vs*. The Commissioner of Wealth Tax)

तारीख 16 नवम्बर, 1982

[न्या० डी० कपूर और एस० रंगनाथन]

धन-कर अधिनियम, 1957—धारा 5(1)(iii) किसी भवन की बाबत कर से छूट प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह शासक के शासकीय निवास के रूप में अधिसूचित हो तथा वह शासक के वस्तुतः अधिभोग में भी हो—जो भाग शासक के अधिभोग में नहीं है उसे कर से छूट नहीं दी जा सकती।

इस निर्देश में विचारार्थ संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या निर्धारिती रामपुर में उसके समस्त महल की बाबत जिसे 'खास बाग पैलेस' के नाम से जाना जाता है धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1)(iii) के अधीन छूट का हकदार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है। 'खास बाग पैलेस' में बहुत-से भवन हैं। उनमें से कुछ भवन शासक के अधिभोग में हैं। किन्तु उनमें से कुछ भवनों को किराएदारों को किराए पर दे दिया गया है। धन-कर अधिकारी ने निर्धारिती को उक्त पैलेस के उन भागों की बाबत छूट दे दी जो उसके अधिभोग में थे। किन्तु उसने उन भवनों को कर से छूट नहीं दी जिन्हें किराए पर दे दिया गया था। सहायक आयुक्त अपील और अपील अधिकरण ने भी धन-कर अधिकारी के इस निष्कर्ष की पुष्टि कर दिए जाने पर निर्धारिती ने इस न्यायालय को यह निर्देश कराया है। आवेदक के विद्वान् काउन्सेल ने यह निवेदन किया है चूंकि, अधिकरण ने उसकी यह दलील स्वीकार कर ली है कि समस्त महल को धन-कर अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'एक भवन' माना जाए। अतः निर्धारिती उस भवन के मूल्य की बाबत तब तक छूट का हकदार है जब तक वह सारतः शासक के अधिभोग में है। यह भी दलील दी गई कि कानूनी उपबंध ऐसी भाषा में नहीं है जो शासक के वस्तुतः अधिभोगाधीन शासकीय निवास के भागों और जो उसके अधिभोग में नहीं है उनके विभाजन का समर्थन करे।

अभिनिर्धारित—निर्देश का उत्तर सकारात्मक दिया गया।

धारा 5(1)(iii) में दो शर्तें उपबंधित की गई हैं जिन्हें निर्धारिती को उक्त धारा के अधीन किसी भवन की बाबत छूट का हकदार होने के लिए पूरा करना होगा। पहली शर्त यह है कि यह विलीन राज्य (कराधान रियायतें) आदेश के अधीन शासक के शासकीय निवास के रूप में अधिसूचित होना चाहिए। प्रस्तुत मामले में यह शर्त पूरी हो जाती है। किन्तु दूसरी शर्त यह है कि वह भवन शासक के अधिभोग में होना चाहिए। भाव यह है कि भूतपूर्व शासकों को उनके एक महल की बाबत जिसमें वे निवास करते आ रहे हों अथवा जिस पर उनका अधिभोग बना हुआ हो, छूट देना है। प्रस्तुत मामले में महल के बहुत-से भवनों को बाहरी व्यक्तियों को किराए पर दे दिया गया है और वे शासक के अधिभोग में नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह शर्त स्पष्टतः पूरी हो जाती है। अधिकरण ने कानून के उपबंधों का, उसके उद्देश्यों और आशय से संगत उदार अर्थान्वयन किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारिती महल की बाबत उस सीमा तक छूट का हकदार होगा जहां तक वह शासक के अधिभोग में है किन्तु जहां तक वह उसके अधिभोग में नहीं है वह छूट का हकदार नहीं होगा। (पैरा 5)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पैरा

[1967] 67 आई० टी० आर० 122 : राजू **बनाम** आय-कर आयुक्त (Raju *Vs.* The Commissioner of Income Tax); 4

[1951] ए० आई० आर० 1951 पंजाब 433 : आगा जफर अली खां और अन्य **बनाम** राधाकिशन और अन्य (Agha Jafar Ali Khan and Others *Vs.* Radha Kishan and others); 4

[1950] 10 आई० टी० आर० 259 : आय-कर आयुक्त **बनाम** के० ई० सुन्दर मदलियार और अन्य (The Commissioner of Income Tax *Vs.* K. E. Sundara Mudaliar and others); 4

[1929] 4 आई० टी० आर० 15 : राजेन्द्र नारायण भंजदेव **बनाम** आय-कर आयुक्त (Rajendra Nayaran Bhanja Deo *Vs.* The Commissioner of Income Tax) 4

निर्दिष्ट किए गए।

सिविल निर्देश अधिकारिता : 1974 का धन-कर निर्देश सं० 5.

धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 27(1) के अधीन पिटीशन।

पिटीशनर की ओर से ... श्री बी० डी० शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से ... सर्वश्री जी० सी० लालवानी और पी० एन० मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्या० एस० रंगनाथन ने दिया।

न्या० रंगनाथन :

यह निर्देश रामपुर के भूतपूर्व शासक के धन-कर निर्धारण से उद्भूत हुआ है। ये कार्यवाहियां निर्धारण वर्ष 1961-62 से सम्बन्धित हैं। सुसंगत मूल्यांकन तारीख को नवाब सर सैयद रजा अली खां शासक था। उसके पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई और इन कार्यवाहियों में उसका प्रतिनिधित्व विधिक वारिसों द्वारा किया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

2. इस निर्देश में यह संक्षिप्त प्रश्न उठाया गया है कि क्या निर्धारिती रामपुर में उसके समस्त महल की बाबत, जिसे खास बाग पैलेस के नाम से जाना जाता है, धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1)(iii) के अधीन छूट का हकदार है। यह सामान्य आधार है कि खास बाग पैलेस में बहुत-से भवन थे। उनमें से कुछ भवन शासक के अधिभोग में थे किन्तु उसमें से कुछ इस प्रकार अधिभोग में नहीं थे और उन्हें बहुत-से किराएदारों को किराए पर दे दिया गया था। ऐसे 14 भवनों की सूची, जिन्हें बहुत से अधिकारियों, विभागों और अन्य किराएदारों को किराए पर दिया गया था, अधिकरण के आदेश में उपवर्णित की गई हैं। निर्धारिती ने यह दावा किया है कि वह समस्त खास बाग पैलेस, जिसमें उपर्युक्त 14 भवन हैं, के मूल्य की छूट का ऊपर निर्दिष्ट धारा 5(1)(iii) के उपबंधों के अधीन हकदार है। सुसंगत तारीख को वह उपबन्ध इस प्रकार था :—

> "5(1) (1क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित अस्तियों की बाबत धन-कर संदेय नहीं होगा और ऐसी अस्तियों को निर्धारिती के शुद्ध धन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
>
> (i) ....
>
> (ii) ....
>
> (iii) किसी शासक के अधिभोग में कोई एक भवन, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने विलीन राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1949 के पैरा 13 या भाग ख राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1950 के पैरा 50 के अधीन यह घोषणा की है कि वह उसका शासकीय निवास है;"

3. धन-कर अधिकारी ने निर्धारिती को खास बाग पैलेस के उन भागों की बाबत छूट दे दी जो निर्धारिती के अधिभोग में थे। किन्तु उसने उन भवनों का, जिन्हें किराए पर दे दिया गया था, निर्धारिती द्वारा प्राप्त किराए की आय के आधार पर बाजार मूल्य 3,55,000 रु० प्राक्कलित किया और यह अभिनिर्धारित किया कि उन भवनों का मूल्य निर्धारिती के करादेय धन में सम्मिलित किए जाने के दायित्वाधीन है और उसे धारा 5(1)(iii) के अधीन छूट प्राप्त नहीं है। धन-कर अधिकारी के इस निष्कर्ष की सहायक आयुक्त अपील और अपील अधिकरण द्वारा पुष्टि किए जाने के पश्चात् निर्धारिती ने निम्नलिखित प्रश्न पर इस न्यायालय को यह निर्देश कराया :—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकरण का यह अभिनिर्धारित करना न्यायोचित था कि खास बाग पैलेस के वे भवन जिन्हें भिन्न व्यक्तियों को किराए पर दिया गया था जिनसे निर्धारिती को किराए की आय प्राप्त होती थी, धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1)(iii) के अर्थ के भीतर निर्धारिती के अधिभोग में नहीं थे और इसलिए उनका मूल्य निर्धारिती के शुद्ध धन में सम्मिलित किए जाने योग्य है।"

4. हमारे विचारार्थ प्रश्न बहुत ही सीमित है जो धारा 5(1)(iii) के निर्वचन के बारे में है। यह बात स्वीकार की गई है कि विलीन राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1949 के पैरा 13 के अधीन केन्द्रीय सरकार ने रामपुर के खास बाग पैलेस को रामपुर के शासक का शासकीय निवास घोषित किया था। आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि चूंकि अधिकरण ने उसकी यह दलील स्वीकार कर ली है कि समस्त महल को धन-कर अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'एक भवन' माना जाए अतः निर्धारिती उस भवन के मूल्य की बाबत तब तक छूट का हकदार है जब तक वह सारतः शासक के अधिभोग में है। विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि किसी शासक को उसके शासकीय निवास के बारे में दी गई छूट से मात्र इस कारण इनकार नहीं किया जा सकता कि महल का थोड़ा अथवा नगण्य भाग शासक के अधिभोग में नहीं है बल्कि उसे किन्हीं बाहरी व्यक्तियों को किराए पर भी दे दिया गया है। यह दलील दी गई कि यदि महल को एक भवन माना जाता है जिसे उसका शासकीय निवास घोषित किया गया है और जब एक बार यह स्वीकार कर लिया जाता है कि वह महल सारवान् विस्तार तक शासक के अधिभोग में है तो विभाग उस पर आपत्ति नहीं कर सकता और यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकता कि छूट सम्पत्ति के केवल उन्हीं भागों की बाबत सीमित की जानी चाहिए जो शासक के अधिभोग में हैं। यह दलील दी गई कि कानूनी उपबंध ऐसी भाषा में नहीं है जो शासक के वस्तुतः अधिभोगाधीन शासकीय निवास के भागों और जो उसके अधिभोग में नहीं हैं उनके विभाजन का समर्थन करे। आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलीलों के समर्थन में कराधान कानून के यथार्थ अर्थान्वयन के साधारण सिद्धान्त और साथ ही इस सिद्धान्त का अवलम्ब लिया है कि जहां किसी कानून द्वारा छूट दी जाती है तो उसे पूर्णतः प्रभावी किया जाना चाहिए और विधानमण्डल द्वारा अन्तःस्थापित निर्बन्धनों द्वारा संकुचित नहीं किया जाना चाहिए। देखें—आय-कर आयुक्त बनाम के० ई०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सुन्दर मुदलियार और अन्य[1] उसने राजेन्द्र नारायण भंजदेव बनाम आय-कर आयुक्त[2] वाले मामले के विनिश्चय से और राजू बनाम आय-कर आयुक्त[3] वाले मामले के विनिश्चयों से भी सहायता लेनी चाहिए जिनका विनिश्चय इण्डियन इनकम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 2(1)(सी) के उपबंधों के अधीन किया गया है। विद्वान् काउंसेल ने आगा जफर अली खां और अन्य बनाम राधाकिशन और अन्य[4] वाले पंजाब उच्च न्यायालय के विनिश्चय के प्रति भी निर्देश किया है जो भाटक नियंत्रण अधिनियम के अधीन विनिश्चित किया गया था।

5. यद्यपि इस निर्देश में उठाया गया प्रश्न कुछ पेचीदा है तो भी हमारी यह राय है कि अधिकरण इस विवाद्यक पर सही निष्कर्ष पर पहुंचा था। कठिनाई इस कारण उत्पन्न हुई है क्योंकि विलीन राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1949 के पैरा 13 के अधीन अधिसूचना भवनों के बारे में नहीं है बल्कि महलों के बारे में है। प्रकटत: धारा 5(1)(iii) में 'कोई एक भवन' शब्दों को प्रयोग करने का कारण केवल यही सुनिश्चित करना है कि वह छूट केवल एक महल तक ही सीमित रहे। क्योंकि कुछ शासकों के मामलों में एक से अधिक महल उक्त आदेश के अधीन शासकीय निवास के रूप में अधिसूचित कर दिए गए थे। उदाहरणार्थ स्वयं रामपुर के शासकों के मामले में न केवल खास बाग पैलेस बल्कि शाहबाद कैसल को भी शासकीय निवास अधिसूचित किया गया था। (देखें—कांगड़ा एण्ड पालकीवाल कृत ला एण्ड प्रैक्टिस आफ इनकम टैक्स तृतीय संस्करण के पृ० 1201 से 1206 पर उद्धृत अधिसूचना)। अत: अधिकरण इस निष्कर्ष पर ठीक ही पहुंचा था कि धारा 5(1)(iii) निर्धारिती के छूट के दावे को केवल एक भवन, जो खास बाग पैलेस में था, तक सीमित नहीं करती है बल्कि छूट के प्रयोजनार्थ समस्त ख़ास बाग पैलेस को एक भवन माना जाना चाहिए। किन्तु हमारा यह विचार है कि इस निष्कर्ष का यह अर्थ नहीं है कि निर्धारिती उन भवनों की बाबत छूट का हकदार होगा, जो महल के अन्दर हैं और जिन्हें बाहरी व्यक्तियों को किराए पर दिया गया है और जो शासक के अधिभोग में नहीं है। धारा 5(1)(iii) में दो शर्तें उपबंधित की गई हैं जिन्हें निर्धारिती को धारा 5(1)(iii) के अधीन किसी भवन की बाबत छूट का हकदार होने के लिए पूरा करना होगा। पहली शर्त यह है कि यह विलीन राज्य (कराधान रियायतें)

---

[1] 1950 10 आई० टी० आर० 259.
[2] 1929 4 आई० टी० आर० 15.
[3] 1967 67 आई० टी० आर० 122.
[4] ए० आई० आर० 1951 पंजाब 433.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आदेश के अधीन शासक के शासकीय निवास के रूप में अधिसूचित होना चाहिए। प्रस्तुत मामले में यह शर्त पूरी हो जाती है। किन्तु दूसरी शर्त यह है कि वह भवन शासक के अधिभोग में होना चाहिए। भाव यह है कि भूतपूर्व शासकों को उनके एक महल की बाबत, जिसमें वे निवास करते आ रहे हों अथवा जिस पर उनका अधिभोग बना हुआ हो, छूट देना है। प्रस्तुत मामले में महल के बहुत-से भवनों को बाहरी व्यक्तियों को किराए पर दे दिया गया है और वे शासक के अधिभोग में नहीं हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह शर्त स्पष्टतः पूरी हो जाती है। निर्धारिती के काउंसेल की यह दलील कि समस्त महल को एक भवन माना जाना चाहिए वास्तव में उसके लिए सहायक नहीं है। क्योंकि यथार्थतः यह कहा जा सकता है कि समस्त महल जो प्रस्तुत प्रयोजनार्थ भवन गठित करता है, शासक के अधिभोग में नहीं है अतः वह महल की बाबत छूट का कतई हकदार नहीं है। यह बहुत ही चरम स्थिति होगी। न तो अधिकारी ने और न अपील प्राधिकारियों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है। अधिकरण ने कानून के उपबंधों का, उसके उद्देश्यों और आशय से संगत उदार अर्थान्वयन किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारिती महल की बाबत उस सीमा तक छूट का हकदार होगा जहां तक वह शासक के अधिभोग में है किन्तु जहां तक वह उसके अधिभोग में नहीं है वह छूट का हकदार नहीं होगा। हम अधिकरण द्वारा किए गए कानून के इस अर्थान्वयन में कोई त्रुटि अथवा गलती नहीं पाते।

6. हमारा यह विचार है कि आवेदक ने जिन मामलों का अवलम्ब लिया है वह प्रस्तुत संदर्भ में किसी प्रकार सहायक नहीं हैं। इण्डियन इनकम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 2(1)(सी) में ऐसे भवन की बात कही गई है जिसकी कतिपय प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हो और विनिश्चयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब राजस्व एक बार इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि भवन की इस प्रकार आवश्यकता थी तो केवल उस सीमा तक जिस सीमा तक भवन का कृषिक प्रयोजनों के लिए इस सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता था, छूट अनुज्ञात नहीं की जा सकती थी। वे विनिश्चय धारा 2(1)(सी) की भाषा पर आधारित हैं। उक्त उपबंध और साथ ही भाटक नियंत्रण अधिनियम, दोनों के ही अधीन भवन की प्रकृति पर जोर दिया गया है और उस संदर्भ में न्यायालयों ने यह निर्धारित किया कि भवन की प्रकृति का निर्णय किया जाना चाहिए न कि उस सीमा का जिस तक उसका विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारी यह राय है कि वह विचारणाएं प्रस्तुत संदर्भ में सुसंगत नहीं हैं। धारा 5(1)(iii) छूट को शासक द्वारा अधिभोग

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जाता रहा है—उक्त धर्मशाला को उदासी फकीरों का डेरा साबित करने वाला प्रचुर दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य होने की स्थिति में मात्र यह तथ्य कि सिक्खों द्वारा भी उस धर्मशाला का उपयोग किया जाता था अथवा यात्रियों को भोजन कराया जाता था, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उक्त धर्मशाला एक सिक्ख गुरुद्वारा है।

2. सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925—धारा 16 (2) (iii) 'धर्मशाला' पद की अर्थव्याप्ति—मुख्य रूप से इसका अर्थ विश्राम का स्थान होता है—गौण रूप से इसमें हिन्दू एवं सिक्ख दोनों के पूजा स्थल आ सकते हैं।

कतिपय सिक्ख उपासकों ने स्थानीय सरकार को एक आवेदन भेजा कि जिला पटियाला तहसील सरहिन्द के अन्तर्गत जरगढ़ी में गुरुद्वारा साहिब धर्मशाला को सिक्ख गुरुद्वारा घोषित किया जाए। उनके आवेदन को सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 7 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। उदासी सम्प्रदाय के अनुयायी और अन्य उपासकों द्वारा उसके सिक्ख गुरुद्वारा होने पर आपत्ति करते हुए सिक्ख गुरुद्वारा अधिकरण के समक्ष पिटीशन फाइल किया गया। गुरुद्वारा अधिकरण ने यह घोषणा की कि उक्त धर्मशाला सिक्ख गुरुद्वारा नहीं है। अपीलार्थी समिति ने अधिकरण के इस आदेश के विरुद्ध यह अपील फाइल की है।

समिति के दावे का इन आधारों पर खण्डन किया गया कि संबंधित ग्राम के अधिकांश निवासी और सभी लम्बरदार सिक्ख हैं। किन्तु उनमें से किसी ने भी उसे सिक्ख गुरुद्वारा होने की बाबत साक्ष्य नहीं दिया है। उसमें ऐसा कोई स्थान दर्शित नहीं किया गया है जहां "गुरुग्रंथ साहिब" का पाठ किया जाता हो। यदि यह संस्था गुरुद्वारा होता तो वहां यात्रियों के लिए एक अलग कमरा होता और खाना बनाने के लिए एक अलग स्थान और "गुरुग्रंथ साहिब" की उपासना के लिए एक अलग मुख्य भवन होता। दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य से यह पता चलता है कि उसे धर्मशाला साधन के नाम से सम्बोधित किया गया है।

अभिनिर्धारित—अपील खारिज की गई।

यह बात महत्त्वपूर्ण है कि समिति के किसी भी दस्तावेज से यह पता नहीं चलता कि उस संस्था की स्थापना सिक्ख धर्म की उपासना के लिए की गई थी अथवा उसका दस गुरुओं के जीवनकाल की किसी घटना से कोई सम्बन्ध था। दस्तावेजी साक्ष्य से जो कुछ प्रकट होता है वह यह है कि धर्मशाला में गुरुग्रंथ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साहिब का पाठ किया जाता था और राहगीरों को खाना खिलाया जाता था। अभिलेख से यह पता चलता है कि विवादग्रस्त संस्था उदासी फकीरों ने अब से बहुत पूर्व 1903 में स्थापित की थी। साक्षियों के साक्ष्य में भी इसका उदासी डेरे के रूप में वर्णन किया गया है। इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाद में उस संस्था के प्रयोग से यह उपधारणा उद्भूत होना सम्भव नहीं है कि उसे सिक्खों ने लोक उपासना के प्रयोजनार्थ स्थापित किया था। (पैरा 14)

सफल होने के लिए समिति को यह साबित करना होगा कि उस धर्मशाला की स्थापना सिक्खों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए लोक उपासना के प्रयोजनार्थ की गई थी और यह कि सिक्खों ने उसका इस प्रकार उपयोग किया है। समिति ने अपना पक्ष साबित नहीं किया है। समिति द्वारा यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि धर्मशाला का प्रयोग सिक्खों द्वारा किया जाता था अथवा यह कि उस स्थान में सिक्ख उपासना वास्तव में की जाती थी। अधिनियम की धारा 16(2) के खण्ड (iii) के अनुसार इससे अधिक तथ्य साबित करना होगा। समिति ने अपने सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया है। (पैरा 16)

'धर्मशाला' पद का अर्थ मुख्य रूप से आराम का स्थान है। आनुषंगिक अर्थ के अनुसार इससे हिन्दू उपासना का स्थान और सिक्ख उपासना का स्थान दोनों का ही बोध होता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुत संस्था को न केवल धर्मशाला कहा जाता है बल्कि धर्मशाला साधान कहा जाता है। इस नाम से यह बोध होता है कि यह गुरुद्वारा नहीं है बल्कि साधुओं का डेरा है। (पैरा 15)

		पैरा
[1965]	1965 के आदेश सं० 109 के विरुद्ध की गई प्रथम अपील जिसे 15 फरवरी, 1976 को विनिश्चित किया गया : माल सिंह और अन्य **बनाम** शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर, जगतसिंह और अन्य (Mal Singh and others *Vs.* The Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee Amritsar, Jagat Singh and others);	12
[1965]	1965 के आदेश 106 के विरुद्ध की गई प्रथम अपील जिसे 24 दिसम्बर, 1970 को विनिश्चित किया गया : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर **बनाम** सेवा दास (Shiromani Gurdwara Prabandhak	13

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Committee, Amritsar *Vs.* Sewa Dass);

[1963] 1963 के आदेश सं० 199 के विरुद्ध की गई प्रथम अपील जिसे 27 नवम्बर, 1969 को विनिश्चित किया गया : जंग सिंह **बनाम** शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर (Jang Singh *Vs.* Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, Amritsar) 13

से **प्रभेद** बताया गया।

सिविल अपीली अधिकारिता : 1972 के आदेश सं० 305 के विरुद्ध की गई प्रथम अपील।

सिक्ख गुरुद्वारा अधिकरण पंजाब के तारीख 18 मई, 1972 के आदेश के विरुद्ध की गई प्रथम अपील।

अपीलार्थी की ओर से ... श्री नरेन्द्र सिंह

प्रत्यर्थियों की ओर से ... श्री टहल सिंह

न्यायालय का निर्णय न्या० एस०एस० दीवान ने दिया।

न्या० दीवान :

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) ने यह अपील सिक्ख गुरुद्वारा अधिकरण के तारीख 18 मई, 1972 के उस आदेश के विरुद्ध फाइल की है जिसके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जिला पटियाला, तहसील सरहिन्द के अन्दर राजस्व सम्पदा जरगढ़ी में 'गुरुद्वारा साहिब धर्मशाला' के रूप में अधिसूचित संस्था सिक्ख गुरुद्वारा नहीं है। यह आदेश उस संस्था के किशन दास और अन्य उपासकों द्वारा सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम की धारा 8 के अधीन फाइल किए गए पिटीशन पर पारित किया गया था। पिटीशन में यह दावा किया गया है कि वह संस्था उदासी फकीरों का डेरा है। यह कि उसमें बाबा मुखराम की समाधि और बाबा श्रीचन्द्र और गोला साहिब की मूर्तियों की ही एकमात्र उपासना की जाती है और यह कि वह संस्था अधिनियम की धारा 16 के अर्थ के भीतर सिक्ख गुरुद्वारा नहीं है। यह पिटीशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस संस्था के 57 सिक्ख उपासकों ने स्थानीय सरकार को एक आवेदन यह प्रार्थना करते हुए भेजा कि उस संस्था को सिक्ख गुरुद्वारा घोषित किया जाए। उनके आवेदन को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सम्पत्तियों की सूची सहित 31 जनवरी, 1964 को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अपीलार्थी समिति ने तारीख 9 सितम्बर, 1965 को अपना लिखित कथन फाइल किया और पिटीशनरों के सभी अभिकथनों से इनकार किया। संस्था की प्रकृति के बारे में यह प्राख्यान किया गया कि अधिनियम की धारा 16(2)(iii) के अधीन यह एक सिक्ख गुरुद्वारा है और अधिकरण के अवधारण के लिए निम्नलिखित विवाद्यक उत्पन्न हुआ :—

"क्या विवादग्रस्त संस्था सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 16(2)(iii) के अर्थ के भीतर एक सिक्ख गुरुद्वारा है ?"

2. अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) का खण्ड (iii) इस प्रकार है :—

* "16(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए, यदि किसी अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही में यह विवाद हो कि किस गुरुद्वारे को सिक्ख गुरुद्वारा घोषित क्रिया जाए या न किया जाए तो अधिकरण, उक्त गुरुद्वारे से सम्बन्धित विवाद में कोई जांच करने से पूर्व यह विनिश्चय करेगा कि क्या इसे उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सिक्ख गुरुद्वारा घोषित किया जाए या न किया जाए।

(2) यदि अधिकरण का यह निष्कर्ष है कि वह गुरुद्वारा—

(i) × × ×

(ii) × × ×

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

"16(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, if in any proceeding before a Tribunal it is disputed that a Gurdwara should or should not be declared to be a Sikh Gurdwara, the tribunal shall, before enquiring into any other matter in dispute relating to the said Gurdwara decide whether it should or should not be declared a Sikh Gurdwara in accordance with the provisions of sub-sec. (2).

(2) if the tribunal finds that the Gurdwara—

(i) × × ×

(ii) × × ×

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(iii) सिक्खों द्वारा लोक उपासना के प्रयोजनार्थ स्थापित किया गया था और धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पिटीशन प्रस्तुत किए जाने के पूर्व और किए जाने के समय सिक्खों द्वारा ऐसी उपासना के लिए उसका प्रयोग किया जाता था।

(iv) × × ×

(v) × × ×"

इसके परिशीलन से यह पता चलता है कि समिति से यह अपेक्षित था कि वह निम्नलिखित आवश्यक घटकांगों को साबित करे :—

(1) यह कि वह गुरुद्वारा सिक्खों द्वारा लोक उपासना के प्रयोग के लिए स्थापित किया गया था;

(2) यह कि इसका सिक्खों द्वारा उपासना के लिए वास्तव में प्रयोग किया जा रहा था; और

(3) यह कि सिक्खों द्वारा लोक उपासना के लिए पिटीशन के उपस्थापित किए जाने के पूर्व और पिटीशन के उपस्थापित किए जाने के समय इसका प्रयोग किया जा रहा था।

3. अधिकरण ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर उस संस्था को अधिनियम के अर्थ के भीतर सिक्ख गुरुद्वारा के रूप में घोषणा करने से इन्कार कर दिया। अतः हमारे समक्ष यह अपील की गई है।

4. समिति के दावे का निम्नलिखित आधारों पर खण्डन किया गया है :—

(क) ग्राम जरगढ़ी के अधिकांश निवासी और सभी लम्बरदार सिक्ख हैं। यह बात बहुत आश्चर्यजनक है कि गांव का एक भी व्यक्ति यह कहने के लिए सामने नहीं आया कि विवादग्रस्त संस्था सिक्ख गुरुद्वारा है। यदि यह सिक्ख गुरुद्वारा हुआ होता तो किसी भी सिक्ख ने इसे उदासी साधुओं की धर्मशाला के रूप में वर्णित न किया होता।

(iii) was established for use by Sikhs for the purpose of public worship and was used for such worship by Sikhs before and at the time of the presentation of the petition under sub-sec. (1) of s.7.

(iv) × × ×

(v) × × ×"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इसके विपरीत बहुत से व्यक्ति यह कहने के लिए सामने आए होते कि यह एक सिक्ख गुरुद्वारा है। जब प्रत्यर्थी-समिति ने गांव के किसी भी व्यक्ति की परीक्षा नहीं की है तो निकटवर्ती गांवों के व्यक्तियों के कथनों पर निर्भर करना पूर्णत: निरापद नहीं है।

(ख) धर्मशाला के भवन के प्लान को अधिसूचना सं० 72-जी० पी० तारीख 31 जनवरी, 1964 में पृ० 255 पर दर्शित किया गया है। यह स्पष्ट है कि उस भवन में केवल एक कमरा है जो 40 फुट लम्बा और लगभग 25 फुट चौड़ा है। ऐसा कोई स्थान दर्शित नहीं किया गया है जहां गुरुग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। यदि यह संस्था गुरुद्वारा होता तो वहां यात्रियों के लिए एक अलग कमरा होता और खाना बनाने के लिए एक अलग स्थान होता और गुरुग्रंथ साहिब की उपासना के लिए एक अलग मुख्य भवन होता।

(ग) विवादग्रस्त संस्था धर्मशाला साधान के रूप में ज्ञात है जैसा कि बहुत से साक्षियों के कथनों से और राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों से स्पष्ट है।

(घ) यह संस्था उदासी फकीरों द्वारा संस्थापित की गई थी और वे सदा से अपनी ही रीति से यहां उपासना करते चले आ रहे हैं। इसमें गुरुग्रंथ साहिब की प्रतिष्ठापना नहीं की गई है अथवा उसकी उपासना नहीं की जाती है। वह संस्था न तो सिक्खों द्वारा लोक उपासना के प्रयोजनार्थ स्थापित की गई थी और न ही उसका कभी भी इस प्रकार उपयोग हुआ है। अत: यह सिक्ख गुरुद्वारा नहीं है बल्कि उदासी फकीरों का डेरा है।

5. समिति के विद्वान् काउन्सेल श्री नरेन्द्र सिंह ने ऊपर निर्दिष्ट निष्कर्षों की शुद्धता का जोरदार रूप से विरोध किया है और यह दलील दी है कि अधिकरण ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को गलत समझा है। किन्तु यह बात विवादग्रस्त नहीं है कि यह साबित करने का भार कि प्रश्नगत धर्मशाला एक सिक्ख गुरुद्वारा है समिति पर है। विद्वान् काउन्सेल के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य से सन्देह से परे यह साबित हो जाता है कि वह संस्था सिक्खों द्वारा लोक उपासना के प्रयोजनार्थ स्थापित की गई थी और यह कि सिक्खों द्वारा ऐसी लोक उपासना अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन पिटीशन उपस्थापित किए जाने के समय तक चलती रही। इसके विपरीत प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउन्सेल श्री टहल सिंह ने यह निवेदन किया कि अभिलेख में मौजूद मौखिक और दस्तावेजी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साक्ष्य के आधार पर अधिकरण जिन निष्कर्षों पर पहुंचा है वे बिल्कुल सही और न्यायोचित हैं।

6. पक्षकारों का यह सामान्य पक्षकथन है कि यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि प्रश्नगत धर्मशाला उपरोक्त परिस्थितियों में स्थापित की गई थी और उसका पूर्वोक्त उपबंध के घटकांगों को पूरा करने के लिए उस रूप में प्रयोग किया जा रहा था। इस प्रकार हमें, समिति द्वारा अभिलेख में जो दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य पेश किया गया है उससे अनुमान लगाना होगा।

7. प्रत्यर्थियों ने अपने दावे के समर्थन में चार साक्षियों की परीक्षा की है अर्थात् फतह सिंह (वा० सा० 1) मोहिन्दर सिंह (वा० सा० 2) साधू सिंह (वा० सा० 3) और किशनदास पिटीशनर (वा० सा० 4) और साक्ष्य में राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, प्रदर्श पी० 1 से लेकर पी० 14 निविदत्त की हैं। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए अपीलार्थी समिति ने चार साक्षियों की परीक्षा की अर्थात् राम सिंह (प्र० सा० 1), करतार सिंह (प्र० सा० 2), हरनेक सिंह (प्र० सा० 3) और अजायब सिंह (प्र० सा० 4) और दस्तावेजों, प्रदर्श आर 1 से आर 21 की प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में दी हैं। विवादग्रस्त संस्था के उदासी फकीरों से सम्बन्धित वंशतालिका जैसा कि वह प्रदर्श आर 8 (और साथ ही प्रदर्श पी० 2 और पी० 3) में दी जाती गई है, विवादग्रस्त नहीं है।

8. मेरी यह राय है कि विवादग्रस्त संस्था के स्थापित किए जाने के प्रयोजन के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए समिति द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा की जानी चाहिए। प्रदर्श आर० 1 और आर० 2 क्रमशः 1981-82 बी० के० (अर्थात् 1924-25 ए डी) और 1936-37 ए० डी० वर्षों की जमाबन्दियां हैं। पूर्वोक्त जमाबन्दियों में स्वामित्व वाले स्तम्भ में मकान साधान बाइहतमाम, धर्मशाला से संलग्न भूमि के स्वामी के रूप में दर्ज है जो तत्कालीन उदासी फकीरों के प्रबन्ध में थी। प्रदर्श आर० 3 और आर० 4 क्रमशः 1993-94 बी० के० और 2,000-02 बी० के० की जमाबन्दियां हैं जिनमें वही प्रविष्टि दोहराई गई है। प्रदर्श आर० 5 नामान्तरण सं० 750 है जिसे 11 ज्येष्ठ, 1979 बी० के० को अनुप्रमाणित किया गया है जिसके द्वारा भूमि का स्वामित्व पाखर दास के नाम से मकान धर्मशाला साधान बेइहतमाम के नाम में तब्दील किया गया है। प्रदर्श आर० 6 और आर० 19 क्रमशः वर्ष 1951 और 1959 में जरगढ़ी ग्राम के लम्बरदारों के संयुक्त कथन हैं। प्रदर्श

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आर० 9 मुआफीदार टोटीदास, हरनाम दास और रूड़ दास का संयुक्त कथन है। प्रदर्श आर०, 10 आर० 11, आर० 13 और आर० 14 सुन्दर दास और गोपी दास के कथन हैं जो उन्होंने 1963 बी० के० से 1990 बी० के० की अवधि के दौरान कतिपय सालों में किए थे। उनके कथनों का संक्षेप और सार यह है कि धर्मशाला में गुरुग्रंथ साहिब का प्रकाश नियमित रूप से किया जाता। राहगीरों को खाना खिलाया जाता है और गुरुग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। प्रदर्श आर० 16 महाराजा पटियाला का तारीख 18 मई, 1939 ए० डी० वाला आदेश है जिसके द्वारा सुन्दर दास पुत्र मुखराम दास उदासी साधु को धर्मशाला का स्थायी मोहतमिम नियुक्त किया गया है और सभी मुआफी भूमि और उससे सम्बद्ध अधिकार इसके नाम में अन्तरित कर दिए गए हैं। प्रदर्श आर० 20 सरदार साहिब देवड़ी अल्ला पटियाला का एक पत्र है जो उन्होंने बस्सी के नाजिम को मुआफी की बकाया के बारे में लिखा है और प्रदर्श आर० 21 वह पत्र है जो सरदार साहिब देवड़ी मुअल्ला, पटियाला ने यह उपदर्शित करते हुए लिखा है कि मुआफी को मुआफीदारों के सभी वंशजों के बीच वितरित नहीं किया जा सकता।

9. समिति के विद्वान् काउन्सेल श्री नरेन्द्र सिंह ने 7 दस्तावेजों अर्थात् प्रदर्श आर० 6, आर० 9, आर० 10, आर० 11, आर० 13, आर० 14 और आर० 19 का जोरदार रूप से अवलम्ब लिया है और यह दलील दी है कि समिति का पक्षकथन इन दस्तावेजों से पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउन्सेल श्री टहल सिंह ने इस आधार पर पूर्वोक्त दस्तावेजों की ग्राह्यता के बारे में आपत्ति की है कि उन्हें समुचित रीति में साबित नहीं किया गया है। हम इस रीति में कोई सार नहीं पाते। यदि दस्तावेज के सबूत का ढंग अनियमित अथवा अपर्याप्त है तो यह अनिवार्य है कि वह आपत्ति दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में चिन्हित किए जाने और अभिलेख में ग्रहण किए जाने से पूर्व विचारण के समय की जानी चाहिए। अतः प्रत्यर्थी इस प्रक्रम पर यह दलील नहीं दे सकते कि उन दस्तावेजों को सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया है।

10. श्री नरेन्द्र सिंह के अनुसार प्रत्येक सात दस्तावेज निश्चायक रूप से यह साबित करते हैं कि गुरुग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता था, राहगीरों को खाना खिलाया जाता था और उस संस्था में गुरुग्रंथ साहिब ही उपासना की एकमात्र वस्तु थी और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह संस्था अधिनियम की धारा 16(2)(iii) के अन्तर्गत आती है। यह निवेदन किया गया कि उस गांव में प्रमुख रूप से सिक्ख रहते हैं, इसलिए उस संस्था को सिक्ख

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गुरुद्वारा समझा जाना चाहिए। यदि यह दस्तावेज अभिलेख में होते और उनका पृथक रूप से अवलम्ब लिया जाता तो विद्वान् काउन्सेल की दलील में कुछ सार हो सकता था। किन्तु अभिलेख में यह दर्शित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है कि संस्था का स्थापक बाबा मुखराम अथवा उसका कोई वंशज सिक्ख था अथवा सिक्ख धर्म में आस्था रखता था। इनमें से किसी भी दस्तावेज से यह पता नहीं चलता कि प्रश्नगत संस्था कभी भी सिक्ख गुरुद्वारा थी अथवा वह भूमि ऐसी किसी संस्था के पक्ष में नामांतरित की गई थी। यह मानते हुए कि इस संस्था में गुरुग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था और राहगीरों को खाना खिलाया जाता था इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि उनके परिसर में पवित्र गुरुग्रंथ साहिब के होने से वह संस्था गुरुद्वारा हो गया था। यह बात विवादग्रस्त नहीं है कि उदासी फकीर गुरुग्रंथ साहिब रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उसका आदर करते हैं यद्यपि वे उसकी उपासना नहीं करते। उनके यहां मुख्य उपासना बाबा श्रीचन्द और गोला साहिब की मूर्तियों की होती है। जहां तक मुझे ध्यान है अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो यह उपधारणा करता हो कि केवल इस कारण कि उपासना सिक्ख रीति में है तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि सिक्ख रीति में उपासना संस्था के स्थापित किए जाने के समय से की जाती रही है। गांव जरगढ़ी के लम्बरदारों ने अपने कथनों के प्रदर्श आर० 6 और आर० 9 में उस संस्था को धर्मशाला के रूप में वर्णित किया है न कि गुरुद्वारे के रूप में। यह बात सोची भी नहीं जा सकती कि 1902 ए० डी० में गांव जरगढ़ी के लम्बरदारों को, जो सिक्ख थे उदासी डेरे और गुरुद्वारे के बीच भेद का पता नहीं था। यदि यह सिक्ख गुरुद्वारा हुआ होता तो यह अत्यधिक असम्भाव्य था कि वे उसे डेरे के रूप में सम्बोधित करते।

11. इसके पश्चात् समिति के विद्वान् काउन्सेल ने प्रदर्श आर० 9 में मुआफीदारों के संयुक्त कथनों और महाराजा पटियाला के तारीख 18 मई, 1939 वाले आदेश प्रदर्श आर० 16 पर भी जोर दिया है जिसके द्वारा सुन्दर दास पुत्र पाखर दास उदासी साध को धर्मशाला का स्थायी मोहतमिम नियुक्त किया गया था और मुआफी भूमि और उससे संलग्न अधिकार उसके नाम में अन्तरित किए गए थे और यह दलील दी कि उनसे यह उपदर्शित होता है कि वहां लोक उपासना होती थी। किन्तु मुआफीदारों के छुट-पुट कथनों और मुआफी प्रदत्त किए जाने से इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता और किसी भी दशा में यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उन दिनों किसी प्रकार की लोक उपासना की जाती थी तो यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धर्मशाला की स्थापना ऐसी उपासना के प्रयोजनार्थ की गई थी। इस तथ्य का कि उस गांव में प्रमुख रूप से सिक्ख रहते हैं समान रूप से यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई प्रमाणक मूल्य नहीं है कि वह संस्था सिक्खों द्वारा उनकी लोक उपासना के लिए स्थापित की गई थी। सिक्खों के गांवों में ऐसे बहुत-सी संस्थाओं के उदाहरण हैं जिनके बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वे उदासी संस्थाएं हैं न कि सिक्ख गुरुद्वारे।

12. तत्पश्चात् समिति के विद्वान् काउन्सेल ने कुछ आग्रहपूर्वक यह दलील दी कि इस बात पर विचार करते समय कि क्या वह संस्था अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (iii) के वर्णन के अन्तर्गत आती है, साक्ष्य की समग्रता को विचार में लिया जाना चाहिए और अपने तर्क का समर्थन करने के लिए उन्होंने इस न्यायालय के **माल सिंह और अन्य** बनाम **शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर, जगतसिंह और अन्य**[1] का अवलम्ब लिया है। विधि के इस सिद्धान्त के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था :—

> "गुरुद्वारे के अस्तित्व के बारे में यह निश्चायक साक्ष्य है, यद्यपि यह साधुओं द्वारा उस भूमि की आय से स्थापित किया गया था जो भूमि गांव के सिक्ख सरदारों ने दान में दी थी और उस गांव में प्रमुख रूप से सिक्ख रहते थे। और उन दिनों उस गांव में कोई अन्य गुरुद्वारा नहीं था जब विवादग्रस्त गुरुद्वारा स्थापित किया गया था। इन सभी तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह संस्था सिक्खों द्वारा लोक उपासना के प्रयोग के लिए स्थापित की गई थी।"

13. उसने इस प्रस्थापना के लिए कि ऐसी संस्था जो साधुओं ने स्थापित की थी और उनके सभी महन्त उदासी थे इस न्यायालय के **जंग सिंह** बनाम **शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर**[2] और **शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर बनाम सेवा दास**[3] वाले विनिश्चयों का भी अवलम्ब लिया है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वह संस्था गुरुद्वारा था। इन मामलों को

---

[1] 1965 के आदेश सं० 109 के विरुद्ध की गई प्रथम अपील जिसे 15 जनवरी, 1976 को विनिश्चित किया गया।

[2] 1963 के आदेश सं० 199 के विरुद्ध की गई प्रथम अपील जिसे 27 नवम्बर, 1969 को विनिश्चित किया गया।

[3] 1965 के आदेश 106 के विरुद्ध की गई प्रथम अपील जिसे 24 दिसम्बर, 1970 को विनिश्चित किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उनके अपने तथ्यों के आधार पर विनिश्चत किया गया था और प्रस्तुत मामले में दिया गया साक्ष्य उन मामलों में दिए गए साक्ष्य से भिन्न प्रकृति का है। विद्वान् काउन्सेल ने लाहौर उच्च न्यायालय की कतिपय नजीरों के प्रति निर्देश किया है किन्तु उन सभी विनिश्चयों के प्रति निर्देश करके इस निर्णय को बोझिल करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हर एक मामले का निर्णय और विनिश्चय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाता है।

14. दुर्भाग्यपूर्ण रूप से प्रस्तुत मामले में समिति ने जो साक्ष्य दिया है वह नितान्त रूप से अयथार्थ है। यह बात महत्वपूर्ण है कि समिति के किसी भी दस्तावेज से यह पता नहीं चलता कि उस संस्था की स्थापना सिक्ख धर्म की उपासना के लिए की गई थी अथवा उसका दस गुरुओं के जीवनकाल की किसी घटना से कोई सम्बन्ध था। दस्तावेजी साक्ष्य से जो कुछ प्रकट होता है यह है कि धर्मशाला में गुरुग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था और राहगीरों को खाना खिलाया जाता था। अभिलेख में साबित तथ्यों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि विवादग्रस्त संस्था उदासी फकीरों ने अब से बहुत पूर्व 1903 में स्थापित की थी जो प्रत्यर्थियों के दस्तावेज पी० 9 और पी० 14 से प्रकट है। इसके अलावा उस संस्था के बारे में 1944 ए० डी० में भी डेरा होने का दावा किया गया है। (देखिए प्रदर्श आर० 4) और ग्राम जरगढ़ी के निवासियों ने उसका इसी रूप में वर्णन किया है। इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाद में उस संस्था के प्रयोग से यह उपधारणा उद्भूत होना सम्भव नहीं है कि उसे सिक्खों ने लोक उपासना के प्रयोजनार्थ स्थापित किया था।

15. हमने 'धर्मशाला' पद के अर्थ के बारे में काफी बहस सुनी। यह पद हमारे लिए कोई अड़चन नहीं है क्योंकि मुख्य रूप से इसका अर्थ आराम का स्थान है और जिसके ऐसे आनुषंगिक अर्थ हैं जिनसे हिन्दू उपासना का स्थान और सिक्ख उपासना के स्थान दोनों का ही बोध होता है। स्वीकृत रूप से उस धर्मशाला में हिन्दू और सिक्ख दोनों ही आते थे। प्रस्तुत मामले में विवादग्रस्त संस्था धर्मशाला साधान के रूप में ज्ञात है जैसा कि बहुत से साक्षियों के कथनों और राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों से स्पष्ट है। जो भी हो, समिति के विद्वान् काउन्सेल का तर्क यह है कि संस्था के नाम से यह उपदर्शित होता है कि यह एक सिक्ख गुरुद्वारा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुत संस्था को न केवल धर्मशाला कहा जाता है बल्कि धर्मशाला साधान कहा जाता है। इस नाम से यह बोध होता है कि यह गुरुद्वारा नहीं है बल्कि साधुओं का डेरा है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

16. सफल होने के लिए समिति को यह साबित करना होगा कि उस धर्मशाला की स्थापना सिक्खों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए लोक उपासना के प्रयोजनार्थ की गई थी और यह कि उसका सिक्खों ने इस प्रकार प्रयोग किया है। मैंने ऊपर जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मैं यह अभिनिर्धारित करने में असमर्थ हूं कि समिति ने अपना पक्ष साबित कर दिया है। समिति द्वारा यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि धर्मशाला का प्रयोग सिक्खों द्वारा किया जाता था अथवा यह कि उस स्थान में सिक्ख उपासना वास्तव में की जाती थी। जैसा कि अधिनियम की धारा 16(2) के खण्ड (iii) के शब्दों से प्रकट है इससे अधिक तथ्य साबित करना होगा और समिति ने अपने सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया है। अतः मैं, अधिकरण द्वारा साक्ष्य का जो मूल्यांकन किया गया है उससे असहमत होने के लिए कोई आधार नहीं पाता।

17. परिणामतः इस अपील में कोई सार नहीं है जिसे खारिज किया जाता है। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता।

अपील खारिज की गई।

श०

नि० प० 1983 : पंजाब-हरियाणा—156

चण्डीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम सुरजीत केसर

(The Chandigarh Administration and others *Vs.* Surjit Kesar)

तारीख 6 अक्तूबर, 1982

[मु० न्या० एस० एस० संधानवालिया और न्या० जी० सी० मित्तल]

पंजाब सिनेमाज (रेगूलेशन) रूल्स, 1952 [पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1952]—नियम 3 सपठित नियम 2(ix) तथा नियम 72, 76 से 83—'चलते-फिरते चलचित्र' (टूरिंग सिनेमैटोग्राफ) के लिए अस्थायी लाइसेंस की मंजूरी, अस्वीकृति और रद्दकरण—चलते-फिरते चलचित्र के लिए प्रदान किए गए अस्थायी लाइसेंस की प्रकृति अनिवार्यतः अस्थायी और भ्रमणशील है—अतः जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अस्थायी लाइसेंस की अवधि बढ़ाए जाने से केवल इनकार किए जाने के लिए कारण लेखबद्ध किया जाना आज्ञापक नहीं है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रत्यर्थी ने आरम्भ में पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1952 के नियम 3 के अधीन एक चलते-फिरते चलचित्र के लिए केवल छह मास के लिए अस्थायी लाइसैंस लिया था और इस अस्थायी लाइसैंस के अनुसरण में उसने एक अस्थायी ढांचा खड़ा कर दिया। इस लाइसैंस की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही। तत्पश्चात् अन्तिम बार उसकी अवधि तीन मास तक के लिए या स्थायी चलचित्र के कार्य शुरू करने तक और बढ़ा दी गई। किंतु इस अस्थायी लाइसैंस की अवधि को और अधिक बढ़ाने से जिला मजिस्ट्रेट अर्थात् अनुज्ञापन प्राधिकारी ने इनकार कर दिया। अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी ने गृह सचिव से अपील की जो गृह सचिव द्वारा खारिज कर दी गई। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन फाइल किया। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने पिटीशन इस आधार पर मंजूर कर लिया कि अस्थायी लाइसैंस के प्रवर्तन की अवधि पूरी तरह एक विसंगत विचारणा है और यह निदेश दिया कि लाइसैंस के नवीकरण के लिए आवेदनों का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नए सिरे से निपटारा किया जाए और फिलहाल अस्थायी अनुज्ञापत्र मंजूर किए जाने का निदेश भी दिया। विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने लैटर्स पेटैंट के खण्ड 10 के अधीन उच्च न्यायालय में प्रस्तुत लैटर्स पेटैंट अपील फाइल की है। इस अपील में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के नियम 3 के अधीन किसी चलते-फिरते चलचित्र के लिए मंजूर किए गए अस्थायी लाइसैंस की प्रकृति अनिवार्यतः अस्थायी और भ्रमणशील है।

अभिनिर्धारित—अपील मंजूर की गई।

पंजाब सिनेमा (रेगूलेशन) रूल्स, 1952 [पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1952] के नियम 2(ix) में 'चलता-फिरता चलचित्र' की परिभाषा से उसकी प्रकृति और प्रयोजन स्पष्ट दर्शित होता है और यहां स्वयं 'चलता-फिरता' शब्द ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी कोई विशद व्याख्या करना अनावश्यक है किंतु नियम बनाने वालों ने यह विनिर्दिष्ट करते हुए इस विषय में किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि प्रकल्पित साधित्र ऐसा हो कि जिसे स्थान-स्थान पर ले जाया जा सके और इसलिए चलते-फिरते चलचित्र की भ्रमणशील प्रकृति उसके नाम और उसकी परिभाषा से पूरी तरह स्पष्ट है। (पैरा 8)

यहां सबसे पहले उक्त नियमावली में एक ओर तीन वर्ष के लाइसैंस

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का नवीकरण किए जाने और दूसरी ओर अस्थायी लाइसैंस के बीच तीव्र अन्तर पर ध्यान देना उचित होगा। नियम 3 के उपनियम (ii) के आधार पर तीन वर्ष का लाइसैंस स्पष्टतः नवीकृत किया जा सकता है और केवल इतना ही नहीं कि यह आज्ञापक प्रतीत होता है बल्कि ऐसा लाइसैंसधारी के आवेदन पर भी किया जा सकता है बशर्ते कि वस्तुतः लाइसैंस मंजूर किए जाने की शर्तें मंजूर हो जाएं। इस उपनियम की भाषा सुस्पष्ट है और इसमें इस बात की घोषणा की गई है कि ऐसा लाइसैंस लाइसैंसधारी के आवेदन पर नवीकृत किया जाएगा। यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि अस्थायी लाइसैंस सम्बन्धी उपनियम (iii) में उसके नवीकरण के लिए कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है और उसमें केवल कठोर निबंधनों के अधीन रहते हुए उसकी अवधि बढ़ाए जाने के लिए उपबंध किया गया है। उपर्युक्त भाषा के इस विमर्शित अन्तर अर्थात् तीन वर्ष के लाइसैंस के संदर्भ में नवीकरण किए जाने और किसी अस्थायी लाइसैंस के बारे में केवल उसकी अवधि बढ़ाए जाने के बीच अन्तर की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः यह स्पष्ट है कि इस नियमावली में किसी अस्थायी लाइसैंस के निरंतर नवीकरण की, जिसके कारण वह वस्तुतः स्थायीवत् हो जाए, परिकल्पना नहीं की गई है। (पैरा 10)

उक्त नियमावली के नियम 3(iii) से यह स्पष्ट होता है कि मूलतः नियम बनाने वालों ने अस्थायी लाइसैंस की अनिवार्यतः अस्थायी रूप में ही कल्पना की थी। प्रथमतः यह दो मास से अधिक की अवधि के लिए मंजूर नहीं किया जा सकता है। तत्पश्चात् उसकी अवधि बढ़ाई जाने पर अर्थात् छह मास से अधिक न होने के लिए एक निर्बन्धन लगाया गया। नियम बनाने वालों ने वास्तव में यह बात सुनिश्चित करनी चाही थी कि कोई भी चलता-फिरता चलचित्र किसी एक स्थान पर एक कैलेण्डर वर्ष में छह मास से अधिक समय तक न चले। इस निर्बन्धन को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि अस्थायी लाइसैंस के वास्तव में उसी स्थान पर निरंतर बने रहने को प्रतिषिद्ध किया गया है। नियम (iii) में पश्चात्वर्ती संशोधनों ने इस उपबंध की आधारभूत भावना से विचलित हुए बिना केवल लाइसैंस मंजूर किए जाने और उसके विस्तारण की अवधि ही बढ़ाई है। अब भी नियमावली में आरम्भ में एक कैलेण्डर वर्ष में केवल कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी लाइसैंस मंजूर किए जाने के लिए ही उपबंध किया गया है। नियमावली के इतिहास को ध्यान में रखते हुए विचार किए जाने पर "कैलेण्डर वर्ष" शब्द का प्रयोग अर्थपूर्ण लगता है। यह बात कि ऐसे अस्थायी लाइसैंस की अवधि का बढ़ाया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जाना एक अपवाद है जो उस उपबंध से स्पष्ट प्रतीत होता है जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण लेखबद्ध करेगा । ऐसे कारणों को लेखबद्ध किए जाने के पश्चात् भी यह अतिरिक्त निर्बन्धन अधिरोपित किया गया है कि यह कुल मिलाकर छह मास से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता । इस विवेकाधिकार को और अधिक निर्बन्धित करने के लिए यह उपबंध किया गया है कि कुल अवधि की गणना करने में न केवल कोई विशिष्ट लाइसैंस मंजूर किए जाने पर ही विचार किया जाना चाहिए बल्कि ऐसे नगर या गांव की बाहरी सीमा के 5 मील के भीतर किसी अन्य चलते-फिरते चलचित्र को लाइसैंस मंजूर किए जाने की बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए । अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आरम्भ में अस्थायी लाइसैंस मंजूर किए जाने के लिए सीमित समयावधि, यथार्थतः उसके नवीकरण के लिए किसी उपबंध के अभाव, उसकी अवधि और आगे बढ़ाई जाने पर कठोर निर्बन्धन, ऐसा करने के लिए कारण लेखबद्ध करने की आवश्यकता और कुल अवधि की गणना करने की पद्धति सभी मिलकर कानून के इस प्रकट आशय को स्पष्ट करने वाले हैं कि ऐसे लाइसैंस की प्रकृति अनिवार्यतः अस्थायी है । (पैरा 11)

पहली बार में ये अस्थायी लाइसैंस एक कैलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर छह मास से अधिक की अवधि के नहीं होते हैं । इन्हें यथार्थतः नवीकृत नहीं किया जाता था किंतु इनकी अवधि केवल बढ़ाई जा सकती थी और ऐसी बढ़ाई गई अवधि पुनः नियमावली द्वारा सीमित की गई है । पुनः ऐसा केवल उस दशा में किया जा सकता है यदि अवधि बढ़ाई जाने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हों और जिनका लेखबद्ध किया जाना आवश्यक रूप से अपेक्षित है । उन स्थानों में जहां कोई स्थायी सिनेमा विद्यमान है, इन अस्थायी लाइसैंसों के प्रदान किए जाने के बारे में एक और निर्बन्धन लगाया गया है । अतः इससे यह अनिवार्य निष्कर्ष निकलता है कि किसी चलते-फिरते चलचित्र के लिए लाइसैंस अनिवार्यतः भ्रमणशील और अस्थायी प्रकृति का है और एक कैलेण्डर वर्ष में कुल छह मास से अनधिक की अवधि के लिए लाइसैंस मंजूर किया जाना एक आज्ञापक नियम है जबकि इसकी अवधि बढ़ाई जाना केवल एक अपवाद स्वरूप है । (पैरा 14)

अतः पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 और उसके अधीन बनाई गई पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1952 के नियम 3. के अधीन किसी चलते-फिरते चलचित्र के लिये प्रदान किया गया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अस्थायी लाइसेंस अनिवार्यतः अस्थायी है और उसकी प्रकृति भ्रमणशील है। (पैरा 15)

उक्त नियमावली के नियम 3(iii) की भाषा को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अस्थायी लाइसेंस की अवधि न बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्टतः कारण लेखबद्ध करने के लिए आबद्ध नहीं है। सुसंगत उपबंधों में एक कैलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जाने का उपबंध किया गया है। मंजूर की गई अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा अस्थायी लाइसेंस सामान्यतः व्यपगत हो जाता है और नियम 3(ii) के विपरीत वह नवीकृत नहीं किया जा सकता। नियम 3(iii) के परंतुक में नियम निर्माताओं का यह आशय उपदर्शित किया गया है कि यदि अस्थायी लाइसेंस की मूल अवधि बढ़ाई जाती है केवल तभी कारण लेखबद्ध किए जाने चाहिए। लाइसेंस मंजूर किए जाने की सामान्य अवधि के बाद अवधि बढ़ाई जाना केवल एक अपवाद स्वरूप है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अवधि बढ़ाई जाने से मात्र इनकार किए जाने के लिए कारण लेखबद्ध करना आज्ञापक नहीं है। अतः जिला मजिस्ट्रेट के वे आदेश जिनके द्वारा अस्थायी लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जाने से इनकार किया गया है, इस आधार पर किसी भी कमी से ग्रस्त नहीं है। (पैरा 18)

		पैरा
[1966]	1966 (2) [एल० एल० आर० पंजाब 341 : मैसर्स रसदीप टूरिंग टाकीज बनाम जिला मजिस्ट्रेट, करनाल (M/s. Rasdeep Touring Talkies *Vs.* The District Magistrate, Karnal) निर्दिष्ट किया गया।	12,13

सिविल (अपीली) अधिकारिता : 1982 की लैटर्स पेटैण्ट अपील सं० 978.

1982 के सिविल रिट पिटीशन सं० 1692 में माननीय न्या० एम० एम० पंछी के तारीख 26 अप्रैल, 1982 के निर्णय के विरुद्ध लैटर्स पेटैण्ट के खण्ड 10 के अधीन अपील।

अपीलार्थियों की ओर से ... सर्वश्री एम० आर० अग्निहोत्री और ओ० पी० गोयल

प्रत्यर्थी की ओर से ... सर्वश्री आनन्द स्वरूप और सुनील परती

न्यायालय का निर्णय मु० न्या० एस० एस० संधानवालिया ने दिया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मु० न्या० संधानवालिया :

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लैटर्स पेटैन्ट के खंड 10 के अधीन की गई इन दोनों संबद्ध अपीलों में मुख्य विवाद्यक यह है कि क्या पंजाब सिनेमाज (रेग्यूलेशन) ऐक्ट, 1952 [पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952] की धारा 5 के अधीन और तद्धीन बनाई गई नियमावली के अधीन किसी "चलता-फिरता चलचित्र" के लिए मंजूर किए गए अस्थायी लाइसैंस (अनुज्ञप्ति) की प्रकृति अनिवार्यत: अस्थायी और भ्रमणशील है।

2. चूंकि, मामलों के तथ्य और विधि विवाद्यक स्वीकृत रूप से एक समान हैं, इसलिए हम 1982 की लैटर्स पेटैण्ट अपील सं० 978 अर्थात् चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम सुरजीत केसर के तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं।

3. चंडीगढ़ शहर के नगर क्षेत्र (टाउन एरिया) की बाहरी सीमा पर किन्तु संघ राज्य-क्षेत्र के भीतर मानी माजरा एक घनी आबादी वाला गांव है। प्रत्यर्थी-रिट पिटीशनर सुरजीत केसर ने पंजाब सिनेमा (रेग्यूलेशन) रूल्स, 1952 [पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1952] (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियमावली" कहा गया है) के नियम 3 के अधीन चलते-फिरते चलचित्र के लिए प्रथम बार में छह मास के लिए जनवरी, 1977 में एक अस्थायी लाइसैंस प्राप्त किया था। प्रत्यर्थी-रिट पिटीशनर का प्रकथन यह है कि यह लाइसैंस एक नीति विषयक विनिश्चय के अनुसरण में दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ द्वारा उसे जो एक वचन दिया गया था उससे और साथ ही इस अभिकथित दावे से भी कि उसने इस उद्यम में तीन लाख रुपए खर्च किए हैं, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार किया गया है। इस अस्थायी लाइसैंस के अनुसरण में रिट पिटीशनर ने फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एक अस्थायी ढांचा खड़ा कर लिया जो राज टाकीज कहलाता है। उक्त लाइसैंस की अवधि समय-समय पर 31 दिसम्बर, 1981 तक बढ़ाई जाती रही। तत्पश्चात् उसकी अवधि केवल तीन मास तक, जो 31 मार्च, 1982 को समाप्त होनी थी या उस तारीख तक बढ़ाई जाने के लिए मंजूरी दे दी गई जब मानी माजरा में एक स्थायी सिनेमा हाल अर्थात् ढिल्लों थियेटर काम करना शुरू कर दे। तथापि, उक्त अस्थायी लाइसैंस की अवधि को और अधिक समय तक बढ़ाए जाने के लिए आवेदन को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी है, तारीख 26 मार्च, 1982 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके विरुद्ध चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव से एक अपील की गई। उक्त अपील भी 8 अप्रैल, 1982 को खारिज कर दी गई किन्तु यह निदेश दिया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गया कि जिला मजिस्ट्रेट के वे आदेश, जिनके द्वारा लाइसैंस देने से इनकार किया गया है, केवल 14 अप्रैल, 1982 से ही प्रवर्तित होंगे।

4. इसी प्रकार इन्दरजीत वालिया, जो कि 1982 की लैटर्स पेटेण्ट अपील सं० 979 में प्रत्यर्थी है, ने भी 18 फरवरी, 1980 को उसे मंजूर किए गए एक अस्थायी लाइसैंस के अधीन पालसोरा गांव की राजस्व संपदा के भीतर एक चलता-फिरता चलचित्र (सिनेमा घर) स्थापित कर लिया जिसे "पूजा टाकीज" कहा जाता है। इस लाइसैंस की अवधि भी समय-समय पर 31 दिसंबर, 1981 तक बढ़ाई जाती रही जिसके पश्चात् अन्तिम बार उसकी अवधि केवल तीन मास तक के लिए बढ़ाई गई थी। इस लाइसैंस की अवधि और अधिक बढ़ाने से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 26 मार्च, 1982 को इनकार कर दिया गया और उसके विरुद्ध की गई अपील भी लगभग उन्हीं शब्दों में गृह सचिव द्वारा अस्वीकार कर दी गई जिसमें राज टाकीज वाले मामले में अस्वीकृत की गई थी।

5. तत्पश्चात् प्रत्यर्थी-रिट पिटीशनर ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय में समावेदन किया और पिटीशनों के ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात् उन्हें समावेदन न्यायपीठ के आदेशों के अधीन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्तरिम अनुतोष से इनकार कर दिया गया है, सुनवाई के लिए तुरन्त सूचीबद्ध किए जाने का आदेश किया गया। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने एक सामान्य निर्णय द्वारा दोनों ही रिट पिटीशनों को प्रमुखतः इस आधार पर मंजूर कर लिया कि अस्थायी लाइसैंस के प्रवर्तन की अवधि पूरी तरह एक विसंगत विचारणा है और गृह सचिव के अपीली आदेश उक्त दोष से ग्रस्त हैं। आगे यह और निदेशित किया गया कि इन लाइसैंसों के नवीकरण के लिए आवेदनों का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नए सिरे से निपटारा किया जाए और इस बीच उसे किसी भी फीस के संदाय के बिना तुरन्त अस्थायी अनुज्ञापत्र मंजूर किए जाने के लिए निदेशित किया गया जो भूतलक्षी रूप से प्रवर्तित होगा।

6. जैसा कि आरम्भ में ही उपदर्शित किया जा चुका है, यहां मुख्य प्रश्न चलते-फिरते चलचित्र (सिनेमा) के लिए अस्थायी लाइसैंस की अंतर्निहित प्रकृति और इस आनुषंगिक प्रश्न के बारे में है कि क्या गृह सचिव द्वारा लाइसैंसों की अवधि बढ़ाए जाने से इनकार करने के लिए दिए गए कारण विधिमान्य और विवाद्यक से संबद्ध हैं। इस प्रश्न का हल मुख्य रूप से पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1952 के विस्तृत उपबंधों में निहित है जो चलते-फिरते चलचित्र (सिनेमा) के लिए अस्थायी लाइसैंस मंजूर किए जाने, अस्वीकृति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और रद्दकरण को लागू होते हैं। तथापि इन उपबंधों का कुछ विस्तार में उल्लेख करने के पूर्व इस मामले पर उसके विधायी इतिहास के वृहत् परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना उचित होगा। हमारे प्रयोजनों के लिए चलचित्र अधिनियम, 1918 के परे जाना अनावश्यक है जो कि एक केन्द्रीय कानून है और जो इस विषय में लागू होता है। तत्पश्चात् इसके स्थान पर चलचित्र अधिनियम, 1952 अधिनियमित किया गया। इस प्रक्रम पर पंजाब राज्य सहित भिन्न-भिन्न राज्य विधानमंडलों ने भी चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शन के विनियमन संबंधी, जो राज्य के अनन्य विधायी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक विषय है, केन्द्रीय अधिनियम के भाग-III के अनुरूप पृथक्-पृथक् अधिनियम पारित कर लिए हैं। पंजाब अधिनियम को एक धारणा खंड द्वारा 28 जुलाई, 1952 से प्रवृत्त किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए और उन्हें 1 नवम्बर, 1952 से प्रभावी किया गया। तत्पश्चात् यथासंशोधित ये नियम चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में उसके 1 नवम्बर, 1966 से सृजन पर उन नियमों के तत्पश्चात् अनुकूलनों सहित लागू किया गया और उसके बाद उसमें संशोधन भी किए गए।

7. उपर्युक्त विधायी पृष्ठभूमि (विकासक्रम) में मुख्यतः हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर जाता है कि अधिनियम की सुसंगत धारा 3, 4 और 5 और निस्संदेह सम्पूर्ण कानून में भिन्न-भिन्न प्रकार के लाइसैंसों के वर्गीकरण या उनकी अवधि के लिए कोई भी स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है। तथापि ऐसा पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'नियमावली' कहा गया है) के प्रख्यापन द्वारा उपबंध किया गया जिसमें इसके बारे में व्यापक उपबंध किए गए हैं और जिन्हें तत्पश्चात् समय-समय पर संशोधित किया गया है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इस नियमावली के इन विस्तृत उपबंधों से हमें किसी चलते-फिरते चलचित्र (सिनेमा) के लिए अस्थायी लाइसैंस मंजूर किए जाने की वास्तविक प्रकृति मालूम करनी होगी।

8. यहां नियम 2(ix) में "चलता-फिरता चलचित्र (सिनेमा)" की परिभाषा के प्रति सबसे पहले निर्देश करना अपरिहार्य होगा जो हमें पर्याप्त महत्वपूर्ण प्रतीत होती है :—

*"2(ix) 'चलता-फिरता चलचित्र' से ऐसा चलचित्र साधित्र

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

"2(ix) 'touring cinematograph' means a

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिप्रेत है जिसे इस प्रकार बनाया गया हो ताकि उसे चलचित्र प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए स्थान-स्थान पर ले जाया जा सके।"

उपर्युक्त नियम की भाषा से उसकी प्रकृति और प्रयोजन स्पष्ट दर्शित होता है और स्वयं "चलता-फिरता" शब्द ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी कोई विशद व्याख्या करना अनावश्यक है किन्तु नियम बनाने वालों ने यह विनिर्दिष्ट करते हुए इस विषय में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि प्रकल्पित साधित्र ऐसा हो कि जिसे स्थान-स्थान पर ले जाया जा सके और इसलिए चलते-फिरते चलचित्र की भ्रमणशील प्रकृति उसके नाम और उसकी परिभाषा से पूरी तरह स्पष्ट है।

9. पुनः स्वीकृत रूप से चलते-फिरते चलचित्र के लिए लाइसेंस के लिए अभिव्यक्त रूप से अस्थायी प्रकृति की परिकल्पना की गई है। अस्थायी लाइसेंस मंजूर किए जाने को लागू होने वाले उपबंध अन्य बातों के साथ-साथ नियमावली के भाग-4 में पृथक् रूप से अन्तर्विष्ट हैं। भाग-4 का शीर्षक ही महत्वपूर्ण है और उस पर सविस्तार ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है :—

***भाग-4.—**

"चलते-फिरते चलचित्रों के माध्यम से उन स्थानों में प्रदर्शन के लिए विशेष नियम जिनके लिए अस्थायी रूप से लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।"

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस भाग में अंतर्विष्ट नियम 72 से लेकर 84-ए अभिव्यक्त आशय द्वारा चलते-फिरते चलचित्रों के माध्यम से ऐसे स्थानों पर प्रदर्शन के लिए हैं जिनके लिए केवल अस्थायी रूप से लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इस विषय में किसी भी संदेह को मिटाने के लिए पुनः नियम 72 में इस प्रकार उपबंध किया गया है :—

---

cinematograph apparatus which is so adopted and constructed so that it can be taken from place to place for the purpose of giving cinematograph exhibitions."

***Part IV.—**

"Special Rules for Exhibition by means of Touring Cinematographs in places licenced temporarily."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

*72. "इस भाग में दिए गए नियम चलते-फिरते चलचित्र के माध्यम से उन स्थानों में प्रदर्शन को लागू होंगे जिनके लिए अस्थायी रूप से लाइसैंस प्रदान किए गए हैं।"

यहां इस भाग में दिए गए दूसरे नियमों को उद्धृत करना निरर्थक होगा किन्तु नियम 76 से लेकर 83 के प्रति निर्देश करना आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे अनुज्ञापन की अस्थायी प्रकृति के अनुसरण में प्रदर्शन टैंटों, बूथों या किसी अन्य फौरन (तुरन्त) तैयार किए गए शेड या ढांचों में प्रकल्पित हैं। इन उपबंधों की बृहत् रूपरेखा से इस विषय में कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि चलते-फिरते चलचित्रों की परिकल्पना अस्थायी और भ्रमणशील प्रकृति के रूप में की गई है और इसलिए इसके प्रदर्शन टैंटों, बूथों या अन्य ढांचों में किए जाते हैं जो सामान्यतः अस्थायी और आसानी से हटाए जाने वाले ढांचे होते हैं।

10. उपर्यक्त पृष्ठभूमि में हम अब नियम 3 के प्रति उल्लेख करेंगे जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रतीत होता है और जिसका सविस्तार प्रोद्धरण आवश्यक है। नियम 3 इस प्रकार है :—

**"भाग-II. 3(i) इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन मंजूर किया गया लाइसैंस या तो 3 वर्ष की अवधि के लिए या अस्थायी होगा।

(ii) 3 वर्ष का लाइसैंस केवल अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसे भवन की बाबत, जो चलचित्र प्रदर्शन के लिए स्थायी रूप से सज्जित है, भाग-III में दिए गए नियमों के उपबंधों

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

"72. The rules in this part shall apply to exhibitions given by means of touring cinematographs in placed licenced temporarily."

**"Part II. 3(i) Licences granted under section 5 of the Act shall be either for a period of three years or temporary.

(ii) A three years licence shall only be granted subject to the provisions of section 5 of the Act and in accordance with the provisions of the rules in part III in

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अनुसार मंजूर किया जाएगा। यह लाइसैंस जारी किए जाने की तारीख से 3 वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगा और उसका अनुज्ञप्तिधारी (लाइसैंसधारी) के आवेदन पर नवीकरण किया जाएगा :

परन्तु यह कि तीन वर्ष के लाइसैंस के मामले में अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त स्थान का नियम 16 की अनुसूची में विहित फीस का संदाय करने पर कार्यपालक इंजीनियर द्वारा और साथ ही पंजाब सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाएगा।

(iii) उपनियम (iv) के उपबंधों और भाग-4 के नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी नगर या गांव में चलते-फिरते चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शन के लिए अस्थायी लाइसैंस एक कैलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की अवधि के लिए मंजूर किया जा सकेगा :

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी छह मास की इस कुल अवधि को लेखबद्ध किए गए समुचित कारणों के आधार पर उसी कैलेण्डर वर्ष में

---

respect of a building permanently equipped for cinematograph exhibition. It shall be valid for three years from the date of issue and shall be renewable on the application of the licensee :

provided that in the case of a three years licence the place licensed under the Act shall be inspected annually by the Executive Engineer as well as by the Electrical Inspector to Government, Punjab, on the payment of the fees as prescribed in the Schedule to rule 16.

(iii) Subject to the provisions of sub-rule (iv) and the rules in Part IV, a temporary licence may be granted in any town or village for exhibition by means of a touring cinematograph for an aggregate period not exceeding six months in one calendar year :

Provided that the licensing authority may extend the aggregate period of six months by such further period not

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

छह मास से अनधिक ऐसी और अवधि तक के लिए बढ़ा सकेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु यह कि किसी नगर या गांव की बाबत कुल अवधि की गणना करने में उस अवधि को भी ध्यान में रखा जाएगा जिसके लिए ऐसे नगर या गांव की बाहरी सीमाओं के 5 मील के भीतर उसी चलते-फिरते चलचित्र के लिए या किसी अन्य चलते-फिरते चलचित्र के लिए लाइसैंस मंजूर किया गया हो ।

(iv) ऐसे स्थान में जहां कोई स्थायी सिनेमा हो, किसी चलते-फिरते चलचित्र के लिए कोई भी लाइसैंस मंजूर नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसे स्थानों के लिए ऐसा लाइसैंस विशेष अवसरों पर जैसे मेले और धार्मिक उत्सव या किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुल मिलाकर 3 मास से अनधिक की अवधि के लिए मंजूर किया जा सकेगा ।"

यहां सबसे पहले एक ओर 3 वर्ष के लाइसैंस का नवीकरण किए जाने और दूसरी ओर अस्थायी लाइसैंस के बीच तीव्र अन्तर पर ध्यान देना उचित होगा। उपनियम (ii) के आधार पर 3 वर्ष का लाइसैंस स्पष्टतः नवीकृत किया जा

---

exceeding six months in the same calendar year for sufficient reasons to be recorded in writing, as it may think fit :

Provided that in calculating the aggregate period in respect of any town or village the period for which a licence to the same or other touring cinematograph has been granted within five miles of the outer limits of such town or village shall be taken into account.

(iv) No licence to a touring cinematograph shall be granted for a place where there is a permanent cinema:

Provided that such a licence may be granted for such a place for a period not exceeding in the aggregate three months on special occasions such as fairs and religious gatherings or to meet a particular temporary need."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सकता है और केवल इतना ही नहीं कि यह (इसके संबंध में कोई बात निश्चायक रूप से कहे बिना) आज्ञापक प्रतीत होता है बल्कि ऐसा लाइसैंसधारी के आवेदन पर भी किया जा सकता है बशर्ते वस्तुत: लाइसैंस मंजूर किए जाने की शर्तें पूरी हो जाएं। इस उपनियम की भाषा सुस्पष्ट है और उसमें इस बात की घोषणा की गई है कि ऐसा लाइसैंस लाइसैंसधारी के आवेदन पर नवीकृत किया जाएगा। यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि अस्थायी लाइसैंस संबधी उपनियम (iii) में उसके नवीकरण के लिए कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है और उसमें केवल कठोर निबंधनों के अधीन रहते हुए उसकी अवधि बढ़ाई जाने के लिए उपबंध किया गया है। प्रयुक्त भाषा के इस विमर्शित अन्तर, अर्थात् 3 वर्ष के लाइसैंस के संदर्भ में नवीकरण किए जाने और किसी अस्थायी लाइसैंस के बारे में केवल उसकी अवधि बढ़ाए जाने के बीच अन्तर की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अत: यह स्पष्ट है कि इस नियमावली में किसी अस्थायी लाइसैंस के निरन्तर नवीकरण की, जिसके कारण वह वस्तुत: स्थायीवत् हो जाए, परिकल्पना नहीं की गई है।

11. नियम 3(iii) के सही अर्थ की विवेचना करने के लिए 1952 में यथामूलत: अधिनियमित उसके उपबंधों पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है :—

> *"3(iii). भाग-4 में दिए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी स्थान में केवल चलते-फिरते चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शन के लिए अस्थायी लाइसैंस मंजूर किया जा सकेगा। अस्थायी लाइसैंस पहली बार में केवल दो मास की अवधि के लिए मंजूर किया जा सकेगा। तथापि इस अवधि को अधिक से अधिक छह मास तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा और लाइसैंस एक आवेदक को या एक से अधिक आवेदकों को मंजूर किया जा सकेगा, अर्थात् वह कुल अवधि, जिसके

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

"3(iii). Subject to the provisions of the rules in Part IV, a temporary licence may be granted in respect of any place, for exhibitions, by means of a touring cinematograph only. A temporary licence may be given in the first instance for a period of 2 months. This period may, however, be extended upto a maximum period of six months and licence may be granted to one or more

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दौरान कोई चलता-फिरता चलचित्र या चलचित्र किसी भी एक स्थान पर कार्य करे, एक कैलेण्डर वर्ष में छह मास से अधिक नहीं होगी। दूसरे या पश्चात्वर्ती लाइसैंस के लिए 10 रुपए की फीस भी उद्गृहीत की जा सकेगी।"

उपर्युक्त नियम 3(iii) से यह स्पष्ट होता है कि मूलतः नियम बनाने वालों ने अस्थायी लाइसैंस की अनिवार्यतः अस्थायी रूप में ही कल्पना की थी। प्रथमतः यह दो मास से अधिक की अवधि के लिए मंजूर नहीं किया जा सकता था। तत्पश्चात् उसकी अवधि बढ़ाई जाने पर, अर्थात् छह मास से अधिक न होने के लिए एक निर्बन्धन लगाया गया। नियम बनाने वालों ने वास्तव में यह बात सुनिश्चित करनी चाही थी कि कोई भी चलता-फिरता चलचित्र किसी एक स्थान पर एक कैलेण्डर वर्ष में छह मास से अधिक समय तक न चले। इस निर्बन्धन को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाएगा कि अस्थायी लाइसैंस के वास्तव में उसी स्थान पर निरन्तर बने रहने को प्रतिषिद्ध किया गया है। नियम 3 (iii) में पश्चात्वर्ती संशोधनों ने इस उपबंध की आधारभूत भावना से विचलित हुए बिना केवल लाइसैंस मंजूर किए जाने और उसके विस्तारण की अवधि ही बढ़ाई है। अब भी नियमावली में आरम्भ में एक कैलेण्डर वर्ष में केवल कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी लाइसैंस मंजूर किए जाने के लिए ही उपबंध किया गया है। नियमावली के इतिहास को ध्यान में रखते हुए विचार किए जाने पर "कैलेण्डर वर्ष" शब्द का प्रयोग अर्थपूर्ण लगता है। यह बात कि ऐसे अस्थायी लाइसैंस की अवधि का बढ़ाया जाना एक अपवाद है जो उस उपबंध से स्पष्ट प्रतीत होता है जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण लेखबद्ध करेगा। ऐसे कारणों को लेखबद्ध किए जाने के पश्चात् भी यह अतिरिक्त निर्बन्धन अधिरोपित किया गया है कि यह कुल मिलाकर छह मास से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। इस विवेकाधिकार को और अधिक निर्बन्धित करने के लिए यह उपबंध किया गया है कि कुल अवधि की गणना करने में न केवल कोई विशिष्ट लाइसैंस मंजूर किए जाने पर ही विचार किया जाना चाहिए बल्कि ऐसे नगर

---

than one applicant, to say that the aggregate period during which any touring cinematograph or cinematograph functions at any one place shall not exceed six months in a calendar year. A fee of Rs. 10/- may also be levied for the second or a subsequent licence."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

या गांव की बाहरी सीमा के 5 मील के भीतर किसी अन्य चलते-फिरते चलचित्र को लाइसैंस मंजूर किए जाने की बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आरम्भ में अस्थायी लाइसैंस मंजूर किए जाने के लिए सीमित समयावधि, यथार्थतः उसके नवीकरण के लिए किसी उपबंध के अभाव, उसकी अवधि और आगे बढ़ाई जाने पर कठोर निर्बन्धन, ऐसा करने के लिए कारण लेखबद्ध करने की आवश्यकता और कुल अवधि की गणना करने की पद्धति सभी मिलकर कानून के इस प्रकट आशय को स्पष्ट करने वाले हैं कि ऐसे लाइसैंस की प्रकृति अनिवार्यतः अस्थायी है।

12. उपर्युक्त पक्षाधार का नियम 3 के खण्ड (iv) के प्रति निर्देश से भी समर्थन होता है। यहां पुनः यह उल्लेखनीय है कि जब यह नियम मूलतः अधिनियमित किया गया था तब वास्तव में ऐसे स्थानों पर, जहां कोई स्थायी सिनेमा है, चलते-फिरते चलचित्र के लिए लाइसैंस दिए जाने पर रोक लगाई गई थी। **मैसर्स रसदीप टूरिंग टाकीज** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट**, करनाल[1] के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस उपबंध को उसमें परंतुक जोड़कर पुनः बनाया गया। वर्तमान उपबंध के अनुशीलन से यह दर्शित होगा कि निस्संदेह यह निर्बन्धन न केवल निरंतर बना रहा बल्कि उसे आत्यंतिक बना दिया गया है। अतः इससे सुतराम यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि ऐसे स्थान के लिए, जहां कोई स्थायी सिनेमा है, कोई लाइसैंस मंजूर नहीं किया जाएगा तो किसी ऐसे स्थान के लिए, जहां कोई स्थायी सिनेमा अस्तित्व में आ जाता है, ऐसे अस्थायी लाइसैंस की अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी। इस बात का इसके पश्चात् सविस्तार उल्लेख किया जाएगा कि इन अस्थायी लाइसैंसों के संदर्भ में उसकी अवधि का बढ़ाया जाना स्पष्ट रूप से एक नया लाइसैंस मंजूर किए जाने की प्रकृति का है और वह केवल किसी पूर्व लाइसैंस का स्वयमेव निरंतर बना रहना नहीं है। यहां यह परंतुक महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यथार्थतः लाइसैंस मंजूर किए जाने या उसकी अवधि के बढ़ाए जाने को केवल कुल मिलाकर तीन मास की अवधि तक के लिए सीमित करता है और उसमें वे आधार विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिन पर ऐसा किया जा सकता है। जहां तक उसके केवल विशेष अवसरों के लिए, जैसे मेले और धार्मिक उत्सवों या किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मंजूर किए जाने का संबंध है, यह बात विशेष रूप से अर्थपूर्ण है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि खण्ड (iv) उस स्थान पर, जहां कोई स्थायी सिनेमा है, अस्थायी लाइसैंस पर अस्थायी स्वरूप की एक और शर्त अधिरोपित करता है। इससे

---

[1] 1966 (2) एल० एल० आर० पंजाब 341.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वस्तुतः यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अस्थायी लाइसैंस किसी भी प्रकार से किसी स्थायी सिनेमा का विकल्प नहीं है और निस्संदेह असाधारण कारणों को छोड़कर उनके साथ-साथ बने रहने की कल्पना नहीं की गई है।

13. अब अधिनियम और ऊपर उल्लिखित नियमों के सुसंगत उपबंधों के संक्षिप्त सार से इस संदर्भ में कानून का व्यापक प्रयोजन प्रकाश में आ जाता है। **मैसर्स रसदीप टूरिंग टाकीज वाले मामले**[1] में इस प्रकार सही विचार व्यक्त किए गए हैं :—

> "...प्रथमतः और मुख्यतः इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और लोकक्षेम (सुरक्षा) के हित की रक्षा करना है। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जा सकता है कि संसार के बहुत से भागों में व्यापक अग्निकांड इन चलचित्र फिल्मों के गलत ढंग से प्रयोग किए जाने के कारण ही हुए हैं।"

स्वास्थ्य और लोक-क्षेम के इस प्रयोजन को प्रभावी करने के लिए कानून में सिनेमा हाल में प्रदर्शनों के विनियमन और अनुज्ञापन के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया गया है। कानून में उपबंधित लाइसैंस स्पष्ट रूप से दो प्रकार के हैं, अर्थात् एक तीन वर्ष की अवधि के लिए और दूसरा अस्थायी। तीन वर्ष की अवधि के लिए लाइसैंस को नियमावली के भाग-III में उपबंधित विस्तृत उपबंध लागू होते हैं। भाग-III में दिए गए नियम 17 से लेकर 71 पर विहंगम दृष्टि से विचार किए जाने पर लोक स्वास्थ्य और साथ ही लोक-क्षेम दोनों ही हितों को सुरक्षित करने के लिए दिए गए उन सूक्ष्म ब्यौरों की बाबत किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता जो लोक स्वास्थ्य और साथ ही लोक-क्षेम दोनों ही हितों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्थायी सिनेमा हाल को लागू होते हैं। यह स्पष्ट है कि जहां किसी नियमित सिनेमा हाल का उपबंध किया गया हो, वहां उसे उसमें अधिकथित कठोर कसौटियों की अवश्य पूर्ति करनी चाहिए। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, तीन वर्ष का लाइसैंस नवीकृत किया जा सकता है और इसके लिए विधानमंडल ने अपना यह आशय प्रकट किया है कि लाइसैंसधारी के आवेदन पर ऐसा किया जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता प्रतीत होता है कि जहां कहीं कोई स्थायी आवश्यकता है वहां कानून का आशय एक स्थायी सिनेमा हाल की व्यवस्था करना है।

14. उपर्युक्त बात से तीक्ष्ण विरोध रखते हुए किसी चलते-फिरते चलचित्र के लिए अस्थायी लाइसैंस की बात आती है। इन लाइसैंसों को भाग-4

---
[1] 1966 (2) एल० एल० आर० पंजाब 341.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में के अपेक्षाकृत उदार उपबंध लागू होते हैं । जबकि अस्थायी रूप से अनुज्ञप्त स्थानों में अग्नि, आदि के खतरों के विरुद्ध रक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है, किन्तु साथ ही यह स्पष्ट है कि ये तत्काल बनाए गए सिनेमा-हाल उस लोक-क्षेम की आवश्यकताओं और लोक स्वास्थ्य के हितों की बराबरी नहीं कर सकते जिनकी स्थायी हाल में अच्छी प्रकार व्यवस्था की जा सकती है। यह तथ्य कि ये अस्थायी लाइसेंस मुख्यतः किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता जैसे मेले, धार्मिक उत्सव आदि की व्यवस्था करने के लिए आशयित हैं, नियमावली के उपबंधों में व्यापक रूप में पाया जाता है। यही कारण है कि पहली बार में ये अस्थायी लाइसेंस एक कैलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर छह मास से अधिक की अवधि के नहीं होते हैं। इन्हें यथार्थतः नवीकृत नहीं किया जाता था किन्तु केवल इनकी अवधि बढ़ाई जा सकती थी और ऐसी बढ़ाई गई अवधि पुनः नियमावली द्वारा सीमित की गई है। पुनः ऐसा केवल उस दशा में किया जा सकता है यदि अवधि बढ़ाए जाने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हों और जिनका लेखबद्ध किया जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है। उन स्थानों में, जहां कोई स्थायी सिनेमा विद्यमान है, इन अस्थायी लाइसेंसों के प्रदान किए जाने के बारे में एक और निर्बन्धन लगाया गया है। अतः इससे यह अनिवार्य निष्कर्ष निकलता है कि किसी चलते-फिरते चलचित्र के लिए लाइसेंस अनिवार्यतः भ्रमणशील और अस्थायी प्रकृति का है और एक कैलेण्डर वर्ष में कुल छह मास से अनधिक की अवधि के लिए लाइसेंस मंजूर किया जाना एक आज्ञापक नियम है जबकि इसकी अवधि बढ़ाई जाना केवल अपवादस्वरूप है।

15. इस पहलू पर बहस को समाप्त करने के लिए प्रारंभ में ही उठाए गए प्रश्न का उत्तर इस रूप में सकारात्मक दिया जाता है कि पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन किसी चलते-फिरते चलचित्र के लिए प्रदान (मंजूर) किए गए अस्थायी लाइसेंस की प्रकृति अनिवार्यतः अस्थायी और भ्रमणशील है।

16. अब उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी अस्थायी लाइसेंस के प्रवर्तन की अवधि उसकी अवधि बढ़ाई जाने के लिए न केवल सुसंगत बल्कि एक सारवान तत्व भी है। यदि एक बार ऐसा मान लिया जाता है तो किसी विशिष्ट मामले में यह लाइसेंस की अवधि बढ़ाये जाने से इनकार करने के लिए एकमात्र विचारण भी हो सकती है। निस्संदेह नियम 3 (iii) और (iv) में स्पष्टतः किसी अस्थायी लाइसेंस के आरंभ में प्रदान किए जाने की समयावधि और साथ ही उसकी बढ़ाई जाने वाली

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अवधि भी विनिर्दिष्ट की गई है और वह भी प्रतिषेधात्मक शब्दों में है। इस बुनियादी आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अवधि बढ़ाई जाने से इनकार किये जाने की अभिपुष्टि करने के लिए गृह सचिव द्वारा स्पष्ट रूप से दिये गये कारण इस विवाद्यक से संबद्ध और स्पष्टतः विधिमान्य दोनों हैं। एक तथ्य के रूप में यह पाया गया है कि राज टाकीज के लिए अस्थायी लाइसैंस पहले ही समय-समय पर पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जाता रहा है और अंतिम बार बढ़ाई गई अवधि स्पष्ट रूप से केवल तीन मास के लिये थी। इसी प्रकार पूजा टाकीज भी दो वर्ष से अधिक से चालू है और पुनः उसकी अंतिम बार बढ़ाई गई अवधि केवल तीन मास तक के लिये सीमित थी। हमारे द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोण के अनुरूप गृह सचिव ने भी यह मत व्यक्त किया है कि चलता-फिरता चलचित्र उसी स्थान पर स्थायी किये जाने के लिये आशयित नहीं है। जैसा कि पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है, यदि नियमावली में इन लाइसेंसों की प्रकृति अनिवार्यतः अस्थायी और भ्रमणशील प्रकल्पित है तो यह तथ्य कि प्रत्यर्थी इन लाइसैंसों की अवधि को निरंतर 5 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की अवधि तक बढ़वाते रहे हैं, और आगे अवधि बढ़ाई जाने से इनकार करने के लिए यदि निश्चायक विचारणा नहीं तो कम से कम एक सारवान विचारणा अवश्य है।

17. पुनः गृह सचिव के अपीली आदेश में इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि ढिल्लों थियेटर नामक एक स्थायी सिनेमा का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और वह मानी माजरा में शीघ्र ही चालू होने वाला है। इसी प्रकार उन्होंने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि हाल ही में एक आधुनिक और स्थायी सिनेमा, अर्थात् बतरा थियेटर बनकर तैयार हुआ है और वह पूजा टाकीज और एक अन्य स्थायी सिनेमा, अर्थात् पिकाडिली, जो कि बहुत दूर भी नहीं है, के पास ही चालू हो गया है। ये विचारणायें पुनः नियम 3(iv) से संबद्ध हैं। नियम 3(iv) में स्पष्टतः ऐसे स्थान पर एक ऐसा स्थायी सिनेमा होने की सुसंगति का उल्लेख किया गया है जहां किसी चलते-फिरते चलचित्र के लिए कोई अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया हो और उसमें यहां तक उपबंध किया गया है कि ऐसा लाइसेंस वहां प्रदान नहीं किया जाएगा जहां कोई स्थायी सिनेमा विद्यमान हो और वह भी ऐसा किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिये और साथ ही तीन मास से अनधिक की अवधि के लिये ही मंजूर किया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि किसी स्थायी सिनेमा का विद्यमान होना या उसका अस्तित्व में आना कोई अस्थायी लाइसेंस मंजूर किये जाने या

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उसकी अवधि बढ़ाई जाने से इनकार किये जाने अर्थात् दोनों के ही लिये न केवल सुसंगत अपितु एक सारवान विचारणा भी है। अंत में गृह सचिव ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि पिटीशनरों को इन अस्थायी लाइसैंसों की अवधि बढ़ाई जाने के लिये कोई अंतर्निहित या निहित अधिकार नहीं है यहां पुनः वे सही प्रतीत होते हैं। संभवतः यह निष्कर्ष इस तथ्य से निकाला गया है कि जबकि नियम 3(iii) के अधीन तीन वर्ष का लाइसैंस नवीकृत किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर अस्थायी लाइसैंस को उसके नवीकरण के लिये कोई भी उपबंध किए बिना आरंभ में मंजूर किये जाने के समय छः मास तक के लिये सीमित किया गया है। वास्तव में इस उपबंध की भावना यह प्रतीत होती है कि एक अपवाद स्वरूप ही और वह भी लेखबद्ध किये जाने वाले पर्याप्त कारणों के आधार पर ही किसी अस्थायी लाइसैंस की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इससे यह प्रतीत होता है कि तीन वर्ष के लाइसैंस का नवीकरण किसी अस्थायी लाइसैंस को केवल एक सीमित अवधि तक बढ़ाये जाने से अलग है।

18. इस निर्णय को समाप्त करने से पूर्व इस बात पर विचार करना भी आवश्यक है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्टतः नियम 3(iv) की सांविधानिकता को कायम रखा है और उस निष्कर्ष को प्रत्यर्थियों की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है। साथ ही इस बात पर भी विचार किया जाना उचित होगा कि रिट पिटीशनों में यदि एकमात्र नहीं तो प्रमुख आक्षेप गृह सचिव के उस अपीली आदेश के विरुद्ध किया गया है जिसमें अस्थायी लाइसैंसों की अवधि न बढ़ाई जाने की अभिपुष्टि करने के लिए व्यापक कारण दिए गए हैं और जिन्हें विवाद्यक से संबद्ध और अन्यथा विधिमान्य दोनों ही अभिनिर्धारित किया गया है। इसके अलावा मेरा यह दृष्टिकोण है कि इस विशिष्ट संदर्भ और नियम 3(iii) की भाषा को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अस्थायी लाइसैंस की अवधि न बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्टतः कारण लेखबद्ध करने के लिए आबद्ध नहीं है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सुसंगत उपबंधों में एक कैलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर छः मास से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी लाइसैंस दिये जाने का उपबन्ध किया गया है। मंजूर की गई अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा अस्थायी लाइसैंस सामान्यतः व्यपगत हो जाता है और नियम 3(ii) के विपरीत वह नवीकृत नहीं किया जा सकता। नियम 3(iii) के परंतुक में नियम निर्माताओं का यह आशय उपदर्शित किया गया है कि यदि अस्थायी लाइसैंस की मूल अवधि बढ़ाई जाती है केवल तभी कारण लेखबद्ध किये जाने चाहिये। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है ऐसा लाइसैंस मंजूर किये जाने की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सामान्य अवधि का एक अपवादस्वरूप है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अवधि बढ़ाई जाने से मात्र इनकार किये जाने के लिए कारण लेखबद्ध करना आज्ञापक नहीं है और निस्संदेह इसके विपरीत स्थिति के लिये ही ऐसा उपबंध किया गया है। परिणामतः जिला मजिस्ट्रेट के वे आदेश, जिनके द्वारा अवधि बढ़ाई जाने से इनकार किया गया है, इस आधार पर किसी भी कमी से ग्रस्त नहीं हैं।

19. उपर्युक्त निष्कर्षों के आवश्यक परिणामस्वरूप मैं दोनों ही अपीलें मंजूर करता हूं और सखेद एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करता हूं और दोनों रिट पिटीशनों को खारिज करता हूं। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः अपीलार्थी विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इस विषय को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं और नियमावली के व्यापक उपबंधों का उल्लेख नहीं कर पाए हैं और इसलिए मैं प्रत्यर्थियों पर खर्चे का भार नहीं डालना चाहता।

न्या० जी० सी० मित्तल :

मैं सहमत हूं।

अपील मंजूर की गई।

प्रमोद

नि० प० 1983 : पंजाब-हरियाणा—175

श्रीमती सरोजिनी माबेल पाल बनाम अरनेस्ट सत्यपाल

(Smt. Sarojni Mabel Paul *Vs*. Ernest Satya Paul)

तारीख 18 अक्तूबर, 1982

[मु० न्या० एस० एस० संधानवालिया, न्या० एस० एस० कांग और जी० सी० मित्तल]

भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869—धारा 18 और 19—यदि कोई व्यक्ति पूर्व पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्री को वास्तविक स्थिति का दुर्व्यपदेशन करके उसके साथ विवाह करता है तो पश्चात्‌कथित पत्नी उक्त विवाह को अकृत और शून्य घोषित कराने की हकदार है।

पिटीशनर का विवाह प्रत्यर्थी के साथ चंडीगढ़ में 2 मई, 1980 को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता ने पिटीशनर को इस बारे में आश्वस्त कर दिया था कि श्रीमती चैरिटी हैरिसन के साथ उसका पूर्वविवाह विघटित हो गया था। किन्तु बाद में प्रत्यर्थी कुछ समय पिटीशनर के साथ रहने के पश्चात् अकस्मात गायब हो गया और वापस नहीं आया। पिटीशनर ने बार-बार पूछताछ की किन्तु उसके माता-पिता ने उसका पता बताने से इनकार कर दिया। बाद में यह पता चला कि श्रीमती चैरिटी हैरिसन के साथ प्रत्यर्थी का पूर्वविवाह कतई विघटित नहीं हुआ था। चंडीगढ़ के विद्वान् जिला न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी के साथ पिटीशनर के विवाह को अकृत और शून्य घोषित कर दिया। उक्त एकपक्षीय डिक्री की पुष्टि के लिए यह मामला इस न्यायालय को निर्देशित किया गया है। पूर्व की भांति प्रत्यर्थी हाजिर नहीं हुआ और उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश किया गया।

अभिनिर्धारित—निर्देश मंजूर किया गया।

विद्वान् जिला न्यायाधीश जिस सुबोधगम्य निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उससे भिन्न कोई दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई आधार नहीं है। पिटीशनर सहित चार साक्षियों का साक्ष्य और साथ ही पेश किए गए दस्तावेजी परिसाक्ष्य का बिल्कुल भी खण्डन नहीं किया गया है। अतः एकमात्र प्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि पिटीशनर सहज रूप से विवाह की अकृतता की डिक्री की हकदार है। (पैरा 8)

सिविल निर्देश अधिकारिता : 1982 का वैवाहिक निर्देश सं० 1.

चण्डीगढ़ के जिला न्यायाधीश के न्यायालय की डिक्री से वैवाहिक निर्देश।

पिटीशनर की ओर से ... श्री आर० के० छिब्बर

प्रत्यर्थी की ओर से ... कोई नहीं

न्यायालय का निर्णय मु० न्या० एस० एस० संधानवालिया ने दिया।

मु० न्या० संधानवालिया :

भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 के अधीन यह निर्देश चण्डीगढ़ के विद्वान् जिला न्यायाधीश द्वारा दी गई डिक्री की पुष्टि के लिए किया गया है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी के साथ पिटीशनर के विवाह को अकृत और शून्य घोषित कर दिया गया था।

2. श्रीमती सरोजिनी माबेल पाल ने भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1969 की धाराओं 18 और 19 के अधीन पिटीशन विवाह की अकृतता की डिक्री के लिए प्रस्तुत किया है। उसमें यह प्रकथन किया गया था कि प्रत्यर्थी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एरनेस्ट सत्यपाल के साथ उसका विवाह 2 मई, 1980 को चण्डीगढ़ में ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। यह कहा गया है कि वह विवाह उनके माता-पिता द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा एक समाचारपत्र में दिए गए विज्ञापन के अनुसरण में किया गया था। प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता दोनों ने ही पिटीशनर को इस बारे में आश्वस्त कर दिया था कि श्रीमती चैरिटी हैरिसन के साथ उसका पूर्व विवाह विघटित हो गया था।

3. उपर्युक्त विवाह के पश्चात् पक्षकार पहले तो साथ-साथ दसूया में रहे और उसके पश्चात् चण्डीगढ़ लौट गए जहां पिटीशनर नियोजित थी। प्रत्यर्थी के बारे में यह अभिकथित किया गया है कि वह अकस्मात रूप से अपने ठौर-ठिकाने का कोई पता बताए बिना दाम्पत्यगृह छोड़कर चला गया। जब प्रत्यर्थी के माता-पिता से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कोई समुचित उत्तर नहीं दिया। पिटीशनर को संदेह हुआ और पूछताछ से यह पता चला कि श्रीमती चैरिटी हैरिसन के साथ प्रत्यर्थी का पूर्व विवाह कतई विघटित नहीं हुआ था। पिटीशनर ने यह प्रकथन किया कि उसने प्रत्यर्थी के लौटने की प्रतीक्षा की और उसके माता-पिता से बार-बार पूछताछ की किन्तु उन्होंने उसका पता बताने से इनकार कर दिया। जो सुदृढ़ पक्ष प्रस्तुत किया गया वह यह था कि प्रत्यर्थी की पूर्व-पत्नी जीवित है और उनके बीच विवाह विधिक रूप से विघटित नहीं हुआ है और उसे कपट द्वारा और तथ्यों को छिपाकर प्रत्यर्थी के साथ विवाह करने के लिए बहका लिया गया था। परिणामस्वरूप उसने प्रत्यर्थी के विरुद्ध अकृतता की डिक्री देनी चाही।

4. प्रत्यर्थी पर तामील किए जाने के बार-बार प्रयत्नों के बावजूद वह हाजिर नहीं हुआ और इसलिए उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही शुरू किए जाने का आदेश किया गया। विद्वान् जिला न्यायाधीश ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :—

"(1) क्या पिटीशनर के साथ विवाह के समय प्रत्यर्थी और श्रीमती चैरिटी हैरिसन के बीच विधिमान्य विवाह अस्तित्व में था।

(2) यदि विवाद्यक सं० 1 साबित कर दिया जाता है तो क्या प्रत्यर्थी की पूर्व पत्नी पिटीशनर के साथ प्रत्यर्थी के विवाह के समय जीवित थी? यदि हां तो उसका क्या प्रभाव है।"

5. अपने मामले के समर्थन में पिटीशनर वा० सा० 4 के रूप में साक्षी कक्ष में आई और उसने नर्सिंग कालेज पी० जी० आई० चण्डीगढ़ के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री स्वरूप सिंह (वा० सा० 1), श्री एल० एम० पिन्टो (वा० सा० 2)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और चण्डीगढ़ उपायुक्त के कार्यालय में अभिलेखपाल श्री भीमसेन (वा० सा० 3) की परीक्षा की। प्रदर्श-डी जो कि एरनेस्ट सत्यपाल और उसकी पत्नी श्रीमती चैरिटी हैरिसन के बीच अभिकथित रूप से निष्पादित किया गया तात्पर्यित विवाह-विच्छेद विलेख को भी अभिलेख पर साबित किया गया था। प्रत्यर्थी एरनेस्ट सत्यपाल को अवयस्क पुत्रियों द्वारा अपनी माता और संरक्षक श्रीमती चैरिटी हैरिसन के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488 के अधीन फाइल किए गए पिटीशन की एक प्रमाणित प्रति भी अभिलेख पर प्रदर्श लिखित कथन सहित, प्रदर्श बी०, जो उसके साथ फाइल किया गया था, साबित की गई थी जिसमें उसने श्रीमती चैरिटी हैरिसन के साथ अपने विवाह को स्वीकार किया है।

6. विद्वान् जिला न्यायाधीश ने पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विशद् विचार-विमर्श के पश्चात् अखण्डित परिसाक्ष्य को स्वीकार किया और दोनों विवाद्यक पिटीशनर के पक्ष में विनिश्चित किए और परिणामतः यह अभिनिर्धारित किया कि श्रीमती चैरिटी हैरिसन के साथ प्रत्यर्थी का विवाह अभी भी अस्तित्व में है और वह कभी भी विधिमान्य रूप से विघटित नहीं हुआ था। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री यह घोषणा करते हुए दे दी कि प्रत्यर्थी के साथ पिटीशनर का विवाह अकृत और शून्य है। परिणामस्वरूप यह मामला इस न्यायालय को उक्त डिक्री की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया है।

7. जैसा कि विचारण न्यायालय में हुआ वैसा ही प्रस्तुत कार्यवाहियों में भी यद्यपि प्रत्यर्थी पर सम्यक् रूप से एक तामील की गई किन्तु तब भी वह हाजिर नहीं हुआ और इसलिए उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने के लिए आदेश किया गया। यह स्वीकृत स्थिति है कि 6 मास की कानूनी अवधि बीत गई है।

8. पिटीशनर के विद्वान् काउंसेल को सुनने और अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् हमारा यह विचार है कि विद्वान् जिला न्यायाधीश जिस सुबोधगम्य निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उससे भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई भी आधार नहीं है। पिटीशनर सहित चार साक्षियों का साक्ष्य और साथ ही पेश किए गए दस्तावेजी परिसाक्ष्य का बिल्कुल भी खण्डन नहीं किया गया है। अतः एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि पिटीशनर सहज रूप से विवाह की अकृतता की डिक्री की हकदार है।

9. परिणामस्वरूप हम निर्देश मंजूर करते हैं और प्रारम्भिक डिक्री

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की पुष्टि करते हैं। किन्तु पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे।

न्या० एस० एस० कांग :

मैं सहमत हूं।

न्या० गोकलचन्द मित्तल :

मैं सहमत हूं।

निर्देश मंजूर किया गया।

श०

नि० प० 1983 : पंजाब-हरियाणा—179

लुधियाना इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बनाम श्रीमती निर्मला देवी और अन्य

(Ludhiana Improvement Trust *Vs.* Smt. Nirmala Devi and others)

तारीख 29 अक्तूबर, 1981

[मु० न्या० एस० एस० संधानवालिया और न्या० जे० एम० टंडन]

1. पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट ऐक्ट, 1922 (पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922)—धारा 36—भूमि का अर्जन—ऐसी भूमि के, जिसको वाणिज्यिक, औद्योगिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, उचित बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए मापमान उस भूमि के मापमान से भिन्न होगा जिसको वाणिज्यिक आदि प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता—इस तथ्य को कि अर्जित भूमि नगरपालिक सीमाओं के भीतर स्थित है, उसके उचित बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए विचार में लिया जा सकता है किन्तु वह यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक निश्चायक सबूत नहीं होगा कि ऐसी भूमि को वाणिज्यिक, औद्योगिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

2. संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—भूमि के अर्जन के लिए अधिकरण द्वारा प्रतिकर का अवधारण—यदि अधिकरण द्वारा कतिपय साक्षियों के साक्ष्य का यह निष्कर्ष लेखबद्ध करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है बल्कि उन पर केवल विचार ही किया गया है कि अर्जित भूमि को वाणिज्यिक, औद्योगिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है तो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुच्छेद 226 के अधीन रिट कार्यवाहियों में अधिकरण के ऐसे निष्कर्ष को साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

3. पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट ऐक्ट, 1922 (पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922)—धारा 36—भूमि का अर्जन—भूमि के उचित बाजार मूल्य के अवधारण के लिए भूमि अर्जन कलक्टर द्वारा सड़क से लगी हुई 12 गट्ठा के बाद वाली अन्तर्वर्ती भूमि का किया गया वर्गीकरण न्यायोचित है।

अपीलार्थी न्यास ने लुधियाना नगर की नगरपालिक सीमाओं के भीतर सड़क विकास स्कीम के लिए पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट ऐक्ट, 1922 की धारा 36 के अधीन लगभग 200 एकड़ भूमि के अर्जन को अधिसूचित किया। इस स्कीम को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। भूमि अर्जन कलक्टर ने अपने अधिनिर्णय द्वारा सड़क से लगी हुई लगभग 12 गट्ठा की दूरी तक की भूमि के लिए और अन्तर्वर्ती भूमि के लिए भी भूस्वामियों को प्रतिकर अधिनिर्णीत कर दिया। भूस्वामियों ने कलक्टर के अधिनिर्णय से असंतुष्ट होने पर अधिकरण को निर्देश किया। अधिकरण ने भूमि का भूमि अर्जन कलक्टर द्वारा नियत किया गया मूल्यांकन मान लिया किन्तु इसके अतिरिक्त 15% तोषण (सोलेशियम) और 6% प्रति वर्ष का ब्याज भी दिलवाया। अधिकरण के इस आदेश से भी असंतुष्ट रहने पर प्रत्यर्थियों ने एक सिविल रिट पिटीशन फाइल किया जो विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा भागतः मंजूर कर लिया गया। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह निदेश दिया कि सम्पूर्ण अर्जित भूमि को दो खंडों में विभाजित किया जाए—एक सड़क से लगी हुई 12 गट्ठा तक की दूरी वाली भूमि जिसके लिए भूमि अर्जन कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर संदत्त किया जाएगा और दूसरी संपूर्ण शेष अर्जित भूमि, जिसके लिए भूमि का कब्जा लिए जाने की तारीख से लेकर प्रतिकर संदत्त किए जाने की तारीख तक 15% तोषण और 6% प्रति वर्ष के अलावा 20 रुपए प्रति बिसवांसी की दर से प्रतिकर संदत्त किया जाएगा। विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी न्यास ने उच्च न्यायालय में लैटर्स पेटैन्ट के खण्ड 10 के अधीन प्रस्तुत लैटर्स पेटैन्ट अपील फाइल की है।

संक्षेप में अपीलार्थी की ओर से यह दलील दी गई है कि अर्जित भूमि का मूल्य भूमि अर्जन कलक्टर और अधिकरण द्वारा सही निर्धारित किया गया है और विद्वान् एकल न्यायाधीश ने इस मूल्यांकन में हस्तक्षेप करके गलती की है, यह कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने उस साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करते हुए, जो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कोई हक नहीं रह गया था इसलिए प्रतिवादी बसन्ती कुअर को मुन्देर कुंअर से कोई हक प्राप्त होने की धारणा नहीं की जा सकती और इसलिए उसके बारे में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि उसने सम्पत्ति में कोई ऐसा हित प्राप्त किया है जिससे वह मुन्देर कुअर के कब्जे की अवधि को अपने कब्जे की अवधि में मिलाने में समर्थ हो सके। यह सच है कि यदि हम मकान में हित के प्रश्न पर विचार करते हैं तो प्रतिवादी के बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उसे कोई भी हक नहीं मिला है किन्तु इससे कब्जे की दोनों अवधियों को एक साथ मिलाने का उसका अधिकार विफल नहीं हो सकता। कब्जे को एक साथ मिलाने का प्रश्न केवल तभी उद्भूत हो सकता है जब अतिचारियों का कोई हक न हो। अतः यह तथ्य कि 1951 में मुन्देर कुअर के पास बसन्ती कुंअर को देने हेतु कोई हक नहीं बचा था, वादी के लिए सहायक नहीं है। **रतन कुमार महतो** बनाम **कमल कुमार महतो**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा यह ठीक ही मत व्यक्त किया गया था कि अतिचारी का कब्जा, यद्यपि वह बिना हक के है, उस पर सम्पत्ति में एक उत्तरदेय और अन्तरणीय हित प्रदत्त करता है और उसका वसीयतदार दूसरे अतिचारी के विरुद्ध वाद चला सकता है और इसके अतिरिक्त यह कि अतिचारी का वसीयतदार बेदखली के लिए वाद का विरोध करने के लिए वसीयतकर्ता के कब्जे की अवधि को अपने कब्जे की अवधि में मिला सकता है।

7. न्या० राज किशोर प्रसाद के निर्णय में निर्दिष्ट इस न्यायालय के दो अन्य विनिश्चयों में **सेक्रेटरी आफ स्टेट बनाम देवेन्द्र लाल खान**[2] वाले मामले के विनिश्चयाधार का अनुसरण किया गया है और वे निर्णय उस दृष्टिकोण का पूरी तरह समर्थन करते हैं जो दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है।

8. **जानकी नाथ साह बनाम बैकुण्ठ नाथ चौलक**[3] वाले मामले में अतिचारी स्वतन्त्र रूप से कब्जे का दावा कर रहा था और उस व्यक्ति के माध्यम से नहीं जिसका पहले कब्जा था। उन परिस्थितियों में वे मताभिव्यक्तियां की गई थीं जिनका श्री सिन्हा ने अवलम्ब लिया है। चूंकि प्रस्तुत मामले में बसन्ती कुअर का दावा मुन्देर कुअर के माध्यम से किया गया है इसलिए कलकत्ता वाला विनिश्चय प्रभेदनीय है और प्रिवी कौंसिल और

---

[1] ए० आई० आर० 1919 पटना 176.
[2] ए० आई० आर० 1934 प्रिवी कौंसिल 23.
[3] ए० आई० आर० 1922 कलकत्ता 176.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पटना के उपर्युक्त विनिश्चय लागू होते हैं। अतः मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी मुन्देर कुअर के प्रतिकूल कब्जे की अवधि को अपने कब्जे की अवधि में मिलाने की हकदार थी। चूंकि मुन्देर कुअर का कब्जा 1947 में प्रतिकूल हो गया था इसलिए प्रस्तुत वाद 1960 में फाइल किए जाने पर परिसीमा के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

9. इसके आगे श्री सिन्हा ने यह तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में मुन्देर कुअर से मकान में कोई हित प्राप्त करने का अभिवचन नहीं किया है इसलिए उपर्यक्त सिद्धांत के आधार पर उसे पूर्वंतर कब्जे की अवधि को मिलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। उसने हमारे समक्ष लिखित कथन को सविस्तार रखा है और इस बात पर जोर दिया है कि यह अभिवचन प्रतिवादी के कब्जे के उसके अपने लगभग 40 वर्ष तक अधिकार के प्राख्यान की कोटि में आता है और चूंकि न्यायालय ने मुन्देर कुअर की मृत्यु के पहले उसके कब्जे को स्वीकार नहीं किया है इसलिए वह असफल ही होनी चाहिए। यह सच है कि लिखित कथन में अभिकथनों को स्पष्टता के साथ नहीं पेश किया गया है और यथाउल्लिखित तर्क देने की गुंजाइश है किन्तु लिखित कथन का और विशेषतः उसके पैरा 10 से 15 का बारीकी से परिशीलन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी ने मुन्देर कुअर द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित अप्रभावी दान विलेख और उसके अधीन अपने कब्जे के आधार पर मकान के लिए अपना दावा पेश किया है। पैरा 11 में उसने यह कहा है "कि श्रीमती मुन्देर कुअर ने इस प्रतिवादी के पक्ष में एक रजिस्ट्रीकृत दान विलेख निष्पादित किया था और इस प्रतिवादी को 16 नवम्बर, 1951 को एक सहवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था।" पैरा 10, 13, 14 और 15 में उसने मकान में अपने निवास के बारे में कथन किया है किन्तु ऐसा उसने अपनी स्वतन्त्र हैसियत में नहीं बल्कि एक आश्रित के रूप में या मुन्देर कुअर के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कही है। केवल निवास और कब्जा पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। प्रतिरक्षा की सच्ची प्रकृति का पता लगाने के लिए सम्पूर्ण लिखित कथन की परीक्षा करनी होगी और यदि यह किया जाता है तो उससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि प्रतिवादी ने मुन्देर कुअर के कब्जे का उसके जीवन-काल तक रहने और उसके पश्चात् पैरा 11 में उल्लिखित दान के आधार पर अपना कब्जा होने का अभिवचन किया है। अतः वादी की ओर से दिए गए द्वितीय तर्क को भी नामंजूर किया जाना चाहिए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

10. परिणामतः अपील असफल होती है और खारिज की जाती है किन्तु मामले की परिस्थितियों में खर्चे के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

मु० न्या० एस० सरवर अली :

मैं सहमत हूं ।

अपील खारिज की गई ।

चन्द

नि० प० 1983 : पटना—227

महेन्द्र प्रसाद सिन्हा बनाम पटना उच्च न्यायालय और अन्य

(Mahendra Prasad Sinha *Vs.* The High Court of Judicature at Patna and others)

तारीख 23 दिसम्बर, 1982

[न्या० नगेन्द्र प्रसाद सिंह और सत्येश्वर राय]

संविधान, 1950—अनुच्छेद 233, 235 और 236—राज्य सरकार द्वारा अपर जिला न्यायाधीश को स्थानापन्न जिला और सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति से सम्बद्ध आदेश का जारी किया जाना—उच्च न्यायालय द्वारा स्थानापन्न जिला और सेशन न्यायाधीश के पद से अपर जिला न्यायाधीश के अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तन सम्बन्धी आदेश का जारी किया जाना—अनुच्छेद 235 के अधीन अपर जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के स्थानान्तरणों और तैनातियों और प्रोन्नतियों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है इसलिए उच्च न्यायालय किसी भी स्थानापन्न जिला और सेशन न्यायाधीश को अपर जिला और सेशन न्यायाधीश को उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित करने के लिए सक्षम होगा ।

पिटीशनर अपर जिला और सेशन न्यायाधीश था और उसकी उस पद पर पुष्टि की गई थी । उसको राज्य सरकार के तारीख 12 दिसम्बर, 1977 के आदेश द्वारा जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न आधार पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रोन्नत किया गया था। बाद में उच्च न्यायालय ने तारीख 24 मई, 1982 की अधिसूचना द्वारा पिटीशनर को जिला और सेशन न्यायाधीश के स्थानापन्न पद से अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के अधिष्ठायी रैंक में प्रतिवर्तित कर दिया। यह बात स्वीकार की गई है कि पिटीशनर की अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के रैंक में पुष्टि की गई है किन्तु उस दिन जब कि आक्षेपित अधिसूचना जारी की गई थी वह जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न आधार पर कार्य कर रहा था। मुख्य शिकायत जो कि पिटीशनर की ओर से की गई है वह यह है कि चूंकि उसे अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के पद से राज्य सरकार के तारीख 12 दिसम्बर, 1977 के आदेश द्वारा जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत किया गया था, इसलिए उसे उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता। उस सम्बन्ध में यह निवेदन किया गया था चूंकि, संविधान के अनुच्छेद 233 को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां और प्रोन्नतियां राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती हैं इसलिए ऐसे जिला न्यायाधीशों के प्रतिवर्तन के आदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा ही जारी किए जाने चाहिए। इस पिटीशन में मुख्य विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय पिटीशनर को उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित करने के लिए सक्षम है ?

अभिनिर्धारित—पिटीशन खारिज किया गया।

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 233(1) की दृष्टि से जिला न्यायाधीशों की 'नियुक्तियां', 'तैनाती' और 'प्रोन्नतियां' राज्य के राज्यपाल द्वारा सम्बद्ध उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी। जहां तक 'नियुक्ति' अभिव्यक्ति का सम्बन्ध है उसके बारे में किसी संविवाद की गुंजाइश नहीं है क्योंकि किसी पद के लिए नियुक्ति केवल एक बार की जाती है। किन्तु 'तैनाती' और 'प्रोन्नति' अभिव्यक्तियों के बारे में समय-समय पर संविवाद रहा है। क्या यह अनुच्छेद केवल प्रारम्भिक तैनाती और प्रोन्नति के प्रक्रम पर लागू होता है या सभी पश्चात्वर्ती प्रक्रमों पर भी लागू होता है क्योंकि जिला न्यायाधीश, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 236 की दृष्टि से अपर जिला न्यायाधीश भी सम्मिलित होगा, को समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाना होता है और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत किया जाता है और पश्चात्कथित को चयन ग्रेड पद पर प्रोन्नत करना पड़ता है। क्या ऐसी तैनाती और प्रोन्नतियां भी राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय से परामर्श करके की जाती हैं। लगभग यह स्थापित हो चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन अपर जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के स्थानान्तरणों और तैनातियों का नियंत्रण उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन है और अनुच्छेद 233 लागू नहीं होता है। न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल ने उपर्युक्त निर्णय को इसके समुचित संदर्भ में नहीं पढ़ा है। उक्त निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने उस मामले में अनुच्छेद 233 में 'प्रोन्नति' अभिव्यक्ति को 'जिला न्यायाधीश की' प्रोन्नति के रूप में पढ़ा था और 'जिला न्यायाधीश होने वाले' व्यक्तियों की प्रोन्नति के बारे में नहीं। इस निर्वचन का अनुमोदन नहीं किया गया था और यह संकेत किया गया था कि अनुच्छेद 233(1) को 'जिला न्यायाधीश आदि होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और उनकी तैनाती और प्रोन्नति' के रूप में पढ़ा जाए। दूसरे शब्दों में 'होने वाले व्यक्ति' शब्दों को तैनाती और प्रोन्नति के संदर्भ में भी पढ़ा जाए यद्यपि अनुच्छेद में इसको केवल नियुक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। उस सम्बन्ध में इस बात पर जोर दिया गया था कि अनुच्छेद 233(1) जिला न्यायाधीश होने वाले व्यक्तियों या उसमें सम्मिलित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के व्यक्तियों की प्रारम्भिक नियुक्ति और प्रारम्भिक प्रोन्नति से सम्बद्ध है। 'जिला न्यायाधीश' अभिव्यक्ति से संविधान में अनुच्छेद 233 में अपर जिला न्यायाधीश सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त अनुच्छेद केवल नियुक्ति, तैनाती और प्रोन्नति के प्रारम्भिक प्रक्रम पर लागू होता है इसलिए यह केवल अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर प्रारम्भिक प्रोन्नति को लागू होता है। उसके पश्चात् पश्चात्वर्ती प्रोन्नतियां, जिसमें जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति सम्मिलित है, संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन आती है। यदि संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर अधिष्ठायी प्रोन्नति का आदेश जारी किया जाना होता है तो पिटीशनर के मामले में जिला न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति का आदेश जारी करने के लिए राज्य सरकार के लिए कोई अवसर नहीं था। चूंकि, राज्य सरकार द्वारा जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न आधार पर पिटीशनर को प्रोन्नत करते हुए एक आदेश जारी किया गया था इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पश्चात्वर्ती ऐसे आदेश में संविधान के अनुच्छेद 233 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवल राज्य सरकार द्वारा फेर-फार किया जा सकता है, उसे उपान्तरित किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। न्यायालय की राय यह है कि अनुच्छेद 235

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अधीन उच्च न्यायालय पिटीशनर को उसके अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित करने के लिए सक्षम था और यह कि उसे अविधिमान्य नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त तारीख 12 दिसम्बर, 1977 वाले आदेश को अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के पद से जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर पिटीशनर की प्रोन्नति के आदेश के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। उस आदेश में स्पष्टतः यह उल्लेख किया गया है कि पिटीशनर को जिला और सेशन न्यायाधीश कार्य करने के लिए प्रोन्नति दी जा रही थी। पिटीशनर की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउन्सेल ने इस बात को स्वीकार किया है कि उच्च न्यायालय को किसी अपर जिला और सेशन न्यायाधीश को जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में अत्यावश्यकता की स्थिति के अन्तर्गत निदेश देने की सदैव स्वतन्त्रता है और उसे अन्तरकालीन प्रबन्ध करने की भी स्वतन्त्रता है और ऐसे आदेश को प्रोन्नति का आदेश अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। न्यायालय की राय में जब किसी अपर जिला और सेशन न्यायाधीश को जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए निदेश दिया जाता है तो यह बात अतात्विक है कि क्या उसे स्थानापन्न प्रोन्नति के आधार पर या स्थानापन्न रहित आधार पर कार्य करना है। जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर उसका कोई अधिकार प्रोद्भूत नहीं होता। एकमात्र अन्तर जो कि न्यायालय को दो प्रकार के आदेशों में दिखाई देता है वह यह है कि जहां पर उसे स्थानापन्न प्रोन्नति के पश्चात् जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का निदेश दिया जाता है तो वह जिला और सेशन न्यायाधीश के पद से सम्बद्ध धन-सम्बन्धी फायदों का हकदार होगा। अनुच्छेद 233 ऐसी स्थानापन्न प्रोन्नति के लिए कैसे लागू हो सकता है। न्यायालय की राय यह है कि पिटीशनर को जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए स्थानापन्न आधार पर प्रोन्नत किया गया है इसलिए उसे उच्च न्यायालय द्वारा अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा करते हुए आक्षेपित आदेश पिटीशनर पर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगाता। प्रतिशपथ-पत्र में यह कथन किया गया है कि पिटीशनर की योग्यता को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश जारी किया गया था और इसकी प्रकृति दण्ड स्वरूप वाली नहीं है। (पैरा 4, 5, 9 और 10)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पैरा

[1967]	ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 903 : आसाम राज्य बनाम रंगा मोहम्मद (State of Assam *Vs.* Ranga Muhammad) का अवलम्ब लिया गया।	4
[1970]	ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1616 : आसाम राज्य बनाम कुसेश्वर सायकिया (State of Assam *Vs.* Kuseswar Saikia) से असहमति प्रकट की गई।	5
[1979]	ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 193 : आन्ध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य बनाम एल० वी० ए० दीक्षितुलू और अन्य (Chief Justice of Andhra Pradesh and another *Vs.* L. V. A. Dikshitulu and others etc.);	8
[1978]	1978 (2) एस० एल० आर० 1 : उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रतुकदेव पति त्रिपाठी और अन्य (State of Uttar Pradesh *Vs.* Ratuk Dev Pati Tripathi and others);	7
[1975]	ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 613 : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (Punjab and Haryana etc. *Vs.* The State of Haryana and others);	6
[1966]	ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1529 : डिविजनल पर्सनल आफिसर सदर्न रेलवे बनाम एस० राघवेन्द्राचार (Divisional Personnel Officer, Southern Railway *Vs.* S. Raghavendrachar) निर्दिष्ट किए गए।	11

आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1982 का सिविल रिट अधिकारिता मामला सं० 2709,

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट पिटीशन।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पिटीशनर की ओर से ... सर्वश्री वसुदेव प्रसाद, रणजीत कुमार वर्मा और अशोक कुमार सिन्हा सं० 3.

प्रत्यर्थियों की ओर से ... सर्वश्री हरेन्द्र प्रसाद और रफत आलम, अपर महाधिवक्ता के कनिष्ठ काउंसेल के साथ श्री आर० वी० महतो अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्या० नगेन्द्र प्रसाद सिंह ने दिया।

न्या० सिंह :

यह रिट आवेदन पिटीशनर की ओर से फाइल किया गया है जिसमें पिटीशनर को जिला और सेशन न्यायाधीश बेगू सराय के स्थानापन्न पद से उसको पटना के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के अधिष्ठायी (रैंक) पंक्ति में स्थानान्तरित करते हुए पटना उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 24 मई, 1982 की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसको अभिखण्डित करने के लिए निवेदन किया गया है।

2. स्वीकृत स्थिति यह है कि पिटीशनर की अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के रैंक में पुष्टि की गई है किन्तु उस दिन जबकि आक्षेपित अधिसूचना जारी की गई थी वह जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न आधार पर कार्य कर रहा था। मुख्य व्यथा जो कि पिटीशनर की ओर से की गई है वह यह है चूंकि, उसे अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के पद से राज्य सरकार के तारीख 12 दिसम्बर, 1977 के आदेश द्वारा जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत किया गया था, इसलिए उसे उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता। उस सम्बन्ध में यह निवेदन किया गया था चूंकि, संविधान के अनुच्छेद 233 को ध्यान में रखते हुए जिला-न्यायाधीशों की नियुक्तियां और प्रोन्नतियां राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती हैं, इसलिए ऐसे जिला न्यायाधीशों के प्रतिवर्तन के आदेश भी उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा ही जारी किए जाने चाहिए।

3. पटना उच्च न्यायालय की ओर से प्रतिशपथ-पत्र फाइल किया गया है जिसमें यह प्राख्यान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 233 में 'जिला

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायाधीश' अभिव्यक्ति के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 236 की दृष्टि से अपर जिला न्यायाधीश भी सम्मिलित होगा क्योंकि जब कभी अपर जिला न्यायाधीश के पद पर प्रारंभिक नियुक्ति या प्रोन्नति की जाती है तो अनुच्छेद 233 लागू होता है और ऐसी नियुक्तियां उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं। उसके पश्चात् ऐसे अपर जिला न्यायाधीश का नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित हो जाता है और किसी अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश के रूप में तैनात करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है और उस प्रक्रम पर अनुच्छेद 233 लागू नहीं होता है। यह भी कथन किया गया है कि तारीख 12 दिसम्बर, 1977 वाली अधिसूचना (उपाबंध 2), जिसके द्वारा पिटीशनर को जिला न्यायाधीश के रूप में स्थानापन्न आधार पर प्रोन्नत किया गया था, राज्य सरकार द्वारा गलती से जारी की गई थी। वस्तुतः यह अधिसूचना उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जानी चाहिए थी। किन्तु बाद में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश का अनुसमर्थन कर दिया था और वह इस बारे में उपमत हो गए थे कि पिटीशनर को उस अधिसूचना के आधार पर जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में कृत्य करने की अनुज्ञा दी जाती है।

4. संविधान का अनुच्छेद 233(1), जो कि प्रस्तुत मामले के लिए सुसंगत है, इस प्रकार है :—

> "किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की तैनाती और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।"

अनुच्छेद 233 (1) की दृष्टि से जिला न्यायाधीशों की 'नियुक्तियां', 'तैनाती' और 'प्रोन्नतियां' राज्य के राज्यपाल द्वारा संबद्ध उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी। जहां तक 'नियुक्ति' अभिव्यक्ति का संबंध है उसके बारे में किसी संविवाद की गुंजाइश नहीं है क्योंकि किसी पद के लिए नियुक्ति केवल एक बार की जाती है। किन्तु 'तैनाती' और 'प्रोन्नति' अभिव्यक्तियों के बारे में समय-समय पर संविवाद रहा है। क्या यह अनुच्छेद केवल प्रारंभिक तैनाती और प्रोन्नति के प्रक्रम पर लागू होता है या सभी पश्चात्वर्ती प्रक्रमों पर भी लागू होता है क्योंकि जिला न्यायाधीश, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 236 की दृष्टि से अपर जिला न्यायाधीश भी सम्मिलित होगा, को समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाना होता है और अपर जिला न्यायाधीश को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत किया जाता है और बाद में चयन ग्रेड पद पर प्रोन्नत करना पड़ता है। क्या ऐसी तैनाती और प्रोन्नतियां भी राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती हैं ? असम राज्य बनाम रंगा मोहम्मद[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'तैनाती' शब्द से स्पष्टतः किसी को "किसी पद का समनुदेशन करना" अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त यह संकेत किया गया था 'तैनाती' शब्द को स्थानान्तरण के अर्थ में नहीं समझा जा सकता क्योंकि स्थानान्तरण नियुक्ति और प्रोन्नति के बाद के प्रक्रम पर लागू होता है। इस निर्णय की दृष्टि से लगभग यह सुस्थापित हो चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन अपर जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के स्थानांतरणों और तैनातियों का नियंत्रण उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन है और अनुच्छेद 233 लागू नहीं होता है। जहां तक 'अनुच्छेद 233' में प्रयुक्त 'प्रोन्नति' अभिव्यक्ति का संबंध है उसके विस्तार की भी उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में परीक्षा की गई है। उपर्युक्त निर्णय में 'तैनाती' अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह संकेत किया है कि अनुच्छेद 233 में 'नियुक्ति' 'तैनाती' और 'प्रोन्नति' तीनों अभिव्यक्तियां उस काम का संकेत करती हैं जबकि किसी व्यक्ति को प्रथम बार हैसियत या नौकरी प्राप्त होती है।

5. पिटीशनर के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि अपर जिला न्यायाधीश के पद पर प्रारंभिक नियुक्ति या प्रोन्नति के पश्चात् अनुच्छेद 233 निःशेष नहीं होता है किन्तु यह पश्चात्वर्ती प्रक्रमों पर भी लागू होता है अर्थात् जब कभी प्रोन्नति की जाती है जिसमें अपर जिला न्यायाधीश के पद से जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति सम्मिलित है। इस संबंध में असम राज्य बनाम कुसेश्वर सायकिया[2] वाले मामले का अवलम्ब लिया गया था जिसमें अनुच्छेद 233 के प्रति निर्देश करने के पश्चात् निम्नलिखित मत अभिव्यक्त किया गया था :—

> "इसका अर्थ है कि जिला न्यायाधीश होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और प्रोन्नति का मामला उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल से संबद्ध है और 'जिला न्यायाधीश' अभिव्यक्ति में अपर जिला न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश सम्मिलित है। यह याद रखना

---

[1] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 903.

[2] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1616.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चाहिए कि जिला न्यायाधीशों को सीधे नियुक्त किया जा सकता है या न्यायपालिका के अधीनस्थ रैंकों से प्रोन्नति करके नियुक्त किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में उन दोनों ही विषयों के बारे में उपबंध किया गया है। यह जिला न्यायाधीश होने वाले व्यक्तियों या उसमें सम्मिलित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के व्यक्तियों की प्रारंभिक नियुक्ति और प्रारंभिक प्रोन्नति से संबद्ध है। जिला न्यायाधीशों की ओर आगे प्रोन्नति उच्च न्यायालय के नियंत्रण का विषय है।"

मुझे विवश होकर यह मत अभिव्यक्त करना पड़ रहा है कि पिटीशनर के विद्वान् काउंसेल ने उपर्युक्त निर्णय को इसके समुचित संदर्भ में नहीं पढ़ा है। उक्त निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने उस मामले में अनुच्छेद 233 में 'प्रोन्नति' अभिव्यक्ति को 'जिला न्यायाधीश की' प्रोन्नति के रूप में पढ़ा था और 'जिला न्यायाधीश होने वाले' व्यक्तियों को प्रोन्नति के बारे में नहीं। इस निर्वचन का अनुमोदन नहीं किया गया था और यह संकेत किया गया था कि अनुच्छेद 233(1) को 'जिला न्यायाधीश आदि होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और उनकी तैनाती और प्रोन्नति' के रूप में पढ़ा जाए। दूसरे शब्दों में 'होने वाले व्यक्ति' शब्दों को तैनाती और प्रोन्नति के संदर्भ में भी पढ़ा जाए यद्यपि अनुच्छेद में इसको केवल नियुक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। उस संबंध में इस बात पर जोर दिया गया था कि अनुच्छेद 233(1) जिला न्यायाधीश होने वाले व्यक्तियों या उसमें सम्मिलित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के व्यक्तियों की प्रारंभिक नियुक्ति और प्रारंभिक प्रोन्नति से संबद्ध है।

6. **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में, जिसका दोनों पक्षकारों की ओर से अवलम्ब लिया गया है, ऐसा ही प्रश्न विचारार्थ उद्भूत हुआ था। निर्णय के पैरा 40 में इस बात की ओर संकेत किया गया था कि अनुच्छेद 236 के अधीन 'जिला न्यायाधीश' अभिव्यक्ति में 'अपर जिला न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश' सम्मिलित हैं। कनिष्ठ सेवा में के व्यक्तियों की प्रोन्नति ऐसे व्यक्तियों की प्रोन्नति, जो कि जिला न्यायाधीश से अवर पद धारित किए हुए हैं, उच्च न्यायालय में निहित होती है। इसी पैरा में निम्नलिखित मत अभिव्यक्त किए गए थे जिसका पिटीशनर की ओर से अवलम्ब लिया गया है :—

[1] ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 613.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"अपर जिला न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश को जिला न्यायाधीशों के रूप में प्रोन्नत करने का कृत्य राज्यपाल का है।"

इस मताभिव्यक्ति के आधार पर पिटीशनर की ओर से यह निवेदन किया गया था कि अपर जिला न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश के पद से जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति करने का कृत्य राज्यपाल का है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि निर्णय के पैरा 41 और 42 के साथ उपर्युक्त मताभिव्यक्ति को पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया है कि उच्चतम न्यायालय का कभी भी इस निर्णय में इस बात को अधिकथित करना तात्पर्यित नहीं था कि अपर जिला न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश के पद से जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति भी राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जानी है। पैरा 41 में निम्न प्रकार मत अभिव्यक्त किया गया है :—

"जिला न्यायाधीश होने वाले व्यक्तियों की प्रारंभिक नियुक्ति और प्रारंभिक प्रोन्नति राज्यपाल द्वारा की जाती है।"

कुसेश्वर सायकिया वाले उपर्युक्त निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए यह मत अभिव्यक्त किया गया :—

"अतः जिला न्यायाधीश होने वाले व्यक्तियों की प्रारंभिक नियुक्ति और जिला न्यायाधीश होने वाले व्यक्तियों की प्रारंभिक प्रोन्नति राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक बार उनके जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त और प्रोन्नत हो जाने के पश्चात् सम्पूर्ण नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित हो जाता है। जिला न्यायाधीशों की जो आगे प्रोन्नति होती है वह चयन ग्रेड पदों पर उनकी नियुक्ति के लिए की जाती है।"

पैरा 40 में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि अनुच्छेद 236 में 'जिला न्यायाधीश' अभिव्यक्ति में 'अपर जिला न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश सम्मिलित हैं'। इस निर्णय के अनुसार भी अनुच्छेद 233 अपर जिला न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद पर प्रारंभिक प्रोन्नति और पश्चात्वर्ती प्रोन्नतियों के प्रक्रम पर लागू होगा जिसमें जिला न्यायाधीश और चयन ग्रेड पर प्रोन्नति सम्मिलित है जो कि संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन होती है।

7. ऐसा ही मत उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रतुकदेव पति त्रिपाठी और अन्य[1] वाले मामले में अभिव्यक्त किया गया था जहां पर अनुच्छेद 236 की व्याप्ति का निर्वचन करते हुए यह मत व्यक्त किया गया था :—

> "हमारे विनिश्चयों के अनुसार उस अनुच्छेद में न्यायालयों में निहित नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विषय आते हैं जैसे स्थानान्तरण, पश्चात्वर्ती तैनातियां, छुट्टी, प्रोन्नतियां, अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत न आने वाली प्रारम्भिक प्रोन्नतियां, लघु शक्तियों का अधिरोपण, अनिवार्य सेवा निवृत्ति संबंधी विनिश्चय, अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत आने वाली बृहद् शास्तियों के अधिरोपण की सिफारिश, वार्षिक विवरणी में प्रविष्टियां आदि जैसे मामले भी आते हैं।"

8. **आन्ध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य बनाम एल० वी० ए० दीक्षितुलू और अन्य**[2] वाले मामले में फिर से ऐसे ही मत को दोहराते हुए यह कहा गया था कि अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण विस्तार और प्रभावी प्रवर्तन के अन्तर्गत आत्यंतिक प्रकृति का है जिसमें ऐसे जिला न्यायाधीशों की पुष्टि, जो परिवीक्षाधीन रहे हैं या जो अनुच्छेद 233 के अधीन जिसका न्यायाधीशों के संवर्ग में राज्यपाल द्वारा अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति या प्रोन्नति के पश्चात् स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, भी सम्मिलित है।

9. पिटीशनर की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउन्सेल ने यह निवेदन किया कि उपर्युक्त मामलों में से किसी में भी यह प्रश्न कि क्या अपर जिला न्यायाधीश के पद से जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति का प्रक्रम पर संविधान के अनुच्छेद 233 द्वारा शासित होता है जिस पर विनिर्दिष्ट रूप से विचार किया गया है। उसके अनुसार अपर जिला न्यायाधीश के पद से जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति में जिला न्यायाधीश के पद से अपर जिला न्यायाधीश के पद पर प्रतिवर्तन सम्मिलित हैं जो कि अनुच्छेद 233 के अनुसार होना चाहिए किन्तु जिला न्यायाधीश के उच्चतर पद पर प्रोन्नति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। मेरी राय में इस दलील में कोई गुणता नहीं है। 'जिला न्यायाधीश' अभिव्यक्ति में संविधान के अनुच्छेद 233 में अपर जिला न्यायाधीश सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों में यह अभिनिर्धारित

[1] 1978 (2) एस० एल० आर० 1.

[2] ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 193.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया गया है कि उक्त अनुच्छेद केवल नियुक्ति, तैनाती और प्रोन्नति के प्रारम्भिक प्रक्रम पर लागू होता है इसलिए यह केवल अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर प्रारम्भिक प्रोन्नति को लागू होता है। उसके पश्चात् पश्चात्वर्ती प्रोन्नतियां, जिसमें जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति सम्मिलित है, संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन आती है। यदि संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर अधिष्ठायी प्रोन्नति का आदेश जारी किया जाना होता है तो पिटीशनर के मामले में जिला न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति का आदेश जारी करने के लिए राज्य सरकार के लिए कोई अवसर नहीं था। चूंकि, राज्य सरकार जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न आधार पर पिटीशनर को प्रोन्नत करते हुए एक आदेश जारी किया गया था, इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पश्चात्वर्ती ऐसे आदेश में संविधान के अनुच्छेद 233 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवल राज्य सरकार द्वारा फेर-फार किया जा सकता है, उसे उपान्तरित किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। मेरी राय यह है कि अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय पिटीशनर को उसके अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित करने के लिए सक्षम था और यह कि उसे अविधिमान्य नहीं माना जा सकता।

10. इसके अतिरिक्त तारीख 12 दिसम्बर, 1977 वाले आदेश को अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के पद से जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर पिटीशनर की प्रोन्नति के आदेश के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। उस आदेश में स्पष्टतः यह उल्लेख किया गया है कि पिटीशनर को जिला और सेशन न्यायाधीश (कार्य करने के लिए) प्रोन्नति दी जा रही थी। पिटीशनर की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउन्सेल ने इस बात को स्वीकार किया है कि उच्च न्यायालय को किसी अपर जिला और सेशन न्यायाधीश को जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में अत्यावश्यकता की स्थिति के अन्तर्गत निदेश देने की सदैव स्वतन्त्रता है और उसे अन्तरकालीन प्रबन्ध करने की भी स्वतन्त्रता है और ऐसे आदेश को प्रोन्नति का आदेश अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। किन्तु उन्होंने तीन प्रकार के आदेशों में अन्तर किया है (i) जहां पर किसी अपर जिला और सेशन न्यायाधीश को जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए निदेश दिया जाता है, (ii) जहां किसी अपर जिला और सेशन न्यायाधीश को जिला और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सेशन न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न आधार पर प्रोन्नत किया जाता है और (iii) जहां कोई अपर जिला और सेशन न्यायाधीश जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर अधिष्ठायी आधार पर प्रोन्नत किया जाता है। पिटीशनर के काउन्सेल के अनुसार अनुच्छेद 233 प्रवर्ग (i) के आदेश को लागू नहीं होता है किन्तु यह उस दशा में लागू होगा जब प्रवर्ग (ii) और (iii) में उल्लिखित प्रकृति के आदेश हों। मेरी राय में जब किसी अपर जिला और सेशन न्यायाधीश को जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए निदेश दिया जाता है तो यह बात अतात्विक है कि क्या उसे स्थानापन्न प्रोन्नति के आधार पर या स्थानापन्न रहित आधार पर कार्य करना है। जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर उसका कोई अधिकार प्रोद्भूत नहीं होता। एकमात्र अन्तर जो कि मुझे दो प्रकार के आदेशों में दिखाई देता है वह यह है कि जहां पर उसे स्थानापन्न प्रोन्नति के पश्चात् जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का निदेश दिया जाता है तो वह जिला और सेशन न्यायाधीश के पद से सम्बद्ध धन-सम्बंधी फायदों का हकदार होगा। मैं यह बात समझने में असमर्थ हूं कि अनुच्छेद 233 ऐसी स्थानापन्न प्रोन्नति के लिए कैसे लागू हो सकता है। मेरी राय यह है कि पिटीशनर को जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए स्थानापन्न आधार पर प्रोन्नत किया गया है इसलिए उसे उच्च न्यायालय द्वारा अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा करते हुए आक्षेपित आदेश पिटीशनर पर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगता। प्रतिशपथ-पत्र में यह कथन किया गया है कि पिटीशनर की योग्यता को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश जारी किया गया था और इसकी प्रकृति दण्ड स्वरूप वाली नहीं है।

11. पिटीशनर की ओर से यह भी निवेदन किया गया था कि ऐसे अनेक अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, जिन्हें स्थानापन्न आधार पर प्रोन्नत किया गया है और जो पिटीशनर से कनिष्ठ हैं, जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं जबकि पिटीशनर को उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित कर दिया गया है। यह अनुज्ञेय है। **डिविजनल पर्सनल आफिसर सदर्न बनाम एस० राघवेन्द्रचार**[1] वाले मामले में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि स्थानापन्न पद से अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तन भले ही उच्चतर पद पर ऐसे अधिकारी से कनिष्ठ स्थानापन्न आधार पर कार्य कर रहा है, संविधान के

---

[1] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 5129.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुच्छेद 311 को लागू करते हुए शास्ति की कोटि में नहीं आता है। प्रतिशपथ-पत्र में, जैसा कि मैंने पहले ही संकेत किया है, इस बात को स्पष्ट किया गया है कि क्यों न पिटीशनर को उसके अधिष्ठाई पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाए। यह आदेश पिटीशनर की योग्यता पर विचार करने के बाद ही जारी किया गया है और यह पिटीशनर के विरुद्ध किसी कलंक को लगाने की कोटि के अन्तर्गत नहीं आता है।

12. अन्त में पिटीशनर की ओर से यह निवेदन किया गया था कि आक्षेपित आदेश बिहार सर्विस कोड (बिहार सेवा संहिता) के नियम 32 की अपेक्षा के उल्लंघन में जारी किया गया है जिसका सुसंगत भाग इस प्रकार है :—

> "सरकारी सेवक किसी पद पर उस समय स्थानापन्न होता है जब वह उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार होता है। किन्तु सरकारी सेवक को उस रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जा सकता है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार नहीं होता और सक्षम प्राधिकारी उस पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति करने के लिए सक्षम होता है।"

इस नियम के आधार पर यह निवेदन किया गया था कि जब कभी किसी व्यक्ति को किसी ऐसे रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार नहीं है तो ऐसी नियुक्ति ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो कि उस पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति करने के लिए सक्षम हो। पिटीशनर के अनुसार जिला न्यायाधीश के पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 की दृष्टि से केवल राज्यपाल द्वारा की जा सकती है इसलिए प्रतिवर्तन का आदेश भी राज्यपाल द्वारा ही पारित किया जाना चाहिए। मैंने पहले ही यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 233 के अधीन शक्ति का प्रयोग प्रारम्भिक प्रोन्नति के समय किया जाता है अर्थात् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति और पश्चात्वर्ती प्रोन्नतियों के समय इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त नियम का उल्लंघन हुआ है। मेरी राय यह है कि इस रिट आवेदन में कोई गुणागुण नहीं है। तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है किन्तु मामले की परिस्थितियों को देखते हुए खर्च के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्या० सत्येश्वर राय :

मेरी राय में चूंकि पिटीशनर को जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए निदेश दिया गया था इसलिए जिला और सेशन न्यायाधीश के पद को धारण करने के लिए उसका कोई अधिकार प्रोद्भूत नहीं हुआ था। आक्षेपित आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पिटीशनर की अयोग्यता के आधार पर अपनी प्रशासनिक शक्ति के अधीन पारित किया गया था। अतः उस पर कोई कलंक नहीं लगा था। मैं इस आवेदन में कोई गुणता नहीं पाता हूं और इसे खारिज किया जाता है किन्तु खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

पिटीशन खारिज किया गया।

चन्द

नि० प० 1983 : पटना—241

मै० इन्टर स्टेट ट्रांस्पोर्ट ऐजेन्सी सीतामढ़ी बनाम प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पटना

(M/s. Inter State Transport Agency, Sitamarhi *Vs.* The Regional provident Fund Commissioner, Patna)

तारीख 11 जनवरी, 1983

[न्या० प्रेमशंकर सहाय और सत्यव्रत सान्याल]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952—धारा 7ए और 14 बी सपठित परिसीमा अधिनियम, 1963 अनुच्छेद 137—नियोजक द्वारा भविष्य निधि अंशदान को जमा कराने में विलम्ब के लिए प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा शास्तिक नुकसानी अधिरोपित करने वाले (पूर्वतर) आदेश पर पुनर्विचार करने से इंकारी के विरुद्ध अनुच्छेद 137 के अधीन आवेदन किया जाना—परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 सिविल न्यायालय को किसी भी अधिनियम के अधीन किए गए पिटीशन को लागू होता है और भविष्य निधि अधिनियम की धारा 7ए और 14बी के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लिए कोई परिसीमा नहीं है और इन कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने में मात्र विलम्ब अधित्यजन या माफ करने की कोटि में नहीं आएगा।

2. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952—धारा 14 बी—शास्तिक नुकसानी को अधिरोपित करने के लिए कार्यवाहियां—यदि प्राधिकारियों द्वारा नुकसानी की प्रस्तावित राशि में अयर्थाथता संबंधी गलती पाई जाए और उसके स्थान पर कतिपय धनराशि प्रस्थापित करते हुए इस बारे में सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित धनराशि को वापस लिया जाता है और रद्द किया जाता है तो इससे शास्तिक नुकसानी संबंधी कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।

3. सविधान, 1950—अनुच्छेद 14 सपठित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952—धारा 7-ए और 19-ए—आयुक्त द्वारा शास्तिक नुकसानी का अधिरोपित किया जाना—उचित और प्रभावी जांच (सुनवाई) का विहित होना—यदि अधिनियम के अधीन किसी अधिकरण, न्यायिक या न्यायिककल्प, को अपील करने का कोई उपबंध न हो तो भी शक्ति के किसी दुरुपयोग और असद्भावना की कार्यवाही के मामले में धारा 19-एको लागू करते हुए चुनौती दी जा सकेगी और इस प्रकार अधिनियम की धारा 7-ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत अभि ्धारित नहीं किया जा सकता।

4. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952—धारा 14बी—शास्तिक नुकसानी को अधिरोपित करने के लिए कोई दृढ़ सूत्र नहीं हो सकता—प्राधिकारियों के लिए यह विचारणीय है कि नियोजक के आचरण द्वारा नुकसानी को कहां तक कम किया गया है—धारा 14-बी के अधीन आदेश तर्कसंगत आदेश होना चाहिए जिससे यह प्रकट हो कि किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए न्यायिक और वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया गया है।

पिटीशनर परिवहन अभिकरण के कारबार में रत है जिसका मूलतः मुख्यालय कलकत्ता में स्थित था। कुछ कारणों से पिटीशनर ने अपना मुख्यालय कलकत्ता से बिहार राज्य में सीतामढ़ी में बदल दिया था। प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त ने भविष्य निधि जमा कराने में विलम्ब के लिए पिटीशनर पर शास्तिक नुकसानी अधिरोपित की किन्तु बाद में गलती पाई जाने पर उसमें संशोधन करते हुए पिटीशनर को संसूचित किया। पिटीशनर ने भविष्य निधि आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध यह रिट पिटीशन फाइल किया। इस पिटीशन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में मुख्य विचारार्थ मुद्दे ये हैं कि शास्तिक नुकसानी का अधिरोपण परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के उपबंधों के अनुसार परिसीमा से वर्जित है और इसलिए यह वसूलीय नहीं है। यह है कि क्या आक्षेपित आदेश अधिकारितारहित है और क्या अधिनियम की धारा 7ए संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत है और क्या शास्तिक नुकसानी का निर्धारण किसी दृढ़ सूत्र के आधार पर किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित—रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 137 'सिविल न्यायालय को किसी भी अधिनियम के अधीन किए गए किसी पिटीशन या आवेदन को लागू होगा'। उक्त आवेदन न्यायिक विनिश्चय के लिए किसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए किसी स्थानीय या विशेष अधिनियम के अधीन हो सकता है। भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14बी और/या धारा 7ए के अधीन कार्यवाही के लिए किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। किसी आवेदन के बिना स्वप्रेरणासे और स्वतन्त्रता से ऐसी कार्यवाही करना कार्यकारिणी का कर्तव्य है जिसे मंत्रालय संबंधी कार्यवाही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भविष्य निधि अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण न तो सिविल न्यायालय हैं न ही दण्ड न्यायालय, यद्यपि उक्त प्रधिकारियों को न्यायिक रूप से कार्यवाही करनी होती है और उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का भी अनुसरण करना होता है। उस संबंध में ये निकाय न्यायालयों के सभी जाल बिछाते हैं किन्तु तकनीकी रूप से वे न्यायालय नहीं हैं। अतः अधिनियम की धारा 7-ए या 14-बी के अधीन कार्यवाही को प्रारम्भ करने के लिए कोई परिसीमा नहीं है और न ही कार्यवाहियों को प्रारंभ करने में मात्र विलम्ब अधित्यजन और/या माफ करने की कोटि में आता है। (पैरा 5, 6 और 9)

सभी सूचनाओं में प्रकट की गई राशि अन्तिम और अन्तःकालीन थी। प्रत्येक सूचना में पिछली सूचना को निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि प्राधिकारियों ने नुकसानी की प्रस्तावित राशि में गलती पाई थी और इसलिए एक स्थान पर दूसरी राशि प्रस्थापित की गई थी। उपाबंध 8 में नुकसानी के रूप में कतिपय धनराशि का प्रस्ताव करते हुए पिटीशनर को इस बारे में संसूचित किया गया था कि उपबंध 7 में प्रस्तावित धनराशि को वापस लिया जाता है और रद्द किया जाता है। कार्यवाही कभी भी वापस नहीं ली गई थी और रद्द नहीं की गई थी। प्रस्तुत मामले में कार्यवाही कभी भी समाप्त नहीं की गई थी और मामला

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अंतिम रूप से केवल उस समय विनिश्चित किया गया था जब उपबंध 3 वाला आदेश पारित किया गया था। (पैरा 11)

यह दलील नहीं दी जा सकती है कि अधिनियम की धारा 7ए के अधीन कोई समुचित और प्रभावी सुनवाई का उपबंध नहीं किया गया है जैसा कि किसी मामले के अवधारण के लिए न्यायिक या न्यायिककल्प प्राधिकारी से अपेक्षित है। एक क्षण के लिए यदि यह धारणा की जाए कि अधिकतर आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का घोर उल्लंघन करके पारित किए जाते हैं तो अधिनियम की धारा 7-ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत अभिनिर्धारित करने का कोई आधार नहीं है। धारा 7-ए न्यायसंगत और उचित जांच सुनिश्चित करती है। यह दलील सारहीन है कि धारा 7-ए अयुक्तियुक्त है क्योंकि उसमें किसी अधिकरण, न्यायिक या न्यायिककल्प को अपील करने का कोई उपबंध नहीं किया गया है। पूर्वतः उल्लिखित पद्धति और रीति में चुने गए क्षेत्र के मुख्य अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उस क्षेत्र में वह अधिनियम के कार्यकरण से घनिष्ठरूप से संबद्ध उच्चतर अधिकारी हैं। शक्ति के दुरुपयोग और सद्भावना की कार्यवाही को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। कुछ मामालों में धारा 19ए भी लागू की जा सकती हैं। मात्र इसलिए क्योंकि उसकें विनिश्चय के विरुद्ध किसी अपील का उपबंध नहीं किया गया है 'इसके बारे में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।' (पैरा 14 और 15)

केन्द्रीय सरकार की ओर से यह वांछनीय है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें इन शक्तियों का प्रयोग करना होता है उनकी लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए कम से कम विधिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए और विशेषतः उस स्थिति में जब कि उनके आदेश अंतिम होते हैं। अब यह सुस्थापित विधि है कि धारा 14-बी के अधीन नुकसानी का अधिरोपित करना एक न्यायिककल्प कृत्य है और धारा 14-बी के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्ति की दाण्डिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और उसके उन परिणामों को सुनिश्चित करते हुए जो उससे उत्पन्न होते हैं धारा 14बी के अधीन आदेश तर्कसंगत आदेश होना चाहिए। नुकसानी के लिए उपबंध बनाने के लिए मात्र उद्देश्य उपायों के कार्यान्वयन और उनकी सफलता को सुनिश्चित करना है और इसलिए प्रश्न का वस्तुनिष्ठ अवधारण किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 14-बी में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ऐसी नुकसानी बकाया राशि के 100% से अनधिक जैसा कि वह अधिरोपित करना समुचित समझे। इन शब्दों से यह प्रकट होता है कि नुकसानी का अधिरोपित करना किसी दृढ़ सूत्र की विषयवस्तु नहीं हो सकता। यह सच है कि विभाग

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अपने मार्गदर्शन के लिए विसर्पी सूत्र को अपना सकता है किन्तु यह नुकसानी का अवधारण नहीं कर सकता। किसी विशिष्ट मामले में नुकसानी कितनी होनी चाहिए इस बारे में वास्तविक विनिश्चय मामले की अनेक उन परिस्थितियों को कम करने पर निर्भर करेगा जिनसे सम्बद्ध पक्षकार की सुनवाई करने के पश्चात् विलम्ब के परिणाम पर पहुंचा गया था। शास्तिक नुकसानी को अधिरोपित करने के लिए कोई दृढ़ सूत्र नहीं हो सकता भले ही नुकसानी को अधिरोपित करने के लिए विभाग के पास विसर्पी सूत्र हो, जो कि मात्र उनके मार्गदर्शन के लिए है। इसमें एक विशिष्ट अवधि के विलम्ब के लिए संदेय अधिकतम शास्तिक नुकसानी का उपबंध किया गया है। प्राधिकारियों को प्रत्येक मामले में की परिस्थितियों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार करके इस बात का विनिश्चय करना होता है कि नियोजक के आचरण द्वारा नुकसानी को कहां तक कम किया गया है और उन्हें अनेक अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करना होता है। यह अनेक वर्षों के लिए कुल असंदाय के मामले में सच है इसलिए 100% की सीमा तक नुकसानी का अधिरोपित किया जाना अनुज्ञेय है। अब यह सुस्थापित है कि आदेश त्रुटिपूर्ण होगा भले ही आदेश में इस बात का उल्लेख हो कि आवेदक द्वारा किए गए मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कारण नहीं है। अब यह भी सुस्थापित है कि किसी आदेश के समर्थन में कारण दिया जाना दूसरे पक्ष को भी सुनो के सिद्धान्त के समान है और इस नियम का ठीक रूप से पालन किया जाना चाहिए और मात्र बहाने के रूप में नहीं होना चाहिए। आदेश में यह प्रकट होना चाहिए कि व्यथित पक्षकार के मामले पर उचित रूप से विचार किया गया है। इसमें इस बात का विशिष्ट संकेत दिया जाना चाहिए कि किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए न्यायिक और वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया गया है। प्राधिकारियों को यह स्मरण रखना चाहिए कि उनके विनिश्चय के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण के रूप में किसी प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उपबंध नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें और सावधानीपूर्वक उचित रीति से कार्यवाही करनी चाहिए और उनकी कार्यवाही से इनकार किया गया प्रकट होना चाहिए। (पैरा 16, 18, 19, 20, 22 और 23)

		पैरा
[1977]	[1977] 4 उम० नि० प० 529=ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 282 : केरल राज्य विद्युत बोर्ड त्रिवेन्द्रम **बनाम** जे० पी० कुन्हालिउम्मा (Kerala State Electricity Board, Trivendrum *Vs.*	5

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

J. P. Kunhaliumma)
का अवलम्ब लिया गया।

[1970] [1970] 1 उम० नि० प० 873=ए० आई० आर० 1969 एस० सी० 1335 : टाऊन म्युनिसिपल कौंसिल अथनी **बनाम** पीठासीन अधिकारी (Town Municipal Council Athani *Vs.* Presiding Officer); 5

[1964] ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 752 : बाम्बे गैस कं० **बनाम** गोपाल भीवा (Bombay Gas Co. *Vs.* Gopal Bhiva)
से **प्रभेद** बताया गया। 5

[1982] 1982 लेबर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 394 : मै० अरविन्द मिल्स **बनाम** आर० एम० गांधी (Arvind Mills *Vs.* R. M. Gandhi); 19

[1982] 1982 लेबर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 71 : एच० आर० गांधी **बनाम** हरियाणा राज्य (H. R. Gandhi *Vs.* State of Haryana); 19

[1982] 1982 लेबर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 1422 : कालीकट माडर्न स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० **बनाम** प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त (Calicut Modern Spining and Weaving Mills Ltd. *Vs.* Regional Provident Fund Commissioner); 19

[1982] 1982 (1) एल० एल० जे० 352 : श्री राजेन्द्र मिल्स लि० **बनाम** रीजनल प्रोविडेन्ट फन्ड तमिलनाडु (Shri Rajendra Mills Ltd. *Vs.* Regional Provident Fund Tamil Nadu); 19

[1981] 1981 लेबर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 1367 : उड़ीसा राज्य **बनाम** प्रजातन्त्र प्रचार समिति और एक अन्य (State of Orissa *Vs.* Prajatantra Prachar Samiti and others); 7

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1981]	1981 लेवर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 267 : मै० ज० सी० एम० वुलन मिल्स लि० बनाम प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त (M/s. J. C. M. Woolen Mills Ltd. *Vs.* The Regional Provident Fund Commissioner);	8
[1981]	1981 लेबर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 1015=1982 (1) एल० एल० जी० 7 : मै० वायर निटिंग स्टोर्स दिल्ली बनाम प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त (M/s. Wire Netting Stores Delhi *Vs.* The Regional Provident Fund Commissioner);	12
[1980]	1980 बिहार लॉ जजमैंट्स 41 : मै० सोन वैली बनाम उपसचिव, श्रम मंत्रालय (M/s. Sone Valley *Vs.* Deputy Secretary Ministry of Labour);	22
[1979]	लेबर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 187 : डिविजनल इंजीनियर एम० आर० टी० डिवीजन, सिटी सर्किल, ए० पी० एस० ई० बोर्ड, हैदराबाद बनाम रीजनल प्रोविडैन्ट फन्ड कमिश्नर हैदराबाद (Divisional Engineer M. R. T. Division, City Circle, A. P. S. E. Board, Hyderabad *Vs.* Regional Provident Fund Commissioner, Hyderabad);	7
[1979]	[1980] 1 उम० नि० प० 1372=ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1803 : आरगैनो कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज बनाम भारत संघ (Organo Chemical Industries *Vs.* Union of India);	15
[1979]	1979 लेवर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 695 : मै० एटलांटिक इंजीनियरिंग सर्विसेज बनाम भारत संघ (M/s. Atlantic Engineering Services *Vs.* Union of India);	19
[1979]	1979 (1) एल० एल० जे० 46 : मोहम्मद हनीफ	19

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बनाम भारत संघ (Md. Haneefa *Vs*. Union of India);

[1978] 1978 लेबर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 868 : एस० वी० लछवानी **बनाम** कंचन लाल सी० पारिक और अन्य (S. V. Lachhwani *Vs*. Kanchan Lal C. Parik and others); 7

[1978] 1978 लेबर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 998 : प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त **बनाम** मै० इलाहाबाद केनिंग कम्पनी (Regional Provident Fund Commissioner, U. P. *Vs*. M/s. Allahabad Canning Co.); 7

[1978] 1978 लिबर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसेज 930 : मैसर्स हिन्दुस्तान मैलियेबल्स एण्ड फारजिन्स लि० **बनाम** प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त और अन्य (M/s. Hindustan Malleables and Forgins Ltd. *Vs*. The Regional Provident Fund Commissioner and others); 7

[1977] [1977] 1 उम० नि० प० 342=ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 676 : आयुक्त कोयला खान भविष्य निधि, धनबाद **बनाम** जे० पी० लाला एण्ड सन्स (Commissioner of Coal Mines Provident Fund, Dhanbad *Vs*. J. P. Lalla and Sons); 18

[1976] [1977] 2 उम० नि० प० 866=ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 1785 : साइमन्स इंजीनियरिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी **बनाम** भारत संघ (Seimens Engineering and Manufacturing Co. *Vs*. Union of India); 22

[1971] [1971] 1 उम० नि० प० 413=ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 474 : चित्तालिंगम **बनाम** भारत 15

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

	संघ (Chinta Lingam *Vs.* Government of India);	
[1971]	ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 862 : मैं० ट्रावनकोर रेयण्ड लि० **बनाम** भारत संघ और अन्य (M/s. Travancore Rayond Ltd. *Vs.* The Union of India and others);	22
[1969]	[1969] 2 उम० नि० प० 842=ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1896 : प्रतापपुर कम्पनी लि० **बनाम** गन्ना आयुक्त (The Purtabpore Company Ltd. *Vs.* Cane Commissioner);	14
[1969]	1969 बी० एल० जे० आर० 254 : काली प्रसाद स्याल **बनाम** बिहार राज्य (Kali Prasad Seal *Vs.* State of Bihar);	11
[1968]	ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 303 : के० एल० गुप्ता **बनाम** कार्पोरेशन ग्रेटर बाम्बे (K. L. Gupta *Vs.* Corporation Greater Bombay);	15
[1965]	ए० आई० आर० 1965 पंजाब 441 : मैं० अमीचन्द एण्ड सन्स **बनाम** पंजाब राज्य और अन्य (M/s. Amin Chand and Sons *Vs.* State of Punjab and others);	7
[1964]	(1964) 37 एफ० जे० आर० 92 : पंजाब राज्य **बनाम** अमीचन्द (State of Punjab *Vs.* Amin Chand);	8
[1959]	ए० आई० आर० 1959 एस० सी० 798 : वालकृष्ण सांवल राम पुजारी वाघमेर और अन्य **बनाम** श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान और अन्य (Balkrishna Savalram Pujari Waghmare and others *Vs.* Shree Dhyaneshwar Maharaj Sansthan and others);	7

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1957] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 882 :भारत संघ बनाम टी० आर० वर्मा (Union of India *Vs.* T. R. Sharma); 14

[1957] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 397 : पन्नालाल बिंजराज बनाम भारत संघ (Pannalal Binjraj *Vs.* Union of India); 15

[1950] 1950 (1) एल०एल०जे०921(922, 923) : भारत बैंक लि० बनाम एम्पलाईज आफ भारत बैंक (Bharat Bank Ltd. *Vs.* Employees of Bharat Bank) 6

निर्दिष्ट किए गए ।

आरम्भिक सिविल रिट अधिकारिता : 1982 का सिविल रिट अधिकारिता मामला सं० 3191.

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट पिटीशन।

पिटीशनर की ओर से ... श्री कामेश्वर देव

प्रत्यर्थी की ओर से ... श्री के० के० प्रसाद, केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेल

न्यायालय का निर्णय न्या० सत्यव्रत सान्याल ने दिया ।

न्या० सान्याल :

यह रिट पिटीशन एम्पलाईज प्रोविडेन्ट फण्ड्स एण्ड मिस्लेनियस प्रोविजन्स ऐक्ट (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 14-बी के अधीन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा तारीख 22 मार्च, 1982 को पारित उस आदेश के विरुद्ध किया गया है जिसमें जून, 1973 से फरवरी, 1976 तक की अवधि के लिए भविष्य निधि जमा करने में कारित विलम्ब के लिए 49,909.25 रुपए की राशि की नुकसानी अधिरोपित की गई थी और यह रिट पिटीशन उस आदेश के विरुद्ध भी किया गया है जो प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा तारीख 25 मई, 1982 को पारित किया गया था जिसमें शास्तिक नुकसानी को अधिरोपित करने वाले पूर्वतर आदेश पर पुनः विचार करने से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इनकार किया गया था। उपर्युक्त आदेशों को इस रिट पिटीशन के क्रमशः उपाबंध 3 और 9 के रूप में चिन्हांकित किया गया है।

2. पिटीशनर का पक्षकथन यह है कि यह अधिनियम के अर्थान्तर्गत एक स्थापना है और इसको कोड सं० बी० आर०/1739 आबंटित किया गया है। मूलतः पिटीशनर का मुख्यालय, जो कि परिवहन अभिकरण कारबार में रत है, कलकत्ता में स्थित था। कलकत्ता में कर्मचारियों ने श्रमिक विवाद के अन्तर्गत विभिन्न अवैध क्रियाकलाप किए थे और स्थापना के कार्य में गम्भीर उपद्रव कारित किए थे, जैसा कि रिट पिटीशन के उपाबंध 1 और 2 से स्पष्ट है और पिटीशनर को कलकत्ता में कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए उसने मजबूर होकर अपनी स्थापना को वहां से बिहार राज्य में सीतामढ़ी में बदल दिया था। कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न की गई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद पिटीशनर के सम्बन्ध में प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई किसी सूचना से पहले अधिनियम के अधीन सभी अंशदान को जमा करने में असफल नहीं रहा था। किन्तु ऐसा करने में कुछ विलम्ब हुआ था जो कि 9 दिन से चार मास तक था जो कि जून, 1973 से फरवरी, 1976 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान था जैसा कि रिट पिटीशन के उपाबंध 8 से स्पष्ट होता है।

3. उपर्युक्त आदेशों को चुनौती देते हुए इस पिटीशन के समर्थन में विद्वान् काउंसेल द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया है :—

(1) वर्ष 1973 से 1976 के लिए व्यतिक्रम के सम्बन्ध में तारीख 22 मार्च, 1982 को शास्तिक नुकसानी का अधिरोपण परिसीमा से वर्जित है क्योंकि यह तीन वर्ष से अधिक है जैसा कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 में उपबंध किया गया है और इसलिए यह वसूलीय नहीं है।

(2) कार्यवाहियों को रद्द करने पर आक्षेपित निर्धारण पूर्णतः अधिकारिता रहित है, जैसा कि उपाबंध 7 से स्पष्ट होता है।

(3) उक्त अधिनियम की धारा 7-ए जिसमें 'अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन' समुचित धनराशि के अवधारण का उपबंध किया गया है और उस सम्बन्ध में जांच करने का भी उपबंध है, जो कि भारत के संविधान के अधिकारातीत है, इसलिए आक्षेपित जांच और शास्तिक नुकसानी का पारिणामिक निर्धारण अवैध और शून्य है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(4) इस स्कीम के अन्तर्गत शास्तिक नुकसानी के निर्धारण का कोई दृढ़ सूत्र (फार्मूला) नहीं हो सकता था। भविष्य निधि के जमा कराने में मात्र विलम्ब स्वयमेव ही शास्तिक परिणामों को आकर्षित नहीं करता है। शास्तिक नुकसानी को अधिरोपित करने से पूर्व 'पार्टीसिपेटरी प्रोसीडिंग' द्वारा विभिन्न परिस्थितियों पर उनकी वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखते हुए विचार करने की आवश्यकता है।

(5) आक्षेपित आदेश, उपाबंध 3 और उपाबंध 9 अतर्कसंगत होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। यद्यपि अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्ति न्यायिककल्प है।

4. केन्द्रीय सरकार की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् स्थायी काउन्सेल ने इस बात पर जोर दिया कि पिटीशनर की ओर से जिन मुद्दों पर जोर दिया गया है उनमें से किसी में भी कोई सार नहीं है और पिटीशन को नामंजूर किया ही जाना चाहिए। उसकी दलीलों पर मैं उस समय विचार करूंगा जब अलग-अलग मुद्दों को लिया जाएगा।

5. **मुद्दा सं० 1** : पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल ने यह निवेदन किया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के अधीन तीन वर्ष की परिसीमा के वर्जन को ध्यान में रखते हुए शास्तिक नुकसानी का निर्धारण (उपाबंध 3) अधिकारितारहित है। विद्वान् काउन्सेल ने यह कथन किया है कि स्थानीय और विशेष अधिनियमों को परिसीमा अधिनियम, 1963 को लागू करने में बड़ी कठिनाई हुई है। **बाम्बे गैस कं० बनाम गोपाल भीवा**[1] और **टाऊन म्युनिसिपल कौंसिल अथानी बनाम प्रेजाईडिंग आफिसर**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि न तो परिसीमा अधिनियम, 1908 का अनुच्छेद 181 और न ही परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 137 स्थानीय और विशेष अधिनियमों को लागू होता है जो कि **केरल राज्य विद्युत बोर्ड, त्रिवेन्द्रम बनाम जे० पी० कुन्हालिउम्मा**[3] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए अच्छी विधि नहीं है जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है :—

"लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 के अनुच्छेद 181 की तुलना में

---

[1] ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 752.

[2] ए० आई० आर० 1969 एस० सी० 1335.

[3] [1977] 4 उम० नि० प० 529=ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 282.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परिसीमा अधिनियम, 1963 के खण्ड का परिवर्तन और साथ ही साथ अनुच्छेद 137 में शब्द विन्यास में की गई तब्दीली से यह दर्शित होता है कि अनुच्छेद 137 के अधीन अनुध्यात आवेदन ऐसे आवेदन नहीं हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता तक ही सीमित हों। लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 में निर्दिष्ट मामलों में आवेदनों के और अन्य आवेदनों के बीच कोई विभाजन जैसा कि परिसीमा अधिनियम, 1963 में है, नहीं था। अनुच्छेद 137 के अधीन 'कोई अन्य आवेदन' शब्दों के बारे में सजातीयता के सिद्धान्त के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे तृतीय खण्ड के भाग 1 में उल्लिखित से भिन्न सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आवेदन है। अनुच्छेद 137 के अधीन कोई अन्य आवेदन किसी अधिनियम के अधीन पिटीशन अथवा आवेदन होगा। किन्तु इसे किसी अधिनियम के अधीन आवेदन होना होता है। किन्तु इसे न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन इस कारण होना होता है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 और 5 में न्यायालय के बन्द होने के कारण विहित परिसीमाकाल के अवसित होने और विहित काल के विस्तारित किए जाने की बात कही गई है।"

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 'सिविल न्यायालय को किसी भी अधिनियम के अधीन किए गए किसी पिटीशन या आवेदन को लागू होगा'। टाऊन म्युनिसिपल कौंसिल अथानी वाले उपरोक्त मामले का अनुसरण नहीं किया गया था और उससे भिन्न बताया गया था।

यहां पर यह मत अभिव्यक्त किया जा सकता है कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड वाला उपरोक्त मामला भारतीय विद्युत् अधिनियम की धारा 51 के साथ पठित भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 10 और 16(5) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष फाइल किए गए आवेदन से उद्भूत हुआ था और उस संदर्भ में यह प्रश्न उद्भूत हुआ था कि क्या न्यायिक विनिश्चय के लिए न्यायालय के रूप में जिला न्यायाधीश के समक्ष फाइल किया गया आवेदन 1963 के परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 की व्याप्ति के अन्तर्गत आता है। किन्तु यह मत व्यक्त किया जाता है कि टाऊन म्युनिसिपल कौंसिल अथानी वाले उपरोक्त मामले में इस भाव का विनिश्चय कि परिसीमा अधिनियम, 1963 अधिनियम की व्याप्ति को इतना विस्तारित नहीं करता है ताकि उसमें 'न्यायालयों से इतर निकायों को आवेदन, जैसे न्यायिककल्प अधिकरण या कोई कार्यकारी प्राधिकरण भी' या उस मामले

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लिए औद्योगिक अधिकरण या निर्देश या आवेदनों को निपटाने वाला श्रम न्यायालय सम्मिलित हो क्योंकि वे सिविल प्रक्रिया संहिता या दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित न तो न्यायालय हैं, और भिन्न नहीं हैं, और न ही उसे उलटा गया है और इसलिए वह अब भी मान्य विधि है और लागू होता है।

6. परिसीमा के प्रश्न पर विद्वान् काउन्सेल के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 को लागू करने के लिए उसमें दो महत्वपूर्ण कसौटियों को नजरअन्दाज किया गया है अर्थात् :—

(क) उक्त अनुच्छेद केवल आवेदनों के लिए ही निर्बन्धित है, और

(ख) यह सिविल प्रक्रिया संहिता या दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित किसी न्यायालय को किया गया आवेदन होना चाहिए।

उक्त आवेदन न्यायिक विनिश्चय के लिए किसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए किसी स्थानीय या विशेष अधिनियम के अधीन हो सकता है जैसा कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड वाले उपरोक्त मामले में हुआ है। या तो परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 181 या परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 को लागू करने के लिए अपने अधिकार के लिए आवेदन होना चाहिए जो कि न्यायिक राय की प्रबलता द्वारा समर्थित विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। अनुच्छेद की स्पष्ट भाषा भी उक्त निष्कर्ष को औचित्यपूर्ण ठहराती है। इसलिए मेरी राय में परीक्षण के लिए यह देखना होता है कि क्या न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए आबद्ध नहीं है और उस समय तक कोई कार्यवाही नहीं करता जब तक कि आवेदन न दिया जाए। किसी आवेदन के लिए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 को लागू करने के लिए यह पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त उक्त आवेदन ऐसे न्यायालय को किया जाना चाहिए जो कि आवेदन का न्यायिक रूप से विनिश्चय कर सके। उपर्युक्त दो परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए विद्वान् काउंसेल की दलीलें पूर्णतः अग्राह्य हैं। भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14-बी और/या धारा 7-ए के अधीन कार्यवाही के लिए किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। किसी आवेदन के बिना स्वप्रेरणा से और स्वतन्त्रता से ऐसी कार्यवाही करना कार्यपालिका का कर्तव्य है जिसे मंत्रालय सम्बन्धी कार्यवाही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भविष्य निधि अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण न तो सिविल न्यायालय हैं और न ही दण्ड न्यायालय, यद्यपि उक्त प्राधिकारियों को न्यायिक रूप से कार्यवाही करनी होती है और उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अधि[illegible]थित प्रक्रिया का भी अनुसरण करना होता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उस सम्बन्ध में इन निकायों में न्यायालयों के सभी लक्षण हैं किन्तु तकनीकी रूप से वे न्यायालय नहीं हैं। (देखिए **भारत बैंक लि० बनाम एम्पलाईज आफ भारत बैंक**)[1]

7. केरल राज्य विद्युत बोर्ड वाले उपरोक्त मामले का अवलम्ब लेने के अतिरिक्त विद्वान् काउन्सेल ने **मै० अमीचन्द एण्ड सन्स बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[2], **एस० वी० लछवानी बनाम कंचन लाल सी० पारिक और अन्य**[3], **उड़ीसा राज्य बनाम प्रजातन्त्र प्रचार समिति और एक अन्य**[4] और **बालकृष्ण सांवल राम पुजारी वाघमेर और अन्य बनाम श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान और अन्य**[5] वाले मामलों को निर्दिशित करते हुए अपने तर्क को पुष्ट किया है। विद्वान् स्थायी काउन्सेल ने **रीजनल प्रोविडेंन्ट फण्ड कमिश्नर, यू० पी० बनाम मै० इलाहाबाद कैनिंग कम्पनी**[6], **मै० हिन्दुस्तान मैलियेबल्स एण्ड फारजिन्स लि० बनाम दि रिजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर और अन्य**[7] और **डिविजनल इंजीनियर एम० आर० टी० डिवीजन, सिटी सर्किल, ए० पी० एस० ई० बोर्ड, हैदराबाद बनाम रिजनल प्रोविडेंन्ट फण्ड कमिश्नर, हैदराबाद**[8] वाले मामलों का अवलम्ब लेते हुए उक्त दलील का विरोध किया है।

8. मैं तुरन्त यह कहना चाहूंगा कि पिटीशनर के काउन्सेल द्वारा **एस० वी० लछवानी बनाम कंचन लाल** और **स्टेट बनाम प्रजातन्त्र प्रचार समिति** वाले उपरोक्त मामलों का अवलम्ब लेना पूर्णतः अनुचित है क्योंकि वे मामले जमा करने में व्यतिक्रम और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 472 के प्रयोजन के लिए 'चालू रहने वाले अपराध' पद के निर्वचन से उद्भूत होने वाले अभिकथनों से सम्बद्ध थे। इसी प्रकार **बालकृष्ण** वाला उपरोक्त मामला परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 23 से सम्बद्ध है जो कि 'चालू रहने वाले दोष' से सम्बद्ध है। इसलिए ये मामले हमारे प्रयोजन के लिए पूर्णतः असंगत हैं। जहां तक **अमीचन्द** वाले उपरोक्त मामले का सम्बन्ध है यह अधित्यजन के सिद्धान्त पर विनिश्चय

---

[1] 1950 (1) एल० एल० जे० 921 (922, 923).
[2] ए० आई० आर० 1965 पंजाब 441.
[3] 1978 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 868.
[4] 1981 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 1367.
[5] ए० आई० आर० 1959 एस० सी० 798.
[6] 1978 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 998.
[7] 1978 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 930.
[8] 1979 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 187.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है क्योंकि नुकसानी से सम्बन्धित कार्यवाही अनेक वर्षों के बीत जाने के पश्चात् प्रारम्भ की गई थी। इस मामले का रिजनल प्रोविडेंन्ट फण्ड कमिश्नर यू० पी० बनाम इलाहाबाद केनिंग वाले उपरोक्त मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया था। अधित्यजन का सिद्धान्त और अधिनियम के अधीन नुकसानी से सम्बन्धित कार्यवाही के सम्बन्ध में परिसीमा मै० हिन्दुस्तान मैलियेबल्स बनाम रिजनल प्रोविडेंन्ट फण्ड कमिश्नर वाले उपरोक्त मामले में हमारे अपने उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने भी इसके पक्ष में विनिश्चय नहीं किया था। इसी प्रकार डिवीजनल इंजीनियर एम० आर० टी० वाले उपरोक्त मामले में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमीचन्द वाले उपरोक्त मामले में अभिव्यक्त किए गए मत का अनुमोदन नहीं किया था। अमीचन्द वाला उपरोक्त मामला **पंजाब राज्य** बनाम **अमीचन्द**[1] के द्वारा लेटर्स पेटेन्ट अपील में स्वयं उलट दिया गया था। **मै० जे० सी० एम०वूलन मिल्स लि०** बनाम **रिजनल प्रोविडेंन्ट फण्ड कमिश्नर**[2] वाले मामले में उसी उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने अमीचन्द वाले मामले का अनुसरण करने से इनकार कर दिया था। मैं यह बात समझने में असमर्थ हूं कि कानूनी अधिकार का अभित्यजन कैसे हो सकता है। चूंकि विधि किसी लिखत से उद्भूत होने वाले कार्यवाही के अधिकार या अन्यथा उद्भूत अधिकार सील के अधीन या सिद्धान्त या तुष्टी के कारण उन्मुचित किया जा सकता है···। अधित्यजन-अधिकार का परित्याग इस प्रकार से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की संस्वीकृति और साक्ष्य द्वारा परित्याग का अभिवाक् करने का हकदार है यदि अधिकार का उसके पश्चात् प्राख्यान किया गया है (देखिए हेल्सबरी का चौथा संस्करण जिल्द 16 पृ० 1470 और 1471)। स्थायी काउंसेल ने उपाबंध 4, 5, 7 और 8 का अवलम्ब लेते हुए यह तर्क दिया है कि पिटीशनर के विरुद्ध समय-समय पर विभाग द्वारा मामले का परिशीलन किया गया था जिससे पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल की दलील के प्रतिकूल आचरण प्रकट होता है।

9. अतः मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि अधिनियम की धारा 7-ए या 14-बी के अधीन कार्यवाही को प्रारम्भ करने के लिए कोई परिसीमा नहीं है और न ही कार्यवाहियों को प्रारम्भ करने में मात्र विलम्ब अधित्यजन और/या माफ करने की कोटि में आता है।

10. **मुद्दा सं० 2**: इस मुद्दे के समर्थन में कि आक्षेपित आदेश अवैध

---

[1] (1964) 37 एफ० जे० आर० 92.

[2] 1981 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 267.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और अधिकारितारहित है, विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी कि उपाबंध 4 के द्वारा प्राधिकारियों ने पिटीशनर से 33,000 रुपए की नुकसानी को अधिरोपित करने का प्रस्ताव करते हुए कारण बताने और उपाबंध 5 द्वारा उक्त प्रस्ताव को 52,000 रुपए बढ़ाने के लिए कहा था और फिर से उपाबंध 7 द्वारा उक्त प्रस्तावित रकम में फेर-फार कर दिया था और अन्ततः प्राधिकारियों ने उपाबंध 8 द्वारा कारण बताने के लिए सूचना जारी की थी जिसमें नए आंकड़े प्रस्तावित किए गए थे। उक्त कारण बताने वाली सूचना में प्राधिकारियों ने अभिव्यक्त रूप से यह उल्लेख किया था कि उपाबंध 7 वाली संसूचना वापस ली जाती है और रद्द की जाती है। विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि उपाबंध 8 कारण बताओ, जो कि तारीख 23 अप्रैल, 1981 का है, व्यतिक्रम की अन्तिम तारीख से 3 वर्ष से अधिक है जो कि फरवरी, 1976 है, शास्तिक नुकसानी अधिरोपित करने वाला आदेश उक्त कारण बताओ सूचना के अनुसरण में 22 मार्च, 1982 (उपाबंध '3') को जारी किया गया था जो कि शून्य है। मेरी राय यह है कि धारा 14-बी के अधीन कार्यवाहियों को परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता है, इस मुद्दे में कोई सार नहीं है।

11. विद्वान् काउन्सेल की दूसरी दलील यह है कि प्राधिकारियों ने उपाबंध 7, कारण बताओ सूचना को वापस ले लिया था और रद्द कर दिया था इसलिए वे शास्तिक नुकसानी के मामले में आगे कार्यवाही नहीं कर सकते थे। यह तर्क भी सारहीन है क्योंकि सभी सूचनाओं में प्रकट की गई राशि अनन्तिम और अन्तःकालीन थी और वह अन्तिम नहीं थी और पिटीशनर से यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि क्यों न उक्त रकम की शास्तिक नुकसानी अधिरोपित की जाए। सूचना में उल्लिखित राशि प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलित की गई है। प्रत्येक सूचना में पिछली सूचना को निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि प्राधिकारियों ने नुकसानी की प्रस्तावित राशि में गलती पाई थी और इसलिए एक स्थान पर दूसरी राशि प्रस्थापित की गई थी। उपाबंध 8 में नुकसानी के रूप में कतिपय धन राशि का प्रस्ताव करते हुए पिटीशनर को इस बारे में संसूचित किया गया था कि उपाबंध 7 में प्रस्तावित धनराशि को वापस लिया जाता है और रद्द किया जाता है। कार्यवाही कभी भी वापस नहीं ली गई थी और रद्द नहीं की गई थी। विद्वान् काउन्सेल ने अपनी इस दलील के समर्थन में **श्री काली प्रसाद स्याल बनाम बिहार राज्य**[1] वाले मामले का अवलम्ब लिया है और उसे

---

[1] 1969 बी० एल० जे० आर० 254.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निर्दिष्ट किया है कि जब एक बार भूमि के अधिक्रमण के लिए कार्यवाही अन्तिम रूप से समाप्त कर दी जाती है तो उसे बाद में नहीं चलाया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है प्रस्तुत मामले में कार्यवाही कभी भी समाप्त नहीं की गई थी और मामला अन्तिम रूप से केवल उस समय विनिश्चित किया गया था जब उपाबंध 3 वाला आदेश पारित किया गया था। इसलिए इस मुद्दे में कोई सार नहीं है।

12. **मुद्दा सं० 3** : पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल ने यह निवेदन किया है कि धारा 7-ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत है क्योंकि अधिनियम के अधीन अधिनियम और स्कीम के अधीन मात्रा (राशि) के अवधारण के विरुद्ध कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उपबंध नहीं किया गया है। आयुक्त द्वारा पारित आदेश अन्तिम है और सिविल न्यायालय में न्यायालय के विचार योग्य नहीं है। अधिनियम की धारा 19-ए के अधीन उपबंधित उपचार साधिकार सुलभ नहीं है। सांविधानिक उपचार की सुलभता महत्वहीन है। इसके अतिरिक्त धारा 7 में प्रभावी सुनवाई के लिए उपबंध नहीं किया गया है। निरीक्षक की प्रतिकूल रिपोर्ट सुलभ नहीं कराई गई है। सम्बद्ध पक्षकार को आयुक्त या आयुक्त के कार्यालय से किसी बात को प्रकट करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। संक्षेप में कोई प्रभावी सुनवाई नहीं है और न्यायिक या न्यायिककल्प अवधारण और/या न्यायिककल्प पुनर्विलोकन के लिए उपबंध नहीं है इसलिए यह अयुक्तियुक्त है और अभिखण्डित किए जाने योग्य है। इस दलील के समर्थन में विद्वान् काउन्सेल ने **मै० वायर नीटिंग स्टोर्स दिल्ली** बनाम **दि रिजनल प्रोविडेंण्ट फण्ड कमिश्नर**[1] वाले मामले का जोरदार अवलम्ब लिया है।

13. इस सम्बन्ध में विद्वान् काउन्सेल के तर्क के दो भाग हैं अर्थात् :—

(क) चूंकि भविष्य निधि आयुक्त के विनिश्चय से किसी न्यायिक निकाय को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए उपबन्ध त्रुटिपूर्ण है।

(ख) धारा 7-ए के अधीन कोई उचित और प्रभावी सुनवाई का उपबंध नहीं किया गया है जैसा कि किसी न्यायिककल्प या न्यायिक प्राधिकारी से अपेक्षित है, इसलिए उपबंध अयुक्तियुक्त और त्रुटिपूर्ण है।

---

[1] 1981 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 1015=1982 (2) एल० एल० जी० 7.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

14. राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अधीन राज्य का यह कर्तव्य है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। इसके अतिरिक्त यह उपबंध किया गया है कि समुदाय की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। राज्य, अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर काम पाने के और अन्य बातों के साथ-साथ बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी आदि की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अधिनियम सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय है और विधान का विषय अंशदायी निधि का सृजन करना है जिसमें अनिवार्य कटौती और जमा की अपेक्षा की गई है। जब अधिनियम को लागू करने की शर्तों को उद्योग और स्थापना एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे समुत्थानों के नियोजकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निधि में अंशदान करें जो कि कर्मचारी के अंश में अभिदायी हो और जो कि उनके वेतन से कतिपय दर पर कटौती की जाए और इतना ही अंशदान नियोजक द्वारा किया जाए। कानून का प्रवर्तन कानून के अधीन प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय पर आधारित नहीं होता है। यह अपने उपबंधों पर आधारित होता है। सामान्यतः यह एक नेमी प्रक्रिया है जिसकी नियोजक की ओर से अंकगणितीय संगणना की अपेक्षा की जाती है। इसलिए मेरी राय यह है कि यह कर लगाने वाले कानून के समान नहीं है जिसमें नियमित निर्धारण होता है। यह दलील कि अधिनियम में समय-समय पर निर्धारण अपेक्षित है और इसलिए यह कर लगाने वाले कानून की प्रकृति वाला है या उसके सदृश्य है, मुझे स्वीकार्य नहीं है। धारा 7-ए केवल तभी लागू होती है जब ऐसा व्यक्ति जो स्वयं आगे आता हो और यह कि अधिनियम के अधीन सूचना दी जाती है और धारा 7-ए के अधीन संदेय राशि अवधारित की जाती है और यदि वह अंशदान करने में व्यतिक्रम करता है तो अधिनियम की धारा 14-ए के अधीन उस पर शास्तिक नुकसानी का अधिरोपण किया जा सकता है। दोनों ही उपबंधों के अधीन जैसा कि धारा 7-ए(3) और धारा 14-बी के परन्तुक के अधीन भी 'युक्तियुक्त अवसर' का उपबंध करते हुए राशि के अवधारण हेतु जांच की जानी चाहिए। आयुक्त के रैंक वाले व्यक्ति या ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें धारा 14-बी के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सके, को न्यायनिर्णयन की शक्ति निहित की गई है। अधिनियम की धारा 5डी(6)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अधीन विरचित एम्पलाईज प्रोविडैंन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन (कमिश्नर) रिक्रूटमैंट रूल्स, 1966 में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ऐसे व्यक्ति के चयन के लिए प्रक्रिया अधिकथित की गई है। चूंकि ऐसे चुने गए व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 7ए(2) के अधीन न्यायिक कल्प शक्ति का निर्वहन करना होगा इसलिए यह धारणा की जानी चाहिए कि उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अर्हित, सक्षम, जिम्मेदार और उचित व्यक्ति चुने जाएं। वस्तुत: उक्त प्राधिकारी प्रकट करने और निरीक्षण से संबंधित आदेश XI, साक्षियों को बुलाने और उनकी हाजिरी से सम्बन्धित आदेश XVI, शपथपत्र द्वारा साबित किए जाने वाले किसी मुद्दे के सम्बन्ध में आदेश XIX, आदेश XVIII, शपथ पर साक्षियों की परीक्षा और साक्षियों आदि की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करने के सम्बन्ध में आदेश XXVI में शक्ति निहित है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन और विशेषत: उन्हें उचित और युक्तियुक्त रीति में कार्यवाही को चलाना होता है। अधिनियम की धारा 7-ए में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन देय किसी राशि के अवधारण के लिए जांच करने का उपबंध किया गया है जिसके बारे में विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी है कि उसमें अधिनियम की धारा 14बी के अधीन देय सम्मिलित होंगे और ऐसी धारणा करते हुए मैं समझता हूं कि उक्त उपबंध नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार है। व्यापकतः नैसर्गिक न्याय के नियमों में यह अपेक्षा की गई है कि पक्षकार को सभी तात्विक और सुसंगत साक्ष्य को पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए और विरोधी पक्षकार का साक्ष्य उसकी उपस्थिति में अभिलिखित किया जाना चाहिए और दूसरे पक्ष के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और उस समय तक किसी पक्षकार के विरुद्ध लगाए गए किसी तत्व का अवलम्ब नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि उस पक्षकार को उसके बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान न किया जाए। (देखिए **भारत संघ बनाम टी० आर० वर्मा**[1], **परतापपुर कम्पनी लि० बनाम गन्ना आयुक्त**[2]) अतः मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस दलील को किस प्रकार दिया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 7ए के अधीन कोई समुचित और प्रभावी सुनवाई का उपबंध नहीं किया गया है जैसा कि किसी मामले के अवधारण के लिए न्यायिक या न्यायिककल्प प्राधिकारी से अपेक्षित है। एक क्षण के लिए यह धारणा की जाए कि अधिकतर आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का घोर उल्लंघन करके पारित

---

[1] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 882.

[2] [1969] 2 उम० नि० प० 842=ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1896.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किए जाते हैं तो अधिनियम की धारा 7-ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत अभिनिर्धारित करने का कोई आधार नहीं है। धारा 7ए न्यायसंगत और उचित जांच सुनिश्चित करती है।

15. जैसा कि अन्य दलील यह है कि धारा 7-ए अयुक्तियुक्त है क्योंकि उसमें किसी अधिकरण, न्यायिक या न्यायिककल्प, को अपील करने का कोई उपबंध नहीं किया गया है, जो कि समान रूप से सारहीन है। पूर्वतः उल्लिखित पद्धति और रीति में चुने गए क्षेत्र के मुख्य अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उस क्षेत्र में वह अधिनियम के कार्यकरण से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध उच्चतर अधिकारी है। शक्ति के किसी दुरुपयोग और असद्भावना की कार्यवाही को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। कुछ मामलों में धारा 19-ए भी लागू की जा सकती है। मात्र इसलिए क्योंकि उसके विनिश्चय के विरुद्ध किसी अपील का उपबंध नहीं किया गया है। 'इसके बारे में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है'। (देखिए **के० एल० गुप्ता** बनाम **कार्पोरेशन ग्रेटर बाम्बे**[1], **चिन्तालिंगम** बनाम **भारत संघ**[2], **पन्ना लाल बिंजराज** बनाम **भारत संघ**[3] वाले मामले)। **आरगैनो कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज** बनाम **भारत संघ**[4] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय इस मुद्दे पर सटीक है। उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 14-बी की शक्तिमत्ता होने पर विचार करते हुए ऐसे ही समान तर्क को उलट दिया था और यह अभिनिर्धारित किया "परिस्थितियों में अपील या पुनरीक्षण के लिए उपबंधों के अभाव का कोई परिणाम नहीं हो सकता।" उच्चतम न्यायालय के इस विनिश्चय के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था। **मै० वायरनीटिंग स्टोर्स** दिल्ली वाले उपरोक्त मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का विनिश्चय इस विवाद्यक पर असावधानीपूर्वक दिया गया है।

16. इस मुद्दे को समाप्त करने से पूर्व मैं यह मत अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की ओर से यह वांछनीय है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें इन शक्तियों का प्रयोग करना होता है उनकी लोगों में विश्वास उत्पन्न करने

---

[1] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 303.
[2] ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 474.
[3] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 397.
[4] ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1803.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लिए कम से कम विधिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए और विशेषतः उस स्थिति में जबकि उनके आदेश अन्तिम होते हैं।

17. **मुद्दा 4 और 5** : क्या पिटीशनर धारा 14बी के अधीन कार्यवाही में नुकसानी अधिरोपित करने या जब पिटीशनर की ओर से व्यतिक्रम है तो नुकसानी को विभाग द्वारा तैयार किए गए विसर्पी सूत्र (स्लायडिंग फार्मूला) के आधार पर स्वतः अधिरोपित करने के तर्कसंगत आदेश का हकदार है जो कि इस मामले में लागू किया गया है, पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल की दलील सं० 3 और 4 का सार है। उन्होंने यह निवेदन किया है कि आक्षेपित उपाबंध 3 के मात्र परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि रिट आवेदन के अपने अभ्यावेदन, उपाबंध 6 को निर्दिष्ट करने से परे व्यतिक्रम का अवसर प्रदान करने वाली परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया है। किन्तु उन्होंने व्यतिक्रम की अवधि के बारे में कोई विवाद नहीं किया है जैसा कि उपाबंध 8 में दर्शाया गया है किन्तु उन्होंने यह निवेदन किया है कि व्यतिक्रम कुछ दिनों से कुछ महीनों के लिए है जो कि किसी विशेष मास के अंशदान के लिए नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बहुत सी और लघु परिस्थितियां हैं जैसा कि अभ्यावेदन (उपाबंध 6) में अधिकथित किया गया है किन्तु उन पर वस्तुनिष्ठता से विचार नहीं किया गया था जैसा कि न्यायिककल्प निकाय से अपेक्षित है। निर्धारण विसर्पी सूत्र के आधार पर किया गया था और इसलिए तथाकथित जांच केवल एक धोखा है।

18. अब यह सुस्थापित विधि है कि धारा 14-बी के अधीन नुकसानी का अधिरोपित करना एक न्यायिककल्प कृत्य है और धारा 14-बी के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्ति की दाण्डिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और उसके उन परिणामों को सुनिश्चित करते हुए जो उससे उत्पन्न होते हैं धारा 14-बी के अधीन आदेश तर्कसंगत आदेश होना चाहिए। नुकसानी के लिए उपबंध बनाने के लिए मात्र उद्देश्य उपायों के कार्यान्वयन और उनकी सफलता को सुनिश्चित करना है और इसलिए प्रश्न का वस्तुनिष्ठ अवधारण किया जाना चाहिए (देखिए **आरगेनो कैमिकल इन्डस्ट्रीज और एक अन्य** बनाम **भारत संघ**[1]) मैं समझता हूं कि अधिनियम की धारा 14-बी में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द 'ऐसी नुकसानी बकाया राशि के 100% से अनधिक जैसा कि वह अधिरोपित करना समुचित समझे।' इन शब्दों से यह प्रकट होता है कि नुकसानी का अधिरोपित

---

[1] [1980] 2 उम० नि० प० 1372=ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1803.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करना किसी दृढ़ सूत्र की विषयवस्तु नहीं हो सकता। प्राधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी विवेकबुद्धि का प्रयोग करें। कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 10 एफ के सदृश उपबंधों पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया। 'नुकसानी का अवधारण किसी दृढ़ सूत्र को अलचीले रूप से लागू करना नहीं है।' (देखिए आयुक्त, **कोयला खान भविष्य निधि, धनबाद** बनाम जे० पी० लाल एण्ड सन्स[1])।

19. विद्वान् स्थायी काउन्सेल ने यह दलील दी कि नुकसानी की सारणी तैयार करना बहुत ही अच्छा कदम है और शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकना है और 100% की सीमा तक नुकसानी का अधिरोपित किया जाना अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह कथन किया कि चूंकि नुकसानी विसर्पी सूत्र के आधार पर अधिरोपित की गई है इसलिए न्यायालय को अपनी रिट अधिकारिता के अन्तर्गत हस्तक्षेप करने से अलग रहना चाहिए। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने **मै० एटलान्टिक इंजीनियरिंग सर्विसेज** बनाम **भारत संघ**[2] वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्ड न्यायपीठ के विनिश्चय का और **मै० अरविन्द मिल्स बनाम आर० एम गांधी**[3] वाले मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के विनिश्चय को निर्दिष्ट किया है।

'मैं यह समझता हूं कि विद्वान स्थायी काउन्सेल अपनी दलील में पूर्णतः ठीक नहीं है। यह सच है कि विभाग अपने मार्गदर्शन के लिए विसर्पी सूत्र को अपना सकता है किन्तु यह नुकसानी का अवधारण नहीं कर सकता। किसी विशिष्ट मामले में नुकसानी कितनी होनी चाहिए इस बारे में वास्तविक विनिश्चय मामले की अनेक उन परिस्थितियों को कम करने पर निर्भर करेगा जिनसे सम्बद्ध पक्षकार की सुनवाई करने के पश्चात् विलम्ब के परिणाम पर पहुंचा गया था। (देखिए **एच० आर० गांधी** बनाम **हरियाणा राज्य**[4] और **कालिकट माडर्न स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०** बनाम **रिजनल प्रोविडेंट फण्ड**

---

[1] [1977] 1 उम० नि० प० 342=ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 676.

[2] 1979 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 695.

[3] 1982 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 394.

[4] 1982 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 71.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कमिश्नर[1]। मै० हिन्दुस्तान मैलियेबल्स वाले उपरोक्त मामले में हमारे उच्च न्यायालय द्वारा भी इस मत को स्वीकार किया गया है। ऐसा ही मत मोहम्मद हनीफ बनाम भारत संघ[2] वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय और श्री राजेन्द्र मिल्स लि० बनाम रिजनल प्रोविडेण्ट फण्ड तमिलनाडु[3] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है।

20. अतः मैं पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल की इस दलील को स्वीकार करता हूं कि शास्तिक नुकसानी के अधिरोपित करने के लिए कोई दृढ़ सूत्र नहीं हो सकता भले ही नुकसानी को अधिरोपित करने के लिए विभाग के पास विसर्पी सूत्र हो, जो कि मात्र उनके मार्गदर्शन के लिए है। उदाहरणार्थ इसमें एक विशिष्ट अवधि के विलम्ब के लिए संदेय अधिकतम शास्तिक नुकसानी का उपवंध किया गया है। प्राधिकारियों को प्रत्येक मामले में की परिस्थितियों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार करके इस बात का विनिश्चय करना होता है कि नियोजक के आचरण द्वारा नुकसानी को कहां तक कम किया गया है और उन्हें अनेक अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करना होता है। यह अनेक वर्षों के लिए कुल असंदाय के मामले में सच है इसलिए 100% की सीमा तक नुकसानी का अधिरोपित किया जाना अनुज्ञेय है।

21. फिर भी यह प्रश्न अभी बाकी है कि क्या उपावंध 3 एक तर्कसंगत आदेश है। मैं उदाहरण के रूप में उक्त आदेश के एक पैरा को निर्देशित करता हूं जो इस प्रकार है :—

> "मैं यह समझता हूं कि नियोजक द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयां भविष्य निधि देयों के संदाय में व्यतिक्रम करने के लिए वैध आधार नहीं हैं।"

आदेश के परिशीलन से बहुत अच्छी स्थिति प्रकट नहीं होती है। प्रत्यर्थी प्रादेशिक निधि आयुक्त ने अभ्यावेदन उपावंध 6 को निर्देशित किया है और इस बारे में बिना कोई कारण दिए ही वह अपने उन निष्कर्षों पर कैसे पहुंचा, अपने निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं। विसर्पी सूत्र, जो कि केवल उनके मार्गदर्शन के लिए है, यंत्रवत रूप से लागू किया गया था और उसकी मांग की गई थी।

---

[1] 1982 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 1422.

[2] 1979 (1) एल० एल० जे० 46.

[3] 1982 (1) एल० एल० जे० 352.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

22. अब यह सुस्थापित है कि आदेश त्रुटिपूर्ण होगा भले ही आदेश में इस बात का उल्लेख हो कि आवेदक द्वारा किए गए मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कारण नहीं है। (देखिए मैं० ट्रावनकोर रेयण्ड लि० बनाम **भारत संघ और अन्य**[1]) अब यह भी सुस्थापित है किसी आदेश के समर्थन में कारण दिया जाना दूसरे पक्ष को भी सुनो के सिद्धान्त के समान है और इस नियम का ठीक रूप से पालन किया जाना चाहिए और मात्र बहाने के रूप में नहीं होना चाहिए। आदेश में यह प्रकट होना चाहिए कि व्यथित पक्षकार के मामले पर उचित रूप से विचार किया गया है। इसमें इस बात का विशिष्ट संकेत दिया जाना चाहिए कि किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए न्यायिक और वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया गया है। (देखिए **सीमेन्स इंजीनियरिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी** बनाम **भारत संघ**[2])। मैं० सोन वैली बनाम **उपसचिव श्रम मंत्रालय**[3] वाले मामले में इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने बोनस संदाय अधिनियम की धारा 36 पर विचार करते हुए, जहां पर प्रबन्ध मण्डल ने एक विशिष्ट वर्ष के लिए बोनस के संदाय से छूट की मांग की थी जिसको प्राधिकारी द्वारा इनकार किया गया था, न्यायालय की ओर से न्यायाधीश एस० के० झा ने निम्नलिखित मत अभिव्यक्त किया था :—

> "न्यायालय अन्धकार में रहेगा और वह यह परीक्षण करने की स्थिति में नहीं होगा कि क्या उपयुक्त सरकार के साथ सुसंगत रूप से विचार किया गया है और यह कि सरकार अधिनियम की धारा 36 के अधीन शक्ति के प्रयोग करने में मात्र एक मनमाना आदेश पारित किया है। जहां तक न्यायालय की इस स्थिति का सम्बन्ध है जहां कारणों का सुसंगत विचारों के संदर्भ में परीक्षण नहीं किया जा सकता।"

23. प्राधिकारियों को यह स्मरण रखना चाहिए कि उनके विनिश्चय के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण के रूप में किसी प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उपबंध नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें और अधिक सावधानीपूर्वक उचित रीति से कार्यवाही करनी चाहिए और उनकी कार्यवाही से इनकार किया गया प्रकट होना चाहिए।

विद्वान् स्थायी काउन्सेल ने **रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर यू० पी०**

[1] ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 862.
[2] ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 1785.
[3] 1980 बिहार लॉ जजमेंट्स 41.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बनाम इलाहाबाद केनिंग कम्पनी[1] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के विनिश्चय का अवलम्ब लेते हुए यह दलील दी कि वह न्यायिककल्प प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए तर्कसंगत आदेश की विषयवस्तु से सम्बद्ध सिद्धान्त के बारे में सहमत है किन्तु तर्कसंगत आदेश में कारणों का अभिलिखित किया जाना अनिवार्यतः कारण बताओ सूचना के उत्तर में दी गई दलीलों की प्रकृति पर निर्भर होना चाहिए। जहां पर उठाए गए आक्षेप स्वयं संदिग्ध हों और आवश्यक ब्यौरा दिए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि अभिवाक विश्वसनीय नहीं है, तर्कसंगत आदेश का पर्याप्त अनुपालन है। विद्वान् स्थायी काउन्सेल सिद्धान्ततः ठीक हो सकता है किन्तु अभ्यावेदन (उपाबंध 6) न तो संदिग्ध है और न ही अनिश्चित है और न ही उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया है, पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल ने यह निवेदन किया है कि पिटीशनर अन्य सामग्री और साक्ष्य द्वारा इसको सिद्ध कर सकता है।

24. विरोधी दलीलों पर विचार करने के पश्चात् मेरी यह राय है कि उपाबंध 3 और उपाबंध 9 त्रुटिपूर्ण होने के कारण विधितः दोषपूर्ण है और उसे मात्र इस आधार पर ही अभिखण्डित किया जाना चाहिए। मैं प्राधिकारियों को यह निदेश देता हूं कि वे पिटीशनर के अभ्यावेदन पर यथासम्भव रूप से उपर्युक्त मताभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए तत्काल विचार करें। चूंकि अंशदान को समय पर देने में असफल रहने की बात पहले स्वीकार की जा चुकी है इसलिए यह आदेश पिटीशनर द्वारा 10,000 रु० के जमा करने के अध्यधीन है। यह राशि या तो भविष्य निधि लेखा या नुकसानी के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, समायोजित की जाएगी। उक्त राशि आज से तीन महीने के भीतर जमा की जाएगी।

25. परिणामतः रिट पिटीशन मंजूर किया जाता है और उपाबंध 3 और 9 अभिखण्डित किए जाते हैं। प्रत्यर्थी प्राधिकारी पिटीशनर को नए रूप से अवसर प्रदान करते हुए मामले को फिर से सुनेंगे और अपने मामले के समर्थन में इस सम्बन्ध में सभी सुसंगत मामलों और सामग्री को अभिलिखित करेंगे। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

न्या० पी० एस० सहाय :

मैं सहमत हूं।

रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

चन्द/श०

[1] 1978 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 998.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नि० प० 1983 : पटना—267

धनकर आयुक्त, बिहार बनाम शिवराम सिंह
(Commissioner of Wealth Tax, Bihar *Vs.* Shivram Singh)

तारीख 4 मार्च, 1983

[न्या० एस० के० झा और अश्विनी कुमार सिन्हा]

वित्त अधिनियम, 1965—धारा 68 सपठित आय-कर अधिनियम 1961—धारा 80(क)—छिपाई गई आय के धारा 68 के अधीन प्रकटीकरण के पश्चात् वह आय आय-कर के दायित्वाधीन आ जाती है और ऐसी आय पर आय-कर संदत्त करना ही होता है किन्तु ऐसे दायित्व के अभिनिश्चय को किसी आने वाली तारीख तक स्थगित किया जा सकता है।

इस निर्देश में एकमात्र विचारार्थ प्रश्न यह है कि वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अधीन यदि किसी छुपाई गई राशि को बाद में प्रकट किया जाता है तो ऐसी राशि/आय पर आय-कर संदत्त करने का दायित्व उत्पन्न होगा या नहीं।

अभिनिर्धारित—निर्दिष्ट प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया गया।

धारा 68(1) अपनी प्रकृति के हिसाब से सर्वसमावेशी है किन्तु उससे वास्तविक रूप से परिणाम यह निकलता है कि घोषणाकर्त्ता के बारे में यह समझा जाता है कि उसने आय-कर विधि के अधीन अपनी उक्त आय के संबंध में अपने समस्त दायित्व का निर्वहन कर दिया है। अतः वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अधीन घोषित रकम मूल्यांकन तारीख पर आय-कर संदत्त करने के दायित्वाधीन होती है किन्तु उस दायित्व के अभिनिश्चय को एक आगामी तारीख तक स्थगित कर दिया जाता है। धारा 68 के अधीन प्रकट की गई छिपी हुई आय के मामले में उसका अवधारण धारा 68 के उपबंधों के अनुसार करने की इजाजत दी जाती है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वयं एक सम्पूर्ण सहिता है किन्तु यह तो केवल एक ऐसी स्कीम है जिसमें उस पूर्वतः विद्यमान आय-कर दायित्व को समाप्त करने का ढंग उपबंधित किया गया है, जो सुसंगत मूल्यांकन तारीख को मौजूद था। (पैरा 6)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पैरा

[1981] (1981) 129 आई० टी० आर० 314 : अहमद इब्राहिम साहिगड़ा धोरजी बनाम धन-कर आयुक्त, गुजरात (Ahmed Ibrahim Sahigra Dhoraji *Vs.* Commissioner of Wealth Tax, Gujarat); 6, 7

[1979] (1979) 8 सी० टी० आर० (पटना) 345 : धन-कर आयुक्त बनाम शिव राम सिंह (Commissioner of Wealth Tax *Vs.* Shiv Ram Singh) 5

का अवलम्ब लिया गया।

[1974] (1974) 93 आई० टी० आर० 288 : धन-कर आयुक्त बनाम अहमद इब्राहिम साहिगड़ा (Commissioner of Wealth Tax *Vs.* Ahmed Ibrahim Sahigara); 7

[1971] (1971) 81 आई० टी० आर० 202 : आय-कर आयुक्त, दिल्ली (सैण्ट्रल) बनाम विजय कुमार बहल [Commissioner of Income-Tax, Delhi (Central) *Vs.* Vijay Kumar Behal]; 3, 4

[1971] (1971) 82 आई० टी० आर० 410 : सी० के० बाबू नायडू बनाम धन-कर अधिकारी और एक अन्य (C. K. Babu Naidu *Vs.* Wealth Tax Officer and another); 3, 4

[1966] (1966) 59 आई० टी० आर० 767 : केशव राम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लि० बनाम धन-कर आयुक्त (सैण्ट्रल) कलकत्ता [Kesho Ram Industries and Cotton Mills Ltd. *Vs.* Commissioner of Wealth Tax (Central) Calcutta] 5

निर्दिष्ट किए गए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निर्देश अधिकारिता : 1974 का कर सम्बन्धी मामला सं० 48.

धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 27(3) के अधीन निर्देश।

पिटीशनर की ओर से ... सर्वश्री बी० पी० राजगढ़िया और एस० के० शरण

विरोधी पक्षकार की ओर से ... श्री के० एन० जैन

न्या० झा और सिन्हा :

पटना के आय-कर अपील अधिकरण, न्यायपीठ 'बी', ने धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 27(3) के अधीन इस न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित मामले का कथन प्रस्तुत किया है और विधि का निम्नलिखित प्रश्न इस न्यायालय की राय हेतु निर्दिष्ट किया गया है :—

"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा तारीख 14 फरवरी, 1974 को जारी किए गए अभिकथित उस परिपत्र की दृष्टि से, जिसे अधिकरण के आदेश में निर्दिष्ट किया गया है, अधिकरण विधि की दृष्टि से यह अभिनिर्धारित करने में कि वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अधीन 5,88,000 रुपए की राशि का आय-कर दायित्व सुसंगत मूल्यांकन तारीख पर अर्थात् 15 नवम्बर, 1964 को देय ऋण था और उस आधार पर निर्धारिती के शुद्ध धन की संगणना में उसकी कटौती की मंजूरी देने में न्यायोचित था।"

2. निर्धारिती एक व्यष्टि है। यह मामला निर्धारण वर्ष 1964-65 से सम्बन्धित है। धन-कर अधिकारी ने धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 17 के अधीन 31 अगस्त, 1970 को प्रीमियम प्राइज बन्धपत्रों के मूल्य पर, जो 9,80,000 रुपए था, कर लगाते हुए आदेश पारित किया। निर्धारिती ने धन-कर अधिकारी के समक्ष यह दावा किया कि उसे उसके शुद्ध धन की पुनर्संगणना पर 5,88,000 रुपए की राशि की, जो 9,80,000 रुपए की उस अतिरिक्त राशि के सम्बन्ध में आय-कर दायित्व है, जो धारा 17 के अधीन कराधीन लाई गई है, सुसंगत मूल्यांकन तारीख पर, जो 15 नवम्बर, 1963 थी, ऋण के रूप में कटौती देनी चाहिए थी। निर्धारिती ने 31 मई, 1965 को यह प्रकट किया कि वह 9,80,000 रुपए प्रीमियम प्राइज बन्धपत्र की कीमत का अर्थात्

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

9,80,000 रुपए का देनदार था। धन-कर अधिकारी ने इस दावे को मंजूर नहीं किया क्योंकि उनके कथनानुसार यह अनुज्ञेय कटौती नहीं थी। आगे अपील किए जाने पर सहायक अपील आयुक्त ने अपने तारीख 16 नवम्बर, 1971 वाले आदेश में यह अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती ने जिस आय-कर दायित्व का दावा किया था वह अनुज्ञेय कटौती थी और इसलिए उन्होंने 1970-71 की अपील सं० 88 और 87 सी० सी० डी० में अपने आदेश द्वारा उक्त दावा मंजूर कर लिया।

3. विभाग ने सहायक अपील आयुक्त के उपर्युक्त निष्कर्षों के विरुद्ध अधिकरण के समक्ष अपील की। अधिकरण ने विभाग की ओर से दी गई दलीलों पर विचार किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि **आय-कर आयुक्त,** दिल्ली बनाम **विजय कुमार बहल**[1] वाले मामले में किया गया विनिश्चय **केशव राम इण्डस्ट्रीज** बनाम **धन-कर आयुक्त, कलकत्ता**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धान्त पर आधारित था, जिसकी ओर **सी० के० बाबू नायडू** बनाम **धन-कर अधिकारी और एक अन्य**[3] वाले मामले में ध्यान नहीं दिया गया था। तद्नुसार अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि सहायक अपील आयुक्त ने निर्धारिती के शुद्ध धन की संगणना में प्रकट किए गए धन पर संदेय आय-कर के सम्बन्ध में कटौती की ठीक ही इजाजत दी। तदनुसार विभाग द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई।

4. अपीलीय आदेश में अधिकरण ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

"इस मामले में मूल्यांकन तारीख 15 नवम्बर, 1963 है। निर्धारिती ने 31 मई, 1965 को यह प्रकट किया कि उसे प्रीमियम प्राइज बंधपत्र की कीमत अर्थात् 9,80,000 रुपए देने थे। धन-कर अधिकारी ने वर्ष 1964-65 के सम्बन्ध में फिर से निर्धारण किया और उसने शुद्ध धन का 31 अगस्त, 1970 को पुनः निर्धारण किया, जिसमें 9,80,000 रुपए की राशि सम्मिलित थी। निर्धारिती ने शुद्ध धन की संगणना पर कटौती के रूप में उक्त 9,80,000 रुपए पर संदेय 5,88,000 रुपए के कर की कटौती का दावा किया। हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि क्या सहायक अपील आयुक्त ने इस दावे को

---

[1] [1971] 81 आई० टी० आर० 202.
[2] [1966] 59 आई० टी० आर० 767.
[3] [1971] 82 आई० टी० आर० 410.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

> ठीक मंजूर किया था। हमने देखा कि इस प्रश्न पर उच्च न्यायालयों के मत परस्पर विरोधी हैं।"

उसके पश्चात् **सी० के० बी० नायडू**[1], **विजय कुमार बहल**[2] और अनेक अन्य विनिश्चयों के प्रति निर्देश किया गया। अधिकरण ने अन्तर्वलित मुद्दे पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् विजय कुमार बहल वाले मामले में किए गए विनिश्चय का अनुसरण किया। तदनुसार अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि सहायक अपील आयुक्त ने निर्धारिती के शुद्ध धन की संगणना में प्रकट किए गए धन पर संदेय आय-कर के सम्बन्ध में कटौती की इजाजत ठीक ही दी थी।

5. यहां इस बात का उल्लेख करना उपयोगी होगा कि निर्धारण वर्ष 1965-66 में भी उसी निर्धारण के सम्बन्ध में एक ऐसा ही प्रश्न इस न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया था और इस न्यायालय ने **धन-कर आयुक्त बनाम शिवराम सिंह**[3] वाले मामले में अधिकरण के मत को कायम रखा था और यह अभिनिर्धारित किया था :—

> "यदि निर्धारिती ने किसी ऐसी आस्ति पर आय-कर के रूप में देय ऋण के लिए दावा किया था, जिसे अभी प्रकट किया जाना था और उसने कराधेय हेतु प्रस्थापना की थी तो ऐसा दायित्व समाश्रित दायित्व होगा। किन्तु प्रस्तुत मामले में आस्तियां सामने लाई गई हैं और उन पर कर भी लगाया गया है। यद्यपि प्रकटीकरण 31 मई, 1965 को किया गया था अर्थात् सुसंगत मूल्यांकन तारीख के पश्चात्, फिर भी विभाग ने यह सोचा और ठीक ही सोचा कि आस्तियां सुसंगत मूल्यांकन तारीख पर भी निर्धारिती के पास ही थीं। अतः इससे यह परिणाम निकलता है कि उक्त मूल्यांकन तारीख पर आस्तियां उन पर आय-कर संदत्त करने के दायित्वाधीन रखी गई थीं। इसके अतिरिक्त इससे स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि मूल्यांकन तारीख पर ऋण मौजूद है जो निर्धारिती से उक्त आस्तियों पर आय-कर के रूप में संदेय है। चूंकि विभाग ने उक्त आस्तियों के मूल्य को सुसंगत मूल्यांकन तारीख पर निर्धारिती के कुल धन में सम्मिलित कर लिया था, अतः वह अब अपनी इस बात से फिर नहीं सकता और यह नहीं कह

---

[1] [1971] 82 आई० टी० आर० 410.
[2] [1971] 81 आई० टी० आर० 202.
[3] [1979] 8 सी० टी० आर० (पटना) 345.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सकता कि वह देय ऋण की कटौती इसलिए नहीं करेगा कि उसके अर्जन की वास्तविक तारीख अभिनिश्चित नहीं की जा सकती थी।"

तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती उन आस्तियों पर संदेय आय-कर की कटौती का हकदार था जिन्हें उसने अपनी स्वेच्छा से वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अधीन प्रकट किया था।

6. इस मत को **अहमद इब्राहिम सहिगढ़ा घोरा जी बनाम धन-कर आयुक्त, गुजरात वाले मामले में**[1] उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए उस विनिश्चय से समर्थन मिलता है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अधीन की गई घोषणा घोषणाकर्त्ता की स्वेच्छा पर निर्भर होती है और इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उसमें उल्लिखित रकम पर कर का दायित्व रकम प्रकट करने हेतु घोषणा करने वाले की रजामन्दी पर निर्भर करता है। निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी भी स्वैच्छिक प्रकटीकरण से, यहां तक कि धारा 68 के अभाव में भी, उसका, यथास्थिति निर्धारण या पुनर्निर्धारण हो सकता था, जो सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय के भाग के रूप में प्रकट की गई राशि के सम्बन्ध में होता और इसके साथ-साथ ब्याज के संदाय करने और शास्ति उद्गृहीत करने का अतिरिक्त दायित्व होता और सम्भवतः मामले की परिस्थितियों में अनुज्ञेय कटौतियां, यदि कोई हों, का दावा करने का और अन्य प्रक्रियात्मक अधिकारों के फायदे प्राप्त करने का अधिकार होता। इस प्रकार घोषणा की प्रकृति कर की प्रकृति को नहीं बदल सकती। इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अन्य आय होने के बावजूद, जिसका आय-कर की सुसंगत विधि के अधीन किसी सामान्य कार्यवाही में अवधारण हुआ हो, कर धारा 68(3) के अधीन नियत दर पर संदेय होता है और इसलिए प्रकट की गई रकम से, जिसे किसी विशिष्ट वर्ष की आय समझा गया है, कर की मात्रा में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा और न ही ऐसे आबंटन से कोई उद्देश्य पूरा होगा। धारा 68(1) अपनी प्रकृति के हिसाब से सर्वसमावेशी (उपबंध) है किन्तु उससे वास्तविक रूप से परिणाम यह निकलता है कि घोषणाकर्त्ता के बारे में यह समझा जाता है कि उसने आय-कर विधि के अधीन अपनी उक्त आय के संबंध में अपने समस्त दायित्व का निर्वहन कर दिया है। अतः वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अधीन घोषित रकम मूल्यांकन तारीख पर आय-कर संदत्त करने के दायित्वाधीन होती है किन्तु उस दायित्व के अभिनिश्चय को आगामी तारीख तक स्थगित कर दिया जाता है।

---

[1] [1981] 129 आई० टी० आर० 314.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धारा 68 के अधीन प्रकट की गई छिपी हुई आय के मामले में उसका अवधारण धारा 68 के उपबंधों के अनुसार करने की इजाजत दी जाती है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वयं एक सम्पूर्ण संहिता है किन्तु यह तो केवल एक ऐसी स्कीम है जिसमें उस पूर्वतः विद्यमान आय-कर दायित्व को समाप्त करने का ढंग उपबंधित किया गया है, जो सुसंगत मूल्यांकन तारीख को मौजूद था।

7. विभाग ने **धन-कर आयुक्त** बनाम **अहमद इब्राहिम साहिगड़ा घोरजी**[1] वाले मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय का अवलम्ब लिया था। गुजरात उच्च न्यायालय के उस विनिश्चय को उच्चतम न्यायालय ने **अहमद इब्राहिम साहिगड़ा घोरजी** बनाम **धन-कर आयुक्त गुजरात**[2] वाले उपर्युक्त मामले में उलट दिया था।

8. तदनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिकरण विधि की दृष्टि से यह अभिनिर्धारित करने में पूर्ण रूप से न्यायोचित था कि वित्त अधिनियम की धारा 68 के अधीन 5,88,000 रुपये का आय-कर दायित्व सुसंगत तारीख पर अर्थात् 15 नवम्बर, 1963 को देय ऋण था और उस आधार पर निर्धारिती के शुद्ध धन की संगणना में उसकी कटौती की इजाजत पूर्ण रूप से न्यायोचित थी। तदनुसार हम निर्दिष्ट प्रश्न का निर्धारिती के पक्ष में और विभाग के विरुद्ध सकारात्मक उत्तर देते हैं। निर्धारिती अपने खर्चों का हकदार होगा। सुनवाई की फीस केवल 250 रुपये निर्धारित की जाती है।

निर्दिष्ट प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया गया।

ख्वाजा/चन्द

नि० प० 1983 : पटना—273

रामनन्दन प्रसाद और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य

Ramnandan Prasad and others *Vs.* The State of Bihar and others

तारीख 7 मार्च, 1983

[न्या० एस० के० झा, बी० एस० सिन्हा और ए० के० सिन्हा]

नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त 'दूसरे पक्ष को भी सुनो'—यदि सम्बद्ध

[1] (1974) 93 आई० टी० आर० 288.
[2] (1981) 129 आई० टी० आर० 314.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सक्षम प्राधिकारी देशी स्प्रिट की दुकान के सम्बन्ध में जारी की गई अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्दकर देता है तो यह कहा जाएगा कि उसके ऐसा करने से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अतिक्रमण हुआ है—जब किसी आरम्भिक आदेश के बारे में यह अभिनिर्धारित कर दिया जाए कि कलक्टर द्वारा पारित आदेश आरम्भ से ही अविधिमान्य है तो बाद में इस कमी को यह बात कहकर दूर नहीं किया जा सकता कि सम्बद्ध पक्षकार को अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष वह सब कुछ कहने का अवसर मिला था जो वह कहना चाहता था ।

इस रिट पिटीशन में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर विचार किया जाना है। पहला मुद्दा यह है कि यदि उत्पाद-शुल्क विभाग का कोई सक्षम अधिकारी देशी स्प्रिट के सम्बन्ध में जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द कर देता है तो क्या ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि उसके ऐसा करने से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त 'दूसरे पक्ष को भी सुनो' का अतिक्रमण हुआ है । इसके साथ-साथ इस मुद्दे पर भी विचार किया जाना है कि यदि कलक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश आरम्भ से ही अविधिमान्य हो और बाद में सम्बद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दे दिया गया हो तो क्या उसे ऐसा अवसर देने से ऐसा आदेश विधिमान्य हो जाएगा ?

अभिनिर्धारित—रिट पिटीशन मंजूर किया गया ।

प्रस्तुत मामले में कलक्टर को, चूंकि वह सक्षम प्राधिकारी था और उसे अनुज्ञप्ति रद्द करने की शक्ति प्राप्त थी, आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व पिटीशनरों के विरुद्ध बनाए जाने वाले मामले के बारे में उन्हें (पिटीशनरों को) जानकारी देनी चाहिए थी और उन्हें इस मामले में जो कुछ भी वे कहना चाहते थे, कहने का अवसर देना चाहिए था । प्रस्तुत मामले में जबकि उत्पाद-शुल्क अधीक्षक ने पिटीशनरों को यह कारण बताने के लिए सूचना दी थी कि क्यों न उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की जाए, कलक्टर ने पिटीशनरों को ऐसा अवसर नहीं दिया । 5 अप्रैल, 1982 को पिटीशनरों द्वारा दूसरा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधीक्षक ने उसी दिन अपने एक विस्तृत आदेश में यह सिफारिश की थी कि पिटीशनरों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाए और कलक्टर ने भी उसी दिन अर्थात् स्वयं 5 अप्रैल, 1982 को पिटीशनरों को कोई अवसर दिए बिना आक्षेपित आदेश (उपाबंध 1) द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी । पिटीशनरों को न केवल कलक्टर के समक्ष अर्थात् सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया गया वरन् अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के संबंध

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में उत्पाद-शुल्क अधीक्षक द्वारा दिए गए तर्कों का उत्तर देने से भी वंचित किया गया। कलक्टर ने अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का आदेश करने से पूर्व पिटीशनरों को उत्पाद-शुल्क अधीक्षक की सिफारिश की प्रति भी नहीं दी। अतः न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उपाबंध 1 द्वारा पिटीशनरों की अनुज्ञप्ति का रद्दकरण विधि की दृष्टि से कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि उससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अतिक्रमण होता है। यदि आदेश आरम्भ से ही अविधिमान्य हो तो वरिष्ठ या अपील प्राधिकारी के अनुमोदन से उसकी आरम्भ में उद्भूत होने वाली अविधिमान्यता को दूर नहीं किया जा सकता। अतः न्यायालय का यह मत है कि जब उस आरम्भिक आदेश के बारे में यह अभिनिर्धारित कर दिया जाए, जिसके द्वारा कलक्टर ने अनुज्ञप्ति रद्द की थी, कि वह अविधिमान्य है तो ऐसी अविधिमान्यता को इस बात से दूर नहीं किया जा सकता कि पिटीशनरों को अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष वह सब कुछ कहने का अवसर मिला जो वे कहना चाहते थे। (पैरा 9, 10 और 11)

प्रत्यर्थी सं० 7 की ओर से हाजिर होने वाले अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि कलक्टर और उत्पाद-शुल्क अधीक्षक दोनों को ही उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन देशी स्प्रिट के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने की शक्ति प्राप्त है और इसलिए उत्पाद-शुल्क अधीक्षक अनुज्ञप्ति रद्द भी कर सकता था और इसलिए चूंकि प्रस्तुत मामले में उत्पाद-शुल्क अधीक्षक ने पिटीशनरों को सुनवाई का अवसर दिया था, अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। इस तर्क को इसलिए नहीं माना जा सकता कि यदि यह धारणा भी कर ली जाए कि उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की शक्ति प्राप्त है तो भी प्रस्तुत मामले में उत्पाद-शुल्क अधीक्षक ने अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की थी। अनुज्ञप्ति तो वस्तुतः कलक्टर ने रद्द की है और इसलिए कलक्टर के लिए यह अनिवार्य था कि वह रद्दकरण का आदेश पारित करने से पूर्व पिटीशनरों को सुनवाई का अवसर देता। (पैरा 17)

		पैरा
[1978]	ए० आई० आर० 1978 पटना 264 : मै० काशीराम डालमिया **बनाम** बिहार राज्य और अन्य (M/s. Kashi Ram Dalmia *Vs.* State of Bihar and others);	11
[1976]	ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 2095 : फरीद अहमद अब्दुल समद और एक अन्य **बनाम**	11

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अहमदाबाद नगर निगम और एक अन्य (Farid Ahmed Abdul Samad and another *Vs.* Ahmedabad Municipal Corporation and others);

[1970] 1970 (1) एल० आर० चांसरी डिवीजन 345 : जॉन **बनाम** रीस (John *Vs.* Rees); 16

[1970] [1970] 2 उम० नि० प० 389 = ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 150 : ए० के० केराइपक **बनाम** भारत संघ (A. K. Kraipak *Vs.* Union of India); 8

[1967] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1269 : उड़ीसा राज्य **बनाम** डा० (कुमारी) वीणापाणी देई (State of Orissa *Vs.* Dr. (Miss) Binapani Dei); 8

[1967] 1967(2) क्यू० बी० 617 : एच० के० (एक शिशु) वाला मामला (H. K. (An Infant) 8
का अवलम्ब लिया गया।

आई० एल० आर० 35 पटना 268 : शिवपूजन **बनाम** राज्य (Sheopujan *Vs.* State) 12
का अनुमोदन नहीं किया गया।

[1981] ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 1374 : पंजाब राज्य और अन्य **बनाम** अजुध्या नाथ और एक अन्य (State of Punjab and others *Vs.* Ajudhia Nath and another); 13

[1977] ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 965 : अध्यक्ष खनन परीक्षा बोर्ड और खानों के मुख्य निरीक्षक और अन्य **बनाम** रामजी (The Chairman, Board of Mining Examination and Chief Inspector of Mines and another *Vs.* Ramjee); 13

[1976] ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 2002 : गुजरात राज्य और अन्य **बनाम** अम्बा लाल हैदर भाई और अन्य (State of Gujarat and others *Vs.* Ambalal Haiderbhai etc.); 13

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1961] ए० आई० आर० 1961 एस० सी० 1397 : फजल भाई ढल्ला **बनाम** कस्टोडियन जेनेरल और एक अन्य (Fazal Bhai Dhala *Vs.* The Custodian-General and others) 13

निर्दिष्ट किए गए ।

आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1982 का सिविल रिट अधिकारिता मामला सं० 2154.

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट पिटीशन ।

पिटीशनरों की ओर से ... सर्वश्री बालभद्र प्रसाद सिंह, श्रीनाथ सिंह, गंगाप्रसाद विमल और राधेश्याम

प्रत्यर्थियों की ओर से ... श्री सी०के० सिन्हा (सरकारी अभिवक्ता) (सर्वश्री शिवानन्द प्रसाद सिन्हा और त्रियोगी नारायण पाण्डेय के साथ) सर्वश्री अजय कुमार सिन्हा और रवि शंकर प्रसाद (सरकारी अभिवक्ता 4 के कनिष्ठ काउन्सेल)

न्यायालय का निर्णय न्या० बी० एस० सिन्हा ने दिया ।

न्या० सिन्हा :

इस न्यायालय की एक खण्ड न्यायपीठ ने अपने तारीख 21 दिसम्बर, 1982 के आदेश में यह मत व्यक्त किया है कि इस मामले की सुनवाई एक बड़ी न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए और यही कारण है कि यह मामला अब हमारे समक्ष आया है ।

2. इस आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि इस आवेदन से संलग्न उपाबंध 1, 2 और 3 को अभिखण्डित कर दिया जाए । उपाबंध 1 तारीख 5 अप्रैल, 1982 का वह आदेश है जो प्रत्यर्थी सं० 4, रोहतास के कलक्टर ने पिटीशनरों की देशी स्प्रिट की दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए पारित किया था । उपाबंध 2 तारीख 18 मई, 1982 का वह आदेश है जिसे प्रत्यर्थी सं० 3 उत्पाद शुल्क आयुक्त ने अपील में कलक्टर के आदेश की पुष्टि करते हुए पारित किया था और उपाबंध 3 प्रत्यर्थी सं० 2, राजस्व बोर्ड, के सदस्य का तारीख 30 जुलाई, 1982 का वह संकल्प है जो उन्होंने पुनरीक्षण में उत्पाद-शुल्क आयुक्त के आदेश को कायम रखते हुए पारित किया था ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

3. तीनों पिटीशनर डेहढ़ी सं० 2 की देशी स्प्रिट की दुकान के संबंध में विनिर्द्रिष्ट क्षेत्र के भीतर देशी स्प्रिट की फुटकर बिक्री के लिए संयुक्त अनुज्ञप्तिधारी हैं। उनको 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए रोहतास के कलक्टर ने एक अनुज्ञप्ति अनुदत्त की थी। 17 मार्च, 1982 को उत्पाद-शुल्क उपायुक्त-प्रत्यर्थी सं० 5 डेहढ़ी में स्थित देशी स्प्रिट की उपयुक्त दुकान पर गए। वहां उनको कुछ बोतलों और ड्रामों (पीपों) में कुछ स्प्रिट में अधिक तनुकरण दिखाई पड़ा और कुछ में उन्होंने मात्रा कम पाई। उपायुक्त ने अपना निरीक्षण टिप्पण अभिलिखित किया और पिटीशनरों को यह निदेश दिया कि वे अनियमितताओं के सम्बन्ध में उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को 20 मार्च, 1982 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। उत्पाद-शुल्क अधीक्षक ने भी पिटीशनरों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए सूचना जारी की, जिसकी प्रति उपाबंध 4 है। 24 मार्च, 1982 को पिटीशनरों ने उत्पाद-शुल्क अधीक्षक के समक्ष कारण बताते हुए अपने-अपने उत्तर फाइल किए। उसी तारीख को उत्पाद-शुल्क अधीक्षक ने एक आदेश पारित किया जिसकी प्रति उपाबंध 5 है। उन्होंने पिटीशनरों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और उन्हें यह निदेश दिया कि वे इस बात का कारण बताएं कि बिहार एण्ड उड़ीसा एक्साइज ऐक्ट (बिहार और उड़ीसा उत्पाद-शुल्क अधिनियम), 1915 के उपबन्धों के अधीन उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए कार्यवाही क्यों न की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह निदेश दिया कि पिटीशनरों को अपना स्पष्टीकरण 5 अप्रैल, 1982 को प्रस्तुत करना चाहिए। पिटीशनरों ने 5 अप्रैल, 1982 को अपना एक और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसकी प्रति उपाबंध 7 है। उसी तारीख में अर्थात् 5 अप्रैल, 1982 को पारित आदेश में उत्पाद-शुल्क अधीक्षक ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपने निष्कर्ष अभिलिखित किए कि पिटीशनर तनुकरण और कम मात्रा रखने के दोषी हैं और उन्होंने फाइल आदेश हेतु कलक्टर के पास भेज दी। इस आदेश की प्रति उपाबंध 8 के रूप में संलग्न की गई है। 5 अप्रैल, 1982 को ही कलक्टर ने, जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी थे, उत्पाद-शुल्क अधीक्षक की राय की पुष्टि करते हुए पिटीशनरों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी और उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को यह निदेश दिया कि वह पिटीशनरों की दुकान में शराब के स्टाक को सम्भाल ले।

4. इसके अतिरिक्त रिट पिटीशन में यह कथन किया गया है कि 29 मार्च, 1982 को उत्पाद-शुल्क आयुक्त ने 31 मार्च, 1982 को समाप्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान देशी स्प्रिट की दुकानों की अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु मंजूरी दे दी थी। इस आदेश की प्रति उपाबंध 9 है। किन्तु 8 अप्रैल, 1982 को पिटीशनरों की अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का कलक्टर द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् दुकान प्रत्यर्थी सं० 7, हबीबुर्रहमान को तत्समय दे दी गई है।

5. इस आवेदन के समर्थन में यह निवेदन किया गया है कि कलक्टर द्वारा पारित अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि इससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अतिक्रमण होता है क्योंकि पिटीशनरों को रद्दकरण प्राधिकारी के इस विषय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया था। इस बात पर भी जोर दिया गया कि जिस जल्दी से हबीबुर्रहमान के साथ पश्चात्वती समझौता किया गया और जो अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी अर्थात् उत्पाद-शुल्क आयुक्त और सदस्य, राजस्व बोर्ड के समक्ष आलोचना का विषय रहा है, उससे यह संकेत मिलता है कि रद्दकरण सद्भाविक नहीं था।

6. किन्तु प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् अधिवक्ता सं० 4 ने यह दलील दी है कि कलक्टर के आदेश में कोई भी वैधता नहीं है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अतिक्रमण नहीं हुआ है।

7. बिहार और उड़ीसा उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1915 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उत्पाद-शुल्क अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20 के अधीन कलक्टर देशी स्प्रिट की दुकान के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है और उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 42 के अधीन उसे उसमें उल्लिखित आधारों में से किसी भी आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द करने या निलम्बित करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है कि रद्दकरण का आदेश कलक्टर ने उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 42 के अधीन पारित किया था। इस बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि आक्षेपित आदेश न्यायिककल्प आदेश है।

8. नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त दो धारणाओं अर्थात् निष्पक्षता और न्यायसंगतता पर आधारित हैं और ये दोनों विल्कुल विभिन्न धारणाएं हैं। न्या० हेगड़े ने कहा है कि "शासन विधि की धारणा का उस समय कोई महत्व ही नहीं रहेगा जब सरकार को अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से निर्वहन करने की जिम्मेदारी सौंपी न जाए।" (देखिए **ए० के० केराइपक**

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बनाम **भारत संघ**[1] वाला मामला) इसके अतिरिक्त माननीय न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि वह शक्ति जिसे गत वर्षों में प्रशासनिक शक्ति समझा जाता था अब उसे न्यायिककल्प शक्ति समझा जाता है। प्रतिकूल आदेश, जिसके कुछ सिविल परिणाम हों, पारित करने से पूर्व सुनवाई का अधिकार देना निष्पक्ष कार्यवाही करने के लिए विवक्षा द्वारा आवश्यक है। 'दूसरे पक्ष को भी सुनो' सिद्धान्त का आशय न्याय करना है किन्तु निष्पक्षता की मांग क्या है यह अधिकतर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, उस विधि के ढांचे, जिसके अधीन जांच आदि की जानी है, पर निर्भर करता है और इसलिए जब भी न्यायालय के समक्ष यह परिवाद किया जाए कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय को इस बात का विनिश्चय करना होता है कि क्या उस नियम का पालन करना मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायसंगत विनिश्चय करने के लिए जरूरी था। **उड़ीसा राज्य** बनाम **डा० (कुमारी) वीणापाणी देई**[2] वाले मामले में न्या० शाह ने किसी सरकारी सेवक की सही आयु के सम्बन्ध में की जाने वाली जांच के विषय में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :—

> "हमारा यह विचार है कि ऐसी जांच ओर विनिश्चय न्याय की बुनियादी संकल्पना के प्रतिकूल थे और उनका कोई भी महत्व नहीं है। यह सत्य है कि यह आदेश अपनी प्रकृति के हिसाब से प्रशासनिक आदेश है किन्तु ऐसा प्रशासनिक आदेश, जिसमें जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, दूषित परिणाम अन्तर्वलित हों, प्रत्यर्थी सं०1 को राज्य के मामले की जानकारी देने के पश्चात् नैसर्गिक न्याय के नियमों से संगत होना चाहिए......"

एच० के (एक शिशु)[3] वाले मामले में विद्वान मुख्य न्यायाधीश लार्ड पार्कर ने यह अभिनिर्धारित करने के पश्चात् कि आप्रवास अधिकारी न्यायिक या न्यायिककल्प हैसियत से कार्यवाही नहीं करता है, यह मत व्यक्त किया कि उसे आप्रवासी को यह बात जानने का अवसर प्रदान करना चाहिए कि उसका ऐसा-ऐसा विचार है ताकि आप्रवासी उत्तर दे सके।

9. अतः उपर्युक्त दो विनिश्चयों के आधार पर यह परिणाम निकलता है कि प्रस्तुत मामले में कलक्टर को, चूंकि वह सक्षम प्राधिकारी

[1] (1970) 2 उम० नि० प० 389=ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 150.
[2] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1269.
[3] 1967-2 क्यू० बी० 617.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भी उन घटनाओं पर भी विचार करते हैं जो कि अपील के प्रक्रम के दौरान घटी होती हैं और वे इस बात की भी इजाजत देते हैं कि ऐसी घटनाओं के आधार पर अनुतोष के लिए किसी प्रार्थना को शामिल करने हेतु अभिवचनों में संशोधन कर दिया जाए। किन्तु साधारणतया यह इसलिए किया जाता है कि कार्यवाहियों द्वारा अनेक रूप धारण करने की वात समाप्त कर दी जाए अथवा तव जब कि मूल अनुतोष, जिसका दावा किया गया हो, ऐसा हो कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण वह अनुचित वन गया हो और ऐसी दशा में यह इजाजत नहीं दी जाती हैं जवकि वादी का वाद प्रस्थापित संशोधन द्वारा पूर्णतया विस्थापित हो जाएगा। [देखिए—स्टीवर्ड बनाम नार्थ मैट्रोपालिटन ट्रामवेज कम्पनी (1885) 16 क्यू० बी० डी० 178] और उसके द्वारा लाया गया कोई नया वाद परिसीमा द्वारा ऐसे वर्जित होगा।"

निस्संदेह यह सत्य है कि किसी वाद में दावाकृत अनुतोष को अनुकूलतः देने के लिए पश्चात्वर्ती घटनाओं को ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन इन्हें उस न्यायालय को अधिकारिता देने के लिए, जिसे वाद के संस्थित किए जाने की तारीख को ऐसी अधिकारिता नहीं थी, तव तक नहीं अपनाया जा सकता, जब तक कि न्यायालय को इस प्रकार की अधिकारिता प्रदान करने वाला भूतलक्षी विधान न हो। इस सिद्धान्त और पश्चात्वर्ती घटना अर्थात् इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1976 के अधिनियम सं० 15 के अधीन अधिस्थगन अवधि समाप्त हो गई है और इन मामलों की जांच की तारीख को ऐसा कोई वर्जन प्रवर्तित नहीं था, हम समझते हैं कि ये मामले वहां उचित हैं जहां कि अनुतोष ऐसे रूप में दिया जाना हो जो सम्बद्ध पक्षकारों पर प्रतिकूलतः प्रभाव न डाल सके। इन मामलों में से एक मामले में हमने यह देखा है कि बहुत भारी न्यायालय फीस का संदाय करना पड़ा था। यदि वाद खारिज कर दिया जाता है तो वादी को वादपत्र पर संदत्त की हुई न्यायालय फीस का फायदा नहीं होगा। ऐसी असम्यक् कठिनाई से बचने के लिए समुचित प्रक्रिया वादपत्र को लौटाने का आदेश देना होगा। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र का इस प्रकार लौटाया जाना पक्षकारों को परिसीमा विषयक दलील से वंचित करेगा। लेकिन इस तथ्य के आधार पर कि परिसीमा अधिनियम की धारा 14 में बिना अधिकारिता के किसी न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाहियों के समय का अपवर्जन करने का उपबंध किया गया है और इस तथ्य के आधार पर कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1976 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाहियों को संरक्षण देने के लिए वादपत्र को लौटाए जाने का आदेश सम्बद्ध प्रत्यर्थियों पर किसी भी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता।

18. जिस अन्य पहलू पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या प्रस्तुत मामला आदेश 7, नियम 10 के अन्तर्गत लाया जा सकता है जिसमें वादपत्र के लौटाए जाने के बारे में कहा गया है। आदेश 7, नियम 10 में यह कहा गया है कि वादपत्र को वाद के किसी प्रक्रम पर उचित न्यायालय को उपस्थित किए जाने के लिए लौटाया जाएगा। यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या क्षेत्रीय और धनीय अधिकारिता के अभाव में वादपत्र को लौटाए जाने के लिए न्यायालय की शक्ति में उन मामलों में वृद्धि की जा सकती है जिनमें कि वादों के संस्थित किए जाने के लिए वर्जन लगाया गया हो। यद्यपि उन वादपत्रों को जिन्हें इस प्रकार के वर्जन के कारण ग्रहण नहीं किया जा सकता, आदेश 7, नियम 10 के अधीन यथावत् रूप से नहीं लाया जा सकता तथापि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन न्यायालय को सदैव ही धारा 151 के अधीन ऐसी अन्तर्निहित शक्ति होती है कि वह उस वादपत्र को, लौटा सके जिसे विधि के अधीन न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ फाइल किए गए किसी वादपत्र में इस बात का संकेत किया गया हो कि यह किसी कृषक पर शोध्य ऋण को वसूल करने के लिए है जिसका संस्थित किया जाना 1976 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 के अधीन वर्जित है तो उचित बात यह होगी कि पक्षकार से इस बात का स्पष्टीकरण मांगते हुए कि वाद किस प्रकार कायम रखा जा सकता है वाद को लौटाया जाएगा। यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि इस प्रकार के मामलों में न्यायालय वादपत्र को अस्वीकार करेगा न कि इसे लौटाएगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है धारा 5 में वादी के ऐसे सद्भाविक मामले का उपबंध किया गया है जिसमें उसने प्रतिवादी को कृषक समझा है और वाद फाइल करने से प्रविरत रहा है। लेकिन अधिनियम में ऐसे किसी मामले के लिए उपबंध नहीं किया गया है जिसमें कि वादी ने सद्भावपूर्वक प्रतिवादी की बाबत यह विश्वास किया हो कि वह कृषक नहीं है और वाद फाइल कर दिया हो। पश्चात्वर्ती मामले में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्टतया वाद को ग्रहण किए जाने के वर्जन के समाप्त होने के पश्चात्, न्यायालय धारा 151 के अन्तर्गत वादपत्र को उसी न्यायालय में पुनः उपस्थित करने के लिए उस कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए जो वादी को उसकी सद्भाविक गलती के कारण हो सकती थी, वादपत्र को लौटाने का निदेश दे सकता है। धारा 151 के अधीन अपनी अन्तर्निहित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिकारिता के अन्तर्गत न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पश्चात्‌वर्ती घटनाओं पर ध्यान देते हुए अनुतोष देने के लिए न्यायालय को उपलब्ध शक्ति के अधीन, जैसा कि ऊपरिनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय में अधिकथित किया गया है, वादपत्र को रद्द करने के बजाए उसे लौटाया जाना उचित और उपयुक्त होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 में इस प्रकार के मार्ग को अपनाने के लिए प्रतिषेध नहीं है। समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् हम यह समझते हैं कि इस मामले में पारित किया जाने वाला उचित आदेश वादपत्रों को लौटाए जाने का आदेश होगा।

19. 1978 का सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० 2515 मदुराई के अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में 1977 के आई० ए० सं० 999 में दिए गए आदेश के विरुद्ध वादियों द्वारा फाइल किया गया है। 1977 का आई० ए० सं० 999 प्रतिवादियों द्वारा फाइल किया गया था जिसमें वादों को इस आधार पर खारिज करने के लिए प्रार्थना की गई थी कि वे कृषक हैं। प्रतिवादियों ने पट्टा पुस्तिका प्रदर्श ए-1 और किस्त रसीदें प्रदर्श ए-2 से लेकर ए-5 तक प्रस्तुत कीं। वाद बन्धक के आधार पर भारी रकम को वसूल करने के लिए किया गया है।

20. 1978 के ए० एस० सं० 97 में पदूकोत्ताई के विद्वान् जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए विनिश्चय के विरुद्ध 1979 की सिविल प्रकीर्ण अपील सं० 175 प्रतिवादी द्वारा फाइल की गई है। 1977 के मूल वाद सं० 250 में वाद 6,000 रुपये की राशि को वसूल करने के लिए किया गया है। 1976 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् और इस तथ्य पर ध्यान देने पर भी कि अधिस्थगन की अवधि समाप्त हो गई है, पदुकोत्ताई के विद्वान् जिला न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि वाद का खारिज किया जाना निस्संदेह ही वादी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और यह अभिनिर्धारित किया कि अनेक वादों के फाइल किए जाने से बचने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अपास्त कर दिया और मामले को विधि के अनुसार अन्य विवाद्यकों पर विचार करने के लिए विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया।

21. 1978 के ए० एस० सं० 12 में देवकोत्ताई के विद्वान् अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध वादी द्वारा 1980 का सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० 288 फाइल किया गया है जिसमें प्रतिवादी ने 1938 के अधिनियम सं० 4 और 1976 के अधिनियम सं० 15 के फायदे का दावा करते हुए वाद को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

खारिज किए जाने की प्रार्थना की है। प्रतिवादी ने पट्टा पुस्तिका प्रदर्श ए-1 और किस्त रसीद प्रस्तुत की हैं। देवकोत्ताई के विद्वान् अधीनस्थ न्यायाधीश ने प्रतिवादी की इस दलील को स्वीकार किया है कि वह कृषक है और अपील को मंजूर करते हुए वाद को खारिज कर दिया।

22. इन तीनों मामलों में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी कृषक हैं और इन मामलों में से किसी भी मामले में यह दर्शित नहीं किया गया है कि प्रतिवादी 1976 के अधिनियम सं० 15 के अधीन अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं अतः 1976 के अधिनियम सं० 15 के उपबंध इन सभी मामलों में लागू होते हैं तथा इन तीनों मामलों को 1976 के अधिनियम सं० 15 के उपबंधों के अनुसार खारिज किया जाएगा।

23. परिणामतः हमें निर्देशित प्रश्न का हमारा जवाब यह है कि ये वाद 1976 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 के अतिलंघन में संस्थित किए गए हैं और इन्हें खारिज किया जा सकता है।

24. किन्तु पश्चात्वर्ती घटनाओं अर्थात् अधिस्थगन अवधि की समाप्ति पर और पक्षकारों को होने वाली असम्यक् कठिनाई से बचने के लिए अनुतोष देने हेतु न्यायालयों में निहित अन्तर्निहित शक्ति पर विचार करते हुए इन मामलों की विशेष परिस्थितियों द्वारा अध्यपेक्षित उचित आदेश वादपत्रों को खारिज करने के बजाय उन्हें लौटाए जाने का आदेश दिया जाना उचित होगा।

25. अतः हम तदनुसार इन तीनों मामलों में वादपत्रों को लौटाए जाने का आदेश देते हैं। पक्षकार दो सप्ताह के अन्दर अपने-अपने मामले प्रस्तुत कर सकते हैं। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

निर्देशित प्रश्न का उत्तर दिया गया।

बंसल/मि०

नि० प० 1983 : मद्रास—84

अब्दुल मजीत बनाम तमिलनाडू राज्य और अन्य

(Abdul Majeeth *Vs.* State of Tamil Nadu and others)

तारीख 17 सितम्बर, 1982

[न्या० रामानुजम् और न्या० बालसुब्रह्मण्यन्]

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, धारा 3(2) सपठित संविधान, 1950, अनुच्छेद 226—बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट—निरुद्ध किए जाने के आधार—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जहां किसी व्यक्ति के भाषण के तथ्यों को, उनसे सम्बन्धित सामग्री प्रस्तुत किए बिना, विभिन्न सम्प्रदायों के बीच शत्रुता या घृणा उत्पन्न करने, भय और आतंक फैलाने, हिंसा पैदा करने या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला भाषण दर्शाते हुए बढ़ा-चढ़ा कर निरोध के आधार तैयार किए गए हों, वहां उस व्यक्ति द्वारा दिए गए भाषण की बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि उसके एकमात्र भाषण से जनता भड़क गई है—वक्ता के एकमात्र भाषण को निवारक निरोध के अधीन उसे निरुद्ध करने के लिए विधिमान्य आधार नहीं माना जा सकता।

संविधान, 1950, अनुच्छेद 22(4) सपठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, धारा 3(2)—निरुद्ध किए जाने के आधार—संविधान के उक्त अनुच्छेद 22(4) में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को दी गई गारंटियों की तथा इन गारंटियों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालयों की अधिकारिता की निरुद्ध किए जाने की बाबत कार्यपालक अधिकारी के मात्र व्यक्तिनिष्ठ समाधान के आधार पर उपेक्षा नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, धारा 3(2) सपठित दण्ड संहिता, 1860, अध्याय 6—किसी राज्य के मुख्य मंत्री को दी गई धमकी के विरुद्ध कार्यवाही निवारक निरोध विधि के अन्तर्गत नहीं की जाएगी वरन् दाण्डिक अभियोजन के सामान्य तन्त्र के अनुसार ही की जाएगी।

पिटीशनर के भाई को पैरियर जिले के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा 9 अगस्त, 1982 को निरुद्ध किया गया था। बाद में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। यह निरोध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अधीन किया गया था। निरोध-आदेश में यह कहा गया था कि निरोध प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से निवारित करने के लिए वक्ता को निरुद्ध किया जाना आवश्यक है। निरोध के दो आधार बताए गए। प्रथम आधार यह है कि उसने अपने भाषण द्वारा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच शत्रुता और घृणा उत्पन्न की है तथा सम्प्रदायों के बीच हिंसा उदीप्त की है जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरा आधार यह है कि उसने अपने भाषण द्वारा राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध हिंसा करने के लिए श्रोताओं को उदीप्त किया है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक सभा में पत्थर फेंके जाने की घटना घटी और इस घटना से लोगों में भय और आतंक फैल गया तथा लोक व्यवस्था विक्षुब्ध हुई। प्रथम आधार की बाबत निरुद्ध व्यक्ति की ओर से यह दलील दी गई कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रथम आधार काफी अस्पष्ट है जिसके कारण निरुद्ध व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा में सुबोध और सुगम अभ्यावेदन नहीं कर सकता। द्वितीय आधार के बारे में यह दलील दी गई कि दिए गए भाषण को समग्र रूप से न कि टुकड़े-टुकड़े करके विचार करने पर ही इसका सुग्राह्य निर्वचन किया जा सकता है। इसके विपरीत निरोध प्राधिकारी की ओर से अपीली निकाय के रूप में न्यायालय द्वारा जांच-पड़ताल करने से न्यायालय को सावधान किया गया। प्रस्तुत मामले में विचारार्थ और अवधारणार्थ प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए ऐसे एकमात्र भावात्मक भाषण या हिंसा का एक ही कार्य विभिन्न सम्प्रदायों के बीच शत्रुता या घृणा उत्पन्न करने या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए लोगों को भड़काने हेतु पर्याप्त माना जा सकता है ?

अभिनिर्धारित—रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

लोक व्यवस्था की संक्षिप्त परिभाषा नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि कोई एक भाषण लोक व्यवस्था को क्षत-विक्षत कर सकता है। लोक व्यवस्था को क्षत-विक्षत करने के लिए वक्ता में प्रोत्साहित करने की वाक्‌पटुता सम्बन्धी असाधारण शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि लोक व्यवस्था को प्रशांति की ऐसी किस्म के रूप में वर्णित किया गया है जो अपने संरक्षण के लिए समान लय पर आधारित है। इसके बारे में यह नहीं माना जा सकता कि एक ही भावात्मक भाषण या हिंसा का एक ही कार्य उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा भाषण कार्यों से बहुत कम समीकृत किया जाना चाहिए। विचार, शब्द और कार्य, सिवाय उन बहुत कम मामलों के जिनमें स्वयं भाषण ही कार्य होता है, भिन्न-भिन्न होते हैं। (पैरा 16)

शपथपत्र में कहीं भी पुलिस उप-अधीक्षक ने यह नहीं कहा है कि जिस समय निरुद्ध किए गए व्यक्ति ने मुख्य मंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, इरोड में भय और आतंक फैल गया। न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि द्वितीय आधार पर निरोध प्राधिकारी के महत्वपूर्ण निष्कर्ष की बावत उन दस्तावेजों में भी, जिनका अवलम्ब लिया गया है, नाममात्र का साक्ष्य नहीं है। (पैरा 14)

यह न्यायालय इस बात को मानता है कि निरोध आदेश अनन्य रूप से कार्यकारी शासन के अन्तर्गत आते हैं और उसका व्यक्तिनिष्ठ समाधान न्यायालय के स्वयं के समाधान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन निवारक निरोध किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वाधीनता से वंचित करने के लिए अनुज्ञेय ढंग होने के कारण न केवल स्वयं समर्थकारी कानून में गम्भीर दशाओं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और सुरक्षा के अधीन ही है वरन् संविधान में भी इसके लिए गारण्टी अधिकथित की गई है। अनुच्छेद 22(4) में सुस्पष्ट शब्दों में इस प्रकार की दो गारण्टियों का उल्लेख किया गया है। (पैरा 6)

इस व्यक्तिनिष्ठ समाधान को निरुद्ध व्यक्ति की सांविधानिक गारंटियों के आधार पर या उन्हें प्रवर्तित करने के लिए न्यायालयों की अधिकारिता के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान की इस अपेक्षा को कि आधारों को निरुद्ध व्यक्ति को संसूचित किया जाना चाहिए जिससे कि उसे उनकी पूर्ति करने का शीघ्र अवसर प्राप्त हो सके, मात्र प्रक्रिया के कारण खारिज नहीं किया जा सकता। इसमें यह विवक्षित है कि आधार सुगम और मस्तिष्क की ऐसी उपज होनी चाहिए जो न तो खोखला हो और न ही प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो। अन्यथा, अनुच्छेद 22(4) में अभ्यावेदन किए जाने का अधिकार मात्र एक ढकोसला रह जाएगा। (पैरा 6)

मुख्य मंत्री के विरुद्ध निरुद्ध किए गए व्यक्ति के भाषण में दी गई धमकी विषयक प्रभागों की बाबत कार्यवाही दाण्डिक अभियोजन की सामान्य तन्त्र (मशीनरी) के अन्तर्गत ही की जाएगी न कि निवारक निरोध विषयक असाधारण लोक उपचार के अन्तर्गत की जाएगी। (पैरा 12)

किसी एक व्यक्ति को हिंसा विषयक दी गई धमकी अथवा किसी एक ही परिवार के सदस्यों को दी गई धमकी वास्तव में न्यायिक दण्डाधिकरण का ऐसा मामला है जिस पर दण्ड विधि और प्रक्रिया के अन्तर्गत न कि निवारक निरोध विधि के अन्तर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जाएगा। (पैरा 13)

		पैरा
[1975]	ए० आई० आर० 1975 एस० सी 1215 : जतीन्द्र नाथ **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य (Jatindra Nath *Vs.* State of West Bengal);	13
[1970]	ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1228 : अरुण घोष **बनाम** पश्चिमी बंगाल (Arun Gosh *Vs.* West Bengal)	13

का **अवलम्ब** लिया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1982] [1982] 3 उम० नि० प० 421=ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 8 : हेमलता कान्ती लाल शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (Hemlata Kanti Lal Shah *Vs.* State of Maharashtra); 5

[1961] ए० आई० आर० 1961 एस० सी० 740 : राम मनोहर लोहिया वाला मामला (Ram Manohar Lohia's case) 13

निर्दिष्ट किए गए।

आरम्भिक (विशेष) अधिकारिता : 1982 का रिट पिटीशन सं० 7238.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन किया गया पिटीशन।

पिटीशनर की ओर से ... सर्वश्री एन० नटराजन, ए० नटराजन, एस० ज्योतिरमन, पन्नीरसेलवम् और ए० मुरलीधरन्, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से ... महाधिवक्ता और लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्या० बालसुब्रह्मण्यन् ने दिया।

न्या० बालसुब्रह्मण्यन् :

यह पिटीशन पलानीबाबा नाम के व्यक्ति की रिहाई के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने हेतु किया गया है। उसे पैरियर जिले के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा 9 अगस्त, 1982 को निरुद्ध किया गया था। बाद में यह आदेश राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। यह निरोध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत किया गया तात्पर्यित है। आदेश में यह कहा गया है कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि पलानीबाबा को लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कार्रवाई करने से निवारित करने के लिए उसे निरुद्ध किया जाना आवश्यक है।

2. निरोध के आधारों की विरचना करने वाली सामग्री के रूप में निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी ने दो दस्तावेजों का अवलम्ब लिया। इनमें से एक दस्तावेज निरुद्ध व्यक्ति द्वारा 3 अगस्त, 1982 को इरोड में तमिल भाषा में दिए गए भाषण का शासकीय आशुलिपिक द्वारा किया गया शब्दशः प्रतिलेख

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है। अन्य दस्तावेज इरोड के पुलिस उप-अधीक्षक, जो कि सभा में उपस्थित पुलिस-सदस्य हैं, द्वारा शपथ पर दिया गया शपथपत्र हैं।

3. निरोध के दो आधार हैं। एक आधार यह है कि निरुद्ध व्यक्ति ने अपने भाषण से विभिन्न सम्प्रदायों के बीच शत्रुता और घृणा उत्पन्न की तथा उन सम्प्रदायों के बीच हिंसा उद्दीप्त की जिसके कारण लोक व्यवस्था को बनाए रखने पर प्रभाव पड़ा। निरुद्ध किए जाने का द्वितीय आधार उसी भाषण के अन्य प्रभागों के प्रति निर्देश करता है जिनसे यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति ने श्रोताओं को राज्य के मुख्य मन्त्री को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए उद्दीप्त किया जिससे प्रेरित होकर सार्वजनिक सभा में पत्थर फेंके गए। निरोध प्राधिकारी के अनुसार उस उत्तेजक भाषण ने जिसका अनुसरण करते हुए पत्थर फेंके जाने की घटना हुई थी, लोगों में भय और आतंक उत्पन्न किया और तदद्वारा लोक व्यवस्था विक्षुब्ध की। निरोध प्राधिकारी ने आधारों को यह कहते हुए समाप्त किया है कि यदि निरुद्ध व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो वह इस प्रकार के और क्रियाकलापों में व्यस्त रहेगा।

4. निरुद्ध व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेल, श्री नटराजन ने यह कहा कि इन आधारों को किसी भी प्रकार के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि प्रथम आधार के बारे में उसकी व्यथा यह है कि यह आधार बहुत ही अस्पष्ट है और निरुद्ध किए गए व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकता कि उस पर क्या आरोप लगाया जा रहा है। सम्प्रदायों के बीच शत्रुता और घृणा की भावना उत्पन्न करना बहुत ही अस्पष्ट आरोप है और निरुद्ध व्यक्ति मुश्किल से ही अपनी प्रतिरक्षा में कोई सुगम अभ्यावेदन पेश करने में समर्थ हो सकता है। निरोध प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति के भाषण ने विभिन्न सम्प्रदायों के बीच हिंसा उद्दीप्त की है। श्री नटराजन ने यह कहा कि भाषण को समग्र रूप से न कि टुकड़े-टुकड़े करके पढ़ने पर इस प्रकार का निर्वचन सुग्राह्य नहीं है। विद्वान् काउन्सेल ने आगे यह कहा कि देश के इस भाग में हाल के वर्षों में जनता इस तनावपूर्ण वातावरण में भाषण सुनने की इतनी अभ्यस्त हो गई है कि वह भाषणों को गम्भीरता से ग्रहण नहीं करती।

5. प्रारम्भ में निरोध प्राधिकारी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् महाधिवक्ता ने हमारे द्वारा जांच करने के विरुद्ध अपीली निकाय के रूप में सावधान किया। उसने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत **हेमलता कान्ती लाल शाह** बनाम महाराष्ट्र राज्य[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आधुनिकतम विनिश्चय को प्रोद्धृत किया और यह कहा कि इस प्रकार के मामलों में न्यायालय की अधिकारिता इस बात का निष्कर्ष निकालने में प्रारम्भ और समाप्त होती है कि क्या निरोध प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है या नहीं। उसने उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय से निम्नलिखित अवतरण उद्धृत किया :—

> "यदि इन औपचारिकताओं का अनुवर्तन किया गया है तो न्यायालय अपने समक्ष विद्यमान सामग्री की जांच नहीं कर सकता और इस बात के सम्बन्ध में निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को चाहिए था कि अपने समक्ष विद्यमान सामग्रियों के आधार पर अपना समाधान करता और निरुद्ध व्यक्ति से निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध कर लेता क्योंकि यह कार्य अपील न्यायालय का है।"

6. सर्वप्रथम हम इस बात को दोहराते हुए कि निवारक निरोध के आदेश पर इस न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति की परिधि कहां तक है, इस आधार को स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं। हम महाधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि हमें केवल विभिन्न औपचारिकताओं को जैसे निरोध आदेश का तामील किया जाना, आधारों का दिया जाना, निरुद्ध व्यक्ति के भाषण का अनुवाद करना तथा इसी प्रकार की बातों को, सत्यापित या सही करने के लिए निरोध की प्रक्रिया की सीमित न्यायिक संपरीक्षा तक ही सीमित रहना चाहिए। हम इस बात को मानते हैं कि निरोध आदेश अनन्य रूप से कार्यकारी शासन के अन्तर्गत आते हैं और उनका व्यक्तिनिष्ठ समाधान न्यायालय के स्वयं के समाधान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। लेकिन निवारक निरोध किसी व्यक्ति की उसकी दैहिक स्वाधीनता से वंचित करने के लिए अनुज्ञेय ढंग होने के कारण स्वयं समर्थकारी कानून में गम्भीर दशाओं और सुरक्षा के अधीन नहीं है वरन् संविधान में ही इसके लिए गारंटियां अधिकथित की गई हैं। अनुच्छेद 22(4) में सुस्पष्ट शब्दों में इस प्रकार की दो गारंटियों का उल्लेख किया गया है। ये गारंटियां (i) निरोध के आधारों की निरुद्ध व्यक्ति को संसूचना दिए जाने का उसका अधिकार और (ii) उन आधारों का उत्तर देने के लिए यथासंभव शीघ्र अभ्यावेदन करने का अधिकार

1 [1982] 3 उम० नि० प० 421=ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 8.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हैं। स्वभावतः ही इन सांविधानिक गारंटियों को विधानमण्डल द्वारा निवारक निरोध सम्बन्धी पारित की गई किसी विधि से समाप्त नहीं किया जा सकता। परम्परा के रूप में तथा संविधान के अन्तर्गत भी इस देश के उच्चतर न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ही ऐसे अभिकरण हैं जो उनके समक्ष मामला लाए जाने पर इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या इन गारंटियों का पालन किया गया है। यह भली प्रकार कहा जा सकता है कि निरोध का विषय ऐसा है जो कार्यपालक का व्यक्तिनिष्ठ समाधान है। लेकिन इस व्यक्तिनिष्ठ समाधान को निरुद्ध व्यक्ति की सांविधानिक गारंटियों के आधार पर या उन्हें प्रवर्तित करने के लिए न्यायालयों की अधिकारिता के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान की यह अपेक्षा कि आधारों को निरुद्ध व्यक्ति को संसूचित किया जाना चाहिए, जिससे कि उसे उनकी पूर्ति करने का शीघ्र अवसर प्राप्त हो सके, मात्र प्रक्रिया के कारण खारिज नहीं किया जा सकता। इसमें यह विवक्षित है कि आधार सुगम और मस्तिष्क की ऐसी उपज होनी चाहिए जो न तो खोखला हो और न ही प्रतिकूल प्रभाव डालने से ग्रसित हो अन्यथा, अनुच्छेद 22(4) में अभ्यावेदन किए जाने का अधिकार मात्र एक ढकोसला रह जाएगा। अतः सिद्धान्ततः यह स्पष्ट हो गया है कि उच्चतर न्यायालयों को, जिन पर सांविधानिक उपबंधों को लागू करने का उत्तरदायित्व है, अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सदैव ही दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि वे वस्तुस्थिति की अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकें। ऐसे मामलों में जिनमें न्यायालय यह निष्कर्ष निकालें कि निरुद्ध व्यक्ति के प्रति सांविधानिक अधिकारों का संरक्षण न दिए जाने के कारण न्याय नहीं किया गया है, वहां उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे उस पर विचार करें और हस्तक्षेप करें। न्यायालयों का यह कार्य साधिकार है जिसका संविधान के अन्तर्गत अन्य संक्रामण नहीं किया जा सकता। जब न्यायालय अपना कार्य सही रूप से और भली प्रकार से करने के लिए अग्रसर होते हैं, तब उन्हें स्वयं नियुक्त किए गए अपील अधिकरणों के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। वास्तव में वे सांविधानिक सुरक्षोपाय के संरक्षक का कार्य करते हैं।

7. उस अवतरण को, जिसे विद्वान् महाधिवक्ता ने **हेमलता** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से उद्धृत किया है, यदि अकेला पढ़ा जाए तो इससे इस मत का समर्थन होता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सांविधानिक संरक्षण के अतिक्रमण को सही करने के

---

[1] [1982] 3 उम० नि० प० 421=ए० आई० आर० 1982 एस० सी 8.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लिए शक्तिहीन हैं। हम इस प्रकार के विनिर्णय के बारे में जो कि चार दशक प्राचीन डिफैन्स आफ इंडिया रूल्स (भारतीय रक्षा) नियम से लेकर नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) जो कि मुश्किल से दो वर्ष पुराना है, तक निवारक निरोध विधियों से सम्बन्धित इस देश के कई मामलों से सुस्थापित विधिक स्थिति के बारे में यह नहीं मान सकते कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है। पुस्तकों में ऐसे अनेक मामले हैं जिनसे यह दर्शित होता है कि उनके सांविधानिक रूप से अनिवार्य होने के बावजूद भी न्यायालयों ने ऐसे निरोध आदेशों को, जिनमें या तो आधारों के समर्थन में कोई सामग्री प्रकट नहीं की गई है या ऐसे आधारों पर हैं जो आदेश से सम्ब्रन्धित नहीं हैं या ऐसे आधारों पर हैं जो असद्भावपूर्ण या अनुचित हैं, अवैध घोषित कर दिया है। यह कहने के लिए कि उचित कारणों से न्यायालय हस्तक्षेप की परम्परा को उलट दिया गया है तथा इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अपनाया गया है। हमारे पास इस प्रभाव का कोई संकेत होना चाहिए कि न्यायालय ने समझ-बूझकर पूर्वतर विनिश्चयों को उलट दिया है। पूर्ववर्ती विनिर्णयों को गलत अभिनिर्धारित करने के किसी आशय के संकेत दिए जाने की तो बात ही क्या, उच्चतम न्यायालय ने संभवतः न्यायिक पुर्नविलोकन की परिधि को इसी मामले में ही पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट करते हुए पुनः कथन करने का अवसर प्राप्त किया। इस दलील का उल्लेख करते हुए कि निरुद्ध व्यक्ति उस सामग्री से भिन्न जिसे इसने निरोध-आदेश में प्रकट किया है और अधिक सामग्री देने के लिए निरोध प्राधिकारी को बाध्य कर सकता है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

> "न्यायालय ऐसी किसी जांच के लिए निरोध प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी जवाब पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि इस प्रकार का जवाब बाद में सोचा गया जवाब हो सकता है। न्यायालयों का यह कार्य है कि वे इस बात की जांच करें कि क्या उल्लिखित तथ्यों से निरोध का आधार गठित होता है अथवा किन तथ्यों से निरोध प्राधिकारी संभवतः अपने व्यक्तिनिष्ठ समाधान पर पहुंचा है।"

8. अब हम उन दो आधारों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट, इरोड ने इस मामले में निरुद्ध व्यक्ति के निरोध के आधारों के रूप में रखा है। प्रथम आधार के रूप में हमारा यह विचार है कि इस आलोचना के लिए औचित्य है कि यह उतना ही अस्पष्ट है जितना अस्पष्ट हो सकता है। निरुद्ध किए गए व्यक्ति पर विभिन्न सम्प्रदायों के बीच घृणा और शत्रुता के बीज बोने का आरोप लगाया गया है। किन सम्प्रदायों के बीच?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यदि हमारे देश में विशेष कर हमारे देश के इस भाग में केवल दो सम्प्रदाय होते तो साम्प्रदायिक घृणा और शत्रुता का विना किसी व्याख्या के नियत अर्थ लगाया जा सकता था। लेकिन उप समुदायों, उपजातियों, जनजातियों, पंथों और इसी प्रकार के अन्य पंथों का तो कहना ही क्या हमारे यहां विभिन्न और अनेक सम्प्रदाय हैं। निरुद्ध किए गए व्यक्ति के भाषण में, जिनके प्रभावों को निरोध के आधारों में उद्धृत किया गया है, एक सम्प्रदाय के विरुद्ध विवाद और दोषारोपण अन्तर्विष्ट है। निरुद्ध व्यक्ति एक अन्य सम्प्रदाय का है। नेता, जिसके पक्ष में सार्वजनिक सभा की व्यवस्था की गई थी, एक अन्य सम्प्रदाय का है। भाषण सुनने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच हजार है और इस बात को कोई नहीं जानता कि श्रोता किन-किन विशिष्ट सम्प्रदायों के हैं। ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न सम्प्रदायों के प्रति, विशिष्ट रूप से नाम लिए बिना कि वे किस संप्रदाय के थे, निरोध के आदेश को न केवल पुलिस शक्ति के प्रयोग में संकलित दस्तावेज के रूप में दूषित करता है वरन् ऐसे दस्तावेज के रूप में भी दूषित करता है जो निरुद्ध व्यक्ति द्वारा समझा गया और जवाब दिया गया माना गया है।

9. अन्य यह आरोप कि निरुद्ध व्यक्ति के भाषण ने सम्प्रदायों के बीच हिंसा उदीप्त की है, निरोध प्राधिकारी के समक्ष अभिलेख पर की सामग्री के बिना लगाया गया हैं।

10. श्री नटराजन् ने यह कहा कि देश के इस भाग में इस प्रकार की सार्वजनिक सभाओं में जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं वे केवल भाषण सुनने के लिए ऐसा करते हैं, चाहे वक्ता कोई भी हो, किन्तु वे इन भाषणों को भावात्मक रूप में ग्रहण नहीं करते। सामाजिक राय के रूप में विद्वान् काउन्सेल ने जो कुछ कहा है, वह सही हो सकता है, किन्तु हमें केवल अभिलेख पर की सामग्री पर ही विचार करना है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवलम्ब लिए गए दस्तावेजों के परिशीलन करने से यह दर्शित नहीं होता कि भाषण, जैसा कि यह टंकित की गई प्रति से प्रतीत होता है, श्रोताओं को या इसके किसी सम्प्रदाय को उत्तेजित या उद्भावित करने वाला है। हलवे (पुडिंग) की क्वालिटी उसके स्वाद से ही जानी जा सकती है। पुलिस आशुलिपिक ने, जो कि उस समय उपस्थित था, व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित रिपोर्ट की। उसने न केवल मंच पर जो कुछ कहा गया था उसे ही लिखा बल्कि उसने कतिपय अन्य मत भी व्यक्त किए। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति ने ब्राह्मणों के प्रति जो कुछ कहा उससे श्रोता उद्दीप्त हो गए हों और उन पर उसकी कोई प्रतिक्रिया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हुई हो। अतः उस सम्प्रदाय के प्रति हिंसा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत आशुलिपिक की रिपोर्ट में के पाद-टिप्पण में यह कहा गया है कि श्रोताओं ने भाषण बड़े उत्साह से सुना। जिला मजिस्ट्रेट ने इस सम्बन्ध में रिपोर्टर के टिप्पण पर ध्यान नहीं दिया। उसने केवल भाषण के पाठ के प्रतिलेख से हुई अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया के आधार पर ही कार्य किया। प्रश्नगत भाषण को व्यक्तिगत रूप से न सुनने के कारण निरोध प्राधिकारी के लिए इतना ही उचित है कि वह इस बात का पता लगाने के लिए कि भाषण कैसा दिया गया और इसकी श्रोताओं पर क्या प्रतिक्रिया हुई, श्रोता सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित रिपोर्ट की अपेक्षा करें। बोले गए शब्दों और बोले गए शब्दों के लिखे गए अभिलेख में बहुत गहरा अन्तर होता है। सौभाग्यवश इस मामले में शासकीय रिपोर्टर का यह मत है कि इस भाषण ने उत्साह उत्पन्न किया और उत्साह से अधिक कोई घातक बात नहीं हुई। अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि निरुद्ध किए जाने का प्रथम आधार असफल है।

11. निरोध किए जाने के द्वितीय आधार के बारे में, श्री नटराजन् मुश्किल से ही उन अशिष्ट और हिंसक धमकियों को स्पष्ट कर सके हैं जो निरुद्ध किए गए व्यक्ति ने मुख्य मंत्री को दी थीं। किन्तु विद्वान् काउन्सेल ने जिस बात पर जोर दिया है, वह यह है कि ये धमकियां अधिक से अधिक विधि और व्यवस्था की समस्या है और इसे लोक व्यवस्था या लोक प्रशान्ति की समस्या के रूप में नहीं माना जा सकता।

12. किन्तु विद्वान् अधिवक्ता ने यह कहा कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को दी गई धमकी विधि या व्यवस्था की समस्या हो सकती है किन्तु चूंकि राज्य का मुख्य शासन का प्रधान है अतः इन धमकियों के भिन्न परिणाम होंगे। हम इस बात को मानते हैं कि हमारी निर्वाचन पद्धति के अन्तर्गत हममें से कोई भी किसी ही दिन शासन का प्रधान हो सकता है और जैसे ही हम एक बार पद धारण कर लेते हैं, हम प्राइवेट नागरिक नहीं रह जाते। लेकिन हम इस उपधारणा को स्वीकार नहीं करते कि मुख्य मन्त्री पर हमला करना राज्य पर हमला करना है। हमारे मुख्य मन्त्रियों में से किसी भी मुख्य मन्त्री ने लुईस XIV की भांति इस बात का दावा नहीं किया है कि "मैं राज्य हूं।" न ही हमारे देश में इंग्लैंड की भांति यह सांविधानिक सिद्धांत प्रचलित है कि सम्राट का शरीर अभेद्य है और यदि इस पर हमला करने का प्रयत्न किया जाता है तो ऐसे कार्य को उच्च प्रकार का राजद्रोह माना जाएगा। वास्तव में हमारी दण्ड संहिता में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, जिनका उल्लेख अध्याय 8 के अन्तर्गत किया गया है, और 'राज्य के विरुद्ध अपराध', जिनका उल्लेख अध्याय 6 के अन्तर्गत किया गया है, के बीच स्पष्ट भेद किया गया है। भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल पर हमला किया जाना राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है किन्तु मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध इसी प्रकार के अपराधों को उस विशेष रीति में नहीं माना जाता। अतः यह प्रतीत होता है कि मुख्य मन्त्री के विरुद्ध निरुद्ध किए गए व्यक्ति के भाषण में दी गई धमकी विषयक प्रभागों की बाबत कार्यवाही दाण्डिक अभियोजन की सामान्य मशीनरी के अन्तर्गत ही की जाएगी न कि निवारक निरोध विषयक असाधारण लोक उपचार के अन्तर्गत की जाएगी।

13. यह विरोधाभास प्रतीत होता है कि ऐसी बातों को, जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध से लघुतर हों, लोक व्यवस्था की उपधारणा के अंतर्गत लाया जा सकता है किन्तु इन्हें श्रेष्ठ विधि या व्यवस्था की समस्याओं के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। लेकिन यह प्रत्यक्ष विरोधाभास उन कार्यों और बातों के बीच वास्तविक विभेद पर आधारित होता है जिनका व्यक्ति पर आरम्भिक रूप में या प्रत्यक्षतः तथा जिनका जनता पर आनुषंगिक रूप से प्रभाव पड़ता है तथा वे कार्य और बातें जिनका समुदाय से या समुदाय के एक विशेष भाग से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और व्यक्तियों और इसका गठन करने वाले व्यक्तियों के समूह पर गौण प्रभाव पड़ता है। लोक व्यवस्था और विधि तथा व्यवस्था के बीच प्रत्यक्ष विरोधाभासी अन्तर, जो अधिक प्राचीन नहीं तो **राम मनोहर लोहिया वाले मामले**[1] के समय का है, पुस्तकों में के उन अनेक मामलों को स्पष्ट करता है जिनमें उन व्यक्तियों को जिन्हें आसानी से गम्भीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, न्यायालय के हस्तक्षेप के माध्यम से निवारक निरोध से मुक्त किया गया है। अतः हम ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं जिसने किसी ग्रह में घातक हथियारों से डकैती डाली हो किन्तु उसे निवारक निरोध विधि के अन्तर्गत न लाया गया हो। (**जतीन्द्र नाथ** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[2])। विधि रिपोर्टों में एक अन्य मामले में एक जवान व्यक्ति परिवार से सम्बन्धित स्त्रियों के उत्पीड़न के कार्य से सम्बन्धित था। उसे न्यायालय ने निवारक निरोध से इस आधार पर मुक्त कर दिया कि जो कुछ उसने किया था, वह किसी परिक्षेत्र में सामान्य महिला समूह के उत्पीड़न की कोटि में नहीं आता। (**अरुण**

[1] ए० आई० आर० 1961 एस० सी० 740.
[2] ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 1215.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

घोष बनाम पश्चिमी बंगाल[1]) अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को हिंसा विषयक दी गई धमकी अथवा किसी एक ही परिवार के सदस्यों को दी गई धमकी वास्तव में न्यायिक दण्डाधिकरण का ऐसा मामला है जिस पर दाण्डिक विधि और प्रक्रिया के अन्तर्गत न कि निवारक निरोध विधि के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जाएगा।

14. निरोध आदेश के निबंधनों के आधार पर तथा मामले के इस भाग से सुसंगत निरोध के वास्तविक आधार पर मुख्य मंत्री को दी गई धमकी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं अनुयोज्य नहीं माना गया है। उसने केवल उद्दीपन का ही हवाला नहीं दिया है वरन् पत्थर फेंकने की घटना, जिसके बारे में यह कहा गया है कि यह घटना निरुद्ध किए गए व्यक्ति द्वारा मुख्य मंत्री के प्रति असम्मान सूचक भाषण के कारण हुई थी, को भी सम्मलित किया है। पुलिस आशुलिपिक की रिपोर्ट यह दर्शित करती है कि पत्थर फेंके गए थे किन्तु उसने यह भी अभिलिखित किया है कि व्यवस्था को पुनः स्थापित कर लिया गया था तथा निरुद्ध किए गए व्यक्ति ने अपने भाषण को समाप्त करने के लिए भाषण वहीं से प्रारम्भ किया जहां से छोड़ा था और इसके पश्चात् उसने मंच छोड़ दिया। जैसा कि हम पहले ही उपदर्शित कर चुके हैं। आशुलिपिक की रिपोर्ट यह दर्शित करती है कि 5000 श्रोताओं ने ध्यान के साथ वक्ता का भाषण सुना। यदि उस सभा में भय या आतंक फैला हुआ होता तो शासकीय रिपोर्टर का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित होता और वह इसका विशेष रूप से उल्लेख करता। पुलिस उप-अधीक्षक, जो कि वहां शासकीय रूप से श्रोता था, ने भी सभा में किसी प्रकार की दहशत या आतंक की स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। उसने सभा होने के 5 दिन पश्चात् अपना शपथपत्र शपथित किया और यदि इरोड में या इसके आसपास लोक व्यवस्था विक्षुब्ध हुई होती तो इस बीच वह शपथपत्र में इस बात का टिप्पण देता। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। झगड़ा फसाद और पत्थर फेंकने की बावत जो कुछ उसने कहा है, वह यह है कि इससे सम्प्रदाय के बीच असामंजस्य उत्पन्न हुआ है। उसने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि मुख्य मंत्री को दी गई धमकी किस प्रकार साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का सकती है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि शपथपत्र में कहीं भी उसने यह नहीं कहा है कि जिस समय निरुद्ध किए गए व्यक्ति ने मुख्य मंत्री पर व्यक्तिगत रूप से अश्लील शब्दों का प्रयोग किया तब इरोड में भय और आतंक फैल गया। हमारा यह समाधान हो गया है

[1]ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1228.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कि द्वितीय अधार पर निरोध प्राधिकारी के महत्वपूर्ण निष्कर्ष की बाबत उन दस्तावेजों में भी, जिनका अवलम्ब लिया गया है, नाममात्र का साक्ष्य नहीं है। अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इस मामले में यह आधार भी निवारक निरोध के आधार के रूप में असफल होता है।

15. श्री नटराजन् ने यह कहा कि आधारों में कथित समस्त मामला केवल एक ही भाषण पर या उस भाषण के प्रभावों में पुनः सम्पादन पर आधारित किया गया था। विद्वान् काउन्सेल ने यह भी कहा कि उन दूरदर्शी प्रवृत्तियों और संभावनाओं के, जिनके निर्वचन के लिए महत्वपूर्ण आभार प्रस्तुत तथ्यों से निकाला जा सकता है, आधार पर निवारक निरोध के अधीन किसी व्यक्ति को वन्द करने के लिए निरोध प्राधिकारी के पास न केवल प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला एक ही कृत्य होना चाहिए वरन् किसी ऐसी प्रवृत्ति का साक्ष्य भी होना चाहिए जो कई संबंधित कृत्यों में युक्तियुक्त रूप से पाया जाए। प्रस्तुत मामले में केवल एक ही भाषण से दो आधार तैयार किए गए हैं और वे दोनों ही आधार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हैं। तदनुसार उसने इस बात पर जोर दिया कि जिला मजिस्ट्रेट के व्यक्तिनिष्ठ इस समाधान के लिए कोई तात्त्विक आधार नहीं है कि यदि निरुद्ध किए गए व्यक्ति को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए तो वह पहले की भांति उसी प्रकार से भाषण देता रहेगा और उसके इन भाषणों से लोक व्यवस्था भंग होगी।

16. कुल मिलाकर, श्री नटराजन् की इस दलील को माना जा सकता है। लोक व्यवस्था की संक्षिप्त परिभाषा नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि कोई एक भाषण लोक व्यवस्था को क्षत-विक्षत कर सकता है। लोक व्यवस्था को क्षत-विक्षत करने के लिए वक्ता में अपनी बात समझाकर विश्वास दिलाने की वाकपटुता सम्बन्धी असाधारण शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि लोक व्यवस्था को प्रशांति की ऐसी किस्म के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने संरक्षण के लिए समान लय पर आधारित है। इसके बारे में यह नहीं माना जा सकता कि एक ही भावात्मक भाषण या हिंसा का एक ही कार्य उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा भाषण कार्यों से बहुत कम समीकृत किया जाना चाहिए। विचार, शब्द और कार्य, सिवाय उन बहुत कम मामलों के जिनमें स्वयं भाषण ही कार्य होता है, भिन्न-भिन्न होते है जैसे कि जब पादरी यह प्रश्न पूछता है कि "क्या तुम इस महिला को विधिमान्य रूप से अपनी विवाहित पत्नी ग्रहण कर सकते हो" और पति उत्तर देता है "मैं इसे ग्रहण करता हूं।" यहां शब्द स्वयं ही कार्य गठित करते हैं क्योंकि शब्दों से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ही विवाह की रीति पूर्ण हो जाती है। ऐसे भाषण-कार्य बहुत होते हैं। अतः इस मामले में यह साबित करने के लिए कि हिंसा करने के लिए उद्दीपन किया गया था और उस भाषण के कारण दंगा हुआ था, तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर निरोध के आधार तैयार किए गए हैं। जब इन अभिकथनों का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तब हमें केवल उस भाषण पर और केवल उसी एकमात्र भाषण को विचार में लेना होगा। केवल भाषण को निरोध प्राधिकारी द्वारा भी अनुयोज्य कार्य के रूप में नहीं माना गया है। इसका यह परिणाम निकलता है कि न तो कोई ऐसी सामग्री है और न ही ऐसा कोई विधिमान्य आधार है जिसके आधार पर निरोध आदेश को प्रवर्तित किया जा सके। तदनुसार हम निरोध के आदेश को अकृत और शून्य के रूप में अपास्त करते हुए निरुद्ध किए गए व्यक्ति को तुरन्त मुक्त करने का निदेश देते हैं।

17. हम तदनुसार आदेश देते हैं।

18. इस सारे विचार-विमर्श में हम निरुद्ध किए गए व्यक्ति पर और उसके स्पष्ट भाषण पर एक या अन्य कारण से किसी भी प्रकार का नैतिक निर्णय देने से बचे रहे हैं। इन मामलों में हममें से प्रत्येक अपने विचार अपने तक ही रखना चाहेगा। शेष के लिए ऊपर वर्णित बातों के आधार पर रिट पिटीशन में दिए गए न्यादेश को आत्यन्तिक बताते हैं। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

बंसल/मि०

नि० प० 1983 : मद्रास—98

वैस्टर्न इण्डिया टिम्बर्स बनाम जिला वन अधिकारी

(Western India Timbers *Vs.* The District Forests Officer)

तारीख 5 अक्तूबर, 1982

[न्या० गोकुलकृष्णन् और न्या० नैनार सुन्दरम्]

संविधान, 1950, अनुच्छेद 226, उत्प्रेषण रिट—कानूनी उपचार का होना उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की अधिकारिता को प्रभावित नहीं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करता किन्तु जहां एक वादकारी के लिए समान प्रभावकारी उपचार उपलब्ध हो, वहां उसे उस उपचार का सहारा लेना चाहिए और उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की असाधारण अधिकारिता का अवलम्ब नहीं लेना चाहिए।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 4 से 9 तक के, जिनकी जमीन नीलगिरि पहाड़ियों पर स्थित थीं, काष्ठ व जलाऊ लकड़ी खरीदी थी। अपीलार्थी ने कटी हुई काष्ठ और जलाऊ लकड़ी को ले जाने के लिए फार्म-II अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन किया था और लकड़ी का परिवहन कर रखा था। उनमें से एक अनुज्ञापत्र 30-9-72 तक के लिए वैध था, दूसरा अनुज्ञापत्र 31-3-73 तक के लिए वैध था। अपीलार्थी के अनुसार प्रथम प्रत्यर्थी ने फार्म-II अनुज्ञापत्र को एकाएक रद्द कर दिया तथा अपीलार्थी को कटी हुई लड़की का परिवहन करने से रोक दिया। अपीलार्थी का कहना है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी को बिना सूचना दिए उसका फार्म-II अनुज्ञापत्र अवैध रूप से रद्द कर दिया है और रद्द करने के आदेश से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होता है। इसलिए उसने उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय का अवलम्ब लिया। लेकिन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट पिटीशन को खारिज कर दिया तथा यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को सिविल वाद फाइल करना चाहिए था। इसके विरुद्ध अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील फाइल की। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दूसरा समान प्रभावकारी उपाय होने पर भी, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की असाधारण अधिकारिता का अवलम्ब लिया जा सकता है।

अभिनिर्धारित—रिट अपील खारिज की गई।

भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय अपनी असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में रिट जारी कर सकता है किन्तु जहां वादकारी के लिए समान प्रभावकारी उपचार उपलब्ध हो, वहां उसे परमाधिकार रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलम्ब नहीं लेना चाहिए। अपीलार्थी को समुचित अनुतोष के लिए वाद फाइल करके सिविल न्यायालय की अधिकारिता का सहारा लेना चाहिए। (पैरा 9)

		पैरा
[1969]	[1969] 1 उम० नि० प० 1969 एस० सी० 109= (1969) ए० आई० आर० 1969 एस० सी० 556 : बाबूराम **बनाम** जिला परिषद् (Babu Ram *Vs.* Zila Parisad);	8

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1969] ए० आई० आर० 1969 एस० सी० 655 : पी० बी० रेड्डी बनाम मैसूर राज्य (P. B. Reddy *Vs.* State of Mysore) 8

से प्रभेद बताया गया ।

सिविल रिट (अपीली) अधिकारिता : 1977 की सिविल रिट अपील संख्या 76.

अपीलार्थी ने न्या० कौशल के आदेश दिनांक 15-12-76 के विरुद्ध लैटर्स पेटेन्ट के खण्ड 15 के अधीन यह अपील की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से ... श्री सी० राजन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ... श्री के० नटराजन, सरकारी अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 3 ओर 7 की और से ... श्री के० राधाकृष्णन्

न्यायालय का निर्णय न्या० गोकुल कृष्णन ने दिया ।

न्या० गोकुल कृष्णन् :

रिट पिटीशन यहां पर अपीलार्थी है ! उसने नीलगिरिज के जिला वन अधिकारी के पास से उन अभिलेखों को मंगाने की प्रार्थना की है जिसके द्वारा उसने काष्ठ व जलाऊ लड़की का परिवहन करने के लिए जारी किए गए फार्म II अनुज्ञापत्र जो अपीलार्थी को जारी किए गए थे, दिया था। अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि उक्त रद्दकरण के आदेश को अवैध मानते हुए अभिखण्डित किया जाना चाहिए।

2. अपीलार्थी ने यह अभिकथन किया है कि उसने प्रत्यर्थी संख्या 4 से 9 तक से विभिन्न प्रकार की काष्ठ व जलाऊ लकड़ी खरीदी थी जिनकी भूमि नीलगिरिज पहाड़ियों में स्थित हैं। खरीदने के बाद, लकड़ी को काटने के लिए और उन्हें ले जाने के लिए अपीलार्थी ने फार्म II अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन किया और वह काष्ठ तथा जलाऊ लड़की का परिवहन कर रहा था। काष्ठ का परिवहन करने के उन अनुज्ञापत्रों में से एक 30-9-1972 तक वैध था व जलाऊ लकड़ी का परिवहन करने का अनुज्ञापत्र 31-3-1973 तक वैध था। यहां पर अपीलार्थी के अनुसार, प्रथम प्रत्यर्थी ने फार्म II अनुज्ञापत्र को अकस्मात रद्द कर दिया तथा इसके द्वारा अपीलार्थी को कटी हुई काष्ठ व जलाऊ लड़की का परिवहन करने से असमर्थ बना दिया। अपीलार्थी के अनुसार वह काष्ठ व जलाऊ लकड़ी का परिवहन करने के लिए विधितः हकदार है जिसे प्रत्यर्थी संख्या 4 से 9 तक से खरीदा है व अपीलार्थी को बिना कोई सूचना दिए फार्म

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दी गई और कुछ छूटें वापस ले ली गईं। इन संशोधनों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी के समक्ष तीन नए अधिकतम सीमा के मामले प्रारम्भ किए गए। पहला मामला 1974-75 का मामला सं० 16/ए-90-बी है (**राज्य बनाम शम्भूराम, नरसिंह दास और शकुन्तला**[1])। यह मामला एक विवरणी के आधार पर संस्थित किया गया था जिसका नायक द्वारा अपने क्रेताओं में से एक क्रेता अर्थात् शम्भूराम के माध्यम से संख्यित किया जाना तात्पर्यित था। यह मामला सम्पूर्ण 496.76 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में था जो 14,000 रुपये में नायक से खरीदी गई थी और यह कहा गया कि उसके विरुद्ध उच्चतम सीमा का पूर्ववर्ती मामला लम्बित था। यद्यपि वह तारीख 19 जुलाई, 1972 के आदेश द्वारा विनिश्चित कर दिया गया था और 406.76 एकड़ का क्षेत्र अधिशेष घोषित कर दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने इस मामले का विनिश्चय 24 मार्च, 1976 को किया और 403.76 एकड़ का क्षेत्र अधिशेष घोषित किया गया। अपील किए जाने पर जिसका विनिश्चय 2 सितम्बर 1676 को हुआ, कलक्टर ने इसमें थोड़ा उपान्तरण कर दिया। कलक्टर ने 412.76 एकड़ भूमि अधिशेष घोषित की। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस क्षेत्र में से 406.76 एकड़ नायक के विरुद्ध पूर्ववर्ती मामले में उच्चतम सीमा के एक मामले में अधिशेष घोषित की जा चुकी थी। यह कार्य सक्षम प्राधिकारी ने नायक के विरुद्ध किया था। सक्षम प्राधिकारी का आदेश 19 जुलाई, 1972 का है और अब उक्त भूमि पहले से ही राज्य में निहित हो चुकी है। अधिकतम सीमा का दूसरा मामला राज्य **बनाम मामनचन्द**[2] का है। इस मामले के अन्तर्गत वह भूमि भी आती है जो मामनचन्द ने अपनी दो अवयस्क सन्तानों आनन्द कुमार और ऊषा बाई के नाम पर तरलिका कुमारी से खरीदी थी और उसने अपने नाम पर कृष्णा कुमारी से 35 एकड़ भूमि खरीदी थी जो उसने अपने दामाद सजन कुमार के पक्ष में अन्तरित कर दी थी। यह स्मरण करने की बात है कि कृष्णा कुमारी के अधिकतम सीमा के मामले में 35 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी ने तारीख 6 जुलाई, 1972 के अपने आदेश द्वारा उसे 105 एकड़ भूमि अपने पास रखने के लिए अनुज्ञात किया था और तरलिका कुमारी के अधिकतम सीमा के मामले में उसी तारीख को पारित एक अन्य आदेश द्वारा 76.73 एकड़ भूमि को उसके द्वारा प्रतिधारित करना अनुज्ञात किया गया था। इन मामलों में अपने पास रखने के लिए अनुज्ञात की गई भूमि का कुल क्षेत्र 181.73 एकड़ होता है। मामनचन्द द्वारा सजन कुमार के पक्ष में अन्तरित की गई 35 एकड़ भूमि की कटौती करने पर शेष बचा हुआ

[1] 1974-75 का मामला सं० 16-ए-90-बी.
[2] 1974-75 का मामला सं० 18-ए-90-बी.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्षेत्र करीब 146.73 एकड़ है। अतः मामनचन्द के विरुद्ध अधिकतम सीमा के मामले में उसने कटुम्ब की इकाई के लिए 146.73 एकड़ भूमि घोषित की। सक्षम प्राधिकारी के तारीख 20 मार्च, 1976 के आदेश द्वारा जैसा कि वह अपील में उपान्तरित किया गया है, मामनचन्द को स्वयं अपने लिए और अपने कुटुम्ब को इकाई का गठन करने वाली अपनी तीन अवयस्क सन्तानों के लिए 63 एकड़ भूमि अपने पास रखने के लिए अनुज्ञात किया और 83.73 एकड़ भूमि अधिशेष भूमि घोषित कर दी गई। अधिकतम सीमा के तीसरे मामले में जो सजन कुमार के विरुद्ध था, (1974-75 का मामला सं० 766-ए/90-बी) सक्षम प्राधिकारी ने 7 जनवरी, 1976 को विनिश्चय किया। 5 एकड़ भूमि अधिशेष घोषित की गई और सजन कुमार को 30 एकड़ भूमि अपने पास रखने की अनुज्ञा दी गई। अधिकतम सीमा के इन मामलों का परिणाम निम्नानुसार है :—

सीलिंग मामला	अपने पास रखने के लिए अनुज्ञात भूमि	अधिशेष घोषित भूमि
16/ए-90 (बी) 74-75	शम्भूराम आत्मज मामनचन्द को 54 एकड़ शकुन्तला पुत्री मामनचन्द को 30 एकड़	412.76 एकड़
18/ए-90 (बी)/74-75	कुटुम्ब की इकाई का प्रतिनिधित्व करने वाले के तौर पर जिसमें स्वयं मामनचन्द और उसकी चार अवयस्क सन्तानें थीं, 63 एकड़।	83.73 एकड़
766-ए-90(बी) 74-75	मामनचन्द के दामाद सजन कुमार को 30 एकड़।	5 एकड़

7. 1974-75 के अधिकतम सीमा मामला सं० 16/ए-90-बी में सक्षम प्राधिकारी ने अधिशेष भूमि के लिए प्रतिकर के तौर पर 8,255 रुपये 20 पैसे अनुज्ञात किए। इसी प्रकार अधिकतम सीमा मामला सं० 18/ए-90-बी/74-75 में सक्षम प्राधिकारी ने प्रतिकर के तौर पर 1674 रुपये 60 पैसे अनुज्ञात किए और अधिकतम सीमा मामला सं० 766-ए-90-बी/74-75 में सक्षम प्राधिकारी ने अधिशेष घोषित की गई भूमि के लिए प्रतिकर के तौर पर 100 रुपये मंजूर किए। 6 अप्रैल, 1977 को अतिरिक्त प्रतिकर के लिए आवेदन फाइल किए गए जो 1974 के अधिनियम सं० 13 द्वारा यथा संशोधित धारा 16(2)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और उस उपबन्ध के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 3-क के अनुसार थे। तहसीलदार ने पहले मामले में 3,11,246 वृक्षों की गणना की। दूसरे मामले में 43,972 और तीसरे मामले में 4,818 वृक्षों की गणना कीं। इस आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने तीन आदेशों द्वारा जो 4 दिसम्बर, 1979 को पारित किए गए थे (उपाबन्ध पी-10, पी-11 और पी-12) 32,26,688 रुपये प्रतिकर के तौर पर अनुज्ञात किए। यह प्रतिकर प्रथम मामला(सं० 16/ए-90-बी/74-75) में वृक्षों के लिए शम्भूराम, नरसिंहदास जो मामनचन्द के पुत्र हैं, और शकुन्तला पुत्री मामनचन्द को मंजूर किए गये थे। दूसरे मामले में (सं० 18-ए (बी)/74-75) मामनचन्द को 4,44,776 रुपये और तीसरे मामले में (सं० 766-ए-90(बी)/74-75) साजन कुमार को 49,679 रुपये प्रतिकर के तौर पर मंजूर किए गए थे। ये व्यक्ति प्रतिकर के तौर पर 37 लाख रुपये से अधिक मिल जाने पर भी सन्तुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने कलक्टर के समक्ष तीन अपीलें फाइल कीं जो तारीख 31 मार्च, 1980 के तीन आदेशों द्वारा खारिज कर दी गई थीं। इसके पश्चात् इन व्यक्तियों ने राजस्व बोर्ड के समक्ष तीन पुनरीक्षण पिटीशन फाइल किए जिसने तारीख 14 अगस्त 1981 (उपाबंध पी-16) के आदेश द्वारा इन पुनरीक्षणों को मंजूर किया और कतिपय निदेशों सहित इन वृक्षों के संबंध में संदेय अतिरिक्त प्रतिकर की पुनः संगणना करने के लिए इन मामलों को समक्ष प्राधिकारी को वापस भेज दिया। ये निदेश इस प्रकार हैं कि महुआ, चार, जामुन, तेन्दु और अवाला को प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए फल लगने वाले वृक्ष माना जाना चाहिए और बांस तथा झाड़ियों की भी वृक्षों के तौर पर संगणना की जानी चाहिए।

8. मामन चन्द, शम्भूराम, नरसिंहदास, शकुन्तला और सजन कुमार राजस्व बोर्ड द्वारा दिए गए निदेश से भी संतुष्ट नहीं थे जिसे यदि क्रियान्वित किया गया होता तो उसके परिणामस्वरूप वृक्षों के लिए प्रतिकर के तौर पर एक करोड़ से अधिक रुपये का संदाय करना पड़ता। उन्होंने 1981 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 1051 फाइल किया और यह प्रार्थना की कि हमें प्रतिकर के तौर पर वृक्षों का बाजार मूल्य अनुज्ञात किया जाना चाहिए और यह घोषणा की जानी चाहिए कि नियम 3-क और प्ररूप क-2 अविधिमान्य हैं। किन्तु बहुत अधिक लालच अक्सर किसी व्यक्ति की तबाही का कारण बन जाता है। 1981 के प्रकीर्ण पिटीशन सं० 1051 के उत्तर में अपने प्रतिरक्षा कथन को तैयार करते समय राज्य सरकार को यह अनुभव हुआ कि सक्षम प्राधिकारी और राजस्व बोर्ड द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय करने पर उसे कितनी अधिक हानि होने वाली है। अतः राज्य सरकार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ने 1981 के प्रकीर्ण पिटीशन सं० 1051 में किए गए दावे का विरोध करने के अलावा प्रस्तुत रिट पिटीशन (1982 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 275) फाइल किया और अधिकतम सीमा के दूसरे सेट के मामलों में की गई संपूर्ण कार्यवाहियों पर आपेक्ष किया और प्रतिकर के संदाय से संबधित आदेशों सहित उक्त कार्यवाहियों में किए गए सभी आदेशों को अभिखंडित करने की प्रार्थना की।

9. इन पिटीशनों में उठाईं गईं दलीलों पर विचार करने के पहले अधिकतम सीमा अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों पर पहले ध्यान देना आवश्यक है। हम यह पहले ही वर्णित कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम सबसे पहले 1960 में अधिनियमित किया गया था। 1974 के अधिनियम सं० 12 और 13 के द्वारा उसमें सारभूत रूप से संशोधन कर दिया गया है। ये दोनों अधिनियम, 7 मार्च, 1974 से प्रवृत्त हुए। इन अधिनियमों के द्वारा अधिकतम सीमा काफी हद तक कम कर दी गई और कतिपय छूटें वापस ले ली गईं हैं। अधिनियम के अधीन अधिशेष भूमि धारा 11 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की जाती है। धारा 5 में अन्तरण पर वर्जन का उल्लेख है, जब तक कि धारा 11 के अधीन कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है। धारा 5 की उपधारा (1) और (2) सुसंगत है और वे इस प्रकार हैं :—

"5. भूमि के अन्तरण और उपखंड किए जाने पर निर्बन्धन और अतिलंघन में किए गए अन्तरण या उपखण्ड के परिणाम—

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी भूमि :—

(क) चाहे विक्रय के द्वारा, (सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में विक्रय को सम्मिलित करते हुए या किसी अन्य वैध प्राधिकारी के अधिनिर्णय या आदेश के निष्पादन में) या दान, विनिमय, पट्टा या अन्यथा किसी और तरीके से, अन्तरित नहीं की जायेगी, या

(ख) चाहे विभाजन द्वारा या अन्यथा (किसी सिविल न्यायालय या किसी अन्य वैध प्राधिकारी की डिक्री या आदेश द्वारा किए गए उपखण्ड को सम्मिलित करते हुए) उपखण्डित नहीं की जाएगी।

सिवाय कलक्टर की लिखित अनुज्ञा के जब तक कि धारा11 के अधीन कोई अन्तिम आदेश पारित न किया गया हो।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(2) कलक्टर ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकता है, यदि उसकी राय में भूमि के उपखण्ड के अन्तरण से इस अधिनियम का उद्देश्य विफल होने की सम्भावना हो।"

धारा 12 के अधीन अधिशेष भूमि राज्य सरकार में निहित होती है। 1976 के अधिनियम सं० 3 द्वारा संशोधन से पहले जो 16 जुलाई, 1976 से प्रवृत्त हुआ, धारा 12 के अधीन भूमि का निहित होना "अगले आने वाले कृषि वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावित हुआ जो वह तारीख थी जिसको ऐसी भूमि अधिशेष घोषित की गई थी।" संशोधन के पश्चात् निहित होना उस तारीख को संपूर्ण होता है जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिशेष घोषित कर दी जाती है। अधिनियम की धारा 3 में छूटें अन्तर्विष्ट हैं। 1974 के अधिनियम संख्या 13 द्वारा इस धारा के संशोधन के पहले बगीचे या अमराई के लिए उपयोग की गई 30 एकड़ विस्तार तक की भूमि जिससे ऐसे क्षेत्र के सुसम्बद्ध क्षेत्र का कोई ब्लाक गठित होता, जो ऐसे क्षेत्र से कम न हो "जैसा कि विहित किया जाए", अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्राप्त था। अधिनियम की धारा 16 के अधीन अधिशेष भूमि के लिए प्रतिकर उपबन्धित है। धारा 16(1) के अनुसार अधिशेष भूमि के लिए प्रतिकर का संदाय राज्य को करना होता है, और ऐसी भूमि धारा 12 के अधीन राज्य में निहित होती है और अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार धारक को प्रतिकर का संदाय किया जाता है। धारा 16 की उपधारा (2) और (3) में अतिरिक्त प्रतिकर के लिए उपबन्ध है। 1974 के संशोधन अधिनियम 13 द्वारा संशोधन से पहले ये उपधाराएं इस प्रकार थीं :—

*"16. अधिशेष भूमि के लिए प्रतिकर का संदाय करने का राज्य सरकार का दायित्व।

× × × ×

(2) उपधारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर के अतिरिक्त राज्य सरकार ऐसी भूमि के धारक को (i) भूमि पर उसके द्वारा किए गए

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"16. Liability of State Government to pay compensation for surplus land.

× × × ×

(2) In addition to the compensation payable under sub-section (1), the State Government shall pay to the

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किसी सुधार के लिए या; (ii) वृक्षों के लिए, यदि ऐसे कोई वृक्ष उस भूमि पर हों, अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय करेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन संदेय अतिरिक्त प्रतिकर का अवधारण करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा :—

(क) सुधार के कारण भूमि की मूल्य वृद्धि;

(ख) सुधार के प्रभाव की संभाव्य कालावधि;

(ग) धारक द्वारा सुधार पर लगाए गए श्रम और व्यय किया गया धन;

(घ) वृक्षों की प्रकृति और उनका मूल्य।"

अधिनियम की धारा 50(1) राज्य सरकार को "अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए" नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करती है। धारा 50(2) में कतिपय विनिर्दिष्ट बातें प्रगणित की गई हैं जिन पर नियम बनाए जा सकते हैं किन्तु हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। वृक्षों के लिए उपबन्ध करते हुए धारा 16 को संशोधित करने के पश्चात् राज्य सरकार ने नियम 3-क और प्ररूप क-2 बनाए जो 10 सितम्बर, 1976 से प्रवृत्त हुए। वे इस प्रकार हैं :—

---

holeder of such land additional compensation—(i) for any improvement made by him on land; (ii) for trees, if any, standing on land.

(3) In determining the additional compensation payable under sub-setion (2), the following matters shall be taken into consideration, namely :—

(a) the enhancement of the value of the land due to the improvement;

(b) probable duration of the effect of the improvement;

(c) labour and capital spent by the holder on the improvement;

(d) nature of trees anh value thereof".

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

*"3-क—इन नियमों से संलग्न प्ररूप क-2 में दिए गए माप-मान के अनुसार वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर की संगणना की जाएगी। ऐसा धारक जो वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का दावा करता है, प्ररूप क-1 में एक विवरण फाइल करेगा। सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार द्वारा विवरण की जांच करवाएगा जो वृक्षों की प्रकृति, घेरे का माप-मान और अन्य विशिष्टियां सत्यापित करेगा और प्ररूप क-2 में दिए गए माप के आधार पर वृक्षों के मूल्य की संगणना करेगा।"

प्ररूप-क-2

(देखिए नियम 3-क)

माप

नीचे से वृक्षों के घेरे का माप मान सेंटीमीटर में	प्रति वृक्ष के लिए प्रतिकर इमारती लकड़ी	
	सागवान	अन्य इमारती वृक्ष
(1)	(2)	(3)
60 सेंटीमीटर तक	3-00	2-00
61 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक	100/00	25-00
121 सेंटीमीटर और उससे अधिक	200-00	50-00

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"3-A. The additional compensation for the standing trees shall be calculated according to the scale given in Form A-2 appended to these rules. The holder claiming additional compensation for the Standing trees shall file a statement in Form A-1. The Competent Authority shall get the statement checked by the Tahsildar who shall verify the nature of trees, measurement of girth and other particulars and calculate the value of trees on the basis of scale given in Form A-2."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

घेरे का विचार किए बिना प्रत्येक वृक्ष का प्रतिकर,

आम		सरटस फल		अन्य
फल लगने वाला	फल न लगने वाला	फल लगने वाला	फल न लगने वाला	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
100-00	25-00	50-00	16-00	10-00

प्ररूप क-1 और क-2 तारीख 1 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० 1918-28-78 द्वारा जोड़े गए जो तारीख 10 सितम्बर, के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुए।

10. हमारे समक्ष विद्वान् उप-महाधिवक्ता ने निम्नलिखित दलीलें दीं :

(1) अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 16(2)(ii) में "वृक्ष" शब्द ऐसे वृक्षों तक ही सीमित होना चाहिए जो धारक द्वारा लगाए गए हैं और अपने आप उगे वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर संदेय नहीं है।

(2) धारा 16(2)(ii) भूतलक्षी नहीं है और तारीख 7 मार्च, 1974 के पहले जब 1974 का अधिनियम सं० 13 प्रवृत्त हुआ, राज्य में निहित अधिशेष भूमि पर वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर संदेय नहीं है।

(3) नायक और उसके नातेदारों के विरुद्ध अधिकतम सीमा के प्रथम सेट के मामलों में अधिशेष घोषित की गई भूमि मामनचन्द और उसके कुटुम्ब के सदस्यों/नातेदारों के विरुद्ध अधिकतम सीमा के दूसरे सेट के मामले की विषय-वस्तु नहीं बन सकी।

(4) मामनचन्द और उसके कुटुम्ब के सदस्यों/नातेदारों के पक्ष में किए गए विक्रय शून्य थे क्योंकि वे अधिकतम सीमा के प्रथम सेट के मामलों के लम्बित रहने के दौरान किए गए थे और परिणामस्वरूप अधिकतम सीमा के दूसरे सेट के मामले इस अनुमान के आधार पर प्रारम्भ नहीं किए जा सकते कि ये अन्तरण विधिमान्य हैं और अन्तरितियों के पक्ष में कोई प्रतिकर या अतिरिक्त प्रतिकर मंजूर नहीं किया जा सकेगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

11. मामचन्द और उसके कुटुम्ब के सदस्यों/नातेदारों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री वाई० एस० धर्माधिकारी ने विद्वान् उप-महाधिवक्ता द्वारा दी गई ऊपर वर्णित दलीलों का खण्डन यह निवेदन करते हुए किया कि वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर उनके बाजार मूल्य के अनुसार संदत्त किया जाना चाहिए और नियम 3-क और प्ररूप क-2 अविधिमान्य है क्योंकि वे नियम बनाने की शक्ति से परे हैं और वे इस कारण से भी अविधिमान्य हैं कि उनमें उपबन्धित प्रतिकर मनमाना और विभेदकारी है और इससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। विद्वान काउंसेल ने यह भी निवेदन किया कि अधिकतम सीमा के दूसरे सेट के मामले में सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध राज्य ने कोई अपील नहीं की और उनमें किए गए आदेश राज्य के विरुद्ध अन्तिम हो गए और अब यह दलील देने में बहुत विलम्ब हो गया है कि विक्रय अविधिमान्य हैं और अन्तरितियों को मान्यता नहीं दी जा सकती और उन्हें कोई प्रतिकर मंजूर नहीं किया जा सकता।

12. उपमहाधिवक्ता द्वारा दी गई पहली दलील धारा 16(2)(ii) के अर्थान्वयन से सम्बन्धित है। उक्त धारा 1974 के अधिनियम सं० 13 द्वारा पुनःस्थापित की गई है। भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के उपबन्धों का अर्थान्वयन करने में अधिनियम के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा। अधिकतम सीमा अधिनियम समाज कल्याण विधान है जो संविधान की प्रस्तावना और निदेशक सिद्धान्तों में अंतर्विष्ट सामजिक न्याय सुनिश्चित करने के महान उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए परिकल्पित है। अधिकतम सीमा अधिनियम का उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों के वितरण के लिए सरकार को अधिशेष भूमि उपलब्ध कराना है। स्वत्वहरण करने वाली विधियों को लागू होने वाले अर्थान्वयन के नियम यहां लागू नहीं होते हैं और ऐसे अर्थान्वयन की अनुज्ञा देने वाली भाषा को जिससे अधिकतम सीमा अधिनियम का उद्देश्य सर्वोत्तम ढंग से सुनिश्चित होता है, अन्य अर्थान्वयन की तुलना में जो कृषि संबंधी न्याय को विफल करना चाहता है, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहां अधिनियम की धारा 35 के प्रति निर्देश किया जा सकता है जिसमें राज्य में निहित अधिशेष भूमि के आबंटन का उपबंध किया गया है। धारा 35 के अधीन राज्य में धारा 12 के अधीन निहित अधिशेष भूमि कृषिक श्रमिकों और भूमिहीन व्यक्तियों को आवश्यक रूप से भूमिस्वामी अधिकारों सहित आबंटित की जाएगी या किसी रूप में यहां पर वर्णित पूर्वोक्त के अनुसार ऐसी भूमि के बारे में संदेय प्रतिकर के बराबर प्रीमियम का (20 से अधिक किस्तों में संदेय नहीं है), संदाय करके सोसाइटियों को आबंटित की जाएगी। कृषिक श्रमिकों और भूमिहीन व्यक्तियों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को प्रतिकर के बराबर प्रीमियम के संदाय करने पर अधिशेष भूमि के आवंटन से ही यह दर्शित होता है कि अधिनियम में उपबंधित प्रतिकर का उद्देश्य इतना अधिक नहीं होना था कि वह श्रमिकों और भूमिहीन व्यक्तियों की पहुंच के बाहर हो जाए। इस पृष्ठभूमि में हमें धारा 16(2)(ii) का अर्थान्वयन करना चाहिए जिसमें वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर के लिए उपबंध किया गया है। हमने इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर लिया है और हम इस दलील से सहमत हैं कि धारा 16(2)(ii) "वृक्ष" शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, वह ऐसे वृक्षों को संज्ञापित करना है जो किसी अमराई या फल उद्यान में थे जो धारक द्वारा लगाए गए वृक्ष थे जिन्हें संवर्धन के तौर पर वर्णित किया जा सकता है और जो बिना उगाए हुए वृक्ष नहीं हैं, जैसे वन में होते हैं। पहली बात, जिस पर इस सम्बन्ध में ध्यान देना होगा, यह है कि जब अधिनियम की धारा 3 में फल उद्यान और अमराई के लिए छूट अंतर्विष्ट की है तो अधिनियम में वृक्षों के लिए प्रतिकर के संदाय का कोई उपबन्ध नहीं है। धारा 16 में उपबंधित प्रतिकर केवल अधिशेष भूमि के लिए था और ऐसी भूमि पर धारक द्वारा किये गये संवर्धन के लिए था। 1974 के अधिनियम संख्या 13 द्वारा दी गई छूट फल उद्यान और अमराई के सम्बन्ध में थी। जब वह वापस ले ली गई, तब धारा 16 में वृक्षों के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रतिकर का उपबंध अंत:स्थापित किया गया। इससे यह ज्ञात होता है कि वृक्षों के संबंध में प्रतिकर का उपबन्ध ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसका उपयोग फल उद्यान और अमराई के लिए किया गया था, छूट के वापस लेने से है। दूसरे शब्दों में विधानमंडल का ऐसा आशय धारक द्वारा लगाए वृक्षों के लिए प्रतिकर का उपबन्ध करना था जैसा कि फल उद्यान या अमराई के मामले में किया जाता है। ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का उपबन्ध उसी उपधारा (3) में है जिसमें पूर्व धारक द्वारा किए गए संवर्धन के संबंध में अतिरिक्त प्रतिकर के लिए उपबंध किया गया है। इससे यह भी दर्शित होता है कि वृक्ष धारक द्वारा किये गये संवर्धन के स्वरूप के होने चाहिए। अब ऐसे वृक्ष के बारे में, जो बिना पानी के बढ़ जाते हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि उनके सम्बन्ध में धारक ने संवर्धन का कार्य किया है। केवल ऐसे वृक्ष के, जो धारक द्वारा लगाए गए हैं, बारे में भूमि पर उसके द्वारा किया गया संवर्धन माना जा सकता है। अधिनियम में केवल वह भूमि आती है जो धारा 2(के) में परिभाषित है अर्थात् भूमि जो कृषिक प्रयोजनों के लिए धारित है। अत: अधिनियम में उपबंधित प्रतिकर अधिशेष भूमि के राज्य में निहित होने से धारक को होने वाली कृषिक आय की हानि है। अपने आप उगे हुए वृक्षों से आय कृषिक आय नहीं है और विधानमंडल का यह आशय नहीं हो सकता कि वह गैर-कृषिक हानि के लिए प्रतिकर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के संदाय के लिए उपबंध करे। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि धारा 16(2)(ii) में "वृक्ष" शब्द किसी प्रतिबंध के बिना प्रयुक्त किया गया है, फिर भी उसका इसी प्रकार अर्थान्वयन करना चाहिए कि उससे केवल ऐसे वृक्ष ही अभिप्रेत हों जो धारक द्वारा लगाए गए हैं। इस निष्कर्ष की इस बात से और भी पुष्टि होती है यदि हम उन परिणामों को देखते हैं, जो श्री धर्माधिकारी द्वारा दी गई दलील को स्वीकार करने से होंगे जो व्यापक अर्थ को स्वीकार करने के कारण होंगे। यदि "वृक्ष" शब्द का इस प्रकार अर्थान्वयन किया जाए कि उससे सभी वृक्ष अभिप्रेत हो जाएं, चाहे वे धारक द्वारा लगाए गए हों या अपने आप उगे हों, तो इससे राज्य इस प्रकार के मामलों में अधिशेष भूमि के निहित होने पर धारक को प्रतिकर के तौर पर करोड़ों रुपए के संदाय करने का दायी हो जाएगा और धारा 35 के अधीन श्रमिक और भूमिहीन व्यक्तियों को कोई भी भूमि उपबंधित करना असंभव हो जाएगा क्योंकि वे 20 किस्तों में भी प्रीमियम के तौर पर संदाय करने की स्थिति में शायद ही हों जो राशि राज्य को उक्त धारकों को संदाय करनी होगी। इस प्रकार यदि व्यापक अर्थान्वयन स्वीकार कर लिया जाता है तो उससे अधिनियम का उद्देश्य पूर्ण रूप से विफल हो जाएगा। हमारे मतानुसार, 'वृक्ष' शब्द का किसी प्रतिबन्ध के बिना अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता। जैसा हमने पहले वर्णित किया है "वृक्ष" का अर्थान्वयन इस प्रकार करना होगा कि उससे अभिप्रेत हो केवल ऐसे वृक्ष जिन्हें धारक ने लगाया है और जो अपने आप उगे हुए वृक्ष नहीं हैं। "वृक्ष" यदि कोई हों, जो भूमि पर खड़े हों, अभिव्यक्ति का इस प्रकार अर्थ होगा कि ऐसे वृक्ष, यदि कोई हों, जो अधिशेष भूमि पर धारक द्वारा लगाए गए हैं और जो निहित किए जाने की तारीख को खड़े हैं अर्थात् जो उस तारीख के पहले हटाए या गिराए नहीं गए हैं।

13. जहां तक 3-क नियम और प्ररूप क-2 की विधिमान्यता का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि अधिनियम की धारा 16(3) में केवल यह कहा गया है कि वृक्षों की प्रकृति और मूल्य को वृक्षों के लिए संदेय अतिरिक्त प्रतिकर का अवधारण करने में हिसाब में लिया जाना चाहिए। चूंकि अधिनियम में ही कोई निश्चित संकेत नहीं है कि वृक्षों के लिए प्रतिकर के तौर पर चाहे बाजार मूल्य या किसी अन्य मूल्य के रूप में कितनी रकम का संदाय करना चाहिए। अतः नियम 3-क बनाया गया था जो प्ररूप क-2 के साथ पढ़ने पर धन का मूल्य नियत करता है जिसका वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर के तौर पर राज्य को कोई ऐसा संदाय करना चाहिए। प्ररूप के साथ नियम को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि उससे वृक्षों के लिए संदेय प्रतिकर की रकम नियत कर के अधिनियम के उद्देश्यों को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्रियान्वित किया गया है और यह नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य धारा 20(1) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से परे है जो शक्ति धारा 50(1) द्वारा प्रदत्त की गई है जिससे राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त की गई है। जहां तक इस दलील का संबंध है कि नियम द्वारा उपबंधित प्रतिकर मनमाना है और इसलिए विभेदकारक है, हमारी राय में यह दलील नहीं दी जा सकती क्योंकि अधिनियम और नियम भूमि सुधार स्कीम के एक भाग हैं और दोनों ही संविधान के अनुच्छेद 31-क के अधीन आक्षेप से संरक्षित हैं। लताफत ए० खान **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में उत्तर प्रदेश इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन होल्डिंग्स ऐक्ट के 1967 के अधीन बनाए गए नियम 4(4) पर किए गए आक्षेप के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि उक्त नियम और अधिनियम की धारा 6 उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार स्कीम के एक भाग हैं और दोनों ही अनुच्छेद 31-क से संरक्षित हैं। **लताफत ए० खान** बनाम **यू० पी०** **राज्य**[1] वाला मामला जहां अनुच्छेद 31-क के व्याप्ति-क्षेत्र का संबंध है, अभी भी प्रभावी विधि है जैसा कि इस न्यायलय की खंड न्यायपीठ ने **पी० इनवेस्टमेंट** कारपोरेशन बनाम **भारत संघ**[2] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया है जहां **प्राग आइस एण्ड आयल मिल्स** बनाम **भारत संघ**[3] वाले मामले का प्रभेद बतलाया है गया और यह मत व्यक्त किया गया है कि प्राग आइस मिल्स वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने लताफत ए० खान वाले मामले में अनुच्छेद 31-ख के व्याप्ति-क्षेत्र से संबंधित मत को उलट दिया था जो अनुच्छेद 31-ख के व्याप्ति क्षेत्र से संबंधित था, किन्तु उस मामले में अनुच्छेद 31-क से संबंधित मत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। अतः इस दलील को कि नियम 3-क और प्ररुप क-2 अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने के कारण मनमाने और विभेदकारी हैं, रद्द करना होगा।

14. उप महाविधक्ता को दूसरी दलील पर विचार करते समय कि धारा 16(2)(ii) में किया गया संशोधन भूतलक्षी नहीं है, धारा 16 के अधीन राज्य में निहित अधिशेष भूमि के लिए प्रतिकर के संदाय करने का दायित्व निहित होने की तारीख को उद्भूत होता है जैसा कि अभिव्यक्त रूप से उस धारा की उपधारा (4) द्वारा घोषित किया गया है। उस समय जो विधि प्रवृत्त थी, उसके अनुसार यह अवधारित किया जाता है कि राज्य को अधिशेष भूमि के लिए कितना प्रतिकर संदत्त करना चाहिए। 1974 के अधिनियम सं० 13 द्वारा

---

[1] ए० आई० आर० 1973 एस० सी० 2070

[2] 1981 एम० पी० एल० जे० 62 पृ० 74, 75

[3] ए० आई० आर० 1978 एस० सी० 1296

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धारा 16 में किया गया संशोधन जिसमें यह उपबन्ध अंत:स्थापित किया गया है कि वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय किया जाए, धारा के शब्दों के अनुसार भूतलक्षी नहीं है और उसका अर्थान्वयन भूतलक्षी आधार पर नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, धारा 16(2)(ii) 1974 के अधिनियम सं० 13 के प्रवृत्त होने के पहले अर्थात् 7 मार्च, 1974 के पहले, राज्य में निहित अधिशेष भूमि को लागू नहीं होगी। हमने यह पहले ही उल्लेख कर दिया है कि फल उद्यान और अमराई को अधिकतम सीमा से छूट प्राप्त है। 1974 के अधिनियम सं० 13 द्वारा उक्त छूट समाप्त कर दी गई है और इसलिए उसमें वृक्षों के लिए प्रतिकर के संदाय का उपबन्ध भी किया गया था। इस परिस्थिति से इस बात का समर्थन होता है कि वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर के लिए उपबंध करने का आशय भूतलक्षी रूप से नहीं था, जिससे कि पहले निहित हुए मामले उसके अन्तर्गत आ सकें।

15. हमने जो निष्कर्ष निकाला है कि वृक्षों के लिए प्रतिकर का उपबन्ध करने वाली धारा 16(2)(ii) भूतलक्षी नहीं है और वह 7 मार्च, 1974 को या उसके पश्चात् राज्य में निहित अधिशेष भूमि के बारे में प्रवृत्त होती है, यह स्पष्ट है कि यह उपबन्ध ऐसी अधिशेष भूमियों को लागू नहीं होगा जो नायक और उसके नातेदारों के विरुद्ध अधिकतम सीमा के पहले सेट के मामलों में राज्य में पहले ही निहित हो गई थी। यह स्मरणीय है कि अधिकतम सीमा के ये मामले जुलाई, 1972 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए थे। धारा 12 के अनुसार, जैसी वह तब थी, इन अधिकतम सीमा के मामलों में अधिशेष घोषित की गई भूमियां अगले कृषि वर्ष के प्रारम्भ से अर्थात् 1 जुलाई, 1973 से राज्य में निहित हो गई थी, यह कार्य धारा 16 में वृक्षों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का उपबन्ध अन्त:स्थापित किए जाने से बहुत पहले हो चुका था। हम इस बात पर पहले ही विचार कर चुके हैं कि 406-76 एकड़ भूमि जो अधिकतम सीमा मामला सं० 178-ए/90-बी/64-64 में नायक के विरुद्ध अधिशेष घोषित की गई थी, पुन: सम्मिलित की गई और शम्भू राम, नरसिंह दास और शकुन्तला के विरुद्ध अधिकतम सीमा मामला सं० 16/ए-90-बी/74-75 में पुन: अधिशेष घोषित की गई। यह बात अपने आप में ही तथ्यत: पूर्ण रूप से अवैध है। अधिकतम सीमा अधिनियम, जैसा कि वह 1974 के अधिनियम सं० 13 द्वारा संशोधित किए जाने के पहले था, के अनुसार राज्य में भूमि के एक बार निहित हो जाने पर वह भूमि अधिकतम सीमा के किसी नये मामले की विषय-वस्तु नहीं हो सकती और वे भूमियां पुन: अधिशेष घोषित नहीं की जा सकतीं। सचमुच ही 7 मार्च, 1974 को लंबित अधिकतम सीमा के मामले जब

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1974 अधिनियम के सं०12 और 13 प्रवृत्त हुए, जिनके द्वारा अधिकतम सीमा क्षेत्र कम किया गया, उनका विनिश्चय भी मूल अधिनियम के अनुसार किया जाना था और मूल अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा के निहित हो जाने के पश्चात् धारकों के पास रहने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में संशोधित उपबंधों के अधीन अधिकतम सीमा के नये मामले शुरू किए जाने हैं। यह बात 1976 के अधिनियम सं० 37 की धारा 5 और 6 द्वारा स्पष्ट की गई है जो इस प्रकार है :—

*"5. लंबित कार्रवाइयां :—किसी धारक की धृति के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई जो मध्य प्रदेश सीलिंग आन एग्रीकलचरल होल्डिंग्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1974 (1974 का अधिनियम सं० 12) के प्रारम्भ होने की तारीख को किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जैसा वह उक्त तारीख के तत्काल पूर्व प्रवृत्त था, निपटारा किया जाएगा और उसके पश्चात् धारक की धृति के सम्बन्ध में अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने की कार्रवाइयां और ऐसी धृति में अधिशेष भूमि की बाबत कार्रवाइयां उक्त अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रारंभ की जाएंगी।

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"Pending proceedings—Any proceeding in respect of a holding of any holder pending before any officer or authority on the date of the commencement of the Madhya Pradesh Ceiling On Agricultural Holdings (Amendment) Act, 1974 (No. 12 of 1974) shall be disposed of by such officer or authority in accordance with the provisions of the Principal Act as in force immediately before the said date and thereafter the proceedings for the determination of the ceiling area in respect of the holding of such holder and the surplus land in such holding shall be initiated in accordance with the provisions of the Principal Act as amended by the said Act.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

6. धारा 5 का भूतलक्षी प्रभाव होना—धारा 5 के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह 7 मार्च, 1974 से प्रवृत्त हुई है।"

16. हमें यह प्रतीत होता है कि नायक के विरुद्ध अधिकतम सीमा के मामले में अधिशेष घोषित की गई 406.76 एकड़ भूमि कपटपूर्ण रूप से शंभूराम, नरसिंहदास और शकुन्तला के विरुद्ध अधिकतम सीमा के मामले में फिर से सम्मिलित की गई थी जिससे कि वह 7 मार्च, 1974 के पश्चात् पुनः अधिशेष घोषित की जा सके जिससे उसके धारक इस क्षेत्र पर खड़े वन वृक्षों के लिए प्रतिकर प्राप्त कर सकें। इस क्षेत्र के सम्बन्ध में ही सक्षम प्राधिकारी ने वृक्षों के प्रतिकर के तौर पर 32 लाख रुपये से अधिक रुपये मंजूर किये थे।

17. अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या नायक और उसके नातेदारों द्वारा मामनचन्द और उसके परिवार के सदस्यों/नातेदारों के पक्ष में किए गए अन्तरण अविधिमान्य थे। यह बहुत स्पष्ट है कि वे अन्तरण अधिनियम की धारा 5(1) के उल्लंघन में थे। उक्त धारा 5(1) ऊपर उद्धृत की गई है। धारा 5(1) में कलक्टर की लिखित में अनुमति के सिवाय अन्तरण और उपखण्ड करने पर कानूनी वर्जन सृष्ट किया गया है जब तक कि धारा 11 के अधीन अन्तिम आदेश पारित न कर दिया जाए, यह सच है कि उक्त धारा के शब्दों के अनुसार यह नहीं कहा गया है कि उसमें अन्तर्विष्ट प्रतिषेध का उल्लेख करते समय किया गया अन्तरण शून्य होगा किन्तु सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित संविदा अधिनियम की धारा 23 को ध्यान में रखते हुए परिणाम ऐसा ही होगा। धारा 5 का प्रयोजन किसी धारक को अपनी धृति का अन्तरण करने या उसके उपखण्ड करके अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने से रोकना है। भले ही अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया हो, कलक्टर अन्तरण या उपखण्ड करने के लिए अनुज्ञा मंजूर नहीं कर सकता यदि कलक्टर के ऐसे कार्य से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाए। धारा 5 के पीछे एक लोक नीति है। कलक्टर से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत का अर्थान्वयन आज्ञापक तौर पर किया जाना चाहिए और उस जरूरत के उल्लंघन में किए गए अन्तरण को सभी प्रयोजनों के लिए शून्य माना जाना चाहिए। श्री धर्माधिकारी

---

6. Section 5 to have retrospective effect—Section 5 Shall be deemed to have come into force with effect from the 7th March, 1974."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ने **मौजीराम** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का अवलम्ब लिया जिसमें न्या० कृष्णन की यह राय थी कि ऐसा अन्तरण शून्य नहीं होगा और उसे उस समय तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक कि धारा 11 के अधीन अन्तिम आदेश न कर दिया जाए। उस मामले में अन्य न्यायाधीशों ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई राय व्यक्त नहीं की। हम न्या० कृष्णन की राय से सहमत नहीं हैं। यद्यपि वर्जन की कालावधि धारा 11 के अधीन अन्तिम आदेश पारित किए जाने की तारीख तक सीमित है, किन्तु वर्जन की कालावधि के दौरान किया गया अन्तरण अन्तिम आदेश के पश्चात् अन्तरण नहीं माना जा सकता और वह धारक के पास शेष बचने वाली भूमि तक सीमित नहीं रह सकता। संविदा अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 5(1) का प्रभाव धारा 5(1) के उल्लंघन में किए गए अन्तरण को शून्य करना है और ऐसे अन्तरण को किसी भी प्रक्रम पर प्रभावी नहीं किया जा सकता। श्री धर्माधिकारी ने **मुरलीधर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का भी अवलंब लिया है जिसमें **ऊधोदास बनाम प्रेम प्रकाश**[3] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन किया गया था। **प्रेम प्रकाश**[3] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश (टेम्प्रेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ड एविक्शन, ऐक्ट की धारा 7 (2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश का अतिक्रमण करते हुए अभिधृति की संविदा शून्य नहीं थी क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट का आदेश विधि की कोटि का नहीं था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विनिर्णय का आधार यह था कि अभिधृति की संविदा यद्यपि वह जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अतिक्रमण में हो, विधिमान्य थी क्योंकि वह विधि प्रतिबिद्ध नहीं थी क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट का आदेश विधि की कोटि का नहीं था। यह माना जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने इस मत का अनुमोदन कर दिया था। इलाहाबाद वाले मामले और उच्चतम न्यायालय वाले मामले हमारे समक्ष के मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि अन्तरण धारा 5 का अतिक्रमण करते हुए किए गए हैं जो स्पष्ट रूप से विधि की कोटि की है। हम यह भी उल्लेख कर दें कि **प्रेम प्रकाश**[3] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत **अब्दुल हमीद** बनाम **मोहम्मद इशाख**[4] वाले मामले में

---

[1] 1972 आर० एन० 476.

[2] ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 1924.

[3] ए० आई० आर० 1964 इलाहाबाद.

[4] ए० आई० आर० 1975 इलाहाबाद 166.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पूर्ण न्यायपीठ द्वारा उलट दिया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 7(2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट का आदेश विधि थी और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अतिक्रमण में अभिधृति की संविदा विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होगी और इसलिए शून्य होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह पश्चात्वर्ती विनिश्चय मुरलीधर वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की जानकारी में नहीं लाया गया था। जो भी स्थिति हो, ये मामले उस समय लागू नहीं हो सकते जब धारा 5(1) में यथा-अन्तर्विष्ट उपबन्ध द्वारा विधि के अनुसार कोई स्पष्ट प्रतिषेध है। ऐसे उपबन्ध के उल्लंघन में किए गए अन्तरण अविधिमान्य और शून्य अभिनिर्धारित किए जाने चाहिए।

18. हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं कि मामनचन्द और उसके कुटुम्ब के सदस्यों/नातेदारों के पक्ष में किए गए अन्तरण शून्य थे, इससे आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतम सीमा के दूसरे सेट के मामले उनके द्वारा या उनके विरुद्ध प्रारम्भ नहीं किए जाने थे। अधिकतम सीमा के द्वितीय सेट के मामले नायक और उसके नातेदारों के विरुद्ध उस भूमि के सम्बन्ध में शुरू किए जाने चाहिए थे जो अधिकतम सीमा के प्रथम सेट के मामलों में अधिशेष भूमि घोषित किए जाने के पश्चात् उनके पास बच रही थीं। यहां इस बात का स्मरण किया जा सकता है कि मामनचन्द और अन्य क्रेताओं ने अन्तरण के आधार पर नामांतरण के लिए आवेदन किया था तो तहसीलदार ने तारीख 12 अप्रैल, 1967 के अपने आदेश द्वारा नामांतरण इस आधार पर नामंजूर कर दिया था कि अन्तरण अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 5 का अतिक्रमण करके किया गया था और तहसीलदार के आदेश को अपील में कलक्टर और आयुक्त द्वारा कायम रखा गया था। इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए जिनके द्वारा अन्तरणों को अविधिमान्य अभिनिर्धारित किया गया था, अन्तरितियों को अधिकतम सीमा के दूसरे सेट के मामलों को प्रारम्भ करने की मंजूरी दी गई थी। इससे यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है कि अधिकतम सीमा के दूसरे सेट से सम्बन्धित मामलों में सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों ने पूरी बेईमानी से नहीं तो बहुत अधिक उपेक्षा से अधिकतम सीमा अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित किया है। उन्होंने न केवल अन्तरितियों को मान्यता दी किन्तु यह भी घोषित किया है जैसा पहले देखा गया है कि 406.76 एकड़ भूमि अधिशेष है जो पूर्ववर्ती अधिकतम सीमा के एक मामले में पहले ही अधिशेष घोषित की जा चुकी थी जिसके कारण राज्य पर प्रतिकर का संदाय करने का बहुत बड़ा दायित्व आ पड़ा था। हमारे मतानुसार, अधिकतम सीमा के द्वितीय सेट के मामलों में सक्षम प्राधिकारी और उच्चतर प्राधिकारियों के आदेशों को अपास्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया जाना च.हिए और कार्यवाहियों को अभिखण्डित किया जाना चाहिए।

19. हम श्री धर्माधिकारी द्वारा दी गई दलील को स्वीकार नहीं कर सकते। श्री धर्माधिकारी ने यह दलील दी कि सरकार ने अधिकतम सीमा के द्वितीय सेट के मामलों में सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की। अत: अब उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त नहीं हैं और यह अभिनिर्धारित किया ही जाना चाहिए कि सरकार पर वे आदेश आवद्धकर हैं। इस बात को नजरअन्दाज़ नहीं किया जा सकता कि किसी जीवित व्यक्ति के विपरीत राज्य सरकार केवल अपने अधिकारियों के माध्यम से ही कार्य करती है। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की कार्यवाहियों में प्राधिकारी से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य के हित का ध्यान रखें और यदि प्राधिकारी अज्ञानवश या उपेक्षा से या शरारतपूर्ण ढंग से राज्य के विरुद्ध विनिश्चय करता है तो राज्य के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के लिए ऐसे कार्य के परिणामों को ऐसी घटना के तुरन्त पश्चात् जानना कठिन होगा जिससे राज्य की ओर से अपील फाइल की जा सके। यह बात निश्चय ही आश्चर्यजनक है कि राजस्व बोर्ड ने मामनचन्द और उसके कुटुम्ब के सदस्यों/नातेदारों की अपीलों को मंजूर करते समय, जो वृक्षों के प्रतिकर से सम्बन्धित मामलों में की गई थी, इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि यदि उसके आदेशों को प्रभावी किया गया तो उक्त क्षेत्र के लिए, जिसे केवल 23,000 रुपये में खरीदा गया था, राज्य सरकार को प्रतिकर के तौर पर करोड़ों रुपये का संदाय करना पड़ेगा। स्वयं इस परिणाम से ही बोर्ड को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि क्रेताओं द्वारा पेश की गई दलील में मूल रूप से ही कोई न कोई गलती है। निःसंदेह राज्य सरकार की ओर से गफलत हुई है किन्तु लोकहित और राजकोष की रक्षा की ही जानी चाहिए। हम इस तथ्य को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते कि यदि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ेगी और मामनचन्द और उसके कुटुम्ब के सदस्य/नातेदार चालाकी से खेले गए खेल में सफल हो जाएंगे।

20. बहस के दौरान, इस बात का भी संकेत किया गया है कि चूंकि भूमियां अधिकतर वन के अन्तर्गत आती हैं, अत: वे अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती हैं। हमारे मतानुसार, यह सही विधिक स्थिति नहीं है। भूमियां यद्यपि वन के अन्तर्गत आती हैं किन्तु वे कृषिक प्रयोजनों के लिए नायक और उनके नातेदारों द्वारा भूमिस्वामी अधिकारों में थीं। अत: भूमियां धारा 2(के) के अधीन भूमि की परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं। यह दूसरी बात है कि ये भूमियां नायक और उसके नातेदारों के पक्ष में अबोलिशन आफ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रोप्राइट्री राइट्स ऐक्ट के अधीन व्यवस्थापित नहीं की जानी चाहिए थीं। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि वन भूमि को घरेलू फार्म भूमि के तौर पर वर्णित नहीं किया जा सकता और उन्हें स्वत्वधारी के पक्ष में व्यवस्थापित नहीं किया जा सकता तथापि यह तथ्य बच रहता है कि नायक और उसके नातेदारों ने किसी न किसी प्रकार से इन भूमियों को भूमि स्वामी अधिकारों में व्यवस्थापित करा लिया था और इस रिष्टि को दूर करने में अभी कोई बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। राज्य द्वारा फाइल किए गए पिटीशन में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है कि नायक और उसके नातेदारों के पक्ष में जो इन पिटीशनों में पक्षकार नहीं है, किए गए व्यवस्थापन रद्द किए जाने चाहिए।

21. ऊपर वर्णित विचारविमर्श के परिणामस्वरूप प्रकीर्ण पिटीशन सं० 275/82 मंजूर किया जाता है। संपूर्ण कार्यवाहियों और तीन अधिकतम सीमाओं के मामले सं० 16-ए/90-बी/74-75, 19-ए/90-बी/74-75 और 766-ए/90-बी/74-75 में सक्षम प्राधिकारी के सब आदेश, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर के संदाय के आदेश और अतिरिक्त प्रतिकर (उपाबंध पी-10, पी-11, पी-12) के संदाय के आदेश आते हैं और राजस्व बोर्ड के तारीख 14 अगस्त, 1981 (उपाबंध पी-16) के आदेश को सम्मिलित करते हुए इन मामलों से उद्भूत अपीलों और पुनरीक्षणों में पारित सभी आदेश अभिखण्डित किए जाते हैं। हरीप्रसाद नायक, कृष्णाकुमारी और तरलिका कुमारी के विरुद्ध उन मामलों के अन्तर्गत आने वाली सभी भूमियों के सम्बन्ध में नए सिरे से कार्यवाहियां प्रारम्भ करने का सक्षम प्राधिकारी को अधिकार है। किन्तु यह अधिकार उन भूमियों तक है, जो अधिकतम सीमा के प्रथम सेट के मामलों में उन व्यक्तियों के विरुद्ध अधिशेष घोषित नहीं की गई है। प्रत्यर्थी सं० 4 से 8 अर्थात् मामनचन्द, शम्भूराम, नरसिंहदास, शकुन्तला देवी और सजन कुमार को यह आदेश दिया जाता है कि वे उन्हें संदत्त अतिरिक्त प्रतिकर सहित प्रतिकर राज्य सरकार को वापस कर दें। वे इस पिटीशन के खर्चे राज्य सरकार को संदत्त करेंगे। काउंसेल की फीस 500 रुपये है। 1981 की प्रकीर्ण पिटीशन सं० 1051 असफल होती है और खारिज की जाती है किन्तु खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

मि०

1982 का प्रकीर्ण पिटीशन
संख्या 275 मंजूर किया गया।

———

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नि० प० 1983 : मध्य प्रदेश—244

नगरपालिका, सतना बनाम बिरला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि०

(The Municipal Cuncil, Satna *Vs*. M/s. Birla Jute Manufacturing Company Limited)

तारीख 28 जनवरी, 1983

[मु० न्या० जी० पी० सिंह और न्या० फैजानुद्दीन]

मध्य प्रदेश नगरीय स्थावर सम्पत्ति-कर अधिनियम, 1964—धारा 5(i) और 5(ii) वार्षिक भाटक मूल्य का निर्धारण—होटल और कारखाने के भवन का वार्षिक भाटक मूल्य धारा 5(ii) के अधीन निर्धारत किया जाएगा न कि धारा 5(i) के अधीन—धारा 5(ii) के अधीन होटल और कारखाने के भवन के वार्षिक भाटक मूल्य का निर्धारण करने में भवन को वर्तमान में बनवाने में आने वाले प्राक्कलित मूल्य व उस अनुलग्न भूमि के प्राक्कलित मूल्य को जोड़ने पर आने वाली धनराशि का 1/20वां भाग उसका वार्षिक भाटक मूल्य होगा—धारा 5(ii) के परन्तुक (क) कारखाने में पक्की ईंटों से बनी चिमनियां 'भवन' की परिभाषा के अन्तर्गत आती है—चिमनियां मशीनरी नहीं है।

नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत प्रत्यर्थी कम्पनी की सीमेंट फैक्टरी है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार कर लगाती है तथा कर वसूल करती है। वसूली का खर्चा निकालकर 60% नगरपालिका को अदा किया जाता है इसलिए नगरपालिका ने यह पिटीशन फाइल किया है। सम्पत्ति-कर उप-आयुक्त ने सम्पत्ति कर अधिकारी द्वारा निर्धारित कर में संशोधन करके बहुत कम कर दिया जो युक्तियुक्त नहीं था व अपर्याप्त था। उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिये मुख्य दो प्रश्न थे कि क्या कारखाने के भवन के वार्षिक भाटक मूल्य का निर्धारण अधिनियम की धारा 5(ii) के अन्तर्गत उपबंधों के आधार पर किया जाये या धारा 5(i) के अन्तर्गत। दूसरा यह कि क्या चिमनियां भवन की परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं।

अभिनिर्धारित—रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

धारा 5 की उपधारा (ii) में यथा-वर्णित कारखाने या होटल का वार्षिक भाटक मूल्य उस भवन को वर्तमान में बनवाने में आने वाले प्राक्कलित मूल्य में उससे अनुलग्न भूमि के प्राक्कलित मूल्य को जोड़कर कुल राशि का 1/20 वां भाग होगा। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में लागू होने के लिये सही उपबंध धारा 5 (ii) है न कि धारा 5(i)। पैरा—13

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कारखाने में बनी हुई पक्की ईंटों की चिमनियाँ भवन की परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं। अधिनियम में मशीनरी की कोई परिभाषा नहीं दी गई। चिमनियां जो सिर्फ जमीन पर बनी हुई ठोस संरचना है जिनका कोई भी भाग चलायमान नहीं है, को अधिनियम की धारा 5(ii) के परन्तुक (क) के अर्थ में मशीनरी नहीं माना जा सकता। (पैरा 12)

[1977] 1977 जे०एल०जे०712 : निहालकरन **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (Nihal Karan *Vs.* State of M.P.); 13

[1975] ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 2043 : आन्ध्र प्रदेश सरकार **बनाम** हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (Govt. of Andhra Pradesh *Vs.* Hindustan Machine Tools); 9

[1968] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 859 : सैन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि० **बनाम** जिला नगरपालिका, उल्हासनगर (Century Spinning and Manufacturing Co. Ltd. *Vs.* District Municipality of Ulhasnagar); 7

[1968] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 1504 गोधरा नगरपालिका **बनाम** गोधरा विद्युत कम्पनी (Godhara Municipality *Vs.* Godhara Electricity Co.); 7

[1966] एम० पी० एल० जे० पृष्ठ 47 : सेठ देवकुमार सिंह जी **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (Seth Dev Kumar Singhji *Vs.* State of M.P.); 9

[1966] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1998 : घनश्याम दास **बनाम** देवी प्रसाद (Ghanshiamdas *Vs.* Debi Prasad); 11

[1966] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 991 मुम्बई राज्य **बनाम** वैंकटराव (State of Bombay *Vs.* Venkatrao); 11

[1964] ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 1693 : आय-कर आयुक्त **बनाम** मीर मोहम्द अली (1. I. T. Commissioner *Vs.* Mir Mohd. Ali); 12

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1964] 1964 एम० पी० एल० जे० 244 : आर० एम० ई० डब्लू० **बनाम** मध्य प्रदेश विक्रय-कर आयुक्त (R. M. E. W *Vs*. Commissioner of Salas Tax, P. M); 12

[1963] ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 1742 : गोर्धन दास **बनाम** नगरपालिका आयुक्त (Gordhandas *Vs*. Municipal Commissionor); 7

[1922] ए० आई० आर० 1922 पी० सी० 27 : कलकत्ता नगरनिगम **बनाम** कोसीपोर नगरपालिका (Corporation of Calcutta *Vs*. Cossipora Municipality); 12

निर्दिष्ट किए गए।

आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1978 का सिविल प्रकीर्ण रिट सं० 160.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन।

पिटीशनर की ओर से ... श्री आर० एन० सिंह
प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से ... वाई०एस० धर्माधिकारी
प्रत्यर्थी सं० 2 की ओर से ... एस०एल० सक्सेना

न्यायालय का निर्णय मु० न्या० जी० पी० सिंह ने दिया।

मु० न्या० सिंह :

नगर निगम, सतना, ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत इस पिटीशन द्वारा मध्य प्रदेश नगरीय स्थावर सम्पत्ति कर अधिनियम, 1964 के उपबंधों के अधीन मैसर्स बिरला मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० जिसकी सतना में एक सीमेंट की फैक्टरी है, की भूमि और भवनों पर वर्ष 1975-76 के लिए सम्पत्ति कर के निर्धारण पर आक्षेप किया है।

2. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा सम्पत्ति कर का निर्धारण किया जाता है व वसूल किया जाता है। जैसा कि अधिनियम की धारा 36 में उपबन्ध किया गया है—स्थानीय प्राधिकरण की सीमा में भूमि या भवनों से संबंधित वसूल किए गए सम्पत्ति कर में से, वसूली खर्च को काटकर, 60% राशि उस प्राधिकरण को सरकार द्वारा अदा की जाती है। पिटीशनर नगरपालिका का पक्षकथन यह है कि अधिनियम के सिद्धान्तों के विरुद्ध यह कर निर्धारित किया गया है और यह वहुत कम है और क्योंकि नगरपालिका को वसूल किए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गए कर का 60% लेना है इसलिए इस निर्धारण को आक्षेप करने के लिए इस पिटीशन को फाइल करने में उसका पर्याप्त हित है। क्योंकि पिटीशनर नगर-पालिका वर्ष 1975-76 के लिए वसूल किए गए कर का 60% लेने का हकदार है, इसलिए हमारे विचार में निर्धारण पर आक्षेप करने के लिए उसे अधिकार है। वास्तव में इस कानूनी स्थिति का प्रत्यर्थी-कम्पनी के काउंसेल ने कोई प्रति-विरोध नहीं किया है।

3. सम्पत्ति-कर अधिकारी ने अपने आदेश (उपाबन्ध पी-2) तारीख 31 मार्च, 1975 के द्वारा कम्पनी की भूमि और भवनों पर 3,02,782.54 रुपए सम्पत्ति-कर के रूप में अधिरोपित किए। कम्पनी ने इसके विरुद्ध अपील की थी जो सहायक सम्पत्ति-कर आयुक्त ने अपने आदेश तारीख 5 जुलाई, 1975 के द्वारा मंजूर कर ली और मामले को प्रतिप्रेषित कर दिया। मामला वापस भेजने के बाद, सम्पत्ति कर अधिकारी ने अपने आदेश तारीख 3 सितम्बर, 1975 के द्वारा अपने पूर्व आदेश को दोहराया। कम्पनी ने पुनः सम्पत्ति कर के सहायक आयुक्त के समक्ष अपील की जो 29 सितम्बर 1976 को कालवर्जित होने के कारण खारिज कर दी गई। तब कम्पनी ने सम्पत्ति कर के उपआयुक्त के यहां द्वितीय अपील की जो 16 नवम्बर 1976 को स्वीकार कर ली गई और सम्पत्ति कर अधिकार्री द्वारा अधिरोपित कर को घटाकर 66,078.04 रुपये कर दिया गया। सम्पत्ति-कर उप-आयुक्त ने भूमियों और भवनों के वार्षिक किराए का अवधारण किया जो कम्पनी के सुसंगत वर्ष के तुलनपत्र में वर्णित किया गया और जो अपनी मूल्यांकन कीमत के 1/20 के आधार पर किराए पर नहीं उठाए गए थे। आगे सम्पत्ति-कर उप-आयुक्त द्वारा दो चिमनियों पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि वे मशीनरी का एक भाग थीं।

4. पिटीशनर के विद्वान काउन्सेल ने यह दलील दी है कि धारा 5 (ii) के अधीन प्राधिकारियों ने वार्षिक भाटक मूल्य अवधारित करने का कार्य किया है किन्तु वे सही सिद्धान्त लागू करने में असफल रहे हैं। विद्वान काउन्सेल के मतानुसार, तुलन-पत्र के आधार पर किया गया मूल्यांकन पूर्ण रूप से असंगत था। विद्वान् काउन्सेल ने निवेदन किया है कि कारखाने के भवन का मूल्य अनुलग्न भूमि के प्राक्कलित मूल्य के साथ प्रचालित भवन निर्माण कराए जाने पर प्राक्कलित मूल्य को जोड़ कर निकाला जाना चाहिए और इस मूल्यांकन का 1/20 भाग कारखाने के भवन का वार्षिक किराए का मूल्य समझा जाना चाहिए। यह भी निवेदन किया गया है कि दूसरी भूमि या भवन, जो किराए पर नहीं उठाया गया है, उसके वार्षिक किराए का मूल्य उस वार्षिक किराए के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिस पर कि वह किराए पर दिया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जा सकता था, उसके लिए पड़ौस में विद्यमान किराए को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विद्वान् काउन्सेल के द्वारा यह भी प्रति-विरोध किया गया कि चिमनियां पक्की ईंटों की बनी हुई हैं और वे अधिनियम में भवन की दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं और वे कारखाने के भवन में लगाई गई मशीनों का हिस्सा नहीं मानी जा सकती। उत्तर में कम्पनी के विद्वान् काउन्सेल ने निवेदन किया कि वार्षिक भाटक मूल्य धारा 5(i) के अधीन अवधारित किया जाना चाहिए। उसने आगे यह निवेदन किया कि धारा 5(ii) (क) में यह अपेक्षित है कि कारखाने के भवन का मूल्य वर्तमान में बनवाए जाने के मूल्य में अनुलग्न भूमि के प्राक्कलित मूल्य को जोड़ कर निकाला जाना चाहिए और इस मूल्य के 1/20वें भाग को वार्षिक भाटक मूल्य माना जान चाहिए, असंवैधानिक और शून्य है। विद्वान काउन्सेन ने इस निष्कर्ष का समर्थन किया है कि चिमनियां मशीन का भाग थीं और वे भवन का भाग नहीं होतीं।

5. अधिनियम की धारा 5 इस प्रकार है :—

"5. वार्षिक भाटक मूल्य का अवधारण और पुनरीक्षण—अधिनियम के उद्देश्य के लिए भूमि या भवन का वार्षिक भाटक मूल्य निम्नलिखित रकम के बराबर होगा :—

(i) स्थानीय प्राधिकरण को लागू विधि के अधीन जहां किसी भूमि या भवन का वार्षिक मूल्य या वार्षिक भाटक मूल्य 1 अप्रैल, 1970 के पूर्व ही अवधारित कर दिया गया है, और

(क) उपखण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश नहीं है, तो वार्षिक मूल्य या वार्षिक भाटक मूल्य जो निर्धारित किया गया है, मूल्य का 10% घटाकर निर्धारित किया जाएगा, उन मामलों में जहां ऐसा घटाने की अनुमति नहीं है परन्तु यदि, किसी भूमि या भवन के मामले में लिखित दिए गए कारणों के कारण, सम्पत्ति-कर आयुक्त का यह विचार है कि निर्धारित किया गया वार्षिक मूल्य या वार्षिक भाटक मूल्य अपर्याप्त या अत्यधिक है तो पश्चातवर्ती निर्धारण करने के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वह खण्ड (ii) में दिए गए तरीके से वार्षिक भाटक मूल्य निर्धारित कर सकता है।

(ख) यदि राज्य सरकार का यह विचार है कि स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित कानून के अंतर्गत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निर्धारित किया गया वार्षिक मूल्य या वार्षिक भाटक मूल्य सामान्य रूप से अपर्याप्त या अत्यधिक है या स्थानीय क्षेत्र में भूमि या भवन का पूर्व वार्षिक भाटक मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है तो खण्ड (ii) में अभिकथित तरीके से मूल्य अवधारित किया जाना चाहिए।

(ii) उन मामलों में जो खण्ड (i) में नहीं आते :—

(क) जहां पर भवन होटल, कारखाना या ऐसा अन्य भवन है, जैसा कि विहित है, तो उस भवन को वर्तमान में बनवाने पर प्राक्कलित रकम में भूमि की प्राक्कलित कीमत को जोड़ने के बाद अभिप्राप्त राशि का 1/20 भाग उसका वार्षिक भाटक मूल्य माना जाएगा,

(ख) जहां पर भूमि या भवन किराए पर उठाया गया है, उसका वार्षिक किराया या मासिक किराए का बारह गुना, जैसा मामला हो, जो मकान मालिक को प्राप्त होता हो, वार्षिक किराए का मूल्य माना जाएगा,

(ग) जहां भूमि या भवन जो उप-खण्ड (क) में दी गई भूमि या भवन नहीं है, किराए पर नहीं उठाया गया है और वह पूर्ण रूप से मकान मालिक के अधिभोग में है, या उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति के अधिभोग में है, लेकिन किराएदार की तरह नहीं, या खाली पड़ी है, तो उसका वार्षिक किराया या मासिक किराया जिस पर कि वह उठाया जा सकता था, पड़ोस में प्रचलित किराए के आधार पर या दूसरे अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो विहित किए जाएं, के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

परन्तु खण्ड (ii) के अधीन किसी भूमि या भवन के वार्षिक भाटक मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित गणना में नहीं लिए जाएंगे :—

(क) उस भूमि या भवन में लगी मशीन, फर्नीचर या फिक्सचर्स के सम्बन्ध में किराया या ऐसी अन्य राशि जो युक्तियुक्त रूप से निर्धारित की जा सके;

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उप-खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में उसके अन्तर्गत अवधारित वार्षिक किराए का 10%।"

6. हम पहले प्रत्यर्थी-कम्पनी के विद्वान् काउन्सेल के तर्क को लेंगे कि सम्पत्ति कर अधिकारी को धारा 5(ii) के बजाए धारा 5(i) को लागू करना चाहिए था। यह सत्य है कि नगरपालिका अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल, 1970 से पहले वार्षिक किराए पर उठाए जाने वाला मूल्य अवधारित किया जा चुका था। लेकिन इस मामले में बिना किसी पक्ष के ऐतराज के सम्पत्ति कर अधिकारी ने धारा 5(ii) को लागू किया और वार्षिक किराए पर उठाए जाने वाले मूल्य को पुनः अवधारित किया। सम्पत्ति कर अधिकारी ने सिर्फ यह गलती की है कि उसने, जैसा कि धारा 5(i) के उपबन्धों द्वारा वांछित है, अपना मत लिखित में अभिलिखित नहीं किया है कि 1 अप्रैल, 1970 से नगरपालिका अधिनियम के अनुसार अवधारित वार्षिक भाटक मूल्य अपर्याप्त हो गया था। यह सही था कि किराए की प्रचलित दर बढ़ जाने के कारण नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1970 से अवधारित वार्षिक भाटक मूल्य अपर्याप्त हो गया था। इसी कारण से कम्पनी ने सम्पत्ति कर अधिकारी द्वारा धारा 5(ii) के अन्तर्गत वार्षिक भाटक मूल्य पुनः अवधारित किए जाने का विरोध नहीं किया। कम्पनी ने सम्पत्ति कर अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण का विरोध इस आधार पर कि उसे धारा 5(i) के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए थी, सम्पत्ति-कर उप-आयुक्त के समक्ष भी नहीं किया। कम्पनी ने सम्पत्ति कर अधिकारी या सम्पत्ति-कर उप-आयुक्त के आदेश का विरोध इस आधार पर भी कि लागू होने के लिए सही उपबन्ध धारा 5(i) थी न कि धारा 5(ii), संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भी आक्षेप नहीं किया। इसलिए हम अब प्रत्यर्थी कम्पनी को यह मुद्दा उठाने के लिए व प्रतिविरोध करने के लिए कि धारा 5(ii) लागू नहीं होती, अनुमति नहीं दे सकते। इन परिस्थितियों में किसी भी दशा में सम्पत्ति कर अधिकारी द्वारा धारा 5(i) के उपबन्धों के अधीन अपनी राय अभिलिखित करने में लोप करने से धारा 5(ii) के अधीन की गई कार्यवाही में निर्धारण अविधिमान्य नहीं बन जाता है।

7. अब हम इस दलील पर विचार करते हैं कि अधिनियम की धारा 5(ii) (क) अधिकारातीत है। इस धारा में यह उपबंधित है कि जहां पर भवन कारखाना या होटल है, वहां पर अनुलग्न भूमि के प्राक्कलित मूल्य को जोड़ कर भवन बनवाने पर आने वाले वर्तमान प्राक्कलित मूल्य को जोड़ कर प्राप्त मूल्य के 1/20 भाग को वार्षिक भाटक मूल्य माना जाएगा। प्रत्यर्थी कम्पनी के विद्वान् काउन्सेल का यह तर्क है कि खण्ड (क) विभेदकारी है और कारखाने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के भवन का मूल्य धारा 5(ii) के खण्ड (ख) या (ग) के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। धारा 5(ii) का खण्ड (ख) तब लागू होता है जबकि भवन किराए पर उठाया गया है व खण्ड (ग) तब लागू होता है जबकि भवन खण्ड (क) में नहीं आता है और किराए पर नहीं उठाया गया है और वह मालिक के वास्तविक अधिभोग में है। ऐसे मामले में उस भवन का वार्षिक किराया जिस पर कि वह उठाया जा सकता था, पड़ोस में प्रचलित किराये के आधार पर, उसका वार्षिक भाटक मूल्य माना जाता है। अब यह सुस्थापित है कि किसी भवन के वार्षिक भाटक मूल्य को अवधारित करने के तीन तरीके हैं : जो (1) वास्तविक वसूल किया गया किराया, (2) जहां पर भवन किराए पर नहीं उठाया गया है, काल्पनिक अभिधृति के आधार पर किराया, (3) जहां पर ये दोनों प्रकार लागू नहीं होते हैं, उचित प्रतिशत लागू करने के बाद सम्पत्ति के मूल मूल्य के आधार पर मूल्यांकन करके, **गोर्धनदास** बनाम **नगरपालिका आयुक्त**[1], **सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०** बनाम **जिला नगरपालिका, उल्हासनगर**[2], व **गोधरा नगरपालिका** बनाम **गोधरा विद्युत कम्पनी**[3] धारा 5(ii) के अन्तर्गत वार्षिक भाटक मूल्य अवधारित करने के लिए ये तीन तरीके अपनाए जाते हैं। धारा 5(ii) (ख) किराए पर उठाए गए भवन पर लागू होती है। धारा 5(ii) (ग) उन भवनों पर जो किराए पर उठाए जा सकते थे लेकिन किराए पर नहीं उठाए गए हैं और धारा 5(ii) (क) उन भवनों पर लागू होती है जो भवन सामान्य रूप से किराए पर नहीं उठाया जा सकता है। अगर भवन किराए पर नहीं उठाया गया है और यदि किराए पर आसानी से नहीं उठाया जा सकता है वहां पर उसका वास्तविक किराया या उसके काल्पनिक अभिधृति किराए के आधार के तरीके से इसका वार्षिक भाटक मूल्य निश्चित करना कठिन है। ऐसे मामलों में, भवन के कुल पूंजी मूल्य के आधार पर उसका वार्षिक भाटक मूल्य अवधारित करना चाहिए। यही तरीका धारा 5(ii) (क) के अन्तर्गत अपनाया गया है। किसी कारखाने के भवन या होटल के भवन को आसानी से किराए पर नहीं उठाया जा सकता है और इसलिए काल्पनिक किराए के आधार पर वार्षिक भाटक मूल्य अवधारित करना संभव नहीं है। इसीलिए ऐसे भवन का वार्षिक भाटक मूल्य उसके पूंजी मूल्य के आधार पर नियत किया जाता है। धारा 5(ii) के खण्ड (क), (ख), (ग) द्वारा किया गया वर्गीकरण युक्तियुक्त है और वार्षिक भाटक मूल्य को

---

[1] ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 1742.

[2] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 859.

[3] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 1504.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अवधारित करने के लिए अच्छी तरह बनाए गए तरीकों पर कार्यवाही करने में कोई गलती नहीं पाई जा सकती और यह नहीं कहा जा सकता कि कारखाने के भवन या होटल के भवन के मालिक के साथ भेदभाव किया गया है। ये व्यक्ति अपने आप में एक वर्ग हैं और इसलिए धारा 5(ii) (क) के द्वारा उनके साथ अलग से व्यवहार किया जाता है।

8. पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल ने यह भी तर्क दिया था कि भवन को बनवाने के प्रचलित खर्च को निकालने में वार्षिक भाटक मूल्य को अलग करने का कोई कारण नहीं है, अगर ऐसा था तो विधानमण्डल को मूल भवन के वार्षिक भाटक मूल्य को अवधारित करने के लिए उपबन्ध करना चाहिए था। हमारे विचार में इस तर्क में कोई बल नहीं है। यह सत्य है कि भवन बनवाने का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन सामान्य रूप से कहा जाए तो समान क्षमता वाले भवन का वार्षिक भाटक मूल्य समान होगा भले ही वे अलग-अलग समय पर बनवाए गए थे। इस एकरूपता को लाने के लिए विधानमण्डल ने धारा 5(ii)(क) के अन्तर्गत भवन के वर्तमान में बनवाए जाने पर आने वाले मूल्य को लिया है न कि उसके मूल बनवाने के मूल्य को। यह सुस्थापित है कि कर नीति के निर्धारण में विधानमण्डल को बहुत अधिक स्वविवेक प्राप्त था और उपबन्ध को इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है कि यदि विधानमण्डल ने धारा 5(ii) (क) के अधीन दिए गए तरीके पर निर्माण के मूल मूल्य को अपनाया होता तो प्रत्यर्थी कम्पनी का कर दायित्व बहुत कम होता।

9. प्रत्यर्थी कम्पनी के विद्वान् काउन्सेल ने फिर आगे अनुरोध किया कि भूमियों और भवनों पर कर लगाते समय विधानमण्डल कारखाने पर कर लगाने के लिए सक्षम नहीं है। अधिनियम संविधान की सूची II की प्रविष्टि 49 के अन्तर्गत आने वाली विधि है जो विधानमण्डल को भूमियों और भवनों पर कर अधिरोपित करने की अनुमति देता है, "कारखाना" शब्द का जैसा कि वह धारा 5(ii) (क) में दिया गया है, कारखाने के भवन से संबंध है। यह धारा 5(ii) के उपबन्ध (क) से स्पष्ट है जिसमें यह वर्णित है कि किराए या ऐसी रकम को जो मशीन, फर्नीचर या फिक्सचर्स के बारे में युक्तियुक्तपूर्वक निर्धारित किया जा सकता है, अपवर्जित किया जाएगा। इसलिए कारखाने की बाबत अवधारित वार्षिक भाटक मूल्य सिर्फ कारखाने का वार्षिक भाटक मूल्य ही होगा न कि मशीन, फर्नीचर व फिक्सचर्स का मूल्य। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विधानमण्डल ने संविधान की सूची II की प्रविष्टि 49 के अन्तर्गत करारोपण की शक्तियों से परे कार्य किया है। यह प्रश्न उच्चतम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय द्वारा **आंध्र प्रदेश सरकार** बनाम **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय से प्रत्यर्थी कम्पनी के विरुद्ध पूर्ण रूप से आता है। हम यह भी वर्णित कर सकते हैं कि इस न्यायालय ने पूरे अधिनियम की विधिमान्यता पहले ही **सेठ देवकुमार सिंह जी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] में कायम रखी थी।

10. हमारे विचार में, पिटीशनर के विद्वान् काउन्सेल द्वारा यह दलील देना सही है कि कारखाने के भवन का वार्षिक भाटक मूल्य धारा 5(ii)(क) के अनुसार अवधारित करना चाहिए था जो अनुलग्न भूमि के प्राक्कलन मूल्य को भवन बनवाने में आने वाले वर्तमान प्राक्कलन मूल्य में जोड़ कर उसका 1/20वां भाग होगा। तुलन-पत्र में बिना अवक्षयण या अवक्षयण सहित दिखाए गए मूल्यांकन को लेने के लिए कोई स्थान नहीं है। (**गोधरा नगरपालिका** बनाम **गोधरा विद्युत कम्पनी**[3] को देखिए ठीक) इसी प्रकार दूसरी भूमियों और भवनों का वार्षिक भाटक मूल्य जो किराए पर नहीं उठाए गये हैं, धारा 5(ii)(ग) के अन्तर्गत अवधारित नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में सम्पत्ति कर अधिकारी और सम्पत्ति कर उपायुक्त को कारखाने के भवन के लिए धारा 5(ii)(क) को लागू करना चाहिए, धारा 5(ii)(ख) को उन भूमियों और भवनों पर जो किराए पर उठाए गये हैं, तथा धारा 5(ii)(ग) को अन्य भूमियों और भवनों पर लागू करना चाहिए। हालांकि प्राधिकारियों द्वारा धारा 5(ii) के अधीन कार्य करना तात्पर्यित है लेकिन उन्होंने इस धारा के उपबन्धों को सही रूप से लागू नहीं किया है।

11. अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या कारखाने के भवन में लगी चिमनियां अधिनियम के अर्थ में भवन हैं। चिमनियां पक्की ईंटों से बनी संरचना है। कारखाने में सीमेन्ट उत्पादित करने से उत्पन्न धुआं व गैस इन चिमनियों द्वारा बाहर निकाली जाती है। अधिनियम की धारा 2(ग) में भवन की परिभाषा है जिसके अन्तर्गत "एक मकान, बाहरी मकान, अस्तबल, शैड, झोपड़ी व अन्य संलग्न या संरचना चाहे वे पक्की चिनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या अन्य किसी पदार्थ जो भी हो, से बने हैं व बरामदे, स्थिर चबूतरे, नीम, दरवाजे, सीढ़ियां, दीवाल, अहाते की दीवाल और बाड़ सहित उसी प्रकार की अन्य चीजें भी आती हैं, न कि "तम्बू व अन्य अस्थिर या अस्थायी निर्माण।"

---

[1] ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 2043.
[2] 1967 एम० पी० एल० जे० 47.
[3] ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 1742 पृ० 1747.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह परिभाषा बहुत व्यापक है और यह निर्माण चाहे वह पक्की चिनाई, ईंटों, लकड़ी, मिट्टी, धातु या अन्य किसी पदार्थ, जो भी हो, से बना हो, चाहे वह निवास के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, भवन की परिभाषा में आता है। यह व्यापक परिभाषा प्रकट रूप से चिमनियों को सम्मिलित करती है, जो जैसा कि पहले वर्णित किया गया है, पक्की ईंटों की संरचना है। प्रत्यर्थी कम्पनी के विद्वान् काउन्सेल ने **घनश्यामदास** बनाम **देवी प्रसाद**[1] मामले का अवलम्ब लिया है। इस मामले में ईंटों की भट्टी जो इसके सहारे जमीन पर बिना संरचना के ईंटों से बना गड्ढा था, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951 की धारा 9 में दिए गए अर्थ में भवन में नहीं आता है, जिसमें कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। अब, बगल से बना ईंटों का गड्ढा चिमनियों से बिलकुल भिन्न है जिसके बारे में हमें इस मामले में विचार करना है। फिर भी अधिनियम में भवन की बहुत व्यापक परिभाषा अन्तर्विष्ट है, उत्तर प्रदेश अधिनियम में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जैसा कि **घनश्यामदास के मामले**[1] में विचार किया था। वह मामला इस प्रकार यहां लागू नहीं होता है। हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि **बम्बई राज्य** बनाम **वेन्कटराव**[2] के मामले में बिना दीवाल या छत के खुले चबूतरे को, मध्य प्रदेश साम्पत्तिक अधिकार उन्मूलन अधिनियम, 1951 के संसर्ग में भवन अभिनिर्धारित किया गया था।

12. कम्पनी के विद्वान् काउन्सेल ने तब यह निवेदन किया कि धारा 5(ii) के परन्तु (क) के अर्थ में चिमनियों को मशीनरी माना ही जाना चाहिए और चिमनियों पर युक्तियुक्त रूप से जो भी किराया या धनराशि अभिनिर्धारित की जा सकती हो, उसे कारखाने के भवन के वार्षिक भाटक मूल्य को अवधारित करने में गणना में लेना चाहिए। अधिनियम में मशीनरी की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। प्रिवी कौंसिल ने "कलकत्ता नगर निगम **बनाम** कोसीपोर नगरपालिका" में यह मत व्यक्त किया है कि मशीनरी शब्द से जब वह सामान्य भाषा में प्रयुक्त किया जाता है, प्रथम दृष्टि में "कुछ यांत्रिक प्रयुक्ति, जो स्वयं के द्वारा या किसी एक या अनेक यांत्रिक प्रयुक्तियों के सहयोग से, सामूहिक चालन द्वारा या एक दूसरे पर निर्भर रह कर अपने सबंधित भागों से शक्ति पैदा करना, या उत्पन्न करना, उपान्तरित करना, लागू करना या निश्चित और विनिर्दिष्ट परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राकृतिक शक्तियों को निर्देशित

[1] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1998.
[2] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 991.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करना अभिप्रेत है। आगे फिर मत व्यक्त किया गया है कि "मशीनरी" का अर्थ "भूमि पर बनाई गई ठोस संरचना से अधिक" होना ही चाहिए जिसके अंग या तो बिलकुल चलायमान नहीं हैं या यदि वे चलायमान हैं तो एक निश्चित व विनिर्दिष्ट परिणाम को उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ या एक दूसरे पर निर्भर रह कर नहीं चलते। उस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस्पात का एक टैंकमय उसके समर्थित संरचना के जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, जो पानी कलकत्ता प्रदाय किया गया था, बंगाल नगरपालिका अधिनियम, 1884 के अन्तर्गत सम्पत्ति कर लगने के अतिरिक्त "मशीनरी" नहीं थी। प्रिवी काउन्सिल द्वारा सूत्रित की गई "मशीनरी" की परिभाषा को उच्चतम न्यायालय ने **आयकर आयुक्त** बनाम **मीरमुहम्मद अली**[1] के मामले में अपनाया था और उसका इस न्यायालय ने **आर० एस० ई० डब्ल्यू०** बनाम **विक्रय-कर आयुक्त, मध्य प्रदेश**[2] वाले मामले में अनुसरण किया था। प्रिवी कौंसिल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा करने के बाद चिमनियां जो सिर्फ जमीन पर बनी हुई ठोस संरचना हैं जिनका कोई भी भाग चलायमान नहीं है, को अधिनियम की धारा 5(ii) के परन्तुक (क) के अर्थ में "मशीनरी" नहीं माना जा सकता।

13. मामले का समापन करने से पूर्व, हमको यह कहना चाहिए कि हमारे समक्ष दोनों ही पक्ष सहमत हो गए हैं कि यह मामला सिर्फ वर्ष 1975-76 से संबंधित है और क्योंकि इस वर्ष के बाद अधिनियम प्रभावहीन हो गया है, इसलिए निर्धारण की सूची तैयार करना आवश्यक नहीं है तथा सम्पत्ति कर अधिकारी को अधिनियम की धारा 4 व धारा 5 के अनुसार कम्पनी की भूमियों और भवनों से संबंधित इस विशेष वर्ष के लिए निर्धारण करने के लिए, निदेश दिए जाने चाहिए। हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि लागू होने वाला सही उपबन्ध धारा 5 (ii) ही है। हम यह भी वर्णित करते हैं कि धारा 4 के अधीन कर की दर लागू करने में प्रत्येक भवन को अलग एकक माना जाए जैसा कि इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के द्वारा "निहाल करन **बनाम** म० प्र० राज्य" में अभिनिर्धारित किया जा चुका है।

14. ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर पिटीशन मंजूर किया जाता है। 1975-76 वर्ष के निर्धारण से संबंधित सम्पत्ति कर अधिकारी, सहायक सम्पत्ति-कर आयुक्त व सम्पत्ति-कर उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जाता है। मामले को सम्पत्ति-कर अधिकारी के पास, ऊपर व्यक्त किए

---

[1] ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 1693.
[2] 1976 एस० पी० एल० जे० 244.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मतों सहित 1975-76 वर्ष के लिए नए सिरे से कर निर्धारण करने के लिए वापस भेजा जाता है। पिटीशनर इस पिटीशन का खर्च प्रत्यर्थी कम्पनी से प्राप्त करेगा। यदि प्रमाणित कर दी जाए तो काउन्सेल की फीस 250 रुपये नियत की जाती है। पिटीशनर द्वारा जमा की गई जमानत की रकम उसे वापस की जाए।

रा०/मि० रिट पिटीशन मंजूर किया गया।

नि० प० 1983 : मध्य प्रदेश—256

मैसर्स सिंह इंजीनियरिंग कं०, जबलपुर बनाम क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर।

(M/s. Singh Engineering Co., Jabalpur *Vs*. The Regional Director, Employees State Insurance, Corporation, Indore)

तारीख 22 फरवरी, 1983

(न्या० एम० डी० भट्ट और जे० एस० वर्मा)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948—धारा 85-ख—अभिदाय का संदाय न करने पर नुकसानी का दायित्व—नुकसानी का अवधारण प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और तथ्यों के अनुसार युक्तियुक्त रूप से किया जाना चाहिए—बकाया की रकम की 100% नुकसानी वसूल करना अनिवार्य नहीं है—उक्त धारा के अधीन प्राधिकारी को अपनी वैवेकिक शक्ति का प्रयोग अयुक्तियुक्त रूप से या मनमाने ढंग से करने का अधिकार नहीं है।

पिटीशनर एक औद्योगिक स्थापन है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू होते हैं। कतिपय कालावधि के लिए पिटीशनर ने अधिनियम के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर अभिदाय का संदाय करने में व्यतिक्रम किया था। तदनुसार क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पिटीशनर को कुछ सूचनाएं जारी की गईं और उससे यह अपेक्षा की गई कि वह यह हेतुक दर्शित करे कि अधिनियम की धारा 85-ख के अधीन पिटीशनर से नुकसानी के तौर पर कतिपय रकम क्यों न वसूल की जाए। उक्त सूचनाओं के आधार पर प्रत्यर्थी क्षेत्रीय निदेशक ने नुकसानी के तौर पर कतिपय रकमें

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पिटीशनर से उद्‌गृहीत कीं। पिटीशनर के विद्वान् काउंसेल की दलील यह है कि नुकसानी उद्‌गृहीत करने से संबंधित आदेश अभिखंडित किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें 100% की दर से नुकसानी वसूल करने के लिए निदेश देने के लिए कोई कारण नहीं बतलाए गए हैं और नुकसानी वसूल करने की उक्त सीमा उक्त अधिनियम की धारा 85-ख में विहित अधिकतम सीमा है। प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेन ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी ने आक्षेपित आदेश में वे कारण वर्णित किए हैं। पिटीशनर को जारी की गई सूचनाओं के उत्तर में पिटीशनर ने वित्तीय तंगी का आधार लिया है। अतः कानून के आधार पर अनुज्ञेय अधिकतम नुकसानी वसूल करने के लिए निदेश देने के पहले कोई अन्य कारण बतलाना अनावश्यक है। पिटीशनर की ओर से यह कहा गया कि प्रत्यर्थी को यह गलत भ्रम हो गया था कि नुकसानी की वसूली का निदेश देते समय अधिनियम की धारा 85-ख के अधीन उसे निम्न दर पर नुकसानी वसूल करने का निदेश देने का कोई विवेकाधिकार नहीं था और इस कारण से ही इस प्रकार आदेश पारित किया गया है।

अभिनिर्धारित—पिटीशन मंजूर किया गया।

निःसंदेह, प्रत्यर्थी द्वारा यह निष्कर्ष निकालना सही था कि पिटीशनर की वित्तीय तंगी उसे नुकसानी का संदाय करने के दायित्व से बचने के लिए कोई आधार नहीं है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि नुकसानी के दायित्व के अधीन होने का तार्किक परिणाम विहित अधिकतम आधार पर नुकसानी का संदाय करना है। इस सही निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि पिटीशनर पर नुकसानी का संदाय करने का दायित्व है, अवधारण के लिए अगला प्रश्न यह था कि नुकसानी किस दर से वसूल की जाए। इस प्रयोजन के लिए सभी सुसंगत परिस्थितियों को, जो न्यूनीकरण करने वाली मानी जा सकती थीं, युक्तियुक्त समझी जाने वाली नुकसानी की मात्रा का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए था। यह तथ्य संबंधी प्रश्न होगा जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह बात प्रस्तुत मामले में आक्षेपित आदेश में नहीं कही गई है। अधिकतम अनुज्ञेय आधार पर नुकसानी उद्‌गृहीत करने के लिए कोई कारण वर्णित नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि ऐसा इस गलत उपधारणा के कारण किया गया है कि जब एक बार धारा 85-ख पिटीशनर को लागू हो जाती है और पिटीशनर पर नुकसानी का संदाय करने का दायित्व उपगत हो जाता है तो प्राधिकारी को ऐसे मामले में धारा 85-ख के अधीन कोई शक्ति या विवेकाधिकार नहीं है (पैरा 4)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"बकाया की रकम से अनधिक ऐसी नुकसानी नियोजक से वसूल कर सकेगा जिसे वह अधिरोपित करना ठीक समझे" अभिव्यक्ति उक्त धारा 85(ख)(1) का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस अभिव्यक्ति के सीधे-सादे अर्थान्वयन से यह उपदर्शित होता है कि बकाये की रकम अधिकतम सीमा है जिस तक नुकसानी वसूल की जा सकती है अर्थात् 100% तक। तथापि उसका यह अर्थ नहीं है कि जब एक बार नुकसानी के संदाय का दायित्व उद्भूत हो जाता है तो वह हमेशा 100% की दर पर होगा। "बकाया की रकम" से अनधिक नुकसानी से यह ज्ञात होता है कि कानून द्वारा नियत की गई यह अधिकतम सीमा और नुकसानी की वसूली के लिए कोई निश्चित दर विहित नहीं की गई है। अभिव्यक्ति के प्रारंभ में "कर सकेगा और अंत में "जिसे वह अधिरोपित करना ठीक समझे" शब्दों से यह इंगित होता है कि प्राधिकारी को विवेकाधिकार दिया गया है जिसे स्पष्ट रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर युक्तियुक्त रूप से प्रयुक्त किया जाना चाहिए न कि अयुक्तियुक्त रूप से या मनमाने ढंग से—यह सभी वैवेकिक शक्ति के प्रयोग के लिए विधिमान्य और सही बात है।

[1979] ए० आई० आर० **1979** एल० सी० **1803** : आर्गेनो कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज और एक अन्य **बनाम** भारत संघ और कुछ अन्य (Organo Chemical Industries and another vs. Union of India and others) का **अनुसरण** किया गया। 6

आरंभिक (सिविल रिट) : 1982 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 812.

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट पिटीशन

पिटीशनर की ओर से ... श्री गुलाब गुप्ता

प्रत्यर्थी की ओर से ... श्री विनोद गुप्ता

न्यायालय का निर्णय न्या० जे० एस० वर्मा ने दिया।

न्या० वर्मा :

पिटीशनर औद्योगिक स्थापन है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू होते हैं। कतिपय कालावधि के लिए पिटीशनर ने अधिनियम के अधीन कतिपय प्रयोजन के लिए अनुज्ञात समय के भीतर अभिदाय का संदाय करने में व्यतिक्रम किया था। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि इन सब कालावधियों के लिए शोध्य अभिदाय पिटीशनर द्वारा संदत्त किए गए थे, यद्यपि संदाय विलंब से हुआ था। तदनुसार चार सूचनाएं, उपाबंध 'सी' तारीख 17-9-79, उपाबंध 'डी' तारीख 22-11-79, उपाबंध 'ई' तारीख 4-3-1981

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और उपबंध 'एफ', तारीख 3-9-1981 क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (प्रत्यर्थी) द्वारा पिटीशनर को जारी की गई थी, और उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वह यह हेतुक दर्शित करे कि क्रमश: 7,454, 2631, 11,587 और 3,226 रुपये की रकमें अधिनियम की धारा 85-ख के अनुसार पिटीशनर से नुकसानी के तौर पर क्यों न वसूल की जाए। ये सूचनाएं जनवरी, 1976 और नवम्बर, 1980 के बीच की तारीखों को समाप्त होने वाली विभिन्न कालावधियों से संबंधित थीं जिनके दौरान अभिदायों के निक्षेप किए जाने में विलंब हुआ था। अंततः प्रत्यर्थी ने तारीख 22-12-1981 के आदेश (उपाबंध सी) द्वारा पूर्वकथित चार सूचनाओं के मद्दे 20,536 रुपये की राशि नुकसानी के तौर पर उद्‌गृहीत की।

2. पिटीशनर के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि आक्षेपित आदेश उपाबंध जी जो प्रत्यर्थी द्वारा पारित किया गया था, अभिखंडित किए जाने योग्य है क्योंकि उसमें 100% की दर से नुकसानी वसूल करने के लिए निदेश देने के बारे में कोई कारण नहीं बतलाए गए हैं जो अधिनियम की धारा 85-ख में विहित अधिकतम सीमा है। यह दलील दी गई कि प्रत्यर्थी को यह गलत भ्रम हो गया था कि नुकसानी की वसूली का निदेश देते समय अधिनियम की धारा 85-ख के अधीन उसे निम्नतर दर पर नुकसानी वसूल करने का निदेश देने का कोई विवेकाधिकार नहीं था और इस कारण से ही इस प्रकार का मनमाना आदेश पारित किया गया। इसके उत्तर में प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी ने आक्षेपित आदेश में वे कारण वर्णित किए हैं जिनसे पिटीशनर को जारी की गई सूचनाओं के उत्तर में पिटीशनर द्वारा वित्तीय तंगी का आधार लिया गया था और पिटीशनर ने कोई अन्य आधार नहीं लिया था। अतः कानून के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम आधार पर नुकसानी वसूल करने के लिए निदेश देने के पहले कोई अन्य कारण बतलाना अनावश्यक था। प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि पिटीशनर को कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय को आवेदन करने का एक आनुकल्पिक उपचार उपलभ्य था क्योंकि यह मामला उक्त अधिनियम की धारा 75(छ) के अंतर्गत आता है और इसलिए इस अनुकल्पिक उपचार का अस्तित्व में रहना संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन हस्तक्षेप करने के लिए इंकार करने के लिए पर्याप्त है।

3. आनुकल्पिक उपचार के अस्तित्व के आधार पर दिए गए प्रारंभिक आक्षेप को हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कायम नहीं रख सकते कि पिटीशन सुनवाई के लिए ग्रहण किया जा चुका है और अब उसकी सुनवाई

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गुणागुण के आधार पर होनी है जिससे आक्षेपित आदेश में प्रत्यक्ष गलती प्रकट होती है और अब पिटीशनर को आनुकल्पिक उपचार का सहारा लेने का निदेश देना उचित नहीं होगा और इस प्रकार का आनुकल्पिक उपचार अब समय वर्जित हो गया होगा तथापि पिटीशन को मंजूर करने का परिणाम यह होगा कि मामला विधि के अनुसार विनिश्चित किए जाने के लिए नए सिरे से वापस किया जा रहा है। इसका प्रयोजन और कुछ नहीं है। यह राय अपनाने के पश्चात् प्रस्तुत मामले में इस अनुक्रम का अनुसरण करना उपयुक्त होगा, अब हम पिटीशन पर गुणागुण के आधार पर विचार करते हैं।

4. अनुज्ञेय अधिकतम शास्ति अधिरोपित करने के निष्कर्ष के समर्थन में एक मात्र कारण, जो आक्षेपित आदेश में वर्णित है, यह है कि पिटीशनर की आर्थिक तंगी अधिनियम की धारा 85-ख के अधीन नुकसानी का संदाय करने के दायित्व से पिटीशनर को माफ करने के लिए कोई आधार नहीं है। ऐसा कहने के पश्चात् प्रत्यर्थी ने इस उपधारणा पर कार्यवाही की कि कानूनी उपबंध से प्रत्यर्थी के पास अधिनियम द्वारा अनुज्ञेय अधिकतम आधार पर नुकसानी वसूल करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था। निःसंदेह, प्रत्यर्थी द्वारा यह निष्कर्ष निकालना सही था कि पिटीशनर की वित्तीय तंगी उसे नुकसानी का संदाय करने के दायित्व से बचने के लिए कोई आधार नहीं है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि नुकसानी के दायित्व के अधीन होने का तार्किक परिणाम विहित अधिकतम आधार पर नुकसानी का संदाय करना है। इस सही निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि पिटीशनर पर नुकसानी का संदाय करने का दायित्व है, अवधारण के लिए अगला प्रश्न यह था कि नुकसानी किस दर से बसूल की जाए। इस प्रयोजन के लिए सभी सुसंगत परिस्थितियों को जो न्यूनीकरण करने वाली मानी जा सकती थीं, युक्तियुक्त समझी जाने वाली नुकसानी की मात्रा का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए था। यह तथ्य संबंधी प्रश्न होगा जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह बात प्रस्तुत मामले में आक्षेपित आदेश में नहीं कही गई है। अधिकतम अनुज्ञेय आधार पर नुकसानी उद्गृहीत करने के लिए कोई कारण वर्णित नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि ऐसा इस गलत उपधारणा के कारण किया गया है कि जब एक बार धारा 85-ख पिटीशनर को लागू हो जाती है और पिटीशनर पर नुकसानी का संदाय करने का दायित्व उपगत हो जाता है तो प्राधिकारी को ऐसे मामले में धारा 85-ख के अधीन कोई शक्ति या विवेकाधिकार नहीं है। आक्षेपित आदेश को देखने से ही यह गलती स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है।

5. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85(ख) उपधारा (1)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जो हमारे प्रयोजन के लिए एकमात्र सुसंगत धारा है, इस प्रकार है :—

'नुकसानी वसूल करने की शक्ति'

जहाँ कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन किसी अभिदाय के संबंध में देय रकम का या किसी अन्य रकम का संदाय करने में असफल रहेगा, वहां निगम बकाया की रकम से अनधिक ऐसी नुकसानी नियोजक से वसूल कर सकेगा जिसे वह अधिरोपित करना ठीक समझे :

परन्तु ऐसी नुकसानी वसूल करने से पहले, नियोजक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।"

अभिव्यक्ति "बकाया की रकम से अनधिक ऐसी नुकसानी नियोजक से वसूल कर सकेगा जिसे वह अधिरोपित करना ठीक समझे" उक्त उपबंध का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। इस अभिव्यक्ति के सीधे-सादे अर्थान्वयन से यह उपदर्शित होता है कि बकाये की रकम अधिकतम सीमा है जिस तक नुकसानी वसूल की जा सकती है अर्थात् 100% तक। तथापि उसका यह अर्थ नहीं है कि जब एक बार नुकसानी के संदाय का दायित्व उद्भूत हो जाता है तो वह हमेशा 100% की दर पर होगा। "बकाया की रकम" से अनधिक नुकसानी से यह ज्ञात होता है कि कानून द्वारा नियत की गई यह अधिकतम सीमा और नुकसानी की वसूली के लिए कोई निश्चित दर विहित नहीं की गई है। अभिव्यक्ति के प्रारंभ में "कर सकेगा" और अंत में "जिसे वह अधिरोपित करना ठीक समझे" शब्दों से यह इंगित होता है कि प्राधिकारी को इस मामले में विवेकाधिकार दिया गया है जिसे स्पष्ट रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर युक्तियुक्त रूप से प्रयुक्त किया जाना चाहिए न कि अयुक्तियुक्त रूप से या मनमाने ढंग से—यह सभी वैवेकिक शक्ति के प्रयोग के लिए विधिमान्य और सही बात है।

6. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख में इसी प्रकार की एक अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थान्वयन उच्चतम न्यायालय ने **आर्गेनो कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज और एक अन्य बनाम भारत संघ और कुछ अन्य**[1] वाले मामले में किया है। उक्त उपबंध में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "बकाया राशि से अनधिक नुकसानी जिसे वह अधिरोपित करना ठीक समझे" है। उच्चतम न्यायालय ने उक्त उपबंध की शक्तिमत्ता की

---

[1] ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1803.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बाबत किए गए आक्षेप को रद्द कर दिया था जो इस संबंध में था कि उक्त उपबंध के द्वारा मनमानी और अनियंत्रित शक्ति प्रदत्त की गई है और उसका सही अर्थ उपदर्शित किया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि नुकसानी अधिरोपित करने की शक्ति न्यायिककल्प कृत्य है। नुकसानी अधिनिर्णीत करने के विवेकाधिकार का प्रयोग कानून द्वारा नियत सीमाओं के भीतर किया जा सकता है और शक्ति के दाण्डिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आदेश "सकारण" आदेश होना चाहिए जिसके समर्थन में कारण अंतर्विष्ट होने चाहिएं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी बतलाया कि नुकसानी की रकम नियत करते समय प्राधिकारी सभी सुसंगत बातें प्रकट नहीं करता है और "नुकसानी" शब्द में नुकसानी उद्गृहीत करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शक बातें अंतर्विष्ट हैं। उच्चतम न्यायालय के एक पूर्ववर्ती विनिश्चय के प्रति निर्देश करते हुए यह बात दोहराई गई थी कि नुकसानी का परिनिर्धारण किसी कठोर सूत्र का अनमनीय रूप से लागू किया जाना नहीं है और "जिसे वह अधिरोपित करना ठीक समझे" शब्दों से यह दर्शित होता है कि प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह मामले के तथ्यों पर विचार करे। इन कारणों से उपबंध की शक्ति-मत्ता पर किया गया आक्षेप रद्द कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय का यह विनिश्चय जिसमें ऐसे ही उपबंध का अर्थान्वयन किया गया है, पूरी शक्ति के साथ प्रस्तुत मामले को लागू होता है और यह अभिनिर्धारित किया ही जाना चाहिए कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85-ख के अधीन किए गए आदेश की अपेक्षाएं वैसी ही हैं।

7. इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85-ख की पूर्वोक्त अपेक्षाओं का प्रत्यर्थी द्वारा उस समय अनुपालन नहीं किया गया था जब उपाबंध 'जी' में आक्षेपित आदेश किया गया था। इस संबंध में कोई भी संकेत नहीं है कि सभी व्यतिक्रमों को एक समान क्यों माना गया और अधिकतम शस्ति क्यों अधिरोपित की गई। वास्तव में नुकसानी की किसी भी मात्रा का अवधारण नहीं किया गया है जो प्रस्तुत मामले में वसूल किए जाने के लिए युक्तियुक्त हो। ऐसे अवधारण के बिना, जो उस समय तक नहीं किया गया है कोई भी वसूली नहीं की जा सकती। हमें यह सूचित किया गया है कि नुकसानी के अतिरिक्त अभिदायों के संदाय में विलंब की कालावधि के लिए पिटीशनर द्वारा ब्याज का संदाय करने के दायित्व का पहले ही उन्मोचन किया जा चुका है।

8. अतः आक्षेपित आदेश इस स्पष्ट कारण से अभिखंडित किए जाने के लिए दायी है कि उसमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85-ख

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अधीन विहित अधिकतम शास्ति के उद्गृहीत करने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है और आदेश से उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई भी तर्कसंगत आधार ज्ञात नहीं होता है। आदेश से उक्त उपबंध की आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है जिस उपबंध के अधीन वह आदेश पारित किया गया है।

9. परिणामस्वरूप पिटीशन मंजूर किया जाता है। आक्षेपित आदेश उपाबंध 'जी' तारीख 22-12-1961 अभिखंडित किया जाता है। अब प्रत्यर्थी इस मामले का विनिश्चय उन सूचनाओं के आधार पर, जो जारी की जाएंगी और जिनके द्वारा पिटीशनर को उनके विरुद्ध कारण बतलाने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, विधि के अनुसार नये सिरे से करने की कार्रवाई करेगा। पक्षकार अपने-अपने खर्चे वहन करेंगे। प्रतिभूति की रकम पिटीशनर को लौटाई जाए।

मि०

पिटीशन मंजूर किया गया।

नि० प० 1983 : मध्य प्रदेश—263

धर्मेन्द्र सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट और एक अन्य

(Dharmendra Singh *Vs.* The District Magistrate and another)

तारीख 22 फरवरी, 1983

[न्या० जी० एल० ओझा और न्या० एस० के० सेठ]

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980—धारा 3(2)—सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 116(3)—धारा 116(3) के अधीन किसी व्यक्ति का अभिरक्षा में होना—धारा 3(2) के अधीन निरोध आदेश पारित करते समय जिला मजिस्ट्रेट को उक्त तथ्य की जानकारी न होने से या यह ज्ञात होने से कि जिला मजिस्ट्रेट ने अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निरोध आदेश अवैध है।

निरुद्ध व्यक्ति पिटीशनर का भाई है। निरोध का आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अधीन पारित किया गया था। आदेश

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और निरोध के आधार निरुद्ध व्यक्ति को जेल में भेज दिए गए थे। पिटीशनर द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन अभिरक्षा में लिया गया था। अतः, यह अभिकथन किया गया कि उस तारीख को जब निरोध का आदेश पारित किया गया था, निरुद्ध व्यक्ति करीब 12 दिन पहले से ही अभिरक्षा में था और उसके निरोध के लिए आदेश पारित करते समय जिला मजिस्ट्रेट ने मामले के इस पहलू का विचार नहीं किया क्योंकि आदेश में यह दर्शाने के लिए कोई बात नहीं है कि उसे यह भी ज्ञात था कि निरुद्ध व्यक्ति जेल में है। पिटीशन में यह भी अभिकथन किया गया था कि निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध गतिविधियों के आधारों से यह ज्ञात नहीं होता है कि निरुद्ध व्यक्ति किसी भी प्रकार से लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल कार्य कर रहा था। निरुद्ध व्यक्ति की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि उस तारीख को, जब निरोध आदेश पारित किया गया था, निरुद्ध व्यक्ति पहले से ही अभिरक्षा में था और विद्वान् जिला मजिस्ट्रेट ने इस परिस्थिति पर विचार ही नहीं किया था और इस तथ्य पर ध्यान न देने से और विचार न करने से निरोध का आदेश अवैध घोषित किया जाए और इस आधार पर ही निरोध आदेश अभिखंडित किया जाने योग्य है।

अभिनिर्धारित—पिटीशन मंजूर किया गया।

निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से यह ज्ञात नहीं होता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर विचार किया था कि यह निरुद्ध व्यक्ति पहले से ही जेल में था और यह कि वह बंध-पत्र देने में असफल होने के कारण धारा 116(3) के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जेल में था। इस बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कोई शपथ-पत्र नहीं दिया है कि इस आदेश के पारित किए जाने के पहले उसे इस तथ्य का ज्ञान था और उसने मामले के इस पहलू पर विचार किया था। विवरणी में जो कुछ वर्णित किया गया है उससे केवल यह दलील ज्ञात होती है कि क्योंकि जमानत देने में असफल होने के कारण निरुद्ध व्यक्ति जेल में था, अतः वह प्रतिभूति देने के पश्चात् किसी भी क्षण छोड़ा जा सकता था और इसीलिए इस आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता। किन्तु विवरणी में यह बात भी स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं की गई है कि निरोध का आदेश पारित करने के पहले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले का यह पहलू लाया गया था। (पैरा 9)

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से यह अवश्य दर्शित होना चाहिए कि उसे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस तथ्य की जानकारी थी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध निरोध का आदेश पारित किया जा रहा है, वह पहले से ही जेल में है। (पैरा 10)

इस उपबंध में निवारक कार्यवाही किए जाने का उपबंध है और यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है तब वह संबंधित व्यक्ति को शान्ति भंग करने से निवारित करने के लिए या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करने से निवारित करने के लिए प्रतिभुओं सहित या प्रतिभुओं के बिना शांति बनाए रखने या सदाचरण बनाए रखने के लिए बंध-पत्र देने के लिए निदेश दे सकता है। (पैरा 11)

जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 116 के खण्ड (3) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है जबकि लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए निवारक आदेश पहले से ही अस्तित्व में है और इस बात के होते हुए तथा इस तथ्य के होते हुए भी कि निरुद्ध व्यक्ति ने प्रतिभूति नहीं दी और उसे जेल भेज दिया गया है, यह ऐसी बात है जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन निरोध का आदेश पारित करने से पहले विद्वान् जिला मजिस्ट्रेट को विचार करना चाहिए था। उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष की कार्यवाही की प्रति जो फाइल की गई है, यद्यपि उससे यह ज्ञात नहीं होता है कि धारा 116(3) के अधीन पारित आदेश खण्ड 3 के अधीन यथा-अपेक्षित अनुसार किया गया है, किन्तु आदेश में धारा 116 के खण्ड (3) के प्रति निर्देश है और चूंकि जिला मजिस्ट्रेट ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया, अतः निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया निरोध आदेश न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। (पैरा 12)

		पैरा
[1982]	ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 1548 : देवीलाल महतो **बनाम** बिहार राज्य (Devi Lal Mahato *v.* State of Bihar);	5,10
[1982]	ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 1543 : नारागू सत्यनारायण **बनाम** आन्ध्र प्रदेश राज्य (Naragu Satyanarayana *v.* State of Andhra Pradesh);	5
[1982]	ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 1539 : बीरू महतो **बनाम** जिला मजिस्ट्रेट, धनबाद (Biru Mahato *v.* District Magistrate, Dhanbad)	5

निर्दिष्ट किए गए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आरंभिक (रिट) अधिकारिता : 1983 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 105.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए बंदी-प्रत्यक्षीकरण का रिट।

पिटीशनर की ओर से ... श्री एस० सी० दत्त

प्रत्यर्थियों की ओर से ... श्री आर० के० वर्मा, उप-महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्या० जी० एल० ओझा ने दिया।

न्या० ओझा :

यह पिटीशन पिटीशनर द्वारा प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा पारित किए गए निरोध आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है। उक्त आदेश की प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा सरदार सिंह उर्फ बृजेन्द्र सिंह के विरुद्ध उक्त आदेश की पुष्टि की गई थी। निरुद्ध व्यक्ति पिटीशनर का भाई है।

2. निरोध का आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अधीन 21 दिसम्बर, 1982 को पारित किया गया था। आदेश एवं निरोध के आधार निरुद्ध व्यक्ति को सतना जिला के नागौद जेल में दिए गए थे। निरोध के आधार भी तारीख 21-12-82 के हैं।

3. पिटीशनर द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन 7-12-1982 को पुलिस थाना रामपुर बघेलस की पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिया गया था। उसे उपखंड मजिस्ट्रेट रघुराजनगर सतना के समक्ष 9-12-1982 को पेश किया गया था जहां उससे प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई थी और चूंकि उसने प्रतिभूति नहीं दी, उसे नागोद जेल भेज दिया गया। अतः यह अभिकथन किया गया है कि उस तारीख को जब निरोध का यह आदेश पारित किया गया था, निरुद्ध व्यक्ति करीब 12 दिन पहले से ही अभिरक्षा में था और उसके निरोध के लिए आदेश पारित करते समय जिला मजिस्ट्रेट ने मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया क्योंकि आदेश में यह दर्शाने के लिए कोई बात नहीं है कि उसे यह भी ज्ञात था कि निरुद्ध व्यक्ति जेल में है। पिटीशन में यह भी अभिकथन किया गया था कि निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथित गतिविधियों के आधारों से यह ज्ञात नहीं होता है कि निरुद्ध व्यक्ति किसी भी प्रकार से लोक-व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य कर रहा था।

4. यह भी अभिकथन किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति ने राज्य सरकार को 25-1-1983 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

5. पिटीशनर की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि उस तारीख को, जब यह आदेश पारित किया गया था, निरुद्ध व्यक्ति पहले से ही अभिरक्षा में था और विद्वान् जिला मजिस्ट्रेट ने इस परिस्थिति पर विचार ही नहीं किया था और इस तथ्य पर ध्यान न देने से और विचार न करने से निरोध का आदेश अवैध घोषित किया जाए। विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलील के समर्थन में निम्नलिखित विनिश्चयों का अवलंब लिया, **बीरू महतो** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, धनबाद**[1], **नारागू सत्यनारायण** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**[2] और **देवीलाल महतो** बनाम **बिहार राज्य**[3] तथा यह दलील दी गई कि इस छोटे आधार पर ही यह आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है।

6. प्रत्यर्थियों की ओर से फाइल की गई विवरणी में यह अभिकथन किया गया है कि निःसंदेह आदेश की तारीख को निरुद्ध व्यक्ति अभिरक्षा में था, किन्तु वह अभिरक्षा में था क्योंकि उसने बंधपत्र नहीं दिया था और किसी भी समय उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार प्रतिभूति देने के पश्चात् जेल से बाहर आ सकता था और इसलिए केवल उस आधार पर आदेश अवैध नहीं किया जा सकता। तथापि विवरणी से यह प्रकट नहीं होता है कि निरोध का आदेश पारित करने के पहले जिला मजिस्ट्रेट को निरुद्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी थी और न यह प्रकट होता है कि उसने मामले के इस पहलू पर विचार किया था यद्यपि विवरणी के साथ उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 107 और 116 के अधीन की कुछ कार्यवाहियां फाइल की गई हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि उपखंड मजिस्ट्रेट ने 9-12-1982 को एक आदेश पारित किया था और निरुद्ध व्यक्ति से यह अपेक्षा की थी कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 116(3) के अधीन दो प्रतिभूतियां, प्रत्येक 10,000 रुपये की दे और क्योंकि उसने प्रतिभूति नहीं दी, अतः उसे जेल भेज दिया गया है।

7. यह भी रोचक बात है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के पिटीशन में भी जहां यह अभिकथन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि निरुद्ध व्यक्ति पहले से ही जेल में था, जब आदेश पारित किया गया था फिर भी, जिला मजिस्ट्रेट ने कोई शपथ-पत्र फाइल नहीं किया किन्तु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ-पत्र फाइल किए गए जो प्रभारी-अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था और इस शपथ-पत्र में भी यह वर्णित नहीं किया गया है

---

[1] ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 1539.
[2] ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 1543.
[3] ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 1548.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कि जिला-मजिस्ट्रेट ने मामले के इस पहलू पर उस तारीख को विचार किया था जिस तारीख को वह निरोध का आदेश पारित कर रहा था, कि निरुद्ध व्यक्ति पहले से ही जेल में था और धारा 107 और 116(3) के अधीन कार्यवाहियां भी लंबित थीं और उसके विरुद्ध धारा 116(3) के अधीन एक अन्तरिम आदेश पहले ही पारित किया गया है और प्रतिभूति न देने पर उसे पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

8. प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् उप-महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि चूंकि वह पहले से जेल में है, क्योंकि वह जमानत नहीं दे सकता था, ऐसी बात नहीं है, जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश अभिखंडित किया जा सके, क्योंकि जमानत देने से सम्बन्धित आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था और वह प्रतिभूति देने के पश्चात् किसी भी क्षण वापस आ सकता है जबकि पिटीशनर के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 116 के अधीन कार्यवाहियां निवारक हैं और धारा 116 के खंड 3 के अधीन आदेश में ही यह प्रकल्पित है कि निरुद्ध व्यक्ति शांति बनाए रखने के लिए लोक प्रशांति के प्रतिकूल किसी भी प्रकार से कार्य न करने के लिए बंध-पत्र द्वारा आबद्ध किया जा रहा है और इसलिए जब धारा 116(3) के अधीन पहले से ही कोई आदेश है, और उस आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति निरोध के आदेश पारित किए जाने के पहले से ही अभिरक्षा में है तो यह दलील दी गई कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से यह बात अवश्य प्रकट होनी चाहिए कि मामले के इस पहलू का ज्ञान जिला मजिस्ट्रेट को था।

9. इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से यह ज्ञात नहीं होता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर विचार किया था कि यह निरुद्ध व्यक्ति पहले से ही जेल में था और यह कि वह बंध-पत्र देने में असफल होने के कारण धारा 116(3) के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जेल में था। इस बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कोई शपथ-पत्र नहीं दिया है कि इस आदेश के पारित किए जाने के पहले उसे इस तथ्य का ज्ञान था और उसने मामले के इस पहलू पर विचार किया था। विवरणी में जो कुछ वर्णित किया गया है उससे केवल यह दलील ज्ञात होती है कि क्योंकि जमानत देने में असफल होने के कारण निरुद्ध व्यक्ति जेल में था, अतः वह प्रतिभूति देने के पश्चात् किसी भी क्षण छोड़ा जा सकता था और इसलिए इस आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता। किन्तु विवरणी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में यह बात भी स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं की गई हैं कि निरोध का आदेश पारित करने के पहले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले का यह पहलू लाया गया था।

10. **देवी लाल महतो** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में विद्वान् न्यायाधीश ने मामले के इस पहलू पर विचार किया और यह मत व्यक्त किया—

"5. निःसन्देह एक मास और 18 दिन की कालावधि के लिए निरुद्ध व्यक्ति जेल में था। आक्षेपित निरोध आदेश की तारीख से करीब 25 दिन पहले जमानत का उसका आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिया गया था। इस बात को समझना कठिन है कि जिला मजिस्ट्रेट का व्यक्तिनिष्ठ रूप से किस प्रकार समाधान हुआ था कि निरुद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में निरोध आदेश इस दृष्टि से आवश्यक था कि उसे लोक-व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल किसी भी प्रकार से कार्य करने से निवारित किया जा सके। हमने इस पहलू की इस न्यायालय के चार विनिश्चय में बहुत सावधानी से परीक्षा की है और इसलिए अब इस प्रश्न की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। रामेश्वर शा **बनाम** जिला मजिस्ट्रेट [1964] 4 एस० सी० आर० 921=ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 334 और विजय कुमार **बनाम** जम्मू और कश्मीर राज्य (ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 1023) वाले मामले में अभी हाल के मामले में और बीरू महतो **बनाम** जिला मजिस्ट्रेट धनबाद (डब्ल्यू० पी० सं० 125/82 तारीख 15-10-1982 को विनिश्चित किया गया=ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 153) और एम० सत्यनारायण **बनाम** आन्ध्र प्रदेश (डब्ल्यू पीज० सं० 1166 और 1967/2 जो 18-1-1982 को विनिश्चित की गई=ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 1543) वाले अभी हाल के ही विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी काल्पनिक मामले की कल्पना की जा सकती है जिसमें ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निवारक निरोध का आदेश किया गया हो और जो जेल में परिरुद्ध या निरुद्ध किए जाने से पहले ही अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित हो। किन्तु ऐसी स्थिति में निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य के संबंध में यह जानकारी अवश्य ही दर्शानी चाहिए कि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध निरोध का आदेश किया जाना प्रस्थापित है, पहले से ही जेल में है और वह लोक-व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल रीति में कार्य करने में असमर्थ है

[1] ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 1548.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और भी ऐसे कारणों से, जो जिला मजिस्ट्रेट को उचित लगें जिनके बारे में उसका व्यक्तिपरक समाधान आधारित है, निवारक निरोध का आदेश किया जाना अपेक्षित है और यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि इस बाबत जानकारी आदेश में या शपथ-पत्र में स्पष्ट रूप से प्रकट होनी चाहिए जिससे कि जब आक्षेपित निरोध आदेश को चुनौती दी जाए, तो उसे न्यायसंगत ठहराया जा सके। न तो आदेश में और न ही शपथ-पत्र में हमें इस पहलू के बारे में जरा भी संकेत मिलता है कि यह बात निरोध करते समय निरुद्ध करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में थी। अतः इससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है और ऊपर वर्णित विनिश्चयों का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया ही जाना चाहिए कि निवारक निरोध का आदेश मशीनी ढंग से किया गया था और उसमें मस्तिष्क के प्रयोग न किए जाने का दोष है। अतः ऐसा आदेश दूषित है।"

यह स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से यह अवश्य दर्शित होना चाहिए कि उसे इस तथ्य की जानकारी थी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध निरोध का आदेश पारित किया जा रहा है, वह पहले से ही जेल में है। इसी प्रकार का मत बीरू **महतो और मेरुगू सत्यनारायण** वाले ऊपर वर्णित मामलों में विद्वान् न्यायाधीश ने मत व्यक्त किया है।

11. प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थियों की ओर से यह दलील देने का प्रयत्न किया गया कि निरुद्ध व्यक्ति जेल में केवल इसलिए था क्योंकि वह उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार प्रतिभूति बंध-पत्र देने की स्थिति में नहीं था। किन्तु बंध-पत्र देने पर वह किसी भी क्षण छोड़ा जा सकता है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने के पश्चात् उसके विरुद्ध धारा 107 और 116 के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ की गईं और इन कार्यवाहियों में अंतर्वर्ती आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है। यह अंतर्वर्ती आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 116 की उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया है। धारा 116(3) इस प्रकार है :—

"116(3). उपधारा (1) के अधीन जांच प्रारम्भ होने के पश्चात् और उसकी समप्ति से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशान्ति भंग या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिये, या लोक सुरक्षा के लिये तुरन्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपाय करने आवश्यक हैं, तो वह ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, उस व्यक्ति को, जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है, निदेश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बन्ध-पत्र निष्पादित करे और जब तक ऐसा बन्ध-पत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है, या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है, उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है :

परन्तु—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदाचरी बने रहने के लिए बन्ध-पत्र निष्पादित करने के लिए निदेश नहीं दिया जाएगा;

(ख) ऐसे बन्धपत्र की शर्तें चाहे वे उसकी रकम के बारे में हों या प्रतिभू उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के, या उनके दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हों, उनसे अधिक दुर्भर न होंगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट है।"

इस उपबंध मे निवारक कार्यवाही किए जाने का उपबंध है और यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है तब वह संबंधित व्यक्ति को शांति भंग से निवारित करने के लिए या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करने से निवारित करने के लिए प्रतिभुओं सहित या प्रतिभुओं के बिना शांति बनाए रखने या सदाचरण बनाए रखने के लिए बंध-पत्र देने के लिए निदेश दे सकता है।

12. अतः, इससे यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 116 के खंड (3) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है जबकि लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए निवारक आदेश पहले से ही अस्तित्व में है और इस बात के होते हुए तथा इस तथ्य के होते हुए भी कि निरुद्ध व्यक्ति ने प्रतिभूति नहीं दी और उसे जेल भेज दिया गया है; यह ऐसी बात है जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन निरोध का आदेश पारित करने से पहले विद्वान् जिला मजिस्ट्रेट को विचार करना चाहिए था। उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष की कार्यवाही की प्रति जो फाइल की गई है, यद्यपि उससे यह ज्ञात नहीं होता है कि धारा 116(3) के अधीन पारित आदेश खण्ड 3 के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधीन यथा-अपेक्षित अनुसार किया गया है, किन्तु आदेश में धारा 116 के खंड (3) के प्रति निर्देश हैं और चूंकि जिला मजिस्ट्रेट ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया, अतः निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया निरोध आदेश न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

13. अतः यह पिटीशन मंजूर किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 21-12-82 को पारित किये गये आदेश को जिसके द्वारा निरुद्ध व्यक्ति का निरोध किया गया है, एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले के संबंध में उसकी जरूरत न हो तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए।

मि०

पिटीशन मंजूर किया गया।

नि० प० 1983 : मध्य प्रदेश—272

मानकचन्द नाथूराम बनाम कृषि उपज मंडी समिति

(Manakchand Nathuram *Vs.* Krishi Upaj Mandi Samiti)

तारीख 22 फरवरी, 1983

[न्या० जे० एस० वर्मा और एम० डी० भट्ट]

कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972—धारा 2(ड), 3 और 4—अधिसूचित कृषि उपज—धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर बाजार समिति द्वारा बाजार फीस उद्ग्रहण की जा सकती है—धारा 2(ड़) में अधिसूचित कृषि उपज की परिभाषा में धारा 4 के अधीन अधिसूचना के प्रति निर्देश किया गया है न कि धारा 3 के अधीन पूर्व अधिसूचना के प्रति।

कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972—धारा 19—कृषि उपज की कुछ मदों के विक्रय के संव्यवहारों पर बाजार फीस का उद्ग्रहण—तत्प्रतितत् का सिद्धान्त—इकट्ठी की गई बाजार फीस में से अधिकांश का उपयोग बाजार में आने वाले क्रेताओं के फायदे और सहूलियत के लिए किए जाने पर यदि इस प्रकार इकट्ठी की गई 3/4 या अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो कम से कम 2/3 का उपयोग बाजार क्षेत्र में कृषि उपज के क्रेताओं को दी गई

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सेवाओं से संबंधित होने पर इस प्रकार उद्ग्रहण की विधिमान्यता के लिए अनिवार्य तत्प्रतितत् का तथ्य पाया जाएगा और बाजार फीस का उद्ग्रहण विधिमान्य माना जाएगा।

पिटीशनर फर्म ने प्रत्यर्थी कृषि उपज मंडी समिति द्वारा कृषि उपज की 4 मदों के विक्रय के संव्यवहारों पर बाजार फीस के उद्ग्रहण पर आक्षेप किया है। आक्षेप केवल दो आधारों पर किया गया है। पहला यह कि बाजार फीस अधिनियम की धारा 19(1) के आधार पर धारा 2(ड) में यथापरिभाषित अधिसूचना कृषि उपज पर ही वसूलीय और कृषि उपज के माध्यम से इस प्रकार अधिसूचित नहीं किए जाने से बाजार क्षेत्र में वेची गई इन मदों के संबंध में वसूल करने के लिए कोई वसूलीय वैध प्राधिकार नहीं है। दूसरी दलील यह दी गई थी कि बाजार फीस के वसूल किए जाने के लिए तत्प्रतितत् उसकी वैधता के लिए अनिवार्य है।

अभिनिर्धारित—पिटीशन खारिज किया गया।

मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1973 की धारा 3 में ऐसे बाजार के स्थापित किए जाने के आशय का अधिसूचित किया जाना उपबंधित है और धारा 4 ऐसी अधिसूचना के लिए है जिसके द्वारा धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त होने वाले आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने और विनिश्चय करने के बाद बाजार स्थापित किया जाता है। अधिनियम की धारा 19(1) बाजार समिति को अधिसूचित कृषि उपज पर जो बाजार क्षेत्र में वेचे जाने के लिए लाई जाए, ऐसी दरों पर जो समय-समय पर नियत की जाए और जो प्रत्येक 100 रुपये कीमत पर कम से कम 50 पैसे की बाजार फीस उद्गृहीत करने के लिए सशक्त करती है, "अधिसूचित कृषि उपज" जिसके वेचे जाने पर बाजार क्षेत्र में बाजार फीस उद्गृहीत की जा सकती है, धारा 3(ड) में इस प्रकार परिभाषित हैं जैसे कि कोई उपज धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है। प्रस्तुत मामले में उपज धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है। कृषि उपज की ऊपर वर्णित चारों मदें जिनके संबंध में यह रिट पिटीशन फाइल किया गया है, उसमें अधिसूचित हैं जिससे कि वे अधिनियम की धारा 2(ड) में अन्तर्विष्ट "अधिसूचित कृषि-उपज" की परिभाषा के अनुरूप हैं। (पैरा 3)

धारा 2(ड) में "अधिसूचित कृषि उपज" परिभाषा में धारा 4 के अधीन अधिसूचना के प्रति निर्देश किया गया है न कि धारा 3 के अधीन पूर्व अधिसूचना के प्रति। धारा 3 में केवल बाजार स्थापित करने का आशय घोषित किया है। (पैरा 4)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इकट्ठी की गई रकम में से अधिकांश का उपयोग बाजार में आने वाले क्रेताओं के फायदे के लिए भवन का निर्माण करने और सहूलियत देने के लिए किया गया है और अब दी गई सहूलियत में उन्हें मुफ्त में टेलीफोन सेवा उपलब्ध किया जाना भी सम्मिलित है। प्रत्यर्थी द्वारा इकट्ठी की गई बाजार फीस में से व्यय की गई मदों का परिशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि यदि 3/4 या अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो कम से कम 2/3 का उपयोग ऐसी मदों के लिए किया गया है जो बाजार क्षेत्र में कृषि उपज के क्रेताओं को दी गई सेवा से संबंधित हैं। इस प्रकार उद्ग्रहण की विधिमान्यता के लिए अनिवार्य तत्प्रतितत् के तथ्य की मौजूदगी दर्शाने के लिए सामग्री है। (पैरा 5)

		पैरा
[1981]	(1981) जे० एल० जे० 82=1981 एम० पी० एल० जे० 17 : सज्जन मिल्स लि० **बनाम** कृषि उपज मंडी समिति, रतलाम (Sajjan Mills Ltd. *Vs.* Krishi Upaj Mandi Samiti, Ratlam)	5

आरंभिक अधिकारिता : 1981 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 340.
संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशन।

पिटीशनर की ओर से ... श्री एम० सी० निहलानी

प्रत्यार्थी की ओर से ... श्री वी० एस० श्रोती

न्यायालय का निर्णय न्या० जे० एस० वर्मा ने दिया।

न्याय वर्मा :

पिटीशनर फर्म इटारसी में अनाज के व्यापारी (वणिक और कमीशन अभिकर्ता) के तौर पर कारबार करती है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस पिटीशन में प्रत्यर्थी कृषि उपज मंडी समिति इटारसी द्वारा कृषि उपज की चार मदों के विक्रय के संव्यवहारों पर बाजार फीस के उद्ग्रहण पर आक्षेप किया गया है। ये चार मदें मूंगफली, छिलका सहित या बिना छिलका के, तिल, सरसों और बिनौला हैं। विहित की गई बाजार फीस की दर संव्यवहार में प्रत्येक 100/- रुपये पर 50 पैसे विहित की गई है और इसका संदाय मामूली तौर पर कृषि उपज के क्रेता द्वारा किया जाएगा और यदि उसकी शनाख्त नहीं की जा सकी तो विक्रेता द्वारा किया जाएगा। यह उद्ग्रहण मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम सं० 24) के उपबंधों के अधीन किया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

2. पिटीशनर की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एम० सी० निहलानी ने बाजार फीस के उद्ग्रहण पर अपने आक्षेप को कृषि उपज के इन चार मदों तक सीमित रखा है। आक्षेप केवल दो आधारों पर किया गया है, उनकी पहली दलील यह है कि चूंकि बाजार फीस "अधिनियम की धारा 19(1) के आधार पर धारा 2(ड) में यथापरिभाषित "अधिसूचित कृषि उपज" पर ही वसूलीय है और कृषि उपज की ये मदें चूंकि इस प्रकार अधिसूचित नहीं की गई हैं अतः बाजार क्षेत्र में बेची गई इन मदों के संबंध में वसूली करने के लिए कोई वैध प्राधिकार नहीं है। विद्वान् काउंसेल की दूसरी दलील यह है कि बाजार फीस के वसूल किए जाने के लिए कोई तत्प्रतितत् नहीं है, जो उसकी वैधता के लिए अनिवार्य है।

3. ऊपर वर्णित पहली दलील में कोई बल नहीं है। अधिनियम की धारा 2(ड) में "अधिसूचित कृषि उपज" इस प्रकार परिभाषित है कि कोई उपज, जो धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, अधिनियम की धारा 3 में उपबंधित है। बाजार स्थापित करने के आशय की अधिसूचना जिसके द्वारा ऐसी कृषि उपज के क्रय और विक्रय का विनियमन करने के लिए और ऐसे क्षेत्र में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिसूचित किया जाना। इसके संबंध में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों पर तब विचार किया जाता है और अधिनियम की धारा 4 के अधीन बाजार के बारे में अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 4 में राज्य सरकार द्वारा एक दूसरी अधिसूचना का उपबंध है जो धारा 3 के अधीन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए बाजार स्थापित करने के लिए है या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसके किसी क्षेत्र में पूर्ववर्ती अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी या किसी प्रकार की कृषि उपज विनिर्दिष्ट है। इस प्रकार धारा 3 में ऐसे बाजार के स्थापित किए जाने के आशय का अधिसूचित किया जाना उपबंधित है और धारा 4 ऐसी अधिसूचना के लिए है जिसके द्वारा धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त होने वाले आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने और विनिश्चय करने के बाद बाजार स्थापित किया जाता है। अधिनियम की धारा 19(1) बाजार समिति को अधिसूचित कृषि उपज पर जो बाजार क्षेत्र में बेचे जाने के लिए लाई जाए, ऐसी दरों पर जो समय-समय पर नियत की जाए और जो प्रत्येक 100 रुपये कीमत पर कम से कम 50 पैसे की बाजार फीस उद्गृहीत करने के लिए सशक्त करती है। जैसा पहले वर्णित किया गया है "अधिसूचित कृषि उपज" जिसके बेचे जाने पर बाजार क्षेत्र में बाजार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

फीस उद्गृहीत की जा सकती है, धारा 3(ड) में इस प्रकार परिभाषित हैं जैसे कि कोई उपज धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है। प्रस्तुत मामले में उपज धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है। प्रस्तुत मामले में अधिनियम की धारा 4 के अधीन सुसंगत अधिसूचना प्रत्यर्थी द्वारा पेश की गई है और वह पेपर बुक के पृष्ठ 22 पर है। यह अधिसूचना मध्य प्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स ऐक्ट, 1960 के अधीन जारी की गई थी। उक्त अधिनियम इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन निरसित कर दिया गया है। किन्तु उसके व्यावृत्ति खंड में स्थापित बाजारों, घोषित बाजार क्षेत्रों और अधिसूचित कृषि-उपज आदि का निरसित अधिनियम के अधीन चालू बने रहना उपबंधित है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि यह अधिसूचना प्रवृत्त बनी हुई है। उसका परिशीलन करने मात्र से ही यह बात पर्याप्त रूप से ज्ञात हो जाती है कि कृषि उपज की ऊपर वर्णित चारों मदें, जिनके संबंध में यह रिट पिटीशन फाइल की गई है, उसमें अधिसूचित हैं जिससे कि वे अधिनियम की धारा 2(ड) में अंतर्विष्ट "अधिसूचित कृषि-उपज" की परिभाषा के अनुरूप हैं।

4. ऐसी परिस्थिति प्रकाश में आने पर श्री निहलानी ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 3 के अधीन पूर्ववर्ती अधिसूचना पेश नहीं की है जिसके द्वारा बाजार इस प्रकार स्थापित करने के पहले उसका गठन करने का आशय घोषित किया जाता है। वह बाद में जारी की गई अधिसूचना द्वारा इस प्रकार स्थापित किया गया है। उक्त अधिसूचना प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई। विद्वान् काउंसेल ने दलील दी है कि यह दोष यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि ये मदें अधिसूचित कृषि उपज नहीं हैं। इस दलील को स्वीकार करना कठिन है। धारा 2(ड) में "अधिसूचित कृषि-उपज" परिभाषा में धारा 4 के अधीन अधिसूचना के प्रति निर्देश किया गया है न कि धारा 3 के अधीन पूर्व अधिसूचना के प्रति। धारा 3 में केवल बाजार स्थापित करने का आशय घोषित किया है। यह दर्शाये जाने पर कि कृषि-उपज की ये सभी चार मदें सम्यक् रूप से अधिसूचित कर दी गई थीं जिससे कि वे अधिसूचित कृषि उपज हैं, अतः प्रथम दलील अवश्य ही रद्द की जानी चाहिए।

5. श्री निहलानी द्वारा दी गई दलील पर अब विचार किया जा सकता है। श्री निहलानी ने **सज्जन मिल्स लि० बनाम कृषि उपज मंडी समिति रतलाम**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब ऐसी फीस की

---

[1] 1981 जे० एल० जे० 82 = 1981 एम० पी० एल० जे० 17.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विधिमान्यता को कायम रखने के लिए अत्यावश्यक बातों को बतलाने के लिए लिया है। उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चय के प्रति और इस मुद्दे पर स्वीकृत विधि के प्रति निर्देश करने के पश्चात् उस विनिश्चय में यह दोहराया गया है कि वसूल की गई फीस का सारभूत भाग उस व्यक्ति के प्रति की गई सेवाओं से सह-सबद्ध होना चाहिए जिससे फीस प्रभारित की गई है और जहां इकट्ठे किए गए धन का यह अनुपात 2/3 या 3/4 था, फीस के अधिरोपित किए जाने की विधिमान्यता कायम रखी जा सकती है क्योंकि ऐसे मामलों में तत्प्रतितत् का अत्यावश्यक तत्त्व साबित कर दिया जाता है। उस मामले में बाजार फीस 100 रुपए कीमत पर 50 पैसे से बढ़ाकर प्रति 100 रुपये कीमत पर 1 रुपये कर दी गई थी और यह वृद्धि करीब 50 पैसे थी जिस पर आक्षेप किया गया था और वह वृद्धि अविधिमान्य ठहराई गई थी। प्रति 100 रुपये पर 50 पैसे के अधिरोपण की विधिमान्यता पर आक्षेप भी नहीं किया गया था। 50 पैसे की वृद्धि इस तथ्य के आधार पर अभिखंडित कर दी गई थी कि उसके उपयोग से ऐसी मदों पर उसका व्यय दर्शित होता है जो ऐसे व्यक्ति के प्रति की गई सेवाओं से संबंधित नहीं है जिससे फीस प्रभारित की गई थी। इस तथ्य के अलावा कि प्रति 100 रुपए कीमत के लिए कानून द्वारा निम्नतम विहित कीमत 50 पैसे थी, यह रकम वास्तव में इतनी महत्वहीन है कि फीस की विधिमान्यता को कायम रखने के लिए आवश्यक तत्प्रतितत् के अत्यावश्यक तत्त्वों का अवधारण करने के लिए बहुत अधिक संवीक्षा किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रत्यर्थी ने इस प्रकार वसूल की गई रकम में से किए गए व्यय की विशिष्टियां फाइल की हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि इकट्ठी की गई रकम में से अधिकांश का उपयोग बाजार में आने वाले क्रेताओं के फायदे के लिए भवन का निर्माण करने और सहूलियत देने के लिए किया गया है और दी गई सहूलियत में उन्हें मुफ्त में टेलीफोन सेवा उपलब्ध किया जाना भी सम्मिलित है। प्रत्यर्थी द्वारा इकट्ठी की गई बाजार फीस में से व्यय की गई मदों का परिशीलन करने से हमारा समाधान हो गया है कि यदि 3/4 या अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो कम से कम 2/3 का उपयोग ऐसी मदों के लिए किया गया है जो बाजार क्षेत्र में कृषि उपज के क्रेताओं को दी गई सेवा से संबंधित है। इस प्रकार उद्ग्रहण की विधिमान्यता के लिए अनिवार्य तत्प्रतितत् के तथ्य की मौजूदगी दर्शाने के लिए सामग्री है। हमारे मतानुसार इस आधार पर भी बाजार फीस के उद्ग्रहण पर सफलतापूर्वक आक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह दलील भी असफल होती है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

6. परिणामस्वरूप पिटीशन खारिज किया जाता है। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है। प्रतिभूति की रकम पिटीशनर को लौटा दी जाए।

मि० पिटीशन खारिज किया गया।

नि० प० 1983 : मध्य प्रदेश—278

के० डी० गुप्ता बनाम भारत संघ और एक अन्य

(K.D. Gupta *Vs.* Union of India and another)

तारीख 23 फरवरी, 1983

[न्या० जे० एस० वर्मा और एम० एल० मलिक]

संविधान, अनुच्छेद 14—सपठित सेना अधिनियम, 1950—धारा 192-ध और रक्षा सेवा विनियम 866—अन्तरण और तैनाती का आदेश पारित करने की शक्ति—उक्त शक्ति वैवेकिक है और उसमें हस्तक्षेप करने की गुंजाइश भी बहुत सीमित है किन्तु यदि वैवेकिक शक्ति का प्रयोग मनमाने तौर पर या सनक के कारण करके कोई आदेश किया जाता है तो ऐसा आदेश वैवेकिक शक्ति से परे कार्य करने के कारण या उसका दुरुपयोग करने के कारण अविधिमान्य है।

सेना अधिनियम, 1950—धारा 192—सपठित रक्षा सेवा विनियम, विनियम 866—विनियम 866 का उल्लंघन करके या उसका दुरुपयोग करके सेना अधिकारी को अन्तरित किए जाने और तैनात किए जाने का आदेश—किसी अन्य स्थान पर तैनात किए जाने का विकल्प उपलब्ध होने पर भी स्वास्थ्य खराब होने के कारण, अवनत किए जाने के पश्चात् किसी सैनिक अधिकारी को सक्रिय शत्रुता, प्रतिभिड़ंत या लड़ाई वाले क्षेत्र में अंतरित व तैनात करने का आदेश अविधिमान्य होगा।

प्रशासनिक विधि—सपठित संविधान, 1950—अनुच्छेद 14—वैवेकिक शक्ति—वैवेकिक शक्ति का अत्यधिक उपयोग या उसका दुरुपयोग करते हुए या मनमाने तौर पर या सनक के कारण कार्य करते हुए पारित किया गया आदेश अविधिमान्य होगा—मनमानापन संविधान के अनुच्छेद 14 में अन्तर्विष्ट

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समानता के अधिकार के विपरीत है और इसलिए विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की कोटि में आने के कारण अभिखंडित किए जाने योग्य है।

पिटीशनर सेना का एक अधिकारी है। वह लैफ्० कर्नल के पद पर था। चिकित्सीय आधारों पर लैफ्० कर्नल के पद से मेजर के तौर पर पदावनत किए जाने के पश्चात् पिटीशनर को निम्न चिकित्सीय कोटि में रखा गया जो एस-2 (स्थायी) कहा जाता है जो मनोवैज्ञानिक तथ्यों से संबंधित है। ऐसे व्यक्तियों को ऊंचाई वाले स्थान पर और सक्रिय युद्ध की स्थिति में लड़ाई में भाग लेने व अलग-थलग स्थानों पर स्वतन्त्र रूप से कमान सौंपे जाने के लिए अयोग्य माना गया है। उनके संबंध में इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि भीषण मानसिक तनाव में ऐसे व्यक्ति बीमार पड़ सकते हैं। मेजर के पद पर पदावनत किए जाने के संबंध में पिटीशनर ने आक्षेप किया और संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उसने सीधे ही उच्चतम न्यायालय में एक रिट पिटीशन फाइल कर दिया जो अभी भी लंबित है। प्रस्तुत पिटीशन में जो संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल किया गया है, पिटीशनर की मेजर के पद पर पदावनति का प्रश्न अंतर्वलित नहीं है और आक्षेप मुख्य रूप से सेना मुख्यालय तथा सैनिक सचिव शाखा द्वारा तारीख 31 अगस्त, 1981 द्वारा जारी किए गए तैनाती और अन्तरण आदेश से ही मुख्य रूप से संबंधित है। उक्त आदेश के द्वारा उसे ग्वालियर से नार्थ ईस्ट फ्रंटीयर एजेंसी अंतरित कर दिया गया था। पिटीशनर ने प्राधिकारियों द्वारा अपनी वैवेकिक शक्ति का सीमा से अधिक प्रयोग करने या उसके दुरुपयोग करने के आधार पर आक्षेप किया है जिससे उक्त आदेश एवं आनुषंगिक अनुशासनिक कार्रवाई अवैध हो गई है।

अभिनिर्धारित—पिटीशन मंजूर किया गया।

तैनाती और अंतरण का प्रश्न भी मुख्य रूप से सक्षम प्राधिकारियों के विवेकाधिकार के अंतर्गत रहता है और उसमें हस्तक्षेप करने की गुंजाइश भी बहुत सीमित है। तथापि यह सुस्थापित है कि वैवेकिक शक्ति का अत्यधिक उपयोग या उसका दुरुपयोग करने से वह अविधिमान्य हो जाती है और उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अपने विवेकाधिकार का उचित प्रयोग करने में उसे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे करने के लिए उसे मना किया गया है और न ऐसा कार्य उसे सौंपा जाना चाहिए जिसे करने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है। उसे सद्भाव से कार्य करना चाहिए और सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखना चाहिए और मनमाने तौर पर या सनक के कारण कार्य नहीं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करना चाहिए। मनमानापन संविधान के अनुच्छेद 14 में अंतर्विष्ट समानता के अधिकार के विपरीत है और इसलिए विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की कोटि में आने के कारण अभिखंडित किए जाने योग्य है। (पैरा 14)

यह सुज्ञात है कि प्रतिविरोध में किए जाने वाले युद्ध संबंधी कार्य नेफा क्षेत्र में कुछ वर्षों से आवश्यक रूप से ही लगातार प्रक्रिया के तौर पर किए जा रहे हैं जिसमें सैनिक और सैनिकवत् बल का अभिनियोजित किया जाना अपेक्षित है। हाल की घटनाओं से जो नेफा से लगे हुए निचले स्थानों में हुई हैं, यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि गतिविधियां व्यापक हुई हैं जिनमें प्रतिविरोध में किए जाने वाले युद्ध के कार्यों में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में इस बात की कल्पना करना कठिन है कि पिटीशनर को नेफा क्षेत्र में किसी ऐसे स्थान पर किस प्रकार तैनात किया जा सकता है जहां उससे कम से कम प्रतिविरोध में किए जाने वाले युद्ध संबंधी कार्यों से कोई संबंध रखे बिना अपने कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा की जा सके। प्रत्यर्थियों की ओर से यह अभिकथन नहीं किया गया है कि किसी अन्य स्थान पर ऐसा कोई पद नहीं है जहां निम्न चिकित्सीय प्रवर्ग को लागू निर्बन्धनों का उल्लंघन किए बिना पिटीशनर को तैनात किया जा सके। चूंकि विकल्प उपलब्ध है जिनके कारण इन निबंधनों का उल्लंघन नहीं होगा। अतः जब तक पिटीशनर निम्न चिकित्सीय प्रवर्ग में बना रहता है तब तक उसे नेफा में तैनात करना स्पष्ट रूप से ही मनमाना कार्य है और ऐसा कार्य है जो स्पष्ट रूप से प्रतिषिद्ध है। आक्षेपित आदेश वैवेकिक शक्ति से परे कार्य करने के कारण या उसका दुरुपयोग करने के कारण अविधिमान्य है। (पैरा 17)

आरंभिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1982 की मध्य प्रदेश पिटीशन सं० 1422.

संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल किया गया पिटीशन।

पिटीशनर की ओर से ... स्वयं

प्रत्यर्थी की ओर से ... के० के० अधिकारी, एन० पी० मित्तल, संजय और के० सेठ

न्यायालय का निर्णय न्या० जे० एस० वर्मा ने दिया।

न्या० वर्मा :

यह पिटीशन ग्वालियर न्यायपीठ के समक्ष फाइल किया गया था जहां उसे 1981 के प्रकीर्ण पिटीशन सं० 276 के तौर पर रजिस्टर में दर्ज किया गया था। बाद में इसमें संशोधन किया गया और कानूनी उपबंध की शक्ति मत्ता पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न करने का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा और उक्त खंड (ग) के अधीन अंतर्निहित उद्देश्य निरर्थक बन जाएगा। उक्त खण्ड (ग) के अधीन राष्ट्रपति या राज्यपाल के समाधान का प्रयोग केवल साधारण निबंधनों में ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। वास्तव में, आक्षेपित आदेश में यह वर्णित है कि राज्यपाल के समाधान के लिए जो बात घटित हुई, वह अपीलार्थी का वह आचरण था जो उसके विभिन्न कार्य करने और कार्य करने से लोप करने से प्रकट हुए जो इस प्रकार के थे कि उसका सेवा में बना रहना वांछनीय नहीं था। अब यदि किसी अपचारी सरकारी सेवक द्वारा किए गए कार्य या लोप के कार्य इस प्रकार के थे जिससे राज्य की सुरक्षा प्रभावित होती है या राज्य की सुरक्षा के प्रभावित होने की संभावना थी तो यह प्रत्याशा करना उचित नहीं होगा कि ऐसे कार्यों और आचरण का सविस्तार लेखा राज्यपाल द्वारा पारित किए गए आदेश में उपवर्णित किया जाना चाहिए। फिर भी न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्यपाल के समाधान पर पहुंचने के लिए उसके समक्ष कोई सामग्री थी और यह कि उक्त खंड (ग) की भाषा को बिना सोचे समझे पुनः उद्धृत नहीं किया गया है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा फाइल किए गए शपथ-पत्र के पैराग्राफ 9 में पिटीशन के ग्रहण किए जाने का विरोध करने की दृष्टि से निम्नानुसार वर्णित किया गया है।

> "....मेरा यह विचार है कि पुलिस महानिरीक्षक, गृह विभाग के संयुक्त सचिव, गृह विभाग के सचिव, मुख्य सचिव, गृह विभाग के राज्य मंत्री, मुख्य मंत्री, गृह विभाग के प्रभारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और संबंधित कागज-पत्रों का परिशीलन करने के पश्चात् महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो गया था कि राज्य की सुरक्षा के हित की दृष्टि से ऐसी जांच करना समीचीन नहीं था और राज्यपाल ने इस प्रभाव का एक आदेश पारित कर दिया।"

विद्वान् महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि उक्त पैराग्राफ में निर्दिष्ट रिपोर्टें सलाह की कोटि की हैं जो गृह विभाग के राज्य मंत्री और मुख्य मंत्री द्वारा दी गई हैं और यह कि संविधान के अनुच्छेद 163 के खंड 3 के कारण यह प्रश्न कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को क्या कोई सलाह दी गई थी और यदि ऐसा किया गया था तो क्या सलाह दी गई थी—इस संबंध में किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। तथापि उक्त शपथ-पत्र में मुख्य-मंत्री द्वारा या गृह विभाग के राज्य-मंत्री द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह का इन रिपोर्टों में या उनमें से किसी भी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। विद्वान् महाधिवक्ता ने न्यायालय को यह बतलाने का प्रस्ताव किया कि उक्त रिपोर्टों से न्यायालय का यह समाधान

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हो जाता है कि जो कुछ उक्त शपथ-पत्र में वर्णित था, वह अस्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया था और साधारणतः उससे जो अभिप्रेत था, वह यह था कि यह सलाह राज्यपाल को दी गई है। विद्वान् महाधिवक्ता ने हमें वह सुसंगत फाइल दिखलाई जिस पर "अत्यंत गोपनीय" अंकित है और उससे हमारा यह समाधान हो गया है कि विद्वान् महाधिवक्ता द्वारा दी गई यह सलाह भी विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा राज्यपाल को दी गई थी।

12. इस बात पर ही विचार करना शेष रहता है कि क्या राज्यपाल द्वारा किया गया आक्षेपित अदेश असद्भाव से या असंगत आधारों पर किया गया था। यह दलील इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कायम नहीं रखी जा सकती कि आदेश मस्तिष्क का उपयोग किए बिना किया गया था क्योंकि राज्यपाल को, जैसा ऊपर वर्णित किया गया है, विभिन्न रिपोर्टें, सुसंगत कागज-पत्र और सलाह दी गई थी। पिटीशन में किसी भी प्रकार की विशिष्टियों के बिना असद्भाव के साधारण अभिकथन किए गए थे। वास्तव में पिटीशन में कुछ आधारभूत तथ्यों का उल्लेख करने के अलावा, जिनका हमने निर्णय के प्रारम्भ में ही वर्णन कर दिया है, केवल विधिक दलीलें ही अंतर्विष्ट हैं। न्यायालय में यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी 16 अगस्त, 1982 और साथ ही 17 अगस्त, 1982 को अपने कर्त्तव्य पर मौजूद था। फिर भी पदच्युति का आदेश 18 अगस्त, 1982 को तड़के उसके गिरफ्तार किए जाने के पश्चात्, उसे तामील किया गया। उसने आगे यह दलील दी कि अपीलार्थी कभी भी और किसी भी समय ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हुआ जिसे अवैध या राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल कहा जा सके या उसने ऐसे कार्य भी कभी नहीं किए जिन्हें आपराधिक कहा जा सके। संयुक्त सचिव ने अपने उक्त शपथ-पत्र के पैराग्राफ 7 में जो कुछ वर्णित किया है, उसे ध्यान में रखते हुए हम इस दलील को स्वीकार नहीं करते। उक्त पैराग्राफ में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि अपीलार्थी पुलिस बल के अन्य सदस्यों के साथ मिल-जुलकर ड्यूटी पर नहीं गया था और उसने प्राधिकारी की अवज्ञा करते हुए कार्य किया और अपने साथ ही कांस्टेबलों को भी कर्त्तव्य पर न जाने के लिए उकसाया और इस बात के लिए उकसाया कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का जान-बूझकर पालन न करें और उसने मुंबई शहर में अन्य कांस्टेबलों के साथ अवैध गतिविधियों में भाग लिया और यह कि उसने अपने विभिन्न कार्यों से जो कार्य करने और कार्य करने में लोप करने से संबंधित थे, लोक व्यवस्था में बाधा पहुंचाई और राज्य की सुरक्षा को संकटापन्न किया। उक्त शपथ-पत्र के पैराग्राफ 9 में यह भी वर्णित है कि अपीलार्थी और अन्य व्यक्तियों ने कांस्टेबलों को वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विद्रोह करने के लिए उद्दीप्त किया और हिंसात्मक गतिविधियां करने के लिए उद्दीप्त किया जिससे लोक व्यवस्था संकटापन्न हो गई और राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। श्री भोंसले द्वारा पहले दलील दी गई थी। उक्त शपथ-पत्र में अपीलार्थी के आचरण के विरुद्ध लगाई गई विशिष्टियां उसे सूचित नहीं की गई हैं और वह केवल साधारण कथन हैं। भोंसले की दलील के अनुसार सरकार इस बात के लिए आबद्ध थी कि वह एक शपथ-पत्र फाइल करती जिसमें अपीलार्थी के विरुद्ध उसके आचरण के संबंध में लगाए गए आरोपों की विशिष्टियों का विस्तार से वर्णन करती। यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय के तौर पर या प्रथम अपील न्यायालय के तौर पर भी कार्य नहीं करता है। प्रस्तुत मामले में प्रश्न राज्यपाल के अपने समाधान का है जो राज्य में श्रेष्ठतम सांवैधानिक कृत्यकारी है। उसके समक्ष रिपोर्टें पेश की गई थीं जैसा कि उक्त शपथ-पत्र में वर्णित है। वे रिपोर्टें पुलिस महानिरीक्षक गृह विभाग के सचिव एवं संयुक्त सचिव और मुख्य सचिव तथा गृह विभाग के दो प्रभारी मंत्रियों की थीं और अपने व्यक्तिनिष्ठ समाधान पर पहुंचने के बारे में सामग्रियों की पर्याप्तता और उपयुक्तता न्यायिक पुनर्विलोकन का सहारा लेने के लिए कोई आधार नहीं हो सकती। उक्त शपथ-पत्र में किए गए प्रकथनों से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि जिस बात को राज्यपाल ने अपने समाधान करने के संबंध में बहुत अधिक महत्व दिया उन्हें किसी भी प्रकार से असंगत नहीं कहा जा सकता। **इंदुलाल याज्ञिक**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) में आने वाले "राज्य की सुरक्षा" अभिव्यक्ति पर विचार किया था। वही अभिव्यक्ति अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परंतुक के खंड (ग) में प्रयुक्त की गई है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 19(2) में आने वाले "राज्य की सुरक्षा" अभिव्यक्ति से केवल यह तात्पर्यित नहीं है कि उससे संपूर्ण राज्य की सुरक्षा को खतरा है और न ही ऐसी क्रान्ति या विद्रोह तक ही सीमित किया जा सकता है जिससे संपूर्ण देश की सुरक्षा संकटापन्न हो जाए। न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य की सुरक्षा को राज्य के भीतर और बाहर दोनों स्थानों से ही खतरा हो सकता है और उस दृष्टि से सैनिक बल के साथ कांस्टेबल वर्ग में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राज्य के भीतर पैदा होने वाले खतरे को टालने के लिए नियुक्त किए जाते हैं यद्यपि उनसे यहां ऐसा कहा

---

[1] ए० आई० आर० 1960 मुम्बई 399.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जा सकता है कि वे ऐसे खतरे को सीमित क्षेत्रों से और सीमित अवसरों में टालेंगे। वह ऐसा मामला था जहां अपीलार्थी पर पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922 की धारा 3 के अधीन आरोप लगाया गया था जो यह था कि उसने जान-बूझकर ऐसा कार्य करवाया था या किया था जिसके बारे में वह यह जानता था कि उसके कार्य से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति पुलिस बल के सदस्यों के मन में द्रोह पैदा हो जाएगा या उस पर यह आरोप था कि वह पुलिस बल के सदस्यों को इस बात के लिए उत्प्रेरित कर रहा था कि वे अपनी सेवाएं वापस ले लें या अनुशासन भंग करें। अपीलार्थी ने उक्त अभिवचन को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन फाइल किया। उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी पर यह आरोप कि वह कांस्टेबल वर्ग को क्रांति करने के लिए उद्दीप्त कर रहा था या उन्हें हिंसात्मक गतिविधियों में लग जाने के लिए उत्प्रेरित कर रहा था और लोक व्यवस्था को संकटापन्न करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा था, खंड न्यायपीठ निर्णय के अनुसार जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, ये सभी ऐसे कार्य हैं जिनसे राज्य की सुरक्षा संकटापन्न होती है।

13. इसके पश्चात् यह दलील दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परंतुक खंड (ग) के अधीन राज्य की सुरक्षा कसौटी नहीं थी और यह कि उक्त खंड के अधीन जो कुछ अपेक्षित था वह यह बात सुनिश्चित करना नहीं था कि सरकारी सेवक का आचरण ऐसा था जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। किन्तु क्या उसके विरुद्ध जांच करना राज्य की सुरक्षा के हित के विरुद्ध होगा और उस प्रयोजन के लिए वह सब सामग्री जिस पर राज्यपाल का समाधान आधारित था, न्यायालय में प्रकट की जानी चाहिए। हमें इस दलील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। राज्य की सुरक्षा के हित में यह अपेक्षित है कि कतिपय तथ्य प्रकट नहीं किये जाने चाहिएं और जनता को नहीं बतलाए जाने चाहिएं। सरकार से यह मांग करने से कि वह विभागीय जांच कराए और इस प्रकार उक्त जांच में उपसंजात होने वाले व्यक्तियों को ऐसे तथ्यों की जानकारी दे, वह उद्देश्य ही विफल हो जाएगा जिसके लिए संविधान निर्माताओं ने खंड (ग) को अधिनियमित किया था। ऐसे मामले हुए हैं जिनमें जांच की जा सकती है कि भले ही वे ऐसे मामले हों जो उक्त खंड (ग) के अधीन आते हों। किन्तु ऐसी जांच की जानी चाहिए या नहीं, यह बात राज्यपाल के समाधान पर निर्भर करती है और जब तक राज्यपाल अपना समाधान युक्तियुक्त रूप से, सद्भाव से और सुसंगत आधारों पर करता है तब तक सरकारी सेवक को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह उस पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आक्षेप करे। श्री भोंसले ने यह दलील दी कि अपीलार्थी ने अपने पिटीशन में असद्भाव का अभिकथन किया है और इसलिए सरकार पर यह दर्शित करने का भार पड़ गया है कि उसने सद्भाव से कार्य किया था। [हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार पर असद्भाव या कपट का आरोप लगाते हुए न्यायालय में आता है तो साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो ऐसे आचरण का आरोप लगाता है न कि दूसरे पक्षकार पर साबित करने का भार है कि उसने सद्भाव से कार्य किया था या कोई कपट नहीं हुआ था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पिटीशन में ऐसे कोई भी तथ्य वर्णित नहीं किए गए थे जिनसे असद्भाव का हल्का सा संकेत भी प्रकट हो। यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि यद्यपि अपीलार्थी को प्रतिउत्तर में शपथ-पत्र फाइल करके उस बात का खंडन करने का अवसर दिया गया था जो संयुक्त सचिव के उक्त अभिकथन में वर्णित थी। किन्तु अपीलार्थी उस अवसर का लाभ उठाने में असफल रहा। अंततः श्री भोंसले ने यह निवेदन किया कि न्यायालय को कम से कम सुसंगत फाइल मंगानी चाहिए और इस संबंध में अपना समाधान करना चाहिए कि राज्यपाल के समक्ष अपना समाधान करने के लिए सुसंगत सामग्री थी। श्री भोंसले ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि वह केवल यह चाहता था कि न्यायालय फाइल को देखेगा और यह कि वह नहीं चाहता कि उक्त फाइल या उसमें अंतर्विष्ट कोई अन्य सामग्री लोक में प्रकट की जाए या अपीलार्थी या उसके विधिक सलाहकारों में से किसी को प्रकट की जाए। जैसा पहले वर्णित किया गया है विद्वान् महाधिवक्ता ने स्वयं ही वह फाइल हमें दिखलाई है और यद्यपि इस न्यायालय का सामग्री की पर्याप्तता या समुचितता के प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, फिर भी श्री भोंसले द्वारा प्रार्थना करते हुए दी गई दलील को ध्यान में रखते हुए हम यह वर्णित करते हैं कि हमें राज्यपाल द्वारा किए गए समाधान के संबंध में पर्याप्त से अधिक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं और हमारे मतानुसार कोई भी युक्तिमान् व्यक्ति मामले की परिस्थितियों में किसी अन्य विनिश्चय पर नहीं पहुंच सकता था।

14. हमने ऊपर जो कुछ वर्णित किया है उसे ध्यान में रखते हुए अब हम अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए संशोधन आवेदन के बारे में विचार करेंगे जिसे हमने पहले नामंजूर कर दिया है। अपीलार्थी को विचारण न्यायालय में पिटीशन के संशोधन के लिए मांग करने का पर्याप्त अवसर था। अपीलार्थी ऐसा करने में असफल रहा। संशोधन द्वारा पिटीशन में 25 पैराग्राफ जोड़ने का प्रयत्न किया गया है और प्रत्यर्थियों के तौर पर सात और पक्षकारों को जोड़ने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का प्रयत्न किया गया है । 25 पैराग्राफों में से, जिन्हें पिटीशन में जोड़ने का प्रयत्न किया गया है, दो या तीन के सिवाय सभी न्यायालय में विचार किए जाने योग्य होने के बारे में विधिक थीसिज के स्वरूप के हैं । उनमें केवल विधिक दलीलें अंतर्विष्ट हैं और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के प्रति निर्देश है। एकमात्र पैराग्राफ जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उनमें कुछ तथ्य हैं, प्रस्थापित पैराग्राफ 31 से 34 तक हैं । इन पैराग्राफों में केवल यह वर्णित है कि अपीलार्थी ऐसे संगम का सदस्य था जो महाराष्ट्र राज्य पुलिस कर्मचारी संगठन कहा जाता है और उसके लिए उसे शिकार बनाया गया था । यद्यपि उक्त संगम को महाराष्ट्र सरकार द्वारा इजाजत दी गई थी और यद्यपि सरकार द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 1981 के पत्र द्वारा आश्वासन और वचन दिया गया था कि उक्त संगम के किसी भी सदस्य के प्रति उस तारीख के पहले किए गए किसी कार्य के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी । ये अभिकथन करने के लिए हमें कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में, यदि प्रस्थापित संशोधनों में अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि सरकार ने उसे और अन्य कांस्टेबलों को यह आश्वासन दिया था कि उनके किसी कार्य के बारे में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसके संबंध में कार्यवाही की जा सकती थी और जो दिसम्बर, 1981 के पहले किया गया था तो अपीलार्थी ने अपने पिटीशन में यह प्रकथन किया है कि उसने कभी भी ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लिया जो आपराधिक थी या जो राज्य सरकार या देश की सुरक्षा के प्रतिकूल थी या जो अवैध थी, यह कथन उसके द्वारा शपथ-पत्र पर किया गया मिथ्या कथन होगा। अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं है जो अपीलार्थी शिकार बनाया जा रहा है या उसे उक्त संगम का सदस्य होने के कारण सेवा से च्युत किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परंतुक के उक्त खंड (ग) के अधीन उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई के कारण संयुक्त सचिव ने अपने द्वारा फाइल किए गए शपथ-पत्र में वर्णित किए हैं। रिट पिटीशन में मूल पक्षकारों को महाराष्ट्र राज्य द्वारा सरकार के गृह विभाग के सचिव, जिन्होंने आक्षेपित आदेश को अभिप्रमाणित किया है, पुलिस आयुक्त, उप-आयुक्त पुलिस हैं । कुछ अन्य पक्षकार को जोड़े जाने का प्रयत्न किया गया जो महाराष्ट्र राज्य बल, राज्य मुख्य मन्त्री, गृह विभाग के राज्य मन्त्री, सरकार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के संयुक्त सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त हैं। इन सातों को उनके व्यक्तिगत नामों के साथ, उनके पदाभिधान सहित जोड़ने का प्रयत्न किया गया है । हमें आश्चर्य है कि राज्यपाल को और वह भी उनके नाम सहित संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों के होते हुए इस पिटीशन में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सम्मिलित किया जाना प्रस्थापित किया गया था। वास्तव में हमें आश्चर्य है। अन्य पक्षकारों में से किसी को भी जोड़ने का प्रयत्न किया गया है सिवाय उनके विरुद्ध असद्भाव के कथन मात्र के अलावा अन्य कोई आधार या तथ्य नहीं हैं जो इस अभिकथन के समर्थन में पेश किए गए हों। अतः, हमने इस आवेदन को रद्द कर दिया क्योंकि मामले की अत्यावश्यकता पर विचार करते हुए वह कार्यवाहियों के बहुत बाद के प्रक्रम में ही पेश नहीं किया गया था जिस पर अपीलार्थी के काउन्सेल ने स्वय ही कई बार जोर दिया था किन्तु इस आधार पर भी नामंजूर किया जाना चाहिए कि प्रस्थापित सशोधन निरर्थक हो जाएंगे और अपीलार्थी के मामले को किसी भी प्रकार से आगे बढ़ाने में वे अनुपयोगी और व्यर्थ रहेंगे।

15. हमारे मतानुसार विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए पिटीशन को रद्द करना उचित था। परिणामस्वरूप यह अपील असफल होती है और खर्चे सहित खारिज की जाती है।

16. अपीलार्थी की ओर से श्री पारेख ने मौखिक रूप से संविधान के अनुच्छेद 134(क) के अधीन अनुच्छेद 133(1)(क) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए निवेदन किया जिससे कि अपीलार्थी उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल कर सके। हमने इस अपील का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के आधार पर और हमारे समक्ष के तथ्यों के आधार पर किया है। हम यह नहीं पाते हे कि इस मामले में लोक महत्त्व का कोई विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। अतः हम इस आवेदन को नामंजूर करते हैं।

अपील खारिज की गई।

मि०

नि० प० 1983 : मुम्बई—71

परसराम और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

(Parasram and another *Vs.* The State of Maharashtra)

तारीख 6 अक्तूबर, 1982

[न्या० वेकर और न्या० पुराणिक]

साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 133—यद्यपि सह-अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी है और कोई दोषसिद्धि केवल इस कारण अवैध नहीं मानी जाती या मात्र इस कारण प्रश्नगत नहीं की जा सकती कि यह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सह-अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर आधारित है तथापि कोई भी न्यायालय अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी सह-अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं कर सकता—परिणामतः ऐसे परिसाक्ष्य के आधार पर, जो किसी भी मुद्दे पर किसी साक्ष्य द्वारा सम्पुष्ट न हो, की गई दोषसिद्धि ठोस आधार पर न होकर घिसीपिटी बातों पर ही आधारित होगी—अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के लिए हकदार हैं।

सह-अपराधी (अभि० सा० सं० 1) को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार किया गया तथा उसे अभियुक्त सं० 4 के रूप में अभियुक्तों की पंक्ति में रखा गया। उसके विरुद्ध आरोप भी विरचित किया गया किन्तु उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया। लोक-अभियोजक ने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष उक्त सह-अपराधी (अभि० सा० सं० 1) को क्षमा प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। सह-अपराधी का कथन प्रश्न और उत्तर के प्ररूप में अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किया गया और उसने उसे क्षमा प्रदान करने का आदेश दिया और उसके तथा अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त सं० 1, 2 और 3 को दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दण्डनीय अपराध से दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास भुगतने का दण्ड दिया। सेशन न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर उक्त तीनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल की। लोक अभियोजक ने यह दलील दी कि उसने इकबाली साक्षी (अभिसाक्षी सं० 1) के उस कथन का परिशीलन किया है जिसके आधार पर क्षमा प्रदान करने के लिए आवेदन फाइल किया गया था और यह कथन प्रदर्श 24 हो सकता है। उसने यह भी कहा कि उक्त कथन मामले के अभिलेख पर है किन्तु इसकी प्रति उसके आवेदन के साथ फाइल नहीं की गई है। प्रदर्श 24 का कथन तारीख रहित है किन्तु इस पर इकबाली साक्षी के हस्ताक्षर मौजूद हैं इसके विपरीत अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई कि यदि प्रदर्श 24 पर इकबाली साक्षी ने वास्तव में कथन किया होता तो इस बात का कोई कारण नहीं है कि उसे आरोप विरचित करने से पूर्व विचारण प्रारम्भ करने पर इकबाली साक्षी के रूप में क्षमा प्रदान न की गई होती। उसने यह कहा कि प्रदर्श 24 बाद में तैयार किया गया है क्योंकि इकबाली साक्षी ने उस समय कोई कथन करने से इनकार कर दिया था जबकि उसके संस्वीकारात्मक कथनों को अभिलिखित करने के लिए उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया था। इसके साथ ही साथ प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी उपदर्शित किया गया कि उसने अपने पूर्वतर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कथन में अनेक बातों का लोप किया है। प्रस्तुत मामले में विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 में उल्लिखित उपबंध के होते हुए भी इकबाली साक्षी के ऐसे परिसाक्ष्य के आधार पर, जिसकी किसी भी मुद्दे पर किसी अन्य साक्ष्य द्वारा सम्पुष्टि न की गई हो, दोषसिद्धि ठोस आधारों पर की गई दोषसिद्धि मानी जा सकती है ?

अभिनिर्धारित—अपीलें मंजूर की गईं।

यद्यपि विधि के अनुसार किसी सह-अपराधी के परिसाक्ष्य को भिन्न प्रकार से नहीं माना जाता तथापि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 में यह कहा गया है कि किसी अपराध में सहयुक्त दोषी व्यक्ति सक्षम साक्षी होता है और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है या मात्र इस कारण प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि यह सह-अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर आधारित है अतः किसी दिए गए मामले में सैद्धान्तिक रूप से यह संभव है कि न्यायाधीश ऐसे किसी साक्षी के असंपुष्ट अभिसाक्ष्य के आधार पर कार्य करते हुए पर्याप्त कारण देने में समर्थ हो। किन्तु कोई भी न्यायालय अपवादात्मक परिस्थितियों के सिवाय किसी सह-अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं कर सकता। प्रस्तुत मामले में न्यायालय की राय में अभि० सा० सं० 1 एक विश्वसनीय साक्षी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। इस बात में संदेह है कि उसने संस्वीकृति करने के लिए सर्वप्रथम अपने को कब प्रस्तुत किया। प्रदर्श 24 वाला उसका कथन तारीख रहित है। यद्यपि पुलिस उप-निरीक्षक (अभि० सा० 35) ने यह कहा है कि यह कथन उसकी गिरफ्तारी के तुरन्त पश्चात् 19.3.1976 को प्राप्त हुआ था किन्तु 2 अप्रैल, 1976 को जब अभि० साक्षी सं० 1 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग के समक्ष भेजा गया था उसने उसके समक्ष कोई कथन करने से इनकार कर दिया था। यह मानते हुए भी कि उसने अपनी गिरफ्तारी के तुरन्त पश्चात् 19 मार्च, 1976 को प्रदर्श 24 कथन दिया था किन्तु उसने इस वृतान्त की तात्विक विशिष्टियों का कथन करने का लोप किया जिनका कि ऊपर हवाला दिया गया है। क्षमा प्रदान करने से पूर्व विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किए गए उसके कथन में उसने यह कहा है कि अपने जीवन की धमकी के कारण ही उसने मृतक के पैर पकड़ने का कार्य किया था। उसके पूर्वतर कथनों के आधार पर उसके साक्ष्य में भिन्नता और लोप ऐसी तात्मिक बातें हैं जो उसके परिसाक्ष्य को बहुत अधिक संदेहास्पद बना देती हैं। ऐसे किसी व्यक्ति के साक्ष्य में जो अपनी उन्मुक्तता के लिए बिक गया हो, सदैव ही वास्तविक रूप से यह खतरा बना रहता है कि यद्यपि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उसके सम्बद्ध वृतान्त को बृहत् रूप से या सामान्य रूप से देखने पर यह सही हो सकता है किन्तु उसके लिए इस वृतान्त के किसी भाग को, जो कि असत्य है दूषित करना या गढ़ना आसान होता है। इस तथ्य के बावजूद भी कि स्वयं अभि० साक्षी सं० 1 का परिसाक्ष्य अविश्वसनीय है, उसके साक्ष्य की लघु या तात्विक विशिष्टियों को किसी अन्य साक्ष्य द्वारा सम्पुष्ट नहीं किया गया है। ऐसे किसी व्यक्ति के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर, जो यह कहता है कि वह स्वयं घटना का निस्सहाय शिकार व्यक्ति है और उसे इस समस्त घटना में महत्वहीन भूमिका निभानी पड़ी है, और जो किसी भी मुद्दे पर किसी साक्ष्य द्वारा सम्पुष्ट नहीं है, अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध का दोषी माना जाना आदेश को किसी ठोस आधार पर नहीं वरन् व्यर्थ की घिसीपिटी बातों पर आधारित करना होगा। (पैरा 29)

		पैरा
[1979]	ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1761 : चोनमपारा चैलप्पन **बनाम** केरल राज्य (Chonampara Chellappan *Vs.* State of Kerala);	24
[1969]	1969 (3) उम० नि० प० 615 = ए० आई० आर० 1969 एस० सी० 961: प्यारा सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (Piara Singh *Vs.* The State of Punjab) का अवलम्ब लिया गया।	23

दाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1980 की दाण्डिक अपील सं० 87.

इसके साथ ही साथ 1980 की दाण्डिक अपील सं० 128 भी सुनी गई।

अपीलार्थियों की ओर से ... श्री एम० आर० डागा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से ... श्री डी० डी० सिन्हा

न्यायालय का निर्णय न्या० वेकर ने दिया।

न्या० वेकर :

इस निर्णय से मूल अभियुक्त सं० 2 और 3 द्वारा की गई 1980 की दाण्डिक अपील सं० 87 और मूल अभियुक्त सं० 1 द्वारा की गई 1980 की दाण्डिक अपील सं० 128 का निपटारा होगा। इन तीनों अपीलार्थियों में से प्रत्येक अपीलार्थी को दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दण्डनीय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अपराध से दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भुगतने का दण्ड दिया गया ।

2. प्रारम्भ में दुर्जन (अभि० सा० 1) को भी अभियुक्त सं० 4 के रूप में रखा गया था । उसने भी उस आरोप का, जो उसके विरुद्ध विरचित किया गया था और उसे समझाया गया था, दोषी न होने का अभिवाक् किया । इसके पश्चात् उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 307 के अधीन क्षमा प्रदान की गई और उसे अभियुक्तों की पंक्ति से निकाल दिया गया तथा उसकी अभियोजन साक्षी सं० 1 के रूप में परीक्षा की गई ।

3. अपराध का घटनाग्रस्त व्यक्ति उदयलाल है जोकि मसूरकसा गांव का पुलिस पटेल था । यह घटना 19 फरवरी, 1976 को रात्रि में लगभग 8 बजे हिरदामली और पुरगांव नामक दो ग्रामों की सीमा के पास हुई थी । अभियुक्त सं० 1 देवी लाल मण्डीपार ग्राम का निवासी है। उसने मृतक उदयलाल से 13 मार्च, 1972 के विक्रय करार के अधीन, जो कि उदयलाल और उसके पिता द्वारा निष्पादित किया गया था, 1.6 एकड़ भूमि खरीदी । 2,000 रुपये दे दिए गए थे तथा इस प्रतिफल की अतिशेष रकम 748 रुपये रजिस्ट्रीकरण के समय दिए जाने थे । अभियुक्त सं० 1 देवीलाल को संविदा के भागत: अनुपालन में सम्पत्ति का कब्जा दे दिया गया था ।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिकथन किया गया कि अभियुक्त सं० 1 देवीलाल प्रतिफल के अतिशेष का संदाय करने में असफल रहा अत: देवीलाल और मृतक उदयलाल के पिता के बीच विवाद उद्भूत हुआ । उदयलाल के पिता ने इस आधार पर कि उसकी भूमि अधिसूचित जनजाति की है, भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए राजस्व प्राधिकारियों से निवेदन किया जिसके कारण अभियुक्त सं० 1 देवीलाल और भी अधिक चिढ़ गया ।

5. यह अभिकथन किया गया कि 18 फरवरी, 1976 को मृतक उदयलाल अभियुक्त सं० 1 देवीलाल से शोध्यों को वसूल करने के लिए मण्डीपार ग्राम गया था । उस दिन मृतक उदयलाल को उस ग्राम में देवीलाल के साथ देखा गया था । शाम को ये तीनों अभियुक्त तथा सह अपराधी-दुर्जन (अभि० सा० 1) मृतक उदयलाल को अपने ग्राम की सीमा के नाले की तरफ इस बहाने से ले गए कि अभियुक्त सं० 1 देवीलाल की पत्नी, जो कि प्रेत-बाधा से ग्रसित थी, का उस स्थान पर उपचार करना है । रास्ते में गोरेगांव पर अभियुक्त देवीलाल ने कुछ शराब खरीदी तथा उन सभी ने शराब पी । पुन: रास्ते में महुवा के पेड़ों के पास वे रुके और उन्होंने वहां भी शराब पी ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

6. नाले पर पहुंचकर अभियुक्त सं०-3 चुन्नीलाल ने उदयलाल की गर्दन में एक रस्सी डाली और उस रस्सी के दोनों सिरों को उसने अर्थात् चुन्नीलाल ने और अभियुक्त सं० 2 परसराम ने खींचा। अभियुक्त सं० 1 देवीलाल ने उदयलाल की टांगों पर लात मारी जिससे वह गिर गया। इसके पश्चात् देवीलाल उसके शरीर पर बैठ गया तथा दुर्जन ने उसके पांव पकड़ लिए और परसराम तथा चुन्नीलाल ने रस्सी के सिरे खींचे। देवीलाल ने बिछवा निकाला और उदयलाल की छाती पर एक प्रहार किया। इसके पश्चात् अभियुक्त सं० 2 परसराम ने अभियुक्त देवीलाल से बिछवा लिया और उदयलाल के उदर में घुसेड़ दिया। इसके पश्चात् मृतक को उस नाले के किनारे से नीचे ढकेलकर पानी में डाल दिया गया तथा उदयलाल के सिर पर एक पत्थर रख दिया गया तथा वे सब मण्डीपार ग्राम को लौट आए।

7. 20 फरवरी, 1976 को (अगले दिन) हिरदामली ग्राम के सोमेश्वर ने लकड़ी एकत्रित करते समय मृत शरीर को देखा जिसकी उसने अपने ग्राम के कोतवाल चिन्तामन को सूचना दी। दूसरे दिन सुबह उक्त चिन्तामन और पुलिस पटेल घटनास्थल पर गए और उन्होंने वहां पर उस मृत शरीर को देखा। चूंकि यह घटनास्थल पुरगांव की सीमाओं के भीतर था अतः चिन्तामन वहां गया तथा रामदास (अभि० सा० 4) पुरगांव के कोतवाल को सूचित किया। रामदास गोंदिया के पुलिस थाने गया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श 21 के रूप में दर्ज कराई। घटना स्थल पर एक रस्सी और एक बस का टिकट पाया गया जिन्हें कुर्क कर लिया गया। आसपास के ग्रामों में जांच-पड़ताल करने के पश्चात् भी मृत शरीर की शनाख्त नहीं की जा सकी। अतः पुलिस ने समाचार-पत्र में प्रकाशित किया तथा आसपास के ग्रामों में छपे हुए पर्चे भी बंटवाए।

8. 16 मार्च, 1976 को बुद्धराम और बहादुर सिंह, मृतक उदयराम के सगे संबंधी, गोंदिया पुलिस थाने गए। 18-3-1976 को मृतक की विधवा पुलिस थाने गई और उसने अपने मृत पति के उन कपड़ों की पहचान की जिन्हें उतार लिया गया था और जिन्हें पुलिस द्वारा पुलिस थाने में परिरक्षित कर लिया गया था। उससे यह जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् कि मृतक देवीलाल से शोध्यों को वसूल करने के लिए मण्डीपार ग्राम गया था, पुलिस ने 18 मार्च, 1976 को देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया। चुन्नीलाल, परसराम और दुर्जन को 19 मार्च, 1976 को गिरफ्तार कर लिया गया।

9. यह भी अभिकथन किया गया कि अभियुक्त देवीलाल से उसके द्वारा पंचों के सामने किए गए कथन के अनुसरण में ग्राम पुरगांव के पास के जंगल में एक स्थान से छुरा बरामद किया गया था। अभियुक्त संख्या 2

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परसराम के घर से भी एक छुरा बरामद किया गया था। अभियुक्त देवीलाल द्वारा इस प्रकार बरामद किए गए चाकू पर रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार मानवरक्त का पता चला। मृतक की लाश की शव-परीक्षा चिकित्सक कुदाले (अभि० सा० 2) ने 23 फरवरी, 1976 को की किन्तु चूंकि लाश काफी सड़ गई थी और उसे कीड़ों ने खा लिया था अतः उसे लाश पर किसी क्षति का पता नहीं चल सका और न ही वह अभियुक्त की मृत्यु के कारण के बारे में कोई राय दे सका।

10. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है चारों अभियुक्तों का विचारण किए जाने के पश्चात् तथा उन पर लगाए गए आरोप को स्पष्ट करने के पश्चात् अभियुक्त सं० 4-दुर्जन को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 307 के अधीन विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, भण्डारा द्वारा क्षमा प्रदान की गई तथा विचारण के दौरान अभियोजन सा० सं० 1 के रूप में उसकी परीक्षा की गई।

11. सभी तीनों अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया।

12. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश का दोषसिद्ध विषयक आदेश (1) इकबाली साक्षी-दुर्जन के अभिसाक्ष्य पर, (2) अभियुक्त सं० 1 और 2 की अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति पर, (3) अभियुक्त सं० 1 देवीलाल की प्रेरणा पर चाकू तथा अभियुक्त सं०. 2 परसराम की प्रेरणा पर छुरे का पता लगाए जाने, (4) रक्त से सनी रस्सी के घटनास्थल से अभिगृहीत किए जाने, और (5) इस साक्ष्य पर कि मृतक को अन्त में इन अभियुक्तों के साथ गोरेगांव में देखा गया था, पर आधारित है।

13. एस० के० प्यारे (अभि० सा० 26) की अभियोजन पक्ष द्वारा इस बात को साबित करने के लिए परीक्षा की गई कि नाले के पास से मृत शरीर के पता चलने के 4 या 5 दिन पूर्व दुर्जन गोरेगांव स्थित उसकी दुकान पर खाने की कुछ चीजें (सेव-चिवड़ा) जिसका मूल्य 8 आना था, रात्रि में लगभग 9-30 बजे खरीदने आया था। अपनी मुख्य परीक्षा में उसने यह कहा कि उसके साथ किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। विद्वान् लोक अभियोजक को जब उससे मुख्य प्रश्न पूछने की अनुज्ञा मिल गई तब उसने जो कुछ कहा, वह यह था कि उसने सड़क के पास चार व्यक्तियों को उस समय खड़े हुए देखा था जबकि दुर्जन उसकी दुकान पर आया था। वह दुर्जन को नहीं जानता था। उसके नाम का उसे केवल पुलिस थाने में ही पता चला है। इसलिए प्रथमतः ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके लिए वह अपनी दुकान पर आने वाले अनेक ग्राहकों में से उस विशिष्ट रात्रि को 8 आने के सेव-चिवड़ा खरीदने के लिए आए व्यक्ति को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(जिसके बारे में बाद में वह यह जान सका कि वह दुर्जन है) याद रखे। द्वितीयतः उसने पुनः विनिर्दिष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि मृतक या ये अभियुक्त उस ग्राहक के साथ थे। उसने केवल चार व्यक्तियों को उस समय सड़क पर खड़े देखा था जबकि दुर्जन उसकी दुकान पर आया था। हमारी राय में इस साक्षी का साक्ष्य किसी काम का नहीं है और यह इस बात को बिल्कुल भी साबित नहीं कर सका है कि गोरेगांव में मृतक को इन अभियुक्तों और दुर्जन के साथ देखा गया था।

14. जहां तक न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य का संबंध है, सुखदेव (अभि० सा० 23) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृत शरीर के पाए जाने के लगभग एक मास पश्चात् अभियुक्त देवीलाल की पत्नी रायबाई और पुत्री पारूबाई रात्रि में उसके पास आई और उन्होंने उससे यह कहा कि देवीलाल ने उनसे यह संस्वीकृति की है कि उसने मसूरकसा ग्राम के पुलिस पटेल की हत्या कर दी है और यह कि वह (देवीलाल) यह चाहता है कि उसके दामाद मणिराम को तेलीतोला ग्राम से बुलवा लिया जाए। तदनुसार वह तेलीतोला ग्राम गया और मणिराम से यह कहा कि उसे उसके श्वसुर देवीलाल ने बुलाया है। मणिराम ने दूसरे दिन सुबह आने का वचन दिया और यह खबर उसके द्वारा रायबाई को दे दी गई। आगे उसने यह कहा कि इन दोनों महिलाओं ने उससे यह भी कहा कि देवीलाल ने इन अभियुक्तों और दुर्जन के साथ हत्या की है। इसके पश्चात् वह दुर्जन से मिला और उसने भी उससे यह संस्वीकृति की तथा रोया और उससे यह याचना की कि वह इस बारे में किसी को न बताए। उसके अनुसार पुलिस ने उस रात्रि को जब ये दोनों महिलाएं उसके घर गई थीं, गांव में शिविर डाला हुआ था।

15. यह साक्ष्य स्वयं ही बहुत बनावटी और अविश्वसनीय है। न तो वह देवीलाल से संबंधित है और न ही उसने यह कहा है कि वह उसके परिवार का कोई भरोसे का और विश्वसनीय व्यक्ति है। इस बात का पता नहीं चलता कि रायबाई और पारूबाई ने उसे संस्वीकृति करने वाला क्यों माना। यदि ये महिलाएं मणिराम को केवल यह सूचना भिजवाना चाहती थीं कि उसे देवीलाल ने शीघ्र ही बुलाया है तो इन महिलाओं को उस बात की, जिसे देवीलाल ने उन्हें विश्वास में रखकर बताया हो, इतने स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद भी हमारी राय में इस प्रश्न पर इस साक्षी का साक्ष्य अग्राह्य है। देवीलाल ने इस साक्षी के समक्ष अपने दोषी होने की संस्वीकृति प्रत्यक्षतः या व्यक्तिगत रूप से नहीं की है। यह देवीलाल का इन महिलाओं के समक्ष किया गया विशिष्ट कथन है जिसे पश्चात्वर्ती ने इस साक्षी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को अभिकथित रूप से दिया । इस प्रकार का साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य होता है जो इस तथ्य के अलावा कि यह बहुत अधिक अविश्वसनीय है, अग्राह्य है ।

16. उसके इस साक्ष्य को कि इसके पश्चात् वह दुर्जन से मिला था और उसने भी उससे पुनः यह संस्वीकृति की थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता । जिस समय ये महिलाएं अभिकथित रूप से इस साक्षी से मिली थीं, उस समय उस गांव में पुलिस का शिविर लगा हुआ था । वास्तव में लगभग एक मास व्यतीत हो चुका था और अपराध को, यदि इन व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, बहुत ही गुप्त रखा गया था । केवल 18 मार्च, 1976 को मृतक की विधवा सुभीबाई के गोंदिया पुलिस थाने में मृतक के कपड़ों की पहचान किए जाने पर ही पुलिस को यह बात पता चली और वे उसी दिन मण्डीपार ग्राम गए तथा अभियुक्त देवीलाल को गिरफ्तार किया । दुर्जन को 19 मार्च, 1976 को गिरफ्तार किया गया । यह कि दुर्जन का 19-3-1976 को इस साक्षी के समक्ष यह संस्वीकृति और यह याचना किया जाना कि वह इस बात को किसी पर प्रकट न करे, विचारातीत और अकल्पनीय है । इसके अतिरिक्त भी इस साक्षी का साक्ष्य दुर्जन, अभियोजन साक्षी सं० 1 द्वारा किसी भी प्रकार संपुष्ट नहीं है ।

17. न्यायिकेतर संस्वीकृति के प्रश्न पर अन्य साक्षी गोंदलाल (अभि० सा० सं० 33) है । उसकी लगभग 2 वर्ष पहले से मण्डीपार ग्राम में किराने की दुकान है । इस समय वह नागजीरा में रहता है । उसने यह कहा है कि पुरगांव ग्राम के नाले पर पहचाने न गए मृत शरीर के पता चलने के 15 दिन पश्चात् अभियुक्त परसराम उसके पास आया था और उससे यह संस्वीकृति की थी कि उसने देवीलाल, चुन्नीलाल और दुर्जन के साथ किसी गांव के पटेल की हत्या की है । इस साक्षी का चाचा ग्राम मण्डीपार का पुलिस पटेल है । जिस दिन अभियुक्त परसराम ने उससे अभिकथित संस्वीकृति की उस दिन एक पुलिस जीप गांव में आई थी किन्तु उसने उन्हें इस बात की सूचना नहीं दी । उसने यह कहा कि उसने अपने चाचा, पुलिस पटेल को सूचित कर दिया था किन्तु उसने पुलिस को किसी भी समय इस बात की सूचना नहीं दी । दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने इस कथन में उसने इस बात का उल्लेख करने का लोप किया है कि अभियुक्त परसराम ने उससे यह संस्वीकृति की थी कि उसने भी उक्त हत्या के किए जाने में भाग लिया था । मृत शरीर के पता चलने के 15 दिन पश्चात् इस साक्षी की, जो कि न तो उसका कोई सगा संबंधी है और न ही उसका दोस्त है, दुकान पर जाना और उससे यह संस्वीकृति करने का कि उन्होंने एक पटेल की हत्या

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कर दी है, कोई अवसर नहीं था और न ही अभियुक्त परसराम के लिए इस बात का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता थी। पुनः इस साक्षी का साक्ष्य बनावटी है, अतः यह अविश्वसनीय है।

18. निस्संदेह ही पंच साक्षी सत्य नारायण (अभि० सा० 6) के साक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्त सं० 1 देवीलाल के उनके समक्ष दिए गए अपने कथन के अनुसरण में अपराध-स्थल से कुछ दूरी पर झाड़ी से एक चाकू (वस्तु सं० 8) मिला। रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट यह दर्शित करती है कि इस चाकू पर मानवरक्त के निशान थे।

19. अभियोजन पक्ष ने पंच साक्षी हीरालाल (अभि० सा० 17) की इस बात को साबित करने के लिए परीक्षा गई कि अभियुक्त परसराम के पूर्वकथन के अनुसरण में उसके घर से एक छुरा बरामद किया गया। किन्तु इस साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि परसराम ने ऐसा कोई कथन किया था अथवा कोई छुरा बरामद हुआ था। चूंकि अन्य पंच की परीक्षा नहीं की गई थी, अतः अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त परसराम के घर से छुरा बरामद हुआ था।

20. अभियोजन पक्ष द्वारा इस बात को सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है कि घटनास्थल से शराब की बोतल का एक ढक्कन, एक रस्सी और एक एस० टी० टिकट अभिगृहीत किए गए थे। घटनास्थल पर पड़े रस्सी के टुकड़े पर रक्त के निशान थे किन्तु इसके मूल को निश्चित नहीं किया जा सका।

21. अब अपराध में फंसाने वाली ये तथाकथित वस्तुएं विशिष्टतया चाकू, वस्तु सं० 8 और रस्सी के प्रति कभी निर्देश नहीं किया गया या इकबाली साक्षी दुर्जन द्वारा इन वस्तुओं की उन्हीं वस्तुओं के रूप में अपने साक्ष्य में पहचान नहीं की गई थी जिनका हत्या का अपराध करने में उनके द्वारा प्रयोग किया गया था।

22. चिकित्सीय साक्ष्य, अर्थात्, चिकित्सक कुदाले (अभि० सा० 2) की शव-परीक्षा से यह दर्शित नहीं होता कि लाश पर क्षतियों के कोई निशान थे क्योंकि यह काफी सड़ गई थी और कीड़ों द्वारा उसे खा लिया गया था। धोती (वस्तु सं० 5), कमीज (वस्तु सं० 6) और बनियान (वस्तु सं० 9) वस्तु जो उस लाश पर थे, उतार लिए गए और उन्हें पुलिस द्वारा परिरक्षित कर लिया गया। सुभीबाई (अभि० सा० 25) गोंदिया पुलिस थाने गई और उसने उन वस्त्रों को अपने मृत पति उदयलाल के वस्त्रों के रूप में पहचाना। यह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ऐसे वादों और कार्यवाहियों में प्रे० न० दि० अधिनियम के उपबंध लागू नहीं हो सकते । उन्होंने यह दलील दी कि यह प्रश्न विवाद का विषय नहीं था और उस पर श्री पारिख द्वारा प्रोद्धृत नरसिंहदास वाले मामले[1] में विचार नहीं किया गया था ।

9. अब यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या, वाद के फाइल किए जाने से बहुत पहले, अर्थात् तारीख 5 अप्रैल, 1966 को मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा किए गए न्याय निर्णयन आदेश को देखते हुए, वाद की कार्यवाहियों पर रोक लगाई जा सकती है । वाद तारीख 3 अक्तूबर, 1966 को फाइल किया गया था । यहां यह उल्लेखनीय है कि दोनों अधिनियमों में कार्यवाहियों पर रोक लगाए जाने के लिए विनिर्दिष्ट उपबंध अन्तर्विष्ट हैं । प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 18 प्रा० दि० अधिनियम की धारा 29 के सदृश या समान है। इसी प्रकार, प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 17 कुछ सीमा तक प्रा० दि० अधिनियम की धारा 28 जैसी है । इन दोनों ही उपबंधों में, अर्थात दोनों अधिनियमों की धारा 17 और धारा 28 में, प्रे० न० दि० अधिनियमों के अधीन दिवालिया व्यक्ति की सम्पत्ति के शासकीय समनुदेशिती में या प्रा० दि० अधिनियम के अधीन न्यायालय में या प्रापक (रिसीवर) में निहित किए जाने का उपबंध किया गया है और दोनों उपबंधों में यह भी अधिकथित किया गया है कि कोई भी लेनदार, सिवाय न्यायालय की इजाजत के और ऐसे निबन्धनों पर जैसे कि न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाएं, दिवाला अधिनियम के अधीन साबित किए जाने योग्य किसी ऋण की बाबत कोई वाद या विधिक कार्यवाहियां शुरू नहीं करेगा । प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 18 और प्रा० दि० अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार हैं—

"18. कार्यवाहियों को रोकना—(1) न्यायालय, न्यायनिर्णयन के आदेश किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उस न्यायालय के किसी न्यायाधीश या न्यायाधीशों के समक्ष या उस न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी अन्य न्यायालय में किसी वाद या अन्य कार्यवाही को, जो दिवालिए के विरुद्ध लम्बित है, रोक सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तामील, उसकी एक प्रति न्यायालय की मुद्रा अंकित करके डाक द्वारा वादी या ऐसा वाद या कार्यवाही चलाने वाले अन्य पक्षकार पर तामील के लिए पते पर भेज कर की जा सकती है, और ऐसे आदेश की सूचना उस

[1] ए० आई० आर० 1961 राजस्थान 81.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय को भेजी जाएगी जिसके समक्ष वाद या कार्यवाही लम्बित है।

(3) कोई न्यायालय, जिसमें ऋणी के विरुद्ध कार्यवाहियां लम्बित हैं, यह साबित किए जाने पर कि इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश किया गया है या तो कार्यवाहियां रोक सकता है या उन्हें ऐसे निबन्धनों पर चलते रहने के लिए अनुज्ञात कर सकता है जो वह न्यायोचित समझे।"

"29. लम्बित कार्यवाहियों का रोका जाना--कोई न्यायालय, जिसमें ऋणी के विरुद्ध वाद या अन्य कार्यवाही लम्बित है, यह साबित किए जाने पर कि इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश किया गया है, या तो कार्यवाही रोक देगा या उसे ऐसे निबन्धनों पर चलते रहने के लिए अनुज्ञात करेगा, जिन्हें वह न्यायालय अधिरोपित करे।"

कार्यवाहियों पर रोक लगाए जाने से संबंधित उपर्युक्त उपबंधों से यह दर्शित होगा कि जब संबंधित अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन का आदेश कर दिया गया है, किसी भी न्यायालय को कार्यवाही पर रोक लगाने या ऐसे निबन्धनों पर, जैसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाएं, उसे जारी रहने देने की शक्ति प्रदत्त की गई है। "कोई न्यायालय" शब्द प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) में प्रयुक्त हुए हैं और ये शब्द प्रा० दि० अधिनियम की धारा 29 के आरम्भ में भी प्रयुक्त हुए हैं। धारा 29 के लागू किए जाने के लिए, प्रा० दि० अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन आदेश किया जाना अपेक्षित है और प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 18(3) के लागू किए जाने के लिए आदेश प्रे० न० दि० अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन किया जाना अपेक्षित है। प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 1 केवल संक्षिप्त नाम और आरम्भ के संबंध में है। जहां तक उसके लागू किए जाने का संबंध है, उसे अधिनियम की उद्देशिका और पूर्ण नाम से समझा जा सकता है। प्रे० न० दि० अधिनियम प्रेसीडेंसी नगरों में दिवाला से संबंधित विधि को संशोधित करने के लिए बनाया गया अधिनियम है। "न्यायालय" पद को धारा 2 के खण्ड (ज) में प्रे० न० दि० अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है तथा धारा 3 दिवाला कार्यवाही में अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों के संबंध में है। धारा 3 में यह अधिकथित किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन दिवाला कार्यवाही में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई स्थित उच्च

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय होंगे। इस प्रकार ये तीन उच्च न्यायालय प्रे० न० दि० अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय हैं और प्रे० न० दि० अधिनियम प्रेसीडेंसी नगरों में दिवाला से संबंधित विधि है। प्रेसीडेंसी नगरों से बाहर, दिवाला से संबंधित विषयों के लिए प्रे० न० दि० अधिनियम लागू नहीं होगा और प्रा० दि० अधिनियम ही लागू होगा। प्रा० दि० अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में उसके लागू किए जाने की सीमा का उपबंध किया गया है और प्रा० दि० अधिनियम की उद्देशिका से हमें यह संकेत मिलता है कि वह प्रेसीडेंसी नगरों से बाहर अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों द्वारा यथा-प्रशासित, दिवाला से संबंधित विधि को समन्वित और संशोधित करने के लिए बनाया गया अधिनियम है। धारा 2 (1) (ख) में "जिला न्यायालय" पद को प्रेसीडेंसी नगरों की तत्समय स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी क्षेत्र में आरम्भिक अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रा० दि० अधिनियम की धारा 3 (1) में यह अधिकथित किया गया है कि जिला न्यायालय प्रा० दि० अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय होंगे। दोनों अधिनियमों की धारा 18 और 29 में आने वाले "कोई न्यायालय" शब्दों पर दोनों अधिनियमों की उद्देशिका को ध्यान में रखते हुए और "न्यायालय" या "जिला न्यायालय" शब्दों की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है, जो प्रा० दि० अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाला न्यायालय है और प्रा० दि० अधिनियम में आने वाले "न्यायालय" शब्द से "जिला न्यायालय" अभिप्रेत होगा। अतः धारा 18 और 29 में "कोई न्यायालय" शब्दों से दिवाला अधिनियम से भिन्न न्यायालय अभिप्रेत होगा। यदि धारा 18 के उपबंध की संवीक्षा की जाती है, तो यह प्रकट होगा कि दिवाला न्यायालय, अर्थात उच्च न्यायालय को, जिसने न्यायनिर्णयन का आदेश किया है। उक्त न्यायालय के किसी न्यायाधीश या किन्हीं न्यायाधीशों के समक्ष दिवालिया व्यक्ति के विरुद्ध लम्बित वाद या अन्य कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए सशक्त किया गया है या उच्च न्यायालय को, उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, किसी अन्य न्यायालय में दिवालिया व्यक्ति के विरुद्ध लम्बित किसी वाद की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सशक्त किया गया है। धारा 18 की उपधारा (3) में प्रयुक्त "कोई न्यायालय" अनिवार्यतः दिवाला न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय होगा और वह ऐसा न्यायालय भी हो सकता है, जो उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण से परे हो, जो दिवाला न्यायालय है। इसका अर्थ यह हुआ कि "कोई न्यायालय" प्रेसीडेंसी नगरों के बाहर स्थित न्यायालय हो सकता है या ऐसा न्यायालय भी हो सकता है, जो उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन हो या जो इस प्रकार उसके

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधीन नहीं भी हो और केवल ऐसे अर्थान्वयन के आधार पर ही धारा 18 की उपधारा (3) को सम्यक् रूप से प्रवर्तित किया जा सकता है। जहां प्रे० न० दि० अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन का आदेश किया गया है और यदि प्रेसीडेंसी नगरों के बाहर स्थित न्यायालय में या ऐसे क्षेत्र में स्थित न्यायालय में ऋणी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाहियां लम्बित हैं, जहां उक्त दिवाला न्यायालय के अधीक्षण की शक्तियां लागू नहीं होती हैं, तो धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति के प्रयोग द्वारा उक्त न्यायालय कार्यवाहियों पर रोक लगा सकता है। "कोई न्यायालय" शब्दों का साधारण अर्थ है और साधारण अर्थ वाले इन शब्दों का संकुचित रूप में अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, प्रे० न० दि० अधिनियम के अधीन उपयोज्यता खण्ड की कोई सीमा नहीं है और प्रे० न० दि० अधिनियम द्वारा केवल प्रेसीडेंसी नगरों में दिवाला विधि को संशोधित ही किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही, धारा 18 की उपधारा (3) में प्रयुक्त "कोई न्यायालय" शब्दों का निर्वचन किया जाना है। प्रा० दि० अधिनियम की धारा 29 लागू नहीं पाई गई है, क्योंकि उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन का कोई आदेश नहीं किया गया था। किन्तु, मेरी राय में, इस तथ्य को देखते हुए धारा 18 की उपधारा (3) लागू हो सकती है कि न्यायनिर्णयन का आदेश प्रे० न० दि० अधिनियम के अधीन किया गया है और "कोई न्यायालय" शब्द व्यापक परिधि वाले शब्द हैं। मैं श्री पारिख के इस निवेदन से सहमत होने में असमर्थ हूं कि प्रतिवादी सं० 3, गिरधारीलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 17 के अधीन आवेदन माना जा सकता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, धारा 17 में कार्यवाहियों पर रोक लगाए जाने के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। वह न्यायनिर्णयन के आदेश के प्रभाव के संबंध में है। इस प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की गई थी कि धारा 17 के उपबंध को देखते हुए, वाद चलने योग्य नहीं है। केवल वाद में कार्यवाहियों पर रोक लगाए जाने के लिए ही प्रार्थना की गई थी। मेरी राय में, ऐसी प्रार्थना धारा 17 के अन्तर्गत नहीं आती है श्री पारिख द्वारा ऊपर प्रोद्धृत नरसिंह दास बनाम भैरव दास[1] वाला मामला, निस्संदेह, ऐसा मामला है जिसमें इस न्यायालय ने, न्यायनिर्णयन के आदेश के वावजूद, वाद के चलने योग्य होने के प्रश्न पर विचार किया था। उक्त मामले में वादी भैरवदास द्वारा वाद फाइल किया गया था और ये अभिकथन किए गए थे कि भैरवदास मदनगोपाल नाम की एक फर्म थी, जो कलकत्ता में कपड़े का कारबार करती थी और प्रतिवादी सं० 1 नरसिंह दास और प्रतिवादी सं० 4 तथा 5 उसके भागीदार थे। प्रतिवादी सं० 2 और 3

[1] ए० आई० आर० 1961 राजस्थान 81.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नरसिंहदास के पुत्र थे और वे व्यवसायरत हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य थे। प्रतिवादी नरसिंहदास को कलकत्ता स्थित दिवाला अधिनियम द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया था। उक्त मामले में न्या० आई० एन० मोदी ने यह मत व्यक्त किया कि जब एक बार शक्ति निहित कर दी जाती है, तो प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 17 के उपबंध लागू हो जाते हैं और दिवाले में साबित किए जाने योग्य ऋण की बाबत कोई भी लेनदार, सिवाय दिवाला अधिनियम का अवलम्ब लेने के, दिवालिया व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता है, और न वह दिवाला न्यायालय की इजाज़त के सिवाय, अपने ऋणों की वसूली के लिए कोई स्वतंत्र वाद ही फाइल कर सकता है, तथा यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिमाणतः यह स्थिति सामने आती है कि नरसिंहदास के विरुद्ध या तत्प्रयोजनार्थ उसके पुत्रों के विरुद्ध वर्तमान वाद पूर्णतः अक्षम था। उक्त मामले में यह मत व्यक्त किया गया :—

> "इस प्रकार, साधारण नियम के रूप में यह बात निरापद रूप से कही का सकती है कि किसी संविदा से उद्भूत होने वाली बाध्यताएं दिवाला कार्यवाही में साबित किए जाने योग्य होती हैं और यह कि दिवाला अधिकारिता में निहित सम्पूर्ण प्रयोजन ऋणी को धन की राशियों का संदाय करने की सभी संविदागत बाध्यताओं से पूर्ण उन्मोचन प्रदान करना है, चाहे वे परिनिर्धारित हों या अपरिनिर्धारित, और ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसे ऐसे धन-संबंधी दावों की बाबत वाद में दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, संविदा के अधीन किसी व्यक्ति का एकमात्र अधिकार आगे आना है और दिवाला न्यायालय में अपना दावा साबित करना है।

विधि की इस स्थिति को देखते हुए, जिसका निचले न्यायालयों द्वारा पूर्णतः अनुसरण किया गया है, मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भागीदारी कारबार से, जो प्रतिवादी (नरसिंहदास) वादी और प्रतिवादी सं० 4 और 5 के साथ भागीदारी में चला रहा था और जो, उसके दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने से पूर्व, तारीख 18 अप्रैल, 1948 (चैत्र सुदी 9, सम्वत् 2005) को विघटित कर दिया गया था, उद्भूत होने वाले प्रतिवादी नरसिंहदास के ऋण या दायित्व, स्पष्टतः दिवाला कार्यवाही में साबित किए जाने योग्य थे; भले ही यह मान लिया जाए कि ऐसे दायित्व धन की अभिनिश्चित राशियों के रूप में नहीं थे और अपरिनिर्धारित थे।

ऐसी स्थिति में, धारा 17 में अन्तर्विष्ट उपबंध के अनुसार, वादी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उक्त धारा के अर्थान्तर्गत लेनदार की स्थिति ग्रहण कर लेता; और ऐसे सभी ऋणों की बाबत, उसे उपलब्ध एकमात्र उपचार दिवाला न्यायालय के समक्ष दिवालिया व्यक्ति की सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना था, और वह, दिवाला न्यायालय की इजाजत के बिना, दिवालिया व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही आरम्भ करने के लिए स्पष्टत: निर्योग्य था।"

यह प्रतीत होता है कि धारा 46 के साथ पठित धारा 17 लागू करके, प्रेसोडेंसी नगरों के बाहर वाले न्यायालय में बाद चलने योग्य नहीं था। मेरे समक्ष वाला प्रश्न, न्यायनिर्णयन के आदेश को देखते हुए, वाद पर रोक लगाए जाने तक ही सीमित है। मेरे लिए उपर्युक्त **नरसिंहदास वाले मामले**[1] में किए गए विनिश्चय की शुद्धता के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि इस पर मतभेद प्रतीत होता है कि क्या वाद खारिज कर दिया जाना चाहिए या उस पर केवल रोक लगा दी जानी चाहिए या उसे कतिपय निबन्धनों पर चलते रहने देना चाहिए। अत: उस विवाद में पड़े बिना, मेरे लिए इस प्रश्न पर भी विचार करना अपेक्षित है कि क्या चुरू के अपर जिला न्यायाधीश का वाद में कार्यवाहियों पर रोक लगाना न्यायोचित था यद्यपि, यह हो सकता है कि उन्होंने प्रा० दि० अधिनियम की धारा 29 के अधीन रोक लगा कर गलती की है। मेरी राय में, धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन, वाद पर रोक की प्रकृति का आदेश प्रेसोडेंसो नगरों के बाहर स्थित किसी न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता था, जो प्रेसीडेंसो नगरों में दिवाला न्यायालयों के अधीक्षण के परे भी हो सकता है। धारा 18 की उपधारा (3) के उपबंध के अतिरिक्त, न्यायालय, न्यायनिर्णयन के आदेश के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात्, कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए अन्यथा सक्षम है। जैसा कि पहले ही मत व्यक्त किया जा चुका है, दोनों ही विधियों के अधीन दिवालिया व्यक्ति की सम्पत्ति, यथास्थिति, शासकीय समनुदेशिती में या न्यायालय में या प्रापक (रिसीवर) में निहित होती है और दोनों ही विधियों में, दिवाला न्यायालय की इजाजत के बिना, लेनदार पर दिवालिया व्यक्ति के विरुद्ध वाद चलाने की निर्योग्यता अधिरोपित करने का उपबंध भी किया गया है। लेनदार को दिवालिया व्यक्ति के विरुद्ध अपना ऋण साबित करने और दिवाला कार्यवाहियों में दिवाला न्यायालय से आवश्यक अनुतोष अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा। दोनों विधियों के उपबंधों से यह प्रतीत होगा कि ऋणी के विरुद्ध कार्यवाहियां केन्द्रीकृत की जानी हैं और विधि का यह उद्देश्य उस स्थिति में पूरा हो जाएगा यदि वह न्यायालय, जिसमें बाद

[1] ए० आई० आर० 1961 राजस्थान 81.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लम्बित है, वाद में कार्यवाहियों पर रोक लगा देता है। मैं श्री बालिया के इस निवेदन से सहमत होने में असमर्थ हूं, कि यदि कार्यवाहियां चलती रहने भी दी जाती हैं या वस्तुतः कार्यवाहियाँ चालू रहेंगी, क्योंकि "कोई न्यायालय" शब्दों के अन्तर्गत प्रेसीडेंसी नगरों के बाहर का न्यायालय या दिवाला अधिनियम के अधीक्षण से परे न्यायालय नहीं आता है, अतः ऐसे किसी न्यायालय में, जिसे प्रा० दि० अधिनियम लागू होता है, संस्थित वाद चालू रहेगा और ऐसे वाद पर रोक लगाए जाने के लिए कोई उपबंध नहीं है और यदि ऐसा मार्ग अपनाया जाता है, तो इसका केवल यही अर्थ होगा कि ऋण केवल साबित किया जा रहा है और यह प्रार्थना की जा रही है कि उक्त न्यायालय द्वारा उसे डिक्रीत किया जाए। किन्तु जहां तक उसके निष्पादन का संबंध है, निष्पादन केवल सम्पत्ति के विरुद्ध ही संभव होगा, जो शासकीय समनुदेशिती में या न्यायालय में या प्रापक (रिसीवर) में निहित है। जैसा कि पहले ही विचार किया जा चुका है, जब कार्यवाहियों पर रोक लगाए दोनों ही सबंधित विनिर्दिष्ट उपबंध दोनों ही अधिनियमितियों में सम्मिलित कर लिए गए हैं, तो मेरी राय में वह स्थिति, जिसकी बाबत श्री बालिया ने जोर दिया है, अनुध्यात नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, मैं पहले ही यह मत व्यक्त कर चुका हूं कि दोनों अधिनियमों की धारा 18(3) और 29 के उपबंधों के अतिरिक्त, न्यायालय कार्यवाहियों पर अन्यथा भी रोक लगा सकता है। इस प्रकार मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि यद्यपि प्रा०दि० अधिनियम की धारा 29 के अधीन आवेदन चलने योग्य नहीं है, फिर भी प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 18(3) के अधीन या न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन आवेदन अन्यथा चलने योग्य है।

10. अब मुख्य प्रश्न जिसकी ओर अधिक गहराई से संवीक्षा, परीक्षा और विचार किए जाने की आवश्यकता है, यह है कि क्या भूतपूर्व भागीदारों सागरमल और नथमल के विधिक प्रतिनिधियों और भूतपूर्व भागीदार पूसराज उर्फ पुष्पराज के विरुद्ध न्यायनिर्णयन के किसी आदेश के अभाव में सम्पूर्ण वाद पर रोक लगाई जा सकती थी। न्यायनिर्णयन के आदेश के परिशीलन से यह प्रकट होगा कि न्यायनिर्णयन का आदेश केवल फर्म मैसर्स रामकिशन दास सागरमल और उसके भागीदारों, अर्थात् गिरधारीलाल, हुलासचन्द और मुसम्मात रत्नीबाई के विरुद्ध ही किया गया है। ये न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख को भागीदार थे। प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 99 द्वारा भागीदारी के नाम में कार्यवाहियों के लिए उपबंध किया गया है। प्रे० न० दि० अधिनियम के अधीन, फर्म के नाम से भागीदारी नाम के अधीन कारबार करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। प्रेसीडेंसी नगर दिवाला नियमावली,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मुम्बई (प्रेसीडेंसी टाउन इन्साल्वेंसी रूल्स, बाम्बे) के नियम 154 में यह उपबंध किया गया है कि किसी फर्म के विरुद्ध किया गया न्यायनिर्णयन का आदेश इस प्रकार प्रवर्तित होगा, मानो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया न्यायनिर्णयन का आदेश है, जो आदेश की तारीख को उस फर्म में भागीदार है। इस नियम से यह प्रतीत होगा कि यदि न्यायनिर्णयन के आदेश में किसी विशेष भागीदार के नाम का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख न भी हो, तो भी वह ऐसे भागीदारों के विरुद्ध भी न्यायनिर्णयन का आदेश माना जाएगा, बशर्ते कि वह न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख को भागीदार है। चूंकि दिवाले में कार्यवाहियां भागीदारी नाम में संस्थित की जा सकती हैं, अतः इसमें यह विवक्षित है कि फर्म के सभी भागीदार दिवाला न्यायालय के समक्ष हैं और प्रत्येक भागीदार, जो न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख को भागीदार है, न्यायनिर्णीत दिवालिया माना जाएगा। इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि जहां तक न्यायनिर्णयन के आदेश क संबंध है, उसका प्रभाव केवल उन भागीदारों पर ही होगा, जो न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख को भागीदार हैं और फर्म की सम्पत्तियों सहित उनकी सम्पत्तियां ही शासकीय समनुदेशिती में निहित होंगी। यदि भागीदारी विधि के अधीन, उन भागीदारों का भी ऋण के संदाय के लिए दायित्व है, जो भागीदार नहीं रह गए हैं या ऋण के संदाय का दायित्व उन भागीदारों का भी है, जिनकी मृत्यु हो गई है और जो अपने वारिस और विधिक प्रतिनिधि छोड़ गए हैं, तो जहां तक न्यायनिर्णयन के आदेश का संबंध है, उसका ऐसे भूतपूर्व भागीदारों, या मृत भूतपूर्व भागीदारों के वारिसों या भूतपूर्व भागीदारों की सम्पदा पर कोई प्रभाव नहीं होगा और इसलिए उनकी सम्पदा शासकीय समनुदेशिती में निहित नहीं होगी।

11. श्री पारिख ने यह निवेदन किया कि जब दिवाला कार्यवाही में ऋण साबित किए जाने योग्य है और जब दिवालिया फर्म के विरुद्ध ऋण अवधारित किया जाता है, वाद भूतपूर्व भागीदारों के विरुद्ध भी नहीं चल सकता है। इस संबंध में, यह कहना पर्याप्त होगा कि वाद और अन्य कार्यवाहियां, जो प्रे० न० दि० अधिनियम की धारा 18 को और प्रा० दि० अधिनियम की धारा 29 के अधीन अनुध्यात हैं, दिवालिया व्यक्ति के विरुद्ध वाद या अन्य कार्यवाहियां हैं, न कि ऋणियों के विरुद्ध, जिन्हें दिवालिया व्यक्तियों के रूप में न्यायनिर्णीत नहीं किया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृत भागीदारों—सागरमल और नथमल के विधिक प्रतिनिधियों, और भूतपूर्व भागीदार पूसराज को दिवालिया न्यायनिर्णीत नहीं किया गया है। केवल तीनों भागीदारों को दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है और स्वीकृततः

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तीनों न्यायनिर्णीत दिवालिया व्यक्तियों से भिन्न ऋणी न्यायनिर्णयन की तारीख को फर्म में भागीदार नहीं थे। इस प्रकार, न्यायनिर्णयन का आदेश उन पर प्रवर्तित नहीं होता है और उनकी सम्पत्तियां शासकीय समनुदेशिती में निहित नहीं होंगी। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि उनकी सम्पत्तियां लेनदारों के कब्जे से अपवर्जित कर दी जाएंगी। भूतपूर्व भागीदारों की सम्पत्ति के विरुद्ध उस स्थिति में भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, जब अन्ततः भागीदारी विधि के अधीन वे रकम के संदाय के लिए दायी पाए जाते हैं। भूतपूर्व भागीदारों की सम्पत्ति अन्यथा बच जाएगी, यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता हैं कि उनके विरुद्ध वाद में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मेरी राय में, भूतपूर्व भागीदारों की सम्पत्ति के विरुद्ध केवल उसी स्थिति में कार्यवाही की जा सकती है, जब ऐसे भूतपूर्व भागीदारों के विरुद्ध वाद चलता रहने दिया जाता है और उनके दायित्व, इस तथ्य को देखते हुए वाद में अन्तिम रूप से अवधारित कर दिए जाते हैं कि न्यायनिर्णयन आदेश का उनकी सम्पदा पर कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार मैं श्री पारिख के इस निवेदन से सहमत नहीं हूं कि उस दशा में भी वाद पर रोक लगाया जाना अपेक्षित है और उसके संबंध में आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जबकि ऋण दिवाला न्यायालय के समक्ष साबित किए जाने योग्य है। मेरी राय में, विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश का यह अभिनिर्धारित करना गलत था कि ऐसे भूतपूर्व भागीदारों की भी, जिनके नाम न्यायनिर्णयन के आदेश में उल्लिखित नहीं किए गए थे, सम्पत्ति न्यायालय में या प्रापक (रिसीवर) में निहित होती है और जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, वह शासकीय समनुदेशिती में निहित है, और उनका यह अभिनिर्धारित करना भी गलत था कि न्यायनिर्णयन का आदेश भूतपूर्व भागीदारों या उनके वारिसों के विरुद्ध भी प्रवर्तित होगा।

12. यदि रोक के प्रश्न पर, भूतपूर्व भागीदारों या उनके विधिक प्रतिनिधियों की सम्पत्ति पर न्यायनिर्णयन के आदेश के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है, तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य होगा कि उनके विरुद्ध वाद पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अतः मेरी राय में यह स्पष्ट है कि मृत भागीदारों—सागरमल और नथमल के विधिक प्रतिनिधियों और भूतपूर्व भागीदार पूसराज उर्फ पुष्पराज के विरुद्ध वाद पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी।

13. अब विचारार्थ यह प्रश्न शेष रहता है कि क्या वाद केवक भूतपूर्व भागीदारों और उनके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध ही चलते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रहने दिया जाना चाहिए या वह न्यायनिर्णीत दिवालिया व्यक्तियों के विरुद्ध भी चलते रहने दिया जाना चहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह बात ज्ञात नहीं है कि दिवाला न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या प्रश्नगत ऋण के संबंध में दिवाला न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही की गई है ? ऐसी जानकारी के अभाव में, कौन सी कार्यवाही उचित होगी ? जब भूतपूर्व भागीदारों या उनके विधिक प्रतिनिधियों/प्रतिवादियों के संबंध में रोक के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो क्या रोक के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायनिर्णीत दिवालिया व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाना चाहिए ? प्रतिवादी-फर्म को प्रतिवादी के रूप में बनाए रखा जाना होगा, क्योंकि भूतपूर्व भागीदार और न्यायनिर्णीत दिवालिया भागीदार भी फर्म के नाम में कारबार करते रहे थे। यह बात विशेष परिस्थिति प्रतीत होती है कि भूतपूर्व भागीदार या उनके विधिक प्रतिनिधि दिवालिया न्यायनिर्णीत नहीं किए गए थे। ऐसी विशेष स्थिति में यह उचित होगा कि ऋण एक ही स्थान पर न्यायनिर्णीत किया जाए, अर्थात् विचारण न्यायालय के समक्ष। किन्तु चूंकि न्यायनिर्णीत दिवालिया व्यक्ति वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगे, यदि उनके विरुद्ध वाद जारी रहने दिया जाता है, अतः यह न्यायोचित होगा कि वादी-पिटीशनर को प्रतिवादियों का खर्च वहन करना चाहिए, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किए गए हैं। **मूलचन्द कन्हैयालाल तिवारी बनाम निहालकरण छत्रकरण और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया :—

> "उपबंध (प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 29) का उद्देश्य यह है कि दिवालिया व्यक्ति को और आगे मुकदमेबाजी द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दिवाला कार्यवाही में उसके विरुद्ध ऋण साबित किए जाने योग्य है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जहां दिवालिया व्यक्ति एकमात्र प्रतिवादी है और दावा ऋण के संबंध में है, तो वाद पर रोक लगाने का और भी अधिक औचित्य है।
>
> किन्तु जहां उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी वाद चलाया जाता है और आनुकल्पिक रूप में दावा फाइल किया जाता है, वहां वाद का चालू रखा जाना उस पर रोक लगाए जाने की तुलना में अधिक वांछनीय है। क्योंकि यदि वाद पर पूर्णतः रोक लगा दी जाती है, तो वादी का ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध, जिसे दिवालिया

[1] ए० आई० आर० 1961 एम० पी० 199.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायनिर्णीत नहीं किया जाता है, डिक्री अभिप्राप्त करने का अवसर भी विधारित हो जाएगा। उस स्थिति में, वाद के जारी रखे जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं, विशेष रूप से उस समय जब दिवालिया व्यक्ति न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में निष्कर्ष निकाले जाने पर दायित्व से पूर्णतः मुक्त किए जाने की स्थिति में होता है।

निस्संदेह इस प्रश्न पर विचार करना सुसंगत होगा कि क्या दिवालिया या उसकी सम्पदा को वाद जारी रखने के लिए और आगे के खर्चों के लिए उच्छन्न किया जाना चाहिए। यदि वाद पर रोक लगा दी जाती है और ऋण के दिवाला कार्यवाही में साबित किए जाने की अनुज्ञा दे दी जाती है, तो उसे उन खर्चों से मुक्ति मिल जाएगी, किन्तु ऐसा कतिपय शर्तें अधिरोपित करके ही हो सकता है। न्यायालय इस शर्त के अधीन रहते हुए, वाद के जारी रखे जाने को अनुज्ञात कर सकता है कि दिवालिया व्यक्ति या उसकी सम्पदा इसके पश्चात् वादी द्वारा उपगत किसी भी खर्चे के लिए उच्छन्न नहीं होगी।"

14. प्रस्तुत मामले में भी, वाद ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी है जो दिवालिया न्यायनिर्णीत नहीं किए गए हैं। उसके अतिरिक्त, गिरधारी लाल और हुलास चन्द, जो मृत भागीदार सागरमल और नथमल के पुत्र हैं, विधिक प्रतिनिधियों की हैसियत से पक्षकार रहेंगे और वे उनके द्वारा विरासत में प्राप्त की गई सम्पत्ति की सीमा तक दायी होंगे, अतः यह उचित होगा कि वाद, इस शर्त के अधीन रहते हुए जारी रहने दिया जाए कि वाद के संचालन के लिए न्यायनिर्णीत दिवालिया प्रतिवादियों के खर्चे वादी द्वारा वहन किए जाएंगे।

15. पुनरीक्षण की संधार्यता के संबंध में श्री पारिख द्वारा उठाया गया आक्षेप उल्लेखनीय है। उन्होंने यह दलील दी कि रोक का प्रश्न विचारण न्यायालय के लिए वैवेकिक था और विचारण न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के प्रयोग में किसी प्रकार की अवैधता या तात्त्विक अनियमितता नहीं की है। श्री पारिख के अनुसार, गलत दृष्टिकोण सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन हस्तक्षेप के लिए आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में यह कहना पर्याप्त होगा कि विचारण न्यायालय ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी वाद पर रोक लगा कर अपनी अधिकारिता के प्रयोग में गम्भीर गलती की है, जिन्हें दिवालिया न्यायनिर्णीत नहीं किया गया है। उनके विरुद्ध

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाद पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी, क्योंकि उनका दायित्व अनवधारित रहता है। मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, विचारण न्यायालय उस अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा, जो उसमें निहित थी। इस प्रश्न पर भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उपर्युक्त विनिश्चय के प्रति निर्देश किया जा सकता है।

16. मेरे समक्ष और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है और न किसी मुद्दे पर विचार किया जाना शेष ही रहता है।

17. परिणामत:, यह पुनरीक्षण पिटीशन मंज़ूर किया जाता है। चुरू के अपर जिला न्यायाधीश के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और वादी-पिटीशनर को प्रतिवादियों के विरुद्ध वाद जारी रखने के लिए इस शर्त पर अनुज्ञा दी जाती है कि वादी प्रस्तुत वाद की प्रतिरक्षा करने में न्यायनिर्णीत दिवालिया व्यक्तियों के खर्चों को वहन करेगा। वर्तमान पुनरीक्षण पिटीशन के खर्चे दोनों पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे।

पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर किया गया।

न०/ब्रह्म

नि० प० 1983 : राजस्थान—236

राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि० जयपुर और एक अन्य बनाम मनोहर लाल शर्मा

(Rajasthan Cooperative Dairy Federation Ltd. Jaipur and another *Vs*. Manoharlal Sharma)

तारीख 25 जनवरी, 1983

[न्या० एस० के० मल लोढा और कुमारी कांता भटनागर]

संविधान 1950—अनुच्छेद 12, 14,16 और 226—'राज्य' शब्द की परिभाषा 'सरकार के नियंत्रण के अधीन···प्राधिकारी' अभिव्यक्ति की अर्थव्याप्ति—अनुच्छेद 12 के अर्थांतर्गत राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन 'राज्य' है और उसके द्वारा सेवा समाप्ति के अनुचित आदेश के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन फाइल किया जा सकता है।

राजस्थान औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली 1963—नियम 18 सपठित संविधान, 1950-अनुच्छेद 226—उक्त नियमावली के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधीन कदाचार के आधार पर सेवा समाप्ति का आदेश करते समय नियम 18 का अनुपालन आज्ञापक है—उक्त नियमावली के अधीन कोई कार्यवाही रिट पिटीशन लाने के लिए कोई वर्जन नहीं है।

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत—सेवा समाप्ति का अनुचित आदेश—यदि सेवा समाप्ति का आदेश सम्बन्धित नियमों की अनदेखी करते हुए और पिटीशनर को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश अवैध है और पिटीशनर सेवा में बहाल किए जाने का हकदार है।

पिटीशनर गैर पिटीशनर सं० 1 की डेयरी में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्त था। तारीख 3 जून, 1981 के आदेश (उपा० 2) द्वारा पिटीशनर की सेवाएं कोई विभागीय जांच किए बिना समाप्त कर दी गईं। पिटीशनर ने आदेश (उपा० 2) को चुनौती दी है और यह याचना की है कि उसे अवैध और अभिखण्डित घोषित किया जाए। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने आदेश (उपा० 2) अभिखण्डित कर दिया और यह आदेश दिया कि पिटीशनर को उसके पद पर बहाल कर दिया जाए। गैर पिटीशनरों ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील फाइल की है।

अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि फेडेरेशन अनुच्छेद 12 के अर्थांतर्गत राज्य नहीं है जबकि प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल ने इसका जोरदार रूप से विरोध किया है।

अभिनिर्धारित—अपील खारिज की गई।

प्रस्तुत मामले में रमन, सोम प्रकाश रेखी और अजय हासिया के मामलों में अधिकथित कसौटियां पूरी हो गई हैं। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि फेडरेशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की परिधि के अंतर्गत आता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट-अधिकारिता के अधीन है। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई भूल नहीं की है कि फेडरेशन सरकार के नियंत्रण के अधीन एक 'प्राधिकारी' होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थांतर्गत राज्य है। (पैरा 8)

प्रस्तुत मामले में आदेश (उपा० 2) से यह स्पष्ट है कि उसमें कदाचार संबंधी कार्यों का कथन किया गया था और महाप्रबंधक ने यह निर्णय लिया था कि उसके लिए पिटीशनर को एक भी दिन के लिए सेवा में बनाए रखना उचित नहीं था क्योंकि वह उसमें अपना विश्वास खो चुका था और इसके

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अतिरिक्त यह कि विभागीय जांच करना सम्भव नहीं था। अतः उसने पिटीशनर की सेवा तत्काल समाप्त कर दी थी। प्रस्तुत मामले में, कदाचार के आधार पर पिटीशनर की सेवाएं समाप्त करने से पूर्व 1963 के नियम में उपबन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। यहां तक कि सुने जाने अथवा कारण बताने का अवसर देने की न्यूनतम अपेक्षा का भी अनुपालन नहीं किया गया। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत भंग किए गए थे। अतः विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया था कि पिटीशनर की सेवाएं उचित जांच के बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए समाप्त की गई थीं। (पैरा 11)

प्रस्तुत मामले में पिटीशनर के विरुद्ध कोई जांच नहीं की गई थी। तथाकथित आदेश (उपा० 2) को पारित करने से पूर्व कदाचार सिद्ध नहीं किया गया है। सेवा-समाप्ति के आदेश के अपास्त कर दिए जाने के बाद बहाली एक साधारण उपचार है क्योंकि प्रस्तुत मामले में इस उपचार को देने से इंकार करने की कोई विशेष परिस्थिति विद्यमान नहीं है। (पैरा 13)

		पैरा
[1982]	1982 (1) एल० एल० एन० 302 : दिल्ली परिवहन निगम **बनाम** श्री राम कुमार (Delhi Transport Corporation *Vs*. Ram Kumar);	13
[1981]	ए०आई०आर० 1981 पंजाब-हरियाणा 282 : सतीश कुमार **बनाम** पंजाब राज्य कोआपरेटिव बैंक लि० (Satish Kumar *Vs*. Punjab State Co-perative Bank Ltd);	6
[1981]	[1981] 4 उम० नि० प० 419=ए० आई० आर 1981 एस० सी० 487 : अजय हासिया **बनाम** खालिद मुजीब (Ajai Hasia *Vs*. Khalid Mujib);	7
[1980]	[1980] 2 उम० नि० प० 961=ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1628 : रमन **बनाम** भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Raman *Vs*. I.A. Authority of India);	6, 7

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1975]	[1975] 3 उम० नि० प० 30=ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 1231 : सुखदेव सिंह **बनाम** भगत राम (Sukhdev Singh *Vs*. Bhagatram);	6
[1967]	ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1857 : राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड जयपुर **बनाम** मोहन लाल (Rajasthan State Electricity Board, Jaipur *Vs*. Mohanlal)	7

का **अवलम्ब** लिया गया।

[1981]	ए० आई० आर० 1981 पंजाब हरियाणा 228 : प्रीतम सिंह गिल **बनाम** पंजाब राज्य (Pritam Singh Gill *Vs*. State of Punjab);	6, 7
[1970]	(1970) 1 एल० एल० जे० 63 : रूबी जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी **बनाम** चोपड़ा (Ruby General Insurance Co. *Vs*. Chopra);	13
[1958]	1958 (2) एल० एल० जे० 9 : नागपुर इलैक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कं० **बनाम** श्रीपति राव (Nagpur Electric Light and Power Co. *Vs*. Shreepathi Rao)	10

से **प्रभेद** बताया गया।

[1971]	[1971] 2 उम० नि० प० 294=1971 (4) लेबर एण्ड इंडस्ट्रियल केसेज 1235 : पनटोल टी एस्टेट **बनाम** कर्मकार (Panitola Tea Estate *Vs*. The workmen)	13

निर्दिष्ट किया गया।

सिविल (विशेष) अपीली अधिकारिता : 1983 की विशेष सिविल अपील संख्या 18.

1981 के एकल न्यायपीठ सिविल रिट पिटीशन संख्या 991 में विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 19 अगस्त, 1982 वाले निर्णय के विरुद्ध

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 की धारा 18 के अधीन की गई विशेष सिविल अपील।

अपीलार्थियों की ओर से ··· श्री डी० के० परिहार

प्रत्यर्थी की ओर से ··· श्री एम० मृदुल

न्यायालय का निर्णय न्या० एस० के० मल लोढा ने दिया।

न्या० लोढा :

राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 की धारा 18 के अधीन यह अपील इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के तारीख 19 अगस्त, 1982 के उस निर्णय के विरुद्ध की गई है कि जिसके द्वारा उसने प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किया गया रिट पिटीशन खर्च के बारे में कोई आदेश पारित न करते हुए मंजूर कर लिया था।

2. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष क्रमशः गैर-पिटीशनर और पिटीशनर थे और वे इसमें इसी प्रकार निर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. पिटीशनर, गैर-पिटीशनर सं० 1, अर्थात् राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि० (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'फेडरेशन' कहा गया है) की जोधपुर डेयरी यूनिट में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्त था। तारीख 3 जून, 1981 के आदेश (उपा० 2) द्वारा पिटीशनर की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गईं और उसे अपना कार्यभार श्री ओम दत्त को सौंपने का निदेश दिया गया। यह अधिकथित किया गया है कि यह आदेश पिटीशनर की जानकारी में 6 जून, 1981 को आया था। पिटीशनर द्वारा फाइल किए गए आदेश (उपा० 2) (टंकित प्रति उपा० 3) की भाषा निम्नलिखित है :—

> "चूंकि आप उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त हैं और राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि० की जोधपुर डेयरी यूनिट के लेखा अधिकारी की प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं। जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध के सार्वजनिक विक्रय और वितरण का सीधा संव्यवहार करता है।
>
> जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक गोपनीय संपरीक्षा रिपोर्ट प्रकट कर दी गई थी और वह 19 मई, 1981 की राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप जनता की नजरों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रतिष्ठा, साख और कार्य-दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

लेखा अधिकारी श्री एम० के० गुप्ता ने प्रारंभिक जांच करने के बाद आज 3 जून, 1981 को मुझे सूचना दी है कि आप सर्वश्री प्रभुसिंह और भंवरदान के साथ मिलकर मालभाड़े और ढुलाई से संबंधित नोट-शीट और अन्य वाउचर उड़ा ले गए थे। मैंने प्रारंभिक जांच-रिपोर्ट का परिशीलन किया है और मैं उससे सहमत हूं।

मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा है और अब यह संभव नहीं है कि उपर्युक्त तथ्यों के बारे में कोई विभागीय जांच की जाए। इसके पश्चात् मैं आपके विरुद्ध दिए गए तथ्यों के बारे में की जाने वाली विभागीय जांच की आवश्यकता को समाप्त करता हूं।

आपको राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन की सेवा में एक दिन के लिए भी बनाए रखना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः आपकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जाती हैं। आपको, एतद्द्वारा, यह निदेश दिया जाता है कि आप अपना कार्यभार श्री ओमदत्त पुरोहित को सौंप दें। आप बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके (राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन से) अपनी शोध्य रकम ले सकते हैं।

ह० महाप्रबंधक

पिटीशनर ने यह साबित करने के लिए कि प्रारंभिक जांच के दौरान घटित बातों के संबंध में आदेश में जो कथन किया गया है, गलत है, विशेष संपरीक्षक के 3 जून, 1981 के कार्यालय टिप्पण (उपा० 4) की फोटो स्टैट प्रतिलिपि भी फाइल की है। पिटीशनर ने यह दावा किया है कि वह औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2(i) के अर्थ के अंतर्गत एक 'कर्मकार' है क्योंकि वह लिपिक के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। पिटीशनर ने 8 जून, 1981 को विभिन्न कारणों के आधार पर 3 जून, 1981 के आदेश (उपा० 2) को यह प्रार्थना करते हुए चुनौती दी है कि वह अवैध घोषित और अभिखंडित किया जाए और अपीलार्थियों (जो कि गैर-पिटीशनर थे) को निदेश दिया जाए कि वे उसे प्रभावी न करें। रिट पिटीशन में कतिपय परिणामी अनुतोषों के दिए जाने की भी प्रार्थना की गई थी। गैर-पिटीशनरों की ओर से उसके रिट पिटीशन के विरोध में एक उत्तर फाइल किया गया था। उत्तर के साथ प्रदर्श आर-1 से प्रदर्श आर-8 तक की संख्या वाली दस्तावेजें फाइल की गई

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

थीं। पिटीशनर ने दस्तावेजों (उपाबंध 5 से 7) के साथ एक प्रत्युत्तर फाइल किया था। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं :—

(1) यह कि अपीलार्थी सं० 1 (फेडरेशन) सरकार के नियंत्रण के अधीन प्राधिकारी है और इसलिए वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत 'राज्य' है;

(2) यह कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) (संक्षेप में 1947 का अधिनियम) के अधीन प्रतितोष के लिए सरकार से समावेदन करके अनुकल्पी उपचार प्राप्त करने की कार्यवाही रिट पिटीशन को चलने योग्य होने का वर्जन नहीं करती;

(3) यह कि 3 जून, 1981 का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और विभागीय जांच की व्यवस्था करने वाले सभी सुसंगत उपबंधों के विरुद्ध है।

पूर्वोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपने 19 अगस्त, 1982 के आदेश द्वारा रिट पिटीशन मंजूर करके 3 जून, 1981 का आदेश (उपा० 2) अभिखंडित कर दिया और आदेश दिया कि पिटीशनर अपने पद पर बहाल किया जाएगा और गैर-पिटीशनरों को उसके विरुद्ध उसके अभिकथित कदाचार के संबंध में विधि के अनुसार कोई भी कार्रवाई करने की छूट होगी। गैर-पिटीशनरों ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के 19 अगस्त, 1982 के आदेश की यथार्थता पर आक्षेप करते हुए यह अपील फाइल की है।

4. हमने अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री डी० के० परिहार और प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री एम० मृदुल को सुना है।

5. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री डी० के० परिहार ने प्रथमतः यह तर्क दिया है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में भूल की है कि फेडरेशन सरकार के नियंत्रण के अधीन "अन्य प्राधिकारी" होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत "राज्य" है। यह निवेदन किया गया कि यह (फेडरेशन) सरकार के नियंत्रण के अधीन 'प्राधिकारी' होने के कारण राज्य नहीं है इसलिए पिटीशनर (प्रत्यर्थी) द्वारा फाइल किया गया रिट पिटीशन चलने योग्य नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने इसका जोरदार रूप से विरोध करते हुए इस बारे में विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय का समर्थन किया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संविधान का अनुच्छेद 12 निम्नलिखित रूप में है :—

"12. परिभाषा—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 'राज्य' के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।"

6. संविधान का अनुच्छेद 226(1) निम्न प्रकार है :—

"226. कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति-(1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य-क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें से कोई जारी करने की शक्ति होगी।"

अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर (इसमें संक्षेप में उपविधि) की उपविधि 21.1 को, जो बोर्ड की शक्तियों के बारे में है, निर्दिष्ट किया है। यह इस प्रकार है :—

"21. बोर्ड की शक्ति

21.1 : फेडरेशन का संपूर्ण प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण बोर्ड में निहित होगा। बोर्ड अधिनियम, नियम और उपविधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी सभी शक्तियां रखेगा और प्रयोग करेगा तथा ऐसे सभी करार, व्यवस्थाएं और कार्यवाहियां करेगा जो फेडरेशन के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने तथा उसके हितों को प्राप्त और अग्रसर करने हेतु उसके प्रबंध के लिए आवश्यक और उचित होंगी।"

अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने उपविधि 21.1 अधार पर यह तर्क दिया कि फेडरेशन का संपूर्ण प्रकाशन, प्रबंध और नियंत्रण बोर्ड में निहित है और इस प्रकार फेडरेशन के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए उसके दक्ष प्रबंध का उत्तरदायित्व केवल बोर्ड पर है और इसलिए फेडरेशन सरकार के नियंत्रण के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधीन 'प्राधिकारी' नहीं है। उसने **सुखदेव सिंह बनाम भगतराम**[1], **रमन** बनाम **भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण**[2], **सतीश कुमार** बनाम **पंजाब राज्य कोआपरेटिव बैंक लि०**[3], **प्रीतम सिंह गिल** बनाम **पंजाब राज्य**[4] नामक मामले निर्दिष्ट किए।

7. उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने **सुखदेव सिंह के मामले**[1] में भारत के संविधान के अनुच्छेद 12, 14, 16 और 226 पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, जीवन बीमा निगम और औद्योगिक वित्त निगम द्वारा विरचित नियमों और विनियमों में कानून का बल है तथा इन कानूनी निकायों के कर्मचारियों की हैसियत कानूनी है और वे कानूनी उपबंधों के उल्लंघन में अपनी पदच्युति की जाने की स्थिति में नियोजन में होने की घोषणा कराने के हकदार हैं तथा वे संघ अथवा राज्य के सेवक नहीं हैं। उन्होंने यह भी अभिनिर्धारित किया कि ये कानूनी निकाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत 'प्राधिकारी' हैं तथा इनके कर्मचारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का संरक्षण प्राप्त करने के हकदार हैं। **राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर** बनाम **मोहनलाल**[5] का अनुसरण करने के बाद निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :—

> "राजस्थान विद्युत बोर्ड के मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त "अन्य प्राधिकारी" पद इतना व्यापक है कि उसके अंतर्गत किसी कानून द्वारा सृष्ट और भारत के राज्य-क्षेत्र के अंतर्गत अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्यरत प्रत्येक प्राधिकारी आ जाता है।"

रमन के मामले[2] में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :—

> "निगम की रचना दो तरीकों में से किसी एक के अनुसार की जा सकती है। इसे या तो कानून द्वारा स्थापित किया जा सकता है या किसी

---

1 [1975] 3 उम० नि० प० 30=ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 1231.
2 [1980] 2 उम० नि० प० 961=ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1628.
3 ए० आई० आर० 1981 पंजाब-हरियाणा 282.
4 ए० आई० आर० 1981 पंजाब-हरियाणा 228.
5 ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1857.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विधि, के अन जैसे कम्पनी अधिनियम, 1956 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, के अधीन निगमित किया जा सकता है। जहां निगम पर सरकार का नियंत्रण उसके नीति निर्धारण में ही नहीं अपितु उसकी स्थापना करने वाली विधि द्वारा अथवा उसके निगमन के चार्टर द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में भी होता है वहां इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि वह सरकार का तन्त्र या अभिकरण होगा। किन्तु आम तौर पर जहां निगम की स्थापना कानून द्वारा की जाती है वहां अपने कार्यकरण में वह कभी-कभी, किए गए उपबन्ध के अधीन रहते हुए स्वायत्त होता है, और वह ऐसे निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा जो नीति विषयक बातों में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं। इसी प्रकार विधि के अधीन निगमित निगम का प्रबन्ध भी उस कानून के उपबन्धों के अनुसार निदेशक बोर्ड या प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है जिसके अधीन वह निगमित किया गया है। ऐस निगम कब सरकार का तन्त्र या अभिकरण हो जाता है, क्या सरकार द्वारा निगम की समस्त अंश पूंजी का धारण करना पर्याप्त है अथवा क्या यह आवश्यक है कि इसके साथ-साथ सरकार द्वारा निश्चित मात्रा में प्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखा जाना चाहिए और यदि ऐसा हो तो ऐसे नियन्त्रण की प्रकृति क्या हो? क्या निगम को सौंपे गए कार्यों का कोई विशिष्ट लक्षण या विशेषता होनी चहिए अथवा कार्यों की प्रकृति का कोई महत्त्व नहीं है? अब एक बात साफ है कि यदि निगम की सम्पूर्ण अंशपूंजी सरकार द्वारा धारित है तो इससे इस बात का काफी संकेत मिल जाएगा कि निगम सरकार का तन्त्र या अभिकरण है। किन्तु जैसा कि प्राय: होता है कानून द्वारा स्थापित निगम में, हो सकता है, कि कोई अंश या अंशधारक न हो। ऐसी स्थिति में यह विचार करना सुसंगत होगा कि क्या प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक बोर्ड के हाथ में है या नहीं, यद्यपि इस पर विचार करना भी निश्चायक नहीं हो सकता, क्योंकि जहां निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वहां भी वे अपने कार्यों का निर्वहन करने में शासकीय नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं। तब यह अवधारित करने की क्या कसौटी है कि कानून द्वारा स्थापित या विधि के अधीन निगमित निगम सरकार का तन्त्र या अभिकरण है। सर्वत: पूर्ण या नि:शेषी कसौटी की रचना करना सम्भव नहीं है जिससे कि इस प्रश्न का सही उत्तर दिया जा सके। ऐसा कोई सुनिश्चित और अचूक सूत्र नहीं है जो निगमों का सही विभाजन बता सके कि कौन से निगम सरकार की संस्था

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

या अभिकरण हैं और कौन-से नहीं ।"

रमन के मामले[1] में अधिकथित नियम, जो **अजय हासिया** बनाम खालिद मुजीब **नामक मामले**[2] में अनुमोदित किया गया था, संक्षेप में निम्नलिखित है :—

"किसी निगम को सरकार की संस्था या अभिकरण कब माना जा सकता है, इस बात का परीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण वाले मामले ([1980]2 उम०नि०प० 961=(1979) 3 एस०सी० सी० 484) से किया जा सकता है । ये परीक्षण निर्णायक या अन्तिम नहीं हैं अपितु मात्र दिग्दर्शक ही हैं जिनका प्रयोग बहुत सावधानी और सतर्कता से किया जाना चाहिए क्योंकि 'अन्य प्राधिकारी' पद को व्यापक अर्थ देने की आवश्यकता पर बल देते समय इस बात का भी अनुभव किया जाना चाहिए कि इस पद को इतना न खींचा जाए कि इसके अन्तर्गत ऐसे तमाम स्वायत्त निकाय भी आ जाएं जिनका कि सरकार से किंचित मात्र अन्तर्सम्बन्ध हो । इसके व्यापक अर्थविस्तार पर सूझ-बूझ के साथ कुछ सीमा लगानी चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण वाले मामले में किए गए विनिश्चय में जो सुसंगत परीक्षण हमें मिलता है उसे संक्षेप में निम्नलिखित रूप में देते हैं :—

"(1) एक बात साफ है कि यदि निगम की सम्पूर्ण अंश पूंजी सरकार द्वारा धारित है तो इससे इस बात का काफी संकेत मिल जाएगा कि निगम सरकार का तन्त्र या अभिकरण है ।

(2) जहां राज्य द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता इतनी अधिक है कि उससे निगम का प्रायः समस्त खर्च पूरा हो जाता है वहां ऐसा कुछ संकेत मिल जाता है कि वह निगम शासकीय स्वरूप का है ।

(3) यह भी एक सुसंगत तथ्य है·········क्या निगम को ऐसा एकाधिकार प्राप्त है जो राज्य द्वारा प्रदत्त या राज्य द्वारा संरक्षित है ।

(4) अत्यधिक और व्यापक राजकीय नियन्त्रण से यह संकेत मिल सकता है कि निगम राजकीय अभिकरण या तन्त्र है ।

(5) यदि निगम के कार्य सार्वजनिक महत्त्व के हैं और शासकीय कार्यों से उनका निकट सम्बन्ध है तो उस निगम को सरकार की संस्था या अभिकरण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यह एक तत्त्व होगा ।

---

[1] [1980] 2 उम० नि० प० 961=ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1628.

[2] [1981] 4 उम० नि० प० 419=ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 487.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(6) यदि सरकार का कोई विभाग विनिर्दिष्ट रूप से, निगम को अन्तरित कर दिया जाता है तो यह इस निष्कर्ष के समर्थन में एक प्रबल तत्त्व होगा कि निगम सरकार की एक संस्था या अभिकरण है।

यदि इन सुसंगत तथ्यों पर विचार करने से यह पता चलता है कि निगम सरकार की संस्था अथवा अभिकरण है तो वह, जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण वाले मामले में बताया गया है, 'प्राधिकरी' होगा और इसलिए अनुच्छेद 12 में व्यक्त किए गए अर्थ के अन्तर्गत 'राज्य' होगा।"

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष **प्रीतम सिंह के मामले**[1] में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या पंजाब सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई ऐसी सोसाइटी, जो तात्विक रूप से राज्य का अभिकरण है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंधों के अधीन रिट अधिकारिता के अधीन होगी? पंजाब सहकारी समिति अधिनियम के सुसंगत उपबंधों तथा **अजय हासिया के मामले**[2] पर विचार करने के बाद यह मत व्यक्त किया गया कि पंजाब राज्य सहकारी भूमिबंधक बैंक राज्य का अभिकरण न होने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत एक 'प्राधिकारी' नहीं है और इसलिए उनके विरुद्ध अनुच्छेद 226 के अधीन उत्प्रेषण-रिट जारी नहीं किया जा सकता।

8. विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष **वल्लभचन्द मेहता बनाम राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडेरेशन लि० और अन्य**[3] के मामले में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या संघ का सरकारी अभिकरण होना या न होना इस बात पर निर्भर करेगा कि वह (अर्थात् संघ) सरकार के नियंत्रण के अधीन प्राधिकारी है। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों की **सोमप्रकाश रेखी बनाम भारत संघ** (8) में मताभिव्यक्ति की अवेक्षा करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया था कि 'संघ' सरकार के नियंत्रण के अधीन एक अभिकरण अथवा प्राधिकारी है और इसलिए वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत 'राज्य' है। विद्वान् न्यायाधीश द्वारा विचारित मताभिव्यक्तियां निम्नलिखित हैं :—

---

[1] ए० आई० आर० 1981 पंजाब हरियाणा 228.

[2] [1981] 4 उम० नि० प० 419=ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 487.

[3] 1981 डब्ल्यू० एल० एन० (यू० सी०) 341.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"सुखदेव सिंह बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी [(1975) 3 उम० नि० प० =(1975)3 एस० सी० आर० 619](इस न्यायालय की सांविधानिक न्यायपीठ के विनिश्चय) का अध्ययन करने से स्पष्टतः परिणाम यह निकलता है कि किसी सत्ता को राज्य अभिकरण या प्राधिकरण कहने के लिए प्रभावशाली बातें ये हैं कि राज्य के वित्तीय साधन वित्तपोषण के मुख्य साधन होते हैं, कार्यशील स्वरूप सारतः सरकारी होता है, समग्र नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है, सरकार द्वारा उसी कार्यकलाप को चलाए जाने का पूर्व इतिहास और उसी कार्य को नए निकाय को सौंपा जाना तथा प्राधिकार या अधिकार के कुछ तत्त्व। क्या विधिक व्यक्ति किसी कानून के **अधीन** सृजित निगम से सुभिन्न, किसी कानून द्वारा सृजित निगम है, यह महत्त्वपूर्ण कसौटी नहीं है, यद्यपि यह इस कसौटी का संकेत चिह्न हो सकता है। रमन दयाराम शेट्टी **बनाम** भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण [(1980)2 उम०नि०प०961 =(1979)3 एस० सी० सी० 489]के मामले से हमारे द्वारा एकत्रित अनेक कसौटियों को संचयित आधार पर, किसी अमुक मामले पर लागू करने पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए काफी सामग्री है कि भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन अनुच्छेद 12 के व्यापक अर्थ के भीतर 'राज्य' है। 'भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन...अन्य प्राधिकारी' अभिव्यक्ति का आम भाषा में महत्त्व बहुत ही स्पष्ट है और ऐसे विकृत आधारों पर, जैसे कि विधिक व्यक्ति कानूनी निगम होना चाहिए, उसे विधियां बनाने की शक्ति होनी चाहिए, कानून द्वारा न कि कानून के अधीन सृजित होना चाहिए आदि, आदि, अपवर्जन करने का कोई कारण नहीं है। विकासशील देशों का न्यायशास्त्र ऐसे कानूनी आडम्बर को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसकी सामण्ड (सामण्ड, ज्यूरिसप्रूडेंस, दसवां संस्करण, पृष्ठ 51) ने नुकताचीनी की थी—

भागतः अपने ऐतिहासिक विकास की पद्धतियों के कारण और भागतः मर्मज्ञता की ममता के प्रभाव के कारण, जो सदा विधिक मन की नैतिक दुर्बलता रही है, हमारी विधि अनावश्यक भेदभाव से भरी हुई हैं जिससे अनावश्यक भेदभाव का अम्बार और अधकि बढ़ जाता है किन्तु उसके महत्त्व में कोई वृद्धि नहीं होती है और वे इसका अधिकांश भाग इतना दुरूह बना देते हैं कि उसका अर्थ केवल विशेषज्ञ ही लगा सकते हैं।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चयों में अधिकथित कसौटियों के प्रकाश में हम अब यह अवधारित करने के लिए अग्रसर होते हैं कि फेडरेशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत सरकार के नियंत्रण के अधीन प्राधिकारी है अथवा नहीं ?

रिट पिटीशन का पैरा 8 निम्नलिखित है :--

"8. यह कि प्रत्यर्थी फेडरेशन राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सरकारी समिति है जिसका गठन लोक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए किया गया है। फेडरेशन की उपविधियों को उपविधि सं० 13 के अधीन उसे प्रदत्त शक्ति के आधार पर फेडरेशन का वर्तमान सम्पूर्ण निदेशक बोर्ड राजस्थान सरकार ने नामनिर्दिष्ट किया है। अन्यथा उपविधि सं० 16.1 भी राज्य सरकार को निदेशक बोर्ड के 12 में से 6 सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने का हकदार बनाती है। एक निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना होता है। उपविधि संख्या 16.1(ख) के अनुसार अध्यक्ष का, नामनिर्देशन राज्य सरकार को करना होता है और प्रबन्ध निदेशक का नामनिर्देशन भी, जो उपविधि संख्या 24.1 के आधार पर किया जाता है। फेडरेशन के वित्तीय स्रोत मुख्य रूप से सरकार से प्राप्त सहायता और ऋण हैं। अतः सभी आशयों और प्रयोजनों की दृष्टि से फेडरेशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत एक राज्य है।"

इसके उत्तर में, रिट-पिटीशन के उत्तर में गैर-पिटीशनरों (अपीलार्थियों) ने निम्नलिखित कथन किया था :--

"8. यह कि पैरा 8 से इन्कार किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 एक ऐसा उद्योग है जिसका दूध और उसके उत्पादों के विक्रय और वितरण से संबंधित कारबार पर एकाधिकार है। चूंकि प्रत्यर्थी दूध और उसके उत्पादों का विक्रय और वितरण करते हैं अतः उनके पास आय के अपने स्रोत हैं। प्रत्यर्थी स्थापना (फेडरेशन) के संचालन के लिए दैनन्दिन प्रबंध और नीतिविषयक मामलों की स्वयं व्यवस्था करते हैं। राज्य को प्रत्यर्थियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है। अतः प्रत्यर्थी सं० 1 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत राज्य नहीं कहा जा सकता है।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपविधि 4 का पैरा 4.4 निम्नलिखित है :—

"4.4. सरकार के निदेश के अनुसार डेयरी विकास योजनाओं का तैयार किया जाना तथा उनका कार्यान्वयन।"

उपविधि 8 का पैरा 8.1 निम्नलिखित है :—

"8.1. निम्नलिखित को फेडरेशन का सदस्य बनने की छूट होगी :—

(क) सहकारी दुग्ध संघ

(ख) राज्य सरकार

(ग) केन्द्रीय सरकार

(घ) कोई अन्य सहकारी संस्था, वित्तीय संस्था अथवा राज्य का उपक्रम।"

उपविधि 16 के पैरा 16.1 और 16.3 निम्नलिखित है :—

"16.1. फेडरेशन के कारबार का संचालन और प्रबन्ध उपविधि 16.3 में यथाउपबन्धित के सिवाय एक निदेशक बोर्ड करेगा जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :

(क) सदस्य दुग्ध संघों के पांच निदेशक, जिनका निर्वाचन प्रतिवर्ष सदस्य दुग्ध संघों के अध्यक्षों में से किया जाएगा।

(ख) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन निदेशक, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा।

(ग) एक निदेशक, जिसे केन्द्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट करेगी।

(घ) वित्तीय संस्थाओं का एक प्रतिनिधि, जिसे सरकार नामनिर्दिष्ट करेगी।

(ङ) एक डेयरी विशेषज्ञ, जिसे सरकार नियुक्त करेगी।

(च) प्रबन्ध निदेशक।"

16.3 इस उपविधि में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, फेडरेशन के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उसका (फेडरेशन) प्रथम निदेशक बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित है, सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। सरकार नामनिर्दिष्ट बोर्ड का कार्यकाल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगी। इन नियमों और इन उपविधियों में यथाउपवंधित नए दोर्ड का गठन किए जाने तक नामनिर्दिष्ट बोर्ड कार्य करता रहेगा।"

उपविधि 24 का पैरा 24.1 निम्नलिखित है :—

"फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति सरकार करेगी। वह फेडरेशन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और फेडरेशन के अच्छे और दक्ष प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा।"

उपरिनिर्दिष्ट उपविधियों से निम्नलिखित तथ्य उद्भूत होते हैं :—

(1) यह कि राज्य सरकार फेडरेशन की प्रधान वित्त-पोषक है,

(2) यह कि निदेशकों का नामनिर्देशन राज्य सरकार करती है और उनमें से एक अध्यक्ष होता है,

(3) यह कि एक निदेशक का नामनिर्देशन केन्द्रीय सरकार करती है,

(4) यह कि सरकार फेडरेशन के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उसके निदेशक बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष शामिल है, का नामनिर्देशन तीन वर्ष की अवधि के लिए करती है और उसे उसका कार्य-काल दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए वढ़ाने की शक्ति प्राप्त है।

प्रस्तुत मामले में रमन (2), सोम प्रकाश रेखी (8) और अंजय हासिया (6) के मामलों में अधिकथित कसौटियों पूरी हो गई हैं। हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि फेडरेशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की परिधि के अंतर्गत आता है और वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट-अधिकारिता के अधीन है। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई भूल नहीं की है कि फेडरेशन सरकार के नियंत्रण के अधीन एक 'प्राधिकारी' होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थांतर्गत राज्य है। अत. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल का पहला तर्क अस्वीकार किया जाता है।

9. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल का दूसरा तर्क यह था कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में भूल की है कि आदेश (उपा०2) नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और विभागीय जांच का उपबन्ध करने वाली विधि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के सुसंगत उपबन्धों का अतिक्रमण करते हुए पारित किया गया है। उसने यह निवेदन किया कि आदेश (उपा० 2) सेवा-समाप्ति का आदेश मात्र है और वह औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 के खण्ड 17 के साथ पठित उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची की मद संख्या 8 को ध्यान में रखते हुए पारित किया जा सकता था। अधिनियम की धारा (2)(छ) में "स्थायी आदेश" को अनुसूची में उपवर्णित विषयों से संम्बधित नियमों के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 3(2) में यह बताया गया है कि अनुसूची में उपवर्णित प्रत्येक मामले के बारे में जो औद्योगिक स्थापना पर लागू होता हो ऐसे प्रारूप में उपबन्ध किया जाएगा और जहां आदर्श स्थायी आदेश विहित कर दिए गए हों वहां जहां तक व्यवहार्य हो, यह ऐसे आदर्श (स्थायी आदेशों) के अनुरूप होगा। अधिनियम से संलग्न अनुसूची में उन विषयों के संबंध में उपबन्ध दिए गए हैं जिनकी व्यवस्था उक्त अधिनियम के अधीन स्थायी आदेशों में की जानी है। उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची की मद संख्या 8 निम्नलिखित रूप में है :—

> "8. नियोजन का पर्यवसान तथा नियोजक और कर्मकारों द्वारा उसकी सूचना का दिया जाना।"

राजस्थान में औद्योगिक नियोजनों पर स्थायी आदेशों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963 (जिन्हें इसमें आगे 1963 के नियम कहा गया है) बनाए। 1963 की नियमावली का नियम 18 कदाचार कें लिए अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में है।

10. अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल श्री डी० के० परिहार ने **मैसर्स यू० आई० सी० पेपर मिल्स बनाम पीठासीन अधिकारी**[1] का अवलंब लिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया था कि कम्पनी अपने स्थायी आदेशों के अनुसार किसी कर्मकार की सेवा समाप्त करने तथा अभिकथित कदाचार के संबंध में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का निर्णय ले सकती है। इस मत को व्यक्त करते समय **नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कम्पनी** बनाम **श्रीपति राव**[2] का अनुसरण किया गया। उस मामले में प्रबंधमण्डल का आदेश सेवा-समाप्ति

[1] एक प्रतिवेदित मामला।

[2] 1958 (2) एल० एल० जे० 9.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का आदेश था न कि पदच्युति का। कर्मकार को सेवा-समाप्ति की सूचना के बदले उसके वेतन का भुगतान किया गया था। यदि प्रबन्धमंडल का आशय उसे कदाचार के लिए दण्डित करना होता तो उसे उसके वेतन का भुगतान न किया जाता। उसने (प्रबन्धमंडल) अपने स्थायी आदेशों की प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का पालन किया था। आदेश में सेवा-समाप्ति के कारणों का भी कथन किया गया था। उन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रबंधमंडल ने कदाचार के लिए पदच्युचित से संबंधित स्थायी आदेश के अधीन कार्रवाई न करके सेवा-समाप्ति से सबंधित आदेश के अधीन कार्रवाई की थी अतः प्रबंधमंडल का आदेश किसी प्रकार की अवधिमान्यता से ग्रस्त नहीं था।

11. प्रस्तुत मामले में आदेश (उपा० 2) से यह स्पष्ट है कि उसमें कदाचार संबंधी कार्यों का कथन किया गया था और महाप्रबन्धक ने यह निर्णय लिया था कि उसके लिए पिटीशनर को एक भी दिन के लिए सेवा में बनाए रखना उचित नहीं था क्योंकि वह उसमें अपना विश्वास खो चुका था और इसके अतिरिक्त यह कि विभागीय जांच करना सम्भव नहीं था। अतः उसने पिटीशनर की सेवा तत्काल समाप्त कर दी थी। **मैसर्स यू० आई० सी० पेपर मिल्स का मामला**[1] अपीलार्थियों के विद्वान् काउन्सेल की कोई सहायता नहीं करता। प्रस्तुत मामले में, कदाचार के आधार पर पिटीशनर की सेवाएं समाप्त करने से पूर्व 1963 के नियम में उपबन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। यहां तक कि सुने जाने अथवा कारण बताने का अवसर देने की न्यूनतम अपेक्षा का भी अनुपालन नहीं किया गया। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत भंग किए गए थे। अतः विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया था कि पिटीशनर की सेवाएं उचित जांच के बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए समाप्त की गई थीं।

12. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री डी० के० परिहार द्वारा उठाया गया तीसरा मुद्दा यह है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में भूल की थी कि पिटीशनर को सेवा में बहाल किया जाए। विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि चूंकि पिटीशनर की सेवाएं विश्वास खाने के आधार पर समाप्त की गई थीं इसलिए उसकी बहाली का निदेश अवैध था। इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री एम० मृदुल ने यह निवेदन किया कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहाली का निदेश सही रूप से दिया गया था।

---

[1] एक प्रतिवेदित मामला।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

13. **रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी** बनाम **चोपड़ा**[1] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि सामान्य नियम यह है कि पदच्युति के अविधिमान्य आदेशों के मामलों में औद्योगिक न्यायनिर्णयन किसी पदच्युत कर्मचारी की बहाली का निदेश देगा भले ही वह उसकी ऐसी सदोष पदच्युति को सेवा-समाप्ति की कोटि में न रखे जिसके परिणामस्वरूप उसे मालिक और नौकर संबंधी विधि के अधीन केवल नुकसानी का अधिकार मिलता हो। वह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए बहाली का आदेश देने से इनकार कर सकता है यदि उसे ऐसा आदेश देना अनुचित, असमुचित अथवा असमीचीन लगता हो। यहां रिपोर्ट के पृष्ठ 7 का निम्नलिखित अंश उद्धृत करना उपयोगी होगा :—

> "क्षेत्रीय प्रबंधक यह भी सोच सकता है कि जो प्रत्यर्थी अब कम्पनी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र कर सका है वह भविष्य में और अधिक खतरनाक तथा हानिप्रद प्रकृति का साक्ष्य एकत्र कर सकता है। यह स्पष्ट है कि यदि वह, बहाली किए जाने पर, प्रत्यर्थी में विश्वास नहीं रख सकता तो वह आशुलिपिक के रूप में उसकी सेवाओं का कोई लाभ नहीं उठा सकता। इन परिस्थितियों में हमारे विचार से अधिकरण का यह कर्तव्य था कि वह अपने इस निष्कर्ष के बावजूद, कि प्रत्यर्थी की सेवाएं दोषपूर्वक समाप्त की गई थीं, उसकी बहाली का निदेश न देकर उसे उचित प्रतिकर दिए जाने का निदेश देता।"

यहां यह उल्लेखनीय है कि उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी ने केवल एक वर्ष तक सेवा की थी और सक्षम आशुलिपिकों को समुचित नियोजन प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होती, कम्पनी को यह निदेश दिया था कि वह प्रत्यर्थी को 307-00 रुपये प्रतिमास की दर पर एक वर्ष के वेतन के बराबर प्रतिकर दे। मामले के विलक्षण तथ्यों और परिस्थितियों के कारण ही उच्चतम न्यायालय ने बहाली का निदेश अपास्त किया था। **पनटोल टी एस्टेट** बनाम **कर्मकार**[2] में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :—

> "यह प्रश्न कि किसी कर्मकार की दोषपूर्ण पदच्युति अपास्त किए जाने पर उसे सेवा में बहाल किया जाना चाहिए या उसे प्रतिकर

[1] (1970) 1 एल० एल० जे० 63.

[2] [1971] 2 उम० नि० प० 294=1971 (4) लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 1235.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संदत्त करने का निदेश देना चाहिए उस श्रम न्यायालय या अधिकरण के, जो ऐसे औद्योगिक विवाद का निपटारा करता है, न्यायिक विवेकाधिकार के अन्तर्गत होता है और किन्ही विशेष परिस्थितियों के अभाव में साधारण नियम यह होता है कि उसे सेवा में बहाल कर दिया जाए। इस विवेकाधिकार के प्रयोग में एक ओर तो कर्मचारी के साथ उचित व्यवहार और दूसरी ओर नियोजक के हित को ध्यान में रखना पड़ता है और इसके अन्तर्गत स्थापना में अनुशासन की ऐसी समस्याओं पर भी, जो सम्यक् रूप से सुरक्षा के लिए आवश्यक हों, ध्यान दना पड़ता है। यह बात कर्मचारी की पदावधि की सुरक्षा और स्थापन में सौहार्दपूर्ण काम करने की दृष्टि से आवश्यक होती है। यदि ऐसे आदेश से यह अपेक्षा की जानी है कि औद्योगिक शांति तथा अत्यधिक उत्पादन के वांछित उद्देश्य की पूर्ति हो तो उपर्युक्त दोनों विधिसंगत हितों को दृष्टि में रखना पड़ता हैं। इसके लिए कर्मचारी की सेवा का पिछला रिकार्ड, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने के लिए अधिकथित आचरण का स्वरूप, नियोजक के आदेश को अपास्त करने के आधार, संपृक्त कर्मचारी द्वारा किए गए कर्त्तव्य का स्वरूप और औद्योगिक स्थापना का स्वरूप, जैसे इन सब मोटे तौर पर सुसंगत तथ्यों पर विचार करना आवश्यक होता है। अभी जो तथ्य बतलाए गए हैं वे उदाहरण मात्र हैं और निःशेष रूप में उन्हें गिनाना संभव नहीं है। प्रत्येक मामले का विनिश्चय उसके तथ्यों के आधार पर करना पड़ता है और साधारणतया सभी संभाव्य आकस्मिकताओं को अन्तर्गत करने वाला कोई सुनिश्चित अधिकथित नहीं किया जा सकता। नियोजक और कर्मचारी के परस्परविरोधी दावों में समुचित संतुलन को औद्योगिक शांति तथा प्रगति के व्यापक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बनाए रखना पड़ता है। हिन्दुस्तान स्टील [(1970) 1 एल० एल० जे० 228=ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1401] के मामले में इस न्यायालय ने बहाली के आदेश के स्थान पर प्रतिकर संदाय करने का आदेश इस आधार पर प्रतिस्थापित किया था कि कम्पनी को पुलिस की रिपोर्ट और सुरक्षा अधिकारी की सिफारिश से यह दर्शित होता था कि सुरक्षा के कारणों से कर्मचारी को बहाल करना वांछनीय नहीं था।"

ऐसा ही एक प्रश्न **दिल्ली परिवहन निगम** बनाम **श्री राम कुमार**[1] के मामले में

[1] 1982 (1) एल० एल० एन० 302.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उठा था जिसमें निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :—

"प्रबन्धमण्डल का यह स्वकथन, कि उसने कर्मकार में अपना विश्वास खो दिया है, कोई ऐसा मंत्र नहीं जिसका प्रयोग करके प्रबन्धमण्डल अपनी खुशी से किसी कर्मकार को बहाली का साधारण अनुतोष प्रदान करने से उस स्थिति में भी इन्कार कर सकता है जब उसकी पदच्युति अनुचित पाई गई हो। विश्वास खोने के अभिवाक् का इस तथ्य के साथ कुछ-न-कुछ तर्कयुक्त संबंध होना चाहिए कि कर्मचारी ने अपनी वैश्वासिक स्थिति का दुरुपयोग किया था जिसके कारण उसे सेवा में बनाए रखना अवांछनीय हो गया था। किसी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा में विश्वास के खोने का तथ्य श्रम न्यायालय के समक्ष किसी प्रबल साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। यदि कोई कर्मकार अपनी संदोष पदच्युति के अपास्त कर दिए जाने के पश्चात् सामान्यतः बहाल किए जाने का हकदार है तथा मामले के तथ्यों के आधार पर कोई ऐसी प्रबल सामग्री मिलनी सम्भव नहीं है जिसकी वजह से यह सोचा जा सके कि स्थापना ने कर्मकार की सत्यनिष्ठा में अपना विश्वास वस्तुतः खो दिया है तो वह (कर्मकार) बहाल किए जाने का हकदार है।"

उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चय पिटीशनर की बहाली के प्रश्न के अवधारण के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। प्रस्तुत मामले में पिटीशनर के विरुद्ध कोई जांच नहीं की गई थी। तथाकथित आदेश (उपा० 2) को पारित करने से पूर्व कदाचार सिद्ध नहीं किया गया है। सेवा-समाप्ति के आदेश के अपास्त कर दिए जाने के बाद बहाली एक साधारण उपचार है क्योंकि प्रस्तुत मामले में इस उपचार को देने से इन्कार करने की कोई विशेष परिस्थिति विद्यमान नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई खामी नहीं है।

14. इस अपील में हमारे विचारार्थ कोई और मुद्दा नहीं है। इस अपील में कोई सार नहीं है। अतः यह तदनुसार खारिज की जाती है।

15. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र दिए जाने की मौखिक प्रार्थना की है। हमारी राय में प्रस्तुत मामले में व्यापक हित का विधि का कोई ऐसा सारवान् तथ्य अंतर्ग्रस्त नहीं है जिसे उच्चतम न्यायालय से विनिश्चित कराने की आवश्यकता

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हो। अतः प्रमाणपत्र दिए जाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

अपील खारिज की गई।

अशोक/श०

नि० प० 1983 : राजस्थान—257

कमलेश कुमार खत्री बनाम जोधपुर विश्वविद्यालय

(Kamlesh Kumar Khatri *Vs.* The University of Jodhpur)

तारीख 4 फरवरी, 1983

[न्या० एस० के० मल लोढ़ा और न्या० (कुमारी) कांता भटनागर]

1. संविधान, 1950, अनुच्छेद 226 सपठित जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1982, धारा 14, 16 और 17 सपठित जोधपुर विश्वविद्यालय परिनियम 9 और 9क तथा जोधपुर विश्वविद्यालय पाठ्य-विवरण, 1981-82, पैरा 11—पाठ्य-विवरण के पैरा 11 का फायदा लेने के लिए ऐसे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी के लिए, जो बी० ई० द्वितीय वर्ष परीक्षा में चार से अधिक यूनिटों में असफल नहीं रहा है, अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किए जाने हेतु सम्पूर्ण योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि वर्ष 1981-82 के पाठ्य-विवरण में कार्यपालक अनुदेश अंतर्विष्ट भी हों या उसकी प्रकृति प्रशासनिक भी हो, तब भी पिटीशनर को, पाठ्य-विवरण के अधीन उसे उपलब्ध अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसलिए तदधीन की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय में न्याय्य है और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसकी संवीक्षा कर सकता है।

2. जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962, धारा 14, 16 और 17 सपठित जोधपुर विश्वविद्यालय परिनियम 9 और 9क तथा जोधपुर विश्वविद्यालय पाठ्य-विवरण, 1981-82, पैरा 11—पाठ्य-विवरण के पैरा 11 का फायदा लेने के लिए ऐसे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी के लिए, जो बी० ई० द्वितीय वर्ष परीक्षा में चार से अधिक यूनिटों में असफल नहीं रहा है, अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किए जाने हेतु सम्पूर्ण योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि वर्ष 1981-82 के पाठ्य-विवरण में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कार्यपालक अनुदेश अंतर्विष्ट भी हों या उसकी प्रकृति प्रशासनिक भी हो, तब भी पिटीशनर को, पाठ्य-विवरण के अधीन उसे उपलब्ध अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसलिए तदधीन की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय में न्याय्य है और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसकी संवीक्षा कर सकता है।

3. जोधपुर विश्वविद्यालय परिनियम 9 और 9क सपठित जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962, धारा 14, 16 और 17 तथा जोधपुर विश्वविद्यालय पाठ्य-विवरण, 1981-82, पैरा 11—पाठ्य-विवरण के पैरा 11 का फायदा लेने के लिए ऐसे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी के लिए, जो बी० ई० द्वितीय वर्ष परीक्षा में चार से अधिक यूनिटों में असफल नहीं रहा है, अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किए जाने हेतु सम्पूर्ण योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि वर्ष 1981-82 पाठ्य-विवरण में कार्यपालक अनुदेश अंतर्विष्ट भी हो या उसकी प्रकृति प्रशासनिक भी हो, तब भी पिटीशनर को, पाठ्य-विवरण के अधीन उसे उपलब्ध अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसलिए तदधीन की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय में न्याय्य है और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसकी संवीक्षा कर सकता है।

4. जोधपुर विश्वविद्यालय पाठ्य-विवरण, 1981-82, पैरा 11 सपठित जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962, धारा 14, 16 और 17 तथा जोधपुर विश्वविद्यालय परिनियम 9 और 9क-पाठ्य-विवरण के पैरा 11 का फायदा लेने के लिए ऐसे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी के लिए, जो बी० ई० द्वितीय वर्ष परीक्षा में चार से अधिक यूनिटों में असफल नहीं रहा है, उसे अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किए जाने हेतु सम्पूर्ण योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि वर्ष 1981-82 के पाठ्य-विवरण में कार्यपालक अनुदेश अंतर्विष्ट हो भी या उसकी प्रकृति प्रशासनिक हो भी, तब भी पिटीशनर को, पाठ्य-विवरण के अधीन उसे उपलब्ध अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसलिए तदधीन की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय में न्याय्य है और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसकी संवीक्षा कर सकता है।

पिटीशनर को शैक्षणिक वर्ष 1980-81 में बैचलर आफ इंजीनियरिंग (माइन्स) की प्रथम वार्षिक स्कीम परीक्षा में प्रवेश दिया गया। उसने प्रथम बी० ई० वार्षिक परीक्षा में रसायन विज्ञान विषय में अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किए। तथापि, उसे अगली उच्चतर परीक्षा अर्थात् बी० ई० द्वितीय वर्ष में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञा दे दी गई। उसने रसायन विज्ञान विषय में सफलता प्राप्त कर ली, जिसके आधार पर उसे आगे अध्ययन करने के लिए अनुज्ञा दे दी गई। बी० ई० द्वितीय वर्ष परीक्षा में, पिटीशनर रसायन विज्ञान-III, सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी और वैद्युत इंजीनियरी में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहा। उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, जैसा कि बी० ई० द्वितीय (वार्षिक स्कीम) परीक्षा, 1982 में प्राप्त अंकों के विवरण (उपाबंध-1) से स्पष्ट होता है। उसे अगली उच्चतर कक्षा, अर्थात् बी० ई० द्वितीय (वार्षिक स्कीम) परीक्षा, 1982 में प्राप्त अंकों के विवरण (उपाबंध-1) से स्पष्ट होता है। उसे अगली उच्चतर कक्षा, अर्थात् बी० ई० तृतीय वर्ष परीक्षा में पूर्वोक्त चारों प्रश्नपत्रों की बावत अध्ययन करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी गई। पिटीशनर ने कुल योग में भी 45% अंक प्राप्त नहीं किए। अतः उसने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन फाइल किया, जिसमें इस अनुतोष के लिए प्रार्थना की गई कि यह घोषित किया जाए कि पिटीशनर इंजीनियरी स्नातक पंचवर्षीय एकीकृत (पाठ्यक्रम I और II बी० ई०) से संबंधित वर्ष 1981-82 के पाठ्य-विवरण के पैरा/खण्ड II के अनुसार अध्ययन करने के लिए हकदार है और विश्वविद्यालय को—जोधपुर विश्वविद्यालय पाठ्य विवरण के पैरा 11 का फायदा पिटीशनर को देने और बी० ई० तृतीय वर्ष में प्रवेश देने और उन प्रश्नपत्रों में परीक्षा में बैठने के लिए भी अनुज्ञात करने का निदेश किया जाए, जिनमें वह बी० ई० द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहा है। विश्वविद्यालय ने हेतुक दर्शित करने की सूचना का उत्तर फाइल किया, जिसमें रिट पिटीशन का विरोध किया गया। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने वर्ष 1981-82 के पाठ्य-विवरण तथा परीक्षा और शिक्षण स्कीम (द्वितीय वर्ष बी० ई० परीक्षा) का अवलम्ब लेते हुए, रिट पिटीशन संक्षेपतः खारिज कर दिया। पिटीशनर ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश की शुद्धता को चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय में अपील फाइल की।

अभिनिर्धारित—अपील मंजूर की गई।

जोधपुर विश्व-विद्यालय पाठ्यविवरण, 1981-82 के पैरा 11 में अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन हेतु अनुज्ञात करने के लिए उपबंध अन्तर्विष्ट है। सिद्धान्त के प्रत्येक प्रश्नपत्र को एक यूनिट माना जाता है और प्रत्येक प्रयोगात्मक और सत्रात्मक परीक्षा को भी एक यूनिट माना जाता है। उसमें यह अधिकथित है कि किसी विशेष अभ्यर्थी को अगली उच्चतर कक्षा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में अध्ययन करने हेतु समर्थन बनाने के लिए आवश्यक है कि वह 4 से अधिक यूनिटों में अनुत्तोर्ण न हो। पैरा 11(ख) के अनुसार प्रथम पूर्ति परीक्षा प्रति वर्ष सत्र के मध्य में की जानी होती है और ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसे पैरा 11(क)के अनुसार अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने की प्रसुविधा दी गई है, प्रथम पूर्ति परीक्षा में बैठने का पात्र है। पैरा 11 द्वारा बी० ई० पाठ्यक्रम के उन अभ्यर्थियों को प्रसुविधा प्रदत्त की गई है, जो मुख्य परीक्षा में चार से अधिक यूनिटों में अनुत्तीर्ण नहीं हुए हैं और उन्हें अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, जिसके द्वारा वे प्रथम पूर्ति परीक्षा में बैठने के पात्र हो जाते हैं, जो सत्र के मध्य में की जाती है। पैरा 11(ग) में प्रति वर्ष ग्रीष्म ऋतु के दौरान की जाने वाली द्वितीय पूर्ति परीक्षा का उपबंध किया गया है और केवल उन अभ्यर्थियों को ही, जो प्रथम पूर्ति परीक्षा में असफल रहे हों द्वितीय पूर्ति परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जाता है। बी० ई० द्वितीय वर्ष की परीक्षा और शिक्षण स्कीम में यथा प्रयुक्त "उत्तीर्ण होने के लिए" शब्दों का पैरा 11 में प्रयोग नहीं किया गया है। पैरा 12(क) में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को बी० ई० तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने बी० ई० प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सभी यूनिटों में सफलता प्राप्त न कर ली हो। पैरा 21 द्वारा अभ्यर्थी को पैरा 11 के अनुसार अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त प्रसुविधा भी प्रदत्त की गई है, भले ही वह मानविकी वर्ग के विषयों में असफल रहा हो, क्योंकि इन विषयों का उल्लेख पैरा 11 में वर्णित चारों यूनिटों के अतिरिक्त किया गया है और ऐसे अभ्यर्थी से केवल पश्चात्वर्ती वर्गों में मानविकी वर्ग के विषयों में उत्तीर्ण होने की ही अपेक्षा की जाती है, जब नियमित छात्रों के लिए परीक्षाएं की जाती हैं और उसका बी० ई० चतुर्थ वर्ष परीक्षा का परिणाम केवल उस स्थिति में ही घोषित किया जाएगा और उसे बी० ई० अन्तिम वर्ष के पाठ्यक्रम में केवल उस स्थिति में ही प्रवेश दिया जाएगा, जब वह इस वर्ग सफलता प्राप्त कर लेता है। पैरा 15 श्रेणी प्रदान किए जाने के संबंध में है और "उत्तीर्ण के लिए" अभ्यर्थी से कम-से-कम 45% अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। पैरा 15 (ख) के अधीन बी० ई० अंतिम वर्ष के परिणाम को घोषित करने के प्रयोजन के लिए, अंकों का योग किए जाने किए जाने की पद्धति और रीति का उपबंध किया गया है। जहां तक बी० ई० द्वितीय वर्ष का संबंध है, उसमें यह अधिकथित किया गया है कि 50% अंक प्राप्त किए जाने चाहिए। (पैरा 9)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किसी अभ्यर्थी को न केवल लिखित प्रश्नपत्रों के दो वर्गों से अनधिक या किन्हीं दो प्रयोगात्मक परीक्षाओं से अनधिक या लिखित प्रश्नपत्रों के एक वर्ग से अनधिक या केवल एक प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कुल योग में 45% अंश भी प्राप्त करने चाहिए। पाठ्य-विवरण के पैरा 11 में सम्पूर्ण योग में 45% अंकों से संबंधित कोई उपबंध नहीं है। इस प्रकार वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 के पाठ्य-विवरण के पैरा 11 में सम्पूर्ण योग में 45% अंश प्राप्त करने के संबंध में लोप हुआ है। (पैरा 10)

निर्वचन के सुस्थिर सिद्धान्तों के अनुसार यह उपधारणा की जाती है कि विधानमण्डल द्वारा प्रयुक्त भिन्न-भिन्न शब्दावली का अभिप्राय भी भिन्न-भिन्न होता है। यदि एक ओर 1979-80 एवं 1982-83 के पाठ्यक्रम का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि 1981-82 के पाठ्य-विवरण विहित करने वाले प्राधिकारी की ओर से इस आशय का साशय लोप किया गया था कि अभ्यर्थी के लिए योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं था, जिससे कि वह अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन जारी रखने के लिए समर्थ हो सके, जैसा कि पाठ्य-विवरण के पैरा 11 में प्रकल्पित है। (पैरा 11)

मामले का एक और पहलू है। यदि यह दलील स्वीकार कर ली जाती है कि पाठ्य-विवरण के पैरा 11 के अनुसार, अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने हेतु अभ्यर्थी को न केवल चार से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं होना चाहिए बल्कि योग में 45% अंक भी प्राप्त करने चाहिए, तो इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे अभ्यर्थी को दो प्रक्रमों पर 45% अंक अवश्य ही प्राप्त करने चाहिए : (1) पैरा 11 के अनुसार अगली उच्चतर कक्षा (तृतीय बी० ई०) में अध्ययन करने के लिए योग में 45% अंक; और (2) द्वितीय बी० ई० परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे सम्पूर्ण योग में 45% अंक अवश्य ही प्राप्त करने चाहिए, जो अनुध्यात नहीं किया गया है। (पैरा 12)

पाठ्य-विवरण के पैरा 7, 11, 12, 15 और 21 का परिशीलन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि पिटीशनर पैरा 11 के अनुसार अगली उच्चतर कक्षा—बी० ई० तृतीय वर्ष में अध्ययन करने और बी० ई० तृतीय वर्ष कक्षा में प्रवेश पाने के लिए तथा उन प्रश्नपत्रों में परीक्षा में बैठने के लिए भी हकदार है, जिनमें वह असफल रहा है, क्योंकि वह केवल चार यूनिटों में ही असफल रहा है। उसके लिए पैरा 11 के अधीन अगली उच्चतर कक्षा—बी० ई० तृतीय वर्ष में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किए जाने हेतु सम्पूर्ण योग में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

45% अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। (पैरा 14)

पाठ्य-विवरण के पैरा 11 से संबंधित बी० ई० द्वितीय वर्ष (वार्षिक स्कीम) परीक्षा, 1982 में प्राप्त अंकों के विवरण (उपाबंध-1) में किया गया निर्वचन पाठ्यविवरण के पैरा 11 में प्रयुक्त भाषा को देखते हुए उचित प्रतीत नहीं होता है और चूंकि वह स्पष्टतः प्रतिकूल आशय का और उसकी भाषा के विपरीत है, अतः न्यायालए को इस बात का अधिकार है कि वह उस गलती को ठीक करे, जो पाठ्य-विवरण के पैरा 11 का निर्वचन करने में हुई है। (पैरा 16)

इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि पाठ्य-विवरण के विभिन्न पैरा कानूनी उपबंध हैं या नहीं, क्योंकि यदि पाठ्यविवरण में कार्यपालक अनुदेश हो भी या उसकी प्रकृति प्रशासनिक भी हो, तब भी पैरा 11 के निर्वचन को, जैसा कि विश्वविद्यालय के विद्वान् काउन्सेल द्वारा किया गया है, यदि वह, उसकी भाषा को देखते हुए, उचित सिद्ध नहीं होता है, पिटीशनर द्वारा चुनौती दी जा सकती है और उसे इस न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है और इस प्रकार तदधीन की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय में न्याय्य है। (पैरा 21)

कार्यपालक अनुदेशों या ऐसे अनुदेशों के मामले में भी, जिनकी प्रकृति प्रशासनिक है, यदि किसी व्यक्ति का अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, तो न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, व्यथित पक्षकार को समुचित अनुतोष दे सकता है। (पैरा 21-24)

		पैरा
[1972]	[1972] 3 उम० नि० प० 189=ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 2284 : एन० नारायणस्वामी **बनाम** जी० पन्नेरसेल्वम् (N. Narayanaswami *Vs.* G. Panner Selvam);	11
[1982]	1982 डब्ल्यू० एल० एन० 592 : के०एल० राजपुरोहित **बनाम** जोधपुर विश्वविद्यालय (K. L. Rajpurohit *Vs.* University of Jodhpur);	21

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1980]	[1980] 1 उम० नि० प० 856=ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 888 : मध्य प्रदेश राज्य **बनाम** राम रघुवीर प्रसाद (State of M. P. *Vs.* Ram Raghubir Prasad);	21
[1968]	आई० एल० आर० (1968) XIII राजस्थान 712 : श्रीमती प्रीति प्रभा **बनाम** डा० सी० पी० सिंह (Mrs. Priti Prabha *Vs.* Dr. C. P. Singh);	21
[1964]	1964 आर० एल० डब्ल्यू० 328 : वीरेन्द्र कपूर **बनाम** जोधपुर विश्वविद्यालय (Virendra Kapur *Vs.* University of Jodhpur);	21
[1961]	आई० एल० आर० (1961) 11 राजस्थान 16 : वस्तुलाल **बनाम** लिक्वीडेटर पी० सी० बैंक लि० (Vastulal *Vs.* Liquidator P. C. Bank Ltd.)	11

से **सहमित** व्यक्त की गई।

[1982]	1982 का एकल न्यायपीठ सिविल रिट पिटीशन सं० 442, जिसका विनिश्चय तारीख 12 मई, 1982, को किया गया : सीता राम **बनाम** जोधपुर विश्वविद्यालय (Sita Ram *Vs.* University of Jophpur)	13

से **असहमति** प्रकट की गई।

[1981]	1981 डब्ल्यू० एल० एन० 18 : महेन्द्र सिंह **बनाम** जोधपुर विश्वविद्यालय (Mahendra Singh *Vs.* University of Jodhpur);	15
[1980]	1980 (4) एस० सी० सी० 480 : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय **बनाम** बी० एस० नरवाल (Jawaharlal Nehru University *Vs.* B. S. Narwal);	15

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1979] 1979 आर० एल० डब्ल्यू० 493 : गिर राज प्रसाद कोशी बनाम राजस्थान राज्य (Gir Raj Prasad Kaushi *Vs.* State of Rajasthan); 18

[1975] ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 984 : एम० सी० खण्डेलवाल बनाम चैयरमैन, बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन (M. C. Khandelwal *Vs.* Chairman, Board of Secondary Education); 19

[1973] 1973 (1) एस० एल० आर० 910 : विजय मेहता बनाम राज्य (Vijay Mehta *Vs.* State); 19

[1965] ए० आई० आर० 1965 एस० सी० 491 : मैसूर विश्वविद्यालय बनाम गोविन्द राव (Universiry of Mysore *Vs.* Govind Rao) 15

निर्दिष्ट किए गए।

अपीली (सिविल-विशेष) अधिकारिता : 1982 की सिविल विशेष अपील सं० 720.

राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश (आर्डीनेंस), 1947 की धारा 18 के अधीन विशेष अपील।

अपीलार्थी की ओर से ... सर्वश्री एम० मृदुल और आर० वालिया

प्रत्यर्थी की ओर से ... सर्वश्री एच० एम० पारिख और डी० आर० भण्डारी

न्यायालय का निर्णय न्या० एस० के० मल लोढ़ा ने दिया।

न्या० लोढा :

अपीलार्थी कमलेश कुमार ने, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'पिटीशनर' कहा जाएगा, विद्वान् एकल न्यायाधीश के तारीख 2 दिसम्बर, 1982 के आदेश के विरुद्ध, जिसके द्वारा उन्होंने रिट पिटीशन संक्षेपतः खारिज कर दिया था, राजस्थान उच्च न्यायालय आर्डीनेंस, 1949 की धारा 18 के अधीन यह अपील फाइल की है।

2. उन मुद्दों को ठीक-ठीक समझने के लिए, जिन पर हमारे समक्ष

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेलों ने जोर दिया है, सुसंगत तथ्यों का उल्लेख उचित होगा, जिनसे यह अपील उद्भूत हुई है।

3. पिटीशनर ने शैक्षणिक वर्ष 1980-81 में बैचलर आफ इंजीनियरिंग (माइन्स) की प्रथम वार्षिक स्कीम परीक्षा दी। उसने प्रथम बी० ई० वार्षिक परीक्षा में रसायन विज्ञान-I विषय में अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं किए। तथापि उसे अगली उच्चतर परीक्षा अर्थात् बी०ई० द्वितीय वर्ष में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञा दे दी गई। उसने रसायन विज्ञान-I विषय में सफलता प्राप्त कर ली, जिसके कारण उसे आगे अध्ययन करने के लिए अनुज्ञा दे दी गई। बी० ई० द्वितीय वर्ष परीक्षा में, पिटीशनर रसायन विज्ञान-III, सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरी और वैद्युत इंजीनियरी में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहा। उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, जैसा कि बी० ई० द्वितीय (वार्षिक स्कीम) परीक्षा, 1982 में प्राप्त अंकों के विवरण (उपाबंध-I) से स्पष्ट होता है। उसे अगली उच्चतर कक्षा, अर्थात् बी० ई० तृतीय वर्ष परीक्षा में पूर्वोक्त चारों प्रश्नपत्रों की बाबत अध्ययन करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी गई। पिटीशनर ने कुल योग में भी 45% अंक प्राप्त नहीं किए। अतः उसने तारीख 11 नवम्बर, 1982 को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन फाइल किया, जिसमें इस अनुतोष के लिए प्रार्थना की गई कि यह घोषित किया जाए कि पिटीशनर इंजीनियरी स्नातक पंचवर्षीय एकीकृत पाठ्क्रम (I और II बी० ई०) से संबंधित वर्ष 1981-82 के पाठ्यविवरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पाठ्यविवरण' कहा गया है) के पैरा/खण्ड II के अनुसार अध्ययन करने के लिए हकदार है और जोधपुर विश्वविद्यालय को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विश्वविद्यालय' कहा गया है) पिटीशनर को पैरा 11 के फायदे मंजूर करने और बी० ई० तृतीय वर्ष में प्रवेश देने और उन प्रश्नपत्रों में परीक्षा में बैठने के लिए भी अनुज्ञात करने का निदेश किया जाए, जिनमें वह बी० ई० द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहा है।

4. तारीख 12 नवम्बर, 1982 को हेतुक दर्शित करने की सूचना जारी की गई। विश्वविद्यालय ने हेतुक दर्शित करने की सूचना का उत्तर फाइल किया, जिसमें रिट पिटीशन का विरोध किया गया। उत्तर में निम्नलिखित मुख्य अभिवाक् किए गए :—

(1) चूंकि पिटीशनर 45% अंकों का योग प्राप्त करने में असफल रहा है, जैसा कि परीक्षा और शिक्षण स्कीम, बी०ई० द्वितीय वर्ष

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परीक्षा के साथ पठित पैरा 15 में उपबंध किया गया है, अतः वह पूर्ति परीक्षा (मेक-अप एक्जामिनेशन) के फायदे के लिए हकदार नहीं था;

(2) पाठ्य-विवरण के पैरा 11 को पैरा 15 के साथ पढ़ा जाना है और इस प्रकार पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पिटीशनर के लिए संपूर्ण योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। इस संबंध में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा विनिश्चित **सीता राम** बनाम **जोधपुर विश्वविद्यालय**[1] वाले मामले का भी अवलम्ब लिया गया।

(3) उन उपबंधों के अनुसार भी, जो उस समय प्रवृत्त थे, जब पिटीशनर को प्रवेश दिया गया था, वह पाठ्य-विवरण के पैरा 11 के फायदे के लिए हकदार नहीं था, जब तक कि वह योग में 45% अंक प्राप्त नहीं कर लेता है;

(4) पिटीशनर ने उन अनुतोषों के लिए, जिनके लिए उसने रिट पिटीशन में प्रार्थना की है, रिट पिटीशन फाइल करने से पूर्व विश्वविद्यालय को कोई अभ्यावेदन देकर न्याय की कोई मांग नहीं की और इसलिए रिट पिटीशन इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है;

(5) रिट पिटीशन विलम्बित है क्योंकि परिणाम तारीख 4 सितम्बर, 1982 को ही घोषित कर दिया गया था;

(6) चूंकि यह विश्वविद्यालय का आन्तरिक मामला है, अतः उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में, ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; और

(7) पाठ्य-विवरण कार्यपालक अनुदेश की प्रकृति का है और यदि पाठ्य-विवरण के किसी पैरा/खण्ड का भंग हुआ भी है, तब भी उससे पिटीशनर को, संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की वैवेकिक असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में इस न्यायालय में आने का कोई निहित अधिकार नहीं मिल जाता है।

---

[1] 1982 का एकल न्यायपीठ सिविल रिट पिटीशन सं० 442, जिसका विनिश्चय तारीख 12 मई, 1982 को किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

5. विद्वान् एकल न्यायाधीश ने ऊपर निर्दिष्ट **सीताराम वाले मामले**[1] और वर्ष 1981-82 के पाठ्यविवरण तथा परीक्षा और शिक्षण स्कीम, द्वितीय वर्ष बी० ई० परीक्षा, का अवलम्ब लेते हुए, रिट पिटीशन संक्षेपत: खारिज कर दिया। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, पिटीशनर ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के तारीख 2 दिसम्बर, 1982 के आदेश की शुद्धता को चुनौती देते हुए यह अपील फाइल की है।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल सर्वश्री एम० मृदुल और आर० वालिया तथा विश्वविद्यालय के विद्वान् काउन्सेल श्री एच० एम० पारिख को सुन लिया है।

7. अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल श्री एच० मृदुल ने अपील के समर्थन में यह दलील दी है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने ऊपर निर्दिष्ट **सीताराम वाले मामले**[1] में न्या० अग्रवाल द्वारा किए गए विनिश्चय का अनुसरण करके गलती की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वर्ष 1980-81 के पाठ्य-विवरण के पैरा 11 के अधीन, किसी भी अभ्यर्थी को योग में 45% अंक अवश्य ही प्राप्त करने चाहिए। उसके पश्चात् ही वह 1980-81 वर्ष के पाठ्य-विवरण के पैरा 11 के फायदे का दावा कर सकता है, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशनर का रिट पिटीशन खारिज कर दिया गया था। यह निवेदन किया गया कि पाठ्यविवरण के पैरा 11 के अधीन, विवक्षा द्वारा पैरा 15 सम्मिलित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक प्रक्रम पर योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक था किन्तु बाद में उसका विलोप कर दिया गया और इस प्रकार यह लोप साशय था। ऐसी स्थिति में, विद्वान् काउंसेल के अनुसार, जब योग में 45% अंक प्राप्त करने के उपबंध का विलोप कर दिया गया था, तो उसे पाठ्य-विवरण के पैरा 11 के अधीन विवक्षा द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता था। इसके अतिरिक्त, पैरा 11 और 15 को अलग-अलग पढ़ा जाना है और उन्हें इस रीति में नहीं पढ़ा जा सकता है जिससे उनका एक ही अर्थ निकाला जाए। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल श्री एच० एम० पारिख ने यह दलील दी कि पैरा 11 को पैरा 15 तथा परीक्षा और शिक्षण स्कीम, द्वितीय बी० ई० परीक्षा, के साथ पढ़ा जाना है और इस

---

[1] 1982 का एकल न्यायपीठ सिविल रिट पिटीशन सं० 442, जिसका विनिश्चय तारीख 12 मई, 1982 को किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रकार पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को द्वितीय बी० ई० परीक्षा में संपूर्ण योग में 45% अंक प्राप्त करने चाहिए, भले ही वह मुख्य परीक्षा में 4 से अनधिक यूनिटों में असफल रहा है, क्योंकि अगली उच्चतर परीक्षा में अध्ययन करने हेतु उसे अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए यह उपेक्षित है कि उसे संपूर्ण योग में 45% अंक अवश्य ही प्राप्त करने चाहिए। अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों का खण्डन करने के अतिरिक्त, हमारे विचारार्थ इस बात पर जोर दिया गया कि यदि पाठ्य-विवरण के पैरा 11 के दो निर्वचन किए भी जा सकते हैं, तब भी वह निर्वचन, जो विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, स्वीकार किया जाना चाहिए और न्यायालय को अपनी असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में, विश्वविद्यालय द्वारा किए गए निर्वचन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यह पाठ्य-विवरण में मात्र कार्यपालक अनुदेश अन्तर्विष्ट हैं क्योंकि वे किसी परिनियम या नियमावली के अधीन नहीं हैं और इसलिए निहित अधिकारों का कोई प्रश्न नहीं है। अतः कार्यपालक अनुदेशों का उल्लंघन होने के कारण अपीलार्थी संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलम्ब लेने के लिए हकदार नहीं हो जाएगा। विश्वविद्यालय के विद्वान् काउन्सेल, श्री एच० एम० पारिख ने भी यह निवेदन किया कि ऊपर निर्दिष्ट **सीताराम वाले मामले**[1] में न्या० अग्रवाल द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों से उसका सही विनिश्चय किया गया है और विद्वान् एकल न्यायाधीश का पिटीशनर के रिट पिटीशन को संक्षेपतः खारिज करना ठीक था।

8. हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेलों द्वारा दी गई दलीलों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है।

9. इस दलील की परीक्षा करने के लिए कि पिटीशनर को अगली उच्चतर परीक्षा बी० ई० तृतीय वर्ष में अध्ययन करने के प्रयोजन के लिए योग में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक था, हम जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम (1962 का अधिनियम सं० 17) (संक्षेप में जिसे 'अधिनियम' कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों और अधिनियम की धारा 21 के अधीन विरचित सुसंगत परिनियमों और पाठ्य-विवरण के तात्विक पैरा/खण्डों की अवेक्षा करना उचित समझते हैं।

---

1 1982 का एकल न्यायपीठ सिविल रिट पिटीशन सं० 442, जिसका विनिश्चय तारीख 12 मई, 1982 को किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिनियम की धारा 16 इस प्रकार है :—

*"16. अभिषद् (सिंडीकेट) विश्वविद्यालय का कार्यपालक निकाय होगी, और उसका गठन और पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।"

अधिनियम की धारा 17 विद्या परिषद् के सम्बन्ध में है । यह इस प्रकार है :—

"17. विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों (आर्डीनेंसी) के उपबंधों के अधीन, उसे नियंत्रण और सामान्य पर्यवेक्षण की शक्ति प्राप्त होगी, और वह विश्वविद्यालय के अन्दर शिक्षण शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी, और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं । उसे सभी शैक्षणिक मामलों पर अभिषद् को सलाह देने का अधिकार प्राप्त होगा । विद्या परिषद् का गठन और पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।"

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

"16. The Syndicate shall be the executive body of the University, and its Constitution and the terms of Office of its members, other than ex-officio members, shall be prescribed by the Statutes."

"17. The Academic Council shall be the Chief Academic Body of the University, and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and general supervision, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination within the University, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. It shall have the right to advise the Syndicate on all academic matters. The Constitution of the Academic Council and the term of the office of its members, other than ex-officio members, shall be prescribed by the Statutes."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परिनियम 9 और 9-क इस प्रकार है :—

"9. संकाय निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेंगे—

(i) विद्या परिषद् के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, संकाय को सौंपे गए विभिन्न विषयों के विभागों में शिक्षण और शोध कार्य आयोजित करना।

(ii) पाठ्यक्रमों तथा अध्ययन के विषयों की बावत बनाई गई समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, प्रत्येक परीक्षा के लिए अध्ययन विषयों और पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सिफारिशें विद्या परिषद् के सम्बन्ध में रखना।

(iii) डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशेष योग्यताओं के दिए जाने के लिए शर्तों के सम्बन्ध में सिफारिशें विद्या परिषद् के समक्ष रखना।

(iv) संकाय को सौंपे गए विषयों में कार्य का समन्वय करना।

(v) जब कभी भी वांछनीय हो, शोध कार्य में समन्वय सुनिश्चित करना।

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकारहै :—

"9. The Faculties shall perform the following functions :—

(i) Subject to the control of the Academic Council, to organise teaching and Research work in the Departments of studies assigned to the Faculty.

(ii) To recommend to the Academic Council Courses of study and curricula for each examination after considering the recommendations of the Committees of courses and studies.

(iii) To recommend to the Academic Council conditions for the award of degree, diplomas and other academic distinctions.

(iv) To co-ordinate work in subjects assigned to the Faculty.

(v) To secure co-ordination in research whenever desirable.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(vi) विभागों या संकायों के समुच्चय और उप-विभाजन के सम्बन्ध में सिफारिशें उस के समक्ष रखना।

(vii) विद्या परिषद् द्वारा संकाय को निर्दिष्ट किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में सिफारिशें विद्या-परिषद् के समक्ष रखना।

टिप्पण : सामान्य हित के मामलों में, जहां एक से अधिक संकायों की राय प्राप्त करना आवश्यक हो, कुलपति संबंधित संकायों की संयुक्त बैठक संयोजित कर सकेगा। ऐसी बैठकों में संबंधित संकायाध्यक्षों में से वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।"

"9क-(1) कला; सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और शिक्षा संकायों के सामने नीचे वर्णित विषयों में से प्रत्येक विषय के लिए पाठ्य-क्रमों और अध्ययन विषयों के लिए एक समिति होगी :—

(i) कला संकाय :— अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, दर्शन शास्त्र और संगीत।

(vi) To recommend to the Academic Council the combination and sub-division of the Dapart-ments of the Faculties.

(vii) To make recommendations to the Academic Council on any other matter referred to them by the Academic Council.

NOTE : In matters of common interest when it might be necessary to obtain the views of more than one faculty, the vice-Chancellor may convene a joint meeting of the Feculties concerned. At such meetings the Senior most of the Deans concerned shall preside."

"9-A (1) There shall be a Committee of Courses and studies for each of the subjects mentioned below against the Faculties of Arts, Social Sciences, Science and Education :—

(i) Faculty of Arts :—English, Hindi, Sanskrit, History, Philosophy and Music.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(ii) सामाजिक विज्ञान संकाय :—अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल।

(iii) विज्ञान संकाय :—भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान।

(iv) शिक्षा संकाय :—शिक्षा और मनोविज्ञान।

(2) वाणिज्य, विधि और इन्जीनियरी संकायों में, प्रत्येक के लिए एक पाठ्यक्रम और अध्ययन-विषय समिति होगी।

(3) समितियों में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(i) कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और शिक्षा संकायों में समितियां निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी—

(क) विभागाध्यक्ष, जो संयोजक भी होगा।

(ख) स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाए जाने वाले विषयों के मामले में, ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा संख्या में तीन से अनधिक और उपाधि स्तर तक पढ़ाए जाने वाले विषयों

(ii) Faculty of Social Science :—Economics, Sociology, Political Science and Geography.

(iii) Faculty of Science :—Physics, Mathematics, Chemistry, Zoology, Botany and Geology.

(iv) Faculty of Education :—Education and Psychology.

(2) In the Faculties of Commerce, Law and Engineering, there shall be one Committee of Course and Studies for each one of them.

(3) Committees shall consist of the following members :—

(i) In the Faculties of Arts, Social Sciences, Science and Education, the Committees shall be constituted as follows :—

(a) The head of the Department who shall also be the Convener.

(b) Readers not exceeding three in number by rotation in order of seniority in case of subjects taught upto the post-graduate

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के मामले में एक उपाचार्य (रीडर)।

(ग) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा एक व्याख्याता।

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भिन्न ऐसे दो व्यक्ति, जिन्हें संबंधित विषय का विशेष ज्ञान हो और जिन्हें संयोजक के परामर्श से कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा।

(ii) वाणिज्य संकाय में—

(क) विभागाध्यक्ष, जो संयोजक भी होगा।

(ख) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा संख्या में तीन से अनधिक उपाचार्य।

(ग) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा दो व्याख्याता।

(घ) ऐसे तीन व्यक्ति, जिन्हें संबंधित विषय का विशेष ज्ञान हो और जिन्हें संयोजक के परामर्श से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

---

standard, and one in case of subjects taught upto degree standard.

(c) One Lecturer by rotation in order of seniority.

(d) Two persons other than the teachers of the University having expert knowledge of the subject to be nominated by the Vice-Charcellor in consultation with the convener.

(ii) In the faculty of Commerce :—

(a) The Head of the Department who shall also be the convener.

(b) Readers not exceeding three in number by rotation in order of seniority.

(c) Two Lecturers by rotation in order of seniority.

(d) Three persons having expert knowledge of the subject to be nominated by the Vice-Chancellor in consultation with the convener.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(iii) विधि संकाय में—

(क) विभागाध्यक्ष, जो संयोजक भी होगा।

(ख) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा संख्या में दो से अनधिक उपाचार्य।

(ग) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा एक व्याख्याता।

(घ) ऐसे तीन व्यक्ति, जिन्हें संबंधित विषय का विशेष ज्ञान हो और जिन्हें संयोजक के परामर्श से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

(iv) बी० ई० डिग्री के लिए इंजीनियरी में पाठ्यक्रमों और अध्ययन विषयों की समिति में :—

(क) संकायाध्यक्ष, जो संयोजक भी होगा।

(ख) उन सभी विषयों के, जो संकाय को सौंपे गए हों, सभी विभागाध्यक्ष।

(ग) भौतिकी, गणित, रसायनविज्ञान और अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष।

(iii) In the faculty of Law :—

(a) The Head of the Department who shall also be the convener.

(b) Readers not exceeding two in number by rotation in order of seniority.

(c) One Lecturer by rotation in order of seniority.

(d) Three persons having expert knowledge in the subject to be nominated by the Vice-Chancellor in consultation with the convener.

(iv) In the Committee of Courses and Studies in Engineering for B.E. Degree :—

(a) The Dean of the faculty shall be the convener.

(b) All Heads of the Departments of subjects assigned to the Faculty.

(c) The Heads of the Departments of Physics, Mathematics, Chemistry and English.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(घ) संख्या में पांच से अनधिक ऐसे व्यक्ति, जिन्हें संबंधित विषय का विशेष ज्ञान हो और जिन्हें संयोजक के परामर्श से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

(v) स्नातकोत्तर उपाधि के लिए इंजीनियरी में पाठ्यक्रमों और अध्ययन विषयों की समिति में :—

(क) विभागाध्यक्ष, जो संयोजक भी होगा।

(ख) ज्येष्ठता-क्रम में, विभागाध्यक्ष से भिन्न दो शिक्षक।

(ग) विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भिन्न ऐसे दो व्यक्ति, जिन्हें संबंधित विषय का विशेष ज्ञान हो और जिन्हें संयोजक के परामर्श से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(5) पाठ्यक्रमों, और अध्ययन विषयों की समिति संबंधित संकाय को उनके अपने-अपने विषयों में अध्ययन-विषयों और

(d) Persons not exceeding five in number having expert knowledge in the subject to be nominated by the Vice-Chancellor in consultation with the convener.

(v) In the Committe of courses and Studies in Engineering for post-graduate degree :—

(a) The Head of the Department shall be the Convener.

(b) Two teachers other than the Head of the Department in order of seniority.

(c) Two persons other than the teachers of the University having expert knowledge of the subject to be nominated by the Vice-Chancellor in consultation with the Convener.

(4) The term of members other than Ex-Officio members shall be three years.

(5) The Committee of Courses and studies shall recommend to the faculty concerned courses of studies

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पाठ्यविवरणों की सिफारिश करेगी।"

अब हम पाठ्यविवरण के सुसंगत पैरा 7, 11, 12, 15 और 21 का अवलोकन करना उचित समझते हैं :—

*"7. (क) बी० ई० तृतीय वर्ष परीक्षा के लिए अध्ययन की सभी शाखाओं के लिए पृथक्-पृथक् पाठ्यक्रम होगा। कोई भी अभ्यर्थी, जिसने बी० ई० द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् इंजीनियरी संकाय में सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए विशेष शाखा में नियमित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है, अध्ययन की उस शाखा में बी० ई० तृतीय वर्ष परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

(ख) किसी विशेष शाखा में बी० ई० तृतीय वर्ष परीक्षा में बठने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से परीक्षास्कीम के अनुसार उस शाखा में संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी।"

"11. अध्ययन जारी रखने की अनुज्ञा का उपबंध—

(क) यदि कोई अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में चार यूनिटों से अनधिक असफल रहता है, तो उसे अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञा दे दी जाएगी। इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, सिद्धान्त

---

and curricula in their respective subjects.

*"7. (a) The Course of study for the Third B.E. Examination shall be separate for all branches of study. A candidate who after passing the Second B.E. Examination has attended a regular course of study in a particular branch for whole academic year in the Faculty of Engineering shall be eligible to appear at the Third B.E. Examination in that branch of study.

(b) Every candidate appering for the Third B.E. Examination in a particular branch shall be required to show competent knowledge of the subject in that branch as per examination scheme."

"11. Provision for allowed to keep term.

(a) If a candidate fails in not more than four units in the main examination, he shall be allowed to keep terms in the next higher class. For the purpose

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परीक्षा का प्रत्येक प्रश्नपत्र एक यूनिट के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक प्रायोगिक और सत्रात्मक प्रश्नपत्र एक यूनिट के रूप में माना जाएगा।

(ख) सत्र (सेशन) के मध्य में प्रति वर्ष प्रथम पूर्ति परीक्षा (मेक अप एक्जामिनेशन) होगी। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसे उपर्युक्त खण्ड 11(क) के अनुसार अगली उच्चतर कक्षा में अध्ययन करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, प्रथम पूर्ति परीक्षा (मेक अप एक्जामिनेशन) में बैठने के लिए पात्र होगा।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी के बारे में, जो किसी कारणवश मुख्य परीक्षा में किसी प्रश्नपत्र/कुछ प्रश्नपत्रों में बैठने में असमर्थ रहा, यह माना जाएगा कि वह इस प्रयोजन के लिए उस प्रश्नपत्र या उन प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हो गया है, और उसे उस प्रश्नपत्र या उन प्रश्नपत्रों में शीतकालीन परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि उन यूनिटों की संख्या, जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ है और जिनमें वे यूनिटें भी सम्मिलित हैं, जिनमें वह मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहा था, चार से अधिक नहीं हैं।

(ग) ग्रीष्म सत्र के दौरान प्रति वर्ष द्वितीय पूर्ति परीक्षा (मेक

---

of this clause, each theory paper shall be counted as one unit and each practical and sessional be counted as one unit.

(b) There shall be a first make up examination held each year in the middle of the session. A candidate who has been permitted to keep term in the next higher class as per clause 11(a) above only shall be eligible to appear at the Firs tmake up examination.

Note : A candidate, who was unable to appear at some paper (s) at the main examination due to some reason, shall be considered as having failed in that paper(s) for this purpose, and will be permitted to take up the winter examination in that paper (s) provided the number of units in which he has failed inclusive of those in which he was absent in the main examination, does not exceed four.

(c) There shall be a second make up

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अप एक्जामिनेशन) होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों को ही, जो प्रथम पूर्ति परीक्षा में असफल रहते हैं, द्वितीय पूर्ति परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।"

"12. (क) किसी भी अभ्यर्थी को बी० ई० तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने बी० ई० प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम को सभी यूनिटों में सफलता प्राप्त नहीं कर ली हो।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को बी० ई० चतुर्थ वर्ष पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने बी० ई० द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की सभी यूनिटों में सफलता प्राप्त न कर ली हो।

(ग) किसी भी अभ्यर्थी को बी० ई० अन्तिम वर्ष पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने बी० ई० तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम की सभी यूनिटों में सफलता प्राप्त न कर ली हो।"

"15. श्रेणी का प्रदान किया जाना :—

(क) बी० ई० प्रथम वर्ष से बी० ई० चतुर्थ वर्ष तक

प्रथम श्रेणी : यदि वह कम से कम 60% अंक प्राप्त करता है।

---

examination, held each year during summer. Only those candidates, who fail in the first make up examination, will be permitted to take up the second make up examination."

"12. (a) No candidate shall be permitted for regular study in Third B.E. unless he has cleared all the units of First B.E.

(b) No candidate shall be permitted for regular study in the Fourth B.E. unless he has cleared all the units of Second B.E.

(c) No candidate shall be permitted for regular study in the Final B.E. unless he has cleared all the units of Third B.E."

"15. Award of division :—

(a) First B.E. to Fourth B.E.

First Class : If he secures a minimum of 60 percent.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

द्वितीय श्रेणी : यदि वह कम से कम 50% अंक प्राप्त करता है।

पास श्रेणी : यदि वह कम से कम 45% अंक प्र:प्त करता है।

(ख) बी० ई० अन्तिम वर्ष : बी० ई० अन्तिम वर्ष के परिणाम की घोषणा के लिए अंकों का योग किस प्रकार किया जाएगा :—

बी० ई० प्रथम वर्ष : प्राप्त अंको के 25 प्रतिशत अंक।
बी० ई० द्वितीय वर्ष : प्राप्त अंकों के 50 प्रतिशत अंक।
बी० ई० तृतीय वर्ष : प्राप्त अंकों के 75 प्रतिशत अंक।
बी० ई० चतुर्थ वर्ष : प्राप्त अंकों के शत प्रतिशत अंक।
बी० ई० अन्तिम वर्ष : प्राप्त अंकों के शत प्रतिशत अंक।

(ग) बी० ई० अन्तिम वर्ष के परिणाम की घोषणा के लिए, डिप्लोमा स्रोत से या स्थानान्तरण द्वारा तृतीय वर्ष में प्रविष्ट छात्रों के लिए, अंकों का योग इस प्रकार किया जाएगा :—

बी० ई० तृतीय वर्ष : प्राप्त अंकों के 75 प्रतिशत अंक।
बी० ई० चतुर्थ वर्ष : प्राप्त अंकों के शत प्रतिशत अंक।
बी० ई० अन्तिम वर्ष : प्राप्त अंकों के शत प्रतिशत अंक।

Second Class : If he secures a minimum of 50 percent.

Pass Class : If he secures a minimum of 45 percent.

(b) Final B.E. : For the declaration of Final B.E. result, marks shall be totalled up as follows :—

First B.E. 25 percent of the marks secured.
Second B.E. 50 percent of the marks secured.
Third B.E. 75 percent of the marks secured.
Fourth B.E. 100 percent of the marks secured.
Final B.E. 100 percent of marks secured.

(c) For the students admitted into III year either from the Diploma stream or by migration for the declaration of Final B.E. result, marks shall be totalled up as follows :—

Third B.E. 75 percent of the marks secured.
Fourth B.E. 100 percent of the marks secured.
Final B.E. 100 percent of the marks secured.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(घ) अन्तिम वर्ष की परीक्षा में अभ्यर्थियों की योग्यता-स्थान अवधारित करने के लिए तृतीय, चतुर्थ और अन्तिम वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त अंक ही, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, गणना में लिए जाएंगे।

ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को आनर्स डिग्री दी जाएगी, जो कुल अंकों के कम से कम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को प्रथम श्रेणी दी जाएगी, जो कुल अंकों से कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

ऐसे किसी अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी, जो कुल अंकों के कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

शेष सफल अभ्यर्थियों को पास श्रेणी प्रदान की जाएगी।"

"21. मानविकी वर्ग के विषयों में असफल रहने वाला अभ्यर्थी आगे अध्ययन हेतु खण्ड 11 के अनुसार प्रोन्नति का पात्र होगा किन्तु ये विषय खण्ड 11(क) में वर्णित चार यूनिटों के अतिरिक्त होंगे। उसे पश्चात्वर्ती वर्षों में इस वर्ग में उत्तीर्ण होना होगा, जब नियमित छात्रों के लिए परीक्षाएं की जाएंगी। उसका बी० ई० चतुर्थ वर्ष परीक्षा का परिणाम केवल उसी स्थिति में घोषित किया जाएगा और उसे बी० ई०

(d) For determining merit position of the candidates at the Final year level ther marks obtained by them in the III, IV and Final Year as described above shall only be considered.

A candidate shall be awarded a degree with Honours if he secures a minimum of 70 percent of aggregate marks.

A candidate shall be awarded a degree with First Class if he secures a minimum of 60 per cent of aggregate marks.

A candidate shall be awarded degree with Second class if he secures a minimum of 50 percent of aggregate marks.

The rest of the suceessful candidates will be awarded Pass Class."

"21. A candidate failing in the subjcets of humanities group shall be eligible for promotion to keep terms, as in clause 11. However, these subjects shall be in addition to the four units mentioned in 11 (a). He shal have to pass in this group in subsequent years,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

खण्ड न्यायपीठ के विनिश्चय की ओर आकर्षित किया है। इस विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि विभाजन की कार्यवाहियां समाप्त हो गई थीं फिर भी पक्षकारों के बीच अग्रक्रय के प्रयोजनार्थ पूर्व सम्बन्ध अब भी विद्यमान थे और उस समय तक खत्म नहीं हुए थे जब तक कि विभाजन प्रभावी नहीं हो गया। इस निर्णय के आधार पर यह दलील दी गई कि यदि विभाजन की कार्यवाहियां समाप्त हो गई थीं तो भी उसे विभाजन के लिखत के तैयार करने तक प्रभावी किए जाने के लिए विचार नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त यह संकेत किया गया कि विभाजन के लिखत पर हस्ताक्षर न करने के लिए वादी द्वारा रोक आदेश इस प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त कर लिया गया था कि विभाजन प्रभावी न किया जाए और प्रभागीय आयुक्त ने वास्तव में इस प्रयोजन के लिए ही आदेश किया था। विद्वान् काउन्सेल ने **श्रीमती मथुरी और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में विनिश्चय को भी निर्दिष्ट किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 24 और 25 के अधीन यथाअन्तर्विष्ट उपबंधों का निर्वचन करते हुए माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रकार मत अभिव्यक्त किया :—

> "सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 24 और 25 के उपबंधों की परीक्षा से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। नियम 24 डिक्रियों के निष्पादन के लिए आदेशिका को जारी करने के सम्बन्ध में है और उसके उपनियम (3) में यह उपबंध किया गया है कि हर ऐसी आदेशिका में 'वह दिन विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिस दिन या जिसके पूर्व वह निष्पादित की जाएगी।' आगे नियम 25 में यह कहा गया है कि वह अधिकारी, जिसे आदेशिका का निष्पादन सौंपा गया है, उस पर वह तारीख जब, और वह रीति जिससे वह निष्पादित की गई है, और यदि उसके लौटाए जाने के लिए आदेशिका में विनिर्दिष्ट अन्तिम दिन से अधिक समय निकल गया है तो विलम्ब का कारण या यदि वह निष्पादित नहीं की गई थी तो वह कारण जिससे उसका निष्पादन नहीं किया गया है, पृष्ठांकित करेगा और उस आदेशिका को ऐसे पृष्ठांकन के साथ न्यायालय को लौटाएगा। श्री खन्ना ने यह दलील दी कि नियम 25 में 'विलम्ब का कारण' शब्द ऐसी स्थिति को अनुध्यात करते हैं जहां पर नियम 24 के अधीन उल्लिखित तारीख के पश्चात् आदेशिका निष्पादित की गई है। हमारी राय में इस दलील में कोई सार नहीं है। यदि

---

[1] ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 986.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नियम 25 को सम्पूर्ण रूप से पढ़ा जाए और नियम 24 के उपनियम (3) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नियम 25 में उल्लिखित 'विलम्ब' आदेशिका को लौटाने में विलम्ब को निर्दिष्ट करता है भले ही यह निष्पादन के पश्चात् हो या निष्पादन के बिना और निष्पादन में किसी विलम्ब को निर्दिष्ट नहीं करता। उपर्युक्त उद्धृत नियम 24 के उपनियम (3) में शब्दों से विधानमण्डल का यह स्पष्ट आशय दर्शाया गया है कि निष्पादन इस प्रयोजन के लिए आदेशिका में विनिर्दिष्ट तारीख तक पूरा किया ही जाना चाहिए। अन्यथा अभिनिर्धारित करना 'को या उससे पूर्व, जिसको यह निष्पादित की जाएगी' शब्दों के बल की उपेक्षा करना होगा। इस आधार के लिए कोई कारण नहीं है कि नियम 24 में यह उपबंध करने के पश्चात् कि आदेशिका उसमें इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व निष्पादित की जानी चाहिए। विधानमण्डल इन 'निष्पादित की जाएगी' शब्दों के प्रभाव को उस तारीख के पश्चात् भी निष्पादन के लिए अनुज्ञा देकर उसके प्रभाव को समाप्त नहीं करेगा। 'विलम्ब का कारण' शब्दों के प्रयोग में ऐसे आशय को पढ़ने के लिए कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह शब्द साधारण व्याकरणिक निर्वचन से न्यायालय को आदेशिका के वापस करने में विलम्ब के प्रति निर्देश करते हैं। अतः हमारा स्पष्ट यह मत है कि प्रस्तुत मामले में जहां अप्रैल में उस तारीख को विनिर्दिष्ट किया गया था जिसको या जिसके पूर्व उसे निष्पादित किया जाना था, 7 जून, 1960 से पूर्व विधि में निष्पादनीय है।"

इस विनिश्चय के आधार पर यह दलील दी गई कि पक्षकारों के अपने-अपने अंशों का कब्जा इसके निष्पादन की तारीख के पश्चात् परिदान किया गया था। इस प्रकार परिदान किया गया कब्जा अवैध और अप्रभावी था। विद्वान् काउन्सेल ने यह दर्शाने के लिए मेरा ध्यान **मूलराज बनाम मूर्ति रघुनाथ जी महाराज**[1] वाले मामले में विनिश्चय की ओर भी आकर्षित किया है कि यदि प्रभागीय आयुक्त द्वारा रोक आदेश मंजूर किए जाने के बावजूद राजस्व अधिकारी ने विभाजन का लिखत तैयार किया था तो भी उसका तैयार किया जाना अवैध था और राजस्व अधिकारी द्वारा रोक आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् उसे ठीक ही प्रतिसंहृत किया गया था। उसने उक्त निर्णय के पैरा 11 में की

[1] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1386.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गई मताभिव्यक्तियों को विनिर्दिष्ट किया है। सुसंगत मताभिव्यक्तियां इस प्रकार पुनः उद्धृत की जा सकती हैं :—

"यद्यपि वह न्यायालय, जो निष्पादन कर रहा है, रोक आदेश के पारित किए जाने के समय अपनी अधिकारिता से वंचित नहीं है यद्यपि इसको इसकी जानकारी है तो भी इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जब न्यायालय को इसकी जानकारी प्राप्त होती है तो वह उस किसी सम्भव अन्याय को समाप्त करने के लिए शक्तिहीन है जो कि उस पक्षकार को कारित हो जिसके पक्ष में न्यायालय को रोक आदेश की जानकारी उस अवधि के दौरान जिसमें रोक आदेश पारित किया गया था, नहीं है। हमारी राय यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के लिए सदैव उपलब्ध रहती है क्योंकि ऐसे मामले में जब न्यायालय की जानकारी में रोक आदेश लाया जाता है तो वह धारा 151 के अधीन सदैव कार्यवाही कर सकता है और रोक आदेश के पारित किए जाने के समय और इसकी सूचना दिए जाने के समय के बीच की गई कार्यवाहियों को अपास्त कर सकता है, यदि ऐसा करना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो और सम्बद्ध पक्षकार ऐसा करने की मांग करे। अतः यद्यपि डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय हमारी राय में निष्पादन को उस समय तक अपनी अधिकारिता से वंचित नहीं है जब तक कि उसे रोक आदेश की जानकारी हो। हमारी राय में न्यायालय को उस समय जबकि रोक आदेश पारित किया गया था और उस समय जबकि इसे न्यायालय की जानकारी में लाया गया था, के बीच की गई कार्यवाहियों को अपास्त करने की शक्ति है, यदि इससे ऐसा करने की मांग की जाती है और वह यह समझता है कि यह करना न्याय के उद्देश्यों के हित में आवश्यक है कि अन्तरिम कार्यवाहियों को अपास्त किया जाए।"

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेलों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है। मैंने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का भी परिशीलन किया है। मैंने हिमाचल प्रदेश लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल (हिमाचल प्रदेश भूमि अभिलेख मैनुअल) के अधीन विभाजन के लिखत को तैयार करने के लिए विहित प्ररूप का भी परिशीलन किया है और उसके अध्याय 18 और नियम 17 पर विचार भी किया है। निचले अपीली न्यायालय ने अपने निर्णय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में उसको पुन: उद्धृत किया है। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 133 और 134, जो प्रयोजन के लिए सुसंगत है, इस प्रकार उद्धृत की जा सकती है :—

*"133. विभाजन का लिखत—जब विभाजन पूरा हो जाता है तो राजस्व अधिकारी विभाजन का लिखत तैयार करेगा और उस तारीख, जिसको विभाजन प्रभावी किया जाना है, को उसमें अभिलिखित करेगा।

134. विभाजन पर आवंटित सम्पत्ति के कब्जे का परिदान—ऐसा स्वामी या किराएदार जिसको विभाजन की कार्यवाहियों में कोई भूमि या किराएदारी का कोई भाग, जैसी भी स्थिति हो, आवंटित की जाती है कार्यवाहियों के अन्य पक्षकारों और उनके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध उसके कब्जे का हकदार होगा और राजस्व अधिकारी उसको किसी ऐसे स्वामी या किराएदार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अंतिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन विभाजन की लिखत में अभिलिखित तारीख से तीन वर्ष के भीतर किसी समय उसको किए गए आवेदन पर उस लिखत को प्रभावी करेगा ताकि वह आवेदक से ऐसे सम्बद्ध है जैसे कि वह स्थावर सम्पत्ति के लिए डिक्री हो।"

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"133. Instrument of Partition—When a partition is completed, the Revenue Officer shall cause an instrument of partition to be prepared, and the date on which the partition is to take effect to be recorded therein.

134. Delivery of possession of property allotted on partition—An owner or tenant to whom any land or portion of a tenancy, as the case may be, is allotted in proceedings for partition shall be entitled to possession thereof as against the other parties to the proceedings and their legal representatives, and a Revenue officer shall, on application made to him for the purpose by any such owner or tenant at any time within three years from the date recorded in the instrument of partition under the last foregoing section, give effect to that instrument so as it concerns the applicant as if it were a decree for immovable property."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

8. परिणामतः मैं निचले अपीली न्यायालय के साथ इस बारे में सहमत हूं कि विभाजन की लिखत का तैयार करना केवल एक औपचारिकता नहीं है किन्तु यह विभाजन को विधिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। विभाजन के लिखत में उस तारीख, जिससे विभाजन को प्रभावी किया जाना है, को प्रदर्शित करना होता है। मैं वादी के विद्वान् काउन्सेल से इस बारे में सहमत हूं कि विभाजन को प्रभावी करने से पूर्व पक्षकारों को कब्जा दे दिया गया था तो भी इससे सहअंशधारी के रूप में वादी की हैसियत निर्वापित नहीं हो गई थी। इसके अतिरिक्त कब्जे के समर्थन को निष्पादित करने के लिए आदेश उसकी विधिमान्यता समाप्त होने के पश्चात् निष्पादित किया गया था। इसलिए सम्बद्ध पक्षकारों को कब्जे का यद्यपि परिदान किया भी गया था तो भी वह अप्रभावी था। इसके अतिरिक्त मैं वादी के विद्वान् काउन्सेल की इस दलील से सहमत हूं कि राजस्व अधिकारी ने उस विभाजन के लिखत को ठीक ही प्रतिसंहृत किया था जो वादी द्वारा अभिप्राप्त रोक आदेश के बावजूद तैयार किया गया था।

9. पूर्ववर्ती कारणों से मेरी राय यह है कि वादगत भूमि में सहअंशधारी के रूप में वादी की हैसियत को पृथक करने के लिए विभाजन विधिक रूप से प्रभावी नहीं हुआ है।

10. उपर्युक्त चर्चा का परिणाम यह है कि अपील खर्चे के साथ खारिज की जाती है और निचले अपीली न्यायालय द्वारा पारित डिक्री और निर्णय की पुष्टि की जाती है।

अपील खारिज की गई।

चन्द

नि० प० 1983 : हिमाचल प्रदेश—85

शिमला के नागरिक बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य

(Citizens of Simla *Vs.* State of Himachal Pradesh and another)

तारीख 14 जनवरी, 1983

[मु० न्या० वी० डी० मिश्र और न्या० व्योम प्रकाश गुप्ता]

पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1914—धारा 35 और 36 सपठित उत्पाद-शुल्क नीलाम, 1982-83 के लिए घोषणाओं का खण्ड 77 और 78—देशी और विदेशी शराब के विक्रय हेतु उत्पाद-शुल्क नीलाम के लिए घोषणाओं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में उल्लिखित शर्तों पर दुकानों के लिए अनुज्ञप्तियों का दिया जाना—यदि शराब की दुकानें शैक्षणिक संस्थाओं, पूजा के स्थानों, अस्पतालों, मान्यताप्राप्त श्रमिक या हरिजन बस्तियों से 200 गज से कम दूरी पर हैं और इसके लिए उपायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कोई प्रमाणपत्र मंजूर नहीं किया गया है तो इससे उत्पाद-शुल्क नीलाम 1982-83 के लिए घोषणाओं के खण्ड 77 और 78 का उल्लंघन होगा।

2. संविधान, 1950—अनुच्छेद 37 और 47— राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व—राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं किन्तु अनुच्छेद 47 ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य को मादक पेयों के उपभोग पर प्रतिषेध करने के बारे में आदेश देता है—मादक पेयों के विक्रय के लिए नीलाम के लिए घोषणाओं का उल्लंघन करके कार्यपालक शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और शराब की दुकानों के लिए अनुज्ञप्तियां मंजूर नहीं की जा सकतीं।

3. संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—'सुने जाने का अधिकार'—लोकहित के मामले में 'सुने जाने का अधिकार' ऐसे सभी व्यक्तियों को होता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई विधिक क्षति नहीं पहुंची है—यह नियम राज्य या लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी सदोष या अधिकारातीत कार्य या लोप द्वारा कारित लोक क्षति के मामलों को भी लागू होता है।

प्रस्तुत रिट पिटीशन में मुख्य विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या राज्य द्वारा वर्ष 1982-83 के लिए उत्पाद-शुल्क प्राप्त करने के लिए शराब की दुकानों की नीलाम के लिए घोषणाओं में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करके शैक्षणिक संस्थाओं, पूजा के स्थानों, अस्पतालों, मान्यताप्राप्त श्रमिक या हरिजन बस्तियों से 200 गज के भीतर और राष्ट्रीय राजमार्गों से सहजदृश्य स्थानों पर शराब की दुकानों को चलाने के लिए अनुज्ञप्तियां दी जा सकती हैं ?

अभिनिर्धारित—पिटीशन मंजूर किया गया।

पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 36 किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने वाले प्राधिकारी को ऐसे निर्बन्धनों के अध्यधीन, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अन्य बातों के साथ-साथ अनुज्ञप्ति के निबन्धनों या शर्तों में से किसी के भंग होने के लिए अनुज्ञप्तियों को रद्द करने या निलम्बित करने के लिए सशक्त बनाती है। धारा 5 राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और सामान्यतः मद्य-निषेध की नीति को कार्यान्वित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है। किन्तु धारा 13 राज्य सरकार को अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों को इस धारा में उल्लिखित के सिवाय वित्तीय आयुक्त को प्रत्यायोजित करने के लिए सशक्त बनाती है। राज्य सरकार वित्तीय आयुक्त द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट आयुक्त या कलक्टर या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक वर्ग को प्रत्यायोजित करने की भी अनुज्ञा दे सकती है। स्वीकृततः उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त ने विधि के अधीन घोषणाएं जारी की हैं। न्यायालय के समक्ष इस बारे में कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि उन दुकानों की बाबत, जो शैक्षणिक संस्थाओं, पूजा के स्थानों, अस्पतालों, मान्यताप्राप्त श्रमिक या हरिजन बस्तियों से 200 गज से कम दूरी पर हैं, उपायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारियों (शैक्षणिक संस्थाओं के मामले में) द्वारा कोई प्रमाणपत्र मंजूर नहीं किया गया है। अन्य शब्दों में स्वीकृततः सभी ऐसी दुकानें खोली गई हैं और खण्ड 77 के उल्लंघन में ऐसे स्थानों पर चल रही हैं। यह स्मरण रखा जाए कि दुकानें अवस्थिति या राजस्व सम्पदा के सम्बन्ध में नीलाम की जाती हैं और अनुज्ञप्तिधारी यह दावा नहीं कर सकते कि नए परिसर उस क्षेत्र और परिसर के अन्तर्गत निर्बन्धित होने चाहिए जिनमें पहले से ही दुकानें चल रही थीं (खण्ड 21)। अन्य शब्दों में केवल उस कारण से कि दुकान ऐसे परिसर में या अवस्थिति में घोषणाओं के उल्लंघन में चल रही थी, यह अर्थ नहीं होता है कि किसी अनुज्ञप्तिधारी को उसी परिसर में दुकान चलाने का अधिकार है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि नीति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है और उन दुकानों को, जो एक वर्ष के लिए नीलाम की जाती हैं, सम्बद्ध वर्ष के नीलाम की शर्तों का अनुपालन करना होता है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी उस परिसर में दुकान चलाने के लिए बाध्य नहीं हैं जिसमें यह पूर्ववर्ती वर्ष में चल रही थीं। अतः अनुज्ञप्तिधारी को यह कहने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह घोषणाओं में अन्तर्विष्ट नीलाम की शर्तों से बाध्य नहीं है क्योंकि सभी अनुज्ञप्तियां इन घोषणाओं (खण्ड 1) के अधीन ही दी गई हैं। यह सच है कि उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त को पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क कलक्टर की शक्तियां विनिहित की गई हैं। किन्तु वह किसी भी प्रकार से कल्पना करने पर उपायुक्त नहीं हो जाता जिसे खण्ड 77 के निबन्धनों में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश जनरल क्लाजिज ऐक्ट (हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा 2(12) में 'उपायुक्त' की परिभाषा दी गई है जिससे अभिप्रेत है 'जिले के सामान्य प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी'। अतः इस दलील को सीधे ही नामंजूर किया जाना चाहिए। न्यायालय इस

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निष्कर्ष पर पहुंचा है कि खण्ड 24 और 77 एक दूसरे से पृथक् और स्वतन्त्र हैं। खण्ड 77 का प्रयोजन प्रत्यक्षतः उसमें उल्लिखित स्थानों से दुकानों को दूर रख कर लोक कल्याण है। यह खण्ड अपनी प्रकृति के अनुसार अनिवार्य (आज्ञापक) है। निःसंदेह एकमात्र अपवाद यह है कि उपायुक्त और ऐसी दुकानों के मामलों में, जो शैक्षणिक संस्थाओं से 200 गज की दूरी पर है, जिला शिक्षा अधिकारी से भी प्रमाणपत्र लेकर और अन्य मामलों में उपायुक्त से प्रमाणपत्र लेकर दुकानें ऐसे स्थानों से 200 गज के अन्तर्गत चलाई जा सकती हैं। ये प्रमाणपत्र न तो मात्र औपचारिकताएं हैं और न ही नेमी रूप से दिए जाते हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए जब ये प्रमाणपत्र दिए जाते हैं तो इन प्राधिकारियों द्वारा आपवादिक कारण दिए जाते हैं। इस बात की ओर ध्यान दिया जा सकता है कि जो अपेक्षित है वह केवल कारण नहीं है किन्तु यह आवश्यक है कि उनका केवल आपवादिक होना भी आवश्यक नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा क्योंकि ये प्राधिकारी, जो कि राज्य की कार्यपालिका के अभिन्न अंग हैं, राज्य के अधिकतम राजस्व को किसी भी कीमत पर बढ़ाने के लिए प्रमाणपत्रों को देना प्रारम्भ नहीं करेंगे। खण्ड 22 के अधीन उप-उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त के कृत्य और उपायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी के कृत्य बिल्कुल भिन्न हैं। यह सम्भव है कि भले ही खण्ड 77 के अधीन प्रमाणपत्र दिए जाते हैं, उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त परिसरों का अनुमोदन न करे। परिसरों का अनुमोदन करना एक बात है किन्तु परिसरों की अवस्थिति बिल्कुल भिन्न मामला है। खण्ड 77 परिसरों की ऐसी अवस्थिति से सम्बद्ध है जबकि खण्ड 22 परिसरों के अनुमोदन से सम्बद्ध है। पंजाब शराब अनुज्ञप्ति नियमों के नियम 36 में नीलाम द्वारा अनुज्ञप्तियों को देने की प्रक्रिया अधिकथित की गई है। कलक्टर से यह अपेक्षित है कि वह नियम 36 के उपनियम (3) के अधीन नीलाम की तारीख और स्थान की समय से सूचना दे। उपनियम (4) में पीठासीन अधिकारी से सूचना और उन शर्तों को पढ़ कर सुनाने की अपेक्षा की गई है जिनके अध्यधीन नीलाम हुआ। न्यायालय के समक्ष इस बारे में कोई विवाद नहीं किया गया है कि नीलाम के समय घोषणाएं पढ़ी गई थीं और उनकी बोलियों को प्रतिग्रहण करने पर अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्तियां जारी की गई थीं और वे घोषणाओं की शर्तों के अध्यधीन हैं। यद्यपि यह राज्य और अनुज्ञप्तिधारियों के बीच संविदा की शर्तों की कोटि में आती हैं इसलिए इनमें कानूनी बल भी है जैसा कि कानून द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग करने में किया जाता है। वे नागरिक, जो संविदाओं के पक्षकार नहीं हैं, इन शर्तों को लागू करने से इनकार करने में कार्यकारी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शक्तियों के दुरुपयोग से सीधे ही प्रभावित होते हैं। कार्यपालिका के कार्यों और गलत कार्यों के विरुद्ध अनुतोष की मांग करना सामान्य बात है। किन्तु यदि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया तो उससे कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। यह उसी प्रकार से अनुयोज्य है जैसे कि निश्चयात्मक कार्यवाही। इनसे भी क्षति कारित हो सकती है। राज्य इस अभिवाक् की शरण नहीं ले सकता कि मामला उसके और दुकानों के स्वामियों के बीच में है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी नीति को लागू करे या उसको लागू करने से इनकार करने की उसकी अपनी इच्छा है। वह यह नहीं कह सकता कि जहां तक अन्त अच्छा है तो उसके साधनों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए। एक जिम्मेदार सरकार के लिए साधन भी उतने ही महत्त्वपूर्ण होने चाहिए जैसे कि साध्य। प्रत्यर्थियों की यह दलील नामंजूर की जानी चाहिए कि पिटीशनरों को "सुने जाने का" कोई अधिकार नहीं है। उत्पाद-शुल्क नीलाम के लिए घोषणा करते समय राज्य छात्रों और अन्य लोगों को बचाने के लिए कम से कम 200 गज की दूरी पर दुकानों को रखने के लिए अपनी नीति घोषित करता है और किसी भी दुकान को राष्ट्रीय राजमार्गों से सहजदृश्य न होना चाहिए। यह सब होते हुए राज्य अपनी नीति को व्यर्थ नहीं कर सकता और अनुज्ञप्तियों के निबन्धनों का घोर उल्लंघन करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के प्रति अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकती। इस बारे में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है कि समाज की भलाई के लिए ऐसी प्रशंसनीय नीति केवल दिखावा थी और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए थी। राष्ट्रीय राजमार्गों से दुकानों को दूर रखने की नीति इस बात के बारे में सुनिश्चित करने से सम्बन्धित थी कि मोटर यान दुर्घटनाओं से जनता की सुरक्षा की जा सके। राज्य ने इसके बारे में पहले ही स्वीकार किया है कि देश में मोटरयान दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है। इन दुर्घटनाओं को कारित करने के लिए शराब एक मुख्य कारण समझा जाता है। अपने ही नियमों के भंग किए जाने पर राज्य की मौनानुकूल स्थिति वास्तव में चिन्तनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि धन के लालच ने समझ-बूझ को आच्छादित कर दिया है। (पैरा 5, 8, 10, 11, 18, 28 और 21)

यह सच है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं जो कि किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। किन्तु इन तत्वों को देश का शासन करने में मूलभूत घोषित किया गया है और राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह विधि बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करे (अनुच्छेद 37)। अनुच्छेद 47 ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य को मादक पेयों के उपभोग पर प्रतिषेध करने के बारे में आदेश देता है। राज्य ने अपने विवेक से दुकानों की संख्या को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बढ़ाना जारी रखा है और मादक पेयों को और अधिक लोकप्रिय बनाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि घोषणाओं में अन्तर्विष्ट उपर्युक्त निर्बन्धनों को इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं किया गया है। यह हो सकता है कि राज्य के राजस्व को राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों पर प्रधानता प्रदान की गई है। प्रस्तुत मामले में कार्यपालक शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। उप-उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त घोषणाओं की शर्त सं० 77 में अन्तर्विष्ट राज्य की घोषित नीति के उल्लंघन में उन स्थानों पर परिसरों का अनुमोदन करने के लिए अग्रसर हुए हैं। यह सुनिश्चित करना उसका कर्त्तव्य था कि परिसरों की अवस्थिति घोषणाओं की शर्तों का उल्लंघन न करे। घोषणाओं की अन्य शर्तों के अनुपालन के बारे में आश्वस्त होने के पश्चात् ही उनको इस बात पर विचार करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी कि क्या परिसरों का घोषणाओं की शर्त सं० 24 के निबन्धनों के अनुसार अनुमोदन किया जाना चाहिए। उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त का और अन्य व्यक्तियों का उन दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी कर्त्तव्य था जो घोषणाओं की शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। इन प्राधिकारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन न करने से लोक नैतिकता प्रभावित हुई है। न केवल वे छात्र ही जो अतिसंवेदनशील आयु के होते हैं और जो शराब के प्रलोभन में फंस गए हैं केवल उनकी ही अपहानि हुई है किन्तु पूजा के स्थानों के निकट इन दुकानों के अनुज्ञात किए जाने से जनता की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुकानों के होने से मोटरयान दुर्घटनाओं के कारित किए जाने में पहले ही सन्देह प्रकट किया गया है जिनसे अनेक निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई हैं। इस प्रक्रम पर न्यायालय ने एक अन्य शिकायत पर भी ध्यान दिया है वह यह है कि उत्पाद-शुल्क कर्मचारियों ने विक्रेताओं को खिड़कियों में शराब की बोतलों के सम्प्रदर्शन की आज्ञा देकर दण्डाभाव से घोषणाओं की शर्त सं० 23 का उल्लंघन किया है। इस तथ्य की भी न्यायिक अवेक्षा करते है कि माल रोड पर दुकानों में अपनी खिड़कियों में शराब की बोतलों का खुले रूप में सम्प्रदर्शन किया जाता है। शिमला का माल रोड एक ऐसा स्थान है जहां पर राज्य के सभी अधिकारी घूमते हैं और वे दुकानें किसी की भी दृष्टि से ओझल नहीं होतीं। यह हो सकता है कि उत्पाद-शुल्क अधिकारियों को कोई बुराई दिखाई न देती हो या इन बोतलों के सम्प्रदर्शन में कोई बुराई दिखाई न देती हो। (पैरा 22, 23 और 24)

सुने जाने के अधिकार के नियम को उदार बनाना आवश्यक है क्योंकि सार्वजनिक क्षति व्यक्तियों के किसी अनिश्चित वर्ग के प्रति क्षति है। इन मामलों में जिस कर्त्तव्य का भंग होता है, जिससे कि क्षति उद्भूत होती है, वह राज्य

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकारी का कार्य माना जाता है न कि किसी विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह का कार्य, किन्तु वह सामान्य जनता के प्रति समझा जाता है। दूसरे शब्दों में कर्त्तव्य एक ऐसा कर्त्तव्य है जो किन्हीं व्यक्तिगत अधिकारों से सहसम्बन्धित नहीं है। अब यदि ऐसे सार्वजनिक कर्त्तव्य के बारे में यह अनुज्ञात किया जाए कि उसका उपचार न हो जाए क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे विनिर्दिष्ट विधिक क्षति पहुंची है अथवा जो ऐसे सार्वजनिक कर्त्तव्य से सम्बन्धित विनिश्चय से सम्बन्धित कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का हकदार है, तो ऐसे सार्वजनिक कर्त्तव्य का निष्पादन करने में असफलता नजरअन्दाज हो जाएगी और इससे विधि के नियम के लिए अनादर की प्रोन्नति होगी। इससे भ्रष्टाचार तथा अदक्षता का दरवाजा भी खुल जाएगा क्योंकि सार्वजनिक क्षति के प्रयोग पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा सिवाए उसके जो कि राजनीतिक तन्त्र द्वारा उपबंधित किया गया हो और जो ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा कि उसका प्रयोग केवल सीमित नियंत्रण के रूप में किया जा सकेगा और निकृष्ट रीति में हो सकता है कि वह शक्ति के दुरुपयोग अथवा दुष्प्रयोग का भागी हो जाए। इससे नवीन सामाजिक सामूहिक अधिकार तथा हित, जिनकी सृष्टि समाज के प्रवंचित वर्गों के फायदे के लिए की गई है, निरर्थक तथा निष्प्रभावी हो जाएगी। (पैरा 28)

		पैरा
[1982]	[1982] 4 उम० नि० प० 196=1981 (सपलीमेंट) एस० सी० सी० 87=ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 149 : एस० पी० गुप्त **बनाम** भारत संघ और अन्य (S. P. Gupta *Vs.* Union of India and others)	28

का **अवलम्ब** लिया गया।

[1977]	ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 1496 : मै० राधाकृष्ण अग्रवाल और अन्य **बनाम** बिहार राज्य और अन्य (M/s. Radhakrishna Agarwal and others *Vs.* State of Bihar and others);	15
[1977]	ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 2149 : बिहार ईस्टर्न गंगेटिक फिशरमैन को-आपरेटिव सोसाइटी लि० **बनाम** सिपाही सिंह और अन्य (Bihar Eastern Gangetic Fishermen Co-operative Society Ltd. *Vs.* Sipahi Singh and others);	15

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1975] ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 1121 : हरशंकर और अन्य **बनाम** उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त और अन्य (Har Shankar and others *Vs*. The Deputy Excise and Taxation Commissioner and others etc.) — 14

से **प्रभेद** बताया गया।

[1979] आई० एल० आर० 1979 हिमाचल प्रदेश 35 : पेरी चौहान **बनाम** राज्य और एक अन्य (Parey Chauhan *Vs*. State and another); — 19

[1978] आई० एल० आर० 1978 हिमाचल प्रदेश 667 : अनिल नाग **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (Anil Nag *Vs*. State of Himachal Pradesh and others); — 20

[1976] ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 1654 : हरियाणा राज्य और एक अन्य **बनाम** चानन मल आदि (State of Haryana and another *Vs*. Chanan Mal etc.) — 16

निर्दिष्ट किए गए।

आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1982 का सिविल रिट पिटीशन सं० 321.

संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशन।

पिटीशनरों की ओर से ... सर्वश्री डी० के० खन्ना, कपिल देव सूद और भवानी सिंह अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से ... श्री इन्दर सिंह महाधिवक्ता, सर्वश्री केदार ईश्वर, चन्द्रशेखर, अरुण कुमार गोयल और दीपक गुप्ता, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय मु० न्या० वी० डी० मिश्र ने दिया।

मु० न्या० मिश्र :

इस न्यायालय के पास शिमला के निवासियों से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें यह शिकायत की गई थी कि राज्य ने शिमला और अन्य स्थानों में राज्य की घोषित नीति के अतिक्रमण में शराब की दुकानों की मंजूरी दी है और उन्हें स्थापित किया है। यह प्रकथन किया गया था कि अधिकतर शराब

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की दुकानें व्यवहारिक रूप से शैक्षणिक संस्थाओं, पूजा के स्थानों, अस्पतालों और परिनिश्चित श्रमिक और हरिजन बस्तियों के निकट हैं। यह कहा गया था कि उन्हें खेद है कि वे न्यायालय में नियमित रिट पिटीशन के माध्यम से नहीं आए थे क्योंकि "जिस क्षण हम ऐसा करेंगे हम इस बारे में आश्वस्त हैं कि शराब के ठेकेदार हमारे कारबार और निवास स्थानों पर टूट पड़ेंगे और हमारा और हमारे बच्चों का जीवन मत्तता और अपने रुपये-पैसे के बल पर दुखी बना देंगे और इस काम को वे लोग गुण्डों की सहायता से आसानी से कर सकेंगे।" यह भी कहा गया था "पिछले कुछ वर्षों में शराब के नशे के प्रभाव से दुकानों की तोड़-फोड़, खिड़कियों को तोड़ने, छात्रों की लड़ाई की अनेक घटनाएं घटी हैं इनमें महिलाओं के साथ छेड़खानी करना और शिमला के शांतिपूर्ण वातावरण को भंग करना था और सूर्यास्त के पश्चात् शिमला में नागरिकों का और साथ ही आगन्तुकों का भी चलना-फिरना मुश्किल हो गया था, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं किन्तु इनके बारे में प्राधिकारियों ने ध्यान देने से इनकार कर दिया। 30 नवम्बर, 1982 को एक नई घटना घटी जब गुण्डों ने माल, शिमला पर स्थित एम्बेसी रेस्तरां के दरवाजों को 9 बजे रात्रि में तोड़ दिया।" यह पत्र सिविल रिट पिटीशन में संपरिवर्तित किया गया। हमारे निवेदन पर शिमला के निवासियों की ओर से सर्वश्री डी० के० खन्ना, कपिल देव सूद और भवानी सिंह अधिवक्ता हाजिर होने के लिए सहमत हो गए। राज्य को सूचना जारी की गई जिसमें उसे पत्र में उल्लिखित स्थानों पर शराब की दुकानों के बारे में पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा गया। राज्य से इन दुकानों के स्वत्वधारियों के नामों को बताने के लिए भी निदेश दिया गया था। राज्य ने शराब की कुछ दुकानों की एक सूची दी। इन दुकानों के स्वत्वधारियों को सूचना जारी की गई थी। राज्य और प्रश्नगत दुकानों के स्वत्वधारियों ने अपनी विवरणियां फाइल की हैं।

2. राज्य ने अपनी विवरणी में फिर से विभिन्न दुकानों की एक सूची संलग्न की। शिमला शहर में 14 दुकानें, शिमला जिले में 39 दुकानें हैं जिनमें शहर की 2 दुकानें सम्मिलित नहीं हैं। जिला चाम्बा में 8 दुकानें हैं। एक दुकान जिला उन्ना में है। जिला मण्डी में 14 दुकानें, जिला सोलन में 17 दुकानें, जिला सिरमूर में 9 दुकानें और जिला बिलासपुर में 7 दुकानें हैं। यह सूची (उपाबंध आर-1, आर-2 और आर-3) शैक्षणिक संस्थाओं और पूजा के स्थानों आदि से प्रत्येक दुकान की दूरी दर्शाती है। यह सूची उन दुकानों को भी दर्शित करती है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं। शराब की अधिकांश दुकानें शैक्षणिक संस्थाओं, पूजा के स्थानों, अस्पतालों और परिनिश्चित श्रमिक और हरिजन बस्तियों से 200 गज के भीतर हैं। शराब की दुकानों में से एक दुकान

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(उपाबंध आर-1 के क्रम सं० 4 पर) विद्यालय से केवल 22 गज की दूरी पर है। एक अन्य शराब की दुकान (उपाबंध आर-1 की क्रम सं० 5 पर) विद्यालय से केवल 28 गज की दूरी पर है। अनेक दुकानें पूजा के स्थानों से मुश्किल से 40 से 60 गज की दूरी पर हैं। अनेक दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। कुछ दुकानें मान्यताप्राप्त श्रमिक बस्तियों के निकट हैं।

3. इससे पूर्व कि हमारे समक्ष उठाई गई दलीलों पर चर्चा करें, हम राज्य द्वारा लिए गए आधार पर विचार करते हैं। राज्य ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि व्यतिक्रमी दुकानें ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहां उन्हें राज्य की घोषित नीति के अनुसार नहीं होना चाहिए। किन्तु सरकारी राजस्व के व्यापक हित में उनकी अवस्थिति औचित्यपूर्ण है क्योंकि उत्पाद-शुल्क राजस्व भी हिमाचल प्रदेश राजकोष की आय का एक प्रमुख स्रोत है जिनका राज्य की अनेक विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है।" विवरणी हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला के अवर सचिव (उत्पाद शुल्क और कराधान) श्री बी० के० कपूर के शपथपत्र पर आधारित है। विवरणी में यह प्रार्थना की गई है कि पिटीशनरों के अनुरोध को व्यापक लोक-हित में और राज्य सरकार के लिए बहुत अधिक आवश्यक राजस्व को ध्यान में रखते हुए नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

4. पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1914, पंजाब मादक शराब अनुज्ञप्ति नियम, 1956, पंजाब मादक पदार्थ अनुज्ञप्ति और विक्रय आदेश, 1956 और पंजाब उत्पाद-शुल्क शक्तियां और अपील आदेश, 1956, हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू किए गए हैं। अनुज्ञप्ति को मंजूर करने के सम्बन्ध में सुसंगत उपबंधों पर ध्यान देना होगा। अधिनियम के अध्याय 6 में अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों और पासों के सम्बन्ध में उल्लेख है। धारा 34 में अन्य बातों के साथ यह अधिकथित किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति (क) ऐसे शुल्कों के संदाय पर यदि कोई हों, और (ख) ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन, जैसे कि वित्तीय आयुक्त द्वारा निदेश दिया जाए, मंजूर की जाएगी। अनुज्ञप्तियां अधिनियम की धारा 35 के अधीन मंजूर की जाती हैं। यह इस प्रकार है :—

"35. विक्रय के लिए अनुज्ञप्तियों की मंजूरी।

(1) इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन वित्तीय आयुक्त द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए कलक्टर अपने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिले के अन्दर किसी मादक पदार्थ के विक्रय के लिए अनुज्ञप्तियां मंजूर कर सकेगा ।

(2) लोक राय का अभिनिश्चित करना ।

किसी ऐसे परिसरों पर उपभोग के लिए शराब के फुटकर विक्रय हेतु किसी वर्ष में कोई अनुज्ञप्ति मंजूर करने से पूर्व, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष में इस प्रकार अनुज्ञप्त नहीं की गई है, कलक्टर नियमों के अनुसार ऐसे कदम उठाएगा ।

(3) पंजाब (हिमाचल प्रदेश) के एक जिले से अधिक में विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति केवल वित्तीय आयुक्त द्वारा मंजूर की जाएगी ।"

5. धारा 36 किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने वाले प्राधिकारी को ऐसे निर्बन्धनों के अध्यधीन, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अन्य बातों के साथ-साथ अनुज्ञप्ति के निर्बन्धनों या शर्तों में से किसी के भंग होने के लिए अनुज्ञप्तियों को रद्द करने या निलम्बित करने के लिए सशक्त बनाती है । धारा 5 राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और सामान्यतः मद्य-निषेध की नीति को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है । किन्तु धारा 13 राज्य सरकार को अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों को इस धारा में उल्लिखित के सिवाय वित्तीय आयुक्त को प्रत्यायोजित करने के लिए सशक्त बनाती है । राज्य सरकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वित्तीय आयुक्त आयुक्त या कलक्टर को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक वर्ग को प्रत्यायोजित करने की भी अनुज्ञा दे सकती है । स्वीकृततः उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त ने विधि के अधीन घोषणाएं जारी की हैं ।

6. नियमों में अनुज्ञप्तियों के अनेक वर्ग और उनको मंजूर करने के ढंग अधिकथित किए गए हैं और उनमें उन्हें मंजूर करने और उनका नवीकरण करने वाले प्राधिकारियों का भी उल्लेख है । हम इस मामले में एल० 2, एल० 3, एल० 4, एल० 5, एल० 10, एल० 14 और एल० 14ए से सम्बद्ध हैं । एल०2 "जनता को विदेशी शराब के थोक और फुटकर विक्रय" से संबंधित है । एल०3 "किसी होटल या डाक बंगले में विदेशी शराब के फुटकर विक्रय" से सम्बन्धित है । एल० 4 "किसी रेस्तरां में विदेशी शराब के फुटकर विक्रय" से संबंधित है । एल०5 किसी रेस्तरां (एल०4 के अनुपूरक) से संलग्न किसी बार (मधुशाला) में विदेशी शराब के फुटकर विक्रय" से संबंधित है । एल० 10

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"परिसरों पर या उनसे अलग उपभोग के लिए बीयर के फुटकर विक्रय" से संबंधित है। एल० 14 "परिसरों पर और उनसे अलग उपभोग के लिए देशी स्प्रिट के फुटकर विक्रय" से संबंधित है। एल० 14ए "परिसरों से अलग उपभोग के लिए देशी स्प्रिट के फुटकर विक्रय" से सम्बन्धित है। नियमों में नीलाम की पद्धति भी अधिकथित की गई है। नियम 36 में नीलाम द्वारा अनुज्ञप्तियों को दिए जाने के लिए प्रक्रिया दी गई है। यह उपबंध किया गया है कि नीलाम से पूर्व पीठासीन अधिकारी उस सूचना और उसकी शर्तों को पढ़कर सुनाएगा जिसके अध्यधीन नीलाम किया जाएगा। पंजाब मादक पदार्थ अनुज्ञप्ति और विक्रय आदेश, 1956 के आदेश 8 में कलक्टर से यह अपेक्षा की गई है कि वह उन व्यक्तियों की राय अभिनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त कदम उठाए जो वहां रहते हैं या उसके पड़ोस में उनकी कोई सम्पत्ति है और उस प्रस्ताव से उनके प्रभावित होने की सम्भावना है जब किसी परिसर पर उपभोग के लिए शराब के फुटकर विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति को दिया जाना प्रस्तावित किया जाता है जो कि पूर्ववर्ती वर्ष में अनुज्ञप्त नहीं थे। उसके पश्चात् वे आदेश हैं जिनमें कलक्टर से विभिन्न प्राधिकारियों से परामर्श करने और आक्षेपों को निपटारे की पद्धति के बारे में अपेक्षा की गई है। पंजाब उत्पाद-शुल्क शक्तियां और अपील आदेश 1956 के आदेश 2 के अधीन सभी उप-उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्तों को पूरे जिले के अन्दर अधिनियम के अधीन कलक्टर के सभी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है और वे अपने-अपने प्रभारों के अधीन अधिनियम की धारा 79 के अधीन शक्तियों के सिवाय सभी कृत्यों का निर्वहन करेंगे। एल० 2, एल० 14 और एल० 14ए अनुज्ञप्तियां प्रत्येक वर्ष नीलाम द्वारा दी जाती हैं।

7. हिमाचल प्रदेश के उत्पाद-शुल्क और कराधान विभाग ने 1982-83 के उत्पाद-शुल्क नीलाम की घोषणाएं ("घोषणाओं" के रूप में निर्दिष्ट) प्रकाशित कीं। ये वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए हिमाचल प्रदेश में देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और देशी किणवन शराब के फुटकर विक्रय के लिए उत्पाद-शुल्क अनुज्ञप्तियों के नीलाम के समय की गई थीं। अब हम इन घोषणाओं के कुछ सुसंगत खण्डों पर ध्यान देंगे :—

> "1. शराब की सभी अनुज्ञप्तियां चाहे थोक विक्रय के लिए हों या फुटकर विक्रय के लिए, इन घोषणाओं के अधीन दी जाएंगी और हिमाचल प्रदेश में यथाप्रवृत्त पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम (1914 का 1) और समय-समय पर तदधीन विरचित नियमों के उपबंधों के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अध्यधीन होंगी। अनुज्ञप्तिधारी इन घोषणाओं में विनिर्दिष्ट रूप से, जो उल्लिखित नहीं हैं, किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य बाध्यता को पूरा करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

21. अनुज्ञप्तिधारियों को शराब की उपाप्ति के लिए स्वयं प्रबन्ध करना होगा और उन्हें उन परिक्षेत्रों में अपने कारबार को चलाने के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्तियां वस्तुतः दी जाती हैं, उपयुक्त दुकानों के लिए भी स्वयं प्रबन्ध करना होगा। अनुज्ञप्तिधारियों के लिए दुकानों को चलाने से पूर्व परिसरों और विक्रीकर्ता के नाम का अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। परिसर ऐसे विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र या राजस्व सम्पदा के भीतर होंगे जहां परिक्षेत्र को आगे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके लिए अनुज्ञप्तियां नीलाम की गई हैं/मंजूर की गई हैं किन्तु अनुज्ञप्तिधारी यह दावा नहीं कर सकते कि नए परिसर उस क्षेत्र और परिसरों के अन्तर्गत निर्बन्धित रहने चाहिए जिनमें पहले से ही दुकानें चल रही थीं। यदि अनुज्ञप्तिधारी/बोली लगाने वाला मण्डल के उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त की सन्तुष्टि के अनुसार दुकानों के लिए परिसर का प्रबन्ध करने में असफल रहता है तो वह बोली की सम्पूर्ण राशि और सरकारी राजस्व की किसी अन्य हानि का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा। भले ही कारबार नहीं किया जाता है।

23. अनुज्ञप्त विक्रेता किसी भी समय लोक प्रदर्शन या लाउडस्पीकरों द्वारा घोषणा करके या किसी अन्य रीति से शराब के विक्रय को विज्ञापित नहीं करेगा। विक्रय के लिए खिड़कियों में शराब की बोतलों या उनके डिब्बों का सम्प्रदर्शन भी प्रतिषिद्ध है।

24. शिमला शहर में शराब की दुकान ऐसे परिसरों में अवस्थित होंगी जो कि परिक्षेत्र के उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त (कलक्टर) के अनुमोदन के अध्यधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाए। इसमें असफल होने पर शराब के अनुज्ञप्तिधारी शराब की दुकानों के लिए स्वयं अपने आप प्रबन्ध करेंगे। यदि परिसर/स्टाल अन्य स्थानों में स्थानीय निकायों/पंचायतों द्वारा दी जाती हैं तो शराब की दुकानें उसी परिसर/स्टाल में रखी जाएंगी और वह भी सम्बन्धित उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त (कलक्टर) के अनुमोदन के अध्यधीन होंगी। शराब के अनुज्ञप्तिधारियों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को ऐसे परिसरों को बदलने के लिए कोई प्रतिकर या किसी किस्म के अनुतोष की मंजूरी नहीं दी जाएगी। सम्बद्ध परिक्षेत्र के उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त और उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त (कलक्टर) के आदेश/निदेश शराब के अनुज्ञप्तिधारियों पर आवद्धकर होंगे। सम्बद्ध परिक्षेत्र के उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त (कलक्टर) से लिखित में अनुमोदन प्राप्त करके परिसरों को प्राप्त करना अनुज्ञप्तिधारियों के लिए आवद्धकर होगा।

77. देशी शराब, विदेशी शराब और देशी किणवन शराब के सभी अनुज्ञप्त परिसर पूजा के स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों परिनिश्चित श्रमिक और हरिजन बस्तियों, विकासात्मक औद्योगिक और सिंचाई परियोजनाओं से 200 गज की दूरी पर अवस्थित होंगे। यदि आपवादिक कारणों से 200 गज की दूरी का अनुपालन करना सम्भव नहीं पाया जाता है तो शैक्षणिक संस्थाओं के मामले में उपायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों से और अन्य मामलों में उपायुक्त से एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाना चाहिए। परिक्षेत्र का उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त/उप उत्पाद आयुक्त और कराधान आयुक्त अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत किसी भी शराब की दुकान को विद्यमान स्थानों से युक्तियुक्त दूरी/स्थानों पर बदलने के लिए और/या राजस्व सम्पदा में स्थानान्तरित करने के लिए आदेश कर सकेगा और ऐसे मामलों में शराब के अनुज्ञप्तिधारी उस अवधि के भीतर जो कि परिक्षेत्र के उत्पाद-शुक्ल और कराधान आयुक्त या उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा नियत की जाए, शराब की दुकान को बदलने के लिए प्रबन्ध करने हेतु बाध्य होगा। किसी भी हालत में इस आधार पर प्रतिकर के किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जाएगा। ऐसे आदेशों का अनुपालन करने में असफल होने पर अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए और अपनी जोखिम पर उसके पुनः नीलाम के लिए दायित्वाधीन होगा।

78. राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शराब की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्गों से दूर हटाया जाएगा। किन्तु दुकानें किसी भी हालत में राष्ट्रीय राजमार्गों से सहजदृश्य स्थानों पर नहीं होंगी।" (अधोरेखांकित भाग पर जोर दिया गया)

8. हमारे समक्ष इस बारे में कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि उन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दुकानों की बाबत जो शैक्षणिक संस्थाओं, पूजा के स्थानों, अस्पतालों, मान्यता-प्राप्त श्रमिक या हरिजन बस्ती आदि से 200 गज से कम दूरी पर हैं, उपायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारियों (शैक्षणिक संस्थाओं के मामले में) द्वारा कोई प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं किया गया है। अन्य शब्दों में स्वीकृततः सभी ऐसी दुकानें खोली गई हैं और खण्ड 77 के उल्लंघन में ऐसे स्थानों पर चल रही हैं।

9. हम सीधे ही क्रेताओं की ओर से दी गई खण्ड 77 और 78 का उल्लंघन करने वाली दलीलों में से एक दलील का निपटारा करते हैं। यह दलील दी गई है कि कुछ व्यतिक्रमी दुकानें ऐसे परिसरों में अवस्थित हैं जिनमें पहले से ही दुकानें चल रही थीं और इसलिए वे खण्ड 77 और 78 का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस बात की ओर संकेत किया गया है कि इन क्रेताओं को उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है। यह दलील दी गई है कि इस अनुमोदन से खण्ड 24 के निबन्धनों का पर्याप्त रूप से अनुपालन हो गया है। यह निवेदन किया गया है कि ऐसा अनुमोदन खण्ड 77 के अधीन या तो आवश्यक मंजूरी की कोटि में आता है या इस अनुमोदन के कारण खण्ड 77 के अधीन कोई प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है।

10. यह स्मरण रखा जाए कि दुकानें अवस्थित या राजस्व सम्पदा के सम्बन्ध में नीलाम की जाती हैं और अनुज्ञप्तिधारी यह दावा नहीं कर सकते कि नए परिसर उस क्षेत्र और परिसर के अन्तर्गत निर्बन्धित होने चाहिए जिनमें पहले से ही दूकानें चल रही थी (खंड 21)। अन्य शब्दों में केवल उस कारण से कि दुकान ऐसे परिसर में या अवस्थिति में घोषणाओं के उल्लंघन में चल रही थीं, यह अर्थ नहीं होता है कि किसी अनुज्ञप्तिधारी को उसी परिसर में दुकान चलाने का अधिकार है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि नीति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है और उन दुकानों को, जो एक वर्ष के लिए नीलाम की जाती हैं, सम्वद्ध वर्ष के नीलाम की शर्तों का अनुपालन करना होता है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी उस परिसर में दुकान चलाने के लिए बाध्य नहीं हैं जिसमें यह पूर्ववर्ती वर्ष में चल रही थी। अतः अनुज्ञप्तिधारी को यह कहने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह घोषणाओं में अन्तर्विष्ट नीलाम की शर्तों से बाध्य नहीं है क्योंकि सभी अनुज्ञप्तियां इन घोषणाओं (खण्ड 1) के अधीन ही दी गई हैं।

11. यह सच है कि उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त को पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क कलक्टर की शक्तियां विनिहित की गई हैं। किन्तु वह किसी भी प्रकार से कल्पना करने पर उपायुक्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नहीं हो जाता जिससे खण्ड 77 के निबन्धनों में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश जनरल क्लाजिज ऐक्ट (हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा 2 (12) में 'उपायुक्त' की परिभाषा दी गई है जिससे अभिप्रेत है 'जिले के सामान्य प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी'। अतः इस दलील को सीधे ही नामंजूर किया जाना चाहिए। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि खण्ड 24 और 77 एक दूसरे से पृथक् और स्वतन्त्र हैं। खण्ड 77 का प्रयोजन प्रत्यक्षतः उसमें उल्लिखित स्थानों से दुकानों को दूर रख कर लोक कल्याण है। यह खण्ड अपनी प्रकृति के अनुसार अनिवार्य (आज्ञापक) है। निःसंदेह एकमात्र अपवाद यह है कि उपायुक्त और ऐसी दुकानों के मामलों में 'जो शैक्षणिक संस्थाओं से 200 गज की दूरी पर है, जिला शिक्षा अधिकारी से भी प्रमाणपत्र लेकर और अन्य मामलों में उपायुक्त से प्रमाणपत्र लेकर दुकानें ऐसे स्थानों से 200 गज के अन्तर्गत चलाई जा सकती हैं। ये प्रमाणपत्र न तो मात्र औपचारिकताएं हैं और न ही नेमी रूप से दिए जाते हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए जब ये प्रमाणपत्र दिए जाते हैं तो इन प्राधिकारियों द्वारा आपवादिक कारण दिए जाते हैं। इस बात की ओर ध्यान दिया जा सकता है। कि जो अपेक्षित है वह केवल कारण नहीं हैं किन्तु यह आवश्यक है कि उनका केवल आपवादिक होना भी आवश्यक है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा क्योंकि ये प्राधिकारी जो कि राज्य की कार्यपालिका के अभिन्न अंग हैं, राज्य के अधिकतम राजस्व को किसी भी कीमत पर बढ़ाने के लिए प्रमाणपत्रों का देना प्रारम्भ नहीं करेंगे। खण्ड 22 के अधीन उप उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त के कृत्य और उपायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी के कृत्य बिल्कुल भिन्न हैं। यह सम्भव है कि भले ही खण्ड 77 के अधीन प्रमाणपत्र दिए जाते हैं, उप-उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त परिसरों का अनुमोदन न करे। परिसरों का अनुमोदन करना एक बात है किन्तु परिसरों की अवस्थिति बिल्कुल भिन्न मामला है। खण्ड 77 परिसरों की ऐसी अवस्थिति से सम्बद्ध हैं जबकि खण्ड 22 परिसरों के अनुमोदन से सम्बद्ध है।

12. राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित कुछ दुकानों के सम्बन्ध में एकमात्र प्रतिरक्षा यह है कि राजमार्ग का न रहना उस समय बन्द हो जाता है जब यह किसी नगर के क्षेत्र से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 22 उक्त अधिनियम की धारा 2 की अनुसूची की क्रम सं० 14 पर उल्लिखित है। इस राजमार्ग का वर्णन 'अम्बाला, कालका, शिमला नरकंडा, रामपुर और कालपा को जोड़ने वाला राजमार्ग और भारत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh